1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 5] सप्तम् विधान सभा के पंचम सत्र का आठवां दिवस [संख्या 6

1] [2

सोमवार

दिनांक 13 सितम्बर, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री सी. पी. जोशी।

जिला उदयपुर में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत उपलब्धि

168. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या मुख्य मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के विभिन्न सूत्रों के क्या लक्ष्य हैं?

(2) उपरोक्त लक्ष्यों में अभी तक [illegible]तिक लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं। [illegible]-सूत्रों से प्राप्त भौतिक लक्ष्यों की [illegible]र्णा कृपया सदन के पटल पर रखें।

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) राज्य सरकार द्वारा नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1982--83 में उदयपुर जिले के लिये निर्धारित सूत्रवार लक्ष्यों का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(2) वर्ष 1982--83 के वार्षिक भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध माह अगस्त तक की उपलब्धि संलग्न तालिका में दर्शित है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री सी. पी. जोशी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया था, उसमें लिखा हुआ है—

"All the State Governments have established systems of monitoring the Progress of the programme at Chief Minister's and Chief Secretary's level. State and District implementation committees have been set up which include a number of non-officials. ,,

यह कार्यक्रम 1982 से प्रारम्भ हुआ और आज लगभग 9 महीने हो गये, क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मानीटरिंग करने के लिए जैसा कि 20 सूत्री कार्यक्रम में लिखा

Page No 2

(2)

(श्री सी. पी. जोशी)

हुआ है, यह डिस्ट्रिक्ट मानीटरिंग कमेटियां बना दी गई हैं ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट है फिर भी माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता दूं, स्टेट लेवल पर 20 सूत्री आर्थिक क्रियान्वयन समिति बन चुकी है। जिला स्तर पर कुछ सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया चल रही है।

श्री सी. पी. जोशी : मैं माननीय मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिला स्तर पर नये 20 सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय के लिये राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित सदस्यों का चयन किया है :—

जिला प्रमुख, जिला प्रभारी मंत्री, संसद सदस्य, जिले के विधान सभा सदस्य, अन्य प्रतिनिधि, मुख्य मंत्री जी द्वारा मनोनीत व्यक्ति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तीन व्यक्ति। क्रम सं. 2,3,4 और 5 मुख्य मंत्री द्वारा किये जायेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : मेने पहले ही जो बीस सूत्री कार्यक्रम में से कोट किया है उसके अनुसार मेरा निवेदन है, कमेटी में नान-आफिशियल मैम्बर्स का चयन नहीं हुआ है। जो मुख्य मुद्दा है कि क्या सरकारी अधिकारियों द्वारा दिये गये डेटा 5,6,19 और 20 में क्या नॉन-आफिशियल के बिना आपकी जो कमेटी बनी हुई है वही काम करेगी ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जिला स्तर पर जिला प्रमुख, जो कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, की अध्यक्षता में जिला प्रभारी मंत्री तथा उस जिले के विधान सभा सदस्य मिलकर मानीटरिंग का काम कर रहे हैं। इस आधार पर उदयपुर जिले में कुछ सूत्रों में 115 प्रतिशत तक लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं जब कि अभी 5-6 महीने बाकी हैं। ऐसी सूरत में मानीटरिंग जन प्रतिनिधियों द्वारा हो रहा है और जो सदस्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हैं या अन्य प्रकार के हैं उनके मनोनयन की प्रक्रिया, जैसा मैंने पूर्व में कहा, चल रही है।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, दो अलग-अलग इश्यू हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला प्रमुख चुने हुए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मेरा पूछना यह है जो 20 सूत्री सरकारी कार्यक्रम लिखे हुए हैं, उनके आधार पर मनोनयन हुआ है या नहीं हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : पूरी नहीं बनी हैं, नान-आफिशियल्स का जो मनोनयन होना चाहिये था, वह नहीं हुआ है।

श्री सी. पी. जोशी : यह कब तक नामिनेट कर देंगे ? इतनी लम्बी-चौड़ी क्या प्रक्रिया है जो सरकार इतना समय गुजर जाने के बाद अब तक नहीं कर

(श्री सी. पी. जोशी)

पाई ? अब कब तक कर देगी ? क्या यह सही है कि आई. आर. डी. पी. के अन्तर्गत उदयपुर जिले के अधिकांश आदिवासियों ने 5-10 साल का लोन लिया हुआ है इसलिये उनका चयन आई. आर. डी. पी में नहीं हो रहा है ? जो यह आंकड़े दिये है अनुसूचित जाति और जनजाति के केवल 271 परिवारो का चयन किया गया है क्या यह सच है ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 10,800 परिवारों का लक्ष्य रखा गया था, माह अगस्त तक 835 लाभान्वित हुये हैं न कि 271 ।

श्री सी. पी. जोशी : 10,800 परिवारों में से 835 मान लें ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : लेक्टेशन पीरियड शुरू होता है सितम्बर के बाद । पशुपालन से संबन्धित पशुओं की खरीद सितम्बर माह के बाद करते हैं इसलिये इनके लक्ष्यों की प्राप्ति सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर में ज्यादा होती है । मैं समझता हूं, जो लक्ष्य एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत हैं, वे इन दिनों में समय-समय पर प्राप्त कर लिए जायेंगे ।

श्री सी. पी. जोशी : क्या यह सच है कि उदयपुर जिले में रहने वाले आदिवासी जिनके 10–15 साल के बैंक के ऋण बाकी हैं उनका चयन इसलिये नहीं किया गया है कि वे डिफाल्टर हैं ? यह चयन का टार्गेट इसलिये पूरा नहीं हो रहा है कि जो डिफाल्टर हैं उनका चयन नहीं करेंगे । यह सरकार की नीति है क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : वैसे तो यह अलग से प्रश्न है । डिफाल्टर नहीं लिये जाते हैं यह सर्वविदित बात है ।

श्री सी. पी. जोशी : यह अलग से प्रश्न नहीं है, जब आप यह कहते हैं कि इतने परिवारों को लाभान्वित करना चाहते हैं । सबसे ज्यादा गरीबी और निर्धनतम रेखा में रहने वाले आदिवासी हैं उनका मनोनयन नहीं करेंगे तो जो बेनिफिट देने वाली बात है वह तो पूरी नहीं होगी । वह तो पूरी होनी चाहिये ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदद, जैसा मैने बताया, 835 परिवरों को लाभान्वित किया है । आपकी जनकारी में केवल 271 ही लाभान्वित हुये हैं । तो एक तो यह 835 परिवारों को लाभान्वित करने की बात है । दूसरा, पिछला अनुभव यह बताता है कि अक्टूबर, नवम्बर दिसम्बर में पशुपालक पशुओं को खरीदते है और इन्हीं दिनों में लक्ष्य पूरा होता है ।

श्री अध्यक्ष : खास तौर से ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : इसलिये, जहां तक डिफाल्टर का सवाल है, स्पेसिफिक डिफाल्टर जिनको लाभान्वित होना है, के बारे में आप बता दें ।

श्री सी. पी. जोशी : सूत्र नं० 18 और 19 में भौतिक लक्ष्य है....

Page No 4

(४)

श्री बुलाकी दास कल्ला : सूत्र नं० 18 ग्रामीण उद्योग है, इसमें लक्ष्य 650 परिवारों का है। कारीगरों को रोजगार में 641 परिवारों का और हाथ कर्घा और नया उद्योग में 250 परिवारों का लक्ष्य है। 19 वां सूत्र काले धन से सम्बन्धित है इसलिये सम्पूर्ण भारत से सम्बन्धित है और आयकर विभाग तथा कस्टम विभाग इसमें कार्यवाही करते हैं।

श्री सी. पी. जोशी : 9 महीने के फिजिकल अचीवमेंट आपने किये हैं क्या? सारे राजस्थान में सबसे ज्यादा बेनामी लैन्ड है उदयपुर में है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : पिछड़े को पहले कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीन 213 परिवारों को भौतिक लक्ष्य निर्धारित कर भूमि देना तय किया गया था, उसके मुकाबले में 319 को अगस्त माह के अन्त तक भूमि दी गयी जिसका प्रतिशत 149.1 रहा।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): क्या यह सही है कि बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 19 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्मगलर्स, होर्डर्स, टैक्स इवेडर्स में से किसी एक को भी आज तक गिरफ्तार नहीं किया है,?

श्री बुलाकी दास कल्ला : कालेधन की रोकथाम के बारे में आयकर विभाग कार्यवाही करता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आयकर का नहीं है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : इसलिए राज्यों का इस सम्बन्ध में कोई विशेष लक्ष्य नहीं दिये गये हैं आयकर विभाग जमाखारों एवं कर अपवंचकों के खिलाफ कार्यवाही करता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या जमाखोरों की गिरफ्तारी के लिए भारत सरकार ने मना किया है ? क्या टैक्स की चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए राजस्थान सरकार को भारत सरकार ने मना किया है ? क्या राजस्थान की सीमा पर तस्कर व्यापार करने वालों को या दूसरे राज्य की सीमाओं पर जो तस्कर व्यापार कर रहे हैं, ऐसे व्यापारियों को गिरफ्तार करने के के लिए भारत सरकार ने मना किया है ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उदयपुर जिले से सम्बन्धित नहीं है। जो आयकर की चोरी तस्करी का काम या Excise tax की चोरी करते हैं उनके खिलाफ राज्य सरकार निश्चित रूप से हमेशा नियमानुसार कदम उठाती है और ऐसे लोगों को पकड़ती रहती है। आपके पास कोई स्पेसिफिक प्राब्लम हो तो रखिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बताइये, उदयपुर जिले में एक भी जमाखोर गिरफ्तार हुआ ? एक भी टैक्स इवेडर गिरफ्तार हुआ ? एक भी स्मगलर गिरफ्तार नहीं हुआ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, अगल प्रश्न कर रहे हैं। विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। 10 मिनट का समय हो गया है।

श्री सी. पी. जोशी : सूत्र 16 में राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि औपचारिक शिक्षा के अन्दर 200 नये प्राथमिक विद्यालय और 100 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे, इस लक्ष्य के अनुसार जुलाई में जो सत्र प्रारम्भ हुआ उसमें कितने नये विद्यालय शुरू किये ?

श्री बुला कीदास कल्ला : सूत्र संख्या 16 में नामांकन और औपचारिक शिक्षा केन्द्र के बारे में जो आंकड़े दिये गये हैं, इस पर....

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं नामांकन का नहीं पूछ रहा हूं, सूत्र नं. 16 में आपने जो प्रावधान किया है कि औपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत 200 नये प्राथमिक विद्यालय और 100 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायें 'उस बारे में यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उदयपुर में या पूरे राजस्थान में ?

श्री सी. पी. जोशी : पूरे राजस्थान में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अन्य किसी तरह से इस प्रश्न को उठायें।

(व्यवधान)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : यह जो परिवारों का लक्ष्य दिया गया है, क्या इन सारे परिवारों का चयन किया गया है या बिना चयन किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री राम किशन।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अन्य किसी तरह से उठाया जा सकता है। मैं इजाजत नहीं दूंगा। कृपया बैठ जायें। अगला प्रश्न।

जिला कोटा के मन्दिरों की भूमि

169. **श्री रामकिशन वर्मा** (लाडपुरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कोटा जिले में जिलाधीश, कोटा के निर्देश पर तहसीलदार मन्दिर की कृषि भूमियों के सम्बन्ध में उन पर काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध मन्दिर की प्रार्थना के बगैर ही लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहे हैं ? क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से ऐसे निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? कृपया आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : जी हां। राज्य सरकार और जिलाधीश, कोटा द्वारा इस प्रकार के निर्देश दिये गये हैं जो क्रमशः क्रमांक 76 रेवे—1/78

Page No 6

(6)

(श्री परसराम मदेरणा)

दिनांक 14-5-79 व एफ 2 राजस्व/81 दिनांक 9-12-81 हैं, जिनकी प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(प्रतियों के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय, क्या धारा 91 के नियम के तहत तहसीलदारों द्वारा उन जमीनों, जिन पर खातेदारी हक है, पर शासकीय या अर्द्ध-शासकीय निर्देश से अतिक्रमण मान कर कार्यवाही की जा सकती है? मन्दिरों के प्रमुखों की बेदखली की कार्यवाही जिलाधीश ने अपने आदेश से कराया है और उनकी जमीन को छीना है।

श्री परसराम मदेरणा : खातेदारी अगर आई. आर. डी. पी. के नियम की है और आई. आर. डी. पी. की खातेदारी है तो वह परपीचुअल है वह ट्रान्सफर नहीं हो सकती। गवर्नमेंट कन्ट्रोल में जो मन्दिर हैं 5 (24) के अन्तर्गत और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 103.4 के अन्तर्गत भूमि को परिभाषित किया गया है, वह भूमि जो गवर्नमेन्ट की हैं, कई प्रकार की जमीन इसमें दी हुई है। क्योंकि यह आई. आर. डी. पी. की है, गवर्नमेन्ट का कन्ट्रोल है और यदि मन्दिर की भूमि के रूप के किसी पुजारी या सेवक ने जमा कर ली है तो वह इल्लीगल है इसलिए तहसीलदार द्वारा 91 की कार्यवाही की जा सकती है।

श्री रामकिशन वर्मा अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिनका हक लिया गया है क्या उनके खिलाफ धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकते हैं?

श्री परसराम मदेरणा : खातेदारी मिलने का प्रश्न नहीं है। मैंने कहा नहीं आपसे, गवर्नमेन्ट कन्ट्रोल की बात कर रहा हूं। जो गवर्नमेन्ट कन्ट्रोल की जमीन है उसमें रेफरेन्स करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना....

श्री अध्यक्ष : रिकार्ड के अन्दर खातेदारी लिखा गया है तो वह ट्रेस पासर कैसे हुआ?

श्री परसराम मदेरणा : फिर दो प्रकार के मामले हुए। एक जिसमें रिकार्ड में खातेदारी लिखा हुआ है, दूसरा, जिसमें रिकार्ड में खातेदार नहीं लिखा हुआ किन्तु कब्जा कर रखा है। जमीन जमा बन्दी में चली गयी तो रिकार्ड में दुरुस्ती करनी पड़ेगी लेकिन म्यूटेशन में धारा 91 की कार्यवाही हो सकती है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि सरकार ने आदेश दिये हैं कि मन्दिरों की प्राइवेट जमीन यदि पुजारी ने किसी को रहन रख दी या नाजायज बेचान कर दी तो पैसा ले लिया जाय और उसकी जमीन खाते में दे दी जाय?

श्री परसराम मदेरणा . गवर्नमेन्ट कन्ट्रोल के मन्दिर की बात कर रहा हूं। अन्य

(श्री परसराम मदेरणा)

मंदिरों में व्यवस्था पुजारी और दूसरे व्यक्ति करते हैं। उस सम्बन्ध में टिनेन्सी एक्ट की धारा 183 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : प्राइवेट मन्दिर है, उनकी जमीन पर कोई कब्जा है तो धारा 91 की कार्यवाही की जाय। दूसरा यह है कि पुजारी ने अनधिकृत रूप से जमीन बेच दी है या रहन रख दी है तो तहसीलदार को खाते में देने का आदेश है। तहसीलदार अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर रहा है, पैसा बना रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है और जमीन से बेदखल कर रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : जो आदेश प्रसारित किये हैं, वह कान्ट्राडिक्ट्री नहीं है, उनमें विरोधाभास नहीं है। उन्होंने गवर्नमेन्ट कन्ट्रोल के मंदिर की जमीन के सम्बन्ध में टिनेन्सी एक्ट के अन्दर कार्यवाही की जानी है।

श्रीरघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, दो आदेश हैं, एक 91 के अन्तर्गत है। एक अनधिकृत रूप से बेच दी है तो खातेदारी राइट देने का है या नहीं। यह आपकी जानकारी में नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : खातेदारी का कौन सा प्रश्न है। मैं कह रहा हूं कि खातेदारी न तो पुजारी की हो सकती हैं, न वह एलिनिएट कर सकता है, न ट्रांसफर कर सकता न बेच सकता है। गवर्नमेन्ट कन्ट्रोल में 91 की भी हो सकती है....

श्री रामकिशन वर्मा : जिलाधीश के निर्देश पर तहसीलदार करता है। श्रीनाजी के मन्दिर की जमीन पर कार्यवाही करके 9359 रुपये जुर्माना लगाया है, जब कि अतिरिक्त जिसकी जमीन है, उसका विवाद जिलाधीश के पास चल रहा है वह तय नहीं हुआ, उसके बावजूद पेनल्टी लगाकर बेदखली की कार्यवाही की जा रही है। क्या यह ठीक है ?

श्री परसराम मदेरणा : इस भूमि के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई, इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार के जो सर्क्यूलर राज्य सरकार और कलेक्टर द्वारा प्रसारित किए हैं, वह मैंने बता दिए हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय हमेशा पहले से ही बहुत तैयारी के साथ आते हैं लेकिन आज ऐसा लगता है कि आज वे ऐसे ही आ गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से आपसे प्रश्न किया है। मैंने कहा है कि ऐसे आदेश मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। मंत्री महोदय गलत उत्तर देने के आदी भी नहीं हैं लेकिन इस बारे में निश्चित रूप से गलत सूचना दे रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जो आदेश दिये गये हैं उनकी प्रतियां मैंने सदन के पटल पर रख दी हैं। दोनों सर्क्यूलर्स की कापियां भी सदन के पटल पर रख दी हैं।

Page No 8

(8)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एक आदेश तो मैंने स्वयं अपनी आंखों से पढ़ा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शासन पैरों पर है । सुनिये । इसमें कानूनी रूप से क्या स्थिति बनती है, उस संबंध में जितने भी आदेश हुए हैं वह लेकर आप मंत्री महोदय से अलग से बात कर लें। यह कानूनी मसला है जो यहां पर हल नहीं हो सकता । इस तरह से तो इसका कोई अन्त नहीं होगा मंत्रीजी के ध्यान में आ गया है, आप उनसे बात कर लें ।

अगला प्रश्न, श्री भैंरूंसिंह गुर्जर, श्री शिवदानसिंह ।

श्री भैंरूंसिंह गुर्जर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा टिपिकल है....

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न संख्या बोल दीजिए ।

शिक्षकों के स्थानान्तरण

170. **श्री भैंरूंसिंह गुर्जर** (खारची) श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जेतारण) व श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

माह अप्रेल, 1982 से अगस्त, 1982 तक राज्यादेश एवं दूरभाष पर दिये गये आदेशों के तहत शिक्षा विभाग के कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण जिले व जिले के बाहर किये गये ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : माह अप्रेल, 1982 से अगस्त, 1982 के दौरान 24 अध्यापकों के स्थानान्तरण राज्यादेशों द्वारा किये । इन 24 अध्यापकों में 13 के स्थानान्तरण अपने जिले में तथा 11 अध्यापकों के स्थानान्तरण जिले के बाहर किये गये हैं । जिलेवार ऐसे स्थानान्तरणों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है ।

दूरभाष पर स्थानान्तरण के कोई आदेश नहीं दिये गये हैं ।

विभिन्न सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिनांक 23, 24 जून, 82; 17 जुलाई, 82; 31 जुलाई, 82 एवं 18 अगस्त, 82 को विभिन्न शिक्षाधिकारियों की बैठक बुला कर स्थानान्तरण के लिए कहा गया । ऐसे कुल 998 नाम थे । इनमें से 217 प्रधानाध्यापक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के थे । इनमें से अब तक 690 का स्थानान्तरण हो चुका है । इनमें 186 प्रधानाध्यापक हैं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री भैंरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, नम्बर एक तो यह है कि मंत्री महोदय ने जो राज्यादेश से हुए स्थानान्तरण की सूची सदन की मेज पर रखी है और जिले के अन्दर हुए स्थानान्तरणों की बहुत कम संख्या बताई है, यह संख्या बिलकुल गलत है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिले के अन्दर भी राज्यादेशों से स्थानान्तरण हुए हैं । मेरा निवेदन है कि आप अजमेर जिले के अन्दर जो राज्यादेश से गए हैं उनकी सूची पढ़ कर सुना दें ।

Page No 9

(9)

श्री अध्यक्ष : सूची तो लिखित में दे दी है, सदन की मेज पर रख दी है।

श्री चन्दनमल बैद : जिले के बाहर की सूची दी है, अजमेर जिले में जो स्थानान्तरण हुए हैं उनकी सूची नहीं दी है।

श्री भंरूसिंह गुर्जर : मेरा निवेदन यह है कि जब शिक्षा विभाग ने स्थानान्तरण नीति निर्धारित की उसके उपरान्त भी उस नीति के विरुद्ध राज्यादेशों से स्थानान्तरण किए गए हैं, उनका समन्वय किया गया है, उनका समायोजन किया गया है, क्या उस नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि दूरभाष से भी स्थानान्तरण किए जावेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि दूरभाष से स्थानान्तरण के कोई आदेश नहीं गए हैं। जहां तक प्रशासनिक दृष्टि से ट्रांसफर करने का सवाल है, उस नीति की धारा 12 में हमने लिखा है कि प्रशासनिक दृष्टि से हमारे डायरेक्टर के द्वार और राज्यादेश से स्थानान्तरण हो सकते हैं। उसके बाद सारे अधिकारियों की मीटिंग बुला कर उन से विचार-विमर्श किया गया है। हमने महसूस किया कि इतनी दूरी से प्रशासनिक दृष्टि से ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी को और डिप्टी डायरेक्टर एजूकेशन को हमने प्रशासनिक दृष्टि से ट्रांसफर करने के अधिकार दे दिये हैं।

श्री भंरूसिंह गुर्जर : मैंने यह पूछा है कि क्या प्रशासनिक समन्वय के आधार पर राज्यादेश से स्थानान्तरण किये जा सकते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : जी हां, प्रशासनिक दृष्टि से कोई भी ट्रांसफर किया जा सकता है।

श्री भंरूसिंह गुर्जर : दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, दूरभाष द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को राज्यादेश दिए गए हैं, ऐसे आदेश की प्रति मेरे पास है। अजमेर जिला शिक्षाधिकारी, छात्रा संस्थान द्वारा सात स्थानान्तरण राज्यादेश द्वारा किए, गए हैं। संयुक्त निदेशक, महिला शिक्षा कार्यालय द्वारा दिनांक 10. 8. 82 को राज्यादेश की पालना में 14 ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें से सात का स्थानान्तरण राज्यादेश से किया गया है और सात का समायोजन किया गया है। इस तरह से आप सात अध्यापकों को सुखी करने के लिये सात अध्यापकों को दुखी क्यों कर रहे हैं ? ये स्थानान्तरण क्या राज्यादेश की नीति के आधार पर किए गए हैं ? ये दूरभाष पर किए गए हैं....

श्री चन्दनमल बैद : मैं बिलकुल साफ कह चुका हूं कि दूरभाष पर कोई स्थानान्तरण नहीं किए गए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि दूरभाष पर कोई स्थानान्तरण नहीं किए गए हैं।

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार ने नहीं किए हैं।

(व्यवधान)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : राज्यादेश से दूरभाष पर स्थानान्तरण किए गए हैं, यह इस आर्डर में लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : असिस्टेंट डायरेक्टर का दूरभाष होगा।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार भी आदेश दे सकती है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बिलकुल स्पष्ट है कि माह अप्रेल, 1982 से अगस्त, 1982 तक राज्यादेश एवं दूरभाष पर दिये गये आदेशों के तहत शिक्षा विभाग के कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण जिले व जिले के बाहर किये गये ?

श्री अध्यक्ष : दूरभाष से मतलब यही समझते हैं कि मन्त्री महोदय या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के द्वारा कहा जाय।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : दूरभाष पर जोइन्ट डायरेक्टर भी कह सकते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : शिक्षा विभाग में इतने अधिकारी हैं कि उन सब में से यह पता लगाना कठिन है कि किसने किसके आदेश से कहा था।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : दूसरा, अध्यक्ष महोदय, यह जो सूची दी गई है वह भी गलत है। सात स्थानान्तरण तो एक ही अधिकारी, छात्रा संस्थान के जरिये से हुए हैं और सात स्थानान्तरण राज्यादेश द्वारा किए गए हैं। इस तरह से 14 स्थानान्तरण तो अकेले अजमेर जिले में एक ही अधिकारी द्वारा किए गए हैं। मन्त्री महोदय ने जो संख्या बताई है उसमें अजमेर जिले का एक भी स्थानान्तरण नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, राज्यादेश तो यही कहा जाएगा जो सरकार से हो।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह आर्डर की कॉपी है जिसमें राज्यादेश और दूरभाष का उल्लेख है।

श्री चन्दनमल बैद : यह कॉपी मेरे पास भी है। कैसे जिला शिक्षा अधिकारी ने राज्यादेश लिख दिया, यह उससे पूछा जा रहा है।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : अगर उसने गलत लिखा है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अगर उसने गलत आदेश निकाला है तो आपने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मेरी बात शांति से सुनिये। यह आदेश कल ही मेरे ध्यान में आया। उससे एक्सप्लेनेशन लिया जा रहा है कि उसने अपने आदेश में किस आधार पर राज्यादेश लिखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जो भी राज्यादेश से ट्रांसफर किए जाते हैं वह सब फाइल पर सचिवालय में दर्ज होते हैं। जो सचिवालय की फाइलों में दर्ज है उसके

(श्री चन्दनमल बैद)

अनुसार दूरभाष पर कोई राज्यादेश नहीं हुआ है।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : अगर उसने गलत लिखा है तो उसको सस्पेन्ड किया जावे। जो राज्यादेश स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नीति बना कर निर्देश दिए गए हैं उन पर शिक्षा मन्त्रालय का क्या नियन्त्रण रहा? अधिकारी राज्यादेश के नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने 24 ट्रांसफर करना बताया है उनका क्या आधार था। इन 24 ट्रांसफर्स के करने का क्या आधार था? इस प्रकार के प्रार्थना पत्र और भी आपके पास आवें तो क्या मन्त्री महोदय आगे भी उनके ट्रांसफर करेंगे? क्या उनके आधार पर औरों के भी ट्रांसफर किए हैं? नहीं किए तो उनके क्यों नहीं किए और केवल 24 के ही क्यों किए? आगे भी इस प्रकार के सिमिलर केसेज आते हैं तो क्या आप स्थानान्तरण करेंगे? मेरे इन चार प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री सुखलाल संणचा (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब हमारे हनुमान प्रसादजी प्रभाकर शिक्षा मन्त्री थे तब यह कहते थे कि पाली जिले के मास्टरों की वह हालत बना दी थी....

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या मतलब है हमारे सवाल से इसका क्या सम्बन्ध है?

(व्यवधान)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी को पहले कहने दें।

(व्यवधान)

जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूरक प्रश्न पूछे हैं, कृपया उनका उत्तर दें।

श्री चन्दनमल बैद : जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया है ट्रांसफर राज्यादेश से किए गए हैं, उनके....

श्री अध्यक्ष : बहुत थोड़े किए गए हैं यह तो मैं भी महसूस करता हूं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : नहीं, अध्यक्ष महोदय, दूरभाष पर आदेश देकर सैंकड़ों ट्रांसफर किये गये हैं। यह जो सूचना दी गई है वह बिलकुल गलत है।

श्री अध्यक्ष : इतना बड़ा विभाग है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक एक जिले की सूची मंगाइये। सैंकड़ों ट्रांसफर किए गए हैं। यह जो 24 अध्यापकों की सूची दी गई है यह बिलकुल गलत है। दूरभाष से सैंकड़ों ट्रांसफर हो रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : इससे दूरभाष का बिल भी बहुत ज्यादा आना चाहिए।

श्री भंवरसिंह गुर्जर : यह बिलकुल गलत उत्तर दे रहे हैं। अधिकारियों को अपने चेम्बर में बुला कर हजारों ट्रांसफर कराये गये हैं। उनकी सूचना दर्ज नहीं है उसका लेखा जोखा मन्त्री महोदय के पास नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : यह जो 24 ट्रांसफर्स हुए हैं वह विभिन्न प्रशासनिक कारणों से हुए हैं। इसमें कई कारण थे। किसी के पति का ट्रांसफर हो गया पत्नी चाहती है पति के पास चली जाऊं....

अनेक माननीय सदस्य : वाह, वाह।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। प्रशासनिक कारण आपने कह दिया। अन्तिम पूरक प्रश्न।

(व्यवधान)

जवाब आने दीजिये, पहले।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे चार प्रश्नों का उत्तर नहीं आया है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी भंवरसिंह जी, मुझे उनकी कांस्टीट्यूएंसी याद नहीं है, ने कहा कि हजारों ट्रांसफर दूरभाष या दफ्तर में बैठ कर किये गये। इसके बारे में सूचना दे चुका हूं जब कि इन्होंने यह प्रश्न पूछा नहीं है। मैं बता चुका हूं कि ऐसे ट्रांसफर्स जो ऑफिस में बैठकर तय किये गये और बताये गये, उनकी संख्या 690 है। 998 ट्रांसफर्स के लिये कहा गया उसमें से 690 ट्रांसफर हुए हैं। उसमें यह भी कहा गया था कि इसमें अपना विवेक काम में लें। यही कारण है कि 998 मे से 690 का ट्रांसफर हुआ। आपने कहा कि किसने किये। एम. एल. ए. से लेकर पालियामेंट मैम्बर, जिलाधीश, डिप्टी डायरेक्टर, स्कूल, दूसरे अधिकारी, दूसरे प्रशासनिक कारण भी हो सकते हैं, अध्यापक अपने स्थान पर रहा नहीं, अप-डाउन करता है, अध्यापक से विद्यार्थी लड़ते हैं, अध्यापक ट्यूशन करता है, अध्यापक राजनीति में भाग लेता है, ऐसे कई कारण हैं जिनकी रोजमर्रा जांच नहीं कर सकते हैं। ऐसे केसेज मेरे पास, डिप्टी डायरेक्टर, जिलाधीश के पास आये। उनकी सूची बनायी। हमने कहा अपने विवेक का प्रयोग करके ट्रांसफर कर दें। उसमें से 690 के ट्रांसफर्स किये गये। 1977-78 में कुल 11098 ट्रांसफर्स किये गये, 1978-79 में 14710 किये गये और 1967-80 में 18148 किये गये। इस साल अब तक कुल 6979 ट्रांसफर हुए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। माननीय सदस्य।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : मेरा प्रश्न यह है कि क्या इन्हीं आधार पर जिन दूसरे लोगों ने प्रार्थना पत्र दिये जिनके सिमिलर केसेज हैं उनके ट्रांसफर किये जायेंगे या नहीं ? आइन्दा इस प्रकार के केसेज आयें तो सरकार क्या उनका ट्रांसफर करेगी ?

Page No 13

श्री चन्दनमल बैद : मैं निवेदन करूंगा ऐसे सारे जो सुझाव आये वे 998 थे। जिसमें एम. एल. ए., एम. पी., प्रधान पंच, सरपंच सब थे उनके 998 सुझाव आये। 998 में से....

श्री दुलाराम : यह यूं ही बेकार में कह रहे हैं। एम. एल. ए. के लिये कह रहे हैं। 6000 ट्रांसफर्स हुए, वह व्यक्तिगत कारणों से हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर पूरा आने दें।

श्री दुलाराम : यह एम. एल. ए., पंच सरपंच, प्रधान का नाम ले रहे हैं. यह प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं ले रहे हैं। सबको गुमराह कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : बाकी जो ट्रांसफर्स नहीं हुए हैं उसको लिस्ट मंगाकर देखेंगे। ट्रांसफर होना चाहिये था वह नहीं हुआ तो करवायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने 6979 ट्रांसफर्स की बात कहीं, जो नीति बनी हुई है, उसके अनुसार अध्यापकों ने अप्लाई किया था, उनके 5010 ट्रांसफर हुए है। राज्यादेश से 24 ट्रांसफर्स हुए हैं और 690 ट्रांसफर्स 9 8 की लिस्ट में से हुए हैं और अन्य कारणों से समायोजन से और प्रमोशन से हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय। अंतिम पूरक प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि 6979 ट्रांसफर्स की जो संख्या बतायी है उसमें पंचायत समितियों के अध्यापकों के किये गये स्थानान्तरण भी शामिल हैं?

श्री चन्दनमल बैद : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कितने हैं?

(व्यवधान)

आपने प्रभाकर जी के समय के बताये कि 18,000 स्थानान्तरण हुए, उसमें पंचायत समितियों के भी हैं बाकी 12 हजार हुए हैं....

श्री चन्दनमल बैद : माननीय नेता महोदय, वह शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या आपने हनुमान प्रभाकर जी के समय 18,000....

राज्य मन्त्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : आपके ललित किशोर चतुर्वेदी की कहिये ना?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने हनुमान प्रभाकर जी के समय के....

श्री चन्दनमल बैद : मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप वर्ष बता दीजिये। जिस समय पहाड़िया जी का शासन था, उस समय टीचर्स के ट्रांसफर्स हुए थे, लगभग 18 हजार की बात कही है जहां तक मैं सुन पाया हूं। क्या यह सही है कि 18,000 की जो संख्या आपने बतायी है उसमें पंचायत समितियों के अध्यापक भी शामिल हैं?

श्री चन्दनमल बैद : मेरी सूचना के अनुसार पंचायत समितियों के अध्यापक शामिल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो कुछ आपने संख्या स्थानान्तरण की बतायी, क्या यह सही है कि पहाड़िया जी के शासन के पहले जनता पार्टी के शासन के आंकड़े बताये हैं, उनमें भी पंचायत समितियों के अध्यापकों के स्थानांतरण शामिल नहीं हैं ?

श्री चन्दन मल बैद : मुझे जो सूचना दी है वह यही है।

(व्यवधान)

श्री जय कृष्ण शर्मा : हम बोल रहे हैं आप हमारी सुनिये ना।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। मैं....

श्री जयकृष्ण शर्मा : इस हाउस में हमने एलीगेशन लगाया था। ललित किशोर चतुर्वेदी ने 14 हजार ट्रान्सफर्स मास्टरों के किये थे उस समय नेता महोदय कहां चले गये थे ? क्यों नहीं जवाब दिया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। मैं अब इसके लिये आगे इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अंतिम पूरक प्रश्न। श्री हनुमान प्रभाकर। यह अन्तिम पूरक प्रश्न होगा।

श्री हनुमान प्रभाकर (मावली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो संख्या बतायी है, उसमें पंचायत समितियों के शिक्षकों के ट्रांसफर्स हुए हैं, वह भी शामिल हैं। इन्होंने कहा कि पंचायत समितियों के शामिल नहीं हैं। अगर यह गलत होगा तो मैं इसके लिये दोषी होऊंगा।

श्री अध्यक्ष : पंचायत समितियों के अध्यापकों के स्थानान्तरण का प्रश्न है, यह पूरक प्रश्न में पूछा गया है। इसके बारे में चर्चा का अवसर नहीं दूंगा। जो भी सूचना गलत दी गई है, उसके लिये नियमों में प्रावधान है।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न।

श्री चन्दनमल बैद : पंचायत समितियों के अध्यापकों के ट्रांसफर्स इसमें शामिल नहीं हैं।

(व्यवधान)

कोई गुमराह नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सवाल का जवाब नहीं आया है। प्रश्नकर्ता की ओर से एक पूरक प्रश्न की आज्ञा चाहता हूं।

Page No 15

(१८)

श्री अध्यक्ष : कृपया अब मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री सूरजा राम ! अगला प्रश्न ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : हम आपको सुनते हैं, बोलते नहीं हैं । अनुशासन में रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य ।

श्री मेघराज तावड़ : मैं नीति सम्बन्धी प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : कोई प्रश्न इस सम्बन्ध में नहीं पूछा जायगा । माननीय सदस्य, मैं क्षमा चाहता हूं ।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रान्सफर कर दिये, स्कूल्स खाली पड़े रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया भाषण नहीं, स्थान ग्रहण कीजिये ।

प्रश्न संख्या 171

श्री सुरजाराम ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें ।)

श्री भंरूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो अध्यापक रोग से पीड़ित हैं, केंसर रोग से पीड़ित है, मैंने स्वयं शिक्षा मन्त्रीजी को उसकी परिस्थिति लिखी है, भरतपुर के संसद सदस्य ने उसकी परिस्थिति लिखी है, मैंने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया है लेकिन फिर भी उसका स्थानान्तरण नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री भंरूसिंह गुर्जर, श्री शिवदानसिंह राठोड़ ।

अगला प्रश्न संख्या 172

श्री भंरोंसिंह शेखावत : On a point of privilege, sir. मैं मौखिक रूप से उठा रहा हूं लेकिन इसकी तत्काल जानकारी देनी है । प्रश्न यह है कि "कई एम. एल. एज. और एम. पीज. ने लिख कर दिया है," यह कहा गया है । मैं चाहूंगा, माननीय मन्त्रीजी इसका स्पष्टीकरण करें कि किस-किस अध्यापक का स्थानान्तरण आपने किस किस एम. एल. ए. के कहने पर किया है ? यह मेरा प्रिविलेज है ।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का आप किसी और अन्य तरीके से....

श्री भंरोंसिंह शेखावत : मैं केवल इस प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

वाहनों की चैकिंग

172. श्री शिवदानसिंह राठोड़ (जैतारण) व श्री भंरूसिंह गुर्जर (खाचरोद) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 16

(16)

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

(1) क्या यातायात विभाग के कर्मचारियों के अलावा पुलिस विभाग को भी वाहन का निरीक्षण करने का अधिकार दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस पद के कर्मचारियों को यह अधिकार दिये गये हैं ?

(2) क्या सरकार को यह जानकारी है कि थाने पर तैनात पुलिस के कर्मचारी भी वाहनों का निरीक्षण करते हैं ?

(3) क्या उक्त कर्मचारियों को वाहन चैक करने का कोई अधिकार प्राप्त है ? क्या राज्य सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत आई है कि ब्यावर से आबू रोड तक जगह जगह रोजाना पुलिस कर्मचारियों द्वारा गत कई महीनों से वाहनों की अवैध तौर पर चैकिंग की जा रही है ?

राज्य मन्त्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां । मोटर व्हीकल एक्ट व नियमों के अन्तर्गत निरीक्षण के अधिकार उप निरीक्षक एवं उच्च अधिकारियों को प्राप्त हैं । इसके अतिरिक्त पुलिस चौकी या थाने पर नियुक्त हैड कांस्टेबल को भी यह अधिकार प्राप्त है ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । ब्यावर से आबूरोड तक पुलिस कर्मियों द्वारा गत माह वाहनों की अवैध चैकिंग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में जो भारी वाहन आते हैं उनके लिये क्या कोई समय निर्धारित है ? यदि हां, तो वह समय कौन निर्धारित करता है और इसकी सूचना भारी वाहन वालों तक कैसे पहुंचाई जाती है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : ट्रैफिक पुलिस समय निर्धारण करती है और रात्रि में ही शहर में भारी वाहन आने जाने के लिये समय दिया जाता है ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : दिन में जब असेम्बली में आते हैं, तो सैकड़ों वाहन आपको जगह जगह आते-जाते मिल जायेंगे । आपके ट्रैफिक पुलिस वाले उनको रोक कर पैसा वसूल करते हैं । एक तो जयपुर शहर की सीमा में उनका दाखिला कैसे होता है दिन में ? दूसरे, अन्दर आ जाते हैं तो उनका चालान नहीं किया जाता बल्कि पैसे ले लिये जाते हैं क्या आपने स्वयं अपनी नजर से ऐसे वाहनों को नहीं देखा ? आपने स्वयं देखा होगा, आपको भी नजर आ जायेंगे ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) : यह तो समदर्शी हैं ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : ऐसा तो आपके साथ भी हो सकता है, आप घमण्ड मत करियेगा । आंख और हाथ-पैर के एक्सीडेण्ट दुनिया में होते ही रहते हैं इसलिये कहीं ऐसा न हो कि आपका घमण्ड भी टूटे ।

यह माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा, भारी वाहनों के दिन में प्रवेश का, ट्रैफिक पुलिस जो है, उसका काम है नियंत्रण करने का । वैसे सी. टी. एस. की बसेज एवं और बसेज चलती हैं । अगर यह शहर

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

में नहीं चलेगी तो कैसे यातायात व्यवस्था सही होगी। जहां तक ट्रकों का सवाल है, उनके लिये समय निश्चित है। ट्रैफिक वालों को समय बताने को शहर में आ जाय या माल को खाली करने के लिये समय के अलावा आ जाते है तो पुलिस वाले रोक लेते हैं। इसके लिए अगर कोई शिकायत हो तो माननीय सदस्य कर दें। जो अधिकारी इस प्रकार के धन्धे में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी जायेगी।

श्री भंरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, रूरल और रोड साइड पर जितने थाने हैं उनको किसी प्रकार के रास्ते में ट्रक चलते हैं या वाहन चलते हैं उनकी चैकिंग के निर्देश दिये गये हैं? अगर नहीं, तो क्या कारण है कि रास्ते में चलते वाहन को रोक कर खड़ा कर देते हैं? सड़कों पर वाहनों की लाइन लग जाती है जिससे रास्ता अवरूद्ध हो जाता है और फिर उनसे पैसे वसूल करते हैं? अध्यक्ष महोदय, आप दिनेशजी डांगी से पूछ लीजिये। उन्होंने स्वयं देखा है, आपके पुलिस वाले को दस रुपये का नोट जेब में डालते हुए। माननीय मंत्री महोदय थानों के उन सिपाहियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री जयकृष्ण शर्मा : थाने वालों को चैकिंग के कोई नये निर्देश तो दिये नहीं गये हैं उनको जो अधिकार पहले से प्राप्त है उसी के तहत चैकिंग करते हैं। जैसा आप फरमा रहे हैं, ऐसी मुझे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी यह प्रयत्न किये जायेंगे कि इस प्रकार की कार्यवाही थाने वाले कम से कम करे इसके लिये आदेश दे दिये जायेंगे।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जयपुर और महुआ के बीच में, अजमेर और तबीजी के बीच में और ब्यावर से सेन्दड़ा के बीच में चौबीसों घन्टे पुलिस वाले ट्रकों को खड़ा करते रहते हैं और उनसे पैसा वसूल करते हैं? हर गाड़ी से 10-10 रुपये ले रहे हैं। इस प्रकार की जो कार्यवाही हो रही है क्या इसको आप चैक करेंगे और इस भ्रष्टाचार को मिटायेंगे?

श्री सुनील विश्नोई (सूरतगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कुछ महीनों पहले मुख्य मंत्रीजी कोटा गये, वहां पर उन्होंने स्वयं देखा, जब ट्रक वालों को पता चला कि मुख्य मंत्रीजी की कार है, तो रोकली और बताया कि उनसे पैसा वसूल किया जा रहा है, तब क्या मुख्य मंत्रीजी ने आदेश दिये थे कि चैकिंग नहीं होगी?

श्री दिनेश डांगी (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा, यह सही है। 10 रुपये मैंने उसको लेते हुए देखा था।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, वैसे उन्होंने मुझे सम्बोधित कर दिया, यातायात मन्त्री व उनकी यह जोइन्ट रेस्पांसिबिलिटी है। यदि उनको बहुत शिकायतें हैं तो दूसरी तरह से उनको उठायें, जो भी उनको संदेह है उसकी जांच करवा ली जायेगी।

श्री सुनील विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

Page No 18

(१८)

श्रीमति विद्या पाठक (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई शिकायत है तो उसकी जानकारी दी जाय। इस बात का सदन साक्षी है, मैं निरन्तर जानकारी देती रही हूं, अस्पताल की सड़क पर और अन्य ऐसी सड़कों, जिन पर कम से कम डेढ़ दर्जन शिक्षण संस्थाएं हैं, नर्सिंग होम हैं, पर निरन्तर सबेरे 6 बजे से 10-11 बजे, शाम को 4-5 बजे भी कोई टाइम ही निर्धारित नहीं है इतनी देर तक भारी वाहन चलते हैं। 10-10 मिनट तक स्कूटर पास नहीं हो सकते। क्या इस पर आप नियन्त्रण कर पायेंगे ?

सदन में हर बात पर चर्चा होना क्या पर्याप्त जानकारी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

(व्यवधान)

अब मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर प्लीज।

श्री सुनील विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब नहीं आया है। मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मैं माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्नकर्ता के प्रश्न (1) के उत्तर में यह बताया है कि पुलिस को जांच का अधिकार है। क्या सवारी गाड़ी के टिकट चैक करने का अधिकार पुलिस को है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : सबको चैक करने का अधिकार है, मोटर व्हीकल्स एक्ट के अन्तर्गत गाड़ियों को चैक करने का अधिकार है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सवारी गाड़ी के टिकट चैक करने का अधिकार पुलिस को है ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती पाठक के पूरक प्रश्न का उत्तर दीजिये। मंत्रीजी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती पाठक के पूरक प्रश्न का उत्तर दीजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक यह प्रश्न है कि अस्पताल, स्कूल, नर्सिंग होम के सामने से मोटर गाड़ी जाती है, इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यातायात व्यवस्था जो जयपुर शहर में है उस व्यवस्था में अस्पताल के सामने, स्कूल, नर्सिंग होम के सामने से बसेज, मिनी बसेज चलायी जाती हैं। यदि इनको बंद कर दिया गया तो लोगों को वहां जाने की असुविधा हो जायेगी। यह हो सकता है कि वहां पर ट्रैफिक को कम किया जाये और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाये।

श्रीमती विद्या पाठक : ट्रकों के बारे में बताइये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, हर महीने 5-10 बच्चे मर रहे हैं। आप इसका तो जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

माननीय सदस्य, आपका पूरक प्रश्न जो एक घटना विशेष से सम्बन्धित है, माननीय मंत्री महोदय ने नोट कर लिया है।

अगला प्रश्न।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक अन्तिम पूरक प्रश्न और करना चाहता हूं। मंत्री महोदय यह बतावें कि यातायात पुलिस रूल्स 232 के तहत क्या यह नियम है कि चैकिंग इस प्रकार किया जाये ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 173.

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में वन विभाग के तहत रिक्त पद

173. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

वन विभाग के अधीन जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कितने पद रिक्त हैं और इन्हें कब तक भरा जायेगा ?

राज्य मंत्र, वन (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : अध्यक्ष महोदय, रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। इन्हें भरे जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर में 43 और बाड़मेर में 13, कुल 56 पद रिक्त हैं। ये कब तक भरे जायेंगे ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो पद रिक्त हैं उनमें ज्यादा जगह बाड़मेर और जैसलमेर में फारेस्टर की है। इसके लिये 6 तारीख को अर्जियां मांगी गई हैं और 2-3 अक्टूबर को रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद इन पदों को भर लिया जायेगा।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो फारेस्टर को प्रमोशन देंगे क्या उसमें अनुसूचित जाति, जन जाति....

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, जहां रिक्त स्थान हैं वहां तो काम हो ही नहीं रहा है। जहां पर रिक्त स्थान नहीं हैं, वहां पर जो अधिकारी लगाये गये हैं वे भी काम नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। अगला प्रश्न।

(श्री अध्यक्ष)

श्री अमराराम चौधरी ।

बालोतरा के समीप लूनी नदी पर पुल निर्माण

174. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :—

क्या यह सही है कि बालोतरा के समीप लूनी नदी में दो तीन फीट ही पानी आने पर यातायात बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस पर पुल का निर्माण करेगी ?

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : लूनी नदी पर बालोतरा के समीप एक पक्का काज बे बना हुआ है जिस पर साधारणतया यातायात बन्द नहीं होता परन्तु रपट पर पानी की गहराई अधिक होने पर यातायात में कुछ घंटों के लिये असुविधा होती है । पुल निर्माण की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है ।

श्री अमराराम चौधरी : क्या इस साल लूनी नदी में पानी आने से दस दिन यातायात बंद रहा ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, पानी की गहराई ज्यादा होती है या बरसात का पानी अधिक होता है तो उस समय वहां यातायात बंद रहता है । यह नदी हमेशा नहीं बहती है ।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं । उन्होंने गलत जवाब दिया है । इस साल दस दिन यातायात बंद रहा है । कोई ट्रैफिक जीप, ट्रक वहां से नहीं निकला है । यह पुल, जो बाढ़ आई थी उस समय दो महीने तक बंद रहा था । आप कह रहे हैं कि कुछ घण्टे ही बंद रहता है । आपकी यह इन्फार्मेशन गलत है । आपके सिंचाई विभाग के रजिस्टर में इसका रिकार्ड है । दस दिन तक लूनी नदी में पानी चलता रहा है । दूसरे किनारे पर जाने के लिये यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है । सिवाणा, जंसोर, नाकोडा तीर्थ स्थल हैं । रास्ता नहीं होने के कारण हजारों यात्रियों को परेशानी हुई है । राजस्थान स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर ने आपको एक चिट्ठी लिखी है, 12 नवम्बर, 1981 को, उसमें यह बताया था कि बालोतरा के पास लूनी नदी पर पुल बनाने के लिये सर्वे हो, एक चिट्ठी 9-11-1981 को यह लिखी है कि इसका सर्वे प्रारम्भ कर दिया गया है, क्या यह सही है ? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं ।

श्री चेतराम मीणा : लूनी नदी पर बालोतरा के पास नहीं बल्कि सिणधरी के पास सर्वे का आदेश दिया गया है । यह भी लूनी नदी पर ही है । मैं यह निवेदन करूंगा, माननीय सदस्य ने कहा कि दस दिन तक आवागमन अवरुद्ध रहा है, इस सम्बन्ध में मेरी जानकारी जहां तक है वह यह है कि इस नदी में इतना पानी नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें बहुत पानी आता है । यह बड़ी नदी है । पश्चिमी ढाल की

(श्री अध्यक्ष)

जितनी अरावली की नदियां हैं इसी में आती हैं। एक दफा आ गई तो कई दिन तक रास्ता बंद हो जाता है।

अगला प्रश्न।

श्री अमराराम चोधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मंत्रीजी ने दिनांक 25-6-1981 को एक पत्र सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा है, "मूल पत्र प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि विधायक द्वारा चाहे गये उक्त कार्य को शीघ्र प्रारंभ करा कर विधायक महोदय को भी सूचित करें।" दूसरा पत्र 9-11-1981 का है। इसमें लिखा है, "आपका ध्यान इस कार्यालय के सदर्भित पत्र की ओर आकर्षित कर मुझे इस संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी भिजवाने का निर्देश हुआ है।" स्टेट हाइवे नं. 28 जोधपुर से सिणधरी वाया बालोतरा पर, बालोतरा के समीप लूनी नदी पर पुल बनाने के पूर्व पुल निगम के अधिकारियों द्वारा इस कार्य के सर्वे एवं अनुसंधान का कार्य माह नवम्बर से शुरू कर दिया गया है। यह एक पत्र था। जो लेटर डायरेक्टर ने लिखा है, उसमें यह बताया गया है :

'Balotra is a major town of Barmer district and the population density of the area is thick as compared to area around Sindhari. That is why it would be desirable to provide a high level bridge at Balotra and a submersible bridge at Sindhari."

सिणधरी में पुल बनाने के लिये लिखा है :

"This proposed crossing at Sindhari will serve the area around Siwana town. The crossing at Sindhari will also serve the State highway No. 15 from Jalore.',

ऐसा है, इसमें कास्ट भी आंकी गयी थी 220 लाख रुपये, इसमें यह बता दिया गया था। यह लिखा गया था कि इस पुल की अनुमानित लागत 210 लाख रुपए आने की सम्भावना है। बालोतरा में पुल निर्माण की अनुमानित लागत बता दी गयी थी। वहां पर हमेशा लूणी नदी आती है और बालोतरा बिलकुल बरबाद हो जाता है तो फिर इसका निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है? बालोतरा में 50 बैड का अस्पताल है। वहां आसपास और कहीं पर डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं है इसलिये वहां पर लोग मरीजों को नाकोडा और जसोर से लाने के लिये हमेशा तकलीफ उठाते हैं। इसलिये क्या सरकार इस पुल का निर्माण करवायेगी? जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि वहां पर दो घंटे ही रास्ता रुकता है, यह गलत है। उनको अधिकारियों द्वारा गलत सूचना दी गयी है।

श्री हेमाराम चोधरी (गुड़ामालानी) : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि सिणधरी, बाड़मेर के पास लूनी पर पुल के लिये सर्वे कराया जा रहा है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, कब तक उस पुल की स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी और उसकी सर्वे रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायेगी?

Page No 22

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, लूनी नदी बालोतरा के पास से क्रॉस करती है, वही नदी सिणधरी बाड़मेर के पास से भी क्रॉस करती है। बालोतरा के पास पुल बना हुआ है और सिणधरी बाड़मेर पर कोई पुल नहीं है। राजस्थान के वित्तीय साधनों को देखते हुए यह उचित समझा गया है कि सिणधरी बाड़मेर रोड, जहां पर कि बिलकुल सुविधा नहीं है, पर ही पुल का निर्माण कराया जाय। इसलिये हम वहां पर इसके निर्माण को प्राथमिकता दे रहे हैं, सर्वे कार्य हम करवा रहे हैं और राजस्थान ब्रिज कॉर्पोरेशन को हमने इसके लिये दो लाख रुपया भी दिया है। खम्भे कितनी गहराई पर होंगे, किस प्रकार का हमारी स्थिति को देखते हुए पुल का निर्माण उचित होगा, इसके लिये सर्वे करने का उसको कहा गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

एक माननीय सदस्य : एक प्रश्न की इजाजत चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही आवश्यक है।

श्री हेमाराम चौधरी : जो सर्वे कराया जा रहा है उसकी रिपोर्ट कब तक आ जायेगी?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

• **श्री अमराराम चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, जो मिट्टी का पुल बना हुआ है उससे वहां पर रास्ता भर जाता है। हर साल मिट्टी निकाली जाती है जिस पर काफी पैसा खर्च किया जाता है। अगर यह हिसाब लगाया जाय कि पिछले दस वर्षों में इस काम पर कितना खर्च किया गया तो उतने में तो यह बांध बनाया जा सकता था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समस्या के सम्बन्ध में आपस में कुछ गलतफहमी है इसलिये आप विधायक महानुभाव जाकर मंत्री महोदय से मिल लें और सारी वस्तु स्थिति से अवगत हो लें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप किसी अन्य तरीके से उठा सकते हैं। मैं उस पर विचार कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से जवाब ही दिलवा दें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : फिर इस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे। आप इसे किसी अन्य तरीके से उठा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को लेकर कई माननीय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सदस्यों के ऊपर आरोप लगाये जाते हैं। यह जो लिस्ट है इसमें विधायकों के नाम नहीं है। यदि इस पर चर्चा हो जाये तो विधायकों का स्पष्टीकरण भी आ जायेगा। अगर इस महत्वपूर्ण प्रश्न, जो विधायकों से ही सम्बन्धित है, पर दो चार मिनट का समय लग भी जाये तो लग जाने दें।

श्री अध्यक्ष : मैं विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। इसको आप आधा घंटे की चर्चा के जरिये या किसी अन्य तरीके से उठा सकते हैं मैं उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आधा घंटे की चर्चा तो तब होगी जब कि यह प्रश्न लिया जायेगा। अभी तो यह लिया ही नहीं गया है।

श्री अध्यक्ष : इसको ले लिया समझा जाता है। हाउस में इसका उत्तर आ गया है। इसलिये इस पर आप आधे घंटे की चर्चा उठा सकते हैं। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अनुपस्थिति सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

नोखा में उप-खण्ड न्यायालय की स्थापना

171. **श्री सुरजाराम टांक** (नोखा) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नोखा, जिला बीकानेर में उप-खण्ड अधिकारी के न्यायालय के स्थापित किये जाने की मांग पिछले तीन वर्षों से चली आ रही है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या सरकार ने नोखा में उप-खण्ड दण्डनायक का न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक न्यायालय स्थापित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

झालावाड़ जिले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का कार्यालय

151. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या झालावाड़ जिले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का कार्यालय है ? यदि नहीं, तो क्या जिले में कार्यालय शीघ्र स्थापित करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

झालावाड़ जिले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का कार्यालय स्थापित नहीं है और न ही इस जिले में अभी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का कार्यालय स्थापित करने का कोई विचार है। फिलहाल कोटा कार्यालय द्वारा ही झालावाड़ जिले का कार्य देखा जा रहा है।

राज्य में दुर्घटनाओं से मृत्यु

152. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) व **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में दुर्घटनाओं से जनवरी, 1982 से 1 अगस्त, 1982 तक कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई? कितने व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया?

(2) सरकार दुर्घटनाओं की कमी के लिए क्या प्रयास कर रही है?

उत्तर

(1) कुल 725 व्यक्तियों दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई। मुआवजा नहीं दिया गया।

(2) घनी आबादी वाले क्षेत्रों में दुर्घटनाओं को रोकने हेतु अचानक ट्रैफिक चैकिंग, स्पीड ब्रेकर लगाने, व्यस्त ट्रैफिक वाली सड़कों पर एक तरफा यातायात चलाने आदि के कदम उठाये गये हैं।

जन जाति उपयोजना क्षेत्र के आदिवासियों की थानों में दर्ज रिपोर्ट

153. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

जन जाति उपयोजना क्षेत्र में कितने आदिवासियों ने वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में थानों में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि सहकारी समितियों, भूमि विकास बैंक एवं अन्य संस्थाओं में ऋण राशि समय पर जमा नहीं करवाने पर वसूली करने गए कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की? कृपया जिला चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर एवं सिरोही की सूची वर्षवार सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

थाना चौमूं में बलात्कार के मामले में दर्ज रिपोर्ट

154. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री महादेव यादव, भू. पू. सरपंच ग्राम बाई का बास पंचायत समिति गोविन्दगढ़ जिला जयपुर के विरुद्ध श्री धुकलिया बावरिया ग्राम बाई का बास पंचायत समिति गोविन्दगढ़ जिला जयपुर ने अपनी पुत्री के साथ इस वर्ष किये गये बलात्कार के सम्बन्ध में चौमूं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी? यदि हां, तो अब

(श्री गोपाल पचेरवाल)

तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भू. पू. सरपंच ने श्री घुकलिया बावरिया के साथ मारपीट कर उसको गांव से भगा दिया और अब उसको ग्राम धिनोई गोचर भूमि में भी रहने नहीं दे रहा है? यदि हां, तो सरकार इस पीड़ित परिवार की जान माल की सुरक्षा के सम्बन्ध में क्या विचार रखती है?

(3) बलात्कार के मामले में लिप्त उक्त भू. पू. सरपंच के विरुद्ध पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही नही किये जाने के क्या कारण हैं?

(4) क्या यह सही है कि सम्बन्धित पुलिस अधिकारी इस मामले में तत्परता से कार्य नहीं कर रहे हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) भू. पू. सरपंच के खिलाफ बलात्कार के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट थाने पर प्राप्त नहीं हुई। अत: कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता है।

विदेशी अधिनियम पासपोर्ट एक्ट के तहत दर्ज मामले

155. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीमावर्ती जिला बाड़मेर व जैसलमेर में वर्ष 1981 व 1982 में कितने तस्कर विदेश से तस्करी करते पकड़े गये? थानावार संख्या बताने की कृपा करें।

(2) विदेशी अधिनियम पास-पोर्ट एक्ट के तहत कितने मुकदमे दर्ज हुए, थानावार संख्या बताने की कृपा करें।

(3) पशुओं की चोरियां कितनी दर्ज हुई? थानावार सूची सदन की मेज पर रखी जावे और उसमें वसूली कितने मामलों में हुई?

(4) पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों में कितनों के खिलाफ तस्कर व पशुओं की घटना दर्ज हुई और स्थानीय मूल भारतीय निवासियों के खिलाफ कितनी कितनी घटना दर्ज हुई। सूची थानावार सदन की मेज पर रखी जाये।

उत्तर

(1) वांछित सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(2) वांछित सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(3) वांछित सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(श्री अमीन खां)

(4) वांछित सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जिलों में महिला पुलिस की नियुक्ति

156. **श्री बालचन्द्र आर्य वीर** (डग) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के किन किन जिलों में महिला पुलिस नियुक्त है ? महिला पुलिस में अधिकारियों एवं अन्य कार्मिकों की जिलेवार सूची कृपया सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार महिलाओं की सुरक्षा और महिला अपराधियों से निपटने के लिये प्रत्येक जिला केन्द्र पर पृथक से महिला पुलिस यूनिट्स की स्थापना करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य के जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर एवं उदयपुर में महिला पुलिस नियुक्त है। जिलेवार विवरण इस प्रकार है—

नाम जिला	निरीक्षक	उप निरीक्षक	हैड कान.	कान्स्टेबल
जयपुर	2	2	5	32
अजमेर	1	—	1	12
जोधपुर	1	—	1	12
उदयपुर	1	—	1	12
बीकानेर	1	—	1	12
कोटा	1	—	1	12

(2) प्रत्येक जिले में पृथक से महिला पुलिस यूनिट्स की स्थापना का फिलहाल राज्य सरकार का विचार नहीं है।

पैट्रो-रासायनिक उद्योग की योजना

158. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मथुरा तेल शोधक कारखाने से प्राप्त हो सकने वाले पदार्थों से कोई पैट्रो रासायनिक उद्योग राजस्थान के निकटवर्ती जिलों में स्थापित करने की योजनायें तैयार की गई हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं और उनमें से प्रत्येक योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(2) प्रत्येक योजना पर क्या लागत आयेगी तथा कितने प्रशिक्षित, अर्द्ध प्रशिक्षित तथा अशिक्षित लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा मथुरा तेल शोधक कारखाने को लगाने हेतु निर्णय होने पर राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम ने इस मथुरा तेल शोधक कारखाने पर आधारित उद्योगों की संभावनाओं का पता लगाने हेतु एक सर्वेक्षण करवाया था। सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया था कि मथुरा तेल शोधक कारखाने पर आधारित उद्योग भारत सरकार के द्वारा नेपथा उपलब्ध करवाने की स्थिति में ही लगाये जा सकते हैं। राज्य सरकार, भारत सरकार से नेपथा उपलब्ध करवाने के लिये निरन्तर प्रयास कर रही है, किन्तु भारत सरकार से अभी कोई निश्चित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। नेपथा की उपलब्धि के बारे में उत्तर प्राप्त होने पर ही मथुरा तेल शोधक कारखाने पर आधारित किसी पैट्रो रासायनिक उद्योग को स्थापित करने के लिए योजना तैयार की जा सकती है ?

(2) प्रथम के उत्तर के संदर्भ में इस प्रश्न में मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाना संभव नहीं है।

जोधपुर जिले के उद्योग

159. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर में कितने और कौन कौन से उद्योग बन्द हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त उद्योगों के बन्द होने का क्या कारण है व कब से बन्द हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार बन्द उद्योगों का चालू कराने का कोई प्रयत्न कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जोधपुर में वर्तमान में 327 उद्योग बन्द हैं जिसमें से 7 उद्योग ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान वित्त निगम से आर्थिक सुविधा प्राप्त की है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) इन उद्योगों के बन्द होने के कारण निम्न हैं—

1) तकनीकी ज्ञान का अभाव।

2) कार्यशील पूंजी का अभाव।

(विद्युत मंत्री)

3) एक स्वामी में क्षमता का अभाव।

4) रुचि का अभाव।

5) साझेदारों में झगड़ा एवं प्रबन्ध।

6) इकाइयों के द्वारा अन्य धन्धा चालू करने के कारण।

ये इकाइयां कब से बन्द हैं, इसके लिये जनवरी-फरवरी, 1982 में इस हेतु सर्वेक्षण किया गया तब ही यह जानकारी हुई कि ये उद्योग बन्द हैं।

(3) जहां तक उन बन्द इकाइयों का प्रश्न है जिन्होंने राजस्थान वित्त निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त की है उन्हें पुनः चालू करने के लिये निम्न प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं—

1) मूल धन की किश्तों का पुनः निर्धारण।

2) अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाकर।

3) बैंको को कार्यशील पूंजी दिलाने की सिफारिश।

4) विद्युत उत्पादन हेतु जनरेटिंग सेट के लिये अनुदान सहित आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाकर।

इसके अतिरिक्त जो अन्य उद्योग बंद हैं उनकी भी सामान्यतः वित्तीय अभाव, बिजली की कमी, एकल स्वामी में क्षमता का अभाव आदि हैं जिनकी उद्योगवार जानकारी लेने के उपरान्त उन्हें पुनः चालू कराने के प्रयास किये जायेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

ए. ईएन. कार्यालय मण्डावा में सामान की खरीद

160. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अभी हाल ही की विद्युत कर्मचारियों के हड़ताल के दौरान ए. ईएन. कार्यालय, मण्डावा (झुंझुनू) में कितने रुपये के किस किस सामान की खरीद की गई? सामानवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त अवधि में क्रय किये गये सामान के कितनी राशि के बिलों का भुगतान किया जा चुका है और कितनी राशि के बिलों का भुगतान होना शेष है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में की गई खरीद के औचित्य की जांच हेतु मण्डल के पास शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो मण्डल द्वारा इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विद्युत कर्मचारियों की हाल ही की हड़ताल के दौरान सहायक अभियन्ता

Page No 29

(29)

(विद्युत मंत्री)

कार्यालय मण्डावा (झुंझुनू) में 1,49,090/- रुपये का विभिन्न सामान खरीदा गया। सामानवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त अवधि में क्रय किये गये सामान के 1,14,364/- रुपये के बिलों का भुगतान किया जा चुका है तथा 34,726/- रुपये के सामान के बिलों का भुगतान होना शेष है।

(3) जी हां। शिकायत प्राप्त होने के बाद मण्डल के निदेशक (सुरक्षा एवं सर्तकता) ने अपने पत्र क्रमांक 4036, दिनांक 27-8-82 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता झुंझुनू वृत्त को इस प्रकरण में अपने स्तर पर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिये हैं।

(4) विद्युत मण्डल द्वारा अधीक्षण अभियन्ता झुंझुनू वृत्त को अपने स्तर पर जांच कर जांच प्रतिवेदन भिजवाने हेतु पहले ही निर्देश दिये जा चुके हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति के लिए अर्हता

161. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) व **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के लिये क्या क्या शैक्षणिक योग्यता और अनुभव अनिवार्य है?

(2) वर्ष 1978-79 और 1979-80 में किन किन कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर कब कब पदोन्नति दी गई थी और उनकी योग्यता और अनुभव कितना कितना था? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) विभाग द्वारा / सरकार द्वारा 2-11-76 को जारी परिपत्र में सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के लिये क्या क्राइटेरिया निर्धारित किये गये हैं?

(4) इन क्राइटेरिया का उल्लंघन क्या प्रश्न के भाग 2 के उत्तर में दी गई सूची मे वर्णित पदोन्नतियों में किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(5) जनवरी, 1979 के बाद ए. एम. आई. ई. पास शुदा कितने कनिष्ठ अभियंताओं को अब तक सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई है और क्यों? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और प्रत्येक को पदोन्नति न देने का कारण भी सूची में बतलावें।

(6) क्या सरकार प्रश्न के भाग 5 में दी गई सूची के व्यक्तियों की शीघ्र पदोन्नति का आदेश निकालेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु निम्नलिखित योग्यता एवं अनुभव अनिवार्य है—

1) सिविल इन्जीनियरिंग में स्नातक अथवा इसके समकक्ष निर्धारित योग्यता।

(सिंचाई मंत्री)

2) कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।

(2) वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 में जिन कनिष्ठ अभियन्ताओं को पदोन्नति दी गई उनकी सूची (परिशिष्ट–अ) संलग्न है। इनकी योग्यता एवं अनुभव प्रत्येक के नाम के आगे अंकित है।

(3) राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 2-11-76 द्वारा राजस्थान सर्विस आफ इन्जीनियर्स (ई० बी०) रूल्स, 1954 में कुछ संशोधन कर पदोन्नति के जो काइटेरिया निर्धारित किया गया हो निम्न प्रकार था—

1) डाइरेक्ट कोटा व इंजीनियरिंग सबोर्डिनेट सेवा से पदोन्नति का कोटा 75:25 से बदल कर डाइरेक्ट कोटा उप-अभियन्ता का पदोन्नति कोटा व कनिष्ठ अभियन्ता का पदोन्नति कोटा 50:25:25 किया गया।

2) सहायक अभियन्ताओं के पदों पर नियुक्ति का क्रम प्रथम दो पर उपअभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता की समान अनुपात से पदोन्नति द्वारा तथा अगली दो नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा भरना निर्धारित किया गया।

(4) जी नहीं।

(5) जनवरी, 1979 के बाद ए. एम. आई. ई. पास शुदा किसी भी कनिष्ठ अभियन्ता को पदोन्नति नहीं दी गई क्योंकि यह व्यक्ति पदोन्नत किये गये कनिष्ठ अभियन्ता से जूनियर थे। जनवरी, 1979 के पश्चात् ए. एम. आई. ई. पास शुदा कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची परिशिष्ट ब–पर संलग्न है।

(6) सहायक अभियन्ता के पद पदोन्नति वरिष्ठता तथा रिक्त पदों की उपलब्धि पर निर्भर करती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ठ 10 पर देखें)

चित्तौड़गढ़ जिले में सिंचाई विभाग के सब-डिवीजन

162. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में सिंचाई विभाग के कितने सब-डिवीजन कार्यरत हैं ?

(2) अधीक्षण अभियन्ता के पद सृजन हेतु कितने सब-डिवीजनों की आवश्यकता होती है ?

(3) क्या इस जिले में सिंचाई परियोजनाओं में और वृद्धि की संभावना है ?

(4) यदि हां, तो सरकार चित्तौड़गढ़ के लिये अलग से अधीक्षण अभियन्ता का पद सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में सिंचाई विभाग के 22 सब-डिवीजन कार्यरत हैं। इनमें से एक उपखण्ड निदेशक, सर्वेक्षण एवं

(सिचाई मंत्री)

अनुसंधान 10 उपखण्ड अधीक्षण अभियन्ता, जाखम परियोजना वृत्त के अधीन तथा 11 उपखण्ड अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई वृत्त, भीलवाड़ा के अन्तर्गत है।

(2) सामान्यतः एक अधीक्षण अभियन्ता के अधीन चार से पांच खण्ड एवं 16 से 20 उपखण्ड होते हैं।

(3) निकट भविष्य में चित्तौड़गढ जिले में नये सिंचाई कार्य प्रारम्भ करने की सम्भावना नहीं है।

(4) जाखम परियोजना, वागन परियोजना तथा सर्वेक्षण के 11 सब डिवीजनों को उनके सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता से अलग कर नये अधीक्षण अभियन्ता के साथ लगा कर अलग से नया वृत्त सृजित करना प्रशासनिक दृष्टि से एवं कार्य के कुशल सम्पादन के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। शेष 11 सब डिवीजनों के लिए अलग से अधीक्षण अभियन्ता का पद सृजित करने का कोई औचित्य नहीं है।

नाथद्वारा क्षेत्र बाघेरी स्थल पर बांध की योजना

163. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के गांव मचीन्द के पास बाघेरी स्थल पर बांध की योजना किसानों को सिंचाई सुविधा में वृद्धि करती है?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस योजना का सर्वे करवा लिया गया? कृपया सर्वे रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाय।

(3) यदि सर्वे नहीं करवाया तो कब तक यह कार्य पूरा हो जायेगा तथा कब इस योजना की क्रियान्विति होगी?

उत्तर

(1) इस बारे में फिजिबिलीटी रिपोर्ट बनाने के पश्चात् ही कुछ कहना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी नहीं।

(3) सर्वे कार्य प्रारम्भ कराने के पहले फिजीबिलिटी रिपोर्ट बनाने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार होने एवं योजना के उपयोगी होने पर सर्वेक्षण कार्य हेतु निर्णय लिया जायेगा।

जयपुर जिले की बस्सी तहसील में बाढ़ की रोकथाम

164. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की तहसील बस्सी में कांटा बेनाड़ा जटवाड़ा, भूड़ला, तिलपट्टी, भांकरी, बस्सी, मोहनपुरा, दूधली में बाढ़ की रोकथाम के लिए कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या?

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

(2) क्या यह सच है कि जटवाड़ा व दूधली बाढ़ नियन्त्रण कार्य अपूर्ण अवस्था में छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सच है कि सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ नियन्त्रण कार्यों की सर्वे करायी गयी थी लेकिन कार्य स्वीकृत नहीं हुए ? यदि हां, तो स्वीकृत न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार हर वर्ष बाढ़ से होने वाली बर्बादी की रोकथाम के लिए बाढ़ नियन्त्रण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग द्वारा जयपुर जिले की बस्सी तहसील में जटवाड़ा, मोहनपुरा एवं दूधली में बाढ़ की रोकथाम के कार्य अकाल राहत एवं क्रेश कार्यक्रम के अन्तर्गत गाइड बांध बनाये गये थे। शेष गांवों में कोई कार्य नहीं किए गए।

(2) जटवाड़ा गांव में गाइड बांध का कार्य अकाल सहायता कार्य के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था। सहायता कार्य जब बन्द किए गए तब तक इस कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका। दूधली व मोहन पुरा गांवो में गाइड बांधों का निर्माण कार्य विभाग द्वारा पूर्ण कर दिया गया था।

(3) जी नहीं।

शेष गांवों के बाढ़ नियन्त्रण कार्यों की सर्वे सिंचाई विभाग द्वारा नहीं कराई गई है। इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् ही कहा जा सकेगा कि क्या यहां कोई बाढ़ नियन्त्रण कार्य आवश्यक है या नहीं।

लाडनूं तहसील के ग्राम बातड़ में जमीन पर कब्जा

167. श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं तहसील के ग्राम बातड़ के लादूराम पुत्र श्री चतराराम हरिजन की जमीन खसरा नम्बर 231 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा पर सरपंच बाकलिया की शह से असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(2) श्री लादूराम को उक्त जमीन किस कार्यक्रम के तहत आवन्टित की गई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री लादूराम हरिजन का मसला सतर्कता समिति, नागौर के विचाराधीन था और उसमें उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो उपखण्ड अधिकारी ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या सरकार श्री लादूराम हरिजन को उक्त जमीन वापस दिलवाने का विचार

Page No 33

(33)

(श्री रामधन चौधरी)

रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कुछ लोग आवंटित भूमि पर काफी पहले से ही अतिक्रमी हैं जिन्हें हटाया जा रहा है।

(2) श्री लादूराम हरिजन को उक्त जमीन 14.6.70 को साधारण आवंटन के दौरान एलॉट की गई थी।

(3) जी हां, उप खण्ड अधिकारी ने रिपोर्ट दी कि उक्त मामले पर जिलाधीश कोर्ट नागौर से दिनांक 27.11.79 को फैसला हो गया है एवं आंवटी का आवंटन निरस्त कर भूमि सिवाय चक दर्ज की गई है।

(4) यह आवंटन जिलाधीश की अदालत से दिनांक 27.11.79 को निरस्त कर सिवाय चक में दर्ज करने के आदेश हो चुके हैं। सतर्कता समिति ने दिनांक 15.5 82 को निर्णय लिया है कि उक्त भू-भाग आबादी से चिपटा हुआ है। इसलिए उक्त हरिजन को अन्यत्र भूमि दी जाकर उक्त भू भाग को आबादी के लिए रखा जाये। यह भू-भाग वास्तव में आबादी के चिपटा होने के कारण, उक्त हरिजन को अन्यत्र भूमि आंवटन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त भू-भाग आबादी हेतु रखा जायेगा।

टोंक जिले में अकाल से जनता को राहत

168. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1981-82 व 1982-83 में टोंक जिले में पड़े भीषण अकाल के समय जनता को राहत पहुंचाने हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

(2) टोंक जिले हेतु स्वीकृत राशि में से निर्वाचन क्षेत्र टोंक में किस-किस राहत कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई और उनमें से कौन-कौन से निर्माण कार्य किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 व 1982-83 में टोंक जिले में पड़े अकाल के समय जनता को राहत पहुंचाने हेतु विभिन्न कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा (दो करोड़ चोवन लाख तीन हजार दो सौ सतरह) रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

(2) टोंक जिले हेतु स्वीकृत राशि में से निर्वाचन क्षेत्र टोंक में राहत कार्यों हेतु वर्ष 81-82 व 82-83 में विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से सहायता कार्यों के कराये जाने हेतु 18 कार्यों के लिए 20·08 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। निर्माण कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में हैण्ड पम्प

169. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने हैण्ड पम्प 1 जनवरी 82 से आज तक लगाये गये हैं ? कृपया पंचायतवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त हैण्ड पम्पों में से कितने हैण्ड पम्प कामयाब रहे हैं और कितनों में पानी प्राप्त नहीं हुआ है अथवा खारा पानी प्राप्त हुआ है ?

(3) उक्त कामयाब बोर होल्स में से कितने पर हैण्ड पम्प लगाकर चालू कर दिया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि जो हैण्ड पम्प खराब होते हैं उनको ठीक करने की व्यवस्था की जाती है।

उत्तर

(1) बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 1.1.82 से 7.9.82 तक कुल 65 हैण्ड पम्प लगा दिए गए हैं।

(2) सूची संलग्न है।

(3) कुल 83 बोर किये गये जिनमें 13 बोर असफल रहे। शेष कामयाब 70 बोर में से 65 बोर पर हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं।

(4) जी हां, अभी तक खराब हैण्ड पम्प को ठीक करने की व्यवस्था इस विभाग द्वारा की जाती है लेकिन राज्य सरकार के आदेश-अनुसार अब यह हैण्ड पम्प संधारण हेतु पंचायतों को सुपुर्द करने की कार्यवाही की जा रही है। एवं इनके संधारण के लिये खर्चा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

कस्बा मण्डावा (झुन्झुनू) की जल प्रदाय योजना

170. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कस्बा मण्डावा (झुन्झुनू) के लिये जल प्रदाय हेतु नवीन टंकी के निर्माण की स्वीकृति कब प्रदान की गई ?

(2) क्या नवीन टंकी का निर्माण पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह सही है कि नवीन टंकी के निर्माण त पश्चात् भी स्वीकृत प्लान के अनुसार पाइप लाइनें डालने का काम अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(4) सरकार कब तक पाइप लाइनें डालने का कार्य पूर्ण कर देगी ?

उत्तर

(1) मण्डावा नगर के लिए राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठित जल प्रदाय योजना माह मार्च, 1981 में स्वीकृत की गयी। इस योजना के अन्तर्गत एक नवीन उच्च जलाशय बनाने का भी प्रावधान है।

(2) जी हां। टंकी का निर्माण मई, 1982 में पूरा हो चुका है।

(3) जी, नहीं। पाइप लाइन डालने का कार्य चालू किया जा चुका है। नव निर्मित टंकी को भरने के लिये पाइप लाइन डाली जा चुकी है तथा टंकी को वर्तमान जल वितरण प्रणाली से जोड़ने के लिए लाइन डालने का कार्य चालू है। वितरण प्रणाली में और अतिरिक्त पाइप लाइनें भी जोड़ी जानी हैं। जिनका कार्य अभी प्रगति पर है।

(4) यह कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूरा करने की आशा है।

पाली जिले में पेयजल की सुविधा

171. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) :

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले के गांवों में पेयजल की किस-किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है ?

(2) क्या यह सही है कि मारवाड़ जंक्शन जैसे महत्वपूर्ण कस्बे को चेलावास विस्तार योजना से जल वितरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस योजना से समय पर, सही दबाव से जल वितरण हो रहा है ?

(3) सही वितरण व कम पानी की वजह से मारवाड़ जंक्शन कस्बे के किन-किन मोहल्लों में लाइन नहीं बिछाई गई है व नल कनेक्शन नहीं दिए गए हैं ? अब कब तक दे दिये जावेंगे ?

(4) क्या समस्या के समाधान हेतु विभाग ने मारवाड़ जंक्शन में कोई ओवर हैड टंकी (ओवरहैड टैंक) बनाने का विचार किया है ? यह टंकी बनाने का काम कब तक पूरा किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? समुचित जल वितरण की भावी क्या योजना है ?

उत्तर

(1) पाली जिले में ग्रामों को जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा पाइप जल प्रदाय योजनाएं, पम्प एवं टैंक योजनाएं, हैण्ड पम्प योजनाएं, पारस्परिक जल स्रोत योजनाएं, हैण्ड पम्प योजनाएं, नलकूपों के द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

(2) जी हां। वर्तमान जलस्रोत के

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

अनुसार मारवाड़ जंक्शन में जल वितरण की कुछ कमी रही।

(3) स्वीकृत योजना के अनुसार तो पाइप लाइन बिछायी जा चुकी है किन्तु इसके अतिरिक्त कुछ मोहल्लों में जैसे कि भाटों का बास, वीर दुर्गादास नगर, मोचियों का बास, भटवाडा इत्यादि में पाइप लाइन नहीं है। पाइप लाइन का प्रसार धन की उपलब्धि के अनुसार किया जा सकता है।

(4) मारवाड़ खारची की जल समस्या के समाधान हेतु प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है, जिसमें उच्च जलाशय बनाना भी शामिल है। इन पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाकर धन की उपलब्धि के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

मावली हायर सैकण्डरी के अध्यापकों द्वारा दुर्व्यवहार

172. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला उदयपुर के मावली हायर सैकण्डरी स्कूल में वर्तमान में कितने अध्यापक कब-कब से कार्य कर रहे हैं ?

(2) ऐसे कितने अध्यापक हैं जिन्होंने कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के समय परीक्षा ले रही लोक समिति के साथ दुर्व्यवहार किया ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि ऐसे अध्यापकों के विरुद्ध न्यायालय में कोई मामला चल रहा है ?

(4) क्या ऐसे अध्यापकों के विरुद्ध राज्य सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मावली उच्च माध्यमिक विद्यालय में 42 अध्यापक कार्यरत है। पदस्थापन/कार्यभार संभालने के दिनांक सहित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) हड़ताल के दौरान इस विद्यालय परिवार में हड़ताली कर्मचारियों द्वारा लोक समिति के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की सूचना राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए परिशिष्ट 13 देखें)

प्राथमिक शाला टोंगी को क्रमोन्नत करना

173. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

क्रमोन्नत करने के लिए कौन से मापदण्ड निर्धारित किये हैं ?

(2) प्राथमिक शाला टोंगी पंचायत समिति भीम जिला उदयपुर कौन से वर्ष में स्थापित हुई थी ?

(3) इस गांव की जनसंख्या एवं इस विद्यालय की छात्र संख्या कितनी है ?

(4) क्या प्राथमिक शाला टोंगी में 6 कमरे 30 × 12" के एवं 8 कमरे 20 × 10" के बने हुए हैं जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिये पर्याप्त हैं ?

(5) क्या प्रधानाध्यापक टोंगी ने इस विद्यालय को क्रमोन्नत करने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश की है ?

(6) क्या राज्य सरकार इस स्कूल को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार जनसंख्या, छात्र संख्या, उपलब्ध विद्यालय भवन, स्थानीय मांग तथा क्षेत्र की तुलनात्मक आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करने का निर्णय लेती है।

(2) प्राथमिक शाला, टोंगी पंचायत समिति भीम जिला उदयपुर वर्ष 1921 में स्थापित हुई थी।

(3) टोंगी गांव की जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 836 है तथा इस विद्यालय की वर्तमान छात्र संख्या 114 है।

(4) प्राथमिक शाला टोंगी में एक कमरा 26 × 12 फुट का, एक कमरा 18 × 1 फुट का तथा एक कमरा 10 × 10 फुट का है। इन कमरों के अलावा तीन कमरे 20 × 10 फुट के हैं जिनमें छत व फर्श डालना व खिड़कियां लगाना बाकी है। इस स्थिति में भवन उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

(5) जी हां।

(6) सत्र 1982–83 में नये उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलते समय राज्य सरकार इस प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने हेतु गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर के मेडिकल विभाग को ऋण

174. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर के मेडिकल विभाग को चलाने हेतु पन्द्रह लाख रुपये ऋण अथवा शेयर केपिटल के रूप में दिये ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) यदि हां, तो कब व किन शर्तों पर ?

(3) संघ की ओर से अभी तक इस रकम पर कितना ब्याज अथवा लाभांश राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है ?

(4) यह रकम संघ द्वारा राज्य सरकार को कब वापस करनी थी और कब तक सरकार इसकी वसूली का इरादा रखती ?

उत्तर

(1) जी हां, जयपुर नगर में दवाई की दुकानें खोलने हेतु हिस्सा राशि अंशदान के रूप में दिया गया है।

(2) यह राशि दवाइयों की दुकान खोलने हेतु दिनांक 25.3.75 को स्वीकृत की गई थी जो दिनांक 31.4.75 को प्राप्त की गई है (स्वीकृति की प्रति संलग्न है)।

(3) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त समस्त हिस्सा राशि पर जिसमें पन्द्रह लाख रु० की हिस्सा पूंजी अंशदान सम्मिलित है निम्न दर से लाभांश राज्य सरकार को चैक नं० 918877 राशि 4,40,962/- का संघ के पत्र क्रमांक 36654 दिनांक 12.5.80 के द्वारा एवं चैक नं० 676984 राशि रु. 2,80,570/- पत्र दिनांक 30.7.81 के द्वारा राज्य सरकार को भेजा जा चुका है।

वर्ष	दर
1975-76	3 प्रतिशत
1976-77	5 प्रतिशत
1977-78	3 प्रतिशत
1978-79	5 प्रतिशत

इसके पश्चात् आडिट रिपोर्ट के अभाव में अभी तक लाभांश घोषित नहीं किया जा सका है।

(4) हिस्सा अंशदान स्वरूप रुपया स्वीकृत किया गया था, इसके वापस किये जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। अतः राज्य सरकार की हिस्सा राशि बनी रहेगी।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

पंचायत समिति बड़गांव की पंचायत बेंदला में माध्यमिक विद्यालय का भवन

175. श्री भैरुंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बड़गांव की पंचायत बेंदला में माध्यमिक विद्यालय पुराने रावले में चल रहा है जिसे शिक्षा विभाग ने खरीद लिया है ?

(2) क्या यह भी सही कि उक्त भवन पुराना होने के कारण जीर्ण अवस्था में है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस भवन की मरम्मत एवं नये कमरे बनाने की

(श्री भैरुलाल मीणा)

योजना है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) शिक्षा विभाग इस भवन की मरम्मत करने की कार्यवाही कर रहा है। नये कमरे बनाने की कोई योजना नहीं है।

प्राथमिक विद्यालय मोतीकटला, जयपुर में उर्दू भाषी अध्यापक

176. श्री माला राम (खेतड़ी): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोती कटला, जयपुर में 200 उर्दू भाषी विद्यार्थियों को अध्यापन हेतु मात्र एक ही अध्यापिका है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस स्कूल में उर्दू अध्यापक और नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मोतीकटला, जयपुर में उर्दू विषय की केवल 117 छात्राएं है जिनको पढ़ाने के लिए उर्दू विषय की 2 अध्यापिकाएं कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं। छात्रा संख्या एवं वर्गानुसार अन्य अध्यापिकाओं की आवश्यकता नहीं है।

संविदा श्रम अधिनियम के तहत लाइसेंस

178. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या संविदा श्रम अधिनियम के तहत समस्त ठेकेदारों को जो राज्य में कार्यरत हैं, लाइसेन्स जारी किये गये हैं ?

(2) वर्ष 1980-81 में जारी किये गये लाइसेन्स की संख्या जिलेवार बतलाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) संविदा श्रम अधिनियम के तहत निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षणों में कितने ठेकेदार बिना लाइसेन्स के पाये गये व ठेकेदारों द्वारा कम वेतन दिये जाने वाले कितने मामले निरीक्षण में ध्यान में आये और क्लेम प्रस्तुत किये गये ?

उत्तर

(1) संविदा श्रम अधिनियम के तहत केवल उन्हीं ठेकेदारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है जो 20 या इससे अधिक श्रमिक नियोजित करते हैं। अतः राज्य में कार्यरत समस्त ठेकेदारों की उक्त अधि-

Page No 40

(५०)

(श्रम मंत्री)

नियम के तहत लाइसेंस जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा वर्ष 1980-81 में 201 लाइसेन्स जारी किये गये जिनकी जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी है।

(3) संविदा श्रम अधिनियम के तहत वर्ष 1981 में श्रम-निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षणों के दौरान 86 ठेकेदार बिना लाइसेन्स के पाये गये।

निरीक्षण के दौरान कम वेतन दिये जाने के 51 मामले पाये गये जिनके क्लेम प्रस्तुत कर दिये गये।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें।)

अजमेर जिले में श्रम विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम

179. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पश्चिम)–क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में श्रम विभाग के अन्तर्गत कौन कौन सी प्रवृत्तियां एवं कार्यक्रम कहां कहां पर कब कब से चलाये जा रहे हैं। उनके लिए वर्ष 1981-82 के बजट में क्या प्रावधान था? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) अजमेर जिले में श्रम विभाग से अनुदान प्राप्त कौन कौन सी संस्थाऐं कौन कौन सी प्रवृत्तियां एवं कार्यक्रम कहां कहां पर कब कब से चला रहे हैं। उनको वर्ष 1981-82 में कितनी राशि अनुदान में दी गयी? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) श्रम विभाग की सामान्य प्रवृत्तियां तथा दायित्व निम्न हैं :—

1. औद्योगिक सम्बन्ध
2. श्रम कानून की परिपालना
3. श्रम कल्याण
4. औद्योगिक आवासन एवं
5. श्रम सांख्यिकी

इन सभी प्रवृत्तियों का संचालन अजमेर जिले में किया जा रहा है। राज्य के गठन के समय से ही श्रम विभाग के यह कार्यक्रम अजमेर जिले में संचालित हैं।

ब्यावर में श्रम कल्याण केन्द्र, 1958 से कार्यरत एवं किशनगढ़ में वर्ष 1975 में बन्द श्रम कल्याण केन्द्र को वर्ष 1930 से पुन: प्रारम्भ कर दिया गया है।

अजमेर जिले हेतु अलग से कोई बजट प्रावधान नहीं है, अजमेर क्षेत्रीय कार्यालय हेतु वर्ष 1981-82 में 2,54,200/– रुपये का प्रावधान था जिसमें से 2,47,500/–रुपये व्यय कर दिये गये हैं। श्रम कल्याण केन्द्रों के संचालन हेतु 97,700/- रुपये का अलग से प्रावधान है जिसमें से

(श्रम मंत्री)

87,000/- रुपये व्यय किये गये हैं इसके अतिरिक्त 10,000/- रुपये का आवंटन आवासीय मकानों की मरम्मत हेतु किया गया है जो 10,000/-रुपये व्यय कर दिये गये हैं।

(2) वर्ष 1981-82 में किसी भी संस्था को कोई अनुदान राशि नहीं दी गई एवं न अनुदान प्राप्त कोई संस्था कोई प्रवृत्ति अथवा कार्यक्रम वर्तमान में चला रही हैं।

जिला न्यायाधीशों को मुकदमें सुनने के अधिकार

180, श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा)–क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला न्यायाधीशों को मोटर दुर्घटना सम्बन्धी मुकदमे सुनने का अधिकार प्राप्त है ?

(2) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा के जिला न्यायाधीश को ऐसे दावे सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है ? यदि हां, तो उस का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा में तो विशिष्ट न्यायाधीश को मोटर दुर्घटना संबंधी मुकदमें सुनने का अधिकार प्राप्त है व बाकी जिलों के जिला न्यायाधीशों को इस प्रकार के मुकदमों के सुनने का अधिकार दिया जा रहा है।

(2) भीलवाड़ा के जिला न्यायाधीशों को इन मुकदमों के सुनने का अधिकार दिया जा रहा है।

आवासन मण्डल की मालवीया नगर योजना

181. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)–क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आवासन मण्डल की मालवीया नगर योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है ? क्या वह पूर्णतया क्रियान्वित हो चुकी है। कृपया योजना का बल्यू प्रिन्ट व विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त योजना में अब तक कितने मकान आवंटित किये जा चुके हैं व किस किस को, सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 19 जुलाई, 1981 की अतिवृष्टि में एक ही दिन में काफी मकान गिर गये ? यदि हां, तो कितने ? उन मकानों के आवंटियों को क्या सुविधा प्रदान की जा रही है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या उक्त मकानों में मेटेरियल अवमानक कोटिका इस्तेमाल करने की शिकायतों की जांच कराई गई है ? यदि हां, तो निष्कर्ष क्या रहा। उक्त योजना

Page No 42

(42)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

में कितने मकानों के फर्श बैठ गये कितने मकानों की छत व दीवारें टपकती हैं तथा कितनों की दीवारें गिर चुकी हैं? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

(5) उक्त क्षेत्र में सार्वजनिक लाइट, पानी, सड़कें आदि सुविधाएं अभी तक क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई? अब कब तक व्यवस्था करा दी जावेगी?

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल के पास योजना हेतु कुल 358·57 एकड़ जमीन उपलब्ध है। इससे 150·78 एकड़ रेलवे लाइन के उत्तर एवं 207·79 एकड़ जमीन रेलवे लाईन के दक्षिण में उपलब्ध है। उपलब्ध जमीन पर विभिन्न आय वर्गों के 9544 मकान बनाने का प्रावधान है जिनका ब्यौरा निम्न है।

		फ्लेट्स	एक मंजिले	योग
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (अ) फ्लेट्स (ब) एक मंजिले	816	2000	2816
2.	अल्प आय वर्ग	3054	1231	4285
3.	मध्यम आय वर्ग "अ"	52	917	1429
4,	मध्यम आय वर्ग "अ"	190	414	604
5.	उच्च आय वर्ग	228	182	410
				9544

उपर्युक्त दर्शित समस्त मकानों का कार्य चालू किया जा चुका है। योजना का ब्लू प्रिंट संलग्न है। कुछ योजना के तीन पेज हैं। प्रत्येक पेज के तीन ब्ल्यूप्रिन्ट्स के पांच सेट सदन की पटल पर रख दिये गये हैं।

(आवासन मंत्री)

(2) इस योजना में अब तक 430 मकान आरक्षित/आवंटित किये जा चुके हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) 19 जुलाई, 1981 की अतिवृष्टि में केवल तीन मकानों को ही नुकसान पहुंचा था। उपरोक्त तीनों निर्माणाधीन मकानों को अभी तक किसी को भी आवंटित नहीं किया गया है। इसलिए इन क्षतिग्रस्त मकानों के आवंटियों को कोई सुविधा देने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) अवमानक मैटीरियल की कोई भी शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। मकान निर्माण से प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री के परीक्षण हेतु प्रयोग शालायें स्थापित की हुई हैं। प्रयोग शाला में जांच के बाद ही सामग्री का प्रयोग निर्माण कार्य में प्रयुक्त किया जाता है। अतएव घटिया सामग्री के प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसा कि पूर्व के प्रश्न में निवेदन किया जा चुका है। केवल तीन निर्माणाधीन मकानों को जो क्षति हुई है वह ठेकेदार की गलती से हुई है। अतएव ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करली ईग है। फर्श बैठने की कोई भी शिकायत नहीं आई है। मकानों के टपकने की शिकायत भी कभी कभी आती है। दीवारें उन्हीं मकानों की गिरी है जिन पर गीली दीवारों पर पट्टीयाँ ठेकेदार द्वारा डालदी गई थी।

(5) मालवीय नगर योजना में लाइट, पानी एवं सड़कें जहां मकानों का आवंटन किया जा चुका है वहां आवंटित मकानों के आगे उपरोक्त दर्शित सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। कुछ मकानों के आगे जिनको कि अब हस्तांतरित करना है उन मकानों के आगे अभी तक बिजली की लाइन नहीं डल पाई है। लगभग एक वर्ष पूर्व राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को बिजली की लाइनें डालने हेतु पैसा जमा करवा दिया गया है। विद्युत मण्डलके अधिकारियों से समय समय पर बातचीत की जा रही है एवं उन्होंने जल्दी ही बिजली की लाइन डलवा देने का आश्वासन दिया है।

(ब्ल्यू प्रिन्ट एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शिक्षित बेरोजगारों का पंजीयन

182. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नियोजन विभाग के उदयपुर स्थित कार्यालय में 1960 से 1982 तक कितने शिक्षित बेरोजगारों ने अपना पंजीयन करवाया तथा कितने पंजीकृत व्यक्तियों को नियोजन कार्यालय के मार्फत नियुक्ति दिलाई गई ?

उत्तर

नियोजन विभाग के उदयपुर स्थित कार्यालय में 1960 से 1982 तक

(नियोजन मंत्री)

261055 शिक्षित बेरोजगारों ने अपना पंजीयन करवाया तथा 25802 पंजीकृत व्यक्तियों को उक्त नियोजन कार्यालय के मार्फत नियुक्ति दिलाई गई ।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के विरुद्ध शिकायत

183. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री बी. पी. गोयल के विरुद्ध कार्यालय के 50 से अधिक कर्मचारियों ने परिवहन आयुक्त को कोई शिकायत-पत्र दिया है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध प्रमुख शिकायतें क्या थीं ?

(2) क्या इनकी जांच की गई ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या रहे ? यदि जांच नहीं की गई तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । शिकायत तारीख 6.8.82 को प्राप्त हुई है, प्रमुख शिकायतें निम्न प्रकार हैं—

1. कर्मचारियों के प्रति अभद्र व्यवहार ।

2. मंत्रालयिक कर्मचारियों के कागजातों पर हस्ताक्षर न करना ।

3. मंत्रालयिक कर्मचारियों को वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन पर प्रतिकूल प्रविष्टि करने की धमकी देना ।

4. मंत्रालयिक कर्मचारियों को स्थानान्तरण करने की धमकी देना ।

(2) अपर परिवहन आयुक्त से इस संबंध में जांच कराई जा रही है । जांच प्रतिवेदन अभी प्रतीक्षित नहीं हैं ।

राजस्थान खनिज विकास निगम द्वारा खनन

184. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पश्चिम) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के द्वारा किन किन खनिजों के खनन का कार्य स्वयं के द्वारा एवं संयुक्त क्षेत्र में कहां कहां दिया जा रहा है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) अब किस किस खनिज के खनन का कार्य संयुक्त क्षेत्र में देने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा वर्तमान में स्वयं ही खनन कार्य किया जा रहा है । कहीं भी संयुक्त क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहे हैं । निगम द्वारा जिन खनिजों व परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उनकी सूची परिशिष्ट "क" पर है ।

Page No 45

(४५)

(खनिज राज्य मंत्री)

(2) निगम द्वारा जो परियोजनायें खनन कार्य हेतु संयुक्त क्षेत्र में देने के विचाराधीन है, उनकी सूची परिशिष्ट 'ख" पर है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

इन्द्रगढ़ तहसील में मोहनपुरा की पहाड़ियों में लोहे के भण्डार

185. **श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) : श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :** क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इन्द्रगढ़ नायब तहसील में मोहनपुरा की पहाड़ियों में लोहे के अपार भण्डार हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र का खनिज सम्पदा के विदोहन हेतु पुनः सर्वेक्षण कराकर इस क्षेत्र की खनिज सम्पत्ति का सदुपयोग करेगी ?

उत्तर

(1) इन्द्रगढ़ नायब तहसील में इन्द्रगढ़ व मोहनपुरा ग्रामों के पास लोहे के अपार भण्डार नहीं पाये गये हैं सिर्फ एक पतली लोह अयस्क की धारी का होना पाया गया है।

(2) प्रारम्भिक जांच के परिणाम स्वरूप लोह अयस्क निम्न श्रेणी का तथा कम मात्रा में होने के कारण आर्थिक दृष्टि से उत्खनन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया मैं। लोह अयस्क के अलावा इस क्षेत्र में खड़िया मिट्टी भी उपलब्ध है। इस क्षेत्र में पाये जाने वाले लोहे के अयस्क तथा खड़िया मिट्टी की जांच पूर्वेक्षण हेतु एक खनिज परियोजना वर्ष 1982–83 में रखी गई है। कार्य पूर्ण होने के बाद ही भण्डारों की गणना तथा उपयोगिता का पता लग सकेगा।

नगर विकास न्यास, उदयपुर, द्वारा छविगृह की स्वीकृति

186. **श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):** क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर विकास न्यास उदयपुर ने छविगृह हेतु कौन सी जमीन निश्चित की है ? क्या उस पर सिनेमा घर बनाने की स्वीकृति किसी को दी गई, यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सच है कि इस समय उदयपुर नगर में दो सिनेमाघर निजी भूमि में बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त भूमि कृषि भूमि है या आबादी भूमि ?

(3) क्या आयड़ पुल के पास सिनेमा घर बनाने हेतु जो स्वीकृति दी गई वह ट्रस्ट ने दी या अध्यक्ष एवं किसी अधिकारी ने ?

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(4) क्या यह सही है कि नाथद्वारा रोड पर सिनेमा बनाने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र को नगर न्यास ने अस्वीकार किया ? यदि हाँ, तो फिर आयड़ पुल के पास की स्वीकृति का आधार क्या था ?

उत्तर

(1) न्यास की हिरन मगरी योजना सैक्टर न० 3 व 4 में छविगृह हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है। यहाँ पर किसी को अभी तक सिनेमा बनाने की स्वीकृति नहीं दी गई क्योंकि भूखण्डों को अब तक इस हेतु नहीं दिया गया है।

(2) जी हाँ। उक्त भूमि कृषि भूमि है।

(3) आयड़ के पास, विश्व विद्यालय रोड पर न्यास द्वारा सिनेमा बनाने की स्वीकृति दी गई है।

(4) नाथद्वारा रोड पर तकनीकी राय के अनुसार सिनेमा का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है तथा आयड़ पुल के पास वरिष्ठ नगर नियोजक की राय के अनुसार न्यास ने निर्माण की स्वीकृति दी है।

नगर विकास न्यास, उदयपुर, द्वारा भू-खण्डों का विनिमय

187. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या नगर आयोजना राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर विकास न्यास, उदयपुर ने जनवरी, 1980 से 31 अगस्त, 1982 तक किन-किन प्लाट्स का स्थान परिवर्तन किया ? पूर्व के प्लॉट का स्थान, क्षेत्रफल, कीमत प्रति वर्ग फीट व मालिक का नाम तथा उन्हें बदल कर दिया गया स्थान क्षेत्रफल वर्तमान कीमत उस क्षेत्र की क्या है, बतलाते हुए सूची सदन की पटल पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि प्लाट के एवज में प्लाट बदलना ट्रस्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ऐसे दोषी अधिकारी एवं व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहती है ? और कब तक ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा जनवरी, 80 से 31 अगस्त, 1982 तक जिन जिन प्लाट्स का स्थान परिवर्तन किया गया है उसकी सूची चाही गई सूचना के साथ सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उसी योजना में प्लाट्स के एवज में प्लाट बदलने में न्यास सक्षम है। अन्य योजना में प्लाट्स राज्य सरकार की स्वीकृति से बदले जाते हैं। जहां तक दोषी अधिकारी एवं व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न है वह जांच होने पर ही हो सकती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

सोजतरोड़, रानी, फालना व मारवाड़ जंक्शन को नगर पालिका बनाना

188. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) व

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने सोजत रोड, रानी, फालना व मारवाड़ जंक्शन को नगरपालिका में बनाने का निर्णय किया है?

(2) इन कस्बों को नगरपालिका बनाने हेतु अब तक किस स्तर तक कार्यवाही की जा चुकी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल मारवाड़ जंक्शन को नगरपालिका में परिवर्तित किया जा चुका है। सोजत रोड, रानी व फालना को नगरपालिकाओं में परिवर्तित करने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

(2) मारवाड़ जंक्शन दिनांक 3.9.82 की विज्ञप्ति के अनुसार नगरपालिका बनाई जा चुकी है। सोजत रोड को नगरपालिका बनाये जाने का निर्णय विचाराधीन है। रानी व फालना को नगरपालिका बनाये जाने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

चित्तौड़गढ़ जिले की नगरपालिकाओं को अन्तरिम सहायता

189. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने चित्तौड़गढ़ जिले की नगरपालिकाओं को वर्ष 1981-82 अन्तरिम सहायता की राशि आवंटित की थी ? यदि, हां, तो किस किस नगरपालिका को कितनी कितनी राशि कब दी गई ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) वर्ष 1981-82 में किस किस नगरपालिका ने अन्तरिम सहायता किस किस प्रयोजनार्थ चाही थी और राज्य सरकार ने, चाही गई राशि से कितनी कम, या अधिक स्वीकृत की ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1981-82 में कोई अंतरिम सहायता नहीं दी गई। सामान्य एवं विशेष अनुदान की राशि सम्बन्धी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 81-82 में किसी भी नगरपालिका द्वारा आवासीय सहायता नहीं चाही गई। अतः राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

रामगंजमण्डी की नगरपालिका द्वारा छोटी दुकानों के पट्टे

190. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि रामगंजमंडी में कई स्थानों पर छोटी छोटी दुकानें (गुमटियां) बनी हुई हैं जिनका किराया नगरपालिका लेती है ? यदि हां, तो ऐसी कितनी दुकानें हैं तथा किस किस की हैं ?

(2) ये दुकानें कब से कार्य कर रही हैं, और इनका किराया नगरपालिका द्वारा कब से लिया जा रहा है ?

(3) क्या सरकार ऐसी सभी दुकानों का पट्टा किरायादारों को दे देगी ? यदि नहीं, तो क्या ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । नगरपालिका द्वारा किराया लिया जाता है उनके नाम की सूची संलग्न है ।

(2) गुमटियां बनने के समय से ही कार्य में ली जा रही हैं। किराया उसी दिनांक से लिया जा रहा है । सूचना सूची में संलग्न है ।

(3) नगर का मास्टर प्लान विचाराधीन है, इसलिए इस बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

चम्पा बाग की भूमि की अवाप्ति

191. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चम्पाबाग को अवाप्त करने की कार्यवाही नगर न्यास उदयपुर ने प्रारम्भ की ? यदि हां, तो कब प्रारम्भ की गई एवं उसकी क्या प्रगति है ?

(3) क्या चम्पा बाग के सब- डिवीजन की स्वीकृति के लिये जी. टी. एन्टरप्राइज ने कोई प्लान न्यास को पेश कर रखा है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ करने के साथ ही सब-डिवीजन प्लान को निरस्त कर देना चाहिये था ?

(4) यदि नहीं किया, तो कब तक प्लान को निरस्त करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को न्यास द्वारा उनके पत्र दिनांक 21/9/81 से सूचित किया है । भूमि अवाप्त होकर न्यास के कब्जे में नहीं आई है।

(3) जी नहीं । जी. टी. एन्टरप्राइजेज द्वारा उप विभाजन का कोई भी प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(3) नियमानुसार उप विभाजन शुल्क जमा नहीं हुआ है । इस कारण स्वत: ही उप विभाजन नहीं हो सकता ।

(4) उप विभाजन शुल्क जमा नहीं होने से प्रस्तावित उप विभाजन का प्लान स्वत: ही निरस्त हो जाता है ।

पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

192. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : क्या पुनर्वास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सन् 1971 में पाकिस्तान से कितने शरणार्थी आये ?

(2) पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु आबादी व कृषि भूमि कौन कौन से जिलों में आवन्टित की गई है ? जिला व ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि आवंटित भूमि अधिकतर अकृषि योग्य व विवादास्पद

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को पुनः भू-आवंटित करने का विचार रखती है ?

(4) क्या शरणार्थी परिवारों को राजस्थान नहर क्षेत्र में भू आवंटित की गई है ? यदि हां, तो कितने परिवारों को कितनी-कितनी भूमि कहां-कहां आवंटित की गई है ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) भारत पाक संघर्ष 1971 के फलस्वरूप 11,099 परिवार, जिनमें 57,334 सदस्य थे, ने भारत में प्रवेश किया। धीरे-धीरे कुछ व्यक्ति (परिवार) वापस पाकिस्तान चले गये कुछ मर गये कुछ अन्यत्र चले गये और अन्त में 8408 परिवार ऐसे रहे जिनको बसाना था।

(2) बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर बीकानेर जिलों में भूमि आवंटित की गई। ग्रामवार सूची परिशिष्ट "क" पर है।

(3) कहीं कहीं भूमि अकृषि योग्य व विवादास्पद पाई गई तो तुरन्त ही हल निकालने का प्रयत्न किया गया। राजस्थान नहर क्षेत्र के 249 मुकदमे ऐसे पाये गये जो कि कृषि के अयोग्य थे तुरन्त ही 176 तो कृषि योग्य भूमि देकर तब्दील कर दिये गये। शेष 73 को भी तब्दील किया जा रहा है। बाड़मेर जिले में 13 केसेज विवादास्पद थे उन्हें जिलाधीश द्वारा अन्य भूमि देने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) राजस्थान नहर क्षेत्र में 2992 परिवारों को भूमि आवंटन की गई है और प्रत्येक परिवार को एक मुरब्बा भूमि दी गई है। सूची संलग्न परिशिष्ट (क) पर है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

नट जाति के कल्याण हेतु योजना

193. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में किस-किस तहसील में नट जाति के कितने-कितने परिवार हैं तथा उनकी जनसंख्या क्या है ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज रखें।

(2) क्या यह सच है कि समाज कल्याण विभाग ने इस जाति के संस्कार सुधारने व आर्थिक उत्थान के लिये आज तक कोई योजना बनाई ही नहीं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस जाति के आर्थिक व सामाजिक सुधार के लिये वास्तव में चिन्तित है ? यदि हां, तो इस जाति के लिये संस्कार सुधार केन्द्र एवं महिला उद्योग केन्द्र की स्थापना करने की क्या कोई योजना बनायी जा रही है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में नट जाति की तहसील वार जनसंख्या 1971 की जनगणना की

(समाज कल्याण राज्य मन्त्री)

सूचना परिशिष्ट (क) पर संलग्न है। तहसीलवार परिवारों की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) जी नहीं। नट जाति राज्य की अनुसूचित जाति की सूची तथा विमुक्त जाति की सूची में शामिल है और इनके लिये उन सब योजनाओं का लाभ उपलब्ध है जो अनुसूचित जाति के तथा विमुक्त जाति के लिये लागू है।

(3) संस्कार केन्द्र के स्थापित करने की कोई योजना नहीं है तथा उद्योग केन्द्र भी केवल इस जाति विशेष के लिये स्थापित करना संभव नहीं है क्योंकि इनकी किसी भी एक स्थान पर पर्याप्त जनसंख्या नहीं है जिसके लिये उद्योग केन्द्र चलाया जा सके। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को "ट्राइसम" परियोजना में उद्योग धन्धों में प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण के पश्चात् औजार आदि दिये जाते हैं। यह लाभ इस जाति की महिलायें भी प्राप्त कर सकती हैं।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

टोंक जिले में सड़क निर्माण

194. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1982-83 में टोंक जिले में किस-किस सड़क मार्ग के निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई थी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत सड़क मार्गों में से कौन-कौन से सड़क मार्ग पर कितना-कितना निर्माण कार्य अब तक किया गया है?

(3) सड़क निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूर्ण न होने का क्या कारण है?

उत्तर

(1 व 2) स्वीकृत राशि तथा किया गया कार्य राशि व्यय का प्रतिशत सदन के पटल पर (प्रपत्र-क) रख दिया गया है।

(3) सभी सड़क निर्माण कार्य लक्ष्यों के अनुसार कराये जा रहे हैं।

(प्रपत्र के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

कोटा बारां सड़क पर काली सिंध नदी पर पुल निर्माण

195. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कोटा-बारां सड़क पर काली सिंध नदी पर पुल निर्माण करना प्रस्तावित है? यदि हां, तो इस पुल का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा?

उत्तर

कोटा बारां सड़क पर काली सिंध नदी पर पुल निर्माण कराने बाबत सर्वे कराने

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री)

हेतु राजस्थान पुल एवं निर्माण निगम को कार्य सौंपा गया है। सर्वे पूरा होने पर पुल निर्माण के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

बर से निमाज तक सड़क पर आये पेड़ों की कटाई

196 श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली में बर से निमाज तक सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई कितनी है?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क पर बीच में दो किलोमीटर तक सड़क के दोनों ओर बडे बेरों के पेड़ (बोरड़ियों) वृक्षावली की तरह लगे हैं ? यदि हां, तो इन पेड़ों के बीच में सड़क की चौड़ाई कितनी है ? क्या वह चौड़ाई वाहनों के आवागमन के लिये उपयुक्त है?

(3) विशेषकर दो वाहनों के इस स्थान से एक साथ निकलनें के लिये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन पेड़ों को काटनें के लिये कार्यवाही करेगी ताकि सड़क चौड़ी हो व आवागमन सुचारु हो सके ?

उत्तर

(1) बर से निमाज तक डामर की सड़क की लम्बाई 15 कि0मी0 है तथा चौड़ाई निम्न प्रकार है :—

(क) कि0मी0 114, 121, 126, 127, एवं 128 में 7.3 मीटर चौड़ी है।

(ख) कि0मी0 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 124, 125 में 3.66 मीटर चौड़ी है।

(2 एवं 3)

यह सही है कि 2 कि0मी0 में (कि0मी0 115 व 116) सड़क के दोनों ओर बोरड़ियों इत्यादि के पेड़ लगे हुये हैं तथा पेड़ों के बीच की चौड़ाई किसी भी जगह 5.5 मीटर से कम नहीं है यह चौड़ाई वाहनों के आवागमन के लिये सुविधाजनक नहीं हैं। सड़क के दोनों ओर के पेड़ों के अधिग्रहण करने की कार्यवाही चल रही है। अधिग्रहण होने के बाद नियमानुसार मार्ग को सुविधाजनक बनाया जायेगा।

जिला झालावाड़ में सड़कों का डामरीकरण

197. श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में सड़कों के निर्माण हेतु सन् 1980 से लेकर अब तक कितनी राशि किन-किन सड़कों के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की गई ? कृपया सूची सदन के पटल रखें।

(2) क्या यह सही है कि सुनेल से पिड़ावा, डग से दुधालिया, सुनेल से पाटन तथा इकलेरा से मनोहर थाना जाने वाली सड़कों की हालत खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनका डामरीकरण कराने का

(श्री बालचन्द्र आर्य वीर)

विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में सड़कों के निर्माण हेतु सन् 1980 से लेकर अब तक जो राशि सड़कों के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की गई है उसकी सूची (प्रपत्र-क) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सुनेल, पिड़ावा, डग से दुधालियां तथा इकलेरा से मनोहर थाना वाली सड़कों की हालत खराब नहीं है परन्तु सुनेल से पाटन सड़क अपूर्ण होने के कारण हालत खराब है। धनाभाव के कारण इन सभी सड़कों पर डामरीकरण किए जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है परन्तु इकलेरा मनोहरथाना सड़क पर 15 कि.मी. का डामर कराये जाने का कार्य प्रगति पर है जो मार्च, 1983 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(प्रपत्र के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

लाडना तहसील में माडा योजना के तहत विकास कार्य

198. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमंडी): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की रामगंज मंडी एवं लाडपुरा तहसील के कुछ गांव माडा योजना के लिये चयन किये गये हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से गांव हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) चयनित गांवों में क्या क्या विकास कार्य किये गये तथा कौन से नवीन कार्य विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, माडा योजना के अन्तर्गत कोटा जिले की लाडपुरा तहसील के 23 ग्राम, रामगंज मंडी तहसील के 27 ग्राम एवं सांगोद तहसील के 3 ग्राम कुल 53 ग्रामों को मिलाकर एक लघु खण्ड कायम करने के प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किये गये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) भारत सरकार से अनुमोदन होने के पश्चात् ही विकास कार्यों के सम्बन्ध में विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

राष्ट्रीय मरु उद्यान योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति

200. **श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय मरु उद्यान के लिये कुल कितनी धन राशि केन्द्र सरकार द्वारा और कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई ?

(2) स्वीकृत धनराशि में से अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई और किस-किस

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)

कार्य हेतु व्यय की गई ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(3) राष्ट्रीय मरु उद्यान योजना के तहत अब तक कितनी क्षेत्रफल में तारबन्दी की गई व कौन कौन सी जगह की गई ?

(4) उक्त योजना के सम्पूर्ण होने पर कितने क्षेत्रफल व किस-किस जगह तारबंदी करने का प्रावधान है? कृपया सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय मरु उद्यान के लिए कुल 247 लाख रुपये की योजना स्वीकृति है । इस राशि में केन्द्र और राज्य सरकार का हिस्सा 50:50 है ।

(2) स्वीकृत राशि में से वर्ष 1978-79 से 31.7.82 तक 70.70 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) राष्ट्रीय मरु उद्यान योजना के तहत निम्न स्थानों पर तारबन्दी की गई है :—

वर्ष	स्थान	क्षेत्रफल है. में
1980-81	सुदासरी	675
	म्याजलार	525
1981-82	सम	1100
	फूलिया	400
	बन्दड़ा	600
	सून्दरा	700
योग :—		4,000 है. 40 व.कि.मी.

(4) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 तक 144 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में तारबन्दी करने का प्रावधान है । तारबन्दी के क्षेत्र सम, सुदासरी, खुड़ी, फूलिया, म्याजलार, सत्ता, बन्दड़ा, सून्दरा तथा गिराब डेजर्ट पोस्ट के परिक्षेत्र में केन्द्रित होंगे ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 25 देखें)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 6 सितम्बर, 1982)

अनुसूचित जाति के भूमिहीन काश्तकारों को भूमि का आवंटन

13. **श्री नरपत राम बरवड़** (सूरसागर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आपातकालीन स्थिति के दौरान ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर में कुछ अनुसूचित जाति के भूमिहीन काश्तकारों को कृषि भूमि का आवन्टन किया गया था ? यदि हां, तो कुल कितने लोगों को कितनी कितनी भूमि का आवन्टन किया था ? सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि 1977-78 में उक्त आवन्टन निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या इन लोगों को राजस्थान नहर अथवा कहीं भी भूमि के बदले अन्य भूमि अथवा मुआवजा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा में आपातकालीन

(राजस्व मन्त्री)

स्थिति में वर्ष 1976 के दौरान सीलिंग से प्राप्त भूमि से 133 भूमिहीनों को कृषि हेतु भूमि आवन्टन किया गया था, जिसमें से 83 आंवटी अनुसूचित जाति के भी हैं। आंवटियों की नामवार आंवटित भूमि सहित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त 133 आंवटियों में से 82 व्यक्तियों के आंवटन निरस्त किये जा चुके हैं। मौके पर भूमि लवणयुक्त होने और खेती योग्य नहीं होने से आंवटन निरस्त किये गये हैं। आवंटित भूमि के बदले अन्य भूमि आवंटित नहीं की गई है। आंवटियों को मुआवजा देने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि उन्हें खातेदारी हकूक नहीं दिये गये हैं। यदि यह व्यक्ति लगातार भूमिहीन किसान की श्रेणी में रहते हैं, तो वह सीलिंग में अधिग्रहित भूमि एवं राजस्थान नहर परियोजना में भूमि आंवटन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन पर प्राधिकृत भूमि आंवटन अधिकारी, नियमानुसार आंवटन करेगें।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 26 देखें)

(दिकांक 6 सितम्बर 1982)

पशुपालन केन्द्र खोलने के मापदण्ड

14. **श्री चन्द्रवीर सिंह** (जैसलमेर) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जैसलमेर जिले में इस वर्ष अकाल राहत के तहत कितने पशुपोषण आहार केन्द्र मापदंड के आधार पर खोले गये ? कृपया ग्राम व पंचायत समितिवार केन्द्रों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

(2) उक्त केन्द्रों द्वारा कितने पशुधन को यह आहार उपलब्ध कराया गया ? कृपया केन्द्रों व माहवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) पशुधन की संख्या, भीषण अकाल की स्थिति को देखते हुये क्या यह केन्द्र पर्याप्त संख्या में थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1 व 2) जैसलमेर जिले में सम्वत् 2038 में अकाल राहत के अन्तंगत पशु संरक्षण हेतु 79 पशु पोषण केन्द्र खोले गये थे। इन केन्द्रों पर 33050 पशुओं को आहार उपलब्ध कराया गया। पंचायत समितिवार खोले गये केन्द्रों एवं माहवार उपलब्ध कराई गई पशु आहार की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट "क"

(3) जिले में सूखा संभावित कार्यक्रम एवं वन विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध घास को दृष्टिगत रखते हुए जिले में जो पशु पोषण केन्द्र खोले गये थे पर्याप्त थे।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 27 देखें)

(दिनांक 6 सितम्बर, 1982)

आदिवासियों को खनन पट्टों का आवंटन

26. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1981-82 में खान एवं भूगर्भ विभाग के पास कितने आदिवासियों को आवेदन-पत्र खनन पट्टा चाहने हेतु प्राप्त हुए ?

(2) कितने आवेदकों को किस किस जिले में खनन पट्टे आवंटित किए गये ? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 में खनन पट्टा चाहने हेतु आदिवासियों से कुल 1111 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

(2) उक्त वर्ष में कुल 776 आदिवासियों को खनन पट्टे आवंटित किये गये जिलेवार विवरण निम्न प्रकार से है :—

नाम जिला	स्वीकृत खनन पट्टों की संख्या
1	2
उदयपुर	43
डुंगरपुर	113
बांसवाड़ा	41
चित्तौड़गढ़	47
भीलवाड़ा	465
बून्दी	13
कोटा	2
झालावाड़	4
सवाई माधोपुर	34
धौलपुर	2
अलवर	3
सिरोही	3
जालौर	6
	776

व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्न पूछने की प्रक्रिया

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ? किस बात का है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिए तो मैं इन्तजार कर रहा हूं आपके बैठने की।

श्री अध्यक्ष : तो आप बोलना चाहते हैं ? बोलें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं रूल 44 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

(1) When the time for asking questions arrives, the Speaker shall call successively each member in whose name a question appears on the list of questions.

(2) The member so called shall rise in his place and unless he states that it is not his intention to ask the question standing in his name, ask the question by reference to its number on the list of questions.

अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न घनश्याम जी का ... उसके पूछने की अभी आपने ... थी। आपने नाम पुकारा था।

... अनुमति मान ... अनुमति ... या

श्री भंवरलाल शर्मा : उनके लिये देखें लें। रिकार्ड में अंकित होगा।

श्री अध्यक्ष : अभी तो यह ही विवादास्पद है कि नाम पुकारा गया या नहीं पुकारा गया था। कई बारे में नाम पुकारता हूं लेकिन सदस्यों की ओर से सहयोग नहीं दिया जाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को आप किसी अन्य माध्यम से उठा सकते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नं० 198 पर जो प्रश्न अंकित है वह काफी महत्वपूर्ण है इसे स्थगित करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, जहां जितने प्रश्न आते हैं सभी महत्वपूर्ण होते हैं फिर भी, अगर आप महत्वपूर्ण समझती हैं तो अलग से आप मिल सकती है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

वित्तीय समितियों का निर्वाचन

...रोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष ... अनुमति से एक ...चाहता हूं।

...न्यय

Page No 57

(57)

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि तीन चार कमेटी फाइनेंसियल कमेटी हैं जैसे पी. ए. सी. पी. यू. सी. दो एस्टीमेट कमेटी। अध्यक्ष महोदय, जब इस विधान सभा का पहले सत्र आरम्भ हुआ था उस पहले सत्र में समितियों का चुनाव हुआ था और समितियों का गठन हुआ था फिर दूसरे वर्ष चुनाव नहीं हुए। 1980 में पहले चुनाव हुए थे उसके बाद 1981 में चुनाव नहीं हुए। 1982 में चुनाव हुए और एक ही के अन्दर चाहे पी० ए० सी० मान लें, चाहे पी० यू० सी० मान लें चाहे एस्टीमेंट कमेटी मान लें इनके गठन का आपको अधिकार है इन अधिकारियों के सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान रूल 230 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। नियम 230 में लिखा है—

Constitution of Committee-(1) The Committee shall consist of not more than fifteen members, who shall be elected by the House every year from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single trans ferabbe vote;....

Provided further that a Minister shall not be elected or nominated a member of the committee and that if a Member after his election or nomination to the Committee, is appointed a Minister he shall cease to be a member of the committee form the date of such appointment.

(2) The term of office of members of the committee shall not exceed one year

एक अधिकार आपको फिर मिला है

Provided that the Speake rmay at any time extend the term of office not exceeding six months.

छः महीने से ज्यादा एक्सटेण्ड नहीं कर सकते हैं आपने जो पावर हैं रूल 306 को आपने सस्पेण्ड किया है इस प्रकार की विधान सभा के गत सत्र के अन्दर आपने व्यवस्था दी। मुख्य सचेतक जी ने एक प्रस्ताव पेश किया उसको हमारी अनुपस्थिति में स्वीकार कर लिया गया। उसको करने बाद कमेटी अभी तक चल रही है। अब मैं आपको रूल 306 पढ़कर सुना रहा हूं।

Any member maey, with the consent of the Speaker move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried the rule in question shall be suspended for the time being.

अध्यक्ष महोदय, अब आप इसका अन्दाजा लगा लें कि विधान सभा का पूरा काल 5 वर्ष का होता है। नियमों में

Page No 58

(58)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

व्यवस्था है कि इस प्रकार की समितियों के चुनाव प्रति वर्ष होने चाहिए। यदि कोई इमर्जेन्सी अराइज हो जाये, जिसके कारण चुनाव नहीं करा सकते तो अध्यक्ष महोदय को 6 महीने कार्यकाल में वृद्धि करने का अधिकार दिया हुआ है। हम नियम 306 में दी गई पावर से समितियों के कार्यकाल की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि सदन के लिए परम्परा के रूप में यह अच्छा नहीं होगा, सदन की समितियों के लिए अच्छा नहीं होगा। परिणाम यह निकलेगा, मैं कहना नहीं चाहता हूं, समाचार पत्रों मे किस प्रकार की चर्चा होती है, उनका न राजस्थान विधान सभा की तरफ से खण्डन किया जाता है, न सरकार की ओर से। यह जनरल रिफ्लेक्शन है मेम्बरों के कन्डक्ट पर, रिफ्लेक्शन है राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियमों पर, यह पूरा रिफ्लेक्शन है, अध्यक्ष महोदय, माफ करें, आप पर और आपकी व्यवस्था पर। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो नियम 306 के अन्तर्गत अधिकार लेकर, एक प्रस्ताव पास कराकर इन समितियों के कार्यकाल की अवधि में वृद्धि की है, वह उचित नहीं है। उस समय आपने कर दी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पी. ए. सी. पी. यू. सी. और एस्टीमेट्स कमेटी के चुनाव इस सत्र में कराये जायें ताकि कम से कम कमेटी अगले ढाई वर्ष व्यवस्थित ढंग से चल सकें। यदि आप इसी प्रकार इनका कार्यकाल बढ़ाते रहे तो फिर खेत सिंह जी ऐसा मोशन ले आयेंगे कि नियम 306 के मातहत फिर अधिकार लिए जायें कि समितियों की मियाद दो वर्ष के लिए और बढ़ा दी जाये। मैं आपसे और माननीय मुख्य मंत्री जी, जो इस सदन के नेता है, से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि राजस्थान विधान सभा में 1952 से लेकर आज तक किसी भी ऐसी समिति की अवधि इतने वर्ष, ढाई वर्ष तक नहीं बढ़ी। ढाई वर्ष तक तब ही बढ़ा सकते हैं, जब सदन में आप कोई प्रस्ताव लायें। कई बार ऐसा हुआ कि इस बार जिन मैम्बर के चुनाव हुए अगली बार जब इलेक्शन हुए तो उन्हीं मैम्बरों ने नामीनेशन दिया तो उनका निर्विरोध चुनाव हो गया। यह जो प्रक्रिया है,इसके बारे में किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जिस प्रक्रिया से आज माननीय सदस्य समितियों में बैठे हैं, समितियां बनी हुई हैं, मुझे उसमें आपत्ति है। मैं आपसे और सदन के नेता से निवेदन करता हूं कि इस सत्र में समितियों के चुनाव कराये जायें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आम तौर पर इन समितियों के चुनाव बजट सैशन में हुआ करते हैं। गत बजट सैशन के वक्त जो माहौल रहा, उसके कारण से, पहले हमने आपसे डिस्कस किया बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इसको लिया था, सारा डिस्कशन हुआ था कि चुनाव कराये जायें। सभी की भावना थी कि कम से कम दो साल का टेन्योर इन कमेटीज का रहना चाहिए ताकि. मैम्बर्स एक साल में जानकारी हासिल करते हैं, दूसरे साल में तैयारी होती है, क्वेश्चन ठीक तरह से पुट अप करते हैं। आम तौर पर परिपाटी रही है कि दो साल तक समितियां काम

Page No 59

(69)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

करती रही हैं। आपने जो यह एतराज अभी उठाया है, किन्तु, जब समितियां बनायी जा रही थीं, आपके ही दल ने कहा था कि समितियां ठीक चल रही हैं, अगर चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से विपक्ष के सदस्यों की संख्या कम होगी, आज भी इनकी संख्या और कम होने वाली है। हमने सभी को एडजस्ट करते हुए कार्यवाही की है। विपक्ष के ज्यादा से ज्यादा मैम्बर इसमें रहें, उनकी भी भावना सम्मिलित हो, वह अपने अच्छे सुझाव दे सकें, इस प्रकार की सारी कार्यवाही की गयी। आप कहते हैं कि समितियों की बड़ी चर्चा आयी है, पेपरों में आया है, यह तो आप, अध्यक्ष और मैम्बरों के सोचने की बात है। हम आपसे अलग नहीं हैं, मेरा आपसे यही निवेदन है कि यदि ये चुनाव कराना चाहें तो आपत्ति नहीं है। लेकिन आम तौर पर परिपाटी रही है, परम्परा रही है, जब भी बजट संशन होता है, चुनाव होता है। इससे पहले भी ऐसा होता आया है। यह चुनाव बजट संशन में होते आये हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर इसी संशन में करायें तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बावजूद मैं यह कहता हूं कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है उसमें और बैठ कर विचार कर लेंगे। उसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय शिरोधार्य है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं तो ऐसा समझता था कि सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक बड़ी जिम्मेदारी से कोई बात कहेंगे....

श्री चन्दनमल बैद : जिम्मेदारी से ही कहते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप लोगों ने मान रखा है। मैं निवेदन कर रहा था कि उन्होंने शायद इसको बहुत लाइटली लिया....

श्री अध्यक्ष : ऐसा तो नहीं लगता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसा लगता है। खैर, उन्होंने थोड़ा गम्भीरता से लिया होगा। वे ये कहते हैं कि आज तक कभी बजट संशन के अलावा दूसरे संशन में चुनाव नहीं हुए। मुझे याद है कि एक बार बजट संशन में चुनाव नहीं हुए थे, 6 महीने की वृद्धि की गयी थी और बीच में संशन हुआ उसमें चुनाव हुए। यह तो कोई परम्परा नहीं रही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आम तौर पर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आम तौर पर मैं मान लेता हूं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में चुनाव हो सकते हैं। इसलिए चुनाव न होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा है कि पिछले सत्र में आपमें से कोई बैठते नहीं थे, हम कहने के लिए बैठते नहीं थे, आपने बैठने नहीं दिया। हमको पकड़ कर निकाल दिया, उसके बाद नियम 307 के अन्तर्गत। 306 के अन्तर्गत सारी व्यवस्था करायी। माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो आपने सीन क्रियेट किया था उसमें तो इससे भी ज्यादा कार्यवाही होनी चाहिए....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, हमने क्या सीन क्रियेट किया था और क्या नहीं किया था लेकिन दुनिया जानती है कि आप लोगों का सीन हिन्दुस्तान में लोकतंत्र की परम्पराओं के अनुकूल नहीं था, हर व्यक्ति ने आपको कन्डेम किया। फिर निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे मुख्य सचेतक की बात के भरोसे में नहीं रहें। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मुख्य सचेतक तो जिस तरह हवा बदलती है, उसी तरह बदलते हैं। शायद जानकारी नहीं होगी हिन्दुस्तान में आज डिफेक्शन की चर्चा होती है। माननीय खेतसिंह जी वह व्यक्ति हैं जो हिन्दुस्तान में पहले डिफेक्टर हैं....

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वाहियात ××× कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, ××× शब्द को एक्सपंज किया जाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा निवेदन है कि जो पुरानी बातें हैं, वह इस सदन में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो तारीफ की है....

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप कब की बात कर रहे हैं मैं तो 30 साल से एक ही पार्टी में चला आ रहा हूं। आप इंडिपेन्डेण्ट रहे हैं, आप बाद में जनसंघ पार्टी में गये। आपने भी पार्टी बदली थी, मैंने भी पार्टी बदली थी। आपने उसके बाद में कई पार्टियां बदल दीं। आप रामराज्य से आये, जनसंघ में गये, जनता में गये, वापस भारतीय जनता में आये, आपने कितनी पार्टियां बदलीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह रहा हूं कि मैं कभी इण्डिपेन्डेण्ट नहीं था, न ही 1952 में इण्डिपेन्डेण्ट आया। किसी की आलोचना करें लेकिन आप हिन्दुस्तान में सबसे पहले डिफेक्टर हैं, इतिहास में किसी का भी नाम लिखा हुआ है तो खेतसिंहजी का लिखा हुआ है कि डिफेक्शन यहीं से शुरू हुआ। तो, उनकी बात पर मुख्य मंत्रीजी भरोसा नहीं करें। आपको भी छोड़ जायेंगे, जैसे पहाड़िया जी को करके गये हैं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने पहाड़िया जी को छोड़ दिया है। आपकी तरह नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : नियमों के बारे में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। विपक्ष के नेता महोदय ने काफी व्याख्या कर दी। आज कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग हो रही है उस समय इस प्रश्न पर चर्चा कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : समय जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत जरूरी है, मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, इसलिए कहना चाहता हूं।

सभी माननीय सदस्यों की एक प्रश्न पर और भी इच्छा होगी कि अकाल और बाढ़ के सम्बन्ध में कुछ चर्चा हो। सदन का कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं है जो अकाल और बाढ़ के सम्बन्ध में चर्चा नहीं करना चाहता। चर्चा तो होगी। लेकिन मैं एक निवेदन कर दूं कि अकाल राहत मंत्रीजी, अकाल और बाढ़ के कारण पिछले वर्ष क्या कार्यवाही हुई, इस वर्ष क्या कार्यवाही हुई, कितने ज्ञापन तैयार किए, कितने भारत सरकार को दिये हैं, स्टडी टीम में क्या हैं वह सामग्री तो माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दें ताकि इस सत्र में उसका उपयोग किया जा सके। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): मेमोरेन्डम जो दिये जाते हैं वह कान्फिडेन्शियल चीज होती है, उसको हमने पहले कभी भी वितरित नहीं किया है। इस प्रकार का प्रश्न पिछले सत्र में भी आपने उठाया था और मैंने आपसे निवेदन किया था कि मेमोरेन्डम जो दिये जाते हैं, वह तो केवल आफिशियल यूज के लिये होते हैं। वह डाकूमेन्ट कभी भी सदन के पटल पर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जितने मेमोरेन्डम दिये हैं और भारत सरकार से क्या सहायता मिली है उसके सम्बन्ध में विवरण तैयार करवा कर माननीय सदस्यों को वितरित करवा दूंगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 29 जून की रात्रि को ग्राम घनवा, पंचायत समिति सुलतानपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र दीगोद में ग्रामवासियों की गुण्डों द्वारा हमले की वारदात में चन्द्रमोहन नायक युवक पर घातक हमला होने के विषय में,

(2) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र रामगंज मण्डी में अतिवृष्टि के कारण फसलों के नष्ट होने तथा आलनिया बांध की दीवार में छेद होने के विषय में,

(3) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से मांगरोल क्षेत्र पीपल्दा में पेयजल की कमी के विषय में,

(4) श्री अनंगकुमार जैन व श्री बालचन्द्र आर्य वीर सदस्य, विधान सभा की ओर से मनोहरथाना में माडा योजना एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कुएं गहरे करवाने के कार्यक्रम में विकास अधिकारी

Page No 62

(62)

(श्री अध्यक्ष)

द्वारा धनराशि का घोटाला करने के सम्बन्ध में,

(5) श्री सोहनलाल बंसीवाल, श्री रामकिशोर मीणा व छीतरलाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस थाना कैथून, जिला कोटा में गत 14 अगस्त को पुलिस की पिटाई से श्री हुकमचन्द की मृत्यु होने के विषय में,

(6) श्री बंसीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा स्थित गांधी अस्पताल में सर्जन व अन्य पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(7) श्री मेघराज तावंड़ व श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कपासन रेलवे स्टेशन पर गत 5 सितम्बर को पुलिस द्वारा किये गये लाठी-चार्ज के विषय में,

(8) श्री यदुनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील सूरतगढ़ जिला गंगानगर के कई गांवों में बड़े क्षेत्र में पानी भर जाने व फसलें नष्ट हो जाने के विषय में,

(9) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर की डेयरी फार्म की बकाया का भुगतान काश्तकारों को न करने के विषय में,

(10) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर का भवन बन जाने व मशीन की खरीद के बावजूद कैंसर के व अन्य रोगियों के लिये कोबाल्ट यूनिट न लगाने के विषय में,

(11) श्री भैरोंसिंह शेखावत व श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीम का थाना पंचायत समिति के 60 अध्यापकों का स्थानान्तरण नीति विरुद्ध व नियम विरुद्ध व राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से किये जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(12) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर में चुंगी चौकी, जयपुर रोड के बगल में स्थित घूघरा घाटी के बंजर एवं पहाड़ी स्थित बसे लोगों के झोंपड़े गत 21 अगस्त को जिला प्रशासन द्वारा तोड़ने के विषय में,

(13) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर टोंक फाटक नम्बर 217 को आगामी 15 सितम्बर से बन्द किये जाने के निर्णय के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है :—

(1) श्री देवीसिंह भाटी-पुलिस थाना गजनेर में भारी मात्रा में लकड़ी काटकर एक करोड़पति सेठ द्वारा अपने पास रख लेने के विषय में। इस मामलें में राज्य

(श्री अध्यक्ष)

सरकार की ओर से गत 25 फरवरी को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अन्वेषण जारी है। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार की ओर से इस मामले में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जावे।

(2) श्री नाथूसिंह—ग्राम पंचायत हिंगोटा तहसील बसवा, जिला जयपुर के सरपंच व अन्य लोगों द्वारा एक हरिजन की हत्या। इस मामले में भी रिपोर्ट दर्ज कर अन्वेषण किया जा रहा है और कथित अभियुक्तों, जो फरार हो गये हैं, की तत्परता से तलाश की जा रही है।

(3) श्री कैलाश मेघवाल—राजनैतिक आधार पर कांग्रेस (आई) पार्टी के कार्यालय में कर्मचारियों के तबादले। सरकार ने सूचित किया है कि प्रस्ताव में संदर्भित तबादले नीति के बारे में घोषणा किया जाना सर्वथा निर्मूल व निराधार है और कांग्रेस (आई) के दफ्तर में कर्मचारियों व अधिकारियों की हाजिरी भरने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) श्री बंसीलाल पटवा–भीलवाड़ा में कृषि हेतु जल उपलब्ध न होना। सरकार ने बताया है कि हमीरगढ़ मंगरोल क्षेत्र की विद्युत सप्लाई 3,5 व 6 सितम्बर को छोड़कर अन्य दिनों सुचारू रूप से चल रही है।

(5) श्री कैलाश मेघवाल—अजमेर नगर में सिटी बसों की सेवा में अव्यवस्था। सरकार ने बताया है कि आवेदन-पत्र स्वीकृत हो जाने के बाद भी अनुज्ञा पत्र प्राप्त न करने के कारण नगर में बसों की कमी है, किन्तु अजमेर-पुष्कर मार्ग पर बस सेवा पर्याप्त है और ये बसें ठीक हालत में हैं।

(6) श्री रघुवीरसिंह कौशल—बारां में परिवहन निगम के सब डिपो में अव्यवस्था। सरकार ने सूचित किया है कि उक्त इकाई में न तो संचालन की अव्यवस्था है न चालकों व डीजल आयल की कमी है। वर्षा काल में मार्ग अवरुद्ध होने के कारण संचालन में कुछ समय के लिये अवरोध हुआ जो शनैः शनैः ठीक हो रहा है।

(7) श्री छीतरलाल आर्य—पार्वती नदी में आई बाढ़ से क्षति। सरकार द्वारा बताया गया है कि देय सहायता की राशि लगभग सभी स्थानों पर वितरित की जा चुकी है और निजी व सार्वजनिक सम्पत्तियों को हुई क्षति का सर्वेक्षण कर लिया गया है, शेष व्यक्तियों को आवश्यक सहायता दी जा रही है।

(8) श्री बंसीलाल पटवा—भीलवाड़ा तहसील में पानी के अभाव में फसलों को नुकसान। सरकार ने सूचित किया है कि वर्षा की कमी के कारण पूर्व में प्रसारित आदेशों के अनुसार जल वितरित समिति की बैठक आयोजित करके सितम्बर के महीने में 9 बांधों से नहर खोली गई तथा मेजा व अन्य बांधों से भी पानी सप्लाई करने का कार्य जारी है।

(9) सुश्री पुष्पा जैन, श्री सोहनलाल बंसीवाल व श्री रामकिशोर मीणा-दौसा

(श्री अध्यक्ष)

के डाक्टर श्री कृपालसिंह व उनकी पत्नी श्रीमती जसवंतकौर गिल की हत्या। इस मामले में अन्वेषण जारी है और सन्दिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई है।

(10) श्री गोपाल पचेरवाल व श्री नाथूसिंह-मलेरिया विभाग की जीप व एक ट्रक में गत 16 अगस्त की रात्रि को मांगलियावास के पास हुई दुर्घटना में 8 व्यक्तियों की मृत्यु। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पूरी जांच होने के बाद ही यह पता चलेगा कि दुर्घटना कैसे हुई? प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 हजार रुपये व घायलों को 1-1 हजार रुपये की सहायता दी गई है।

उपरोक्त आधारों पर मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं आज कार्य-सूची काफी लम्बी है और कई तरह के वक्तव्य भी सरकार की ओर से होंगे, उसके पश्चात् एक विधेयक पर चर्चा होगी पूर्व में भी एक दिन का कार्य अवशेष रह गया था, इसलिये आज समय सीमा निर्धारित करना आवश्यक है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे बोलने में समय का पूरा ध्यान रखें और जो वक्तव्य दें उसे 2.00 बजे तक पूरा कर लें।

(व्यवधान)

2.00 बजे तक समाप्त करने की कृपा करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, मैं एक-एक माननीय सदस्य को अवसर दूगा जिनके स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किये हैं सर्वप्रथम में....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थान प्रस्ताव दिया था एक हरिजन की सरपंच द्वारा हत्या करने के सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मैं आपको अवसर दूंगा। मै आपका नाम पुकारूंगा। आपका नाम पुकारूंगा, माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

सभी माननीय सदस्यों, जिनके कि स्थगन प्रस्ताव मैं अस्वीकार कर दिये हैं, के मैं नाम पुकारूंगा। माननीय सदस्य, एक-एक, दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं आपका नाम पुकारूंगा। आप बैठ जायं।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, उसके सम्बन्ध में आपने कोई व्यवस्था नहीं दी है इसलिये मैं....

श्री ग्रध्यक्ष : उसके बारे में मेरे चेम्बर में उपस्थित होकर जानकारी कर लें। उसका ग्रापको उत्तर दिया जायगा।

सर्वप्रथम मैं श्री देवीसिंह भाटी का नाम पुकारता हूं। पुलिस थाना गजनेर में भारी लकड़ी काटकर एक करोड़पति सेठ द्वारा ग्रपने पास रख लेने के विषय में।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : ग्रध्यक्ष महोदय, इस मामले में कुछ कार्यवाही नहीं होने से मैं इसको दुबारा उठा रहा हूं, पहले भी इसको सरकार के ध्यान में लाया था कि पुलिस थाना गजनेर में एक करोड़पति सेठ ने ग्राठ नौ हजार पेड़ कटवाये उसके विरुद्ध तहसीलदार कोलायत ने 32 हजार मन लकड़ी काटने के लिए एक मुकदमा दर्ज करवाया जैसी कि ग्रापको सूचना मिली, 25 को मुकदमा दर्ज हुग्रा, उसके बाद में मुख्य मन्त्री महोदय जब गजनेर पधारे उसके बाद में कार्यवाही चालू हुई। बार बार कहा गया, लोगों की ग्राम पंचायत में शिकायतें हुईं परन्तु पुलिस पर इस प्रकार का दबाव पड़ा कि जिसके घर में वह लकड़ी बरामद हुई उसको ग्राज दिन तक मुल्जिम नहीं बनाया। वर्तमान में भी उस करोड़पति सेठ के घर में वह लकड़ी पड़ी है। मुझे दुख इस बात का है कि हम सरकार के ध्यान में लाते हैं इस प्रकार से वन काटे जा रहे हैं। वन काटना एक बहुत बड़ा जुर्म है, ग्रध्यक्ष महोदय। एक तरफ जंगल में मंगल के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ग्रौर दूसरी तरफ इस प्रकार ग्रगर लकड़ी काटते हैं ग्रौर पुलिस किसी दबाव में ग्राकर कोई कार्यवाही नहीं करती है तो इससे बड़े दुख की बात ग्रौर क्या हो सकती है। ग्रध्यक्ष महोदय, इसके उपरान्त मामला होम डिपार्टमेंट में गया। होम सैक्रेटरी ने चालान करने के लिए ग्रादेश जारी कर दिये। इसके बाद में, ग्रध्यक्ष महोदय, वह फाइल ग्राई. जी. राजस्थान के पास ग्राई। ग्राई. जी. ने लिखा कि इसका तुरन्त चालान कर दिया जाय। परन्तु दुबारा, पता नहीं किसके प्रभाव में ग्राये, वह सेठ जयपुर में थे यह मेरी जानकारी है, उस मामले में ग्राई. जी. साहब से मिले, मैं यह निवेदन करूंगा फिर फाइल मंगवाई गई। जब उन्होंने सारे तथ्यों की जांच कर ली कि इस प्रकार से पेड़ काटे गये ग्रौर इसका तुरन्त चालान होना चाहिये फिर भी ग्राज दिन तक उस सेठ का चालान क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं ग्राज दिन तक वह लकड़ी बरामद की जा रही है? ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रगर इस प्रकार करोड़पति सेठ के दबाव में ग्राकर सही कार्यवाही नहीं होती....

श्री ग्रध्यक्ष : मैंने इस सम्बन्ध में सब तथ्य मंगा लिये हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया था मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार की ग्रोर से इस मामले में शीघ्र ही ग्रावश्यक कार्यवाही की जाय। यही ग्राप चाहते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : ग्रध्यक्ष महोदय, मुझे दुख इस बात का है, ग्रापने यही निर्देश दिये थे परन्तु राज्य सरकार ने ग्रभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। एक उच्चाधिकारी ग्राई. जी. राजस्थान ग्रगर एक तरफ निर्देश जारी कर देता है कि चालान किया जाय, सारी सूचना एकत्रित कर ली इसके उपरान्त भी उसका चालान

(श्री देवीसिंह भाटी)

क्यों नहीं कर रहे हैं, लकड़ी क्यों नहीं बरामद की जा रही है, उसको मुल्जिम क्यों नहीं बन पाया जा रहा है, मैंने बार बार यह मामला विधान सभा में उठाया है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह। हिंगोटा ग्राम के सरपंच द्वारा एक हरिजन युवक की हत्या के सम्बन्ध में।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, बांदीकुई तहसील में हिंगोटा ग्राम है पिछले 2 सितम्बर को वहां के सरपंच द्वारा एक हरिजन युवक, जो कोली जाति का था, को घर पर लाकर इतना मारा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। अध्यक्ष महोदय, आप इस पूरे केस को देखें, मेरे पास रिपोर्ट है, मरने के बाद की। किस हालत में उसकी मृत्यु हुई इसका फोटो भी मेरे पास है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर झंडारोहण 15 अगस्त को हुआ था। उस सरपंच और उस कोली जाति के युवक में पहले से ही आपस में रंजिश थी। वह सरपंच के विरोध में था इस रंजिश के कारण उसने उस युवक के विरुद्ध पुलिस में गलत रिपोर्ट दर्ज करा दी। उन केसेज की जाँच हुई तो कोई दम नहीं था। एच. एच. ओ. पर दबाव डाला गया कि उसको अरेस्ट करे। एस. एच. ओ. ने कहा कि मेरे पास इसके लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि मैं उसको अरेस्ट करूं। उसके बाद में वह प्रमाण पत्र लेने सरपंच के पास गया। पांच सौ रुपये उस व्यक्ति से मांगे गये, पांच सौ रुपये प्रमाण पत्र देने के लिये। जब चरित्र प्रमाण पत्र देने के लिए पांच सौ रुपये मांगे गये....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं।

तो उस सरपंच के भाई ने उसको पकड़कर बांध दिया। घर में रात को गम्भीर उसकी हालत बना दी, पिटाई की जब वह बेहोशी की हालत में था, बेहोशी में हो गया तो ट्रैक्टर में पटक कर पुलिस स्टेशन ले गये और नाजायज चोरी का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज करवाया ताकि वह न्यायिक हिरासत में चला जाय और वहां पर उसकी मृत्यु हो जाय, जिससे उनके ऊपर कोई केस नहीं होवे। न्यायिक हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में जल्दी से जल्दी कार्यवाही इस तरह से की, अध्यक्ष महोदय, वहां पर डाक्टर को बुलाकर तुरत-फुरत डाक्टरी मुआयना करवाया उस डाक्टर पर दबाव डाला कि इसमें यह लिखो कि कोई सीरियस इन्जरी नहीं है। उस समय पब्लिक इकट्ठी हो गई। जयपुर से पुलिस अधिकारी व डाक्टर गये। उसने मेडिकल रिपोर्ट जो दी जांच करके उससे, अध्यक्ष महोदय, उसने कहा कि सीरियस इन्जरी हैड में और शरीर में है इसलिए इसकी मृत्यु हुई। उसके बाद मुल्जिम को अरेस्ट करने के बजाय उस कोली के घर वालों को परेशान किया जा रहा है। दो दिन तक वह लाश पड़ी रही, सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई, लाश को जलाने नहीं दिया और कहा कि मेडिकल रिपोर्ट दीजिए, जांच करके कार्यवाही करिये। दो दिन होने के बाद सारे पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंच गये, मेडिकल रिपोर्ट हुई उसके बाद स्थिति यह

(श्री नाथूसिंह)

है कि पुलिस कार्यवाही करना चाहती है, मगर कार्यवाही नहीं करने देते। ग्रध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र के संसद सदस्य, जो ग्राज कांग्रेस (ग्राई) के ग्रध्यक्ष हैं, पुलिस पर नाजायाज दवाव डाल रहे हैं कि सरपंच को ग्ररेस्ट मत करो। मिस्टर लक्ष्मीनारायण हिंगोटा के सरपंच हैं उनके भाई हैं उसने इस कोली को मारा। कोली समाज की ग्रोर से भी मेरे पास कई प्रस्ताव पास होकर ग्राये हैं। टेन्शन का वातावरण है। जिसने मेडिकल रिपोर्ट करवाई, जिसने पुलिस को सूचना दी उस वकील को धमकियां दी जा रही है कि तुम्हें जान से मरवा दिया जायगा। ग्रध्यक्ष महोदय, प्रोटेक्शन देने के बजाय उन लोगों को नाजायज रूप से तंग किया जा रहा है। वकील जो पैरवी कर रहे हैं उसको धमकियां दी जा रही है। कांग्रेस के एम. पी, जो कांग्रेस (ग्राई) के ग्रध्यक्ष हैं राजस्थान के वह एस. एच. ग्रो. ग्रौर जयपुर एस. पी. पर दवाव डाल रहे हैं कि ग्ररेस्ट नहीं करें। ग्रभी उन्होंने जो जवाब सरकार के पास भेजा है उसमें यही लिखा है मुल्जिम फरार है इसलिए ग्ररेस्ट नहीं कर सके। ग्रध्यक्ष महोदय, मुल्जिम फरार नहीं है। वह गांव में बैठा है। उस कोली के घर वालों को धमकियां दी जा रही हैं कि तुमको ग्रौर मारेंगे वरना केस विथड्रा करो यह लिखकर देग्रो कि इसकी मृत्यु पीटने से नहीं हुई। हमारे कोई रंजिश नहीं थी, यह लिखकर दो वरना तुमको ग्रौर घर को जला दिया जायगा, तुमको जान से मार दिया जायगा। ये रोज धमकियां दी जा रही है। इसके वावजूद पुलिस कार्यवाही करने में ग्रसमर्थ है। माननीय मन्त्री महोदय बैठे हुए हैं उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसी क्षेत्र के संसद सदस्य हैं वह एस. पी. ग्रौर एस. एच. ग्रो. पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम्हारा स्थानान्तरण करा दिया जाएगा तुमने कार्यवाही की तो। इसके विरुद्ध झूठे केसेज लगा कर इसको मुल्जिम बनाग्रो। तो, ग्रध्यक्ष महोदय, प्रोटेक्शन देने के बजाय उस हरिजन परिवार वालों को ग्रातंकित किया जा रहा है। हरिजन युवक को मार दिया ग्रौर मुझे भय है ग्रगर प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो कोली परिवार के व्यक्तियों ग्रौर उसके घर वालों को ग्रौर मारा जा सकता है। यह इतना सीरियस मैटर है, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप फोटो देखिये। समाचार पत्रों में पढ़ा होगा माननोय मन्त्री महोदय ने, किस वेरहमी से इसको मारा गया, किस प्रकार से पुलिस में एफ. ग्राई. ग्रार. दर्ज करवाई, उसके खिलाफ कितने किस प्रकार से झूठे केसेज बनाये गये। तीस तारीख की रात्रि को एक ग्रोर उस ग्रादमी को घर में बन्द करके मारा ग्रौर दूसरी ग्रोर उसके विरुद्ध थाने में....

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री नाथू सिंह : उसके ऊपर झूठे केसेज बनवाये जा रहे हैं। इसलिए, ग्रध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं इस मामले को मन्त्री महोदय सीरियसली लें वहुत महत्वपूर्ण मामला है। ग्राप हरिजनों की रक्षा के लिए नारेवाजी करते हो किन्तु हरिजन युवक को कांग्रेस (ग्राई) के सरपच ने मारा। ग्राप में ग्रगर थोड़ी भी हरिजन के प्रति भावना है तो तुरन्त उस सरपंच को ग्ररेस्ट करवाइये,

(श्री नाथूसिंह)

गिरफ्तार करवाइये, उसके विरुद्ध कार्यवाही करिये और हरिजन युवक के घरवालों को प्रोटेक्शन दीजिये । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि उसके परिवार को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो और मृत्यु हो सकती है । यदि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो वहां पर इतना टेन्शन बना हुआ है कि इस प्रकार की कोई भी घटना हो सकती है । इसकी जिम्मेदारी माननीय मन्त्री महोदय की होगी। कुछ भी वहां हो सकता है इसलिए मैं चाहता हूं मन्त्री महोदय आश्वासन दें सदन में कि जो हत्यारें हैं उनको अरेस्ट करवाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी । अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं, आप उनसे कहें कि वे जवाब दें ।

**श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको सूचना दी है कि इसका इन्वेस्टीगेशन चल रहा है । जब वह पूरा हो जायेगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री कैलाश मेघवाल, राजनैतिक आधार पर कांग्रेस (आई) पार्टी के कार्यालय में कर्मचारियों के तबादले के संबंध में ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, गत 31 अगस्त को एक बैठक में....

(व्यवधान)

मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है । सरकार का जो जवाब आया है उसके मुकाबले में मेरे पास सामग्री है मैं उसको पेश करना चाहता हूं, उस पर आप निर्णय लें । मैंने आपसे परसों भी निवेदन किया था तो आपने कहा था कि मेरे चेम्बर में आ जाइये 13 को डिस्कस करेंगे । इसलिये इसको स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया । श्री बंशीलाल पटवा ।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : दोनों पर साथ ही बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष : भीलवाड़ा में कृषि हेतु जल उपलब्ध न होने के संबंध में । आप दोनों पर ही बोल लीजिये ।

श्री बंसीलाल पटवा : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था मंगरोल सैक्टर में बिजली सप्लाई ठीक नहीं हो रही है और दूसरा था सिंचाई के संबंध में । इस संबंध में मेरा निवेदन है कि मंगरोल सैक्टर में बिजली की सप्लाई पिछली एक तारीख से ठीक नहीं हो रही है, वहां ट्रांसफार्मर जल गया और अभी तक ट्रांसफार्मर ठीक नहीं हुआ है । सरकार का जो जवाब आया है वह मिथ्या है । मैं कल ही वहां होकर आया हूं और पूरे जिले में पूरे चार घण्टे भी बिजली सप्लाई नहीं की जाती । पिछले चार वर्ष के अकाल के कारण किसान परेशान है । फसल देर से हुई और अन्त

(श्री बंसीलाल पटवा)

में वर्षा न होने से फसल सूख रही है, जल रही है। पिछली एक तारीख से निरन्तर किसान बिजली विभाग में जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही। ट्रांसफार्मर नहीं लगा और उसके साथ-साथ कुछ इस तरह के भी मसले हैं जिसके कारण कुछ मीटर जल गये, लाइनें खराब हो गईं। उनको ठीक नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बिजली सप्लाई बराबर न होने से किसान की फसल जल कर राख हो गई। इस तरह की स्थिति हो गई है कि किसान चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

दूसरे के बारे में सिचाई विभाग की तरफ से जवाब आया, लेकिन कल मैं वहां होकर आया हूं। मोरेल डेम एक ऐसा डेम है जो कामशियल पर्पज के काम आता है और उससे सिंचाई भी होती है, पिछले दिनों चार तारीख को बैठक माण्डल में की गई जब कि मोरेल डैम की बैठक भीलवाड़ा में होनी चाहिये। मंगरोल में नहरें खुलनी थीं नहीं खुलीं, जब कि बराबर डिमाण्ड आयी थी। नीति गत यह निर्णय लिया गया था कि डिमाण्ड आते ही सिंचाई के लिये पानी खोल दिया जायेगा। मोरेल डैम के बारे में चार तारीख को बैठक की गई, लेकिन बैठक में मुझे आमंत्रित इंटेंशनली नहीं किया गया। राजनैतिक कारणों के आधार पर आमंत्रित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति वहां पर उत्पन्न की गई। उसके बाद मोरेल डैम की लैफ्ट कैनाल को खोलने का निर्णय हुआ। राजनैतिक द्वेषभाव के आधार पर मोरेल डैम की लैफ्ट केनाल खोली गई, राइट कैनाल नहीं खोली गई।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री बंसीलाल पटवा : मैं शीघ्र ही समाप्त कर रहा हूं, लेकिन सारा विश्लेषण मुझे करना ही पड़ेगा।

कल, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सूचना आई कि लैफ्ट कैनाल खोली गई और राइट कैनाल नहीं खोली गई। लैफ्ट कैनाल पिछली 5 तारीख को खोल दी गई, लेकिन राइट कैनाल परसों 10 तारीख को खोली गई। जब मैंने यहां से जाकर बहुत मिन्नत की तब उसको खोला गया। यह सब राजनैतिक द्वेषभाव के कारण किया जा रहा है। मुझे सूचना दी गई कि पानी बराबर सिचाई के लिये दिया जा रहा है. लेकिन मैं कल सवाना जाकर आया हूं, हर्नी जाकर आया हूं, रूपायनी जाकर आया हूं, जो भीलवाड़ा से 2–3 किलोमीटर दूर है। सवाना में पानी नहीं पहुंच पाया है, ऐसी दयनीय स्थिति है। वहां पर राजनैतिक द्वेषभाव के आधार पर पानी नहीं दिया जा रहा है। यह मुख्य मंत्रीजी का जिला है। मुख्य मंत्रीजी के इर्द-गिर्द रहने वाले व्यक्ति वहां पर राजनैतिक इंटरफियरेंस कर रहे हैं। मंत्री महोदय ने जो कहा वह बिलकुल गलत है। आप किसान के लिये इतनी बातें करते हैं, किसान को मजबूत करने की बात कही जाती है दूसरी तरफ....

श्री अध्यक्ष :समाप्त कीजिये।

श्री बंसीलाल पटवा : उनके साथ राजनीति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो मोरेल डैम बना है, इसका यूटिलाइजेशन पूरा हो, एक-एक बूंद पानी का उपयोग हो, उस पानी का दुरुपयोग न हो। आज भी पानी पहुंच नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री बंसीलाल पटवा : किसानों को परेशान किया जा रहा है। तो मेरा कहना है कि मोरेल डैम जो कार्मशियल पर्पज के लिये है, जिससे सिचाई भी की जाती है उसके पानी का उपयोग होना चाहिये। अगर फिर बरसात नहीं हुई तो वहां बड़ी परेशानी हो सकती है। किसान को बराबर पानी मिले और पीने की दृष्टि से यह पानी सुरक्षित रहे इस तरह की आप व्यवस्था करें। आपके माध्यम से यही मेरा निवेदन है। किसानों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है और जो फसलों का नुकसान हुआ है मैं निवेदन करूंगा कि किसान को उसका मुआवजा दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल, अजमेर नगर में सिटी बसों की सेवा में अव्यवस्था।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो जवाब आया है, यातायात मंत्री जी यहां से चले गये, सरकार का यह कहना है कि 28 रूट्स निर्धारित हैं सिटी बस के लिये। 28 रूट्स में से 8 पर बस चलें, इससे आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो निर्धारण प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अन्तर्गत कितनी सवारियां होंगी और निर्धारण करने के बाद जो प्रक्रिया है....

श्री अध्यक्ष : आप परमिट के लिये किसी की अर्जी दिलाइये।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, परमिट देने के बावजूद नहीं लगाये, यह सरासर गलत है। जो सिटी बसें चल रही हैं उनसे यातायात अधिकारियों की मेलजोल है। उस मेलजोल की वजह से उनको प्रेस नहीं किया जाता है कि और बस लगाओ। अजमेर में कोई रूट ऐसा नहीं है जिस पर चलने वाली बसों में सवारियां ऊपर तक भरी हुई न हों। यह खुशी की बात है कि अजमेर से आने वाले स्वास्थ्य मंत्री यहां बैठे हैं, नसीराबाद से आने वाले वन राज्य मंत्री यहां बैठे हैं, वह स्वयं सारी स्थिति जानते हैं। यह जानने के बावजूद उनको मालूम नहीं कि वहां सिटी बसों को लगाने के लिये, परमिट जारी कराने के लिये वह लोग उत्सुक नहीं हैं। यह कहा जा रहा है कि वे इनको चलाना नहीं चाहते। इस असुविधा में सुधार नहीं किया जा रहा है, यह अफसोस की बात है। नियमों के हिसाब से यह व्यवस्था की जाती है कि बस में कैसी सीटें हों, लेकिन छोटी-छोटी बसों में, अजमेर से पुष्कर जाने वाली बसों में सवारियां ऊपर तक भरी रहती हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार ने जवाब दिया है वह असत्य है। इस जवाब के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं, यातायात मन्त्रीजी नहीं हैं। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, वन

(श्री कैलाश मेघवाल)

राज्य मंत्रीजी हैं, स्वास्थ्य मंत्रीजी हैं, वहां पर अधिकारियों पर अंकुश रखा जाये। उसकी जो बस आपरेटर्स के साथ मिली-भगत है, उसके कारण जनता को कष्ट है, अजमेर से पुष्कर जाने में सवारियों को कष्ट होता है, कुछ व्यवस्था करके उसको दूर करने का प्रयत्न करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह कौशल। बारां में परिवहन निगम में सब डिपो की अव्यवस्था।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने आपके द्वारा जो उत्तर दिलाया वह कैसा है, यह मैं कुछ प्रमाण आपके सामने रखकर सिद्ध करना चाहता हूं। वह तो गलत उत्तर दिला कर चले गये और अब मैं आपको ही इस बात पर कन्विंस करने का प्रयास करूंगा कि सरकार कितने गलत उत्तर सदन में देती है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जो जवाब आया है वह यह है कि ज्यादा वाहनों और कंडक्टरों-ड्राइवरों की आवश्यकता नहीं है। बरसात में मार्ग अवरुद्ध होने के कारण संचालन में कुछ समय के लिये अवरोध हुआ। मैं आपको सरकारी आंकड़ों से यह सिद्ध करना चाहता हूं कि बारां सब डिपो में मई-जून में 18 ड्राइवरों, 18 संवाहकों के पद स्वीकृत थे। लेकिन जिस समय के लिये उन्होंने कहा कि मार्ग अवरुद्ध है वाहनों की आवश्यता नहीं है उन दिनों 40 पद ड्राइवरों के और 40 पद कंडक्टरों के स्वीकृत थे। कारण यह है कि मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं जिस कारण सारा संचालन इस क्षेत्र का बारां से ही करना पड़ता है। जहां 45 वाहनों की आवश्यकता है वहां बहुत कम वाहन दिये गये हैं। यह डिपो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला सब डिपो है। बरसात में वाहनों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, सवारियां अधिक होती हैं, सरकार यह जवाब दे रही है कि बरसात में वाहनों की आवश्यकता नहीं। जो उत्तर आपके माध्यम से मिला है वह कितना गैरजिम्मेदाराना है। मान्यवर, मैं 31 जुलाई को बारां सब डिपो पर था वहां जो ट्रैफिक इन्सपेक्टर आया, उसने मेरे सामने रीजनल मैनेजर को टेलीफोन किया कि बारां सब डिपो पर डीजल नहीं है, यहां पर कन्डक्टर नहीं हैं, यहां टायर्स नहीं हैं, टायर्स में यदि पंक्चर है तो पंक्चर सुधारने की कोई सुविधा नहीं है। यह मेरे सामने टेली-फोन ट्रैफिक इन्सपेक्टर ने रीजनल मैनेजर को किया। इस बात पर डिपो मैनेजर और ट्रैफिक इन्सपेक्टर में झगड़ा हो गया। मैंने उनको समझाया, मैं बीच पड़ा वरना उनमें हाथापाई हो जाती। जहां पर डिपो की स्थिति यह है, जहां आधे वाहन नहीं चल रहे हैं, जहां आधे कन्डक्टर नहीं हैं, ड्राइवर्स नहीं हैं, वहां के लिये सरकार जवाब दे रही है सारी व्यवस्था ठीक चल रही है। यदि सरकार की दृष्टि में यह ठीक व्यवस्था हो तो मुझे कुछ कहना नहीं है।

वहां आर० आर० एम० सीरीज 15 वर्ष पुरानी बसेज थीं वह चल रही हैं। कोटा में वर्कशाप नहीं है। जहां 40 वाहन हों वहां कोई वर्कशाप नहीं है। कोटा से यदि कोई वाहन ठीक होकर जाता है तो बारां जाते जाते खड़ा हो जाता है। इस कारण सवारियां ऊपर बैठी चल रही हैं। एक बार....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : एक बार एक बस में 182 सवारियां थीं। मैंने सरकारी आंकड़ों से सिद्ध किया कि सरकार कितना गलत उत्तर आपके माध्यम से दिलवा रही है ...

श्री अध्यक्ष : सरकार ने जो हमको उत्तर दिया है उससे आपको सूचित कर दिया। हमने उत्तर थोड़े ही दिया है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल आपने सूचित किया, मैं कह रहा हूं सरकार सदन को कितना गुमराह करती है। मैंने आंकड़ों से सिद्ध किया जहां बरसात में ज्यादा वाहन, कन्डक्टर्स और ड्राइवर्स चाहिये वहां वे कहते हैं जरूरत नहीं है। वहां डीजल नहीं है, टायर्स नहीं हैं, एक बस में 182 सवारियां बैठती हैं, जहां ऐसी व्यवस्था हो वहां के लिये सरकार कहती है कि व्यवस्था बहुत उत्तम है, सुनने वाला तो कोई नहीं है होते तो भी सुनते कम हैं....

श्री सी. एल. कंवरिया (स्वास्थ्य मंत्री): सुनने वाला कैसे नहीं है, हम सुन रहे हैं।

श्री गोविंदसिंह गुर्जर (राज्य मन्त्री, वन) : हम बैठे हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप सुन रहे हैं लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंचायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहलवाना था, कहलवा दिया, उत्तम व्यवस्था है। सरकार उसको उत्तम व्यवस्था समझती है तो आप सरकार को समझाने का कष्ट करें। यही मेरा निवेदन है आपसे।

श्री अध्यक्ष : श्री छीतरलाल आर्य।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी अखबारों में आया, 23-8-82 को पार्वती नदी में जो बाढ़ आई उससे अटरू, छबड़ा, छीपाबड़ोद, सालपुर, खाई, शाहपुर, मुकन्दपुरा, रतनपुरा गांवों में कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपये की क्षति मानी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अखबार में आया है कि 40 गांवों में बाढ़ आई। बाढ़ 40 गांवों में नहीं आई, मैं खुद गया वहां, मेरे क्षेत्र में करीब 50 गांव बाढ़ग्रस्त हुये हैं और इन गांवों में जैसी सरकार से सूचना आई है करीब 92 लोग बेघर हुये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि अटरू विधान सभा क्षेत्र में, छबड़ा और छीपाबड़ोद में 125 लोग बेघर हो गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सरकार से मेरी आपके माध्यम से मांग है कि बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायतार्थ 3 करोड़ की क्षति मानी गई है और 3 करोड़ के सहायता राहत कार्य खोले गये हैं। जैसी सरकार ने घोषणा की है कि हम पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ेंगे। सरकार की भी लक्ष्यों की पूर्ति हो इस दृष्टि से मेरा मुख्य सुझाव है, उसमें प्राथमिकता पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ा जाय इसको दी जाय।

(श्री छीतरलाल ग्रार्य)

दूसरी, मेरी बाढ़ पीड़ितों के लिये मांग है कि जैसे गत वर्ष 1981 में जयपुर में ग्राई बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिये ग्रह निर्माण केशवपुरा गांव में किया उसी प्रकार इन बेघर लोगों के लिये सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था हो कि उनके लिये इस प्रकार से गृह निर्माण किया जाय।

साथ ही मेरी मांग है कि उन लोगों, जिनकी बाढ़ से क्षति हुई है, में से 3 हजार का ऋण किसान को, बेघर लोगों को 3 हजार की सहायता पहुंचाई जाय।

तीसरा मेरा निवेदन है ग्रापसे कि इस वर्ष ग्रतिवृष्टि से लोगों को फसल मक्की, तिली की हानि हुई है। उस कारण कर वसूली रोकी जाय ग्रौर जो बैंकों की वसूली की जा रही है वह बैंक वसूली भी रोकी जाय। बाढ़ के कारण जो फैली हुई बीमारी है जैसे मलेरिया, बुखार ग्रादि उनके इलाज के लिये डाक्टर व नर्सेज की नियुक्ति की जाय ताकि उन बाढ़ पीड़ित लोगों को इसमें राहत मिले।

सबसे प्रथम मेरी मांग है कि बाढ़ पीड़ित किसानों ग्रौर बेघर हुये लोगों को गये साल ग्रफीम के पट्टे नहीं दिये गये। इस साल बाढ़ सहायतार्थ वहां के सब किसानों को ग्रफीम के लिये पट्टे दिये जायें।

दूसरा मेरा निवेदन है, ग्रफीम जो दी जाय, सरकार का ग्रांकना है कि एक बीघे में 3400) रुपये खर्च ग्राता है, यह 3400 रु. का खर्चा ग्रांकना गलत है। यह इस प्रकार से गलत है कि उन्होंने खेत की तैयारी का 200) रु. खर्चा लगाया है। 200) रुपये एक बार खेत की तैयारी में किसान का खर्चा ग्राता है, जबकि ग्रफीम की खेती की तैयारी 9 बार की जाती है तो उस हिसाब से 1800) रुपये खेत की तैयारी का खर्चा होता है। दूसरा, उन्होंने जो खर्चा दिया है, 5 मजदूर एक बीघे में ग्रफीम की खेती की तैयारी के लिये रोज लगते हैं, इस प्रकार से एक महीने तक ग्रफीम की खेती करने के लिये मजदूरों को काम करना पड़ता है तो 150 मजदूर हो गये एक महीने के तो 9) रु. डेली वेजेज के हिसाब से उसका खर्चा ग्राता है 1350) ग्रौर 1800)। इस प्रकार से 3150) ग्रौर 3400) रुपये प्रति बीघा खर्चा सरकार का मानना है जबकि कुल 6550) रु. प्रति बीघा खर्चा इस प्रकार से, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, किसान का बनता है। मेरा निवेदन है, हालांकि यह महकमा स्टेट गवर्नमेंट से सम्बन्धित नहीं है लेकिन राज्य सरकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट से यह सिफारिश करे कि किसान को करीब 500) रुपये किलोग्राम की दर से ग्रफीम दी जाय। इसके साथ साथ जो किसान को ग्रफीम की दर टुकड़ों में दी जाती है जैसे 12 किलो ग्राम जो ग्रफीम जो सरकार को देते है उनको 200) किलोग्राम से उस ग्रफीम का दाम दिया जाय तो उसका होता है 2400) रु., 12 दूने 24 होता है, 18 किलो लेते हैं तो उसको दिया जाता है 200) रु. प्रति किलो, 300) प्रति किलो के हिसाब से उसका होता है 18 तीया 300 याने 5400 रुपये। तो 12 दूने 200 से हुग्रा 2400) ग्रौर 6 किलो का जो डिफरेंस रहा उसका 3000) रुपया हुग्रा, 2400 ग्रौर 5400 में....

श्री अध्यक्ष : बाढ़ के समय में घाटे की खेती क्यों करवा रहे है ?

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं बाढ़ग्रस्त किसानों की सहायतार्थ इस सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि वह केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिये सिफारिश करे। सर्वप्रथम तो वहां बाढ़ के कारण जिन किसानों को जो नुकसान हुआ है खास तौर से अटरू, छबड़ा और छीपाबड़ौद के क्षेत्र में इन किसानों को अफीम की खेती करने के लिये नये पट्टे दिये जाने चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर किसानों को पांच सौ रुपया प्रति बीघा के हिसाब से दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी समय हो गया। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं तो वैसे भी बहुत ही कम बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष : तभी तो मैंने आपको अवसर ज्यादा बोलने का दिया है।

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अफीम की दर जो सरकार किसानों को टुकड़ों में देती है, जैसा मैंने आपको समझाया कि 18 और 12 किलो का देते हैं। वह चौबीस सौ रुपया और 54 सौ रुपया होता है दूसरे किसानों को तीन हजार रुपये ज्यादा 6 किलोग्राम का 200 रुपये के हिसाब से देते हैं। यानि पांच सौ रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से इन किसानों को छः किलोग्राम मिलता है। तो जो छोटे किसान हैं उनको तो नुकसान होता है। यह तो एक प्रकार का उन लोगों को अभिशाप हो गया। जो अमीर वर्ग है उसको तो मिले 5400 और गरीब वर्ग को मिले 2400 रुपये। अमीर वर्ग को इस प्रकार तीन हजार रुपये ज्यादा मिलते हैं। मेरा यह निवेदन है कि 6 किलो ग्राम के पांच सौ रुपया प्रति किलो ग्राम के हिसाब से मिले। इसके अन्दर मेरा यह सुझाव है कि जो अफीम का ब्लैक होता है वह भी समाप्त हो जायेगा और छोटे किसानों को सहायता भी मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपको यह निवेदन है कि कुल मिलाकर किसानों को 400 या 500 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से पैसा मिलना चाहिये। अगर किसी प्रकार से पांच सौ रुपये प्रति किलो ग्राम सरकार नहीं दिला सकती है तो कम से कम चार सौ रुपया प्रति किलोग्राम तो किसान को निश्चित रूप से मिलना चाहिये। इसके अलावा किसानों को नये अफीम के लिये पट्टे दिये जाने चाहिये। बस इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : अगला स्थगन प्रस्ताव सुश्री पुष्पा जैन, दौसा के डाक्टर श्री कृपाल सिंह व उनकी धर्म पत्नी श्रीमती जसवन्त कौर गिल की हत्या के सम्बन्ध में। इस मामले में अन्वेषण जारी है और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई है।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया है उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि बाढ़ का प्रभाव मेरे क्षेत्र में भी पड़ा है और उससे बहुत भारी नुकसान हुआ है इसलिये मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर काफी समय ले लिया गया हैं। ग्राप स्थान ग्रहण करें।

श्री हीरालाल ग्रार्य : ग्रध्यक्ष महोदय थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : एक मिनट बोलने दीजिये, ग्रध्यक्ष महोदय।

श्री हीरालाल ग्रार्य : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, पिछले महीने पार्वती नदी ग्रौर दूसरी नदियों में बाढ़ ग्रायी उससे कोटा जिले में ग्रटरू, छबड़ा, छीपा बड़ौद के ग्रलावा मेरे क्षेत्र पीपल्दा में, विशेष तौर से खातौली कस्बे में ग्रौर उसके ग्रास पास बाढ़ का बहुत भारी प्रकोप हुग्रा है। वहां पर बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया ग्रौर उससे गरीब ग्रनुसूचित जाति ग्रौर ग्रनुसूचित जन-जाति की बस्ती के लोगों को बहुत नुकसान हुग्रा है, उनके खेतों में पानी भर गया ग्रौर 30-35 मकान गिर गये। 30-35 मकान गिर जाने से जो जमीन खेती योग्य थी वह भी खराब हो गयी, पानी के बहाव से जमीन में कटाव ग्रा गया ग्रौर उससे जमीन खराब हो गयी। ग्रध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है कि जब वहां पर बाढ़ ग्रायी थी उस वक्त लोग ग्रपना सामान खुद इधर उधर रख रहे थे, सरकार की तरफ से कोई भी उन लोगों के लिये व्यवस्था नहीं की गई थी ग्रौर ना उन लोगों को राहत किसी प्रकार की पहुंचाई गयी। उन गरीब लोगों ने खुद ग्रपना सामान बाजार में इधर उधर रखा। सरकार ने उनके लिये कोई ग्रावास की व्यवस्था नहीं की ग्रौर ना ही उनके लिये भोजन की ही कोई व्यवस्था की। ग्रभी तक वहां स्थिति यह है। तहसीलदार ग्रौर विकास ग्रधिकारी ग्रब वहां पहुंचे हैं पर उन्होंने ग्रभी तक किसी भी तरह की कोई राहत उन गरीब लोगों को नहीं दी है। इसलिये मैं ग्रापके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि छीपा बड़ौद, ग्रटरू ग्रौर विशेष रूप से मेरे क्षेत्र, जहां बाढ़ से बहुत ग्रधिक नुकसान हुग्रा है, के लोगों को सहायता दें।

इसके ग्रलावा ग्रभी माननीय सदस्य ने छीपा बड़ौद ग्रौर ग्रटरू में बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में जो निवेदन किया उसमें जो बातें छूट गयीं उनकी ग्रोर भी मैं ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगा। ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि····

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रफीम की खेती के बारे में तो बोलना मत।

श्री हीरालाल ग्रार्य : ग्रध्यक्ष महोदय, नहीं ग्रफीम की खेती के बारे में निवेदन नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि वहां पर जो हैण्ड पम्प लगे हुए थे वह सभी बाढ़ के कारण खराब हो गये हैं। इस कारण वहां पर पेयजल की बहुत भारी समस्या हो गयी है। मैं राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन हैण्ड पम्प्स को ठीक कराया जाय ग्रौर जो पेयजल की समस्या हो गयी है उसका शीघ्रातिशीघ्र समाधान किया जाय जिससे कि लोगों को राहत मिले।

दूसरा मैं, ग्रध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई के लिये जो वहां पर डीजल इंजन लगे हुए थे वह भी बाढ़ के कारण खराब हो गये जिससे लोगों की खेती नष्ट हो गयी है। कुएं जो

(श्री हीरालाल ग्रार्य)

सिचाई के लिये थे वह भी पूरे भर गये हैं, कुग्रों में मिट्टी भर गयी है। वहां फसलों की हालत खराब हो गयी है। पहले की जो फसलें बोई हुई थीं वह तो बाढ़ के कारण नष्ट हो गयीं ग्रब ग्रगली फसल नष्ट नहीं हो उसके लिये मेरा निवेनन है कि जो डीजल पम्प्स के इन्जन खराब हो गये हैं उनको ठीक कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा उन लोगों को ऋण, ग्रनुदान ग्रौर मुग्रावजा दिया जाय ग्रौर जिनके कुएं पूरे भर गये हैं, जिनमें मिट्टी भर गयी है उनको ठीक कराने की व्यवस्था की जाय। इसके ग्रलावा जिन खेतों में बाढ़ के कारण कटाव ग्रा गया है ग्रौर मिट्टी भर गयी है उनका लेवलिंग जल्दी से जल्दी कराया जाय ताकि जो फसल इस साल की नष्ट हो गयी है वह तो हो गयी पर ग्रगली फसल उन गरीब लोगों की नष्ट नहीं हो। मेरा निवेदन है कि डीजल इंजन को ठीक कराया जाय, कुग्रों की मरम्मत करायी जाय ग्रौर राज्य सरकार द्वारा लोगों को ऋण, ग्रौर ग्रनुदान देने की व्यवस्था करावें।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर बाढ़ ग्राने के कारण हजारों पशु गन्दगी ग्रौर बीमारी फैलने से मर गये हैं। इसलिये, ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा ग्रापके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन है कि वहां पर मेडिकल केन्द्र खोले जायं ताकि जो बीमारी फैली है ग्रौर उससे जो नुकसान होने की ग्राशंका हो गयी है उससे बचा जा सके। बस इतना ही मेरा निवेदन है। मैं इतनी बात कह कर ग्रपना स्थान ग्रहण कर रहा हूं। ग्रापने जो मुझे बोलने का समय दिया है उसके लिये मैं ग्रापको धन्यवाद देता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन। संक्षेप में माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन (ग्रामेर) : ग्रध्यक्ष महोदय, 1982 की 27 मई को दौसा निवासी डाक्टर कृपालसिंह गिल ग्रौर उनकी धर्म पत्नी श्रीमती डाक्टर जसवन्त कौर गिल को घर पर सोते हुए रात्रि के समय कुछ ग्रज्ञात व्यक्तियों ने मार डाला। इतना ही नहीं तीन बच्चियां जो उनके साथ सो रही थीं उनको भी बुरी तरह से जख्मी किया ग्रौर उनको मरा समझ कर हत्यारे वहां से भाग निकले। सुबह मालूमात होने पर श्रीमती जसवन्त कौर गिल को ग्रस्पताल में भर्ती कराया गया। 9 जून को वह इस संसार से ग्रलविदा लेकर चल पड़ीं। ग्रध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में ग्रापके मार्फत मंत्री महोदय ने बताया कि इस केस का तफ-तीश जारी है। ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रच्छा होता वास्तव में इस केस की तफतीश जारी होती। यदि वास्तव में तफतीश को तवज्जोह दी गई होती ग्रौर सरकार की तफतीश करने मंशा होती तो सरकार निश्चित रूप से सदन मे खड़े होकर जवाब देती। इस तफतीश को कहां तक ग्रागे बढ़ाया गया है, किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है ग्रौर हत्यारों को पकड़ने में कहां तक सरकार सफल हुई है, यह बताती। सरकार हत्यारों को पकड़ने के लिये कितनी बेकरार है, यह पता लगता। ग्रध्यक्ष महोदय, सरकार यह कहे कि तफतीश जारी है, तफ-तीश हो रही है, तो सरकार का कर्त्तव्य पूर्ण नहीं हो जाता। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना

(सुश्री पुष्पा जैन)

चाहूंगी कि सरकार द्वारा जान-बूझकर इस तफतीश को रोका जा रहा है। इसका कारण यह है कि तत्कालीन गृह मंत्री भारत सरकार के आदेश के कारण, उनके कहने के कारण जिन व्यक्तियों पर शक था और जिन लोगों को पकड़ने के लिये यहां की पुलिस पंजाब और गंगानगर गयी थी उन लोगों को जानबूझकर नहीं पकड़ा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगाना चाहती हूं इस सरकार पर कि तत्कलालीन गृह मंत्री ने इस केस को दबाने की कोशिश की। इतना ही नहीं दौसा के जो डीवाई० एस० पी० थे उनको राष्ट्रपति पदक मिला। मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि यहां के एडीशनल एस० पी० श्री पटवारी, जो पंजाब और गंगानगर गये, का क्या हुआ ? आज, अध्यक्ष महोदय, चार महीने होने को आये अभी तक उन भयंकर हत्यारों को पुलिस पकड़ नहीं सकी और हत्यारे वहां से भाग निकले। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हत्या जैसे संगीन मामलों में अभी तक किसी प्रकार की कोई पूरी कार्यवाही नहीं हो सकी है, हत्यारे अभी तक नहीं पकड़े जा सके इसका क्या कारण है ? जिन लोगों को पकड़ना चाहिये था और जिन लोगों पर शक था उनको अभी तक नहीं पकड़े जाने का सरकार के पास क्या जवाब है ? अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगी, क्या कारण है कि अभी तक मुलजिमान को नहीं पकड़ा जा सका है ? मेरा निवेदन है कि उन हत्यारों को जल्दी से जल्दी से पकड़ा जाये। अगर उन हत्यारों को जल्दी से जल्दी नहीं पकड़ा गया तो इसके बहुत ही दुष्परिणाम होंगे। मैं बताना चाहूंगी कि आज दौसा की जनता में कितना आतंक व्याप्त है। यहीं नहीं, दौसा में इसके बाद कई हत्यायें हो चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में इस स्थगन प्रस्ताव के जरिये कहना चाहूंगी कि मैंने जो आरोप लगाये हैं यदि सरकार कहना चाहे कि यह आरोप गलत हैं तो बेहतर होगा कि आप खड़े होकर बतायें, मुझे जवाब दीजिए कि इस केस में कहां तक तफतीश की गई है। किन किन पर शंका की गयी, किन किन को पकड़ा गया और पुलिस इसमें क्या कर रही है। यदि इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो मैं निश्चय पूर्वक, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार से कहना चाहूंगी कि जान-बूझकर यह साजिश है, सरकार इस केस के हत्यारों को पकड़ना नहीं चाहती और मुझे शक है कि आप इस पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी जवाब देने को खड़े हो गए, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी लगे हाथों कि वह पत्र जो आपके पास आया है आपकी फाइल में है या नहीं ? यदि नहीं है, तो क्यों नहीं है और कहां है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस केस के अन्दर सरकार की तरफ से, डिपार्टमेन्ट की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। अब तक की प्रोग्रेस-जो केस की इन्वेस्टीगेशन की थी उससे संक्षेप रूप में मैंने अवगत कराने की चेष्टा की है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

इसके जितने पहलू हो सकते थे, जो जो बातें सामने आईं, सभी पहलुओं, प्रोफेशनल राइवलरी, फैमिली डिस्प्यूट कईचीजें थीं, पर सब एंगल को सामने रखकर इस केस का इन्वेस्टीगेट किया जा रहा है और पुलिस तफतीश में लगी हुई है। माननीय सदस्या ने आरोप लगाया है कि इसमें लापरवाही बरती जा रही है। कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही। स्पेशल टीम कान्स्टीट्यूट कर दी गयी है इसके लिए जो कि इस केस को इन्वेस्टीगेट कर रही हैं। हर पहलू को ध्यान में रख कर, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्वेस्टीगेट कर रही है। हम चिन्तित हैं और पता लगाने की सरकार पूरी चेष्टा कर रही है इस केस के अन्दर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बड़ा इम्पार्टेन्ट प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्या ने एक बात कही है कि भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्रीजी का एक पत्र वहां की स्थानीय पुलिस को मिला है कि अमुक व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाये। क्या यह बात सही है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में विपक्ष के माननीय नेता को अवगत करा दूंगा। मैंने पत्रावली नहीं देखी है कि क्या पत्र है। इन्वेस्टीगेशन की फाइल, चाहे वह इम्पार्टेन्ट हो, मेरी जानकारी में नहीं है इस समय, लेकिन मैं आपको अवगत करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं इस पर प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नाथूसिंह : मन्त्री महोदय की सूचना के लिए जानकारी देना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अलग से दे दें सूचना, माननीय सदस्य। इस पर चर्चा नहीं होगी। समय का अभाव है।

श्री गोपाल पचेरवाल, श्री नाथूसिंह, श्री यदुनाथ सिंह मलेरिया विभाग की जीप....

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर प्लीज। मैं इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायें।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, दौसा में ऐसा आतंक फैला हुआ है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, चर्चा काफी हो गयी है। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया सहयोग दें। आर्डर प्लीज....

श्री रामकिशोर मीणा :....ऐसे महत्वपूर्ण मामले में....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया बैठ जायें। सभी पक्ष आ गये। मैं माननीय सदस्यों को इजाजत नहीं दे सकता। यथासम्भव आप जानते हैं जो भी तथ्य लाने होते हैं तो मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करता हूं, समय भी बढ़ाता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है....

श्री रामकिशोर मीणा : एक मिनट में कह दूंगा, अध्यक्ष महोदय।

मैं यह कह रहा हूं कि दौसा सब-डिवीजन के अन्दर अब तक ऐसी घटनायें नहीं हुई थीं लेकिन इस घटना के बाद 5 मौतें हो चुकी हैं। गत 30 अगस्त को, अध्यक्ष महोदय, मेंहन्दीपुर के बालाजी से 3 फर्लांग आगे दो आदमियों को दिन के एक बजे पेड़ के नीचे रास्ते के बिलकुल 10 गज साइड में मृत पाया गया। उनके बारे में आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे मामले दिन प्रतिदिन इस क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं। यदि इस तरह से ऐसे मामलों को बहुत गहराई से और तत्परता से नहीं लेंगे तो यह क्षेत्र आतंक का क्षेत्र बन जायगा। किसी भी भले आदमी का दिन में एक बजे मर्डर हो सकता है तो अन्दाजा लगा सकते हैं, अध्यक्ष महोदय, मेंहदीपुर के बालाजी जैसे स्थान, जो कि तीर्थ स्थान है और सब-डिवीजन बहुत छोटा है, कोई नहीं जायेगा। ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र नहीं है। तो, अध्यक्ष महोदय, इसको ज्यादा तत्परता से लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

अगला है मलेरिया विभाग की जीप के दुर्घटनाग्रस्त होने के सम्बन्ध में तीन माननीय सदस्यों का है। एक माननीय सदस्य कोई भी बोलना चाहें....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। एक।

श्री नाथूसिंह : एक ही निवेदन करेंगे। इस सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर दूं कि हम तीनों ने स्थगन प्रस्ताव दिया था हमें पहले तो सूचना होती नहीं है कि आज सरकार इस पर जवाब देगी और आज बोलने का अवसर देंगे आप। हम सारी फाइलें ला नहीं सकते। इसलिए आज के बजाय कल समय दे दें।

श्री अध्यक्ष : ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि रिजेक्ट होने के बाद अवसर दिया जाये। अव्वल तो बोलने का अवसर दिया नहीं जाता। माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए विशेष तौर से इस तरह का अवसर दे देते हैं। उस अवसर का यदि आप उपयोग करना चाहें तो स्वागत है। समय का अभाव है इसलिए मैं आपसे सहयोग चाहता हूं।

श्री नाथूसिंह : इसलिए ही तो आज के बजाय कल का समय दे दें, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : यह बिलकुल वाजिब बात है।

श्री अध्यक्ष : इस तरह से पोस्ट पोन नहीं किये जाते प्रश्न।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप एक मिनट विराजें तो कह दूं।

पिछली 5-6 तारीख से विधान सभा चल रही है। कुछ माननीय सदस्यों ने 6 तारीख को दिये स्थगन प्रस्ताव और एब्रप्टली आज फर्माया आपने कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। आज 13 तारीख है....

श्री अध्यक्ष : हमारे पास उत्तर आया उस दिन रिजेक्ट किया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह छूट मांगी तो कल दो मिनट के लिए बोलने दें तो बात बराबर हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आपकी बात मान ली।

सदन की मेज में रखे जाने वाले पत्र।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, किस सम्बन्ध में बोल रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा एक एक माननीय सदस्य को। आप चैम्बर में मिल लें मुझ से।

श्री दाऊदयाल जोशी : स्थगन प्रस्ताव के बारे में जानकारी मांगी है राज्य सरकार से। मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया वह तारीख 7 को स्थगन प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष : यह सब मुझे जुबानी याद नहीं रह सकता। आपको यदि कोई कठिनाई है तो आप मुझे चैम्बर में मिलने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, इस पर चर्चा नहीं होगी।

राजस्थान विश्वविद्यालय के घोषित परीक्षा परिणामों में अनियमितताओं के सम्बन्ध में दो मिनट का समय—श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में इसलिए सूचना दी है कि इस समय तक सभी परीक्षाओं के परिणाम राजस्थान विश्वविद्यालय ने घोषित नहीं किये हैं। अध्यक्ष महोदय, जो परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, अभी तक प्रथम वर्ष विज्ञान का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है और किसी का भी परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है। उसमें भी जितनी हेराफेरी हुई है, अध्यक्ष महोदय, जितनी ज्यादती विद्यार्थियों के साथ हुई है शायद आज तक राजस्थान में क्या हिन्दुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं हुई होगी। अध्यक्ष महोदय, प्रायोगिक परीक्षा छात्र-छात्राओं ने दी, मैं एक उदाहरण देकर निवेदन करना हूं, कानोड़िया कालेज की छात्राओं ने प्रेक्टिकल की परीक्षा दी उसमें उन सब को अनुपस्थित बताकर सब को अनुत्तीर्ण कर दिया गया। जबकि सबने परीक्षा दी और उनमें अधिकतर पास हैं किन्तु उनके अंक जुड़ने से रह गये हैं। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, दो माह हो चुके हैं परीक्षा हुए लेकिन विश्वविद्यालय ने नयी प्रणाली शुरू की है कम्प्यूटर प्रणाली। उस कम्प्यूटर प्रणाली को 1957 में भी शुरू किया गया था, जब मैं वहां पर रेगुलर छात्र था। उस समय सिन्डीकेट में इस पर विचार हुआ, सीनेट में इस पर विचार हुआ और उस समय इसको असफल घोषित कर दिया गया। आज भी कम्प्यूटर प्रणाली सक्सेसफुल नहीं है....

श्री अध्यक्ष : कम्प्यूटर प्रणाली में आपको भी असफल घोषित कर दिया गया क्या ?

श्री नाथूसिंह : नहीं, नहीं । इस कम्प्यूटर सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया । मैं तो असफल नहीं हुआ, सफल हुआ था लेकिन अब यह सारा कबाड़ा फिर शुरू हुआ है । मेरे पास मार्क्स शीट है उसमें प्रेक्टिकल के नम्बर नहीं दिये हैं । उस विद्यार्थी को अनुपस्थित बताकर उसमें कोई नम्बर नहीं दिये और उसको अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया है । यह मार्क्स शीट है मेरे पास । प्रथम वर्ष विज्ञान के छात्र श्री अब्दुलतवव खान की है । बायोलाजी की प्रेक्टिकल परीक्षा में मार्क्स के कालम को खाली छोड़ रखा है, ब्लेंक और उसको अनुत्तीर्ण घोषित किया है । इस तरह से एक नहीं कई केसेज हैं । अध्यक्ष महोदय, यह इसलिए हुआ कि वहां कम्प्यूटर प्रणाली चालू की गयी । मैं यह आपकी अनुमति से सदन की मेज पर रखना चाहता हूं । इस तरह की एक मार्क शीट नहीं बहुत हैं । कइयों में तो नाम है केवल और नीचे अंक नहीं हैं उसकी जगह खाली है और मार्क्स शीट जारी कर दी । अंक लगे हुए हैं तो नाम नहीं है और मार्क्स शीट जारी कर दी, रोल नम्बर और नाम नहीं हैं । इस तरह धाधंली हो रही है । राजस्थान विश्वविद्यालय पर ओवर ड्राफ्ट बहुत ज्यादा है उसके बावजूद सारे नियमों को ताक में रख कर रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई । उस रजिस्ट्रार की नियुक्ति की रिटायर होने के बाद, अध्यक्ष महोदय, 2500 रुपया महीना वे रजिस्ट्रार ले रहे हैं और पेन्शन भी ले रहे हैं । राजस्थान विश्व विद्यालय से पेन्शन भी ले रहे हैं और 2500 रुपये महीना भी ले रहे हैं । यही नहीं, मि० काशी प्रसाद जोशी····

श्री अध्यक्ष : यह सब विषय आप कैसे ले रहे हैं ? कम्प्यूटर से क्या सम्बन्ध है ?

श्री नाथूसिंह : दिल्ली में इस रजिस्ट्रार महोदय के रिश्तेदार हैं····

श्री अध्यक्ष : इसका कोई सम्बन्ध नहीं ।

श्री नाथूसिंह : सम्बन्ध है । सम्बन्ध इसलिये है अगर कम्प्यूटर से काम नहीं करवाते तो इतनी अनियमिततायें विश्व विद्यालय में नहीं होतीं । एक इन्दौर में इनके रिश्तेदार हैं जिनको इन्होंने टेन्डर के··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, व्यक्तिगत मसले इस तरह से नहीं उठायें । कम्प्यूटर प्रणाली के बारे में कह सकते हैं । दो मिनट का समय है ।

श्री नाथूसिंह : आधे मिनट में ही समाप्त करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कम्प्यूटर बिना टेन्डर के इनसे लिये····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । टेन्डर का कम्प्यूटर से क्या सम्बन्ध है । आर्डर प्लीज । यह कहिये कि कम्प्यूटर चलाने वाले और आपरेट करने वाले जो हैं उन्होंने देखभाल नहीं की ।

श्री नाथूसिंह : जो आदेश दिये हैं इस वर्ष का परिणाम घोषित करने के वह परीक्षा परिणाम सारा गलत घोषित हुआ है । इसलिये कह रहा हूं । इतना ओवर ड्राफ्ट है । कर्मचारी उतने के उतने हैं । कम्प्यूटर लगे दो महीने हो गये । कम्प्यूटर

(श्री नाथूसिंह)

प्रणाली इसलिये लागू की जाती है कि परिणाम जल्दी घोषित किये जायें। कर्मचारी कम नहीं किये, आज तक कम्प्यूटर भी चालू नहीं हुआ। दो महीने हो गये। विधि की परीक्षाओं की फर्स्ट ईयर व सैकण्ड ईयर की तिथियां घोषित नहीं हुई। कौन सा महीना आ गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्रार तीन हजार रुपया....

श्री अध्यक्ष : अलग विषय है, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : इसलिये अनियमिततायें हो रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज विश्व विद्यालय की स्थिति यह है कि एक सरकारी विभाग मात्र रह गया है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। समय समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : विश्वविद्यालय की गरिमा इसलिये समाप्त हो गई शिक्षा मंत्री ने अपने चहेते को, रिटायर कर्मचारी को....

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न, माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। अलग प्रश्न, माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर...

श्री नाथूसिंह : अनियमितताओं के बारे में चाहता हूं सरकार कुछ देखे, वहां पर जो अनियमिततायें हो रही हैं उनको रोके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज रखे जाने वाले....

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। एक मिनट।

राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बन्धित लोगों का भविष्य अन्धकार में है। न तो कोई आगे प्रवेश ले सकता है, न उनकी परीक्षायें हो रही हैं। जो परीक्षायें हुई हैं उनके परिणाम अन्धकार में हैं। कितना खर्च होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं इस पर आपसे व्यवस्था चाहता हूं। यह इतना गम्भीर मामला है कि राजस्थान कहीं आन्ध्र न बन जाये। बड़ा गम्भीर मामला है। अंक तालिकायें खाली हैं। जिन्होंने परीक्षा दे रखी है उनको अनुपस्थित बता रखा है। प्रिन्सीपल ने लिख कर दिया है विश्वविद्यालय नहीं मान रहा है। ऐसी स्थिति में आप बतायें, क्या किया जाये। संघर्ष के सिवाय कौन सा रास्ता निकलता है, माननीय अध्यक्ष महोदय। आपसे निवेदन करूंगा शिक्षा मंत्रीजी से वक्तव्य दिलायें। विश्व विद्यालय में इतना घोटाला है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, कम्प्यूटर बिलकुल फेल हो चुका है। जो रजिस्ट्रार महोदय हैं उनके द्वारा विश्वविद्यालय में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जो यहां की इक्लेटेड बाडी है, सीनेट की मीटिंग साल में एक एक बार होती है आखिर निर्णय कौन करेगा। विश्व विद्यालय कौन चलायेगा। सीनेट की मीटिंग नहीं होती। ऐसी स्थिति में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जरूर निर्णय करें कि

(श्री हरीश शर्मा)

शिक्षा मन्त्रीजी स्टेटमेंट दें। इतना ही कहना है।

संदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। राजस्व मन्त्री जी।

अधिसूचना

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 1953 की धारा 55 (4) के अन्तर्गत राजस्व (ग्रुप-4) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 1 (7) राज/ग्रुप 4/81/12 दिनांक 25 फरवरी,-1982, जिसके द्वारा राजस्थान भूमि अर्जन नियम, 1956 में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं,

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष : कृषि मन्त्री जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री राजकीय उपक्रम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा 3 के भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वर्ष 1980-81 के लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : उप-निवेशन राज्य मन्त्री जी।

अधिसूचना

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 29 के अन्तर्गत उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 4 (21) राज/उप 79/पोटी, दिनांक 6 अगस्त, 1982, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन परियोजना क्षेत्र ईंट भट्टा (पट्टे) शर्तें, 1966 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, उपनिवेशन मंत्रीजी भी नहीं आते हैं कृषि मंत्रीजी भी नहीं आती हैं।

श्री अध्यक्ष : आज छुट्टी लेकर गये हैं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर नगरपरिषद् के सफाई कर्मचारियों द्वारा 27.8.82 से आम हड़ताल

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री गोपाल पचेरवाल, सुश्री पुष्पा जैन मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगी। आज समय का अभाव है इसलिये समय का ध्यान रखें।

सुश्री पुष्पा जैन।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : किस मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं बैठा हूं।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत जयपुर नगर परिषद् के सफाई कर्मचारियों द्वारा 27 अगस्त, 1982 से आम हड़ताल करने से उत्पन्न स्थिति की ओर मैं स्वायत्त शासन मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

(1.28 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदया, आपका तो नाम भी इसमें नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे अनुमति मिल गई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जैसा सभापति महोदया आदेश देंगी, उसका पालन करूंगा।

श्री सभापति : आप वक्तव्य दे दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं भी यही कह रहा हूं।

सभापति महोदया, जयपुर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों द्वारा दिनांक 27-2-82 से की जा रही हड़ताल के सम्बन्ध में निवेदन है कि सफाई कर्मचारियों की प्रायः सभी मांगें राजस्थान मेहतर मजदूर संघ से हुए समझौते दिनांक 25-6-82 के अनुसार पूरी की जा चुकी हैं।

जयपुर नगर परिषद के सफाई कर्मचारी हड़ताल करने के आदी हो गये हैं और प्रत्येक मुख्य त्योहार, राजस्थान विधान सभा सत्र एवं अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर हड़ताल पर जाने की धमकी देते रहे हैं और पूर्व में उन्होंने कई हड़तालें भी की हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

11-6-80 से 10-7-80 तक—30 दिन

11-1-81 से 13-2-81 तक—34 दिन

(1) दिनांक 22-9-82 को दीपावली के पूर्व हड़ताल का 21 दिन का एक नोटिस दिया गया परन्तु दिनांक 12-10-81 को नगरपरिषद के समझौता वार्ता करके हड़ताल के प्रयास को विफल कर दिया।

(2) दिनांक 26-11-81 को पुनः हड़ताल की धमकी देने पर उसी दिन वार्ता करके हड़ताल के प्रयास को रोक दिया गया।

(3) पुनः दिनांक 12-1-82 को इनके द्वारा हड़ताल का नोटिस दिया गया। परन्तु प्रशासक महोदय ने वार्ता करके इनको हड़ताल पर नहीं जाने दिया।

(4) दिनांक 11-6-82 को पुनः हड़ताल का नोटिस दिया और दिनांक 23 व 24 को हड़ताल की। जिस पर पुनः प्रशासक महोदय द्वारा दिनांक 25-6-82 को समझौता कर हड़ताल समाप्त कराई।

(5) इसके पश्चात दिनांक 26-7-82 को पुनः आन्दोलन का नोटिस दिया गया तथा दिनांक 27-8-82 से हड़ताल पर चले गये।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

दिनांक 27-8-82 से की जा रही हड़ताल गैर कानूनी है क्योंकि राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अधिनियम, 1970 की धारा (3) (1) के अनुसार दिनांक 31-3-82 से स्थानीय प्राधिकारियों के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल को प्रतिषिद्ध घोषित किया हुआ है।

दिनांक 25-6-82 को हुए समझौते के अनुसार टेरीकोट की वर्दियों का वितरण शुरु कर दिया गया है और बरसातियां वितरण किये जाने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

नगर में हड़ताल के दौरान सफाई की दैनिक व्यवस्था सेवा भावी सफाई कर्मचारियों के सहयोग से नियमित रूप से की जा रही है। शहर में जहां पर भी गन्दगी इकट्ठी होती है वह हर सम्भव प्रयास करके हटा दी जाती है। नालियां व गटर लाइन की सफाई भी व्यवस्थित रूप से बनी हुई है। कतिपय स्थानों पर हड़ताली कर्मचारियों द्वारा मरे हुए जानवर डाले जाने व नालियों तथा गटर लाइनों में रुकावटें किये जाने के कारण आंशिक रूप से अव्यवस्था हो जाती है, जिसे तत्काल हर सम्भव प्रयास किया जाकर साफ कराये जाने की व्यवस्था की जाती है। अब तक कहीं से भी बीमारी फैलने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथा न ही कहीं किसी प्रकार की कोई संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका ही है।

जून, 80 से अब तक सफाई कर्मचारियों को 2 लम्बी हड़ताल प्रथम बार दिनांक 11-6-80 से 10-7-80 तक 30 दिन की तथा दूसरी बार दिनांक 11-1-81 से 13-2-81 तक 34 दिन की हुई जिनके सम्बन्ध में समझौते हुए एवं परिषद द्वारा उनकी पूर्ति की जा चुकी है।

इसके पश्चात राजस्थान मेहतर मजदूर संघ के साथ दि 12-10-81 व 12-1-81 को समझौते किये गये थे। उन समझौतों में दि. 11-6-80 व 11-1-81 की मांग के अलावा कई और मांगें भी रखीं जिनकी हर सम्भव प्रयास करके पूर्ति की गई है।

इसके अतिरिक्त दि. 11.6.82 को भी सफाई कर्मचारियों ने अपने पूर्व समझौते एवं प्रस्तुत मांगों की क्रियान्विति हेतु 16 दिवसीय आन्दोलन की सूचना दी जिस पर दि. 25.6.82 को दोनों ही पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझौता हुआ। उक्त सभी समझौते के समय अन्त में यह लिखित में तय किया हुआ है कि भविष्य में यदि कोई विवाद होगा तो दोनों ही पक्ष उसका निपटारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी बातचीत करके निपटारा कर लेंगे। परन्तु खेद है कि सफाई कर्मचारियों ने वर्तमान हड़ताल पर जाने से पूर्व प्रशासन के साथ किसी प्रकार से कोई आपसी वार्ता नहीं की और हड़ताल पर चले गये क्योंकि हड़ताल पर जाने से पूर्व हड़ताली कर्मचारियों के साथ दि. 25 6.82 को दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझौता हुआ था उसमें प्रायः सभी मांगों की पूर्ति की जा चुकी है। शेष मांगों में से टेरीकोट वर्दी पेन्ट का कपड़ा देना प्रारम्भ कर दिया गया है और सफाई कर्मचारियों को बरसाती वितरण किये जाने हेतु समस्त कार्यवाही कर दी गई।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मुझे खेद है, मंत्री महोदय, आपने जो वक्तव्य दिया, आपने इससे सारी गरीब जाति का मखौल उड़ाया है यह कह कर कि गरीबों को हड़ताल करने की आदत हो गई है। मुझे दुःख है, मन्त्री महोदय, आपकी इस भाषा पर। जनता जब आपके इस बयान को पढ़ेगी और सुनेगी तब धिक्कारेगी आप पर।

श्री भंवर लाल शर्मा : शर्म नहीं आ रही है, हंस रहे है।

सुश्री पुष्पा जैन : मुझे कहना पड़ेगा कि गरीबों की आदत नहीं हो गई है बल्कि आपको अपनी कुर्सी के जोम पर उनकी जायज मांगों को झुठलाने की आदत हो गई है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा, नगर परिषद इन गरीबों की मांगों को काफी लम्बे समय से ठुकरा रहा है। दो वर्षों में तीन बार सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई हैं। उनकी मांगों की पूर्ति करने के बारे में करार किया गया था लेकिन आपने क्या किया, यहां आकर यह बयान दे दिया कि फलां मांग पूरी कर दी, ढिकड़ी मांग पूरी कर दी। सभापति महोदया, मैं बताना चाहूंगी, अभी तक आपने उनकी कोई मांग पूरी नहीं की है। उनकी एक मांग है, 600 कर्मचारियों की भर्ती। आपने उनको निर्दयता से ठुकरा दिया। आपने कह दिया प्रपोर्सनेट तरीके से एरियावाइज हमने भर्ती कर रखी है। कौनसे तरीके से कर रखी है ? आपको मालूम है, राजस्थान की जनसंख्या कितनी तादाद में बढ़ चुकी है ? आप सन् 1971 की सैन्सस से सफाई कर्मचारियों से सफाई करवाना चाहते हो, नये कर्मचारियों की भर्ती नहीं करना चाहते हो। इतने लम्बे लम्बे एरिया एक एक स्वीपर को दे दिये गये कि वे उनको साफ नहीं कर सकते हैं। इसका नतीजा यह निकल रहा है कि सारा जयपुर आज सड़ रहा है। आपने कहा, कोई मलेरिया की शिकायत नहीं हुई है। मैं तो यह कहना चाहूंगी कि आपको भी यह बात कहने की आदत पड़ गई है कि मलेरिया की शिकायत नहीं आई। आज मलेरिया की बीमारी घर घर में फैली हुई है। घर घर में लोगों के फोड़े फुन्सी हो रही हैं, भयंकर रूप से मच्छर काटते हैं। अभी दो दिन पहले ही मैंने नगरपालिका को फोन किया है कि शहर में मच्छरों की भरमार हो रही है। मच्छरों को मारने के लिये न तो आपने कोई डी.डी.टी. का प्रावधान कर रखा है और न कुछ और कर रखा है। लिहाजा बीमारियां घर घर में फैली हुई हैं और आप कहते हैं कि मलेरिया की शिकायत नहीं हुई है। शिकायत होती किस तरह से है। आपने मालूम किया, शहर में क्या हालत है। जगह जगह गन्दगी के ढेर लग रहे हैं और आप बयान देते हैं कि कांग्रेस सेवा दल के लोग सफाई करेंगे। बहुत खूब! आप आरोप लगाते हैं हम पर कि हम राजनैतिक फायदा उठाना चाहते हैं, किन्तु हो यह रहा है कि आप हड़ताल करवा कर राजनैतिक फायदा उठा रहे हैं। आप कहते हैं कि कांग्रेस सेवा दल के लोग सफाई करेंगे। मुझे बतायें, कौनसे मोहल्ले में आपके सेवा दल के लोगों ने सफाई की है ? आप नई भर्ती की धमकी देते हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि सफाई के लिये नई भर्ती आप कब करेंगे ? पिछले लम्बे अर्से से हड़तालें हो रही हैं और हमेशा धमकियां दे दी

(सुश्री पुष्पा जैन)

जाती है लेकिन आपको मालूम है अन्त में नतीजा क्या निकलता है। नई भर्ती हम कर नहीं पाते है और परिणाम स्वरूप हमें पुराने कर्मचारियों से ही सफाई का काम चलाना पड़ता है। जब पुराने कर्मचारियों से काम कराना पड़ता है तो फिर बेफिजूल धमकी क्यों ? क्यों नहीं आप उनको बुला कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता करते हैं? क्यों नहीं हड़ताल को खतम कराने का कोई कारगर कदम उठाते है ? आपने सफाई कर्मचारियों के नेताओं को बन्द कर दिया। उसके बावजूद आपने क्या किया, उनके बच्चों पर और उनकी औरतों पर अत्याचार किये ताकि आतंकित होकर हड़ताल वापस ले लें, अपनी जायज मांगों को वापस ले लें। यह कौनसा तरीका अख्तियार किया है आपने हड़ताल को दबाने का ? हड़ताल उन्होंने और किसी कारण से नहीं की है, हड़ताल कोई राजनैतिक फायदा उठाने के लिये नहीं की है, हड़ताल की है गरीबों ने अपने पेट की मजदूरी के लिये। आप उनके पेट पर लात मार कर कहना चाहते हैं कि गरीबों को हड़ताल करने की आदत हो गई है। धिक्कार है, आपके इस बयान पर।

सभापति महोदया, आज सारा शहर सड़ रहा है। उनकी मांग है, 6000 कर्मचारियों की भर्ती की जाय। वे पिछली तीन हड़तालों से बार बार कह रहे हैं किन्तु इन्होंने उनकी कोई मांग नहीं मानी तो फिर हड़ताल की है। एक वर्दी धुलाने की बात थी। वह मांग भी आपने पूरी नहीं की। एक उनकी मांग थी कि हरिजनों की बस्ती में नल लगवा दिया जाय। क्या वह मांग उनकी पूरी हुई ? क्या यह उनकी जबर्दस्ती की मांग है ? आप पानी भी नहीं पिलाना चाहते है उनको ? क्या गरीबों को पानी पीने का अधिकार भी नहीं देना चाहते है ? आप चाहते क्या हैं ? कुर्सी पर बैठ कर आप उनके सारे अधिकार लेना चाहते हैं। एक तरफ आप स्वयं पांच स्टार वाले होटल में ठहरना चाहते हैं, आप सब तरह की सुख-सुविधायें और सहूलियतें चाहते हैं, दूसरी तरफ गरीबों को पानी भी नहीं पिलाना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि उनकी हड़ताल करने की आदत हो गई है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप स्पष्टीकरण मांग लीजिये।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि गरीबों को तो हड़ताल करने की आदत है नहीं किन्तु आपको वहां बैठकर हंसने की आदत हो गई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : और आपको गुस्से में बोलने की आदत हो गई है।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : हमको तो गुस्सा दिखाना भी पड़ेगा और करना पड़ेगा। बहुत कुछ करना पड़ेगा, सभापति महोदय, सावधान रहिये।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : आपका यह पेट छोटा हो जाएगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको तो और भी कुछ कहना चाहिये ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह कसर आप पूरी कर देना ।

श्री भैंरों सिंह शेखावत : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से एक जानकारी करना चाहूंगा । मन्त्री बनने से पहले क्या वे सफाई कर्मचारी के नेता नहीं थे और क्या उन्होंने कई बार हड़ताल नहीं करवाई ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, वैसे तो मैं उत्तर देता उसी समय लेकिने विपक्ष के नेता महोदय ने स्वयं खड़े होकर पूछा है तो मैं निवेदन कर देता हूं कि सफाई कर्मकार कांग्रेस (आई) के साथ थे, कांग्रेस (आई) के साथ हैं इसके परिणाम स्वरूप आज जयपुर शहर में सफाई की समुचित व्यवस्था है । मैंने कभी कोई हड़ताल नहीं करवाई है मैंने इतना जरूर किया था कि जब कभी हड़ताल हुई है तब उनको समझा कर हड़ताल तुड़वाई है ।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय, इसको पालिटिकलाइज करने की क्रिया न करें । वैसे ही औरतें झाड़ुओं से लड़ रही हैं ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : सभापति महोदया, माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि जयपुर का सफाई कर्मचारी कांग्रेस (आई) के साथ है इसीलिए मन्त्रीजी रोजाना उनकी महिलाओं के पुलिस से डण्डे लगवा रहे हैं । क्योंकि इन्दिरा गांधी के साथ हैं इसीलिए उनके घरों में जा जाकर पुलिस अत्याचार कर रही है । मन्त्री जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं । बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जब प्रभाकर जी मन्त्री थे तब इन्होंने रुपये दे देकर करवायी । हड़ताल, आन्दोलन चलाने के लिए इन्होंने पैसे दिये । पहाड़िया जी को फेल करने के लिए श्रीराम गोटेवाला ने उनको चन्दा दिया हजार हजार रुपये कि हड़ताल करें । मैं आरोप लगाता हूं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : शेम शेम की आदत ठीक है आपकी, यह ठीक रहता है ।

सुश्री पुष्प जैन : सभापति महोदया, मुझे बड़ी खुसी हुई सुन कर, आपने कहा कि भंगी तो सारे श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ हैं । इसीलिए शायद उनके नेता ने उनकी माला पहनने से इन्कार कर दिया, नीचे तक नहीं गये आप । वह 101 माला लेकर आये थे आपके लिए, कोई जूते लेकर नहीं आये थे । क्यों इन्कार किया आपने ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह जूते इंतजार कहीं आपके लिए तो नहीं कर रहे थे । हमारे लिए तो माला ही लेकर आये थे ।

सुश्री पुष्पा जैन : यह तो आपके ही भंगी थे । आप स्वयं इकबाल कर रहे हैं कि वह हमारे साथ हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसीलिए हमारे लिए माला लेकर आये थे ।

श्री गोपाल पचेरवाल : आपके आदमी थे तो आप बाहर जाकर देखते, माला गले में पड़ती या जूते पड़ते। बाहर तो जाते आप और आपके मुख्य मन्त्री।

श्री शिवराम शर्मा : बार बार आप हड़ताला करवा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : वह श्रीराम गोटेवाला....

श्री सभापति : माननीय सदस्या, जिनका नाम पुकारा जाय कृपया वही बोलें। जिनका नाम लिस्ट में नहीं है वह कृपया न बोलें। माननीय मन्त्री महोदय जवाब देने में सक्षम हैं, उनको देने दें।

श्री गोपाल पचेरवाल : यह हड़ताल करवाने में माहिर हैं। उत्तर देने में शिव राम जी मदद कर रहे हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदया, आपकी मार्फत मैं आरोप लगाना चाहूंगी कि आप हड़ताल को कुचलने के लिए राजनीति का सहारा ले रहे हैं, उनमें फूट डाल रहे हैं, उन्हें आतंकित कर रहे हैं, डरा रहे हैं। जो लोग हड़ताल के दौरान जेल में गये, उनकी महिलाओं और बच्चों को आतंकित किया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है। सभापति महोदया, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर जो बातें मैंने कही, उनका मैं स्पष्टीकरण चाहूंगी और चाहूंगी, मन्त्री, महोदय, आप अपनी लचर दलीलें देने की आदत को त्याग कर सही तथ्यों के आधार पर यहां बयान दें।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं भी।

श्री सभापति : जी हां। दो मिनट।

श्री गोपाल पचेरवाल : दो मिनट।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्री जी ने बड़ा तथ्यपूर्ण अपना वक्तव्य दिया है। मैं यह तो नहीं कहता कि मन्त्री जी के वक्तव्य में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मन्त्री जी कह रहे थे, हरिजन हड़ताल के आदी हो गये हैं। सही बात है, आदी हो गये हैं। लेकिन आदत किसने डाली, यह कहना भूल गये वह। जगन्नाथ जी पहाड़िया जब राजस्थान के मुख्य मन्त्री थे और श्रीराम जी गोटेवाला मात्र विधायक थे तब इन्होंने प्रभाकर जी को फेल करने के लिए ज्यों ही पहाड़िया जी ने शपथ ली तो शपथ लेते ही यह वहां गये। इन्होंने हड़ताल करवायी, उनको चन्दा दिया और आन्दोलन में इन्होंने और मैंने बराबर मदद की। इन्होंने पैसा दिया और मैंने शारीरिक योगदान दिया और बुद्धि का उपयोग किया। पैसा इनका था हड़ताल और आन्दोलन चलाने के लिए....

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : बड़ा सीरिअस चार्ज है।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, मैं एक बात कहता हूं मैंने......

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य के अधिकारों का हनन हो रहा है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री गोपाल पचेरवाल : हम लोगों ने साथ काम किया उस हड़ताल को चलाने में । यह सत्य कह रहे हैं या मैं सत्य कह रहा हूं, यह उनसे जानकारी कर लीजिये जिन्होंने हड़ताल की । दोनों साथ थे । पहाड़िया जी के खिलाफ आन्दोलन चलाने में इनका हाथ था और हम दोनों ने साथ काम किया है और समझौते में हम दोनों शामिल थे । हमने........

श्री भैरों सिंह शेखावत : एक बात बताइये । यह पैसा कांग्रेस पार्टी से दिया या इन्होंने अपनी जेब से दिया ?

श्री गोपाल पचेरवाल इस बात का जवाब तो यही दे सकते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, मैं अधिकृत रूप से कहता हूं, मैंने कभी इनको टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया....

श्री गोपाल पचेरवाल : आप नहीं कह सकते ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सभापति महोदय, मैं कभी ऐसा काम नहीं सकता हूं । विपक्ष के नेता महोदय भी इनके कहने में आ जाते हैं कि पैसा कांग्रेस पार्टी ने दिया या व्यक्तिगत दिया । यहां कहीं पैसा देने की........

श्री गोपाल पचेरवाल : यह सारा पैसा था जो........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात सही है इनको टूल नहीं बनाया किन्तु मंगियों ने आपको अपना टूल बनाया ।

श्री सभापति : आप स्पष्टीकरण के समय जवाब दें ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप विरोधी दल के नेता से भी बात हो जाने दें ।

श्री सभापति : आप विरोधी दल के नेता को भी जवाब दे दें ।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्री जी ने एक बात अपनी....

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप उनके लाल गुरु हो ।

श्री गोपाल पचेरवाल : इन्होंने एक बात कही है कि हरिजन हमारे साथ है और इन्दिरा गांधी के साथ हैं । मैं मन्त्री महोदय से एक निवेदन बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं और सदन से भी कहना चाहता हूं कि जिस दिन हरिजन इन्दिरा 'गांधी जिन्दाबाद' का नारा लगाते

(श्री गोपाल पचेरवाल)

हुए आपके मुख्य मंत्री जी को माला पहनाते आये तो आपने जाने से मना क्यों कर दिया उनके बीच में। इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद' का नारा लगाते हुए जब आपके पास आये थे तो वह तो यह कहने आये थे कि आपके नगर परिषद् का प्रशासक जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहा है। जनता के पैसे का दुरुपयोग इस प्रकार कर रहा है कि सौ आदमी काम कर रहे हैं और डेड़ हजार को लिस्ट में डिक्लेयर कर रहा है। अखबार में 1800 आदमी काम कर रहे हैं। कहां हैं डेली वेजेज के 1800 आदमी ? अखबारों में अनाप-शनाप स्टेटमेन्ट दिये जा रहे हैं, विज्ञप्तियां दी जा रही हैं, दो दो पेज के विज्ञापन छप रहे हैं। वह सारा जनता का पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रशासक जी का स्टेटमेन्ट आया, हमने 200 क्विंटल या टन कचरा उठा दिया। क्या श्रीराम के कांटे पर तौल कर उठाया गया था ? कहां कचरा फेंक दिया है फर्जी ? मैंने इनके सामने मुख्य मन्त्री से कहा कि अगर 1800 आदमी जयपुर की सड़क पर काम कर रहे हैं तो, गोटेवाला जी, आप मेरे साथ चलिये और लाइन लगाकर गिना दीजिए कि 1800 आदमी कहां काम कर रहे हैं। आपने 200 टन कचरा कहां से उठाया....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बताऊं। कहां कर रहे हैं। वह इसी प्रकार से काम कर रहे हैं जैसे बाढ़ में मिट्टी उठायी थी, उसी प्रकार से शहर में 1800 आदमी सफाई कर रहे हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सभापति महोदय, इन्होंने एक बात अभी और कही थी....

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : इनके घर बैठे रहते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न डालें।

श्री यदुनाथ सिंह : इनके घरों पर हरिजन बैठे रहते हैं, माननीय सभापति महोदय, 25-25।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को अपनी बात समाप्त करने का अवसर दें।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने एक बात कही, हमने इनको बरसाती कोट देने की कार्यवाही शुरू कर दी है। अपने स्टेटमेन्ट में मन्त्री महोदय ने कहा कि समझौता जून, 1982 में हुआ। बरसात कब से चालू होती है और कब समाप्त होती है और बरसाती कोट की जरूरत कब होती है ? माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने जब बात हुई तो इन्होंने कहा, सारी मांगें मैंने दे दीं तो हमने डिमाण्ड चार्ट दिया। इन्होंने कहा, वर्दी दी जायेगी, बरसाती कोट दिये जायेंगे। कब दिये जायेंगे ? अक्टूबर नवम्बर में, जब सर्दी आ जायेगी। मन्त्री जी सर्दी की गरम वर्दी जून में देंगे। यह क्या है ? यह कहते हैं, हड़ताल गैरकानूनी है। माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करता हूं कि यह दो समझौतों की कापी मेरे पास है। क्या समझौता लागू कर

(श्री गोपाल पचेरवाल)

दिया ? वर्दी समझौते में थी। उसमें बरसाती कोट की व्यवस्था थी। क्या आपने वर्दी उनको दे दी ? आपने वर्दी दी है अभी चार दिन पहले, जो 100 आदमी काम कर रहे हैं उनको आपने दी। आपकी सफाई मजदूर कांग्रेस के नाम से आपने समझौता किया, जिसके पास 10 आदमी नहीं हैं आज की तारीख में। संगठन किसके साथ है, मैम्बरशिप किसके साथ है, लीगल यूनियन किसकी है ? आप बता सकते हैं, सफाई मजदूर कांग्रेस राजस्थान ट्रेड यूनियन के पास रजिस्ट्रेशन है ? उसके पास अखिल भारतीय स्तर पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, न उसका हिसाब है, न ट्रेड यूनियन एक्ट के अनुसार उसको मेन्टेन किया जा रहा है। वह जेबी यूनियन हड़ताल को तोड़ने के लिए। बंसी लाल फ्रांसिस के नेतृत्व में जो यूनियन चल रही है, उसको समाप्त करने के लिए सरकार बोखला रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है आप एक संगठन को दबाने के लिए क्यों पुलिस का सहारा ले रहे हैं, गुंडों का सहारा ले रहे हैं ? नगरपरिषद के पैसों से सौ सौ रुपये में गुंडे रख कर 10 आदमियों की हाजिरी दिखायी जाती है और 10 आदमियों का एक हजार प्रतिदिन उन लोगों को पिटवाने के लिए काम में लिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, मन्त्री जी, मुख्य मंत्री जी के सामने भी मैंने आपसे कहा कि एक हजार, डेढ़ हजार आदमियों की लिस्ट बनायी जा रही है लेकिन सौ आदमी काम कर रहे हैं, बाकी पैसा आपकी और प्रशासक की जेब में जा रहा है। यह आरोप है इस सदन में।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं भंगियों की मांग के बारे में। वर्दी देंगे या नही देंगे, मैं नहीं जानता। आपके वोटर हैं, उन्होंने मांग की है कि हम जयपुर शहर की सफाई करना चाहते हैं, जयपुर की जनता की सेवा करना चाहते हैं, हमको फावड़ा और तगारी दीजिए गंदगी उठाने के लिए, कचरा उठाने के लिए। कौन सा अपराध किया ? आप जयपुर की जनता की भलाई नहीं करना चाहते, जयपुर की जनता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनसे दुश्मनी रखते हैं। क्योंकि यहां के अधिकांश मतदाता विरोधी पक्ष के हैं इसलिए उनसे बदला ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कचरा उठा कर शहर से बाहर फेंकना चाहते हैं, हमको तगारी, फावड़ा, झाड़ू और टोकरी दीजिए। यह उनकी मांग है। आप आये दिन चिल्लाते हैं और आपकी इन्दिरा गांधी चिल्लाती हैं, हरिजन उत्थान की बात करते हैं किन्तु आज आप उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नही कर रहे हैं। वह कहते हैं, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, हम लोग सफाई करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को समुचित शिक्षा नहीं मिलती, नगरपरिषद् से जो स्कूल चलाये जाते हैं उनके लिए मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, कम्पलसरी एजूकेशन की जिम्मेदारी नगरपरिषद् ले ले, यह उनकी मांग है। मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, उन्होने कहा कि नगरपरिषद् ने कचरे के लिए डिपो की व्यवस्था नहीं की है। इसमें उनका कौन सा लाभ है। नगरपरिषद् डिपो बनाता है, नगरपरिषद् जयपुर के सारे कचरे को एक

(श्री गोपाल पचेरवाल)

जगह इकट्ठा करवाती है, अपने ट्रैक्टर ट्राली से उठा कर उसे शहर के बाहर फिकवाती है । यह मांग मन्त्री महोदय को तत्काल स्वीकार करनी चाहिए जयपुर शहर को गंदगी से बचाने के लिए, जयपुर में सौन्दर्यकरण को बिगड़ने से बचाने के लिए । जयपुर की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते तो जयपुर शहर में डिपो बनाया जाना चाहिए ताकि सारे शहर की गन्दगी एक जगह इकट्ठी हो जाय और सफाई कर्मचारी उसको उठा कर बाहर फेंक दें । इसमें उनको क्या मिलने वाला है । वे जनता की सेवा करना चाहते हैं । वे आपकी तरह से नहीं है कि जनता से वोट लेकर जनता के साथ बदले की भावना से काम करें । इस तरह से वे करना नहीं चाहते । वे काम करना चाहते हैं । नगरपरिषद् उनको तनख्वाह देती है काम करने का । सेवा करने का उनका अधिकार है उसका उपयोग करना चाहते हैं किन्तु ये डिपो नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि उसका बड़ा टेंडर नहीं निकलेगा, आपको और आपके प्रशासक को कमीशन नहीं मिलेगा । लाखों रुपयों का ठेका उसमें नहीं होगा इसलिए आप डिपो नहीं बनाना चाहते । मेरा आरोप है कि आप दोनों, प्रशासक और मन्त्री जनता के साथ धोखा कर रहे है । जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं, मन्त्रीजी, आप जवाब दीजिए, अस्थायी कर्मचारी आज की तारीख में कितने काम कर रहे हैं ? आप मुझे बताइये कि कितनी संख्या में काम कर रहे हैं ? दूसरा मेरा सवाल है कि कितना आपका स्टाफ पैटर्न है और कितना आपका स्टाफ है ? यह आप मुझे बता दीजिए । आप यह बताइये कि जयपुर की आबादी कितनी है और आपके सैट रूल्स के अनुसार कितने आदमी काम करने चाहिए ? ये सारी बातें आप बताइये ।

आपने उस दिन हमको कह दिया कि हमने कानूनी नोटिस नहीं दिया । मन्त्री महोदय होकर कितनी गैर जिम्मेदाराना बात करी, माननीय सभापति महोदया । मुख्य मन्त्रीजी के सामने हमारी बात हुई तो यह कहा कि कानूनी नोटिस नहीं दिया गया । मैं कहना चाहता हूं कि आपको याददास्त ठीक कर लें । आपके प्रशासक ने आपकी अयोग्यता को बनाए रखने के लिए आपको गुमराह किया था । आप अयोग्य हैं इसलिए आपको कहा था कि नोटिस नहीं दिया लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि 27 को नोटिस दिया । मांग पत्र पेश किया । इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग तो गैरजिम्मेदाराना बात करने के आदी हो गए हैं । माननीय सभापति महोदया, उन्होंने केवल 17 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल चलाई केवल इसलिए कि जनता को सड़ाना नहीं चाहते । जयपुर की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते । जयपुर की जनता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहते हैं जयपुर नगरपरिषद् के पैसे का पूरा ध्यान रखना चाहते हैं । जयपुर नगरपरिषद् की खून पसीने की कमाई का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, इस बात को लेकर जयपुर के सफाई कर्मचारियों ने 17 दिन तक क्रमिक भूख हड़ताल की । प्रशासक महोदय और मन्त्री महोदय, आपने

(श्री गोपाल पचेरवाल)

उनसे बात की ? आपने, आपके कमिश्नर ने या किसी आयुक्त ने, किसी ने भी 17 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल करने के बाद भी बात की ? क्या जवाब है आपके पास ? 17 दिन तक वे भूख हड़ताल पर बैठे रहे नगरपरिषद् के सामने, आपने उनको बुला कर बात करना मुनासिब नहीं समझा। आपके प्रशासक महोदय ने बात करना मुनासिब नहीं समझा। जब नहीं सुना तो फिर हड़ताल करनी पड़ी। आप कहते हैं कि गैर कानूनी हड़ताल है। आप देखते हैं, कि यह राज्य कर्मचारियों की हड़ताल नहीं है, यह बिजली मजदूरों की हड़ताल नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार में दम हो तो मेरी चुनौती है हड़ताल को कुचल दीजिए। देखते हैं आप कैसे कुचलते हैं। राजस्थान के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : आपको जानकारी मिली होगी कि कोटा में इस तरह का नोटिस दिया गया है क्लेक्टर को 24 घण्टे का घरना दे करके कि कोटा डिवीजन में भी, अगर जयपुर के सफाई कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश की गई तो....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में समाप्त करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : जयपुर में तो आपकी सरकार को नोटिस दिया है, कोटा डिवीजन के सफाई कर्मचारियों ने 24 घण्टे का घेरना दे करके अवगत कराया है सरकार को कि जयपुर के सफाई मजदूरों को कुचलने की कोशिश की गई तो राजस्थान का सफाई मजदूर आपकी दया पर जिन्दा रहने वाला नहीं है। श्री राम गोटेवालाजी, यह मैं आपको कह देना चाहता हूं।

मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूं। आप बड़े जोश खरोश में भाषण देते हैं। मेरे को पता है, आप जहां जाते हो वहां पर प्लाट बरसाते हो। हवाई जहाज से प्लाट बरसाने की आपकी बहुत अच्छी आदत है। ये सब गिराने की, उठाने की आपको आदत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह कान खोल कर खास तौर से सुन लें, मैंने आपको चिट्ठी लिखी उसका जवाब आपने आज तक नहीं दिया। मैंने आपके मुख्य मन्त्रीजी को चिट्ठी लिखी कि आपने जो एक बीस सूत्री कार्यक्रम बनाया है क्या वह हड़ताली कार्यक्रम है, एक हड़ताली वर्ष निकला है ? मैंने आपके गृह मन्त्री को टेलीफोन किया और मैंने कहा कि आपकी पुलिस के साथ गुण्डे जाकर हरिजन बस्ती में उनको मार रहे हैं, उन्होंने उनकी औरतों की पिटाई की है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, रिपीट नहीं करें। कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदया, यह सफाई मजदूरों का सवाल है जिसके लिए समय मिलना चाहिए। ये उनका शोषण करने वाले लोग हैं इसलिए यह बात मुझे कहनी पड़ेगी। उनके लिए

(श्री गोपाल पचेरवाल)

समय मिलना चाहिए, आपका न्याय मिलना चाहिए।

श्री सभापति : आप रिपीट नहीं करें। और कोई नई बात बतानी ही तो संक्षेप में वह कह दें।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं नई बात बता रहा हूं। माननीय मन्त्रीजी कह रहे थे कि हमारे दिल में हरिजनों के प्रति दर्द है।

(1·53)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप हरिजनों के प्रति हमदर्दी रखते हैं। मुख्य मन्त्रीजी को मैंने टेलीग्राम दिया। आपके मुख्य मन्त्री को मैंने लिखा, आपके डी. आई. जी. को टेलीफोन किया, आपके एस. पी. मीणा को टेलीफोन किया फिर भी आज स्थिति यह है कि आपकी पुलिस उनको बस्ती बस्ती जी जी करके मार रही है, उनकी औरतों पर डण्डे बरसा रही है। आप कहते हैं कि इन्दिरा गांधी हमारी प्रधान मन्त्री है और इन्दिरा गांधी में विश्वास रखने वाले हरिजन हमारे साथ हैं। क्या इसलिए हरिजनों पर डण्डे बरसाये जा रहे हैं कि वे इन्दिरा गांधी के वोटर हैं। हरिजन महिलाओं पर डण्डे इसलिए चला रही है पुलिस कि वह आपके साथ हैं। माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम आपकी तरह से जयपुर की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। आप जयपुर की जनता को राहत पहुंचाना चाहते हैं, जयपुर की जनता की सेवा करना चाहते है, जयपुर की जनता से बदला नहीं लेना चाहते आपके खिलाफ वोट डालने का, आप जयपुर के सफाई कर्मचारियों के प्रति हमदर्दी रखते हैं तो तत्काल सम्मान के साथ समझौता कीजिए और जिन लोगों की पिटाई हुई है, जिन महिलाओं के साथ ज्यादती की गई है, आज भी आपकी पुलिस का उतना जुल्म बरकरार है, आज भी आपकी पुलिस हरिजन बस्ती में जा जाकर भयंकर जुल्म कर रही है, उनको तंग कर रही है जितना इमरजेंसी में राजनीतिज्ञों के साथ किया गया था। क्या यह अच्छी बात है। अघोषित आपातकाल ला रहे हैं इससे। हरिजनों के साथ इस तरह का व्यवहार हो, हरिजन महिलाओं के ऊपर पुलिस डण्डे चलाये, यह बहुत शर्म की बात सरकार के लिये है। चाहे वहां कोई भी सरकार हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की सरकार हो, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के हरिजनों के लिये गांधीजी ने कहा था कि ये तो भगवान हैं। आप गांधी जयन्ती के दिन, 2 अक्टूबर को हरिजन बस्ती में जाकर पानी पीने का नाटक करते हो, गांधी जयन्ती पर गांधी की तस्वीर पर माला पहना कर आप समाजवाद और समाज के परिवर्तन की बात करते हो, आज उन लोगों के ऊपर पुलिस डण्डे चला रही है। आज गुण्डे शराब पीकर उन लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि आप मेरे साथ चलिये फायर ब्रिगड पर, मैं आपको शराब की बोतल बरामद कराता हूं। नगरपरिषद का प्रशासक आज भी नगरपरिषद के पैसों से गुण्डों को शराब पिलवा रहा है। मैंने

(श्री गोपाल पचेरवाल)

आपको चेलेंज किया था कि आप मेरे साथ चलिये, मैं आपको क्यों साहस नहीं हुआ, कारण बता दीजिए। इन सारी बातों का जवाब दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर उजला अरोड़ा।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा अपने स्टेटमेंट में कि हमने वर्दी देने की कार्यवाही शुरू कर दी है। कितनी वर्दी दी, किस को वर्दी दी, अपने उत्तर में बतायें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने शुरु में कहा कि हमने बरसाती दे दी। बरसाती देने का समझौता हुए छः महीने हो गए, बरसात निकल गई, बरसाती क्यों नहीं दी, इसका उत्तर दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो साबुन, तेल, जो प्रारम्भिक चीज हैं, जुलाई के बाद नहीं दी गई। उनके लिए भी सफाई कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़े, कितनी शर्म की बात है। वह गन्दा काम करके आयें, हाथ पांव नहीं धो सकें। उनको साबुन जिस तरह का दिया जाना चाहिए वह हमेशा दिया जाना चाहिए, न कि तीन महीने हड़ताल करें उसके बाद दिया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी बिजली दोनों का समझौता हुआ था, उनकी बस्तियों में पानी पहुंचाया जाएगा, बिजली लगाई जाएगी और सड़क बनाई जाएगी। मन्त्री महोदय उत्तर दें उन हरिजन बस्ती, जिनके लिये आप कहते हैं कि आपकी हैं, में क्या पानी बिजली की व्यवस्था इसलिये नहीं की? मन्त्री महोदय इसके बाबत उत्तर दें।

साथ ही माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगी कि जो आपने सफाई कर्मचारी भर्ती किये हैं वे भर्ती हुए हैं या जाली मस्टर रोल बनाये गये हैं। उस की जांच....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, सवाल कीजिए, प्रश्न कीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रश्न ही कर रही हूं। मैंने तो एक पर भी भाषण नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो भाषण दे रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप इसको भी भाषण कहेंगे तो....

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, जो वक्तव्य दिया है उस पर प्रश्न कीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसी पर पूछ रही हूं।

तो आपने कितने भर्ती किये है? जैसा कि कहा गया है, साढ़े नौ सौ भर्ती किये गये हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से छः सौ की तो डिमाण्ड की और आप कहते हैं कि साढ़े नौ सौ भर्ती कर लिए। 240 दिन के लिए आपने समझौता किया था, उनको आपने क्यों नहीं नियमित किया? इन सारे प्रश्नों का उत्तर दें। मंत्री महोदय, आपको इसको भी जानकारी है कि उनके पास फावड़े परातें नहीं है। उनके पास झाड़ू नहीं है, उनके पास गटर खोलने के डण्डे नहीं हैं। उनके पास मैला ढोने की गाड़ियां पूरी नहीं है। किस ढंग से आप सफाई

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

व्यवस्था करना चाहते हैं, उत्तर दें। मुझे यह भी उत्तर दें कि कमला, झमूल और धामा को अगर नगरपरिषद के कर्मचारियों ने नहीं पीटा जीप में जाकर तो उस जीप में कौन गये थे डण्डे और सरिये लेकर ? प्रशासक महोदय ने जिन्हें भेजा था वे लोग कौन थे, आपके × × × थे क्या ? उत्तर दें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये तो उनके ही × × × हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवराम शर्मा।

(व्यवधान)

प्रश्न कीजिए।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : इनका लेना देना क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, श्री शिवराम शर्मा के लिए जो उनके आगे के शब्द हैं वे तो मैं प्रयोग में नहीं लेता....

श्री उपाध्यक्ष : He has a right to say.

श्री दाऊदयाल जोशी : ....लेकिन उसके आगे कहते हैं कि मौसेरे भाई। एक सी ही स्थिति है इनकी। जिसके पीछे मौसेरे भाई कहते हैं, श्रीरामजी और ये तो भाई भाई हैं। तो ये मौसेरे भाई क्या बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : उनको राइट है।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो तीन साल के अन्दर जब से पहाड़ियाजी मुख्य मन्त्री बने हरिजनों ने अपनी हड़ताल की और जितनी उन्होंने डिमाण्ड रखी थी उससे ज्यादा सरकार ने उनकी मांगें मानीं और उनको सुविधा दी। भाइचारे का व्यवहार बनाया और जो डिमाण्ड की....

श्री गोपाल पचेरवाल : वह हरिजन मुख्य मन्त्री था, इसलिये ज्यादा मिला। आज हरिजन मुख्य मन्त्री नहीं हैं, आज हरिजन विरोधी मुख्य मन्त्री हैं।

श्री शिवराम शर्मा : इसलिये जब हरिजन भाइयों को सरकार ने और कांग्रेस के लोगों ने उनकी मांगों के अलावा दिलाया....

श्री गोपाल पचेरवाल : आपकी सरकार भाई होने का नाटक चला रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवराम शर्मा : तो हमारे विरोधी दल के भाई इसका नाजायज फायदा उठाने लगे। कांग्रेस ने इनको ज्यादा दे दिया इसलिए इन लोगों ने बार बार, दूसरे महीने हड़ताल कर दी। कोई डिमाण्ड रखें नहीं कोई डिमाण्ड करें नहीं, कोई नोटिस दें नहीं और हड़ताल कर दें। जब एक हड़ताल

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शिवराम शर्मा)

कर दी, फिर बाद में समझौता करने बैठे, फिर हड़ताल कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो म्युनिसिपैलिटी जनता से टैक्स के रूप में पैसा वसूल करती है, उससे हरिजन भाइयों की ज्यादा से ज्यादा मांग पूरी की। लेकिन बिना कोई नोटिस, बिना कोई बात आये दिन हड़ताल कर देते हैं, जिसके कारण जयपुर की जनता परेशानी भोग रही है। अगर गन्दगी का किसी को श्रेय है तो मैं तो....

श्री भंवर लाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर, साहब यह तो भाषण कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न कीजिए, प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइये। कोई बात सुनाई तो पड़ती नहीं है।

श्री शिवराम शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के वक्त में बिजली की व्यवस्था की थी। अब की दफा जो इन्होंने हड़ताल की है, सफाई की व्यवस्था बहुत बढ़िया है जयपुर में।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री शिवराम शर्मा : सफाई व्यवस्था पूरी जितनी भी की जा सकती है, बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था की है।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री यदुनाथ सिंह : सिविल लाइन्स में सफाई होती है। जयपुर तो सड़ रहा है, श्रीमान्।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी बात सुनाई नहीं पड़ती। इससे क्या फायदा है।

श्री गोपाल पचेरवाल : नगर परिषद के खजाने की सफाई कर रहे हो आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये। जब कोई बात सुनाई नहीं पड़ती तो क्या रेकार्ड किया जायेगा। आप खुद समझदार हैं। मेहरबानी करके उनको एक आध मिनट बोलने दीजिये। बोलने के बाद में आपको समय दूंगा मैं।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : मंत्री जी जवाब देंगे इसका।

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर क्या है? आपका? आप बोलिये।

श्री नाथूसिंह : 131 (2) 'There shall be no debate on such statement.'' यह प्रश्न पूछ सकते हैं, इस पर भाषण नहीं दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप, माननीय सदस्य, खुद समझदार हैं, बहुत एजूकेटेड हैं। पॉइन्ट आफ आर्डर होता नहीं है।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते हैं लेकिन यह शोर मचा सकते हैं, यह इनका पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, चलिये।

श्री शिवराम शर्मा : सफाई मजदूर कांग्रेस के लोग बड़ी मेहनत के साथ जयपुर सफाई करने में, जयपुर का कचरा ढोने में लगे हुए हैं। यह कह रहे हैं वह झगड़ा करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो शराब के जिये कह रहे हैं, इनके आर. एस. एस. के मामले में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हमारे जो....

एक माननीय सदस्य : तो आपको जमीन बेचने का अधिकार है।

श्री यदुनाथसिंह : जो जवाब मन्त्रीजी को देना है वह यह दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाधा न डालिये। बैठ जाइये।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : निवेदन अभी नहीं हो सकता है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : तो कब होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री शिवराम शर्मा : तो, मैं तो इस मौके पर स्वायत शासन मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो बार बार जयपुर की जनता के साथ खिलवाड़ किया जाता है, बार बार हर दो महीने के बाद हड़ताल की जाती है, इसका एक बार पूरा इलाज कर दीजिये ताकि बार बार जयपुर की जनता को कठिनाई नहीं हो सके।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह कह रहे हो क्या आप ? आपकी जाति के लोग भर्ती कर लें सफाई के लिये ?

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जयपुर की जनता की तिजोरी में पैसा भरा है, उसकी सफाई कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती विद्या पाठक बोलेंगी।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय और बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है उसको तो राजस्थान का स्वीपर समाज है, उसने खुद ने जान लिया है, पहचान लिया है। उसके विषय में तो जब यह सदन से निकलेंगे तो खुद उनसे भुगत लेंगे। मुझे तो एक प्रश्न सीधा सीधा यह पूछना है, क्या मन्त्री महोदय जयपुर और जयपुर की जनता को अपनी जेब में समझते हैं ? सारी गलियां सड़ रही हैं,

(श्रीमती विद्या पाठक)

इतनी मक्खियां हो रही हैं । कीचड़ भरे रास्तों में चल नहीं पाते हैं । जयपुर की सारी जनता दुखी है कीचड़ और गंदगी से । मन्त्री जी, आप कहते हैं इस गंदगी से मच्छर ही नहीं होते हैं, और मच्छर होते भी हैं तो मलेरिया ही नहीं होता है । कोई इस तरह की बीमारियों की रिपोर्ट उनके पास नहीं है । तो क्या आप, मन्त्रीजी, यह तथ्य व भावना जनता की तरफ से व्यक्त कर रहे हैं या सरकार की तरफ से बोल रहे हैं ? यह आपका सरकारी वक्तव्य सरासर असत्य है । आप इसका स्पष्टीकरण दें । जयपुर की जनता की रेसिस्टेंस पावर के विषय में क्या वह इतनी रजिस्टेंट हैं कि इतनी गंदगी के बाद बीमार नहीं होगी ? इसके विषय में आप अपना स्पष्टीकरण दें। आप बतायें कि इतनी इल्लाजिकल बात आप कैसे बोल रहे हैं । सारी जनता दुखी है । आपके स्वयं के घरों में भी मच्छरों की तो भरमार होगी ही ।

श्री नाथूसिंह : शार्ट में एक प्रश्न है ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, कि आज शहर का चांदपोल के बालाजी सबसे पवित्र स्थान है, उस स्थान से इस शहर की कम से कम ९० प्रतिशत जनता की भावना जुड़ी हुई है, उसके सामने कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है । यह किस शहर की सफाई की बात कर रहे हैं । दूसरे, मलेरिया फैलने की बात कह रहे हैं । हो सकता है कि श्री श्री रामजी गोटेवाला की चमड़ी मोटी है, मलेरिया का मच्छर नहीं घुस सकता परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, आप जहां भी देखिये मलेरिया वायरस फीवर जगह जगह फैला हुआ है । हरे एक घर में कम से कम चार चार पांच पांच आदमी बीमार पड़े हुए हैं । हो सकता है श्री श्री रामजी गोटेवाला के यहां नहीं हो ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मलेरिया के विशेष मच्छर होते हैं ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : हां तो वह हैं । इनकी चमड़ी में नहीं घुस सकते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय । यह सदन को गुमराह कर रहे हैं । यह और इनके ××× श्री शिवराम शर्मा, इन दोनों का यह नियोजित षड़यंत्र है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सवाल किया, आप विराज जाइये ।

(व्यवधान)

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, यह ××× शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या यह ठीक है ?

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : आप ××× नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नाथूसिंह, सवाल कीजिये ।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : भाई, जयपुर वालों का मामला है आप नागौर वाले कहां से पूछ रहे हो ।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोचित किया गया ।

श्री महाराम चौधरी : अभी तो हम भी जयपुर में हैं, साहब, इसलिये हमारे भी बीमारी होने की सम्भावना है।

श्री नाथूसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि 26-11-81 को उन्होंने हड़ताल का नोटिस दिया, उसके बाद 12-1-82 को नोटिस दिया, 11-6-82 को फिर नोटिस दिया, फिर बातचीत करके मामला सुलझ गया। फिर 23 और 24 को नोटिस दिया, फिर 26-7-82 को नोटिस दिया, बातचीत से हड़ताल नहीं हो सकी, मामला सुलझता गया। यह मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया। लेकिन 26-7-82 के नोटिस के बाद कुछ बातें ऐसी रह गई, जिन पर समझौता नहीं हो सका। उसके पश्चात् कर्मचारियों ने 27-8-82, ठीक एक महीने, तक इस बात का इंतजार किया पूरे जो नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, हड़ताल करने के, उसके अन्तर्गत....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न कीजिये, माननीय सदस्य।

आप प्रश्न कीजिये। समय का ध्यान रखिये।

श्री नाथूसिंह : उन्होंने नोटिस दिया हड़ताल का नियमों के अन्तर्गत एक महीने का, फिर हड़ताल की। क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों ने अपनी ओर से लगातार प्रयत्न किये कि किसी तरह भी हड़ताल पर नहीं जाना पड़े? जैसा माननीय मंत्री महोदय ने वार्ताओं का हवाला देते हुए बताया, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार की हठधर्मिता के कारण हड़ताल हुई? कर्मचारियों ने कई बार प्रयास किये कि हड़ताल पर जाने की हमें जरूरत न पड़े, जैसा कि बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, उन्होंने कहा कि इस हड़ताल को कुचल दिया जाना चाहिये और इन लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिये कि आगे हड़ताल का नाम न लें, इससे पता लगता है कि हरिजन इनके भाई हैं या दुश्मन हैं इसका तो उन्होंने स्वयं फैसला कर दिया। मैं जानना चाहूंगा, क्या सरकार हड़ताली कर्मचारियों के साथ मंत्री स्तर पर बात करेगी और समस्या का समाधान करने का जल्दी से प्रयास करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकंवार बैरवा ये वैसे ही बहुत कम बोलते हैं।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पहले हुई थी, जब पहाड़िया साहब मुख्य मंत्री थे तो जितनी उन्होंने मांगें रखी थीं वे क्या सरकार द्वारा पूरी कर दी गई? इसका जवाब चाहता हूं। दूसरे अब जो मांगे रखी हैं, क्या कुछ मांगों को पूरा कर दिया और कुछ को नहीं कर पाने पर ही सफाई कर्मचारियों में रोष व्याप्त हुआ है? काफी लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि सरकार की आदत बन गई है, किसी भी हड़ताल को समाप्त करने के लिये सरकार उनकी एक दफा मांग मंजूर

(श्री रामकंवार बैरवा)

कर लेती है फिर उनको पूरा करने में आना कानी करती है इसलिये फिर उनको हड़ताल करनी पड़ती है और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इस बात का मंत्री महोदय पूरा स्पष्टीकरण दें कि क्या पहले जितनी मांगे रखी थीं उनको पूरा कर दिया गया, उनमें कोई बकाया नहीं रखी और अब जो हैं वे पूरे के पूरे नये मुद्दे हैं या कुछ नये हैं कुछ पुराने हैं, इसका स्पष्टीकरण दें।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, इनका नाम ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : एक सवाल, वकील साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी काबिल हैं या नहीं हैं यह तो नहीं कहूंगा लेकिन कई बातों में हमारे से बहुत ज्यादा काबिल हैं....

एक माननीय सदस्य : घोटाले में....

श्री भंवरलाल शर्मा : हां बहुत ज्यादा काबिल हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चुपचाप बैठे रहें, बात न करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यह पूछना चाहता हूं, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि सारी मांगें मान ली हैं, तो बताइये फिर झंझट किस बात का रह गया ? ज्यादा अच्छा यह होगा कि आप सदन को जानकारी दें कि उनकी क्या क्या मांगें थीं, उनमें से किस किस को मंजूर किया, उनकी क्रियान्विति कब हुई, कैसे हुई ?

सदन को बताया गया कि उनकी आदत पड़ गई है हड़ताल करने की, एक तो आप यह बता दीजिये जैसा आपने कहा कि तीस वर्ष से आपका उनसे संबंध है फिर भी आदत कैसे पड़ गई ? यह आपके संपर्क से आई है। उनकी आदत है इसलिये आपका विचार है, जैसा कि शिवरामजी ने प्रकट किया कि यह उनकी आदत पड़ गई है इसलिये हड़ताल को कुचलना है। इस विचार से आम समस्या को देख रहे हो तो यह स्पष्ट कर दीजिये।

तीसरी बात, जो कर्मचारी आज काम कर रहे है उनकी संख्या क्या है ? हड़ताल से पहले कितने काम करते थे और अब जो काम पर लग रहे हैं, उनकी संख्या दे दीजिये। आपने कहा कि नगर में कोई गन्दगी नहीं है, सफाई की जा चुकी है। ऐसी कोई जानकारी, कोई रिपोर्ट लिखित में है तो वह बता दीजिये। या आपने कभी दौरा किया तो वह कब कब किया जिससे पता लगा कि वहां सफाई हो रही है, यह दे दीजिये। कांग्रेस सेवा दल के लोग सफाई कर रहे हैं तो ऐसे कितने लोग लगे हैं, कितना वेतन लेंगे, वह बता दीजिये।

अन्त में निवेदन करूंगा कि कर्मचारियों के प्रति आपका यह रुख बन गया है कि उनको कुचल कर छोड़ेंगे। मैं समझता हूं, कि मंत्री स्तर के व्यक्ति होने के नाते

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आपको कर्मचारियों को ऐसे डील नहीं करना चाहिये। यह आपके ही अंग-प्रत्यंग है। यह हो सकता है कि उनमें कोई असंतोष हो तो आपका यह बर्ताव, सरकार का यह बर्ताव आचरण कि हम कुचल कर रखेंगे, उनकी यह आदत हो गई है, उनको सबक सिखायेंगे, ठीक नहीं है। अब मैंने जो प्रश्न किये हैं उनका आप जवाब दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री जी स्पष्टीकरण करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के कई सम्माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कई प्रश्न भी पूछे हैं और अपने विचार भी प्रकट किये हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूं, और अधिक आभारी होता, यदि रचनात्मक सुझाव देते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, जरा इनको समझाइये तो सही, मैं जवाब दूं तो चुप तो रहें। मेरा उत्तर नहीं सुनना चाहते तो मैं बैठ जाऊं। आप तसल्ली तो रखो, घबरा क्यों रही हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक श्रीमती, सुश्री पुष्पा जैन का प्रश्न....

अनेक माननीय सदस्य : श्रीमती कैसे कह दिया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : Sorry, Sir. मैंने सुश्री कर दिया है, साहब। आमेर से आने वाली माननीय विधायक को यद्यपि जयपुर की गलियों की कितनी जानकारी होगी मैं नहीं जानता लेकिन उन्होंने जिन जिन का जिक्र किया, मैं उनका विनम्रतापूर्वक उत्तर आपके माध्यम से दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि आपने 1971 की जनगणना के आधार पर यहां पर सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं, सफाई कर्मचारी बढ़ाये जायं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि 1981 की जनगणना के अनुसार जयपुर शहर की जनसंख्या 10,03,634 मानी गई।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 14 लाख यूनिट बन गये हैं, उपाध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ध्यान से सुनिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं इनके एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा।

इस हिसाब से चार हजार कर्मचारी जयपुर शहर में नगर परिषद् में रखे जाने के लिए नियमानुसार बनते हैं। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक अवकाश, रिजर्व कोटा 16।। प्रतिशत मिलाकर 4,660 कर्मचारी यहां पर लगे रहने का नियम बनता है। इसके एवज में यहां पर 5,297 कर्मचारी कार्यरत हैं। मैं इनसे अनुरोध कर रहा हूं, आप जितनी भी बातें, जो कहें, यह सदन हमारे लिए सर्वोपरि है, आप और हम लाखों लोगों के नुमाइन्दे हैं किन्तु यहां पर जिस बात को कहें उस सारी बात के पीछे तथ्य होने चाहियें, बिना तथ्य के हर किसी के पीछे लग जायं यह मैं समझता हूं कि क्योंकि

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

ग्राप इस सदन की सम्माननीय सदस्या हैं मैं ग्रापके लिए उचित नहीं मानता।

तीसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा उन्होंने बहुत ग्रहम् मसला उठाया कि ग्राप हरिजनों के मोहल्ले में पानी पीने की व्यवस्था नहीं करते। मुझे पता नहीं, मांग पत्र कहां से मिल गया है। कांग्रेस ने 20 सूत्री कार्यक्रम दिया है उसमें जो दसवां ग्राइटम है उसमें कांग्रेस ने ग्रौर हमारे देश की नेता ने इस बात के लिए कहा है कि हमारे हरिजन ग्रौर देश के गरीब पिछड़े मोहल्लों में पानी, बिजली, सड़क की व्यवस्था करेंगे....

श्री यदुनाथसिंह : यह झूठ है। यह सब घोखा है। यह बिलकुल गुमराह कर रहे हैं सदन को....

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : इससे बड़ा कोई ग्रत्याचार....

श्री मेघराज तावड़ : हरिजनों पर ग्रत्याचार हो रहा है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रार्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बैठें। बिराजो। तसल्ली रखो। ग्राप घबरोग्रो नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। जरा सुनने की भी ग्रादत डालो। ग्राप जब बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था, भाई....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिना ग्रनुमति के बोलेंगे तो मैं ग्रंकित नहीं करवाऊंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय पता नहीं गुढ़ा से ग्राने वाले माननीय सदस्य क्यों विचलित हो रहे हैं, उग्रता में ग्रा रहे हैं।

मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक ग्रनुरोध कर रहा हूं, जहां तक इनके मोहल्लों में पानी, बिजली ग्रौर सड़क का सवाल है इनको पानी, बिजली, सड़क ही उपलब्ध नहीं करायी बल्कि यहां पर पिछले 12 महीनों के ग्रन्दर 800 से ऊपर भूखण्ड ग्रावंटित कर दिये गये हैं। हमारी कांग्रेस की घोषित नीति के ग्रनुसार जो हमारा कार्यक्रम है, एक भी मोहल्ले के ग्रन्दर, जयपुर के हरिजन मोहल्ले के ग्रन्दर ग्राप पानी, बिजली की दिक्कत बता दें तब तो ग्राकर मुझसे बात कीजिए, मेरे से बात करिये परन्तु यहां पर गलत तथ्य देकर इस प्रकार किसी भी गलत बात को कहना, मैं समझता हूं, ग्रापके लिए उचित नहीं है ...

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : हसनपुरा के ग्रन्दर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया ग्राप शान्त रहें।

श्री यदुनाथ सिंह : गलतबयानी हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : यहां गलतबयानी हो रही है।....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसका तरीका यह नहीं है।

(व्यवधान)

आप नियमानुसार जो प्रावधान है उसके मुताबिक ही....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य....

श्री श्रीराम गोटेवाला : 1981 की जनसंख्या के अनुसार ही....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दो दफा आपको वार्निंग दे चुका हूं। माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह आंकड़े गलत हैं। इनको सिद्ध कीजिये।....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या।....

श्रीमती उजला अरोड़ा : तुमने बोजी बना रखा है।.... × × ×

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अनुरोध कर रहा था, जहां तक इनके मोहल्लों में पानी, बिजली, सड़क का ताल्लुक है, आप कृपापूर्वक इनके मोहल्लों में पधारें और उसके बाद में बात करें।

माननीय सदस्या पुष्पा जैन ने यह कहा, मैंने तो अपने बयान, जो कि रिकार्डेड बयान है, के अन्दर कहीं पर भी यह नहीं कहा है कि कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्त्ता यहां पर सफाई कर रहे हैं। वे सफाई कर लेंगे। फिर भी मैं विनम्रतापूर्वक इस बात को अवश्य ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सेवादल और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्त्ता हर मोहल्ले के अन्दर सफाई कार्यक्रम में लगा हुआ है। यह कांग्रेस की घोषित नीति के अनुसार है। कांग्रेस यहां के दस लाख आदमियों को कैसे परेशान होने दे सकती है। इसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : उपाध्यक्ष महोदय मेरा यह निवेदन है कि सफाई कर्मचारियों को आप मुक्त कर दें और जितने भी कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ता हैं उनको लगा दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो कहा है वह इन विजिबल मिराकल है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या फर्माया है आपने ?

श्री राजबहादुर : जो आपने कहा है वह इनविजिबल मिराकल है यानि अदृश्य जादू है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यहां पर बड़े जोर शोर के साथ कही गई है, सांगानेर से आने वाली सम्माननीय सदस्या ने कही जो कि बहुत गम्भीर यहां की सदस्य....

श्री उपाध्यक्ष : समझी जाती है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : समझी जाती हैं। उनको इस बारे में अधिक न कह कर केवल इतना ही अनुरोध करूंगा, मेरे पास अस्पताल के आउटडोर और इन्डोर पेशेन्ट की सूचना आयी है। मैं यह अनुरोध कर रहा हूं इसमें बीमारी के बारे में लिखा हुआ है—

"Number of admission of outdoor and indoor patients from 27-8-82 to 12-9-82,

मैं इसे सदन की मेज पर प्रस्तुत कर रहा हूं। कहीं पर भी यह नहीं। जो रिपोर्ट मंगवायी गयी है, रोग के आधार पर सूचना होती है और भेजी जाती है, इसमें कहीं भी, किसी एक जगह भी संक्रामक बीमारी फैलने की बात नहीं है।

यहां पर एक प्रश्न यह पूछा गया कि जब आपने सारी मांगें पूरी कर दीं तो यह हड़ताल किस प्रकार हुई और यह कैसे चल रही है। मैं एक पत्र, जो सेन्ट्रल जेल से इन लोगों ने भिजवाया है, पढ़ कर आपको सुना रहा हूं :

श्रीमान प्रशासक महोदय, नगर परिषद जयपुर। विषय : समझौता वार्ता के क्रम में। मान्यवर, सेवामें निवेदन है कि आपका सफाई कर्मचारियों के प्रति अच्छा बर्ताव रहा है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव रखेंगे। दिनांक 25-6-82 को हुए समझौते का हम पूर्ण रूप से आदर करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप तुरन्त इसे लागू करवायेंगे जिससे जयपुर शहर के जन जीवन को आघात न हो और हड़ताल समाप्त हो सके।"....

(व्यवधान)

अब आप सुन तो लें।

यह छगनलाल डिडोलिया के सिगनेचर है। दिनांक 4.9.1982 का यह पत्र आया है। इसकी ओरिजिनल कापी माननीय उपाध्यक्ष महोदय को दिखा दूंगा, इसकी फोटो कापी यहां पर प्रस्तुत कर दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही इन्होंने पांच मांगें लिखी हैं। वह भी मैं आपको निवेदन कर देता हूं। पहली मांग है जेल से छोड़ना, दूसरी मांग है मुकदमे वापस लेना, तीसरी मांग है समस्त कर्मचारियों को काम पर लेना, चौथी मांग है हड़ताल के दिनों के एवज में बुधवार के अवकाशों को भरना, पांचवीं मांग है अन्य बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना और बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं करना। जो लोग इस पत्र को लेकर आये थे उन्हीं के साथ नगर परिषद के प्रशासक ने इस पत्र का उत्तर दिया है और लिखा है : "श्री छगनलाल डिडोलिया, महामन्त्री, राजस्थान मेहतर संघ, विषय: हड़ताल वापस लेने के क्रम में। आपका

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

पत्र दिनांक 4.9.1982 उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। नगर परिषद जयपुर ने दिनांक 25.6.82 को हुए समझौते का पूर्ण रूप से पालन किया था और प्रायः सभी मांगों की पूर्ति हो चुकी है। जहां तक टेरीकाट की वर्दी का प्रश्न था, दिनाक 25.6.82 के समझौते के पूर्व ही दिनांक 31.5.82 को टेरीकोट का कपड़ा क्रय किये जाने के आदेश दिये जा चुके थे और टेरीकोट पेन्ट का कपड़ा नगर परिषद कार्यालय में प्राप्त हो चुका है। टेरीकोट की वर्दी के वितरण को चालू करने की कार्यवाही की जा रही है। आपको इन बातों का ज्ञान होते हुए भी आपने अवैधानिक रूप से हड़ताल की जब कि राजस्थान अत्यावश्यक अनुरक्षण अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत आवश्यक सेवाओं के अधीन समस्त सेवाओं पर हड़ताल करने पर प्रतिबन्ध था। आपके पत्र की भावना को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर नियमानुसार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। आशा है, आप शीघ्र ही यह हड़ताल समाप्त कर देंगे।"

माननीय उपाध्यक्ष, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे और सफाई कर्मचारियों के बीच में सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण थे लेकिन जैसा माननीय सदस्य गोपाल पचेरवाल ने कहा, यह मेरे शब्द नहीं हैं, मैं तो यहां के सम्माननीय सदस्यों की बड़ी इज्जत करता हूं, फिर मुझे पता नहीं कैसे उन्होंने किस जोश में आकर यह कह दिया कि इस हड़ताल के अन्दर आप और मैं शामिल थे। मैं जयपुर शहर का रहने वाला हूं। जयपुर शहर के हरिजनों के साथ मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध है....

(व्यवधान)

चुपचाप बैठे रहो। चुपचाप बैठने की थोड़ी आदत डालो....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।....

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात और कही कि आपके 100 से ज्यादा कर्मचारी काम पर नहीं लग रहे हैं। इनकी तो आरोप लगाने की आदत है, इनकी कहीं पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनके दिल और दिमाग होने का तो प्रश्न ही नहीं रहता है, यह यहां तक कह गये कि प्रशासक और आप मिलकर इस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं सम्माननीय सदस्य महोदय की जानकारी के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत यह आंकड़े यहां पर पेश कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : कौन से आंकड़े पेश कर रहे हैं आप। Come to the point.

श्री श्रीराम गोटेवाला : पाइन्ट के ऊपर ही कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था, इन्होंने यह कहा है यहां पर इतने कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। दिनांक 27-8-82 को हड़ताल हुयी थी, ये कह सकते हैं उस दिन केवल 10 गाड़ी बाहर आयी थीं लेकिन 28.8.82 को 29 गाड़ी बाहर निकली थीं, 30-8-82 को 31 गाड़ी निकली थी, 31-8-82 को 36 गाड़ी

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

निकली थीं, 1-9 को 29 गाड़ी, 2-9 को 32 गाड़ी, 3-9 को 34 गाड़ी निकली थीं, 4-9 को 42 गाड़ी निकली थीं, 5-9 को 45 गाड़ी, 6-9 को 52 गाड़ी, 7-9 को 49 गाड़ी, 8-9 को चूंकि छुट्टी थी इसलिये 29 गाड़ी निकली थीं, 9-9 को 49, 10-9 को 51, 11-9 को 51, 12-9 को 54 और 13-9 को 53 गाड़ियां निकली थीं। मैं आपको आज दिन तक की स्थिति बता रहा हूं, ये हमारे ट्रैक्टर कचरा उठाने के निकले थे।

श्री उपाध्यक्ष : यह सफाई के मुता-लिक है ?

श्री गोपाल पचेरवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा बड़े अदब के साथ कि यह गाड़ियां खाली थीं या भरी हुयीं जब निकलीं।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow, my dear friend. बयान हो जाने दें बाद में देखूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक बात एक सम्माननीय सदस्य ने यह कही कि हड़ताल को कुचलने जैसी बात मैंने कही। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है न मैं आज इस प्रकार की कोई बात कह रहा हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : तो फिर शिवराम जी से कहलवा रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय यदुनाथ सिंह जी, आप तो काफी समझदार सदस्य हैं जो कहना हो कह लेना बाद में, मुझे जवाब दे देने दें।

श्री उपाध्यक्ष : हां हां कहिये ना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये गाड़ियां किराये की थीं ना ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य को बड़ी चिन्ता रहती है।

एक तो मिट्टी उठाने की बात कही थी। उस सारी बात के बारे में आज फिर ये बोलेंगे तो मेरा और भी सब्जेक्ट है मैं उस पर बताऊंगा। ये सारी गाड़ियां यहां का मोटर गैराज है उसकी जो व्हीकल हैं वह है। इसका प्रमाण भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेश करूंगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जाकर बाजारों में देख लें। इनमें से भी अनुरोध करूंगा, अगर कोई देखना चाहें तो देख लें। जैसा कि आपने कहा, चांदपोल बाजार के अन्दर हनुमानजी के मन्दिर के पास थोड़ी दूर पर कोई गंदी नाली है। तो जैसा निवेदन किया....

एक माननीय सदस्य : बहुत पवित्र स्थान है मन्दिर....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, किसने कहा है कि मंदिर पवित्र स्थान नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यही तो निवेदन कर रहा हूं कि इस बालाजी के साथ हमारी भावनायें जुड़ी हुई हैं।

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारी बात पर मैं निवेदन कर रहा हूं।

मैंने प्रश्न जो जयपुर से हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था कि सारी बातें मान ली हैं तो हड़ताल क्यों हो रही है हड़ताल में कितने लोग काम पर आ रहे हैं। चांदपोल बाजार में आज अभी भी काम हो रहा है, और जो हमारे स्थायी कर्मचारी हैं, जो सफाई मजदूर हैं वे बहुत अच्छी संख्या के अन्दर कार्यरत हैं, जिनकी संख्या....

(व्यवधान)

हमारे वालिंटियर्स ने भी मिलकर....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप अपने कांग्रेस के वालिंटियर्स को कितना रुपया रोज दे रहे हैं....

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल....

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं बोल लूं उसके बाद आप जवाब दे दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले आप बयान सुन लें, स्पष्टीकरण सुन लें।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : इनकी तो यह आदत ही

श्री उपाध्यक्ष : No remarks. माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह ब्यावर नहीं है यह जयपुर शहर है। यहां पर आपको पैसा नहीं खाने देंगे, बजारी जी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ इस प्रकार की बात कही है जिसको सुनकर मुझे तकलीफ हुयी है। कांग्रेस तो वह जमात है जो इस देश की आजादी के लिए लड़ी है, आजादी की लड़ाई जिसने लड़ी है, कांग्रेस....

श्री गोपाल पचेरवाल : देश में लाठी चार्ज करवा रही है वह है कांग्रेस की जमात, कांग्रेस वह जमात है जो देश में महिलाओं के साथ बलात्कार करवा रही है, करती है, जो हरिजनों की महिला के साथ बलात्कार करवा रही है....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री गोपाल पचेरवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री मेघराज तिवाड़ी : ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो....

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके नेता जी जो कह रहे हैं उसको तो मानो।

(व्यवधान)

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री महाराम चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करता हूं कि कोई भी बिना मेरी अनुमति के बोलने की कृपा नहीं करें, हिम्मत नहीं करें। कृपया इसके ऊपर मुझे सहयोग दीजिए ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कह रहाथा परन्तु ये सुनना नहीं चाहते हैं। मैं बता रहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है वह तो अपना तन मन धन जयपुर की इस 10 लाख जनता की निस्वार्थ सेवा के लिये देने को तैयार है। कांग्रेस के कार्यकर्ता को कोई रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जो प्रश्न पूछा था उसके लिये निवेदन करूं कि हमारे यहां पर जो स्थायी कर्मचारी हैं उनमें से भी 845 कर्मचारी अभी काम पर आ रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें।

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : समाप्त कर रहा हूं।

जो वेतन भोगी कर्मचारी हैं जो डेली वेजेज पर काम करते हैं उनमें से 819 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस प्रकार कुल 1645 कर्मचारी कार्य पर उपस्थित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इतनी सी बात है कि दो यूनियनों के द्वारा यहाँ पर अनशन और धरने दिये जा रहे थे। यह बात श्री नाथूसिंह जी, जो पधारते तो वांदीकुई से हैं लेकिन जयपुर में भी दिलचस्पी लेते हैं, ने कही। मैं उनका स्वागत करता हूं लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि जो फैसला 25.6 82 को हुआ था उसको क्रियान्वित करने के लगातार प्रयास किये जा रहे थे। मैं चुनौती देकर कहता हूं कि टेरीकाट की वर्दी हमने दी है वह राजस्थान तो क्या हिन्दुस्तान के इतिहास में हमने पहले दी है....

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं आपको चुनौती देता हूं कि टेरीकाट की वर्दी हमने सबसे पहले दी है केशोरायपाटन नगरपालिका के अन्दर 1974 में जब मैं मैम्बर था उस समय दी थी। अगर यह सही नहीं हो तो या तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा या आप दे देना। बड़े जोश के साथ चुनौती दे रहे हैं, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं कि राजस्थान में पहली बार वर्दी दी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : केवल कह रहे हैं दी नहीं है आपने।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री गोपाल पचेरवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें, मंत्री महोदय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे कर्मचारी हरिजन कर्मचारी, जो कि कुछ लोगों के भुलावे में आकर हड़ताल पर हैं उनसे पुन: आपके माध्यम से अपील करूंगा कि वे काम पर वापस आ जायें। हड़ताल के वेतन का ही अब एक मात्र सवाल बचा है तो उसके बारे में राजस्थान सरकार के जैसे निश्चय हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : समझौते की कौन कौन सी बात रह गयी है, वह बता दें आप तो।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, बाकी तो कोई बात नहीं है, आपसे क्या अर्ज करूं। मैं यही बात तो बता रहा हूं, लेकिन कोई सुनना ही नहीं चाहता है। एक प्रश्न उज्लाजी ने उठाया था कि आपने सफाई कर्मचारियों को साबुन और तेल नहीं दिया है। जुलाई के महीने में तो उनको साबुन और तेल दिया गया तो उनको शायद पता नहीं है। वह दो महीने में एक बार और वह भी दूसरे महीने के अन्तिम सप्ताह में दिया जाता है। जुलाई के बाद में अब यह महीना है जिसमें यह देना है। इस प्रकार की सुनी सुनाई बातों के आधार पर कहते हैं और सदन में ब्यान देते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा और हाउस के माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि इस हड़ताल के प्रश्न को कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनायें। आज वहां पर दो यूनियन कार्यरत हैं। जब गोपालजी मुख्य मंत्री से मिले थे उस समय मैं मौजूद था तो यही कहते थे कि मैं बंसीलाल से ही बात करूं, वही एकमात्र यूनियन है। इस बात के बावजूद, जो कि स्थायी कर्मचारी हैं उनमें भी आज 645 कार्यरत हैं और दूसरे कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। पहले हड़ताल के अन्दर रामपुर से लोग बुलाये जाते थे। आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि बिना मतलब लोगों को बरगलाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं बाकी वहां पर इस प्रकार की कोई बात नहीं है। उस रोज भी कहा था कि आपके पुलिस कर्मचारी और आपके लोग उनको पीटने जाते हैं। मैंने इनसे कहा था कि आप नाम बताइये, मैं यहां के पुलिस अधिकारियों और गृह मन्त्रीजी से अनुरोध करूंगा अगर कोई कहीं पर इस प्रकार की बात होगी तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही करवायेंगे। लेकिन अनावश्यक रूप से इस प्रकार की बात करके, जो लोग वफादार हैं, काम पर आना चाहते हैं, उनको बरगलाने का प्रयास न करें 10 लाख लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में राजस्थान की जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, इस बात का प्रयास करेंगे। बिना बदले की भावना से काम लिए हुए, हरिजनों के उत्थान का मन में संकल्प लिए हुए है। उस संकल्प के साथ जो प्रमाण दिए हैं, 800 का आवंटन, हर एक मोहल्ले में पानी व बिजली, हर एक मोहल्ले में सड़क की व्यवस्था न केवल जयपुर शहर में बल्कि राजस्थान भर में करेंगे, हमारा यह अभियान है।

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और हमारे इसी अभियान की वजह से आप लोग परेशान हैं, सारी बातें कर रहे हैं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री, शिवचरण माथुर भरतपुर शहर में घटी वारदात के बारे में ...

माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : मंत्री महोदय कहें तो मैं सौ बोतलें बरामद करवाता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री गोपाल पचेरवाल : × × ×

श्री त्रिलोक सिंह : पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन, उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

वक्तव्य देंगे।

बैठ जाइये, श्रीमान, जी।

माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोक सिंह : बाहर किसान बैठे हैं, वे यह चाहते हैं कि उनसे चीफ मिनिस्टर मिल लें....

श्री उपाध्यक्ष : श्री त्रिलोक सिंह।

श्री त्रिलोक सिंह : पॉइन्ट आफ आर्डर। Point of information. बाहर किसान बैठे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर है आपका ? क्या है बताइये ?

For point of information there is no provision.

मुख्य मंत्री महोदय। माननीय सदस्य, मैंने आपको नाम से पुकारा है।

माननीय त्रिलोक सिंह। माननीय तावड़।

(व्यवधान)

माननीय त्रिलोक सिंह।

माननीय तावड़। I have named you.

बिराज जाइये, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोक सिंह : मुख्य मंत्री महोदय से मिलने आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बाहर निकल जाइये।

श्री त्रिलोकसिंह : बाहर किसान बैठे हैं, मुख्य मंत्री से मिलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री त्रिलोकसिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष। मुझे वाध्य न कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोकसिंह × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, आप विराज जाइये।

माननीय सदस्य, मैं आप से विनती करता हूं कि आप सहयोग दीजिए और सुचारु रूप से कार्यवाही चलाने में मेरी मदद कीजिए।

माननीय मुख्य मंत्री वक्तव्य देंगे, भरतपुर शहर में घटी वारदात के सम्बन्ध में।

श्री त्रिलोकसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : त्रिलोकसिंह। आप बाहर निकल जाइये।

शासकीय वक्तव्य

भरतपुर शहर में घटी वारदात

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर नगर में दिनांक 9 अगस्त, 1982 की दुर्घटना के सम्बन्ध में विपक्ष के नेता महोदय माननीय भैरोंसिंह शेखावत और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्तावों के तथ्य इस प्रकार हैं :–

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमान्, भरतपुर नगर में इस समय जनजीवन पूर्णतया सामान्य है, किसी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति नहीं है, और न ही कोई जाटव परिवार दिनांक 9-8-82 की घटना के कारण, डर कर, अपने घर से बाहर गया हुआ है। प्रशासन द्वारा पिछड़े वर्गों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्ध नीति के अनुसार, जाटव परिवारों की पूर्ण सुरक्षा की जा रही है तथा उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं। अभी हाल में जिला स्तर पर घटित शान्ति समिति, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस एवं जन प्रतिनिधि शामिल हैं, ने जिले के विभिन्न भागों का विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। भ्रमण के दौरान समिति ने सभी स्थानों पर शांतिपूर्ण वातावरण पाया है। माननीय सदस्यों की यह चिन्ता कि जाटव परिवार असुरक्षित एवं आंतकित हैं, निर्मूल एवं वास्तविकता से विपरीत है।

श्रीमन्, श्री अरुणसिंह ने दिनांक 9-8-82 को एक प्रदर्शन का आयोजन किया था। यह प्रदर्शन कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दिनांक 5-8-82 को उन पर किये गये हमले को लेकर किया गया था। पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार जुलूस द्वारा जिलाधीश के कार्यालय में जाकर उन्हें ज्ञापन देना था। तदनुसार प्रदर्शनकारी जुलूस लेकर मुख्य बाजार से होकर दिन के लगभग 12 बजे जिलाधीश कार्यालय पहुंचे। तब तक यह प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहा और कोई अप्रिय घटना नहीं घटी।

श्रीमन्, जब जुलूस के नेता जिलाधीश भरतपुर को ज्ञापन देने गये थे, तब बाहर खड़े प्रदर्शनकारी, जिलाधीश कार्यालय में जबरन घुसने का प्रयास करने लगे। इस ही

(श्री शिवचरण माथुर)

बीच जब पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को जिलाधीश कार्यालय में घुसने से रोकने में प्रयत्नशील थी, कुछ प्रदर्शनकारी अप्रत्याशित रूप से पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर रवाना हो गये।

इन प्रदर्शनकारियों के पटपड़ा मोहल्ले के पास पहुंचनें पर, उस मोहल्ले के जाटव निवासी एकत्रित हो गये। दोनों ओर से पथराव प्रारंभ हो गया। तब ही अचानक किसी ने प्रदर्शनकारियों पर बन्दूक से गोली चलाई, जिससे कुछ लोग घायल हो गये जिसमें एक बालक पप्पू भी घायल हो गया। उग्र भीड़ ने जाटवों के कई घरों को आग लगादी, तोड़फोड़ और लूटपाट की। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गयी।

मौके पर उपस्थित सिटी मजिस्ट्रेट ने भीड़ गैर कानूनी घोषित करते हुए तितर-बितर हो जाने की चेतावनी दी। लेकिन फिर भी उपद्रव जारी रहा। इस पर पुलिस ने अश्रु गैस का प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया।

भागते हुए इन उपद्रवकारियों ने बाजार में जाटवों की कुछ दुकानों की तोड़फोड़ की। सामान लूट लिया एवं आग लगा दी। पुलिस ने तुरन्त इन उपद्रवकारियों को खदेड़ दिया और शांति-व्यवस्था स्थापित की।

इस घटना में दोनों ओर के करीब 20 व्यक्तियों के चोटें आईं।

(2.46 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। पप्पू पुत्र विशम्भर कोली उम्र 15 वर्ष पेट में छर्रे लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गया जिसके इलाज का समुचित प्रबन्ध स्थानीय अस्पताल में किया गया तथा उसके इलाज हेतु जयपुर से दो विशेष डाक्टर भरतपुर भेजे गये। दुर्भाग्यवश उसकी 15-8-82 को मृत्यु हो गयी। बाकी सभी घायलों की हालत सन्तोषजनक है। इस घटना में 15 पुलिस कर्मचारी, 2 अपर पुलिस अधीक्षकों को भी चोटें आई जिनमें से 2 को गम्भीर चोटें आने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया।

विभिन्न राजनीतिक दलों एव गणमान्य नागरिकों के सहयोग से नगर में तत्काल शांति स्थापित हो गयी तथा जन-जीवन सामान्य हो गया। लेकिन दिनांक 15.8.82 को पप्पू की हुई दुखद मृत्यु को लेकर कुछ तत्वों ने पुनः नगर में शांति-व्यवस्था को भंग करने का प्रयत्न किया। प्रशासन की समुचित व्यवस्था के कारण दिनांक 16-8-82 को श्री अरुणसिंह द्वारा पूर्व घोषित प्रदर्शन के बावजूद स्थिति पूर्ण नियन्त्रण में एवं सामान्य रही।

इस घटना के सम्बन्ध में अब तक कुल 8 मामले पुलिस ने दर्ज किये हैं। इन घटनाओं में लिप्त पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य अभियुक्त फरार होने के कारण गिरफ्तार नहीं किये जा सके है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

इसके साथ ही दिनांक 9-8-82 की घटना के पीड़ित परिवारों को अब तक 65 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। तथा इन परिवारों को विभिन्न माध्यमों से ऋण भी उपलब्ध कराया जा

(श्री शिवचरण माथुर)

रहा है। मृतक पप्पू के परिवारजनों को 5 हजार रुपयों की आर्थिक सहायता भी दी जा चुकी है।

इस दुखद घटना को लेकर अनेक भ्रान्तियां फैलाई जा रही हैं, अनेक काल्पनिक आरोप लगाये जा रहे हैं तथा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः राज्य सरकार ने इस प्रकरण की जांच हेतु राजस्व मण्डल के सदस्य श्री के. वी. शंकरन को नियुक्त कर उन्हें एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

श्रीमान, यह सर्वविदित है हमारी पार्टी की सरकार अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों के प्रति न केवल संवेदनशील है वरन् उनकी सुरक्षा एवं उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है यह इस वर्ग के लोग अच्छी जानते हैं और अपनी सुरक्षा और हितों के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हैं।

व्यवस्था

कार्य सूची के सम्पूर्ण कार्य का निष्पादन

श्री अध्यक्ष : कृपया, जैसा कि माननीय सदस्यों को मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया है, आज कार्य सूची काफी लम्बी है और कई मन्त्रिगण को वक्तव्य देने हैं। अभी जिस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया है उसमें कई तरह के प्रस्ताव नियम 127, 50, 131 के अन्तर्गत कुल मिला कर 13-14 माननीय सदस्यों के हैं। यह अपने लिये सम्भव नहीं होगा कि आज की जो कार्य सूची है, उसके अनुसार सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाय। मैं निवेदन करूंगा आपसे और आशा करता हूं कि आप मुझे सहयोग करेंगे। किसी भी एक दल से एक अथवा दलों से अधिक माननीय सदस्यों को अवसर देना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा और पार्टी पर समय सीमा है जिस किसी पक्ष के नेता बोलेंगे उनको सात मिनट का समय, अन्य माननीय सदस्यों को 5 मिनट का समय।....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समय काफी कम है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिस कार्य सूची को सदन ने स्वीकार किया है उसके अनुसार आज 50 खण्ड अन्य विचाराधीन विधेयक के हैं, उसे पारित करेंगे। इसलिये मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही उस समय तक के लिये बढ़ाई जाय जब तक कि उक्त विधेयक के 50 खण्ड पारित नहीं हो जाते हैं। पिछला कार्य भी काफी अवशेष रह गया है जो पूर्व में तय किया गया था। इसलिये इस सत्र का समय है उसमें भी 1-2 दिन बढ़ाने पड़ सकते हैं। वर्तमान स्थिति में भी केवल इस शर्त के अनुसार समय बढ़ाया जा सकता है कि कम से कम आधा जो विचाराधीन विधेयक है, उसको पारित करने में माननीय सदस्य मेरे को सहयोग देंगे।

विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने जो फर्माया उसी आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज उस विधेयक को आप 50 खण्ड तक ले जाना चाहते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि विधेयक को विचारार्थ लेने का समय भी नहीं आयेगा।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

मैं यह इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि अभी एक मसला भरतपुर का है। भरतपुर के मसले पर विपक्ष के सदस्य बोलेंगे। और मैं ऐसा समझता हूं कि कांग्रेस दल के सदस्य भी उस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे और फिर मुख्य जी उसका उत्तर देंगे, इसलिये यह विधेयक इतनी जल्दी में नहीं निपटाया जा सकता जिस तरह कि कल्पना की जा रही है। मैंने इसी आधार पर जैसा अभी आपने कहा, इन नियमों में जिस प्रकार से भी चर्चा की जा सकती है, उन सारे नियमों के अन्दर चर्चा की मांग थी, आपने इस रूप में इसको स्वीकार किया है। उसका अर्थ यह नहीं निकलता है कि थोड़े समय में ही चर्चा को समाप्त कर पायेंगे। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि इस विषय पर किसी बात का रिपीटिशन हो, या उन्हीं बातों को दोहराये और कुछ ऐसी बात उसमें लायें जिनका इस घटना के कोई सम्बन्ध न हो, इसका परहेज करेंगे।

दूसरा प्रश्न, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है—पानी, मैं ऐसा समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, किसानों के जीवन-मरण का प्रश्न है। इस प्रश्न को 15-20 मिनट में आप डिस्पोज आफ कर दें, यह संभव नहीं है। इस पक्ष से अधिक उस पक्ष के लोग इस मसले पर अपने विचार रखना चाहेंगे। जब यह दो मामले पूरे हों तीसरा मामला फिर राजस्थान कैनाल पर आता है। राजस्थान कैनाल....

श्री अध्यक्ष : राजस्थान कैनाल का मामला आज नहीं लिया जा रहा है। सम्बन्धित मंत्रीजी ने आज छुट्टी चाही थी और उनको बाहर जाने की मैंने अनुमति दे दी। वह अन्य किसी दिन लिया जायगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने अनुमति दे दी वह ठीक है लेकिन दो विषय ही ऐसे हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। आप जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक लाना चाहते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और सदन की जानकारी के लिये कहना चाहूंगा कि यह विधेयक कोई छोटा नहीं है। यहां, श्री बद्रीप्रसाद जी गुप्ता यदि बैठे हों तो उन्हें मालूम होगा कि जब नगरपालिका अधिनियम बना था, इस सदन में लगातार 21 दिन बहस चली थी और 2। दिन के बाद ...

श्री अध्यक्ष : उस समय इतना कानून बनाने का अनुभव नहीं था। अब 20-25-30 साल का अनुभव है, इसलिये अपन जल्दी बना लेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : 1952-57 के बीच में, मैं ऐसा समझता हूं कि 17 तो बैरिस्टर थे। उनके बारे में यह कहा जाय कि उनको कानून बनाने का अनुभव नहीं था, आप अन्दाजा लगायें कितना उचित है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि कानून का अनुभव तो बहुत है लेकिन मसला इतना इम्पोर्टेन्ट था कि उस समय मैं समझता हूं कि कितना समय लगेगा इसकी ज्यादा चिन्ता नहीं थी। लेकिन जो कानून बने वह कानून उपयुक्त बने, इसकी ज्यादा चिन्ता थी। बाद में अरबन इम्पूवमेंट ट्रस्ट एक्ट बना, अरबन इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट एक्ट में इस प्रकार की स्थिति हुई। उसमें भी काफी समय लगा। यह आपका पंचायत एक्ट बना उसमें भी काफी समय लगा। मैं आपकी जानकारी के लिये इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहे नगर पालिका अधिनियम हो, चाहे अरबन इम्प्रूवमेन्ट का कानून हो यह जयपुर विकास प्राधिकरण का कानून उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस समय कार्य सलाहकार समिति में इस पर चर्चा हुई थी उस समय हम लोगों को इसकी ठीक प्रकार से जानकारी नहीं थी। इस कारण से हमने निर्णय लिया होगा कि दो दिन में इसको पूरा कर लेंगे।

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को देखने के बाद मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इस विधेयक को दो दिन में पारित करने की चेष्टा की गई तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। इस एक्ट को हर स्तर पर लोग चुनौती देंगे, विधान सभा की मखौल उड़ायेंगे। जिन लोगों ने यह कानून बनाया है उन पर कई प्रकार की टिप्पणियां की जायेंगी। इसलिये इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। इसके लिये दो दिन की नहीं अधिक दिनों की आवश्यकता है। इस पर आप फर्मा रहे हैं कि 50 खंड तो आज ही इसके पास किये जायं।

श्री अध्यक्ष : आपने ऐसे आदेश दिये थे कि इसको दो दिन में पास करना है, इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 4 बजे कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग है। इसलिये इस प्रश्न पर फिर से चर्चा करनी पड़ेगी। दो दिन में विधेयक पारित नहीं किया जा सकता।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस कानून की तह में जाय कि जो विधेयक पास किया जा रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी विशेष रूप से आप पर है। आपके लिये कानून बन रहा है। क्योंकि आप उस प्राधिकरण के चैयरमेन बनने वाले हैं। आप जिसके चैयरमेन बनें उसमें किसी प्रकार से कानूनी खामी रह जाय, यह आपके लिये अच्छी बात नहीं है और इस सदन के लिये भी शोभा जैसी चीज नहीं है। इसमें कुछ समय लगे, विस्तार से चर्चा हो।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाय, तो भी हमें आपत्ति नहीं है। सलेक्ट कमेटी बैठकर इस पर विचार कर ले और विचार करने के बाद 22 तारीख तक अपनी रिपोर्ट दे दे तो ठीक है। 22 तारीख के बाद रिपोर्ट नहीं दे, हमारे मुख्य मंत्रीजी को भी संकोच नहीं होता है विधान सभा का सत्र बुलाने के लिये, 15 दिन के बाद केवल इसी विषय पर विचार करने के लिये सत्र बुला लें। मैं गारन्टी दे सकता हूं कि हम केवल इसी विषय पर विचार करेंगे और इमर्जेन्सी में कोई विषय खड़ा हो जाय, तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन इस विषय से आगे नहीं बढ़ेंगे।

मैं इसके लिये इसी आधार पर आपसे निवेदन करूंगा कि इतने कम समय में उक्त विधेयक पास नहीं हो सकता।

भरतपुर शहर में घटी वारदात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, जहां तक भरतपुर का प्रश्न है, मैं समझता हूं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के सम्बन्ध में मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि स्वयं मुख्य मंत्री जी को दुःख है, तो इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा जिसको इस घटना के बारे में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी सीमा तक दुःख नहीं हो। आखिर यह घटना क्यों हुई? उसमें यह पूछना पड़ेगा, इसमें टटोलना पड़ेगा, आखिर यह घटना क्यों हुई?

अध्यक्ष महोदय, अक्टूबर का महीना था मुख्य मंत्रीजी ने शपथ ग्रहण की जुलाई में। अक्टूबर के महीने में भरतपुर में 4 हरिजनों को गोली से उड़ाया। भरतपुर में हरिजनों का दुर्भाग्य उसी दिन से प्रारम्भ होता है। कई घटनायें हुई। मैं उन घटनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहता। अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा, मैं, समय कम लगे, इसी दृष्टि से और मुख्य रूप से कुछ बातें कहूं। मैं चाहूंगा कि इतवारी पत्रिका, जिसने इसकी जांच कर जो विवरण दिया है, उसके कुछ अंश पढ़ने से इस सदन को जानकारी हो जायेगी और मुझे या अन्य माननीय सदस्यों को लम्बा-चौड़ा भाषण देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस इतवारी पत्रिका में लिखा है—

"नौ अगस्त को जब देश स्वतन्त्रता के लिए मर मिटने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था, भरतपुर में कुछ और ही घटा। पुलिस प्रशासन के भीतर जल रही जातिवाद की आग शहर की सड़कों पर फैल गई थी। जिले की दो प्रमुख जातियां—जाट व जाटव उस दिन एक दूसरे को सबक सिखाने पर उतारू थीं। इस प्रक्रिया में जैसे सारा शहर गुण्डा गर्दी का अड्डा बन गया था। गोली बारी, पत्थर वर्षा, लूटमार, आगजनी आदि का जैसा खेल उस रोज खेला गया था, प्रशासन की विफलता का तो प्रमाण है ही, जिले के गांव गांव और जन-जन के मन में साम्प्रदायिकता का विष भी घोल गया।"

अध्यक्ष महोदय, इससे पता लगता है कि वहां पर इस तरह की स्थिति क्यों थी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह लेख विशनसिंह जी का लिखा हुआ होगा तो क्या आप इसे सही मान लेंगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर विशनसिंह जी लिखा हुआ होगा तो क्या आप इसे सही मान लेंगे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिशनसिंह जी हमारे शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके तो शिक्षक संघ के अध्यक्ष ही हैं, मेरे तो भाई हैं। यदि उनका लिखा हुआ होगा तो आप इसे सही मान लेंगे, क्यों?

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तेजित भीड़ भारी संख्या में जाटवों की बस्ती में घुस गई और लगभग 25 घरों में आग लगा दी गई। घरों का जो भी सामान हाथ लगा वह लूट लिया गया, जला दिया, कपड़े फाड़ दिये गये, सीमेन्ट के कट्टे पानी में फेंक दिये, बक्सों और सन्दूकों को बाहर फेंक दिया। कुछ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भी नहीं छोड़ा जो भी हाथ पड़ा नष्ट कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही जाने के पश्चात् भी सब से ज्यादा दुःख की बात तो यह है कि एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस कर्मचारी की पिस्तौल चुराने का आरोप लगाया, इस सम्बन्ध में तीन को गिरफ्तार भी किया परन्तु यह बात समझ से परे है कि सिपाहियों के दस्ते में से पिस्तौल छीन कर ले जायं और अपराधी खड़े रह जायं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बड़ी चतुराई से इस फैक्ट को छोड़ दिया कि इसका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात है, इतनी बड़ी बात होने के पश्चात् सरकार ने आन्दोलन के दूसरे दिन 10 अगस्त को रोहतास कुमार का वायरलेस भेजकर तबादला कर दिया। उसका तबादला करके मुअत्तिल सभी कर्मचारी भी बहाल कर दिये। अन्त में मैं चार लाइनें और पढ़ना चाहूंगा, "ऐसा जान पड़ता है कि उक्त चुनाव के पूर्व जाटव मतदाताओं को कांग्रेस (आई) के पक्ष में करने के उद्देश्य से रोहतास कुमार की भरतपुर में नियुक्ति से उन्हें स्वयं के बारे में कुछ गलतफहमी हो गई।"

अध्यक्ष महोदय, इससे सब अन्दाज लगा सकते हैं कि भरतपुर में क्या हुआ और भरतपुर में क्या नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि मुख्य मन्त्री जी ने यह स्वीकार किया। मान लो, उनको चोटें पहुंची, सब कुछ हुआ। मैं मुख्य मन्त्री जी से पहला प्रश्न पूछना चाहता हूं, और मैं समझता हूं मुख्य मन्त्री जी उत्तर देंगे, जहां जाटवों के मोहल्ले में इस प्रकार की घटना हुई, मकान जलाये गये, चोटें पहुंचाई गई, लोगों का सामान जलाया गया, सामान पानी में फेंका गया; इससे आप इन्कार नहीं कर सकते, दुकानें जलाई गई। आपके पास पुलिस फोर्स भी है, आज तक उन दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

एक माननीय सदस्य : पांच व्यक्तियों को।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पांच को गिरफ्तार किया गया तो क्या मैं समझ कर चलूं कि केवल सात व्यक्ति या पांच व्यक्ति गये थे ? या क्या पांच या सात व्यक्तियों ने मोहल्ले पर हमला कर दिया ? या क्या पांच या सात व्यक्तियों ने गोली चलाई ? क्या पांच या सात व्यक्तियों ने आग लगाई ? क्या पांच या सात व्यक्तियों ने सामान पानी में फेंका ? क्या वही पांच या सात व्यक्ति मोहल्ले से निकल कर बाजार में चले गये, जहां जाकर दुकानें देखीं, उस जगह का सामान निकाल कर फेंक दिया और दुकानों के अन्दर आग लगा दी, जो पुलिस मिली उसको चोटें मार कर उसको मजबूर कर दिया ? क्या मुख्य मंत्री जी इस बात को कहने को तैयार हैं कि यह जिम्मेदारी केवल सात व्यक्तियों की है जो हमने अभी तक गिरफ्तार किये हैं ? अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि वहां पुलिस की कोई कमी नहीं थी। पुलिस थी। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया, जलूस गया कलेक्टोरेट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पर, कलेक्टोरेट से यह नियत था, कलेक्टोरेट से, यह योजना थी, यह जुलूस एस. पी. के ग्राफिस तक जायगा। मैं समझता हूं, मुख्य मंत्री इस बात से इन्कार नहीं करेंगे। कलेक्टोरेट से लेकर एस. पी. के ग्राफिस के बीच यह मोहल्ला पटपड़ा पड़ता है। जाटवों का मोहल्ला है। उस जुलूस में कुछ लोग उस मोहल्ले से निकले। जलूस को इस बात की जानकारी थी कि हो सकता है हम पर हमला हो जाए। उसके लिए वे तैयार थे। तैयारी में वे खड़े थे। ज्यों ही जुलूस उधर से निकला आपस में तानेबाजी हुई, बातचीत हुई, बातचीत में एक दूसरे पर छींटे कसे गये। नतीजा यह निकला, अम्बेडकर की एक मूर्ति है, वहां एक मन्दिर है उस जगह थोड़ा झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद जब देखा कि भीड़ हमारी तरफ बढ़ने वाली है तो जाटवों की तरफ से, मुझे कहने मे कोई संकोच नहीं है, भीड़ से बचने के लिए पत्थर फेंके गये। मैं तो यह भी कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस बात को भी छिपाने के लिए तैयार नहीं हूं कि पहली गोली का फायर जाटवों ने किया। ग्राज भी में यह कहने को तैयार हूं कि अगर जाटव पत्थर नहीं फेंकते, जाटव उस समय गोली नहीं चलाते तो यह घटना नहीं घटती। जिस गोली का चलाना, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है, बह गोली उस पप्पू को लगी और पप्पू मर गया। मुझे इस बात का दुःख है, उनके घरवालों के प्रति मेरी सहानुभूति है, संवेदना है और लड़के की मृत्यु हो गई उसका मुझे दुःख है। वह गोली चली और लड़का मारा गया। लेकिन, मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको कहना चाहता हूं, वे जाटव यदि पत्थर नहीं फेंकते और जाटव यदि गोली नहीं चलाते तो उस मोहल्ले में एक जाटव नहीं मिलता, वहां पर कोई जिन्दा जाटव आपको नहीं मिलता, सबकी लाशें बिखरी हुई मिलतीं। अध्यक्ष महोदय, जो कुछ हुआ उन्होंने सैल्फ-डिफेन्स में किया। पुलिस इसकी जांच करे कि उन्होंने सैल्फ-डिफेन्स के अधिकार का कोई दुरुपयोग किया है या नहीं। मेरी जानकारी के अनुसार किसी प्रकार का दुरुपयोग नही किया। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय भीड़ वहां पहुंची क्या पुलिस साथ में नही थी? हम यह कह सकते हैं कि पुलिस वहां नही पहुंची? पुलिस के आदमी थे जरूर, एक मधुकर, ए. एस. पी. मौजूद, बीस पुलिस के आदमी मौजूद, वहां पर दो और एडीशनल एस. पी. मौजूद, मधुकर के साथ टियर गैस वाली पार्टी मौजूद लेकिन वे भीड़ को कन्ट्रोल नही कर पाये। वहां दुकानों और मकानों में आग लगाई जा रही थी, सामान फेंका जा रहा था। एक औरत को तो इतना पीटा गया कि उसको हास्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उसे मुख्य मंत्री जी हास्पिटल में देख आये हैं, मैं भी उसको देख कर आया हूं। उसके बच्चा पैदा हो गया, दोनों सास और बहू हास्पिटल में पड़ी सरकार को बददुआयें दे रही थीं। मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, वहां पर पुलिस के बीस आदमी कन्ट्रोल नहीं कर सके। कन्ट्रोल करने का सवाल है, मुख्य मंत्री जी उस को चबा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गये। भीड़ में लोगों को हथियार दिये गये। पुलिस वाले कहते हैं, हथियार हमसे छीन लिए गये। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह मानने को तैयार नहीं हूं कि पुलिस से हथियार छीन लिए गये और पुलिस खड़ी देखती रही। यह बात मेरी समझ में नहीं आती क्योंकि छोटी सी बात पर पुलिस गोली चलाती है, छोटी ही बात पर पुलिस लाठी चार्ज करती है, छोटी सी बात पर पुलिस टियर गैस-शैल्स यूज करती है। पुलिस के हाथ से हथियार छीन लिए जाएं और पुलिस मौन बैठी रहे। उस हथियार का प्रयोग भीड़ के ऊपर किया जाय और पुलिस मौन बैठी रहे। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, आपको पुलिस वालों ने गलत बात कही है कि एक बन्दूक छीनी गई। मैं आपको प्रमाण के साथ कहता हूं, दो बन्दूकें छीनी गई। ये एक बन्दूक के छीनने की बात इसलिए कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, एक मैगजीन इनको खाली मिल गई। इसलिए कहते हैं कि एक बन्दूक छीनी गई। आप चाहें, तो दूसरी मैगजीन मेरे पास है। अगर अध्यक्ष महोदय, अनुमति दें तो उसको प्रस्तुत कर सकता हूं। बिना अनुमति के मैं उसको प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, वह मैगजीन खाली है, उसमें कोई कारतूस नहीं है, कोई खतरे वाली चीज नहीं है इसलिए आप अनुमति देंगे तो मैं मुख्य मन्त्री जी को जानकारी दूंगा कि बन्दूकें दो छीनी गयीं। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी, आपने और कई मुकदमे बनाये होंगे, बन्दूक छीनने का मुकदमा किसके खिलाफ बनाया? बन्दूक छीनने वाले के खिलाफ आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नही किया? दोनों व्यक्ति नामजद थे, जिन लोगों ने बन्दूकें छीनीं उनके नामों का पता था। दोनों को, अध्यक्ष महोदय, गिरफ्तार नही किया गया। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब घटना घटित हुई वहां पर एस. पी. रोहतास कुमार थे। मैं उनकी उस भूमिका में नही जाना चाहता कि रोहतास कुमार सफल एस. पी. थे। रोहतास कुमार में किस प्रकार की भावना थी, मैं उसमें भी नहीं जानना चाहता। मैं 2 तारीख की उस घटना का जिक्र करना चाहता हूं। राजस्थान की पुलिस का एक आफिसर एस. पी., जिस पर जिले की लॉ-एण्ड-आॅर्डर की जिम्मेदारी है, को डी. आई. जी. कहते हैं कि तुम अपने दफ्तर के बाहर नही जाओगे। आई. जी. कहते हैं कि तुम अपने दफ्तर के बाहर नही जाओगे। डी. आई. जी. कहता है कि तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। आई. जी कहते हैं कि तुम बाहर जाओगे तो दूसरी कम्युनिटी इर्रिटेट होकर और ज्यादा उपद्रव करेगी। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि राजस्थान का पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, जो जिले के लॉ-एण्ड-आडर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, के बारे में उसके बड़े ऑफिसर्स का दिमाग यह बन जाए कि य जनता में गया तो इसको मार दिया जाएगा। अगर एस. पी. को जनता में मार दिया जाएगा तो हम और मुख्य मन्त्री जी कहां बच पाएंगे? एस. पी. को यदि मार

Page No 122

(122)

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

दिया जायेगा तो दुनियां कहां जायेगी ? और, अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाए कि तुम चले जाओगे तो विरोधी तुम को देख कर इतने एजीटेट होंगे, मेरी समझ में नही आता, जब एस. पी. को रोकेंगे तो मैं पूछना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी, शान्ति कुटीर में बैठे हुए आई. जी. क्या कर रहे थे ? डी. आई. जी. शान्ति कुटीर में बैठे क्या कर रहे थे ? क्या शान्ति कुटीर में बैठ कर डी. आई. जी., आई. जी. को घना सैंक्चुरी देखने के लिए भेजा था ? लालाराम कांग्रेस पार्टी के एम. पी. ने 6 तारीख को मुख्य मन्त्री जी को इत्तला दी कि यहां पर पांच तारीख को जुलूस निकलने वाला है, 6 तारीख को धरना देंगे तो कोई अप्रिय घटना हो सकती है। लेकिन अफसोस है, अध्यक्ष महोदय, अप्रिय घटनायें घटती जा रही हैं। कलेक्टर का ट्रान्सफर कर दिया गया, डी. आई. जी. का ट्रान्सफर कर दिया गया। मुख्य मन्त्री जी, प्रशासनिक कुशलता के ऊपर मुझे दया आती है कि एक जिले में आग लग रही है, वहां जिस प्रकार कलेक्टर का ट्रान्सफर हुआ, वहां से जिस प्रकार डी. आई. जी. का ट्रान्सफर हुआ, डी. आई. जी. को वापस भेजा कि तुमने चार्ज दे दिया होगा एस. पी को। चार्ज किसको दिया ? अध्यक्ष महोदय, उस एस. पी. को, जिस एस. पी. के लिए कहा जाता है, तुम्हारे से वे चिढ़ते हैं, तुम्हारे पर हमला करेंगे। डी. आई. जी. ने उस आदमी को चार्ज दिया।

चार्ज देने के बाद नौ तारीख को डी. आई. जी. और एस. पी. वहां पर चले गये थे। मैं नहीं मानता कि वहां पर उनको जानकारी नहीं थी। वहां के संसद सदस्य राजेश पायलेट उनसे मिले, एस. पी. उनसे मिले, डी. आई. जी. कलेक्टर भी उनसे मिले, यह सब उनसे मिले, और उन्होंने, कल भरतपुर में क्या होने वाला है, इस सबसे अवगत कराया। टंडन साहब ने वहां का सारा इन्तजाम किया। उन्होंने वहां की कोतवाली के एस. एच. ओ. बिहारी लाल को पाबन्द कर दिया कि तुम बाहर नहीं निकलोगे, तुम यहीं रहोगे। तुम्हें कोतवाली में किसी प्रकार के हथियार देने का कोई अधिकार नहीं है। डी. आई. जी. ने एस. एच. ओ को बन्द कर दिया, एस. पी. को बन्द कर दिया। टंडन, जो वहां पर उस समय सब कुछ थे, की मौजूदगी में हथियार छीने जाएं, उनकी मौजूदगी में आग लगाई जाए, उनकी मौजूदगी में हरिजनों को पीटा जाये, उनकी मौजूदगी में वहां पर सामान लूटा जाये, मधुकर टंडन पुलिस की तरफ से काम नहीं कर रहा था, वह आक्रमणकारियों का नेता बनकर काम कर रहा था। जाटवों पर जाटवों ने हमला नहीं किया। उन पर जाटवों ने हमला किया, ऐसा, अध्यक्ष महोदय, कहा गया। वहां गांव-गांव में जाटव बसे हुए हैं, वे तो कहते हैं हम झगड़ा करके आपस में रह नहीं सकते। कोई जाटव ने किसी जाटव से बदला निकालने की गरज से नहीं, बल्कि पुलिस ने रंजिस निकालने के लिए यह सब किया। रोहितास कुमार का बदला निकाला और पुलिस ने कहा कि जाटवों में झगड़ा हुआ। उन हमला करने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वालों का नेतृत्व टंडन साहब ने किया, जिसका परिणाम आज हम अच्छी तरह से देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी इस बात को गहरायी से देखें, इस बात को उड़ायें नहीं कि राजस्थान में पहली बार पुलिस में इतनी भयंकर अनुशासनहीनता देखने का मौका मिला है। आज आई. जी. का कहना डी. आई. जी. नहीं मानता; डी. आई. जी. का कहना एस. पी. नहीं मानता; एस. पी. का कहना डी. एस. पी. नहीं मानता, डी. एस. पी. का कहना डी वाई. एस. पी. नहीं मानता और डी. वाई. एस. पी. का कहना थानेदार नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उन लोगों ने देख लिया कि अफसरों का कहना मानने से कोई लाभ नहीं, नेताओं को अपने साथ रखो, नेताओं का समर्थन लेते रहो। पोस्टिंग करवाना है तो नेताओं के पास जाओ, प्रमोशन करवाना है तो नेताओं के पास जाओ। इतनी भयंकर अनुशासन हीनता पुलिस में है। इसी कारण आज पुलिस में जबर्दस्त गुटबाजी है। तीन एस. पी., दो डी. आई जी., दो आई. जी. है भगवान जाने इतनी गुटबाजी क्यों बनी हुई है। मैं समझता हूं, मुख्य मंत्री जी, आप कांग्रेस पार्टी में हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। हम अपनी पार्टी का हिसाब लगायें तो हमारी पार्टी में इतने गुट नहीं हैं जितने गुट पुलिस में बने हुए हैं। इतने गुट पुलिस में क्यों बने, इसका कारण कुछ और है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह आग किसने पैदा की? मुख्य मंत्री जी ने पैदा की। कैसे पैदा की? अध्यक्ष महोदय, भवानीमल जी को आई. जी. नियुक्त कर दिया। मुख्य मंत्री जी, जब आपको अपनी औकात का पता था कि मैं आई. जी. की पोस्ट पर किस अधिकारी को नियुक्त कर सकता हूं, बिना किसी की इजाजत के, बिना फोतेदार की अनुमति के आपने आदेश निकाल दिये। क्यों निकाले? आज जो मौजूदा आई. जी. हैं उनके सिर के ऊपर तलवार लटका दी गई।

श्री खेत सिंह राठौर : भरतपुर काण्ड से कहां पहुंच गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि मुख्य-मंत्री जी यदि पोस्टिंग नहीं कर सकते थे तो आई. जी. की पोस्ट पर आपने कैसे भवानीमल की नियुक्ति कर दी। कितनी जलालत हुई है उस व्यक्ति की। वहां पोस्ट का चार्ज लिया, फेयर-वेल पार्टी हुई उसको अटेण्ड किया, मित्र उनको एयरपोर्ट पर छोड़ने गये, फ्लाइट का टाइम हो गया, उस समय राजस्थान के मुख्य मंत्री का संदेश जाता है कि दिल्ली ही रुके रहें। यानि उनको कोई और ऊंचा पद मिलने वाला है। लोग सीधे पहुंच गये। कौन लोग थे; वह लोग थे राजस्थान पुलिस के अधिकारी, वह पहुंचे। आप क्या समझते हैं कि इन्दिरा गांधी को स्वप्न आया था, केबिनेट को स्वप्न आया था। जो राजस्थान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे, उन्होंने जाकर शाह कमीशन में जो बयान दिए थे, उन सारे बयानों की प्रतियां बांटीं और कहा कि यह आदमी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इन्दिरा गांधी का वफादार नहीं है इसलिए राजस्थान के आई. जी. की पोस्ट पर इनकी नियुक्ति न हो। मैं समझता हूं. मुख्य मन्त्री जी, यदि आपकी जगह कोई सैल्फ रैस्पैक्ट वाला व्यक्ति होता, स्वाभिमानी व्यक्ति होता तो या तो भवानी मल आई जी. की पोस्ट पर नियुक्त होते या शिवचरण माथुर त्याग पत्र दे देते। इन दोनों के अलावा कोई तीसरी बात नहीं होती। आपने उनको विरोध करने का मौका दिया, इसलिए आज फोतेदार जैसा व्यक्ति राजस्थान पर राज कर रहा है. आज शिवचरण माथुर का राज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, लोगों को पता लग गया कि हमारे राजस्थान का मुख्य मंत्री इतना कमजोर है कि आई. जी. की पोस्ट पर नियुक्ति नहीं कर सकता तो मुख्य मंत्री से अथॉरिटी को मनाने की कल्पना नहीं की जा सकती। आज दो-तीन जितने आई. जी. और डी. आई. जी. आये हैं, मैं समझता हूं, जैसे अमरसिंह रवाना हुए उसी तरह से वह भी रवाना होंगे। यह रवाना होने की परम्परा शुरू हो गयी और इससे पुलिस में इतनी भयंकर अनुशासन हीनता फैल गई। आज, अध्यक्ष महोदय, इन अनुशासनहीनता पर एक और मुलम्मा लगाया। बम्बई में पुलिस विद्रोह हुआ, हरियाणा में पुलिस विद्रोह हुआ। आज कुछ भी पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करें तो यह अधिकारी मुख्य मंत्री जी के कान में जाकर कहते हैं कि सख्ती से बर्ताव नहीं करना, यदि करोगे तो पुलिस विद्रोह कर देगी। मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस विद्रोह से हम इतने डरे हुए क्यों हैं? इस विद्रोह का क्या उपचार है? यदि पुलिस की समस्या है तो पुलिस में जो स्टाफ कौंसिल की व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था की मार्फत हम उनकी समस्याएं सुलझा सकते हैं। उनका समाधान करना है तो मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, समाधान भी होता, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर कब तक हम डरेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा मुख्य मंत्री जी से और इस सदन के माननीय सदस्यों से कि इसके कारण यह जो आम जनता के साथ अन्याय हो रहा है वह एक भरतपुर के साथ नहीं, 20 भरतपुर जैसे और शहरों के साथ होगा। मैंने पहले भी जिक्र किया था, आज भी मैं जिक्र करना चाहता हूं, महादेव सिंह की गिरफ्तारी बदले की भावना से की गई। यदि कोई दूसरी बात साबित कर दें तो या मुख्य मंत्री त्याग-पत्र दे दें या मैं त्याग-पत्र दे दूंगा। वह कांग्रेस पार्टी का विधायक है, मेरी पार्टी का नहीं। विधायक विधायक है। इस सदन में बैठने के बाद ना वह कांग्रेस का है न भारतीय जनता पार्टी का। उस विधायक को अन्याय पूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया। जब लोग मुख्य मंत्री जी के पास गये तो उनसे पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि यदि हम कुछ एक्शन लेंगे तो पुलिस भड़क जायेगी। महादेव सिंह को गिरफ्तारी में यदि पुलिस शांत होती है, उसमें शांति स्थापित होती है तो महादेव सिंह को क्या शांति लाने के लिए खेतसिंह जी को भी गिरफ्तार कराओ ताकि सारी पुलिस में शांति हो जाये। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर के

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

एक मजिस्ट्रेट थे। उस मजिस्ट्रेट को यहां के सब-इंस्पेक्टर ने धमकाया और अदालत में कहा कि तुम्हें देख लूंगा। अदालत ने नोटिस दिया। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने धमकाया। आज वह सब इंस्पेक्टर अपनी जगह है। इनका कहना है कि अगर उसके खिलाफ एक्शन लिया तो पुलिस में बगावत हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, दातारराम का किस्सा है। मैंने उस सन्दर्भ में मुख्य मंत्री जी को टेलीफोन किया। अध्यक्ष महोदय, जिस समय एक जाति विशेष के दो गुटों के बीच लड़ाई हुई, एक ग्रुप ने शिकायत की कि यह आदमी मुझे मारेगा। डी. आई. जी. ने लिखा है उसको प्रोटेक्शन दिया जाये, एस. पी., डी. एस. पी. और डी वाई. एस. पी. ने लिखा है कि उसको प्रोटेक्शन दिया जाये मगर थानेदार नहीं माना और दूसरे दिन उस आदमी की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद जब उसी मामले को लेकर सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने डी आई. जी. से बात की तो डी. आई. जी. ने यह कहा कि तस्दीक दूसरी जगह की जाये। तब पुलिस ने ऐसे मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया जिसकी एलीबी. तैयार थी, जो हाजिरी दूसरी जगह देता था। मैंने इस सिलसिले में आई. जी. साहब को टेलीफोन किया, मुख्य मंत्री को टेलीफोन किया। मैं इस बात के लिए उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस सब-इंस्पेक्टर को सस्पैंड कर दिया और इंवेस्टीगेट किसी दूसरी जगह के लिए कर दिया। अध्यक्ष महोदय, एक सरपंच को गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगाकर घुमाया गया। यह सदन गवाह है उस बात का। यह मैं जो कह रहा हूं....

एक माननीय सदस्य : आपने विषय से अलग हट कर बात क्यों शुरू कर दी ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको क्यों तकलीफ हो रही है ? अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से खेतड़ी के मजिस्ट्रेट, कैथल के मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी गई। यह सब मामले मैं क्यों सदन में रखना चाहता हूं ?

(व्यवधान)

केवल डिबेट का सवाल नहीं। आप नहीं समझ सकेंगे। मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि इस सदन को कम-से-कम यह जानकारी मिल जाए और सदन इस बात पर सहमत हो जाए कि आजकल जिस प्रकार की घटनायें हो रही हैं, सारी घटनाओं को नहीं रोका तो यह जो भरतपुर में घटना हुई है वह घटना और भी कई स्थानों पर हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, यह तो आपको भी जानकारी होगी, सारे आंकड़े दिए हुए हैं, उन आंकड़ों के आधार पर, पिछले एक वर्ष में हरिजनों के साथ अत्याचार के जो मामले दर्ज हुए हैं पिछले एक वर्ष में उनमें 7 गुना वृद्धि हुई। रिकार्ड बोल रहा है, शिव चरण जी माथुर के जमाने में और किसी बात का रिकार्ड बना या नहीं, हरिजनों के साथ कितना अन्याय हुआ इस बात का रिकार्ड बना है। इसलिए जो कुछ भी अन्याय हुआ भरतपुर के अंदर, मैं समझता हूं इस भरतपुर के अन्याय को लेकर मुख्य मन्त्री थोड़ा ऊंचा उठे, इसको यदि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सोचें कि किसका दोष है किसका नहीं है, यदि आई. जी. का इनएक्शन था तो आई. जी. को सजा दें, डी. आई. जी. का इनएक्शन था तो डी. आई. जी. को सजा दें, यदि एस. पी. का इनएक्शन था तो उनको सजा दें। मधुकर टन्डन, जिसने कन्ट्रीब्यूट किया है सारे मामले में, को सजा देने से काम नहीं चलेगा। उनको आप मुअत्तिल करें तब जाकर हरिजनों में कांफिडेन्स बनेगा कि जिस व्यक्ति ने हम पर हमला कराया उसको निश्चित रूप से सजा मिली है।

आपने कहा, मैंने जांच करा ली है। शंकरन को नियुक्त किया, वह कौन हैं ? शंकरन, रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर, आई. जी. और डी. आई. जी. की जांच करेगा और जांच करके इन्डिपेन्डेंट रिपोर्ट दे देगा ? मैं जानता हूं, शन्करन ईमानदार व्यक्ति है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, वह निष्पक्ष भी है। लेकिन स्तर तो देखो, आई. जी. की जांच कराने के लिए एस. पी. को लगा दें, उनका स्तर एस. पी. के बराबर है। एस. के बराबर का व्यक्ति आई. जी. की जांच करेगा मुझे इस बात की संभावना नजर नहीं आती।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : रेवेन्यू बोर्ड का सीनियर मैम्बर एस. पी. के बराबर है ? अनुशासनहीनता, गरीब परिवार आपके वक्त से शुरू हुई है। और पुलिस की स्ट्राइक भी आपके वक्त से शुरू हुई थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जैसे कई बार घर पर बच्चे हों, कथा होती है तो बूढ़ी दादी बीच में बोलती है और वह बूढ़ी दादी बच्चों को हंसाने का काम करती है। मैं समझता हूं, खेतसिंह जी ने ऐसा पूरा काम कर लिया इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इस को मानकर चलता हूं कि आई. जी. की जांच शंकरन नहीं कर सकते। वह रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर हैं। मैंने कहा, वह आदमी ईमानदार हैं इसमें संदेह नहीं लेकिन आई. जी. की जांच करने का काम आप शंकरन को दे रहे हैं, शंकरन आई. जी. से जूनियर हैं। आप नहीं मानेंगे। बताइए कौन से बैच के हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह होम कमिश्नर हैं आप का, उसी बैच के हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यदि किसी जूनियर आई. ए. एस. अधिकारी को होम सैक्रेटरी बना दें और उनसे सीनियर आई. जी. की जांच करायें तो वह उचित नहीं होगा। किसी को होम सैक्रेटरी बनाने से कोई सीनियर नहीं होता। होम सैक्रेटरी बनाने से वह रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, उसके लिये जूनियर आदमी की पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं। वह जूनियर आदमी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आई. जी. के बारे में जांच करके यहां पर किसी प्रकार की रिपोर्ट दे दे, यह सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ने एक बात कह दी कि बाहर गांव के लोग नहीं गये। आप आगरा जायं वहां जगदीशपुर मोहल्ला है वहां पी. ए. सी. इसलिये नियुक्त थी कि जाटव कहीं भाग न जायें, उत्पात न खड़ा करें। वह दो-तीन गांवों से भाग गये, एक–दो गांव और हैं। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि यह मामला डेलीकेट है....

श्री यदुनाथसिंह : 200 गांवों से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी ज्यादा जानकारी है। 200 गांवों से, यदुनाथ सिंहजी कहते हैं, आदमी भाग गये। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कितने व्यक्ति गांवों से गये या नहीं, कितने वापस आये, कितने वापस नहीं आये लेकिन कम से कम जब तक दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जायगा उस समय तक वहां के हरिजनों में, वहां के जाटवों में इस बात का विश्वास पैदा नहीं हो सकता कि सरकार निष्पक्ष होकर ईमानदारी के साथ काम कर रही है, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ किसी प्रकार एक्शन लिया जा रहा है। मैं इस आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ घटना हुई उसके लिए जो लोग दोषी हैं, उन सब दोषी व्यक्तियों को सजा दी जाय। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, यह मैगजीन खाली है, मुख्य मंत्री भी कहेंगे, दोनों मैगजीन पूरी कर देता हूं। यह मैगजीन खाली थी यह नहीं कह सकते। उसमें 8 कारतूस या 10 कारतूस थे लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 8–8 कारतूस थे। पुलिस की बन्दूक दो आदमियों ने छीनकर नहीं, बल्कि पुलिस की मिली भगत से दो आदमियों को देकर उन जाटवों पर चलाई। एक मैगजीन पुलिस के पास चली गई एक मैगजीन, जिस दिन वहां उन पर गोलियां चलाई उस दिन मिली।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री इस मसले को गम्भीरता से लें...

श्री माणकमल मेहता (पाली) : मैगजीन आइडेंटीफाई कर ली थी जब गोलियां चलीं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इतना माननीय माणकमल मेहता बोलते हैं, इनको मैगजीन क्या होती है शायद इसका ज्ञान नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : बाजार में मैगजीन नहीं मिलती है क्या ? क्या प्रमाण है कि मैगजीन वहां की है ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनको यह पता हो सकता है कि यह गज है या मीटर हैं लेकिन मैगजीन क्या है इसका पता नहीं। यह आपको पता चल सकता है कि यह वही खाता है या....

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा) : आपको क्या पता कि पुलिस की मैगजीन है? क्या प्रमाण है?

श्री भैरूंसिह गुर्जर : जब आप पुलिस विभाग में थे...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब मैं पुलिस विभाग में था उस समय आप जन्मे भी नहीं थे।

मेरा केवल इतना निवेदन है कि आज तक जो कुछ सरकार ने किया है उसमें भयंकर ढिलाई रही है, अब तक जो कुछ सरकार ने इस मामले में किया है जाटवों में उससे किसी प्रकार का विश्वास पैदा नहीं हो सकता। जाटव आतंकित हैं उन आतंकित जाटवों को आतंक से मुक्त किया जाय। जो दोषी हैं उनको सजा दी जाय। जिन अधिकारियों ने अपने काम में किसी प्रकार की इनएफीशियेंसी दिखाई है डेलिब्रेटली जिन्होंने मिसचीफ की है उन लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाय। जब तक कार्यवाही नहीं होगी उस समय तक, मेरा विश्वास है, जाटवों में किसी प्रकार का विश्वास पैदा नहीं होगा। यह विश्वास हम सब मिलकर उनमें किसी प्रकार पैदा करें, इसकी अगुवाई मुख्यमंत्री को करनी पड़ेगी।

इस आशा और विश्वास के साथ, जो प्रस्ताव रखा गया है उसका उत्तर मुख्य मंत्री दें।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, अत्यन्त दुखी हृदय से मैं इस चर्चा में भाग ले रहा हूं। ऐसे मौके पर भी अगर गंभीरता न हो सदन में और सदन के कुछ सदस्यों को यह भी न मालूम हो कि कब ताली बजानी चाहिये कब नहीं, मुझ जैसे आदमी को कहने की जरूरत नहीं—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांत रहें। माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : जब यह प्रश्न किया गया, मुख्य मंत्री खड़े हुये बोलने के लिये, ताली बजी। शोक का मौका था, ताली का मौका नहीं था। आया आपको समझ में या नहीं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, शांत रहें।

श्री राजबहादुर : आपकी मर्जी है, मैं आर्ग्यूमेंट्स दे सकता हूं, मैं बात कह सकता हूं लेकिन समझ नहीं दे सकता। वह मेरे पास नहीं है। वह ईश्वर देता है, मेरे पास नहीं है। मैं आपको समझाने की बात कह सकता हूं लेकिन समझ नहीं दे सकता....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री राजबहादूर : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता ने बहुत मार्मिक ढंग से, सुन्दर ढंग से और वास्तविक ढंग से, जो भरतपुर में घटनायें घटी हैं, उनका चित्रण किया है। मैं उससे अधिक कुछ नहीं कह सकता हूं, न मैं उनको रिपीट करना चाहता हूं, न पुनरावृत्ति करना चाहता हूं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो भरतपुर में हुआ वह सब कल्मीनेशन था। उससे भयंकर कल्मीनेशन भी हो सकता था 16 अगस्त को। करीब दो–ढाई साल से लॉ एण्ड आर्डर की बहुत बुरी हालत भरतपुर जिले में है। भरतपुर से आने वाले जो माननीय सदस्य हैं वे सब जानते हैं। एक–एक महीने में 9–9 डकेतियां एक–एक तहसील में, जाटवों के दो नौजवान बच्चे यू. पी. पुलिस उड़ाकर ले जाय और यू. पी. पुलिस उनको शूट कर दे एन्काउन्टर के नाम पर। आप इन्टरवीन करें कि इस केस को रजिस्टर कराया ? कुछ नहीं हुआ, गवर्नमेंट सोती रही। सरकार ने कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, इस घटना के पीछे एक घटना और घटी। इस घटना के इन्टरवेल में ही दूसरी घटना घटी। वहां पर एक हाथी नाम के व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की गयी और वह पकड़ाई में आ गया। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उस समय रोहतास कुमार एस. पी. था, उसने वहां पर एन्काउन्टर दिखवा कर उसको मार दिया। यह अर्जुनसिंह का कहना था। और जैसा कि बहुत से लोगों ने माना था, एक घटना के बाद दूसरी घटना और घटी। रोहतासकुमार, एस. पी. दौरे पर गये, वहां पर उन्होंने कई थानों का इन्सपेक्शन किया और इन्सपेक्शन के दौरान उन्होंने कई पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया। उन पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों का पक्ष लिया टण्डन साहब ने और इस प्रकार रोहतास कुमार और टण्डन साहब में ठन गई। उन दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की। इधर अर्जुनसिंह को लोगों ने भड़काया। उसको भड़काने के बाद 6 अगस्त के दिन उसके साथ मारपीट की गयी। पुलिस के पास, जहां तक मुझे जानकारी है, सरकार के पास यह सूचना आ चुकी थी सी. आई. डी. के क्वार्टर्स से कि कुछ घटनायें घट रही हैं, उनको रोकने का इन्तजाम किया जाय। पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। 6 अगस्त के दिन पहले जिन हमलावरों ने हमला किया था उनको पकड़ा जाता, उन पर मुकदमा चलाया जाता, या मुस्तैदी से प्रिवेन्टिव कार्यवाही की जाती, ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं हुआ। नाम मात्र के लिये भी नहीं हुआ। इसलिये नौ अगस्त को जो होना था वह हो गया। मेरे पास सूचना है उससे यह मालूम पड़ता है कि इस घटना में कम से कम 50 तो जाटव घायल हुए, 25 जाटवों के घर लूटे गये और 25 जाटवों के घर में आग लगा दी गयी। यह भी सच है कि अगर उस दिन गोली नहीं चलती तो जाटवों की सुरक्षा नहीं होती। वहां पर अगर बन्दूक के छर्रे नहीं चलते तो यह भी निश्चित बात है कि पता नहीं वहां पर कितनी लाशें मिलतीं, कोई भी नहीं कह सकता था। आज भी गिरफ्तारियां हुई हैं, आज भी जो केस रजि-

(श्री राजबहादुर)

स्टर हुआ है उसमें सात गिरफ्तारियां हुई हैं, यह यहां पर खुद मुख्य मंत्री जी ने ने बताया है। वह बता दें कि उनमें जाटव कितने गिरफ्तार हुए हैं। अक्सर हुआ भी यही करता है, जैसी कि मेरी जानकारी है, सातों मे से अधिकांश वह लोग हैं जिसके घर लुटे हैं या जो खुद विक्टिम्स हैं। राइट आफ प्राइवेट डिफेन्स या राइट ऑफ सैल्फ डिफेन्स की बात तो बाद में आती है। यह जाहिर है, आपने शंकरन कमीशन बिठाया है। उससे पहले मैं आप से जानना चाहता हूं कि जब यह घटना घटी या घट रही थी, तब उस मोहल्ले के सामने खुद टन्डन साहब खड़े थे? यह सूचना सबने दी है, उनकी नाक के नीचे यह सब घटनायें घट रही थीं। उन्होंने क्या किया? आई. जी. पी. और डी. आई. जी. पी. साहब, जो मौके पर मौजूद थे, ने चौराहे पर कहा कि अगर वहां पर टीयर-गैस नहीं चलायी जाती तो पता नहीं, क्या हो जाता। शायद और घटनायें घटतीं और वहां पर ज्यादा गड़बड़ होने की आशंका होती। यह निश्चित बात है कि हथियार छीने गये हैं, दुकानें लुटी हैं, बीन-बीन कर जाटवों की दुकाने लूटी गयीं और आपने वहां पर 25 हजार का मुआवजा दिया है पर यह भी निश्चित बात है कि लाखों का नुकसान हुआ है। वहां पर दो-तीन कारीगर तो जाटवों के ऐसे थे, जो कि जूते बनाते थे और आगरा भेजते थे, आगरा से उनके जूते एक्सपोर्ट होते थे, उन लोगों का, जो साधन सम्पन्न थे, काफी नुकसान हुआ है। इन्क्वायरी कमीशन आपने बिठाला, आप उसके पहले उनसे यह तो पूछ लीजिये कि नौ तारीख के दिन पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी खुद वहां पर चौराहे पर थे, Within one furlong of the place of occurrance. वहां पर एक मोहल्ले में इतने जोर का आक्रमण हो रहा था, सारी घटना हो रही थी और यह लोग वहां पर खड़े-खड़े देखते रहे कि कुछ न करें। कुछ करें तो तब जब कि सारा का सारा बरबाद हो जावे, उसके बाद में, लुटने वाले लुट जायं, मरने वाला मर जाय, तब। मैं पूछना चाहता हूं कि पप्पू किसकी गोली से मरा? कौन सी गोली से मरा? क्या पप्पू का पोस्ट-मार्टम हुआ? क्या उसके शरीर से जो गोलियां छर्रे निकले वह सुरक्षित हैं? वह किस किस गोली से मरा, किस बन्दूक से फायर हुआ यह फोरेन्सिक एग्जामिनेशन से पता लग सकता है कोई दूसरा अफसर बता दे यह तो मुश्किल बात ही है। लेकिन इसके पहले लोगों का वारदात में पकड़ा गया है, उनमें से किसी को निर्दोष या दोषी सिद्ध करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि कानून जो कहता है वह यह है कि लाश का पोस्ट मार्टम होना चाहिये था, पोस्टमार्टम के बाद जो गोलियां मृत व्यक्ति के शरीर से निकलें उनको सुरक्षित रखना चाहिये, उनका केमीकल एग्जामिनेशन होना चाहिये था, यह सब होना चाहिये था। बस कार्टिजेज आपके काबू में हैं। नहीं है? शंकरन साहब क्या जाँच करेंगे? शंकरन साहब, आप कहते हैं, के अण्डर में आपने इन्क्वायरी कमीशन बिठाया। यहाँ पर आपत्ति है। आपत्ति इस बात की है कि इन्क्वायरी कमीशन में तीन चार परस्पर विरोधी बातें

(श्री राजबहादुर)

एक साथ सामने आती हैं। वह यह कि ईस घटना में टन्डन साहब का क्या रौल था, रोहतास कुमार को इस मौके पर वहां से क्यों हटाया गया, वहां से उसको हटाने का क्या रौल था। जब यह घटनायें घट चुकी थीं, तो उससे जाटवों में अविश्वास पैदा हो चुका था जैसा कि आपने कहा, 200 गांवों से लोग भाग गये, पर मैं 200 की बात तो नहीं करता, मोटे-मोटे गांव, जैसे जगीना गांव है, तुरिया गांव है, सारसत गांव है, निसिनी गांव है, वहां से, यह सही है कि जाटव लोग भाग कर आगरा और मथुरा चला गये। और सबसे बड़ी मजाक की बात जो आपने यहां पर अपने बयान में कही, वह यह कि उस दिन जन्म अष्टमी का त्योहार था, 15 तारीख को तो वह लोग वहां पर दर्शन करके वापस आ गये। You are adding insult to injury. यह निश्चित बात है कि लोग वहां से भाग गये थे। आज सारे भरतपुर में जाकर पूछ लें, सभी जानते हैं कोई ऐसा नहीं जो यह न जानता हो कि जाटव नहीं भागे हों डर के मारे। आज भी वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई आतंक नहीं हो। आज भी, आतंक बिल्कुल खतम हो गया हो, यह बात नहीं है। आज भी वहां पर लोगों में सुरक्षा की भावना नहीं है, आज भी वहां पर लोगों को जान-माल का खतरा बना हुआ है, पूरा खतरा है। और यह भी फैक्ट है, अगर आपने समय रहते कोई कार्यवाही नहीं की और जो लोग दोषी हैं उनको अगर आपने गिरफ्तार नहीं किया तो वहां की हालत और खराब हो जायेगी। शंकरन साहब क्या बतायेंगे? क्या वह इन्क्वायरी के बाद बता सकते हैं कि कितने जाटवों का नुकसान हुआ, कितने जाटव मारे गये और कितने जाटवों के घर में आग लगी, उससे उनका कितना नुकसान हुआ? क्या वह उसका असेसमेण्ट करेंगे। पूरी दुकानों का जो नुकसान हुआ, क्या उसका असेसमेन्ट करेंगे? कौन-कौन घायल हुआ, क्या यह भी असेसमेन्ट करेंगे? सच्चे मायने में किन-किन पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की बन्दूकें छीनी गयीं, कितने फायर हुए, किसकी गोली से पप्पू मरा, इस बात की पूरी इन्क्वायरी हो सकती है। तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो सूचना मेरे सामने आयी है वह यह आयी है कि जिन क्रिमिनल्स ने दुकानें लूटीं, सामान लूटा और जिन्होंने घरों में आग लगायी, उनमें से किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई तफतीश नहीं हुई है। तफतीश नहीं कर सकते हैं। तफतीश तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करता है। वह ही सिद्ध कर सकता है कि कौन-कौन दोषी था। क्या इन्क्वायरी में पता लगा सकते हैं शंकरन साहब कि उस भीड़ में कौन-कौन था? यह बात शंकरन साहब कैसे पता लगा सकेंगे? यह तो इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर की इन्वेस्टिगेशन पर ही कनक्लूजन्स निकाले जाते हैं। पर यह सब कौन बतायेगा कि उस भीड़ में कौन किस जगह पर था? कौन पहचान पायगा? यह तो इम्पॉसिबल बात है कि आप किसी को जस्टिस दिला पायेंगे। बिल्कुल नामुमकिन है जस्टिस दिलाना। पर, हां, आप इतना

(श्री राजबहादुर)

जरूर कर सकते हैं कि जिनका नुकसान हुआ उनका नुकसान भर दें और जो–जो कर्मचारी ड्यूटी से खारिज पाये गये उन्हें हटा दें। मैं यह चाहूंगा कि आप वक्त रहते नहीं चेते तो वहां की हालत बहुत खराब हो जावेगी। वैसे ही भरतपुर के अन्दर लॉ-एण्ड-ऑर्डर की हालत बहुत खराब है। वहां लॉ एण्ड ऑर्डर की हालत बहुत नाजुक है। मैं एक सूचना देना चाहता हूं, एक व्यक्ति के यहां पर डाका डाला गया। वहां से उसका रिवाल्वर गया। पुलिस ने जिस व्यक्ति के पास रिवाल्वर बरामद हुआ उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस उस व्यक्ति को तो बचाना चाहती है जिसके पास रिवाल्वर बरामद हुआ। पर उसको फसाना चाहती है जिसके यहां से रिवाल्वर गया। यह सब तथ्य हैं जो बाद में सदन के सामने पेश करना चाहूंगा। अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूं जिसके पास रिवाल्वर बरामद हुआ है उसका नाम नहीं बताना चाहता हूं। उसको बचाने के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। तो मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज भरतपुर में लॉ एण्ड आर्डर की हालत बहुत खराब है। आपकी वहां पर जो मशीनरी है वहां पर लॉ एण्ड ऑर्डर को मैनटेन रखने में बिल्कुल फेल्योर है। आज भरतपुर में ऐसी स्थिति है कि भरतपुर में पिछले 5 महीनों में ऑल-मोस्ट एवरी सैकन्ड-डे कत्ल होता है और हुआ है। वहां पर कोई इसकी पूरी जांच नहीं कर रहा है। वहां जाटवों के दो लड़कों को एनकाउन्टर के नाम पर मार दिया गया। उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। इसलिए मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि इसकी ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। आज अगर गवर्नमेन्ट एक्शन नहीं लेती है फिर गवर्नमेन्ट किस काम की है। इन्हीं शब्दों के साथ, अत्यन्त पीड़ा के साथ, क्योंकि भरतपुर मेरा जन्म-स्थल है, भरतपुर मेरा कर्म-स्थल है मुझे बड़ा दुःख होता है, इसलिए निवेदन करना पड़ा है। इसमें यहां पर कुछ भाइयों की नाराजगी जरूर हुई है। और नाराजगी का कारण तो मुझे मालूम नहीं। मुझे उनसे माफी मांगने की जरूरत नहीं क्योंकि यह निश्चित बात है कि भरतपुर बहुत उपेक्षित शहर है, भरतपुर का सारा क्षेत्र उपेक्षित है। जैसा कि यहां पर भैरोंसिंह जी ने कहा कि भरतपुर का क्या हाल है, आप वहां हालत जाकर देखिए, वहां की इकानामी की हालत जाकर देखिए, वहां की बेरोज-गारी की समस्या का हाल देखिए, सारा का सारा उपेक्षित है। अगर समय रहते आपने उसके प्रति उपेक्षा दूर नहीं की तो वहां की स्थिति गम्भीर हो जायेगी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसको ठीक तरह से किया जाय।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य और विरोधी दल के नेता महोदय ने और सदन के बुजुर्ग सदस्यों ने यहां पर भरतपुर में जो घटनायें घटीं उन पर विस्तार से चर्चा की। यह सही बात है कि वहां पर उस दिन टण्डन साहब मौजूद थे। सही बात को मानने में हमको जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में यह नयी बात नहीं है, भरतपुर की घटना कोई नयी चीज नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी, हमने कई वार सदन के माध्यम से ऐसी बातों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित किया है। मुख्य मंत्री जी के मंत्रिमण्डल के कई सदस्य जब अपनी बात कहते हैं तो बड़ी उत्तेजना और बड़े साहस से बात कहते हैं कि यह सरकार हरिजनों की हमदर्द है, यह हरिजनों की रक्षक है और यह सरकार उनके लिए न मालूम क्या-क्या कर रही है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से, 6 अगस्त को वहां धरना दिया गया और 9 अगस्त को जुलूस वहां पहुंच गया। जब 9 अगस्त को जुलूस पहुंचा तो उनके कुछ प्रतिनिधि लोग जब कलेक्टर से मिलने गये और बाकी आन्दोलनकारी या प्रदर्शनकारी लोग जब जाटवों की बस्ती में जाने लगे तो वहां के पुलिस एस. पी. को तो आपने एक तरह से रोक दिया, लेकिन टण्डन क्या कर रहे थे या अन्य पुलिस अधिकारी क्या कर रहे थे ? टण्डन ने कुछ नहीं किया, जो आई. जी. वहां मौजूद थे तो उन्होंने क्या किया ? उससे पहले जिलाधीश ने क्या किया ? जब 6 तारीख को उनको पता चल गया और वहां के कांग्रेस के सांसद थे उनको इस बात से अवगत करा दिया कि भरतपुर में ऐसी घटना घटने वाली है, सरकार की जानकारी में सारे तथ्य आ गए कि इस तरह की घटना यहां घट सकती है उसके बावजूद भी वहां जिलाधीश या एस. पी. या आई. जी. नहीं जायें और इस तरह की घटना घट जाए, मैं यह आई. जी. की अयोग्यता नहीं मानता, मैं डी. आई. जी. की अयोग्यता नहीं मानता बल्कि मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री की अयोग्यता मानता हूं जिसके कारण यह घटना घटी है। इसके साथ ही साथ मैं कहता हूं कि मुख्य मंत्री जी को सदन में देखने के बाद जब से हमने इनके कार्यक्रमों को देखा, मैं यह मानता हूं और मेरा सीधा आरोप है कि राजस्थान का मुख्य मंत्री हरिजन विरोधी मुख्य मंत्री है। उसका कारण मैं आपको बता दूंगा। हमारे राजस्थान में जब हरिजन मुख्य मंत्री थे तो राजस्थान के सारे सवर्ण लोग उनको हटाने में लग गये। हमें कोई तकलीफ नहीं, यह इनकी पार्टी का मामला है। लेकिन जब जब भी इस तरह के मामलों को उठाया, इस तरह के इश्यूज को उठाया, पिछली बार जब भरतपुर और धौलपुर में जाटवों को मारा तो मुख्य मंत्री जी ने 5 हजार रुपये देने की घोषणा कर दी। हमने कहा कि एक हरिजन की जिन्दगी की कीमत 5 हजार रुपया है। मुख्य मंत्री जी यह कह दें कि हमने 20 हजार, 25 हजार रुपया दे दिया, उनको मुआवजा दे रहे हैं। आप उनको लुटवा दें, आप उनको मरवा दें और उनके साथ न मालूम क्या क्या करवा दें और 20 हजार, 25 हजार रुपया देकर उनकी इज्जत, उनकी मौत और उनकी सारी जिन्दगी रुपये से आंकते हैं। आपका यह हरिजन हितैषी या हरिजनों की रक्षा का तौर तरीका है। यही आपके बीस सूत्री कार्यक्रम का तौर तरीका है कि

(श्री गोपाल पचेरवाल)

आप पैसा दे दो और समझो कि घाटे की पूर्ति हो गयी। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब सारी घटना घट जाए और इस घटना के दौरान वहां के एस. पी. श्री रोहतास कुमार को हटाना इस स्थिति में क्या महत्व रखता है। क्या मुख्य मंत्री जी नहीं चाहते कि वहां हरिजन और शिड्यूल्ड कास्ट का एस. पी. रहे।

अध्यक्ष महोदय, यह पहली ही घटना नहीं है वहां। मुख्य मंत्री जी की जानकारी में भी होगा, वहां के कई माननीय सदस्यों को मालूम होगा के श्री एन. के. वर्मा, जो जयपुर के कलेक्टर रहे थे, वही जयपुर के कलेक्टर एन. के. वर्मा भरतपुर में भी कलेक्टर रहे थे। क्या मुख्य मंत्री जी को पता है कि उनके साथ भी वही घटना घटी थी? भरतपुर में जाटवाद का कितना बोलबाला है। श्री एन. के. वर्मा के साथ भी यह घटना घटी थी। माननीय पहाड़िया जी जब मुख्य मंत्री थे तो श्री बी. एस. मेहता वहां कलेक्टर रहे थे उनके साथ भी ऐसी घटना घटी। उसके बाद में तीसरे शिड्यूल्ड कास्ट ऑफिसर वहां लगे उनके साथ भी वही घटना घटी। तो, माननीय मुख्य मंत्री जी, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में जो जाटवाद का बोलवाला है उसके कारण से भरतपुर में जितने भी शिड्यूल्ड कास्ट के ऑफिसर थे उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और ऐसे व्यवहार करने वाले ऑफिसरों को सरकार संरक्षण देती है। आप उनको संरक्षण दे रहे हैं इसलिए इस तरह की घटनाएं घटती जा रही हैं। अगर आप इस तरह के ठोस कदम उठाते कि ऐसी घटनायें नहीं घटें और श्री एन. के. वर्मा वहां से हटे, मेहता साहब वहां से हटे अगर उनको नहीं हटाया जाता तो शायद इस तरह की घटनायें नही घटतीं। आपने एस. पी. श्री रोहतास कुमार को वहां से हटा दिया। इस सारी घटना ने उसको इतना डिमोरेलाइज किया कि वह कहीं जाकर एस. पी. के पद पर काम नहीं कर सकता। आपको मालूम करना चाहिए था कि शिड्यूल्ड कास्ट का ऑफिसर है उसने क्या अपराध किया, उसने कैसे गलत अफसरों के ट्रान्सफर किए। उसने यही किया कि बदमाशी रोकने की कोशिश की। हमारे ऑफिसर्स को कैसे बदनाम किया जाता है। मैं राजनीति के आधार पर नहीं कहना चाहता हूं लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट के ऑफिसर्स के लिए कहा जाता है कि वे अयोग्य हैं, उनमें योग्य आदमी उपलब्ध नहीं होते। रिजर्वेशन की पूर्ति आप करते नहीं हैं, उनके अधिकार उनको मिलते नहीं हैं। आप योग्यता और अयोग्यता का मापदण्ड बता कर उनको पीछे रखते हो। लेकिन जब कोई शिड्यूल्ड कास्ट का ऑफिसर काम करना चाहता है, अपनी योग्यता का प्रयोग करना चाहता है, अपनी वफादारी दिखाना चाहता है सरकार के प्रति, तो सरकार के लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं। आपके मन में निश्चित रूप से यह पाप है कि शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी ऊंचा पद प्राप्त नहीं करे, आगे नहीं बढ़े इसलिए रोहतास कुमार को आपने वहां से हटाया।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

इतना ही नहीं किया आपने, बल्कि जयपुर से कम्प्यूटर कोर्स के लिए दिल्ली भेज दिया उसको। कोई जिला खाली नहीं है शिड्यूल्ड कास्ट के एस० पी० को लगाने के लिए। मैं तो प्रशंसा करूंगा पहाड़िया जी की कि उन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट के अधिकारियों को सारे जिला हैड क्वार्टर्स पर लगाया था लेकिन ज्यों ही आप मुख्य मंत्री बने तो राजस्थान के जितने जिला कलेक्टर थे आपने एक-दो को छोड़कर सबको हटा दिया, एस० पी० जितने थे सबको हटा दिया और अब एस० पी० रोहतास कुमार को हटाकर एक नयी मिसाल कायम की।

इसके बाद आपने एक बड़ा नाटक खेला। आपने अखबारों को कहा कि हम मिस्टर रछोइया को लगा रहे हैं वहां। अखबार कहते हैं कि रोहतास कुमार शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी हैं उनको हटाकर रछोइया को लगा रहे हैं और रछोइया भी शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी और राज्य गृह मन्त्री जी, कि वह आज के दिन राजस्थान में नहीं हैं। वह आन्ध्र प्रदेश में ट्रेनिंग पर हैं। एक आफिसर, आपका अधिकारी आन्ध्र प्रदेश में ट्रेनिंग लेकर राजस्थान की धरती पर आयेगा और उसको आप भरतपुर में लगा रहे हैं एस० पी०। क्या नाटक था? क्या भावना थी इसके पीछे सरकार की। केवल वहां के अनुसूचित जाति के लोगों में उबाल था, जोश था आपके खिलाफ सरकार के खिलाफ बगावत करने का। उसको दबाने के लिए आप शिड्यूल्ड कास्ट के आदमियों को हटा रहे हैं और शिड्यूल्ड कास्ट के नए एस० पी० को वहां बता रहे हैं। क्या कारण था? और बाद में क्या आया? सक्सेना एस० पी० को लगाया गया। यह कहां तक सक्सेनावाद और माथुरवाद चलेगा? डाइरेक्टर आफ पुलिस माथुर, बोर्ड में माथुर, चपरासी से लेकर मुख्य मन्त्री तक माथुर। सफाई करनी है तो माथुर लगा दो हमें क्या आपत्ति है। हटा दो सबको, हमें क्या आपत्ति है। लेकिन आपका, मुख्य मन्त्री जी, यह शिड्यूल्ड कास्ट विरोधी कार्यक्रम चलने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एस० पी० को हटा दिया, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मुआवजे का रुपया दे दिया लेकिन कितने अपराधी गिरफ्तार किये? सूरज जो जाटव था उसको गिरफ्तार किया? पहले भी शिकायत हुई कि मारा है उसने, जो पुलिस अधिकारी था उसका बेटा है, जो लड़का है उसी थानेदार का लड़का है। जो जाटव है उसको भी गिरफ्तार किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने वातावरण बनाया है पूरे प्रदेश में जातिवाद का, मुख्य मन्त्री जी, उसकी वजह से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। एस० पी० रोहतास कुमार को हटा रहे हैं। लेकिन यहां विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा कि एक मनोज कुमार बैरवा को कैथून के थाने में पुलिस हिरासत में मौत के घाट उतार दिया। उसको तो आप इनाम देंगे, उसका तो आप प्रमोशन कर देंगे, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे लेकिन एस० पी० रोहतास कुमार ने वहां अच्छा काम किया तो आप उसको वहां से हटा देंगे।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

मैं कहना चाहता हूं कि जो आदमी गलती कर रहा है उसको तो आप संरक्षण प्रदान कर रहे हैं तो मैं यह मानने को तैयार हूं कि मिस्टर टण्डन ने जो बद शी की वह आपके गृह राज्य मन्त्री के संरक्षण में की, आपके संरक्षण में की और आपके कहने से की। आज जो भी हरिजनों के साथ ज्यादती हो रही है, जो जुल्म हो रहे हैं, चाहे वह भरतपुर में हों या कंथून में हों या किसी भी जिले में हों, वह सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं जिसका जीता जागता उदाहरण आज जयपुर में भी है। सब जगह हो रहा है। यह टण्डन का सौभाग्य है और मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी सारी फाइल आज रह गयी वरना मैं बताता कि टण्डन के क्या-क्या कारनामे हैं। वह बाहर ट्रेनिंग में गया था उसको वहां से क्यों हटाया गया गुजरात गया था ट्रेनिंग में वह आदमी, ट्रेनिंग क्यों नहीं पूरी कर सका। मैं आपको अमिताभ गुप्ता की फाइल बताता कि क्या-क्या उसके कारनामे हैं। एक फर्जी डाकू को मरा हुआ बता दिया जिसने मध्य प्रदेश पुलिस के समक्ष आत्म समर्पण किया है। जो आप हरिजनों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जो आप अपने सवर्णों को सुरक्षा दे रहे हैं और इस तरह का जातिवाद फैलाकर आप अपनी राजनीति के जरिये सरकार को बचाये रखना चाहते हैं उससे काम चलने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करायें और जो अपराधी हैं, चाहे वह शिड्यूल्ड कास्ट के अपराधी हों, उनको सजा मिले। अगर वह भी अपराधी हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए लेकिन न्याय सबके साथ होना चाहिए। यह नहीं है कि टण्डन आपके आदमी हो सकते हैं या सक्सेना आपके आदमी हो सकते हैं उनको तो प्रोत्साहन दिया जाये और शिड्यूल्ड कास्ट के आदमियों के साथ ज्यादती की जाये। तो फिर आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। और ऐसा है तो आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि हमारी कथनी और करनी में अन्तर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि उन लोगों के साथ ज्यादती की गयी है, आपने यह माना भी नहीं। हमारे साथी, भरतपुर से आने वाले विधायक बता रहे थे कि 200 गांव के लोग बाहर चले गए। जाटव लोग वहां से बाहर चले गए और आपके मन्त्री गैर जिम्मेदार तरीके से बयान दें और बात कहें तो यह प्रदेश के लिए शर्म की बात है। आपके लिए नहीं हो सकती....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शंकरन साहब से निष्पक्ष जांच की आशा हम नहीं कर सकते। उनकी ईमानदारी और कर्मठता में निष्ठा है लेकिन जिस तरह का वहां वातावरण है उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करायें। निश्चित रूप से, जो भी अपराधी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सभी सदस्यों को अवसर देना सम्भव नहीं है मेरे लिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यदि उस पक्ष से बोलना चाहें पहले तो आप उनको बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उधर से बुला लीजिये। पहले वह बोल लें तो ठीक रहेगा। पहले उनको बुलवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह। लेकिन माननीय सदस्यगण समय का ध्यान रखें। काफी समय हो गया है इस प्रस्ताव पर।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो भरतपुर की घटनाक्रम के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी, विपक्ष के माननीय नेता बाबू जी और मेरे मित्र पचेरवाल के जो बयान आये उनमें से कुछ तो तथ्य पर आधारित हैं....

श्री अध्यक्ष : किस किस के बयान हैं तथ्यों पर आधारित ?

श्री यदुनाथ सिंह : पूरी जानकारी किसी को भी नहीं है इनमें से। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात श्री गोपाल पचेरवाल जी के शब्दों से शुरू करूंगा कि भरतपुर में जाटवाद बहुत है। गोपाल पचेरवाल साहब, आपको पता नहीं है, आपका कभी भरतपुर की धरती से पाला नहीं पड़ा। भरतपुर ऐसी जगह है जहाँ कोई जातिवाद नहीं है। हमारी जवान बहिन-बेटियां, जो जाटों के मजदूर होते हैं उनका हाथ पकड़ कर उनके शरीर से लगकर बोझा रखने का काम करती हैं। हमारे घरों में जाट काम करते हैं। जाट-जाटव की जिस लड़ाई की बात की जा रही है वह निरर्थक है। हमारे पेट को पालने का काम जाटव करते हैं और हमारे यहां जाति वाद का कोई झगड़ा हुआ नहीं।

घटनाक्रम, अध्यक्ष महोदय, तब से शुरू होता है जब से रोहतास कुमार को वहां पर एस० पी० लगाया गया। उससे पहले वहाँ पर कोई जातिवाद का जहर नहीं था। जब से रोहतास कुमार को वहाँ पर एस० पी० लगाया गया, उसके बारे में जो घटना क्रम है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं....

(व्यवधान)

आप बोल लीजिये।

जब से रोहतास कुमार को वहां पर लगाया गया उसके बाद से जातिवाद का क्रम चालू हुआ। कुछ घटनायें इस प्रकार की घटीं की वहाँ के लोगों को लगा कि रोहतास यहाँ पर जातिवाद फैला रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक कोतवाली से मुल्जिम भागता है, एक मेरे थाने नदबई से मुल्जिम भागता है। दोनों मुल्जिमों को भागने में सवर्ण एस० एच० ओ० हैड कान्स्टेबल और सिपाही को सस्पेन्ड करके लाइन पर हाजिर किया जाता है। लेकिन जब यह घटना भरतपुर में घटती है तो यह बात नहीं होती है। बात तब होती है जब एस. पी. रोहतास साहब ने हैड कान्स्टेबल को चांटा मारा और माँ-बहिन की गालियां दीं। वे बदमिजाज आदमी थे, अध्यक्ष महोदय। यह घटना 9 तारीख की है और यह घटना की एक परिणति भी थी। पुलिस में वहाँ आक्रोश अन्दर ही अन्दर इतना बना हुआ था—एस. पी. साहब रात को एक बजे, दो बजे शराब पी कर निकले और चौकियों की चौकियों को कम्पलीट करके आ गये। अध्यक्ष महोदय, इसकी मुख्य मन्त्री जी स्वयं जांच करें....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वे तो पीते ही नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं, कृपया बैठ जायं।

श्री यदुनाथ सिंह : आप × × × करते हैं उनकी। रोहतास की जो रपट डाली है एस. पी. साहब ने, उस हेन्ड राइटिंग को भी देखा जाय। आया उन्हीं की राइटिंग है क्या ? अध्यक्ष महोदय, यह घटना क्रम शुरू होता है 6 जुलाई को। 6 जुलाई को गांव कटेड़ा में हाथी नाम के आदमी को पुलिस गिरफ्तार करके लाती है और उसको 14 घंटे थाने में रखती है। थाने में रखने के बाद उसको तीन बजे गोली मार दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, उस घटना का जिक्र निराला है। एस. पी. साहब तीन चक्कर भरतपुर के लगाते हैं, दिन भर उसका इन्टेरोगेशन होता है, मार-पीट कर उसका बुरा हाल किया जाता है, पुलिस का बयान भी आता है। 7 तारीख की राजस्थान पत्रिका में आया है कि हाथी को गिरफ्तार किया गया और अगले दिन यह बयान आता है कि वह एनकाउन्टर में मारा गया। दो हजार कारतूस वहां पर गये आर्मरी से और 30 कारतूस एन-काउन्टर में दिखाये गये और फिर दो हजार के दो हजार ही वापस वहां जमा हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बड़ी साजिश है। पहली बार जो जांच हो रही है, अध्यक्ष महोदय, हाथी का जो मसला है, उस मसले को ले करके। हाथी का तो एक मसला है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन भरतपुर के इर्द-गिर्द ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप यदि कुछ कहना चाहें तो मैं आपको अवसर दे दूंगा लेकिन बीच-बीच में बाधा उपस्थित न करें।

श्री यदुनाथ सिंह : कानून और व्यवस्था थी नहीं, रोजाना कत्ल हो रहे थे, रोजाना डकैतियां डल रही थीं, रोजाना चोरियां होती थीं। थानों से पैसे बन्धे हुए थे, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। शरीफ आदमी का निकलना मुश्किल था। हो सकता है, अध्यक्ष महोदय, यह हाथी बद-माश हो, चोर हो लेकिन उस सबके लिये किसी भी प्रकार की सजा कोर्ट दे सकता था। 24 घंटे लगातार उसको थाने में रखा जाय और फिर गोली से उड़ाकर मार दिया जाय। डाक्टरी रिपोर्ट है। माननीय मुख्य मन्त्री जी, आप मुलाहिजा करते कि डाक्टरी रिपोर्ट क्या कह रही है, कितने नजदीक से उसको गोली मारी गई, कार-तूस कहां से आये। कोतवाल कारतूस चलाना जानता नहीं। फिर पूरे के पूरे कार-तूस जमा हुए। अध्यक्ष महोदय, जब आक्रोश फैला, जन भावना फैली तो अरुण सिंह ने एक काल दिया कि 6 तारीख को हाथी वाले मामले में और और घटनाओं को लेकर

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री यदुनाथ सिंह)

धरना दूंगा । एस. पी. को इसमें शक क्या जाता है ? उसके पहले जब नोटिस देते हैं कि पुलिस की अनियमितताओं को लेकर धरने पर बैठने वाले हैं तो उससे पहले अम्बेडकर समिति की तरफ से एक काउन्टर धरने का बयान आता है । काउन्टर धरना, जब एस. पी. साहब के खिलाफ कोई आदमी दे रहा हो तो फिर समिति को क्या जरूरत पड़ी । इसके बाद 5 तारीख को जब अरूण कुमार अपना ज्ञापन देकर वापस घर जा रहा था, एस. पी. रोहतास से मेरी बातचीत हुई, यह उनके नोटिस में था । उनके नोटिस में था और भरतपुर का बच्चा-बच्चा जानता है, कौन बदमाश है इसका कोई जातिवाद से मतलब नहीं है, बदमाश मेरी जाति में भी हो सकता है, किसी भी जाति में हो सकता है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको अवसर दूंगा । कृपया बीच-बीच में बाधा न डालें ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : 5 तारीख को हमला हुआ, पीटा गया और 6 तारीख को जो धरना था, वह हुआ । अगर माननीय रामप्रसाद जी बहुत उछल रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि 6 तारीख को जो धरना हुआ वह सबके लिये हुआ । आपके दल के दो एम० पी० उस धरने में बैठे हुए थे, इसका मतलब सब राजनीतिक दल और स्वयं सेवी संस्थाओं ने उस धरने में भाग लिया तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ आक्रोश भड़कना था । अध्यक्ष महोदय, 9 को कॉल दिया गया । आने वाला जो घटना क्रम है, 9 तारीख को प्रोसेशन आता है, मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, एस० पी० का और कलेक्टर का उसके बारे में क्या मूल्यांकन था ? कितने आदमी उस प्रोसेशन में आने की उम्मीद थी ? क्या रिपोर्ट थी ? कितनी फोर्स लगाई आपने ? बाहर से फोर्स लगाई या नहीं लगाई ? आपने कहा 400-500 आयेंगे । आई० जी० साहब को गुमराह करते हैं । रोहतास कुमार दिन के दो बजे कहते हैं, 300-400 आदमी आयेंगे और यहां गुण्डागर्दी की बातें हैं, ये है, वो है । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो वहां भावना थी और वातावरण बना वे धरने पर आये, उस प्रदर्शन में आये । 9 तारीख को शान्तिपूर्वक प्रदर्शन आ रहा था, आपकी सी. आई. डी. की रिपोर्ट वायरलैस की रिपोर्ट 30 तारीख की मेरे पास मौजूद है । अध्यक्ष महोदय, 9 तारीख को प्रोसेशन चला और पीस फुली कलेक्टोरेट पर आ गया । वहां पर मेमोरेन्डम दिया जा रहा था । मैं पूछना चाहता हूं, उस समय वहां पर आई० जी० क्या कर रहे थे ? डी० आई० जी० क्या कर रहे थे ? एस० पी० बैठे क्या कर रहे थे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं ।

श्री यदुनाथ सिंह : वहां कलेक्टर बैठा क्या कर रहा था ? इतना सेन्सेटिव मामला

(श्री यदुनाथ सिंह)

था उसके बावजूद दावतों में घूम रहे थे, उनकी फेयरवेल हो रही थी, डी० आई० जी० दावतों में घूम रहे थे। किसी को कोई परवाह नहीं थी। कोई अन्दाज नहीं, क्या होने वाला है ? आपकी सी० आई० डी० फेल हो चुकी? यह इससे अन्दाज लग सकता है कि उसने तो कहा था 200-300 आदमी आयेंगे और वहां 15 हजार आदमी आये। उनका शान्तिपूर्वक जुलूस आया। आकर अन्दर मेमोरेन्डम देने अरूणकुमार गये। अब रिपोर्ट अलग-अलग है। सी० आई० डी० का मामला है, इन्वेस्टीगेशन का मामला है आप कहेंगे तो मैं पढ़कर सुना दूंगा। जब प्रोसेशन से आदमी जा रहे थे तो वहां पर जो इन्चार्ज था, एस० पी०, वह क्या कर था, आई० जी० क्या रहे थे ? एस० पी० का पटपड़ा मोहल्ला पड़ता है। वह प्रोसेशन वहां से आगे न जाय तो उसकी क्या व्यवस्था की गई थी ? और जाय तो किस रूप में जाय? जो घटना पटपड़ा मोहल्ले में घटी उसके अलग-अलग तथ्य आते हैं।

मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि प्रदर्शन शान्तिपूर्वक जा रहा था सड़क से निकल कर। यह सी० आई० डी० भी कहती है और विभाग भी मानता है, पुलिस भी कह रही है। अब एक मकान से लगातार गोलिया चलीं। गोली चलने से जब मॉब को ऐजीटेट किया गया तो क्यों नहीं इन्त-जाम था पटपड़ा मोहल्ले में ? घरों से गोलियां चल रही थीं। उसका आज तक क्या रिसर्च किया गया ? गोपालजी को पूरा पता नहीं है। उस पटपड़ा मोहल्ले में हरिजनों को मारा गया, कई बनिया ब्राह्मण घायल हुए, गुर्जर घायल हुए, जाट घायल हुए। वह किसी जाति का प्रोसेशन नहीं था। उसमें सभी जातियों के लोग थे और सभी बुरी तरह घायल हुए हैं। उसके बाद, मैं पूछना चाहता हूं 8 तारीख की रात को श्री रोहतास ने तीन बजे क्या आर्डर इश्यू किये ? मैं पूछना चाहता हूं, क्या 35 आदमी किसी एक जाति विशेष के थे ? हो सकता है, रिकार्ड में न हो। प्रद्युम्न सिंह जी, आपको मालूम है आपने वहां जाकर बात की थी। एक' रायफल तो सरकारी सर्विस की उस मोहल्ले से तीसरे दिन स्वयं श्रीमान् डी० आई० जी० बरामद करके लाये हैं, उसको मुश्किल से निकाल कर लाये हैं। ऐसी बात नहीं है। 20 कारतूस भी घट रहे हैं मैगजीन से तथा विपक्ष के माननीय नेता ने यहां प्रस्तुत की है। तो मेरा पिन पाइण्ट प्रश्न यह है कि जो घटना क्रम था, 9 तारीख का वहां पर इसका मूल्याकन क्या था ? डी० एस० पी०, एस० पी० और कलेक्टर ने उसके हिसाब से कितनी फोर्स का इंतजाम किया ? उधर प्रोसेसन को जाने से आपने क्यों नहीं रोका ? गोली पहले कहां चली ? कितने आदमी घायल होना आपकी पुलिस बता रही है ? कितना सी० आई० डी० बता रही है और कितना आपकी रिपोर्ट बता रही है ? उसके बाद, 16 तारीख का जो मसला है, 16 तारीख को तो शान्ति के लिए, अध्यक्ष महोदय, लोगों का कॉल अटेन्शन हमने कर लिया था, लोगों का ध्यान डायवर्ट करने के लिए कि फिर से भीड़ न आय। धारा 144 होते हुए भी वहां पर हजारों आदमी गये थे तो हमने उनका इंतजाम किया। शहर के बाहर उनको रोक कर उनकी मीटिंग कर ली और उनको घर जाने के लिए निवेदन किया

(श्री यदुनाथ सिंह)

गया। सरकार की ओर से वहां पर कोई प्रयास नहीं हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, नये कलेक्टर को और नये एस० पी० जो गये हैं उनको। मुझे उनके दर्शन करने का मौका तो नहीं मिला लेकिन उन्होंने प्रयास किया जाने के बाद। प्रयास इस प्रकार शुरू हुआ है कि लोगों को साथ ले जाकर उन्होंने गांव-गांव जाना शुरू किया है और एक अच्छा वातावरण बनाना शुरू किया है। उससे पहले क्या कर रहा था वहां का प्रशासन? क्या कर रही थी पुलिस? क्या कर रहे थे एडीशनल एस० पी०, एस० पी० और वहां का तमाम प्रशसन? कलेक्टर ए. डी. एम. ने कभी कोई प्रयास किया क्या? गांव वालों ने कोई प्रयास किया? अध्यक्ष महोदय, यह जो घटना है यह इतनी संदिग्ध है क्योंकि जो पुलिस ने रिपोर्ट की है, इस घटना के बाद, उसमें यह है कि जाट लोगों ने हमला किया। शब्द दिया गया है, "जाट लोगों ने हमला किया।" तो इसके बाद इन्वेस्टीगेशन हुआ उसमें क्या यह सही पाया गया? अगर इस तरह की रिपोर्ट जाति विशेष के नाम से की गयी तो क्या उसमें कोई इन्टेन्शन थी? रोहतास के दबाव से की गई? जाति का नाम क्यों लिखा गया? रिपोर्ट जाट लोगों ने दर्ज की है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही कहते हुए मैं निवेदन करूंगा कि यह मामला इतना संदिग्ध है कि पुलिस भी उसमें पार्टी है। पुलिस उसमें पार्टी है इसलिए पुलिस की किसी भी एजेन्सी से इसकी जांच कराया जाना कतई उचित नहीं है। न तथ्य सामने आ पायेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी, वहां तनाव समाप्त करने की बात है, राजनीति की बात नहीं है। वहां तनाव नहीं रहे। वहां कभी भी इस तरह का जहर नहीं था वह जहर न बढ़ पाये इसलिए निष्पक्ष जांच कराइये, जिस किसी ने भी गुण्डागर्दी की है, चाहे मैं स्वयं हूं, चाहे कोई और हो, किसी जाति का हो, उसकी आप परवाह मत कीजिए। उसका जिम्मा हम पर छोड़िये कि वहां शान्ति रहेगी या नहीं। कतई शान्ति रहेगी वहां, अगर आप मुल्जिमों को पकड़ेंगे तो। तभी लोगों में सुरक्षा की भावना आयेगी कि इस तरह की वारदात करने वाले जो लोग हैं, उनको सजा मिलती है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करायी जाय या सी. बी. आई. से इन्क्वायरी करायी जाय तभी जनता और सरकार के सामने सारे तथ्य आ पायेंगे। मुझे इस बारे में इतना ही निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री राम कंवार।

श्री रामकंवार बेरवा : भरतपुर में 9 अगस्त को जो घटना हुई वह एक चिन्ता का विषय है। मेरे से पूर्व वक्ता ने यही जाहिर किया है अपने बयान में कि अभी भी भरतपुर जिले के प्रत्येक नागरिक के मन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न नहीं हुई है और असंतोष बढ़ता जा रहा है। जो मेम्बर अपनी बात कह चुके हैं मैं उसका दुबारा वर्णन नहीं करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि भरतपुर जिले के जितने भी जाटव, चाहे पटवारी हों, अध्यापक हों, लेक्चरार हों, जहां कहीं भी अपने काम में, नौकरी में लगे हुए थे, उनको सवर्ण जातियों द्वारा बहुत ज्यादा ताड़ना दी गयी और उनसे यह भी कहा गया कि अगर तुम यहां से नहीं जाओगे तो तुमको मार दिया जायेगा। जाटव समाज के जो लोग ऊंचे पदों पर काम करते थे उनके

(श्री रामकंवार बैरवा)

माथे पर भी दोष मढ़ दिया गया कि पटपड़ा मोहल्ले के जुलूस पर पथराव कराने में तुम्हारा हाथ है। इस तरह की बातें हुई। उनमें से कई लोग जयपुर में 10-15 रोज तक रहे और अब वापस गये या नहीं यह तो भगवान ही जानता है। मैंने भी पिछले वर्षों में वहां रहे अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया तो उन्होंने यही बात बतायी कि वहां पर कोई भी अधिकारी जाता है तो वह हां में हां नहीं मिलाता और सही प्रकार से कोई भी बात करे तो जो 10-20 लोगों का जो गिरोह है वह किसी भी बात के लिए मजबूर करता है। भरतपुर जिले में आज तक जितने बड़े अधिकारी अनुसूचित जाति के रहे, उन्होंने इस बात पर असंतोष जाहिर किया है। मैंने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा था कि भरतपुर में जो कुछ हुआ है उसके लिए विधायकों की एक सर्वदलीय कमेटी बनाकर उसकी निष्पक्ष रूप से इन्क्वायरी करें और निकट मोहल्लों में अनेक व्यक्तियों से जानकारी लें तभी तथ्य सामने आ सकेंगे। मेरे से पूर्व वक्ता ने भी यही मांग की कि जो कमीशन नियुक्त किया है वह सही तथ्य सामने लाने में असमर्थ रह सकता है और हो सकता है उसका नतीजा न निकले। तो मैं मुख्य मंत्रीजी से और सदन से मांग करता हूं कि विधायकों की सर्वदलीय कमेटी इन्क्वायरी के नियुक्त की जाय। वह कमेटी इन्क्वायरी करके तथ्यों का पता लगाये ताकि जो लोग झगड़ों को भड़काने में दोषी हैं जिन अधिकारियों द्वारा बहुत बड़ी मशीनरी के दुरुपयोग से जो नुकसान, लूट-पाट, आगजनी हुई है, उन को सही सजा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य, यदुनाथ सिंहजी फरमा रहे थे कि वहां जाटव और जाट जाति में बहुत निकटता का सम्बन्ध रहा है और वह हमको कमाकर देते हैं। लेकिन इनका कहना वहां तक ही सीमित था कि वह हरिजनों के रूप में और बेगार प्रथा के रूप में इनके सामने आये। जहां वह ऑफिसर के रूप में आ जाते हैं तो वहीं इनके दिल में इस बात का दुख पैदा हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, पहले भरतपुर में भी जागीर प्रथा थी और वहां के राजा जाट थे लेकिन उस समय जाटव जाति पर इतने अत्याचार नहीं हुए। हम इस बात को मानते हैं। जाटव समाज के लोग महसूस करने लगे हैं कि 33-34 वर्ष की आजादी के बाद जितनी ताड़ना इस युग में मिली उतनी जागीर-प्रथा के समय में भी नहीं मिली। भरतपुर में राजा के राज में आराम से सोते थे, अच्छा खाते पीते थे और सम्मान से रहते थे। मेरा निवेदन है, मुख्य मंत्रीजी, कि विधायकों की एक सर्वदलीय कमेटी का निर्माण करके इन्क्वायरी कराकर असली असामाजिक तत्वों का पता लगायें, चाहे वे किसी भी कास्ट के हों और उनको सही सजा दें। असामाजिक तत्व चन्द होते हैं लेकिन वह पूरे समाज और राज करने वाली पार्टी-सबको नुकसान पहुंचाते हैं। गरीब लोग, अनुसूचित जाति के लोग, उनका शिकार बनते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस पर विचार किया जाय सर्वदलीय कमेटी.......

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री रामकंवार बैरवा : मैं फिर निवेदन करता हूं कि सर्वदलीय विधायकों की एक

(श्री रामकंवार बैरवा)

कमेटी बनाकर इस सदन में रिपोर्ट पेश करें। जो लोग इसमें शामिल हैं, असामाजिक तत्व, उनको सजा मिले, यही मैं कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है।

श्री त्रिलोकसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलना है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके पक्ष की ओर से नेता महोदय ने सब बातें कह दी हैं।

श्री त्रिलोक सिंह : मेरा कोई नेता नहीं है।

श्री नानालाल (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से श्री रामप्रसाद जी बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री नानालाल : हमारी तरफ से एक सदस्य को तो बोलने दें। रामप्रसाद जी बोलना चाहते हैं।

श्री हरिसिंह : हमारी पार्टी की तरफ से कोई बोला ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नहीं बोला है। जितने भी विचार आये हैं विरोधी पार्टी के विचार आये हैं विरोधी दल के तथ्य आपके सामने आये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर शहर और शहर के निकटवर्ती क्षेत्रों में जाट और जाटवों के सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बने रहें उसके प्रति सदन में जो सजगता और संवेदनशीलता प्रकट हुई है, उसके लिए तो मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कि आज भरतपुर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के अन्दर वातावरण पूर्ण रूप से सामान्य है, शांतिपूर्ण है। मैं यह यों ही नहीं कह रहा हूं, या कि कोई कल्पना की बात नहीं कह रहा हूं। अपेक्षा की बात नहीं कह रहा हूं। मैं यह चाहता हूं। मैं 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक और 16 तारीख से लेकर अभी तक वहां के भरतपुर के बड़े-बड़े जितने भी गांव हैं, ऐसे गांवों में जहां जाटवों की संख्या है....

श्री अध्यक्ष : गांवों में काम के दिन हैं इसलिए लोग बाग काम में व्यस्त हो सकते हैं।

श्री हरिसिंह : मैं यह इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जाट और जाटवों का कोई झगड़ा गांवों में नहीं है।

(व्यवधान)

चाहे कोई सा भी गांव हो, चाहे हथैनी गांव हो, महगायी गांव हो, अबार हो, अजान हो, मैं वहां पर गया हूं। जो भी गांव है मैं

(श्री हरिसिंह)

वहां जाकर दोनों पक्षों में बैठा हूं। जाट और जाटवों के बीच में आपस में कोई कटुता या कोई वैमनस्य नहीं है। हां, वहां पर लोग इस प्रकार की अफवाहों के शिकार हो रहे थे। इस प्रकार की अफवाहें फैलायी जा रही थी गांवों के अन्दर जा कर के कि भरतपुर शहर में जाटवों के साथ इतने अत्याचार हुए, इतने घर जलाए गए, ऐसी कई बातें हुई हैं, इतने आदमी मार दिए गए हैं। इस प्रकार की खबरें आ रही थीं कि 9 जाटवों को गोली से भून दिया गया है। इस प्रकार की अफवाहों को फैला करके वातावरण को दूषित किया जा रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रशासन को भी और वहां के....

(व्यवधान)

सही बात है, आपको जानकारी नहीं है। मैं वहां पर रहा हूं। वहां पर जो प्रशासन ने किया है, वहां पर जो जन प्रतिनिधियों ने किया है, वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया है, गांव गांव में गए हैं और वहां जा करके वातावरण को शान्त किया है। गांव के लोग भी, जो जाट थे वह जाटवों की बस्ती में जाकर बैठे हैं, रात को सोये हैं और इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आपके साथ कोई भी आदमी इस प्रकार से छेड़खानी नहीं कर सकता, कोई भी बाहर का आदमी नहीं आएगा और अगर कोई भी आपके साथ छेड़खानी करेगा तो हम हैं। आपको भागने की जरूरत नहीं है, पलायन करने की जरूरत नहीं है। मैं कह सकता हूं निश्चित रूप से, आप दो सौ गावों की चर्चा कर रहे थे, भरतपुर के एक गांव से भी एक भी जाटव का पलायन नहीं हुआ है, आराम के साथ वहां पर रह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आपने अपने विचार रख दिए, मैं मेरे विचार जो मेरी मान्यता है, रख रहा हूं कि न किसी जाटव का पलायन हुआ और न किसी जाट जाटव के बीच में आपस में वैमनस्यता है। जहां तक सवाल इस बात का है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो उन्होंने देखा है वे वह बात कह रहे हैं। आपने देखा है वह अलग बात है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। जो उन्होंने देखा है वे वह कह रहे हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं निवेदन करना चाहता हूं सारी घटना का। 9 तारीख की घटना को जो रूप दिया जा रहा है कि जाटों और जाटवों के बीच में झगड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जाटों का या किसी एक कौम का जुलूस नहीं था। 9 तारीख को जुलूस शुरू हुआ, श्रीमान्, चार पांच हजार आदमियों का जुलूस था। निहत्था

(श्री हरिसिंह)

जुलूस था। न उसके पास लाठी थी, न हथियार थे।

जुलूस शहर के मुख्य बाजारों में हो कर के शांतिपूर्ण ढंग से जा रहा था। कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। जुलूस घण्टे-डेढ़ घण्टे में बाजार में होकर पहुंचा है प्रशासन के दरवाजे पर। किसी भी व्यक्ति के लिए, लोगों के लिए इस प्रकार के अख्तियार हुआ करते हैं प्रजातन्त्र की शासन प्रणाली के अन्दर कि वह अपनी बात आकर कहे। वे लोग शांतिपूर्ण तरीके से आये थे। जुलूस के रास्ते मे मुख्य-मुख्य बाजार थे, वहां पर जाटवों की बस्तियां थीं। रास्ते के अन्दर जाटवों की दुकानें भी थीं। रास्ते के अन्दर जाटवों के खोमचे लगे हुए थे। किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं हुई थी। प्रशासन के दरवाजे पर आकर जुलूस आधा घण्टे तक वहां पर रहा है। वहां पर कोई छेड़खानी नहीं थी, कोई ऐसी भावना नहीं थी। अचानक, जैसा कि विपक्ष के नेता कह रहे थे, जैसा कि मुख्य मन्त्री ने स्टेटमेंट दिया कि जब वहां पर लोग जा रहे थे या जो वहां पर थे उनके बीच में एस. पी. के दफ्तर की तरफ जाट और जाटवों के बीच में पत्थर बाजी हो गई, गोली चल गई। भीड़ उत्तेजित हो गई, आग लग गई। वह जो इंसिडेन्ट हुआ, अचानक हो गया। दुखदायी इंसिडेंट है, लोगों को तकलीफ हुई है, लोगों के घर जले हैं, यह मैं नहीं कहता नहीं हुआ। लेकिन इसको जो रूप देना चाहते हैं कि जाट और जाटवों के बीच झगड़ा हो गया यह कतई दुखदायी बात होगी। पूर्ण क्षेत्र के शांतिपूर्ण वातावरण को समाप्त करने वाली बात होगी। इसके साथ 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, आप देखें, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। जहां तक सवाल है पुलिस की सतर्कता का, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने वहां पर भरतपुर की भीड़ को देखा है। कुछ दिन पहले सिमको पर इस प्रकार का झगड़ा हुआ था। पुलिस ने फायरिंग किया। चार आदमी मारे गए। किन्तु उस समय पुलिस ने बड़े संयम से काम लिया, बड़ी सतर्कता से काम लिया। अगर वहां पर पुलिस बल का ज्यादा प्रयोग कर देती तो वहां फायरिंग हो गया होता। एक नहीं अनेकों आदमी मर गए होते। कम से कम दस बीस आदमियों की जानें गई होतीं। तो, प्रशासन को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने बड़ी सतर्कता से काम लिया था। यह जो घटना घटी है वह पूर्ण रूप से दुखदायी है। अगर पुलिस सतर्कता से काम नहीं लेती, पुलिस वहां पर थी जाटव मोहल्लों के अन्दर थी, एडीशनल एस. पी. स्वयं मौके पर मौजूद थे, दूसरे एडीशनल एस. पी मौजूद थे उन्होंने वहां पर जाकर रोका है, अगर वह रोकते नहीं तो झगड़ा और ज्यादा बढ़ सकता था, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं है कि पुलिस ने इन्तजाम नहीं किया हो। जितना बल प्रयोग करना चाहिए था उतना किया। लाठी चार्ज हुआ, अश्रु गैस भी चली, भीड़ को तितर-बितर भी किया। इसके बाद 16 तारीख थी। 9 और 16 तारीख के बीच में लोगों ने बड़ी कोशिश की इस बात की कि इस धरना को रंग दिया जावे, इस बात को उछाला जावे जिससे दोनों कौमें आपस में लड़ जावें। लेकिन 16 तारीख को धारा 144 लगा कर पुलिस ने और प्रशासन ने इस बात पर

(श्री हरिसिंह)

काबू किया । दोनों के सम्बन्ध आज भी मधुर हैं । अफसोस तो इस बात का होता है, अभी वे कह रहे थे कि कांग्रेस के राज के अन्दर हरिजनों पर, जाटवों पर बड़े अत्याचार हुए हैं । मैं उस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि जनता पार्टी के राज में कितने अत्याचार हुए हरिजनों पर, राजस्थान में कितने जाटवों के खेत छीने गए थे, राजस्थान में कितने हरिजनों के पट्टे वापस छीन लिए गए थे, राजस्थान में कितने जुल्म किए गए थे हरिजनों पर, श्रीमन्, आज तो बात करते हैं लेकिन तब यहां पर आकर तो एक तरह से वातावरण यह स्थापित हो गया था कि उनका जो रिजर्वेशन है, उसको समाप्त किया जावे । कहां पर फायरिंग नहीं हुए ? धौलपुर में फायरिंग हुआ, नीमकाथाना में फायरिंग हुआ । बेलची में क्या नहीं हुआ ? उन सब बातों पर पर्दा डालने के लिए इन बातों को उछाला जा रहा है । तो, श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक जांच का सम्बन्ध है, इसकी जांच पूर्ण रूप से सही ढंग से होनी चाहिए । रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर साहब जांच करने के लिए बैठे हुए हैं और उनके सामने सब तथ्य आयेंगे । यह बात अवश्य है कि आज भी पुलिस के अन्दर गुटबन्दी है । भरतपुर के अन्दर गुटबन्दी थी और भरतपुर के अन्दर गुटबन्दी नहीं हुई होती तो जो वहां पर वातावरण विक्षिप्त हुआ वह सम्भवतः विक्षिप्त नहीं हुआ होता ।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अभी आप फरमा रहे थे कि कलेक्टर का तबादला कर दिया गया, डी. आई. जी. साहब का तबादला कर दिया गया है । जहाँ तक सवाल इस बात का है तो जिस दिन यह बात हुई उस दिन एक नहीं दो-दो डी. आई. जी. साहब वहां पर थे । जिनका ट्रांसफर हुआ था उनको भी वहीं पर रोक दिया गया था और नए डी. आई. जी. भी वहां पर पहुंच गए थे । आई. जी. साहब स्वयं मौके पर मौजूद थे । कलेक्टर साहब का ट्रांसफर हो गया था फिर भी विशेष रूप से उनको वहीं पर रोक दिया गया था । गृह प्रशासन के मिनिस्टर साहब स्वयं पहुंच गए थे, क्षेत्र के एम. पी. साहब पहुंच गए थे वहां के एम. एल. ए. साहबान पहुंच गए थे मौके पर इन सब ने वहाँ पर जा करके स्थिति को सम्भाला है और पूर्ण रूप से सम्बन्ध आपस में सौहार्दपूर्ण बनाये हैं । तो प्रशासन को या राज्य सरकार को दोष देने वाली बात नहीं है । आज के दिन दोनों कौमों के बीच में सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हैं. यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल ।

श्री रामप्रसाद : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपने पहले आई कैच की है ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले उनको बोलने दें ।

श्री अध्यक्ष : ये तो जवाब देंगे जो आप बोलेंगे उसका । डिबेट का कायदा यही

(श्री अध्यक्ष)

है कि एक दफा इधर से तो एक दफा उधर से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम भी चार बोले हैं, ऐसी क्या बात है। हम भी पांच आदमी बोले हैं।

(व्यवधान)

आप उनको बोलने दें।

श्री रामप्रसाद (रूपवास) : अध्यक्ष महोदय, 9 तारीख को जो घटना भरतपुर में हुई है वह बड़ी दुखदायी थी। 9 तारीख को मैं जयपुर आया था क्योंकि हमारी मीटिंग थी। मैंने मीटिंग में हाजिरी की, चार बजे मुख्य मंत्रीजी से मिला। वहां पर सूचना मिली कि भरतपुर में यह घटना हुई है। अध्यक्ष महोदय, भरतपुर की घटना के बाद मुख्य मंत्रीजी ने हमको निर्देश दिया कि सब एम. एल. एज भरतपुर जावें। हम, अध्यक्ष महोदय, भरतपुर गए। गृह मंत्री हमारे साथ गए। हम रात को साढ़े ग्यारह, बारह बजे के करीब भरतपुर पहुंचे। भरतपुर में आई. जी. साहब, डी. आई. जी. साहब, एडीशनल एस. पी. साहब, एस. पी. साहब मौजूद थे वहां पर।

वहां के हमारे लालाराम ने तीन दिन पहले सब अधिकारियों को सूचना दे चुके थे। अध्यक्ष महोदय, 9 तारीख की जो घटना है, जुलूस निकाला, उसकी मोटी मोटी बातें कहूंगा। 9 तारीख को जुलूस पहुंचा और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। 14 तारीख को कलेक्टर साहब आये। आने के बाद यह कहा, कलेक्टर साहब, मोहल्ले में लोगों ने गिर्राज महारज का जयकारा देकर पटपड़ा मोहल्ले में आदमियों की लूट करी. जाटवों को लूटा और आग लगाई। नदबई से आने वाले माननीय विधायक ने कहा कि इस तरह का मामला है यह इन्होंने बिलकुल × × × कहा है।

श्री अध्यक्ष : × × × शब्द कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री रामप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी सुन रहे हैं, जो घटना हुई है जाटवों के साथ तीन घंटे तक लगातार लुटाई हुई है। माननीय गृह मंत्री बैठे हुए हैं, भरतपुर के हमारे एम. पी. साहब बैठे हुए हैं, हमारे जगनसिंह एम. एल. ए., हरिसिंह, एम. एल. ए. सब बैठे हैं, इस बात को सब छिपा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, तीन घंटे तक बाजार में लुटाई हुई है और जाटवों की जितनी दुकानें थीं, उनको छांट-छांट कर लूटा है। गरीब जूती गांठने वाले लोगों को छांट-छांट कर मारा, उनको लूटा जातिवाद की भावना से। एस. पी., एडीशनल एस. पी., डी. आई. जी. और एडीशनल ए. पी. टंडन हम सब उनके साथ थे। उन्होंने जाकर जाटवों के मोहल्ले में गोली चलवायी उन्होंने मौके पर जाकर लुटवाया। एडीशनल एस. पी. ने मौके पर जाकर लुटवाया और आज नदबई से आने वाले माननीय विधायक कहते हैं, यह एस. पी. की गलती है। एस. पी. की गलती

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामप्रसाद)

नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, वहां चोरी हुई है, भरतपुर में चोरी और बदमाशी हुई, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता का मर्डर हुआ, उसमें एस. पी. सहाब ने सख्ती बरती। अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त गृह मंत्रीजी का टेलीफोन पहुंचा एस. पी. के पास, रात मे गश्त के सिपाही सोते हुए पाये, उनको एस. पी. ने सस्पेण्ड किया। इसमें क्या जातिवाद की बात थी? एस.पी. वहां मौके पर गये, पुलिस के सिपाही थे, दरवाजे की चौकी पर वह सोते पाये उनको सस्पेण्ड किया। उस मुद्दे को लेकर एडीशनल एस. पी. टण्डन ने एस. पी. के खिलाफ भूख हड़ताल करवायी। भूख हड़ताल करवाकर यह सारा झगड़ा एडीशनल एस. पी. और डी. आई. जी. ने करवाया। मैं सदन में कहने से नहीं चूकूंगा, जाटवों के साथ आज जो अन्याय हुआ है वैसा आज तक हिन्दुस्तान में नहीं हुआ। प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी हम लोगों को छूट देना चाहती है और पुलिस इस तरह हमारे साथ घटना करवाना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी हमको कुछ आगे बढ़ाना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, तीन बातें कहूंगा। एक बात, हमारे भरतपुर में कलेक्टर, एन. के. वर्मा पहुंचा, उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, जुलूस निकला, उसको बदकारी से निकाला गया। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद दूसरा कलेक्टर हमारे पास पहुंचा।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय एक घंटे के लिये पांच बजे के पश्चात् और बढ़ाया जाता है।

(4.25 म.प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

भरतपुर शहर में घटित वारदात

श्री रामप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, जो दूसरा कलेक्टर हमारा पहुंचा, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हुआ। उनको बुरी तरह से निकाला। इसी तरह हमारा एस. पी. पहुंचा। क्या शिड्यूल्ड कास्ट के कमती हैं? क्या शिड्यूल्ड कास्ट के कम हैं? उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं कहने से नहीं चूकूंगा, अगर गुर्जर हमारे साथ नहीं होते तो हम लोगों को बड़ा दुख देखना पड़ता। उपाध्यक्ष महोदय, अगर गुर्जर हम लोगों के साथ नहीं होते तो गांव में हम बच नहीं सकते थे आज। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह हमारे साथ इतनी ज्यादती हुई है जिसका हम कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। जाटवों की दुकानें लूटी हैं, जाटवों को मारा और जाटवों को ही, उपाध्यक्ष महोदय, गिरफ्तार किया है। वह जाटव बेचारे एक ही परिवार के रहने वाले, उनके घरों में आग लगायी, उन्हीं को मारा, उन्हीं को पीटा, उन्हीं के घरों में उनको गिरफ्तार किया गया। यह 20 सूत्री कार्यक्रम का लेखा है? उपाध्यक्ष महोदय, एक बेचारी, जिसके पेट में गर्भ था, उपाध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी करवा लीजिये, माननीय एम. पी. साहब खुद मौके

(श्री रामप्रसाद)

पर देखकर आये हैं, माननीय गृह मंत्रीजी खुद मौके पर देखकर आये हैं, उसका हाथ तोड़ दिया, उसके पेट में लात मारी। उसके बच्ची हुई। उसकी सास थी बूढ़ी, उसका हाथ तोड़ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी हम लोगों के साथ ज्यादती हुई है। मैं अपनी यही बात कह कर निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे साथ न्याय किया जाये। जो एस. पी. साहब थे उनको लाइन हाजिर कर दिया,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय मंत्रीजी मौजूद हैं। मंत्रीजी ने मुझसे कहा, भाई रामप्रसाद, एस. पी. साहब को लें। मैं मंत्रीजी का आभारी हूं, मंत्रीजी ने हमारे साथ पूरी रियायत बरती है। मैं इस बात को कहने से कतई नहीं चूकूंगा, मंत्रीजी हमारे पूरे हमदर्द हैं और मंत्रीजी मौके पर भी गये। हमारे जिले के एम. पी. साहब बैठे हैं, वह भी साथ गये। जिस तरह हमारे जाटवों के जितने भी लोग मिलने अस्पताल में गये, उन्होंने कितने दुर्व्यवहार से बात कही, वह यह कि 16 तारीख को खून की नदी बहा दूंगा। इस बात का सबूत है, हमारे गृह मंत्री बैठे है, हमारे एम. पी. साहब बैठे हुए हैं। हमारे जाटवों के साथ जितना अन्याय हुआ है उतना जिन्दगी में कभी नहीं हुआ। आज जाट और जाटवों का झगड़ा जो पैदा किया वह एडीशनल एस. पी. टंडन ने किया वह डी. आई. जी. ने किया। जाट और जाटव, हम हमेशा से साथ रहते आये हैं। सदियों से, उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह बात कही कांग्रेस का राज आने से हम लोगों को एम. एल. ए., एम. पी. बनने का मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, हम यह बात कहते आ रहे हैं क्या हमारे अधिकारियों को नहीं देख सकते हैं यह लोग? क्या शिड्यूल्ड कास्ट के अधिकारियों में कोई ऐसी कमी आ जाती है जो इन लोगों को बुरी तरह निकाला जाता है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री रामप्रसाद : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। हमारे लोगों के साथ यह जो अन्याय हुआ है इसकी जांच करायी जाये। माननीय मुख्य मंत्रीजी से व्यक्तिगत तौर से निवेदन करना चाहूंगा या तो ऐसा कानून बनाया जाये कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कोई अफसर नहीं बनाया जाय और उनको बिलकुल हटाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं, काफी डिस्कशन हो गया है।

(व्यवधान)

आपका ताल्लुक नहीं है, बैठ जाइये।

समय का ध्यान रखिये। तीन मिनट में खतम कर दें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां वाद-विवाद होता है, बहस के मुद्दे उठाये जाते हैं, टीका टिप्पणी होती है, आपस में एक दूसरे के प्रति लांछन भी लगाये जाते हैं लेकिन

(श्री कैलाश मेघवाल)

कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो जजबात भड़काने वाले होते है; कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनसे भावनाएं उभरती हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि घटना क्या थी। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने अभी एक घोषणा की है कि शंकरन कमेटी जांच करके इसका पता लगायेगी। सारा ग्रुप तो फट चुका, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। उस जांच से क्या निकलेगा और क्या नहीं ? मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप नोट कीजिये, और फिर उनका जवाब दीजिये, आपकी जांच के क्या मुद्दे होंगे, आपकी सरकार का चरित्र क्या है, आपकी पुलिस का चरित्र क्या है और क्या आप आज राजस्थान के हरिजनों को सुरक्षा देना चाहते हैं ? अभी आपने एक बात वक्तव्य में स्वीकार की है, सारे सदन के जितने माननीय सदस्य बोले उन्होंने एक बात स्वीकार की जब जुलूस पटपड़ा मोहल्ले में जा रहा था, वहां आपस में पत्थरबाजी हुई, उस समय जाटवों के मकान पर गोलियां चलीं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मौके पर नहीं गये होंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं मौके पर नहीं गया लेकिन मेरे पास रिकार्ड है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे अच्छे वकील हैं आपने याद दिलाया....

श्री उपाध्यक्ष : परन्तु जो बातें बोली गई हैं उनको दोहराइये नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : बिल्कुल नहीं दोहरा रहा हूं. उपाध्यक्ष महोदय। पुलिस ने कोली के लड़के पर गोली चलाने वाली घटना को बिलकुल अलग बता दिया है। आप देखिये, एफ. आई. आर नं. 475 और 478 में क्या लिखती है पुलिस। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं वकील रहे हैं इसलिये मैं चाहूंगा आप मुख्य मंत्रीजी की मदद करें। पुलिस लिखती है—वक्त जाय वकुआ पौने ग्यारह से....कोली के लड़के पर गोली चली है।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाय इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हरिजनों पर अत्याचार हुआ है। जो आतंक मचाया और पुलिस जिस तरह से वहां पर षड़यंत्र करके मुकदमा बिगाड़ रही है उसके प्रमाण दे रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय चाय पीने गये तो मैं माननीय गृह राज्य मंत्रीजी से कहूंगा। गृह राज्य मंत्रीजी, आप पाइन्ट्स नोट कीजिये और इस बात का जवाब दीजिये कि आपकी हुकूमत चाहती क्या है और पुलिस को किस सीमा तक छूट देना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वक्त वकुआ 9-8-82, समय पौने ग्यारह से 1-1 के बीच। अभी इतना भाषण हुआ है उसमें एक बात निर्विवाद रूप से आई है कि जाटवों के घरों से गोली चली जिससे कोली का लड़का मरा है वह एक या सवा दो बजे के बीच में चली है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं, यह वही

(श्री कैलाश मेघवाल)

पंचनामा है जिसका पोर्शन मैं पढ़ रहा हूं —"बयान श्री पप्पू पुत्र विशंभर जाति कोली साकिन अनाहर दरवाजा प्रताप कालोनी भरतपुर उम्र 16 साल मजरूह जेर इलाज वार्ड न. 18, जनरल अस्पताल भरतपुर ने बयान दिया कि मैं व एक मिस्त्री बिजली घर से आगे एक मकान बनाने गये थे। आज दिन के करीब 11, पौने ग्यारह बजे की बात है मिस्त्री ने सैंपल माचिस लेने के लिये बाजार की तरफ भेजा था बस स्टैण्ड चौराहे पर काफी भीड़ हो रही थी व झगड़ा हो रहा था फिर मैं डर के मारे वापस चमारों के मोहल्ले की तरफ भागा तो चमारों के मोहल्ले की तरफ से बन्दूक की गोलियां आई जो मेरे पेट में नीचे गोलियों के छर्रे लगे और फिर मैं जमीन पर गिर गया।"

यह पंचनामा, जो फाल्स एफ. आई. आर. है इसमें ग्यारह, पौने ग्यारह की घटना बताई है। मैं पूछना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी से, माननीय गृह राज्य मंत्रीजी नोट करें। 475,78 है एफ. आई. आर., देख लीजिये, चाहे वक्त जाय वकुआ भी देख लीजिये; प्रारंभ से ही आखिर तक पुलिस क्या कर रही है। राजस्थान के आई. जी., डी. आई. जी. मौके पर बैठे थे भरतपुर में और उस समय जो सारी घटना हुई, किस तरह घटना के कागजात को खराब करने की कोशिश की गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम यहां बराबर एक बात कहते हैं कि यह जो जन प्रतिनिधियों की सभा है, यह सर्व प्रभुत्व सम्पन्न सभा है, यहां पर जो बोला जाता है, वह सही होता है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अभी एक वक्तव्य पढ़ा है, राजस्थान सरकार के मुख्य मन्त्री एक वक्तव्य पढ़ें, सभी माननीय सदस्यों ने सुना है, मैं भूल नहीं सकता, भीड़ ने उग्र होकर जाटवों के मोहल्ले पर पथराव करना चालू कर दिया— यह पढ़ा है। राजस्थान सरकार के ऐसे नुमाइन्दे प्रतिनिधि अदालत के न्याय मन्त्री क्या बोलते हैं, यह इस बात को साबित करने के लिये पर्याप्त है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार के पुलिस विभाग की मंशा क्या है, सरकार का हरिजनों के बारे में वास्तविक क्या वर्ताव होगा। वह अदालत में क्या बोलते हैं ? अदालत में जो भी बोला गया है वह भी प्रामाणिक है और हाउस में क्या बोला गया है वह भी प्रामाणिक है। दोनों में सही कौन है, गलत कौन है, मैं राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा। अदालत के लोक अभियोजक ने क्या कहा, यह मैं आपको बताना चाहूंगा। लोक अभियोजक की बहस जरा तो मालूम पड़े, क्या कहता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक जमानत की अर्जी पेश की, जैसा अभी रूपवास से आने वाले माननीय विधायक कह रहे थे कि दो छात्र जो पीड़ित थे जिन पर गोलियां चलीं, जो दुखी थे उन दो नौजवान छात्रों को भी पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। उनकी तरफ से एक अर्जी पेश की, जमानत की, उसमें राजस्थान सरकार के नुमाइन्दे वकील क्या

(श्री कैलाश मेघवाल)

कहते हैं ? वह वकील सही है या राजस्थान सरकार के मुख्य मन्त्री सही हैं, इस बात का जवाब देना होगा। उससे पता चलेगा कि हरिजनों के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या उनके साथ बर्ताव करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वकील बोलता है--जिस समय इन्होंने गोली चलाई उस समय इनके लिये गोली चलाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था। योग्य लोक अभियोजक ने बहस की कि इन्होंने बतौर एजेन्ट प्रवोकेटर का काम किया। जुलूस को जाता देख कर ही इन्होंने पथराव प्रारम्भ कर दिया जिससे पप्पू पुत्र विशम्भर कोली सड़क पर जाते हुए के गोली लगी और वह अन्त में इस कारण से मौत का शिकार हुआ। योग्य लोक अभियोजक ने यह भी बहस की कि अभियुक्त प्रार्थी या नेमीचन्द के मकान में ना आग लगाई गई ना इनमें से किसी को चोट पहुंची थी और ना ही किसी मकान की तोड़फोड़ की। झोंपड़ी जो एक जली वह किसी नट को बताई जाती है। योग्य लोक अभियोजक ने यह भी बहस की कि इस प्रकार प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध कराने के लिये आग भी इन्होंने ही झोंपड़ियों में लगवाई जो महज एक बहाना मात्र थी और गोली चलाने के लिए एक कारण बनाया गया। योग्य लोक अभियोजक ने यह भी बहस की कि जोगेन्द्र सिंह ने जो प्रथम सूचना नं. 474 दर्ज कराई है वह पुलिस प्रशासन के बचाव के लिये कराई है जिसमें अहम् तथ्यों को छुपाया गया है। कोई कारण नहीं था कि इस प्रथम सूचना में मृतक पप्पू के गोली लगने का जिक्र नहीं किया जाता। अदालत में जिस प्रकार बहस की गई उसमें यह कहा गया है कि प्राइवेट डिफेन्ड का मुद्दा खड़ा करने के लिये इन झोंपड़ियों में आग भी इन्हीं लोगों ने लगाई थी। मैं राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूं कि बाढ़ से पीड़ित लोगों को आपने अनुदान दिये वे स्वयं अपनी झोंपड़ियां जला कर आपके पास आयेंगे ? क्या स्वयं अपनी झोंपड़ियां कोई जला सकेगा ? लेकिन जिस प्रकार की कोशिश की गई, यह इसलिये कहना चाहता हूं कि जिस एफ. आई. आर. पर तफतीश की गई, नं. 474/82 को, उपाध्यक्ष महोदय, पढ़ने से आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें पप्पू पर गोली चलाने का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। इसमें कहीं यह तथ्य नहीं आया कि पप्पू के गोली लगी थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ दूं, क्योंकि शायद गृह राज्य मन्त्रीजी कहेंगे कि कहीं इधर उधर से बोल रहा हूं, तथ्यों को भ्रमित करने के लिये बोल रहा हूं। देखिये, एफ.आई.आर. नं. 474, जो आपके पुलिस के सब इंसपेक्टर जोगिन्द्र सिंह ने तफतीश की है और जिसमें जाय वकुआ करीब ढाई बजे का कर दिया। इसमें उन्होंने 13 मुल्जिमों का जिक्र किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तीसरी लाइन है, "इस बीच भीड़ में से करीब पांच सौ मर्दबान कृपालसिंह, सुरेन्द्रसिंह, जगदीशसिंह, करतारसिंह बरसोका, बलवीरसिंह व करतारसिंह जाटान निवासी जमीना, रतीराम जाट सिनसिनी के नेतृत्व में कलेक्टरेट से मोहल्ला पटपड़ा की ओर बढ़ गया। इसमें उत्तेजित भीड़ को देखकर मोहल्ला पटपड़ा के जाटवान घबरा गये और इकट्ठे होकर एक पक्के मकान पर चढ गये।

(श्री कैलाश मेघवाल)

उत्तेजित भीड़ ने जयसिंह नट के झोंपड़े में जो सड़क पर ही था, आग लगा दी और दोनों ओर से भारी पथराव चालू हो गया। भीड़ मोहल्ला पटपड़ा में घुस गई और 20-22 फूस के छप्पर और कच्चे फूस के झोंपड़ों में आग लगा दी। मकानों में तोड़-फोड़ और लूटमार की। इधर जाटवान ने बन्दूक से दो फायर किये। इत्तला मिलने पर कलेक्टोरेट मे श्रीमान् एडी. एस. पी. साहब मुख्यालय भरतपुर जाप्ता लेकर मोहल्ला पटपड़ा की ओर भागे। भीड़ ने मोहल्ला पटपड़ा में दाखिल होने के रास्ते बन्द कर रखे थे। लिहाजा घुड़सवार पुलिस की मदद रास्ते में से भीड़ हटाने के लिये ली गई। भीड़ ने घुड़सवार और घोड़ों पर पथराव किया।

घुड़सवार वीरेन्द्रपालसिंह घायल हो गया और घोड़े से गिर गया। गिरे हुए को भीड़ ने घेर लिया। जाप्ता, जो एडीशनल एस0पी0 मुख्यालय के हमराह था, उसे भी भीड़ ने घेर लिया। ज्यों ही यह इत्तला कलेक्टोरेट पर पहुंची, एडीशनल एस0पी0 साहब, ए0डी. एफ. जाप्ता लेकर रवाना हुए। उत्तेजित भीड़ में से कुछ लोगों ने लक्ष्मणसिंह कान्स्टेबल 1459 की सर्विस रायफल, जिसका बट नम्बर 582 था, छीन ली और इस सर्विस रायफल से फायर खोल कर मैगजीन खाली कर दी। भीड़ को तितर-बितर करने के लिये बाहुक्म श्रीमान् सिटी मजिस्ट्रेट साहब एम0एम0 व्यास ने मजमाये गैर कानूनी घोषित कर मजमे को नहीं बिखरने पर बाद चेतावनी आंसू गैस के 16 सेल छोड़े गये जिससे भीड़ तितर-बितर हो गई और भागते हुए, भीड़ में से उपरोक्त सर्विस रायफल बरामद हुई।

यह क्या आपकी पुलिस का कमाल है, गृह राज्य मन्त्री, उसका जिस पुलिस के आप प्रमुख हैं. जिस पुलिस के आप मुख्य मन्त्री हैं! भागती हुई भीड़ में से—यह आप पढ़ लीजिये। यह रिपोर्ट आपके पास में है। मैं यह तथ्य गलत नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिये कह रहा हूं कि आप भी इसको पढ़िये और मुख्य मन्त्री जी को भी बताइये। आपको इन पाइन्टेड सवालों का जवाब देना है! प्रशासन किस ढंग से आप चला रहे हैं, राजस्थान के आई0जी0,डी0आई0 जी. किस तरह से षड्यन्त्र में मशगूल हैं और राजस्थान के हरिजनों को पिटवाने और आतंकित करने में लगे हुए हैं। यह किस के इशारे पर हो रहा है? यह आपके इशारे पर हो रहा है, यह तो मैं नहीं मानता हूं लेकिन कास्ट का होने पर विश्वास हो जाता है कि आप हरिजनों की रक्षा नहीं करेंगे। रूपवास से आने वाले माननीय सदस्य यहां कह रहे थे और मुख्य मन्त्रीजी के बारे में मेरा शुरू से ही यह विचार इसलिये है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा से दूर हो जाऊंगा इसलिये वापस वहीं आ जाता हूं।

आंसू गैस के 16 सेल छोड़े गये जिससे भीड़ तितर-बितर हो गई और भागती हुई भीड़ में से उपरोक्त सर्विस रायफल बरामद हुई लेकिन मैगजीन रायफल में से गायब हैं। इस झगड़े में ड्यूटी पर तैनात पुलिस मुलाजिमान श्री गणपत लाल माथुर, एडीशनल एस0पी,ए0डी0एफ0, रामबल्लभ शर्मा, एडीशनल एम0पी0, मुख्यालय

(श्री कैलाश मेघवाल)

भरतपुर, जगदीश प्रसाद, सी0ग्रो0, प्रहलाद सिंह, एच0सी0 140, सुजानसिंह, हैड कांस्टेबल 1149, जगनलाल, एच0सी0 1444, चरणसिंह, एच0सी0 1496, गोविन्द सिंह, एच0सी0 1419, पूरण सिंह एच0सी0 1493, झम्मनलाल, एच0सी0 1411, लक्ष्मण सिंह, एच0सी0 1439, अशोक बाबू, एच0सी0 1468, रामदयाल, एच0सी0 1464, वीरेन्द्रपाल सिंह घुड़सवार नं0 91, ए0पी0 व मोहनलाल, कांस्टेबल नं0 216 आर0ए0 सी. के चोटें आई जिनमें से कांस्टेबल, मोहनलाल नं0 216 व वीरेन्द्रपाल सिंह, घुड़सवार की हालत नाजुक होने से अस्पताल रवाना कराया गया । यह एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, इस सारी एफ. आई. आर. में, 13 मुलाजिम नामजद किये गये हैं, जिसमें कलक्ट्री से रवाना होकर भीड़ को हटा कर रायफल बरामद होने के बाद, पुलिस वालों को अस्पताल तक भर्ती कराने का जिक्र है किन्तु इसमें कोली पप्पू, जिसकी मृत्यु हुई है, उस कोली की मृत्यु का कहीं पर भी जिक्र नहीं है । इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर कौनसा कारण था जो यह नहीं आया है ? इससे एक शक और पैदा करने वाली बात होती है । देखा है, राज्य मंत्रीजी, आपने इनको ? आपने इनकी शायद वकालत की है या नहीं की है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो वकालत की है और वकालत की है तो जो चोटें आई है, मान्यवर, उन चोटों का वर्णन डाक्टर ने जिस तरह से किया है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । चोटों का वर्णन डाक्टर ने किया है .

'Gun shot wound having 1½ c. m. diameter with irregular and locerated edges The skin surround ing the wound is blackened and tattooed. Bleeding profusely from abdominal cavity."

माननीय गृह राज्य मन्त्रीजी, मुख्य मन्त्रीजी आ जायें तो कहियेगा क्या लिखा है इसमें ।

"The wound is 2" below the umbelicous in the middle. The direction of the wound is from right side to left side."

यह चोटें किस तरह की हैं, आप जानते हैं । क्या यह 10-12 फीट की दूरी से होती हैं ? मैं पूछना चाहता हूं गृह राज्य मन्त्री जी से, उनके पास बड़े-बड़े काबिल अधिकारी हैं, पूछ लीजिये, किसी एक्सपर्ट को जानकारी है । यह जो आब्जर्वेशन है वह दिखा लीजिये । इस प्रकार के वूण्ड आ जायें तो क्या वे 10-12 फीट की दूर पर से मारी गयी गोली से आयेंगे ? 12 बोर की बन्दूक की मार कितनी होती है ? यह 303 नहीं थी । यह 12 बोर की बन्दूक थी जो आपने बरामद की है । 12 बोर की बन्दूक बरामद की है उससे 200 फीट दूर की रेन्ज की मार नहीं हो सकती है । इसके बाद जो डाइरेक्शन बताया गया है । लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट । इसमें हारिजेन्ट डायरेक्शन नहीं है । ऊपर से, गृह राज्य मन्त्रीजी गौर करेंगे, वह गोली

(श्री कैलाश मेघवाल)

चलेगी तो उसका जो वे होगा वह किधर भी जायेगा हारिजेन्टल-वे ले जायेगा। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि इसमें हरिजन पिट गये तबाह हो गये। ऑफिसर्स के झगड़ों में सारे राजस्थान के हरिजन आतंकित हो गये और आप इस पर लीपा-पोती का वक्तव्य दे रहे हैं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी एक बयान देंगे और जिस तरह की बात कही जा रही है उस पर एक बड़ी घोषणा हो जायेगी कि हम हरिजनों के संरक्षक हैं। इस बात के पीछे तालियां पीट देंगे हमारे शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के सदस्य भी। परन्तु इस आवरण के पीछे वास्तविक चरित्र इस सरकार का क्या है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय गृह राज्य मन्त्रीजी आपकी जानकारी में है या नहीं, आप मुख्य मन्त्रीजी से पूछ कर बताइये कि श्रीमती गांधी ने इस तरह का पत्र लिखा है या नहीं कि जो हरिजन आई0ए0एस0 या आई0 पी0एस0 ऑफिसर हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के ऑफिसर हैं, उनको फील्ड ऑपरेशन में लगाया जाये? फील्ड ऑपरेशन का उद्देश्य क्या बताया है, आपको मालूम है। वीकर-सैक्शन को अन्य के मुकाबले वे प्रोटेक्शन देंगे, यह स्पष्ट उद्देश्य है। यह आपने श्रीमती इन्दिरा गांधी की आत्मा के साथ दगा किया है या नहीं? आपके मुख्य मन्त्री कठपुतली की तरह राजस्थान में काम कर रहे हैं। पूछ लीजिये आपके चीफ सैक्रेटरी साहब को टेलीफोन करके, कि क्या यह पत्र आया है श्रीमती इन्दिरा गांधी से कि शिड्यूल्ड कास्ट के आई. पी. एस. आई. ए. एस. ऑफिसर को लगाया जाये फील्ड आपरेशन में, और इसका उद्देश्य यह बताया है कि शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स के आई. ए. एस., आई. पी. एस. ऑफिसर फील्ड आपरेशन में रहेंगे तो शिड्यूल्ड कास्ट का जो वीकर-सेक्शन होगा उनको सुरक्षा मिलेगी, उनको विश्वास होगा वे अपनी सुरक्षा के प्रति सावधान रहेंगे। यह श्रीमती इन्दिरा गांधी का आदेश है। इन आदेशों की पालना आपने रोहतास कुमार का ट्रान्सफर कर के की है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। आज इसलिये आवाज बार-बार आती है। शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट जिस समय आयेगी एक के बाद एक इस इस तरह की सिफारिशें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रूपवास से आने वाले माननीय विधायक की बात की मैं ताईद करता हूं, जैसा, कि वह चाहते हैं कि इन ऑफिसर्स को फील्ड ऑपरेशन में लगावें। आपने राजस्थान में मुख्य मन्त्री पहाड़िया के जाने के बाद चुन-चुन करके शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के आई.ए. एस. ऑफिसर्स को फील्ड से हटा कर किन स्थानों पर लगाया है? माननीय गृह राज्य मन्त्री महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप एक नाम बता दें। आप एक नाम बता देंगे बैरवा का, रामनारायणजी, डी. आई. जी.। मुझे मालूम है वे आदर्श किशोर सक्सैना के मित्र हैं आदर्श किशोर सक्सैना कांग्रेस कीपर हैं शिवचरणजी माथुर के। इसके बाद बताइये, शिड्यूल कास्ट के ऑफिसर्स कितने हैं? आप इनको छोड़िये। मैं तो तथ्य दे रहा हूं। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप यह तो मानेंगे कि जहां कहीं ऐसी गड़बड़ी होती है आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहरावें। अगर एक्शन लिया है उनके खिलाफ तो सही है....

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं तो इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। आप सस्पेंड करिये उनको अगर आपमें हिम्मत है तो। मैं इस बात में नहीं जाना चाहूंगा कि कौन आई. ए. एस. ऑफिसर अच्छा हैं और कौन आई. ए. एस. आफिसर खराब है। परन्तु आई. पी. एस. आफिसर का डाकुओं से सम्बन्ध था। यह सारा झगड़ा, इस झगड़े की रीढ़ की हड्डी दो डाकुओं की गैंग थी, इन डाकूगैंग के माल को खाने वाले लोग हैं। इसके विस्तार में इसलिये नहीं जाना चाहता हूं कि यह राज्य सरकार का अपना काम है। गृह राज्य मन्त्रीजी चाहेंगे तो मैं उनको विस्तार से जानकारी दूंगा डाकू टीकम जाकड़ और डाकू गौतम जाकड़ इन दो डाकुओं की गैंग थी। इनके आपसी झगड़े की यह परिणति थी जिसमें हाथी डाकू मारा गया जो कि गौतम की गैंग का था। उन्होंने टीकम को मार लिया। यह सूचना भरतपुर की पुलिस को मिली। इसमें हम मारे जायेंगे, इसलिये चलो, पहले एस. पी. को हटाओ। आन्दोलन यही था। यह सारा धन्धा आपको बता दूंगा किस सीमा तक आपके राजस्थान की पुलिस डाकुओं से मिल कर चल रही है। मेरा उद्देश्य यहां यह निवेदन करने का है कि इस सारी घटना की परिणति एक गरीब कौम के लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार के रूप में हुई है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा आपसे निवेदन है कि इस मसले में एक से लेकर आखिरी वक्ता जब तक बोले, माननीय अध्यक्ष ने इसकी महत्ता और गरिमा को समझ कर किसी को समय के लिये नहीं टोका है। आप देखिये, क्या हो रहा है। हमने यह कहा था, माननीय मुख्य मन्त्री ने यह कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, पूछ लीजिये, बड़े आफिसर यहां पर बैठे हुए हैं। कठूमर के प्रशासन ने कहा, है जो अलवर जिले में है, भरतपुर के जाटव जो झगड़ा हुआ है उससे आतंकित होकर कठूमर में गये हैं और कठूमर, अलवर जिले के प्रशासन को कहा है कि उनकी सुरक्षा का इन्तजाम किया जाये। यहां पर भी सुरक्षा दे सकते हैं या नहीं ? नाम नोट कर लें, मैं बताना चाहता हूं। आपके तो मुख्य मन्त्री कह गये कि कोई भी पलायन करके नहीं गया है और दूसरे विधायक भी न मालूम किस होश के साथ कहते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रमाणित बात कह रहा हूं आप नोट कर लें किसी जाटव को आप गांव में बता दें मैं सदन में घोषणा करता हूं कि सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा। गलत बात नहीं करता हूं। राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी से हम जब एक डेपुटेशन के रूप में जाकर मिले थे तब उनसे कहा था कि जाटव गांव छोड़कर भाग रहे हैं। उन्होंने कहा, आप पता लगायें। हमने कहा, हम पता लगायें,

(श्री कैलाश मेघवाल)

लगा लेंगे। आप पुलिस की मशीन और उसके जो तौर तरीके हैं, काम करने के अधिकार हैं वह हमको दे दें। पुलिस की मशीन ही आपके पास हैं, सरकार आपके पास है, राजस्थान सरकार आपकी है, राजस्थान की सरकार आप चला रहे हैं, राजस्थान के गांव का पटवारी, सरपंच, जिला प्रमुख, सब इंसपेक्टर आपका बैठा है और हमसे कहते हैं कि आप पता लगायें। नोट कर लें, आज मैं बता रहा हूं, ग्राम जनूथर जिला भरतपुर से श्री मोहनलाल सोपतिया, उनका छोटा भाई एवं बहिन तथा उन दोनों की बहू व सभी बच्चे मय घर का सामान व एक भैंस को लेकर कठूमर चले गये। गांव सेवर से श्री हरिसिंह, अपनी ससुराल, श्री गिर्राज जाटव के घर उनकी दोनों लड़कियों एवं बच्चों सहित आये। श्री चेतराम, अपनी लड़की शारदा एवं बच्चों को लेकर चले गये। किरोड़ीलाल हिंगोणियां, निवासी कठूमर की लड़की रेशम अपने सभी बच्चों को लेकर एवं उनकी दूसरी लड़की मुन्नी अपने सभी बच्चों को लेकर चली गयी। उनके यहां डाका पड़ा जिसकी रिपोर्ट अलवर में लिखायी। श्री घीसीराम जाटव की लड़की भी कठूमर में आ गयी। श्री चन्दू, निवासी कठूमर की लड़की वहां पर आ गयी। श्री अमृतलाल, निवासी जहांगीरपुर, गांव छोड़कर पलायन कर गये। श्री गिरधर, निवासी कुम्हेर एवं श्री चोखाराम, निवासी कठूमर की दोनों बहिनें उनके बच्चों, लड़कों की बहू...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मन्त्री यह कहें कि कोई नहीं गया है, मुझे मालूम हैं किन गांवों से जाटव नहीं गये हैं। उन गांवों से जाटव नहीं गये हैं जिन गांवों में उनका एका बड़ा था, जिन गांवों में उनकी बस्ती बड़ी थी। वहां से नहीं गये और जिनको विश्वास था कि हमला होगा उन सब जगहों से जाटव चले गये हैं। जो छोटे गांव हैं, जहां पर जाटवों दो-दो तीन तीन परिवार हैं उन सब जगह से वे लोग चले गये हैं। नदबई से आने वाले माननीय सदस्य चाहे जो कुछ बोले हों, एक तथ्य तो उन्होंने भी स्वीकार किया है कि 200 गांवों से जाटव पलायन करके गये हैं। कठूमर से आने वाले विधायक तथा रूपवास से आने वाले विधायक महोदय ने भी यह स्वीकार किया है। उनको पता होगा कि कितने परिवार घर-बार छोड़कर पलायन कर गये हैं। मैं आपको जो नाम बता रहा हूं आपको उनको लिखने में भी एतराज है। मैं पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह स्वीकार करने में शंका क्यों बरती जा रही है, इसमें भी कोई पैसा लगता है क्या ? मैं राजस्थान के मुख्य मन्त्री, श्री माथुर साहब को चुनौती देना चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें मैं आपको बताऊंगा पचासों गांव हैं जहां से वे लोग पलायन कर गये हैं। मैं आपको आइडेंटीफाई कराने को तैयार हूं। कल की तारीख में आप यहां से चलें मैं आपको इसलिये ही तो इतने विश्वास के साथ नाम दे रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको आप राजनैतिक दृष्टि से नहीं देखें बल्कि इसको आप एक मानवीय समस्या के रूप में लें। सारी मशीनरी आपके पास हैं आप पता

(श्री कैलाश मेघवाल)

लगा सकते हैं, आपको मालूम है लेकिन आप कुछ कहना चाहते नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहिये, माननीय सदस्य, समय बहुत कम है।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह साधारण घटना नहीं है। मैंने आपको प्रारम्भ में ही कहा है यह साधारण घटना नहीं है यह वह घटना है जो कि राजस्थान के सदन को मालूम होनी चाहिए। जो मैंने आपके सामने पुलिस की एफ. आई. आर. पढ़कर सुनायी है, राजस्थान की सरकार और मुख्य मन्त्रीजी, आप अदालत का सबूत तो मानेंगे? आप सदन में बोले हैं कि उपद्रवी भीड़ ने जाटवों के मकान जलाये और आपका प्रतिनिधि, आपका वकील अदालत में यह बोला है कि जाटवों ने राइट आफ सैल्फ डिफेंस क्रियेट करने के लिये अपनी झोंपड़ी को खुद ही जलाया। यही आप बोलेंगे? जो पुलिस कहेगी वही आप बोलेंगे। आप एफ. आई. आर. 474 को देखें। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने कहा कि अब तक जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनकी संख्या पांच है और पांच में से तीन जाटव हैं। एफ. आई. आर. 474, जो सब इंसपेक्टर ने अपनी तरफ से लिखी हैं, में आगे पढ़ें तो लिखा है 13 लोगों को आईडेंटीफाई किया है। वे कहां गये? उनमें से कितनों की तफतीश की गयी है? मुख्य मन्त्रीजी, 474 नं. की एफ. आई. आर. की बात को आपने आईडेंटीफाई किया है क्या? मुख्य मन्त्रीजी, आपने जाटवों को पिटवा दिया, पिटने वालों को बचा दिया और अब कमेटी अपाइंट करने की बात करके आप एक और नाटक कर रहे हैं। सारा दूध जो है वह अब फटकर बाहर आ गया है, बेकार हो गया है। आप आज समय की कमी की बात कर रहे हैं, कमेटी मुकर्रर करना चाहते हैं। एफ आई. आर. 474 को राज्य मन्त्रीजी आपने तो पढ़ ही लिया है, मुख्य मन्त्रीजी को बता दें, उसमें जो 13 आदमियों के नाम नामजद हैं उनकी डाक्टरी जांच हुई? यदि नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? उनकी डाक्टरी जांच होने नहीं दी गई। उस एफ. आई. आर. का क्या हुआ?

इसके अलावा एफ. आई. आर. नम्बर, 476 में सुन्दर सिंह ने कहा है कि मैं दुकान में था, मैं दुकान में घुस गया। दुकान से निकलकर आगे बढ़ा। वहां भीड़ आयी और मेरी दुकान को सरियों से तोड़ दिया। मुझे मारा, मेरी माँ को मारा। मैं निवेदन करना चाहता हूं मुझे एडवोकेट आजाद ने ने बताया है क्या तफतीश की है। उन्होंने एफ. आई. आर. नम्बर 476 में लोगों को नामजद किया है, उसके बाद में अपनी दुकान को बताया है, नोटिफाई किया है। आपने कहा एफ. आई. आर. नाम में नहीं है। मैं बताना चाहता हूं मेरे पास एफ. आई. आर. की कापी भी है, माननीय गृह राज्य मन्त्रीजी, आप यह मुख्य मन्त्रीजी को दे दें। आपने बताया कि एफ. आई. आर. में नाम नहीं हैं लेकिन इसमें गवाहों के नाम हैं। किसने बचाया किसने सम्पत्ति का नुकसान किया इस सबके बारे में है। मैंने यह इसलिये बताया हैं मैं चाहता हूं कि दूध

(श्री कैलाश मेघवाल)

का दूध और पानी का पानी हो जाये। यह सब राजस्थान की जनता को मालूम हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मुकदमों की तफतीश राजस्थान का कोई वकील कर ले या कोई पुलिस अधिकारी कर ले इससे जाटवों को न्याय नहीं मिलने वाला है। जिसका मुकदमा थानेदार ही बिगाड़ देता है उसे क्या न्याय मिलेगा, जैसे कहावत है कि नीचे पटवार और ऊपर करतार, उसके अनुसार अगर थानेदार ने ही गलत बयान दर्ज कर दिये हैं तो जो अपराधी हैं वे बचेंहोंगे अगर 161 में गलत बयान लिख लिये हैं तो अदालत में शहादत के समय कहा जायेगा कि पहला बयान तो यह है और दूसरा यह बयान दिया है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मगर की तरह आंसू बहा दें, दरिया बहा दें आंसूओं का, उससे कुछ नहीं होगा। गृह-राज्य मन्त्री को पता है, प्रधान मन्त्री ने दो पत्र लिखे हैं कि ऐसे क्षेत्र में आई. ए. एस. और आई. पी. एस. वीकर सैक्शन में से लगाये जाय। मैं राजस्थान के मुख्य मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उस पत्र के पीछे उद्देश्य यह नहीं बताया कि वीकर सैक्शन के आदमी पुलिस में रहेंगे, वीकर सैक्शन के आदमी फील्ड में रहेंगे तो वीकर सैक्शन को प्रोटेक्शन देंगे। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये ही इन्दिराजी ने दो पत्र लिखे थे लेकिन पहाड़ियाजी के जाने के बाद राजस्थान की अनुसूचित जाति और जन-जाति के जितने भी आई. पी. एस. और आई. ए. एस. आफिसर हैं उनको चुन चुन कर महत्वपूर्ण स्थानों पर से हटाया गया है। उनको नाजायज रूप से परेशान किया गया है, उनको अपमानित किया गया है, मैं यह इस सरकार का चरित्र चित्रण कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं वे बता दें, जो 11·00 बजे की घटना है गोली से मरने की वह आपकी एफ. आई. आर. नं. 475 में कैसे आ गयी जब कि एफ आई. आर. नम्बर 474 में नहीं है वह 11 बजे की घटना। मुझे मुख्य मन्त्रीजी बतायें, इसमें भी मैं रिपीटिशन इसलिये करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी कहेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं था गृह राज्य मन्त्री को मालूम होगा। इस टेनेंट पाइन्ट पर राजस्थान के मुख्य मन्त्री जरूर जवाब देना चाहेंगे। उनको जरूर जवाब देना होगा जिससे राजस्थान की अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को यह पता होगा कि राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी का चरित्र क्या है राजस्थान की पुलिस का चरित्र क्या है। दुकान जलाने के बारे में एफ. आई. आर. नम्बर 474 में तो रोहतास और दूसरा नाम आईडेंटीफाई है इस तरह से दुकान जलायी इस तरह से तोड़-फोड़ हुई। मैं रिपोर्ट पढ़ूं तो आप पढ़ने नहीं देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह एफ. आई. आर. नम्बर 6 मेरे पास है। आठ दो तीन बाकी हैं जो इनके पास होंगी। मैं राजस्थान के मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि दो बजे से आप तफतीश की डायरी या आपकी सी. आई. डी. की डायरी या आपकी कोई और डायरी या आपका कोई लेखा जोखा या और कोई चीज हो तो उसको देख लें। दो बजे से लगाकर साढ़े पांच बजे तक भीड़ लूटपाट करती रही, भीड़ जाटवों की झोंपड़ियां जलाती रही, भीड़ सब कुछ करती रही। राजस्थान का

(श्री कैलाश मेघवाल)

आई. जी. जहां बैठा हो, राजस्थान का डी. आई. जी. जिस शहर में बैठा हो, राजस्थान की पुलिस का अमला बैठा हो, एन्टी डेकोइटी फोर्स की ब्रांच जिस शहर में हो वहां पर साढ़े तीन घंटे तक हरिजनों की झोंपड़ियां लुटती रहें, मकान जलते रहें, जैसा रूपवास से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गर्भवती महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके 18 आफिसर पिटे हैं जिनमें से दो गम्भीर हालत में भर्ती कराये गये, उस सबके बाद केवल पांच आदमियों को गिरफ्तार किया गया और आज कमेटी का नाटक कर रहे हैं। एक और नाटक कर रहे हैं, जाटवों के मुकदमों को अलग बनाया गया है। आप जाटवों को पकड़ कर यह कहना चाहते हैं कि राजस्थान की पुलिस जो चाहे वह कर सकती है। सारी तफतीश इसलिये रोक दी है कि विधान सभा में सारी बात जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कमेटी बन जायेगी, लेकिन पकड़ने का अधिकार तो पुलिस का है ही। दो छात्रों को पकड़ा है वे 10–15 दिन से जेल में बन्द हैं। राजस्थान का वकील आज कहता है कि सब झोंपड़ी उन्होंने जलायी हैं, खुद ने गोली चलाकर जलायी हैं। यह राजस्थान का वकील कहता है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं, इन बातों का जवाब दें। एफ. आई. आर. में जो नामजद हैं उनकी किस किस दिन अब तक तफतीश की गयी है? शंकरन कमेटी में कुछ नहीं है। यदि आपमें साहस है तो यहां घोषणा करो कि उन्होंने गलती की है। उनको आप निलम्बित करिए। बड़े तथ्य आये हैं आज कि भागती भीड़ से एक बन्दूक बरामद की गयी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह चमत्कार आपके राजस्थान की पुलिस कर सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। यह केवल इस आधार पर बैठे हैं कि मुख्य मंत्रीजी की भृकुटि किधर है, इससे जजबात दबना चाहिए। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के माननीय विधायकों को यह मालूम होना चाहिए कि कास्ट करेक्टर किस सीमा तक है, यहां पर उसका क्या नतीजा हो रहा है। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी किस सीमा तक हरिजनों के साथ अन्याय करने पर तुले हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आप तो उस समय मौजूद थे, टंडन साहब क्यों आये मौके पर, सवा दो बजे? उनके आने के बाद भी आपके लोग गरीबों को पीटते रहे हैं। क्या कार्यवाही की? इन सब बातों का जवाब, एक के बाद एक पाइंट का जवाब दीजिए। उसके बाद मालूम पड़ेगा कि वास्तविक चरित्र क्या है अन्यथा शंकरन कमेटी मखौल है, उससे कुछ नतीजा नहीं आयेगा। सारा दूध फट चुका है, सारे रिकार्ड गायब हो जायेंगे। यहां का बयान काम नहीं आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : आज राजस्थान की जनता पीड़ित आतंकित, दुखी, भयभीत होकर जी रही है। आप चाहें तो 150 गांवों की सूची और दे सकता हूं। मैंने अभी दी हैं कुछ गांवों की सूची जहां से लोग आये हैं। ये वे गांव हैं जिनमें जाटव 2-2, 3-3 परिवार की संख्या में रहते हैं। इतना ही निवेदन करते हुए मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इन सबका उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीवीरेन्द्र प्रतापसिंह।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ 3 पांइटेड 3 प्रश्न पूछना चाहूंगा। जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया उसमें कहा कि सरकार की यह मंशा है कि जो हरिजनों के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके लिए जो भी व्यक्ति दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां सबसे पहली कार्यवाही तो यह की गयी कि पिछले ढाई साल से जो सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस शिड्यूल्ड कास्ट्का था, जिसके कारण ढाई साल में उन लोगों ने कोई कमी महसूस नहीं की उनको वह कमी महसूस करायी गयी है। उनका ट्रान्सफर हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद में शिड्यूल्ड कास्ट्स के दूसरे एस. पी. को लगाया गया, जिसका नाम पी. एन. बछोया था। पता नहीं क्यों, या तो मंत्रिमण्डल के कुछ वरिष्ठ सदस्यों के सामने मुख्य मंत्रीजी ने घुटने टेक दिये, पी. एन. बछोया को हटा दिया गया। क्योंकि वह भी शिड्यूल्ड कास्ट का था ? उसके बाद में मिस्टर सक्सेना को लगाया गया। इसका स्पष्टीकरण दें ताकि सरकार का मंतव्य स्पष्ट हो सके कि सरकार शिड्यूल्ड कास्ट्स के व्यक्तियों को न्याय देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। एक ओर कहते हैं कि इतना बड़ा काण्ड हो गया, उसकी जांच मि. शंकरन से कराना चाहते हैं। अगर आपमें नैतिकता, आत्मबल है तो सदन के सामने घोषणा करिए कि हाई कोर्ट के जस्टिस या चीफ जस्टिस के द्वारा इन्क्वायरी करायेंगे। इससे आपका मंतव्य स्पष्ट हो जायेगा। अगर यह नहीं करते हैं तो हम आरोप लगाते हैं कि सरकार हरिजन विरोधी है, यह बिलकुल स्पष्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी, स्पष्टीकरण करेंगे।

(व्यवधान)

आपका ताल्लुक नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : ताल्लुक कैसे नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अनुमति देने में असमर्थ हूं, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : पार्टी की तरफ से बोलूंगा, हम अपने विचार रखेंगे। मैं यहां नीचे बैठता हूं, अगर आप नहीं बोलने देते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। बैठ जायें।

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

समय का ध्यान रखें। आप बाधा....

श्री मेघराज तावड़ : बाधा नहीं डाल रहा हूं। मैं दो मिनट बोलूंगा। मुझे बोलने का मौका दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। दो मिनट देता हूं, आपको।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भरतपुर का ही मसला नहीं है। जो भरतपुर की घटना के सारे तथ्य हैं, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अच्छी तरह से रखे हैं। मैं उससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन हरिजनों और आदिवासियों का दुर्भाग्य है, हरिजन और आदिवासी जो एम. एल. ए., एम. पी. सरकार में बैठे हैं, मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि अगर जरा भी तुम में पानी है, रोष है, अपना करेक्टर है, भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, राजस्थान की सरकार नाकाम रही है, हमारी रक्षा नहीं कर सकती है। मैं तो राजस्थान की सरकार पर, खास तौर से माथुर सरकार पर खुल्लमखुल्ला आरोप लगाना चाहता हूं कि आज माथुर साहब के आने के बाद 3–4 घटनाएं हुई हैं। क्या हुआ घासिया काण्ड का जिसकी ओर गई विधान सभा में जोर शोर से विरोधी पक्ष के माननीय नेता भैरोंसिंह शेखावत ने इशारा किया था। माननीय स्पीकर महोदय ने भी कहा था। मैं पूछना चाहता हूं, गृह राज्य मंत्रीजी, क्या हुआ? कहां है वह घासिया आज? बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने कांग्रेस के सरपंच द्वारा की गई हरिजन की हत्या के बारे में कहा था। मैं यह कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी इस बात का जवाब देंगे, जो भरतपुर का अरूणसिंह है, उसने क्या भाषण दिया। क्या उसको गिरफ्तार किया है? क्यों नहीं किया? मैं कहता हूं इसलिये नहीं किया कि वह कांग्रेस का नेता है, सासंद उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग हैं, इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी उस बात को टालते जा रहे हैं। तमाम जो बयान दिये हैं, उससे लगता है आपकी पुलिस और आपका पुलिस प्रशासन निकम्मा हो चुका है, नाकाम है, जो कि आपको गुमराह करके झूठी बात कहकर जो रिपोर्ट देता है उसको आप मानते हैं। मैं कहना चाहता हूं गृह मंत्रीजी से कि सी एस. तक पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, काले कारनामे करते हैं। केस को दबाने में लगे हुए हैं। मैं ला रहा हूं दोसा....

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय उसकी मुझे इजाजत देंगे। उस केस को मैं ला रहा हूं। कहां तक असलियत को छुपायेंगे? माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको दो बार मिला हूं, उदयपुर के एक केस के लिए। माननीय गृह राज्य मंत्रीजी को भी दो बार टेलीफोन पर कहा है लेकिन आज सच्चाई नहीं निकल सकती। बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही कर नहीं सकते तो छोड़ दीजिए कुर्सी, इस्तीफा दे दीजिए। मैं चैलेंज के तौर पर कहता हूं, मुख्य मंत्रीजी, आपको राजस्थान की सरकार....

(व्यवधान)

(श्री मेघराज तावड़)

आप चुप रहिए। आपको तड़प नहीं है हरिजन और आदिवासियों के प्रति। आप आदिवासी और हरिजनों का नाम लेकर वोट भले ही ले सकते हो लेकिन आज दर्द आपके दिल में नहीं है। मजाक करते हो, हंसते हो लेकिन याद रखिए, एक दिन ऐसा आयेगा जिस दिन हरिजन आदिवासी बंदूक लेकर तैयार हो जायेगा, हम अपनी रक्षा करने के लिए गोलियां हाथ में लेकर, बन्दूक तलवार लेकर सड़कों पर निकलेंगे। हम खुद अपना मुकाबला करेंगे, खुद अपनी रक्षा करेंगे। इस निकम्मी सरकार का कोई भरोसा नहीं है कि यह सरकार हमारी रक्षा करेगी। इसलिए, मुख्य मन्त्रीजी, मैं चैलेंज करता हूं कि आदिवासी एक होगा, स्वयं रक्षा करने के लिए खड़ा होगा। सरकार को जवाब देगी। चैला लेना गोली और हिमालय की ओर चले जाना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार से हरिजनों और आदिवासियों की रक्षा करने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जातिवाद का जहर खड़ा हो रहा है। उधर ट्रेजरी बैंचेज में हरिजन आदिवासी एम. एल. ए. बैठे हैं, जरा शर्म हो तो निकलकर आ जाओ। आपकी सरकार की बगावत करो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठिये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : यह सरकार पूरे हिन्दुस्तान में हरिजन विरोधी है। आज राजस्थान सरकार का जो नक्शा है वही क्या यू. पी. से ठीक है, क्या बिहार से ठीक है? हरिजन जानवरों की तरह काटे जा रहे हैं, उनके घर जलाये जा रहे हैं, यह सरकार राजस्थान में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में सामान्तवाद का गरूर बताने वाली सरकार है। भरतपुर में क्या हुआ? सामन्तवाद का नंगा नाच हुआ। भरतपुर में गरीब हरिजनों के घर जला दिये गये, उनको मारा गया और जो भी हाथ लगा लूट लिया गया, यह सामन्तवाद हरिजनों को तबाह कर देगा, गरीबों को समाप्त कर देगा। यह सरकार हरिजनों, गरीबों को बचा नहीं सकती यह × × × सरकार है, यह हरिजनों के वोट मांगती है परन्तु हरिजनों को जमीन नहीं दे सकती है, रोजी-रोटी नहीं दे सकती है।

मैंने सीकर में कलेक्टर से निवेदन किया था कि जागीरदारों द्वारा गांव के हरिजनों को कुएं से पानी नहीं पीने दिया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक जयपुर में यह सरकार रहेगी हरिजन बर्बाद होते रहेंगे। यह क्या करेक्टर है इस सरकार का? यह हरिजन विरोधी सरकार है, सामन्त परस्ती सरकार है, सामन्तों को इन्होंने पकड़ रखा है, एक राजा के छोरे की यह औकात कि वह हरिजनों के मकान जला दे उनको मार डाले। यह सरकार को लानत है। अगर हमारी सरकार होती तो हम एक रोज में ही उसको खतम कर देते। यह मुल्क के आवाम का सवाल है। मैं चैलेन्ज करना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं। क्या

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(164)

(श्री त्रिलोकसिंह)

राजा-महाराजा गरीबों को बर्बाद करेंगे ? सरदार जी आपकी औकात नहीं है....

(व्यवधान)

यह केवल भरतपुर का सवाल नहीं है पूरे राजस्थान का सवाल है, गरीब तबके के साथ क्या हो रहा है ?....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह भरतपुर का ही सवाल है। माननीय सदस्य, आप विराजिये,

श्री त्रिलोकसिंह : पुलिस द्वारा अत्याचार....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय समाप्त हुआ, आप बैठिये।

श्री त्रिलोकसिंह : भरतपुर में नंगा नाच हुआ है। गरीब लोगों को खतम किया जा रहा है उनके घर जलाये जा रहे हैं, उनको बर्बाद किया जा रहा है। यह सरकार ××× सरकार है। उनके वोट लेती है लेकिन 35 साल में उन गरीबों को 2 बीघा जमीन नहीं दे सकी ? भारत का क्या नक्शा बना दिया, कहते हैं कि गांवों में हम बीस सूत्री कार्यक्रम....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये,

श्री त्रिलोकसिंह : 20 सूत्री कार्यक्रम में हरिजनों को रहने को झोंपड़ी नहीं मिली, बड़े-बड़े लोग गांवों से उनको निकाल देते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सबसे पहले....

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी दो मिनट निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार पर आरोप लगाये, विशेषकर इस बात का जिक्र किया कि राजस्थान सरकार या भारत सरकार, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, शिड्यूल्ड कास्ट्स को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को बाद में निवेदन करूंगा, सबसे पहले मैं घटना पर आऊं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले के पार्लियामेंट के सदस्य और जिला प्रमुख ने एस0 पी0 भरतपुर को पत्र लिखा कि भरतपुर शहर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी तथा गुण्डागर्दी की जा रही है, उस पर एस0 पी0 महोदय विशेष रूप से ध्यान दें। इस पर एस0 पी0 रोहतास कुमार ने अपने गश्ती दल के साथ कुछ चौकियों पर छापा मारा, चौकियों पर जब छापा मारा गया तो उन्होंने कुछ सिपाहियों, जो भी ड्यूटी पर तैनात थे, को सोये हुये पाया। सोये हुये पाने के बाद अपने अधिकारों के अनुसार उन्हें निलम्बित किया और जो भी नियमानुसार कार्यवाही वे कर सकते थे वह कार्यवाही की। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एस0 पी0 साहब

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री दुलाराम)

और ए एस. पी. टण्डन के बीच किसी बात को लेकर आपस में मतभेद हो गये। मैं उस बात पर तो नहीं जाना चाहता, हालांकि बात वह बड़ी महत्वपूर्ण है। उस छोटी सी बात को लेकर एस पी. को बदनाम करने के लिये, महज इसलिये कि वे शिड्यूल्ड कास्ट्स के एस.पी. हैं उनको बदनाम करके वहां से निकाला जाय, एक ऐसा क्षेत्र बनाया गया वह क्षेत्र तो मुझे याद नहीं है। माननीय यदुनाथ सिंहजी अभी सदन में बोल रहे थे कि जाट और जाटव एक हैं। इसको तो मैं मानता हूं क्योंकि जाट और जाटव एक हैं, राजपूत और जाट एक हैं, सिक्ख और जाट एक हैं, ब्राह्मण और राजपूत एक हैं। हम अलग-अलग नहीं हैं, यह ठीक है। हमारी पीढ़ियां अलग-अलग बनी, हमारे समाज की रचना अलग-अलग हुई। मगर आज भरतपुर की घटना नई नहीं है भरतपुर की घटना एक विशेष घटना रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर में प्रथम जिलाधीश, श्री एन. के. वर्मा लगे उनके साथ भी यही हुआ, दूसरी बार श्री मेहड़ा कलेक्टर लगे उनके साथ भी यही हुआ और तीसरी बार रोहतास कुमार एस. पी. लगे उनके साथ भी यही हुआ। मेरा सरकार पर कोई आरोप नहीं है। मेरा विशेषकर वहां रहने वाले जन समुदाय से निवेदन है, जन-प्रतिनिधियों से निवेदन है और वहां रहने वाले विशिष्ट व्यक्तियों से निवेदन है कि वे जातिवाद की घटनाओं को किसी प्रकार का बल न दें, जो कि शिड्यूल्ड कास्ट्स को बदनाम करती हों। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है सरकार को सहयोग देवें और ऐसी भावनायें उनमें पैदा करें कि वे लोग वहां सुरक्षित रह सकते हैं, उन लोगों के आफिसर और छोटे आफिसर सुरक्षित रह सकते हैं। सरकार को बदनाम करने की दृष्टि से यह माहोल न बनायें। आप सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। विपक्ष के माननीय नेता महोदय से कहना चाहता हूं कि क्या वहां जाकर सरकार ने कार्यवाही की ? क्या किसी मंत्री मण्डल के सदस्य ने कोई कार्यवाही की। यह झगड़ा कांग्रेस पार्टी ने जाकर नहीं किया। यह झगड़ा जनता पार्टी ने नहीं किया। जातिवाद के माहौल से यह झगड़ा हुआ। डी. आई. जी., ए.एस. पी., कलेक्टर, आई. जी. पहुंच जाते तो यह स्थिति नहीं होती, यह बात सही है उसे रोका जा सकता था। उन्होंने एस. पी. को बाहर निकाला और यह कहा कि आप यहां से निकल जायं आपकी जान को खतरा बन सकता है लेकिन उसके बावजूद एस. पी. ने दिलेरी करके, जब जाटवों पर पथराव हो रहा था, फायरिंग की और अश्रु गैस का प्रयोग किया।

माननीय मुख्य मन्त्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं विशेष रूप से विपक्ष के नेता महोदय ने अपने स्टेटमेन्ट में प्रचार के लिए जो एलीगेशन्स लगाये हैं उनको सारा राजस्थान, शिड्यूल्ड कास्ट्स और नॉन शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग देख रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो बैड एलीमेन्ट्स हैं जिन्होंने इस प्रकार के हालात पैदा किये हैं वे चाहे कितने ही बड़े पदों पर हों चाहे कोई भी हों उनके खिलाफ एक्शन लिया जाये। शिड्यूल्ड

(श्री दुलाराम)

कास्ट्स और दूसरे वर्ग के सरकारी लोगों के नाम हैं। मेरा निवेदन है आप राजस्थान के अन्दर ही नहीं हिन्दुस्तान के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड टाइब्स के मामलों को देख लीजिये, माननीय सदस्यों ने बड़े जोश से कहा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के माननीय सदस्य बैठे हैं उनको डूब कर मर जाना जाना चाहिये। मर तो हम उसी दिन गये थे जिस दिन भंगी के घर में जन्म लिया, मर तो हम उसी समय गये थे जब बड़े होकर इस विधान सभा में पहुच गये। क्योंकि यह परम्परा आज की नहीं है, यह यह परम्परा 9-8-82 से पहले की नहीं है। विरोधी पक्ष के माननीय नेता को पता होगा कि इसी सदन के अन्दर एक दफा मैंने एक प्रश्न किया था कि राजस्थान के अन्दर अगर कहीं छुआछूत है तो वह पश्चिमी राजस्थान के अन्दर है, तो विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा था कि यह सामाजिक कुरीति है इस सामाजिक कुरीति को हम सब मिलकर बैठकर मिटायें। उपाध्यक्ष महोदय, विशेष तौर से विपक्ष और पक्ष के सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रति मानवता दिखाइये, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिये। हमारे साथ अगर कोई अन्याय करता है तो आप हमारा पक्ष लीजिये। हमें उछालने की कोशिश मत कीजिये। अगर हमारा बच्चा मरता है तो उसकी लाश पर खड़े होकर आप नंगा नाच मत कीजिये, हमे संरक्षण दीजिये, हमें प्रोटेक्शन दीजिये हमें न्याय दिलवाइये ताकि उससे महसूस हो सके कि कहीं न्याय मिलता है। आज सारा पक्ष और विपक्ष इस शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मामले को उछालकर अगर कोई पालिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कोई भी पार्टी, कोई भी दल, चाहे इन्दिरा गांधी को बदनाम कर ले, आज हिन्दुस्तान में इन्दिरा गांधी के प्रति शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्ल्ड ट्राइब्स में जो श्रद्धा है वह कोई मिटा नहीं सकता, इस प्रकार के आभूषण देने से नहीं मिटा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्य नये हैं, उनको पता नहीं, जनता पार्टी के शासन के अन्दर जिस तरीके से शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल ट्राइब्स के साथ अन्याय हुआ था वह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

(व्यवधान)

....काण्ड आज भी ताजा पड़ा हुआ है वर्ल्ड के सारे अखबारों में आया था और मिसेज इन्दिरा गांधी वहां गई थी। भैरोंसिंह जी, विपक्ष के नेता वहां गये थे यह मैं मानता हूं। मगर आप एक बात बताइये मुझे, कोई भी ऐसा नेता है जिसने वहां पैदल जाकर देखा हो। इन्दिरा गांधी ने भरतपुर कांड को, हरिजनों के मामले को पैदल जाकर देखा था। मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप हमें संरक्षण दीजिये, प्रोटेक्शन दीजिये, हमें आप सहायता देकर कन्धे से कन्धा मिलाकर चलना सिखाइये। अगर हमारे साथ अन्याय हो तो उसका पालिटिकल लाभ मत उठाइये, इतना ही मेरा निवेदन है।

जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, 9 अगस्त को भरतपुर में जो घटना हुई उसको लेकर के यहां पर जो चर्चा हुई मैं मूलतः यह कह सकता हूं कि माननीय सदस्यों ने उस घटना के तथ्यों को अपने-अपने दृष्टिकोण से तो रखने की कोशिश की, लेकिन इस बात का भी उन्होंने जरूर ध्यान रखा कि समस्या एक मानवीय समस्या है और उसका हल भी उसी प्रकार से निकाला जाना चाहिये । घटना के तथ्य अलग-अलग माननीय सदस्यों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से रखे । जैसा कि मैंने आप से निवेदन किया और सरकार की ओर से मैंने जो वक्तव्य दिया उसमें भी तथ्यों को सही रूप में रखने की चेष्टा की है । मैं जब इस जवाब की तैयारी कर रहा था तो मैंने बहुत सी बातें सोच करके, अपने आपको उनकी स्थिति में रखकर उस भांति समझने की चेष्टा की । मैं कह सकता हूं कि सरकार की मंशा घटना के सम्बन्ध में निष्पक्ष भाव से जांच करा करके जो कोई भी दोषी है उसको सजा देने की है । हम किसी भी दोषी व्यक्ति को बचाना नहीं चाहते हैं और केवल भावना और जोश में आकर के किसी निर्दोष को सजा भी देना नहीं चाहते हैं क्योंकि यह तो एक अन्याय की बात होगी । यहां पर भावनाओं में जो बात कही जाये एक दूसरे के नुक्ते नजर से दृष्टिकोण से बात कही जाये उसको लेकर कोई एक्शन लिया जाये तो वह भी कोई वाजिब नहीं होगा । यहां पर जो तथ्य सामने आये हैं उनकी गम्भीरता से, गहराई से जांच करके जो वास्तविकता सामने आये उस पर सही निर्णय, एक्शन लेने वाली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं ।

विरोधी दल के माननीय नेता ने यहां पर कुछ मुद्दे उठाये । उन्होंने कहा कि जब एक भीड़ कुम्हेर दरवाजे से आकर कलेक्टोरेट में जमा हुई उसके बाद में पटपड़ा की तरफ उसने जाना शुरू किया तो उसके पीछे एक योजना थी । मैंने जो जानकारी है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि न तो इस प्रकार की प्रशासन की योजना थी न कोई यह योजना थी कि कलेक्टोरेट से आने के बाद में भीड़ वहां चली जाय और उसको रोकने के लिये हम प्रयत्न नहीं करेंगे । उसका असेसमेन्ट वहां के जिला प्रशासन को नहीं था, इसको कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है क्योंकि पहले भी इस प्रकार के जुलूस कलेक्टोरेट में आये और इससे बड़े जुलूस भी कलेक्टोरेट आये, शान्ति से वह अपनी बात कहकर चले गये हैं अपना ज्ञापन देकर चले गये हैं और पुलिस जो भी जाब्ता की कार्यवाही कर सकती थी वह करके उनको कन्ट्रोल किया है । कोई अप्रिय घटना अब तक नहीं हुई । लेकिन इस घटना के पीछे कुछ मुद्दे हैं । 5 तारीख को अवस्थीजी के साथ जो घटना हुई उसको लेकर 6 तारीख को धरणा देने वाली बात थी । हमने सोचा कि एक और सीनियर आफिसर जाकर स्थिति को संभाले इसलिये आई. जी. पी. को यहां से भेजा गया । 8 तारीख को आई. जी.पी. वहां गये और आई.जी.पी. ने जाकर के वहां के प्रमुख व्यक्तियों से बात की उन सबसे सलाह ली । उनसे कान्टेक्ट किया, घटना का जायजा लिया और असेसमेन्ट किया कि क्या संभावना हो सकती है । इस बात की चर्चा की । मुझे आई.जी.पी. ने बताया कि 8 तारीख की रात को वहां के भूतपूर्व महाराजा साहब, मानसिंहजी, प्रमुख

(श्री शिवचरण माथुर)

साहब, जो वहां के एम.पी. हैं लालाराम, और दूसरे जो वहां के प्रमुख व्यक्ति हो सकते हैं उन सबसे बात की, जानकारी ली कि कल की घटना के बारे में क्या-क्या सम्भावनायें आपके दिमाग में हैं। उन लोगों ने कहा कि लोग आयेंगे, जुलूस आयेगा और जिस प्रकार से होता है एक नाराजगी जाहिर करने वाली बात है, अपना ज्ञापन देकर चले जायेंगे। उसी प्रकार से इस चीज को लिया गया। उसके बाद भी पुलिस का इन्तजाम माकूल रखने की चेष्टा की गई। प्रोसेशन कुम्हेर गेट से शुरू हुआ, करीब दस-साढ़े दस बजे कुम्हेर गेट से कलेक्टोरेट तक करीब दो ढाई किलोमीटर या इससे ज्यादा का फासला होगा उस फासले के बीच जुलूस बहुत शान्तिपूर्वक चला। पुलिस लगतार जुलूस के साथ रही। कुम्हेर गेट से जितनी पुलिस साथ हुई उससे लगातार बीच में और पुलिस जुड़ती गई और शान्तिपूर्वक जुलूस कलेक्टोरेट तक गया। कलेक्टोरेट तक जाने के बाद में कुछ लोग कलेक्टर के पास गये और उन्होंने अपना ज्ञापन दिया, अपनी बात कही। इसके बीच में ही अचानक भीड़ का एक हिस्सा पटपड़ा मोहल्ले की तरफ आया। दो सौ तीन सौ आदमी हो सकते हैं, वे वहां पर गये। उस समय जितने बाहर पुलिस के लोग थे, अब आप अन्दाजा लगाइये जो जुलूस था उसके पीछे पुलिस थी पुलिस का बहुत बड़ा हिस्सा जुलूस के पीछे था और कलेक्टोरेट में जितनी पुलिस थी, पटपड़ा मोहल्ले में जो घटना हुई कुछ लोग उधर गये। वहां पर कुछ लोग जाटवों की तरफ से भी मौजूद थे, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है, वहां आपस में एक दूसरे के प्रति आशंका समझ लीजिये बैर समझ लीजिये, कुछ पथराव हुआ और ऐसी स्थिति बनी। जो पुलिस वहां पर थी उसके अलावा एडीशनल एस. पी. ने जब तक दूसरी पुलिस बुलाई तब तक वह घटना करीब 15-20 मिनट या आधा घण्टा के समय में हुई। कुछ लोगों ने उस मोहल्ले में घुसकर मकानों में आग लगाई और दुकानों को लूटा, इसमें दो राय नहीं है लेकिन यह घटना हुई। लेकिन यह कहना कि, साहब, तीन घण्टे तक लगातार वहां मोहल्ले को लूटा जाता रहा, यह तथ्य से परे की बात है। यह सब कुछ स्पर आफ दी मूवमेंट में इस प्रकार से हुआ। 15-20 मिनट या आधा घण्टा समझ लीजिये जब तक पुलिस का दूसरा दस्ता आकर के उस स्थिति को संभाले और उस भीड़ को खदेड़े, अश्रु गैस द्वारा, उससे पहले सारी घटना हो गई। भीड़ जब अनियन्त्रित होती गई तो बाद में जो पुलिस फोर्स आई उसने वहां भीड़ को क्योंकि तितर-बितर करने के लिये अश्रु गैस छोड़ी। जिस वक्त में जो रास्ते में····

(व्यवधान)

गेट पड़ता है उसमें कुछ दुकानों को लूटा, मकानों को लूटा। यह भी सही बात है वहां आम तौर से जाटवों की दुकानें थीं और वे लूट ली गईं। इसमें दो राय नहीं है, यह तो सारे तथ्य हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार को जब यह मालूम पड़ा, नौ तारीख को मैंने स्वयं हमारे गृह राज्य मन्त्रीजी से कहा आप मौके पर जाइये। हमारे यहां भी विधान सभा के अनेक सदस्यों से मैंने निवेदन किया, हमारे

(श्री शिवचरण माथुर)

सांसद थे उनसे कहा कि ग्राप मौके पर रहें। जन-प्रतिनिधि वहां लोगों के बीच में जायें ग्रौर भरोसा विश्वास देने वाली बात होनी चाहिये। स्पर ग्राफ दी मूवमेंट में झगड़ा होता है, मैं नहीं कहता कि झगड़ा किसी राज्य में नहीं होता है, झगड़े को किस भावना से कण्ट्रोल करने की बात है ग्रौर जो उसके घाव रहते हैं उनको ठीक करने वाली बात ग्रानी चाहिये।

तो हमने जन प्रतिनिधियों से भी निवेदन किया कि ग्राप लोग वहां पर जायें ग्रौर लोगों को समझायें ताकि इस घटना के ग्राधार पर कोई दो जातियों के बीच झगड़े की स्थिति न ग्रा जाये ग्रौर वह हमेशा के लिये बनी रहे। इस बात को कहने के लिये उसी समय हमारे गृह राज्य मंत्री गये, हमारे जो विधायक थे वे भी उनके साथ गये। वहां जाकर उन्होंने सारी रात बैठकर लोगों से चर्चा की, मेलजोल किया, मेल जोल कमेटी का निर्माण किया ग्रौर ग्रच्छा वातावरण, सौहार्द्रपूर्ण वातावरण वहां पर स्थापित हो इसकी उन्होंने चेष्टा की। तो इसके बारे में यह कहा जाये कि यह एक योजनाबद्ध षड़यन्त्र था ग्रौर प्रशासन ने जान बूझ कर पटपड़ा मोहल्ले की तरफ कुछ लोगों को भेजकर वहां के लोगों को लुटवाने की बात की, मैं समझता हूं, विपक्ष के नेता, महोदय, कम से कम इस तरह की बात न ग्राप कर सकते हैं, न हम कर सकते हैं ग्रौर न ही कोई सरकार ऐसा कर सकती है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने कब कहा कि सरकार की योजना थी।

श्री शिवचरण माथुर : तो क्या यह सरकार की योजना थी ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : टंडन की योजना थी।

श्री शिवचरण माथुर : इसलिये कोई योजना का ग्रंग हो, जहां तक टंडन की बात कही मेरे पास तथ्य उपलब्ध हैं। जब पटपड़ा मोहल्ले में घटना हुई उस समय टंडन कलेक्टर के पास थे ग्रौर नीचे दो एडीशनल एस.पी. श्री रामवल्लभ ग्रौर गरणपत राय मौजूद थे। जब भीड़ ग्राई उसको तितर-बितर करने के लिये जो पुलिस ग्राई उसके साथ टंडन गये। तो दो एडीशनल एस.पी. वहां पर मौजूद थे, इसलिये यह भी तथ्यों से परे वाली बात है ग्रौर मैं कहता हूं कि टंडन इसमें दोषी पाये गये तो उनको भी सजा देने में कोई एतराज नहीं होगा। इसलिये यह कोई पूर्व नियोजित योजना थी, यह मैं नहीं मानता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : टंडनजी की योजना नहीं थी तो फिर जांच क्या करेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने जो बात कही ...

श्री भैरोंसिह शेखावत : ग्रापने कहा कि यह टंडन की योजना नहीं थी, तो फिर जांच किस बात की करेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने यह नहीं कहा कि यह....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ग्राप बतायें कि समय क्या था, जब जुलूस शुरू हुग्रा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका तो नहीं होता....

श्री पाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : दूसरी बात विरोधी पक्ष के नेता ने यह कही कि भीड़ को हथियार दिये। मैं समझता हूं, यह बात भी गलत है। आपने खुद अपने ज्ञापन में इस बात को कहा है कि जो भीड़ की स्थिति थी उसमें, सही बात है पुलिस कांस्टेबल से उसकी बन्दूक छीनी गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक नहीं, दो बन्दूकें छीनी गईं।

श्री शिवचरण माथुर : एक छीनी गई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके कहने पर नहीं, मैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट के आधार पर बताऊंगा। दो छीनी हैं।

श्री शिवचरण माथुर : सरकार ने भी जानकारी की, उस समय महानिरीक्षक मौके पर पहुंच गये थे। इतना ही नहीं, भीड़ में से कुछ लोगों ने पुलिस वालों से दो राइफल्स ले लीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : "ले लीं" ठीक नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं it is not correct.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसमें बड़ा फर्क है एक तो पुलिस ने भीड़ को दी और दूसरा छीनी।

श्री शिवचरण माथुर : एक पुलिस ने दी और एक भीड़ ने छीनी, आपने स्वयं अपने ज्ञापन में यह बात कही है कि भीड़ ने पुलिस से बन्दूक ले ली। और आपने में लिखा है........

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपस में बातें न करें।

श्री शिवचरण माथुर : हमलावरों को पुलिस ने बन्दूक दी जिन्होंने 20 कारतूस चलाये। जो इसमें दोषी थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, आपकी यह बात तो सही हो सकती है। यह बात तो गलत है कि पुलिस ने भीड़ में किसी को दी और पुलिस ने गोली चलवाई, यह बिलकुल तथ्यों से परे है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह एकदम फैक्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह एक कटु सत्य है। पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर आप यह कह रहे हैं। मैंने भी जानकारी की, वहां दो बन्दूकें दी गई ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको क्या जानकारी है, क्या आपको भगवान ने कहा है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको भगवान ने कहा, मुझे खेतसिंह जी ने रात को कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : आप बैठिये, मैं बोलता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो आदमियों को बन्दूकें दी गई, एक हरिराम और दूसरा बदनसिंह। यह मैं आपको बता दूं कि उनको पुलिस ने बन्दूकें दीं, आप यह छिपायें नहीं। अब जो होना था वह हो गया उसका आपको भी अफसोस है और हमें भी अफसोस है लेकिन जो बन्दूकें ली गई उनमें से एक की खाली मैगजीन मेरे पास है।

श्री शिवचरण माथुर : मेरे को क्या मिलेगा छिपाने से ? मेरी जानकारी के अनुसार एक बन्दूक वहां पर ली गई, एक बन्दूक से गोली चली। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर किसी को सीधे तौर से बन्दूक लेनी होती वह पुलिस से लेता अगर यह बात होती तो यह सत्य नहीं है कि पुलिस ने गोली चलाई और पुलिस की गोली से ही कोई व्यक्ति घायल हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह हमने नहीं कहा कि पुलिस की गोली से कोई घायल हुआ।

श्री शिवचरण माथुर : आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह कहना चाहता हूं कि आप पुलिस को यह अधिकार दे सकते हैं कि पुलिस से कोई भी बन्दूक ले ले। आप कहते हैं कि छीन ली, हम कहते हैं कि पुलिस ने दी। आपका वक्तव्य सही मान लिया जाये तो पुलिस क्या कर रही थी वापस उनको लेने के लिये ?

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : जब बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट कहते हैं कि एक आदमी की यहां पर डेथ हो गई, यह पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता इसकी जांच अभी चल रही है····

श्री उपाध्यक्ष : यह मामला अभी इंवेस्टीगेट हो रहा है।

श्री शिवचरण माथुर : उसके थोड़ी देर बाद में पुलिस ने लोगों से बन्दूक ले ली उसकी शिनाख्त अभी पूरी नहीं हो पाई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिसने बन्दूक ले ली थी उसकी शिनाख्त क्यों नहीं हुई ?

(व्यवधान)

आपने पुलिस से हथियार छीनने के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। बन्दूकें छीन लेना क्या शरारत नही थी ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : शरारत नहीं, शिनाख्त।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अगर पुलिस से हथियार छीनना शरारत नहीं है तो आप यह अच्छी परम्परा नहीं डाल रहे हैं कि पुलिस के हथियार छीन लो कोई शरारत नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, पूरी बात सुनने के बाद, मैं समझता हूं, जिसने छीनी थी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। मैंने शरारत नहीं कहा था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : शरारत थी, जान-बूझकर दी। आप यह न समझें कि सारी जिम्मेदारी हमारी है। हम विरोधी पक्ष के हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप लोगों के कहने पर प्रोटेक्ट मत करो। जिन लोगों को हथियार मिले वह आपकी जानकारी में हैं। आप कहते हैं कि शिनाख्त नहीं हुई। शिनाख्त की इसमें क्या जरूरत है? जब मैं कोई चीज ललितजी को या शिवचरण को दूं तो मुझे मालूम है कि मैंने इनको दी है इसमें शिनाख्त की क्या जरूरत है?

श्री शिवचरण माथुर : सही बात है कि....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 29 तारीख को....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। जब तक मुख्य मन्त्री का भाषण न हो जाय बीच में टोंका-टाकी न करें।

श्री शिवचरण माथुर : इसलिये मैं इस बात से कतई इन्कार करता हूं। जहां तक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या जिला एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, क्या उसमें कमी है? हो सकता है, इसमें कमी रह सकती हो इस दृष्टि से हमने सोचा कि सरकार अलग से इस बात की जांच करे कि वहां का जो जिला प्रशासन है उसके क्या लैप्सेज थे, चाहे पुलिस इस सारी घटना की जांच अपने तरीके से कर रही हो। घटना की जांच पुलिस अलग से कर रही है और वहां जिला प्रशासन के क्या लैप्सेज रहे, जिला प्रशासन किस प्रकार से सुस्त रहा, इस बात की जांच करने के लिये और तरह तरह की जो आशंकायें व्यक्त की जा रही हैं, अखबारों में जो चर्चा में आ रही है, उन सब बातों को दूर करने की दृष्टि से राज्य प्रशासन ने सोचा है कि एक अच्छे सीनियर आफिसर को हम जांच के लिये रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू बोर्ड के सीनियर मैम्बर, श्री शंकरन को हमने इस बात के लिये नियुक्त किया है। जो टर्म्स आफ रेफरेन्स शंकरन साहब की इन्क्वायरी में है उसमें खास तौर से तीन बातें कही गई हैं, जो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

"Circumstances leading to the incident of 9th August, 1982, in particular whether the district administration and authorities responsible for maintenance of law and order were found in any manner wanting in dealing with the situation...."

श्री भैरोंसिह शेखावत : Only district officers !

श्री शिवचरण माथुर : "District administration and authorities responsible for maintenance of law and order...."

श्री भैरोंसिह शेखावत : कौन अथॉरिटीज ?

श्री शिवचरण माथुर : जो भी अथॉरिटी हो ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसके बाद में कौनसी अथॉरिटी रहती है ?

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : तीसरा, Whether there has been any exodus of the Jatav families on account of the incident."

तीन बातें बहुत साफ हैं । इन तीनों टर्म्स आफ रेफरेंस का कारण यही है कि हम बताना चाहते हैं कि हम किसी को बचाना नहीं चाहते । जिला प्रशासन या वहां की अथॉरिटीज लॉ एण्ड आर्डर के लिये जिम्मेदार थीं....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : घबरा रहे हैं, मुख्य मंत्री ।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : कोई नहीं घबरा रहा है । इसलिये जहां तक घटना का सवाल है, घटना की जांच अलग होगी । प्रशासनिक मशीनरी ने अगर यहां पर कोई लैप्सेज या कोताही की है उसकी जांच अलग से शंकरन कमीशन करेगा । मैं समझता हूं, के. वी. शंकरन के बारे में विरोधी पक्ष के नेता ने कहा उनकी इन्टेग्रिटी के बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में शक नहीं करते हैं, हमारे प्रदेश के बहुत बड़े सीनियर ग्राफिसर हैं । मैं मानता हूं उनकी निष्पक्षता में विश्वास रख कर हमें चलना चाहिये, अगर कोई किसी प्रकार की वहां पर कमी प्रशासन की तरफ से रही है तो उसकी रिपोर्ट के बाद में सरकार वहां पर मौके पर जो भी हुआ हो, उस बारे में कार्यवाही करेगी । इसलिये आपको यह बिलकुल शक नहीं रखना चाहिये कि हम किसी दोषी व्यक्ति को बचाने की बात करना चाहते हैं । हमारी मन्शा बचाने की नहीं है ।

एक बात यहां विरोधी दल के नेता ने कही कि पुलिस में बड़ी गुटबंदी है उसके कारण पुलिस अपना काम नहीं कर पाती । किसी व्यक्ति का किसी से मतभेद हो सकता है, इससे मैं इन्कार नहीं कर सकता लेकिन यह कहना कि गुटबंदी के कारण पुलिस में अनुशासनहीनता है मैं इस बात से बिलकुल इन्कार करता हूं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : करना चाहिये ।

श्री शिवचरण माथुर : राजस्थान की पुलिस ने जब जब भी समय आया है, हमेशा अनुशासन का परिचय दिया है, अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया है यह मैं यहां कहना चाहता हूं, इसलिये

(श्री शिवचरण माथुर)

नहीं कि आज देश में इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है पुलिस वालों के बारे में, कुछ कहूं नहीं इस बारे में डरकर....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : मैं इस बात को कहूंगा। आज देश में जो वातावरण बन रहा है, मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा, ऐसे मौके पर जब पुलिस को एक अजीब स्थिति में काम करना पड़ रहा है, इसलिये कोई दोषी पुलिस अधिकारी हो तो मैं उसको बचाने की बात कहूं। आपने कहा, पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई? अगर गोली चलकर 5-7 आदमी मर जाते तो कहा जाता कि एक्सेसिव फोर्स यूज किया गया। इसलिये जो भी व्यक्ति मौके पर होता है उसको अपने विवेक से काम लेना पड़ता है और जब तक उसकी नीयत में कोई खराबी नहीं मालूम पड़े, मैं समझता हूं, कोई कारण नहीं कि मौके पर काम करने वाले अफिसर के बारे में हम यह कहें कि उसने विवेक से काम नहीं लिया। इसलिये पुलिस को यह दोष देना कि उसमें अनुशासनहीनता की है, यह राजनैतिक दृष्टि से तो आप कह सकते हैं, मैं समझता हूं, इसके परिणाम क्या होंगे इसका अंदाजा आपको भी होना चाहिये। मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश की पुलिस बहुत ही अनुशासित है और उसने समय आने पर बहुत शानदार काम हमारे प्रदेश में किये हैं और हम उनकी तारीफ करना चाहते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह ताली महादेवसिंहजी बजा रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : आपने कहा कि सैल्फ रेस्पेक्ट हो तो इस्तीफा दे दें। आप हर भाषण में मेरे लिये ऐसी बातें कहते हैं, मेरे में सैल्फ रेस्पेक्ट, आत्म सम्मान नहीं है। मैं समझता हूं, मैं हमेशा इसी बात को कहता आया हूं कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी पार्टी एकता का प्रतीक है, हमारी शान है कि आज हम एक महान् नेता के नेतृत्व में चलते हैं, आपकी तरह,

(व्यवधान)

प्याज के छिलके की तरह अलग-अलग हो जाने वाली पार्टी हमारी नहीं है।

अनेक माननीय सदस्य : Hear, Hear बने रहो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहाड़ियाजी भी ऐसे बोलते थे। एक मात्र नेता की जय जयकार करते थे, चले गये....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर : मुझे हमेशा इसलिये कहना पड़ता है कि आप हमेशा इसी भाषा में बोलते हैं। मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर आपके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, आपके सात्विक

(श्री शिवचरण माथुर)

जीवन का इतिहास है, आपके आदर्श जीवन का इतिहास है इसलिये छोटी और हल्की बातें कहने से आखिर कहां ले जाना चाहते हैं। इस सदन में अच्छी परम्पराओं का निर्माण कीजिये। मैं आपकी इस मायने में इज्जत करता हूं कि आप अच्छे पालियामेंटेरियन हैं लेकिन आप अपनी उस योग्यता और अनुभव का एक बिलकुल छोटी राजनैतिक हरकत के तौर पर प्रयोग करना चाहें, मुझे बड़ा खेद होता है कि कोई ऐसा भाषण असेम्बली में हो। आप इस बात को दोहरायें नहीं कि आप दिल्ली के इशारे पर चलते हैं। मैं कहता हूं....

अनेक माननीय सदस्य : बिलकुल फैक्ट है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बैठ जाइए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात आप भी मानेंगे कि राजस्थान के वर्तमान मुख्य मंत्री ने जो गुलामी का प्रदर्शन किया है, राजस्थान के इतिहास में आज तक किसी मुख्य मंत्री ने नहीं किया।

श्री शिवचरण माथुर : आपको जलन यह है कि अब आपकी पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आप तो नई दिल्ली से भेजे गये हैं, चुने हुए नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन) : वह तो दो बार बता दिया एक बार उदयपुर में और एक बार राज्य सभा में।

श्री शिवचरण माथुर : 1981-82 में पंचायत समिति, जिला परिषदों, नगरपालिकाओं, विधान सभा, लोक सभा और राज्य सभा की हार ने आपमें बौखलाहट पैदा कर दी है। आप लोग महसूस करने लगे हैं कि हमारे पास यदि कोई रास्ता है तो यही है कि करेक्टर एसेसिनेशन करें, चरित्र हनन की बातें करें। आपकी पार्टी के पास और है क्या सिवा इसके ? इसलिये मुझे दुख होता है कि आप इस तरह की बातें करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहाड़ियाजी भी 60 हजार वोटों से जीते थे, बाहर नहीं निकल पाये।

श्री शिवचरण माथुर : आप क्या दावा करते हैं ? आप एक बार हारे, फिर छबड़ा में 35 हजार वोटों से जीते थे, यह दावा मत कीजिये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कह रहे थे कि हम जीते हैं। बात यह है कि पहाड़िया भी जीते थे और जीतने के बाद चले गये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज, जिस तरह से अपोजीशन लीडर को सुना उसी तरह से इनको भी सुनें।

श्री शिवचरण माथुर : मेरा सात्विक जीवन है और मुझे फख्र है। मैं समझता हूं, मेरे सात्विक जीवन पर आप इस प्रकार की बातें कहकर न तो कुछ प्राप्त कर सकते हैं, न जनता को बिगाड़ सकते हैं आप अपने अभिमान को जरूर संतुष्ट कर सकते हैं लेकिन जनता भोली नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ मेरी पार्टी के संबंधों का सवाल है, उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धिता का सवाल है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बहुत ही गम्भीरता से कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने तो आजादी के पहले भी इस बात को स्वीकार किया था....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : वह आपकी पार्टी नहीं थी वह तो महात्मा गान्धी की पार्टी थी। वह अब पार्टी रही नहीं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य।

श्री परसराम मोरदिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह बार बार बीच में बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया शान्त रहें। आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के संबंध में कुछ बातें कही गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी का जो प्रोग्राम है उसमें उनके लिये कार्यक्रम है और हमें इस बात का गर्व है।

एक माननीय सदस्य : पार्टी का नहीं इन्दिरा गान्धी का।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : यहां पर यह भी कहा गया कि मेरे आने के बाद में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों पर बहुत अधिक अत्याचार हुए हैं। यहां पर विरोधी दल के नेता महोदय ने यह कहा कि मेरे आने बाद शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों पर सात गुना अपराध अधिक हुए हैं। मैं यहां पर

(श्री शिवचरण माथुर)

आंकड़ों के आधार पर यह बताना चाहूंगा, माननीय सदस्यों की....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री शिवचरण माथुर : शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के संबंध में जो अपराध के केस रजिस्टर हुए हैं उनके आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं । यह आपके सामने जनवरी, 1981 के....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । आर्डर आर्डर ।

(5.50 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य । कृपया शान्त रहें । माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

माननीय सदस्यों को हमारे यहां पर डिबेट के साधारण नियमों का अच्छी तरह से ध्यान है कि जब कभी कोई माननीय सदस्य बोलता हो तो दूसरे अन्य माननीय सदस्यों को बीच में बोल कर बाधा उपस्थित नहीं करनी चाहिये । कभी विपक्ष के नेता महोदय बोलते हों या दूसरे बोलते हों तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप आ गये इसलिये मैं नहीं बोलूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है जब यह बोल रहे थे तो हमने तो इनको इन्ट्रप्ट नहीं किया और अब यह लगातार इन्ट्रप्शन कर रहे हैं । यह तो बिलकुल नहीं होने देंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य, कृपया सामान्य नियमों की पालना करें । कृपया शान्त रहें । मुख्य मन्त्रीजी ।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे सारी बातें इसलिये कहनी पड़ रही हैं कि यहां पर भरतपुर के बारे में बहुत सी बातें कही गयीं और यहां पर ऐसा वातावरण बनाया गया जैसे कि कोई पुलिस पर डिबेट चल रही हो या लॉ एण्ड आर्डर के ऊपर कोई डिबेट चल रही हो । विपक्ष के नेता महोदय ने यहां पर भरतपुर के बारे में चर्चा की । वैसे आम तौर पर उन बातों का कोई जवाब नहीं दिया जाता पर अगर कोई खास बात के बारे में जिक्र किया जावे और उसका उत्तर नहीं दिया जाय तो ठीक नहीं होता ।

श्री राजबहादुर : मैंने जो प्रश्न उठाये हैं उनका अपनी चर्चा में उत्तर जरूर दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह इस तरह से बीच में टोकेंगे तो हम इनको विधान सभा में भाषण नहीं करने देंगे। यह कोई बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से बड़े ही विनम्र शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य थोड़ा धैर्य रखें। कोई बात ऐसी भी हो सकती है कि जो कटु हो, वह अच्छी नहीं भी लगती हो तो भी हमारे यहां के नियमों के अनुसार जब कोई मन्त्री या मुख्य मन्त्रीजी बोलें तो माननीय सदस्यों को बीच-बीच में बाधा नहीं डालनी चाहिये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय तीन घन्टे के लिये बढ़ा दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन का समय सदन की अनुमति से एक घन्टे के लिये बढ़ाया जाता है।

भरतपुर शहर में घटित वारदात

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात यह कही गयी, विपक्ष के नेता महोदय द्वारा खास तौर से मुझे इस बात के लिये इक्वेट किया जाता है कि पहाड़ियाजी के जाने के बाद और मेरे मुख्य मन्त्री बनने के बाद यहां पर विशेष तौर से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ बहुत अपराध हुए हैं। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं....

(व्यवधान)

सुनिये।

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष के सदस्य कृपया धैर्य रखें। आप स्थान ग्रहण करें। आप मुझ पर छोड़ें यह बात। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शिवचरण माथुर : जनवरी, 1981 से जून, 1981 तक कुल मिलाकर अपराध जो रजिस्टर हुए व हैं 153 और जुलाई से दिसम्बर, 1981 के बीच में 206 अपराध रजिस्टर हुए थे। उसी प्रकार जनवरी, 1982 से जून, 82 तक अपराध हुए 152 जब कि जनवरी, 1981 से जून, 81 बीच में 153 हुए उसके बाद में जुलाई, 82 से दिसम्बर, 82 में पिछले साल के इस अवधि के 206 के मुकाबले सिर्फ 152 केस रजिस्टर हुए उसके अन्दर 24 अपराधों में कमी आयी।

श्री अध्यक्ष : आबादी बढ़ी, उसके बाद में भी अपराध में कमी हुई ।

श्री शिवचरण माथुर : तो यहां पर जो कहा गया कि सात गुना अपराध अधिक हुए शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ, यह गलत था । दूसरी बात यहां पर यह कही गई कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सीनियर आफिसर्स को अलग अलग लगा दिया गया है । यहां पर कमी की गयी है, मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं, दिनांक 13-7-81 के बाद में 14 जुलाई सन् 81 को मैंने जब चार्ज लिया उस वक्त सैक्रेटरी टू दी गवर्नमेन्ट दो थे, आज भी सैक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट दो हैं । स्पेशल सैक्रेटरी टू दी गवर्नमेन्ट एक थे, उसके मुकाबले आज शिड्यूल्ड कास्ट्स के एक और तीन शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आफिसर्स हैं यानी दो के मुकाबले चार हैं । कलेक्टर्स का जहां तक सवाल है पहले 6 थे अब सात हैं । मैनेजिंग डायरेक्टर्स एक के मुकाबले तीन हैं और आई.पी.एस. आफिसर्स पहले पांच थे अब भी पांच हैं, कुल मिलाकर आज सीनियर पोस्ट्स पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आफिसर्स ज्यादा लगे हुए हैं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : शिड्यूल्ड कास्ट्स के कितने हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : वही बात बतायी है, अलग अलग ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया धैर्य रखें ।

श्री शिवचरण माथुर : शिड्यूल्ड कास्ट्स के नौ हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स के नौ सैकेटरी कौनसे बताये हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । कृपया धैर्य रखें । आर्डर आर्डर ।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो सकता है कि ये बीच में टोकें ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जब यह चन्दनमलजी को गालियां दे रहे थे तो हमने तो इनको नहीं टोका था ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें । कृपया शान्त रहें । आर्डर आर्डर ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, जब भी विरोधी दल के नेता महोदय बोलते हैं तो हम उनको बीच में इन्ट्रप्ट नहीं करते हैं लेकिन जब हमारे मुख्य मन्त्री जी बोलते हैं तो ये बीच-बीच में इन्ट्रप्ट करते हैं। मुख्य मन्त्री के भाषण में बीच-बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

आप बीच- बीच में बोल कर बाधा डाल कर अच्छी परम्परा नहीं डालें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो 32 है हम 150 हैं।

श्री अध्यक्ष : 148 हैं, आर्डर, आर्डर ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, खेतसिहजी जो बात कह रहे हैं उसके लिये मैं एक बात बताना चाहता हूं। हम बीच में टाका-टाकी नहीं कर रहे हैं हम तो सवाल पूछ रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप इतने पुराने मैम्बर हैं जब सदन के नेता महोदय बोलते हैं तब बीच में सवाल पुछना कौन सी परम्परा है ?

श्री अध्यक्ष : कृपया धैर्य रखे । माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह लोग चन्दनमल जी को गालियां दे रहे थे तब हमने तो कुछ नहीं कहा, हम तो चुपचाप सुनते रहे हमने तो इनको इन्ट्रप्ट नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी पार्टी के लोग मुझे कुछ दे ही रहे थे कुछ मेरा ले तो नहीं रहे थे।

श्री भैरूंसिह गुर्जर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर विरोधी दल के नेता ने हमको दादी माई की कहानियां सुनायीं तो भी हम सुनते रहे और ये बीच-बीच में बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री शिवचरण माथुर : एक बात यहां पर बाबूजी ने कहा कि पप्पू की मृत्यु किस गोली से हुई। वह तो फारेन्सिक लेबोरेट्री की रिपोर्ट पर ही पता चलेगा, पर आपको यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें 35 प्लेट्स निकली हैं उनको जांच के लिये भेज दिया गया है।

(श्री शिवचरण माथुर)

(व्यवधान)

आप इसमें शंका मत कीजिये।

श्री अध्यक्ष : राइफल की गोली तो वह नहीं थी इसका मतलब यह हुआ।

श्री शिवचरण माथुर : यहां पर, अध्यक्ष महोदय, एक बात यह भी कही गयी थी........

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, एक बात यहां पर श्री पचेरवाल जी ने यह कही कि मुख्य मन्त्री जी रुपया देकर लोगों की कीमत रुपये से आंकना चाहते हैं। हमारी कोई मंशा नहीं रही कि जो नुकसान हुआ है, किसी की जान गयी है उसको रुपये से आंक सकते हैं। लेकिन यह छोटा सा प्रयास किया है कि उनके साथ मदद मौके पर राज्य सरकार की ओर से हो जाये, उसके पीछे भावना किसी को रुपये से आंकने या तोलने की नहीं रही है। जो लोग एकदम मुसीबत में आये, जो भी नुकसान लोगों का हुआ है उसका अन्दाजा कराया है और कुछ सहायता दी है। इसके साथ ही साथ उनके पुनर्वास रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ बैंकों से पैसा दिलाने की बात कही है। हम चाहते हैं कि उनका पूरा रिहेबिलिटेशन हो और जिस स्थिति में वे पहले थे उस स्थिति में आयें।

मैं अंत में, अध्यक्ष महोदय, यही कहता हुआ जो कुछ भी घटना भरतपुर में हुई है उसकी पूरी जांच की जायेगी और अगर प्रशासन की ओर से भूल हुई है तो उसकी पूरी जांच की जायगी और जो भी निर्णय होगा, जो भी फाइन्डिंग्स होंगी उनके आधार पर सरकार पूरी कार्यवाही करेगी। मैं अंत में यही निवेदन करता हूं कि सभी वर्ग के लोग इस घटना को घटना मानें और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण अलग अलग जातियों में पैदा करें। इसमें किसी राजनैतिक पार्टी का सवाल नहीं है, इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले सब इसको सिद्धान्ततः स्वीकार करें कि हमें भाईचारे की भावना और सौहार्दपूर्ण वातावरण वहां के लोगों में पैदा करना है। इसी भावना से इस समस्या को लें, यही मेरा निवेदन है।

श्री राजबहादुर : एक बात....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हुई।.... माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर.... कृपया स्थान ग्रहण करें।

राजस्थान नहर व भाखरा नहरों में पर्याप्त पानी न छोड़े जाने से फसलों को नुकसान

अगला विषय। राजस्व मन्त्री, श्री परसराम मदेरणा राजस्थान नहर व भाखरा की नहरों में पर्याप्त पानी नहीं छोड़े जाने से फसलों को होने वाली हानि के संबंध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शुक्रवार को जीरो अवर के दौरान फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य एक

(श्री परसराम मदेरणा)

एडजोर्नमेन्ट मोशन पर बोल रहे थे और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य और इधर बैठने वाले कई माननीय सदस्यों ने कहा था कि राजस्थान नहर, उसकी ब्रान्चेज और उसकी वितरिकाओं में पानी पर्याप्त उपलब्ध नहीं है इसलिए फसल पर विपरीत असर पड़ रहा है। मैंने सदन में आश्वासन दिया था कि एक वक्तव्य दूंगा। यह बात मैंने शुक्रवार को इस सदन में कही थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुछ सदस्य सुन नहीं रहे हैं शायद, इसलिए आपके भाषण को सुनने के पहले ही लोग जा रहे हैं। उनकी आवाज में सुनाई नहीं दे रहा है। इनको चले जाने दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए जो मैंने सदन में वक्तव्य देने की बात कही थी, राज्य सरकार का वक्तव्य इस प्रकार है :

राजस्थान नहर में चालू खरीफ की फसल के दौरान अगस्त माह के अंत तक पर्याप्त मात्रा में पानी चलता रहा। नहर के अन्तर्गत जो क्षेत्र हैं, उनमें अच्छी तरह से बिजायी हुयी। खरीफ, 81 में 1,70,000 हैक्टेयर में बिजायी हुई थी जब कि चालू खरीफ फसल में लगभग 1,90,000 हैक्टेयर क्षेत्र में बिजायी हुई। अचानक रावी के आवक क्षेत्र में वर्षा न होने के कारण माधोपुर व्यास लिंक से हरिके पर पानी मिलना बन्द हो गया। इसके फलस्वरूप राजस्थान का पानी जो 29-8-82 को 10,472 क्यूसेक्स मिल रहा था, घटकर 5-9-82 को 6,742 क्यूसेक्स रह गया इसके निराकरण हेतु राज्य सरकार ने भाखड़ा एवं पोंग बांध से अतिरिक्त पानी छुड़वाने का प्रयत्न किया ताकि खड़ी फसलों को आवश्यकतानुसार पानी उपलब्ध हो सके।

भाखरा—व्यास मैनेजमेन्ट बोर्ड की तकनीकी कमेटी ने दिनांक 2 सितम्बर, 1982 को भाखरा एवं व्यास बांध से पानी छोड़ने के लिए निम्न निर्णय लिये हैं—

1. भाखरा रिजर्वायर

1. सितम्बर, से 20 सितम्बर	28,000 क्यूसेक्स जिसमें से 6,000 क्यूसेक्स रोपड़ के नीचे देना था।
21. सितम्बर से 30 सितम्बर	26,000 क्यूसेक्स जिसमें से 4,000 क्यूसेक्स रोपड़ के नीचे देना है।

2. पोंग रिजर्वायर

1 सितम्बर से 20 सितम्बर	12,000 क्यूसेक्स
21 सितम्बर से 30 सितम्बर	14,000 क्यूसेक्स

इस निर्णय के फलस्वरूप हरिके बैराज पर 18,000 क्यूसेक्स पानी प्राप्त होना था, जिसमें से 8,000 क्यूसेक्स पानी पंजाब के लिये एवं 10,000 क्यूसेक्स राजस्थान के लिए, 2700 क्यूसेक्स गंग कैनाल, 6700 क्यूसेक्स राजस्थान नहर एवं 800 क्यूसेक्स राजस्थान फीडर लिंक के लिए था। राजस्थान नहर की आवश्यकता

Page No 183

(183)

(6·06 सांय)

(श्री ग्रहमद बक्स सिंधी, उपाध्यक्ष पदासीन)

मुख्य ग्रभियन्ता सिंचित क्षेत्र विकास, नहर परियोजना द्वारा दिये गये इन्डेन्ट के ग्रनुसार थी। 3 सितम्बर, 1982 से भाखरा एवं पोंग रिजर्वायर से पानी तकनीकी कमेटी के निर्णयानुसार छोड़ दिया गया। इसका विवरण निम्न प्रकार है:—

दिनांक	भाखड़ा डैम से छोड़े गये पानी की मात्रा	पोंग से छोड़े गये पानी की मात्रा	रोपड़ के नीचे छोड़े गये पानी की मात्रा
3-9-82	28000	8310	1546
4-9-82	28000	11633	3184
5-9-82	28000	11135	3096
6-9-82	28000	13000	2709
7-9-83	28000	12005	3870
8-9-82	28000	12002	4255

इन ग्रांकड़ों से स्पष्ट होगा कि यद्यपि 3-9-82 से भाखरा एवं पोंग बांधों से पानी तकनीकी समिति के निर्णय के ग्रनुसार छोड़ा जा रहा था किन्तु फिर भी पंजाब रोपड़ के नीचे 6000 क्यूसेक्स छोड़ने के बजाय 1546 से लेकर 4255 क्यूसेक्स तक ही पानी छोड़ता रहा। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि रोपड़ के ऊपर पंजाब ने ग्रपनी नहरों के लिए जो 22000 क्यूसेक्स पानी की मांग की उससे कहीं ग्रधिक पानी वह इन नहरों में छोड़ रहा है। सरहिन्दु कैनाल में लगभग 11380 क्यूसेक्स भाखरा मेन लाइन में 11500 क्यूसेक्स बिस्तदोग्राब कैनाल में लगभग 1000 क्यूसेक्स ग्रादि। चूंकि पंजाब रोपड़ से नीचे लगभग 2000 से 3000 क्यूसेक्स पानी कम छोड़ता रहा था इस वास्ते मैंने ग्रौर सिंचाई विभाग के ग्रधिकारियों ने चेयरमैन बी. बी. एम. बी. से बात कर उनसे भाखरा डेम से 2000 क्यूसेक्स ग्रतिरिक्त जल छुड़वाया। ग्रर्थात् भाखरा डैम से ग्रब टैक्निकल कमेटी द्वारा निर्धारित 28,000 क्यूसेक्स की ग्रपेक्षा 30 000 क्यूसेक्स पानी 9 सितम्बर की सायंकाल से छोड़ा जा रहा है। इसके फलस्वरूप ग्रब रोपड़ हैड वर्क्स से नीचे लगभग 6000 क्यूसेक्स की उपलब्धि सम्भव हो गयी है। इसी प्रकार तकनीकी समिति के द्वारा 2-9-82 को लिये गये निर्णय के ग्रनुसार हरिके बैराज के ऊपर 17500 क्यूसेक्स पानी कुल उपलब्ध होना था जिसमें से 12000 क्यूसेक्स पोंग से छोड़ा गया पानी तथा 6000 क्यूसेक्स रोपड़ हैड वर्क्स से छोड़ा हुग्रा है। इस 17500 क्यूसेक्स पानी में राजस्थान के लिये 10,000 क्यूसेक्स तथा पंजाब के लिये 7500 क्यूसेक्स पानी था। राजस्थान के लिये 10000 क्यूसेक्स पानी का विवरण मैं पहले बता चुका हूं। पंजाब की 8000 क्यूसेक्स की मांग 3300 क्यूसेक्स ईस्टर्न कैनाल 4200 क्यूसेक्स सरहिन्द फीडर तथा करीब 500 क्यूसेक्स शाह नहर तथा मक्खा कैनाल के लिये है। पंजाब ने रोपड से जो लगभग 2000 से 3000 क्यूसेक्स पानी कम छोड़ा उसका ग्रसर उन्होंने हरिके से निकलने वाली पंजाब की नहरों में देने के बजाय राजस्थान फीडर में दिया।

(श्री परसराम मदेरणा)

मैं आशा करता हूं कि राजस्थान द्वारा भाखरा बान्ध से 2000 क्यूसेक्स अतिरिक्त पानी दिनांक 9-9-82 को छोड़ने के फलस्वरूप राजस्थान की राजस्थान फीडर में भी पानी मात्रा में लगातार सुधार हो रहा है तथा हमें इन्डेन्ट के मुताबिक पर्याप्त पानी मिल सकेगा।

राजस्थान नहर प्रणाली में पानी के वितरण की व्यवस्था ठीक करने के लिये नहरों को चार ग्रुप्स में बांटा गया है। इन चारों ग्रुपों में अनिवार्य आवश्यकताओं के लिये 1550 क्यूसेक्स पानी आरक्षित रखा गया है तथा इसके अलावा प्रत्येक ग्रुप में 1700 से 1740 क्यूसेक्स तक की क्षमता वाली नहरों को सम्मिलित किया गया है। प्रथम ग्रुप में सूतरगढ़ ब्रान्च व लखुवाली से बिरधवाल तक सीधे मोगे (1700 क्यूसेक्स) द्वितीय ग्रुप में अनूपगढ़ शाखा (1710 क्यूसेक्स) तृतीय ग्रुप में रावतसर ब्रान्च, अनूपगढ़ शाखा का भाग, नॉर्थ घग्घर कैनाल, राठीखेड़ा माइनर तथा पंजाब सीमा से लखुवाली तक सीधे मोगे (1722 क्यूसेक्स), चतुर्थ ग्रुप में नौरंगदेसर वितरिका, बिरधवाल हैड से नीचे पूंगल ब्रान्च तक की अन्य नहरें व सीधे मोगे लखुवाली से बिरधवाल तक की सीधी वितरिकायें व लिफ्ट नहर के लिये अतिरिक्त जल (1740 क्यूसेक्स) हैं। नहरों को प्राथमिकता के अनुसार चलाने का प्रोग्राम मई, 1982 में बनाया गया था एवं जिसकी प्रतिलिपि संसद सदस्यों, विधायकों एवं अन्य को सूचनार्थ भेजी गयी थी। एक ग्रुप में पानी चलाने के लिये लगभग 3300 क्यूसेक्स पानी की आवश्यकता होती है। एक साथ दो ग्रुपों में पानी चलाने के लिये 5000 क्यूसेक्स पानी की आवश्यकता होती है। तीन ग्रुपों में एक साथ पानी चलाने के लिये 6700 क्यूसेक्स पानी की आवश्यकता होती है एवं चारों ग्रुपों में एक साथ चलाने के लिये लगभग 7200 क्यूसेक्स पानी की आवश्यकता होती है।

अनूपगढ़ शाखा की कुल लम्बाई 134 किलोमीटर है, जिसमें 128 किलोमीटर में लाइनिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। बकाया कार्य मार्च-अप्रेल, 1983 तक पूर्ण हो सकेगा। जब तक लाइनिंग का कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर लिया जाता, इस में इसकी पूर्ण क्षमता 2300 क्यूसेक्स की अपेक्षा 1700 क्यूसेक्स ही चलाया जा सकता है। अतः वर्तमान में इस शाखा की वितरिकाओं को जल उपलब्ध कराने के लिये दो ग्रुपों में बांटा गया है। एक ग्रुप में 17200 क्यूसेक्स एवं दूसरे ग्रुप में में 800 क्यूसेक्स पानी दिया जाता है। इसके बावजूद भी अनूपगढ़ शाखा की मलकेवाली वितरिका, घड़साना वितरिका, एवं खोयावाली वितरिका को पानी कम मिला, क्योंकि जिस समय पानी हरिके बांध से कम हुआ, उस समय में नहर तीसरी एवं चौथी प्राथमिकता में थी। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार नहरों को खरीफ फसल अवधि में 122 दिन पूरा चलनी चाहिये। राजस्थान नहर की मुख्य नहरें माह अप्रेल से अगस्त तक निम्न प्रकार चल चुकी है:—

(श्री परसराम मदेरणा)

क्रम सं. नहर का नाम	नहर को चलने के दिन
1. नौरंगदेसर वितरिका	119 दिन
2. रावतसर शाखा	126 दिन
3. सूरतगढ़ शाखा	119 दिन
4. अनूपगढ़ शाखा	12^ दिन

राजस्थान नहर को जो पानी अगस्त तक मिला उससे अधिकांश दिनों में चारों ग्रुप में आवश्यकतानुसार पानी एक साथ चलाया गया। इसके अलावा माह सितम्बर में भी सभी नहरें करीब 15 दिन चल सकेंगी। अर्थात् खरीफ फसल के दौरान नहरों में निर्धारित अवधि से अधिक पानी मिल पायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था के फलस्वरूप राजस्थान को शीघ्र ही 10000 क्यूसेक्स पानी हरिके पर मिलेगा तथा आज से अनूपगढ़ शाखा भी प्रथम प्राथमिकता से चलेगी। इससे खड़ी फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकेगा।

राज्य सरकार ने भारत सरकार से भी निवेदन किया है कि वे राजस्थान को उसके हिस्से का पूरी मात्रा में पानी दिलाने की व्यवस्था करे।

भाखरा नहर क्षेत्रः—

राजस्थान को भाखरा नहर से 5 कान्टेक्ट पाइन्ट्स से पानी मिलता है। इसमें से एक कान्टेक्ट पाइन्ट पंजाब के साथ सरहिन्द फीडर की टेल पर है जिसमें हमें 1310 क्यूसेक्स पानी मिलता है तथा अन्य चार कान्टेक्ट्स पाइन्ट्स हरियाणा के साथ हैं जिनमें हमें 952 क्यूसेक्स पानी मिलता है। जंडवाला/खारा से 255 क्यूसेक्स, साउथ घग्घर कैनाल से 266 क्यूसेक्स बारुवाली/जसाना से 106 क्यूसेक्स, किशनगढ़ लिंक/अमरसिंह सब ब्रान्च से 355 क्यूसेक्स।

पंजाब के उपरोक्त कान्टेक्ट्स पाइन्ट से इस वक्त हमारा शेयर 1091 क्यूसेक्स है तथा हरियाणा के चार कान्टेक्ट्स पाइन्ट्स पर हमारा शेयर 343 क्यूसेक्स है। सभी स्थानों पर हमें हमारे हिस्से के अनुसार पानी लगभग पूरा मिल रहा है। इसके अलावा राजस्थान फीडर-सरहिन्द फीडर लिंक से अप्रेल से अब तक बराबर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका औसत डिस्चार्ज करीब 430 क्यूसेक्स बनता है जो कि 0.13 एम ए एफ के बराबर होता है। अतः भाखरा की नहरों से सिंचाई सुचारू रूप से चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री त्रिलोक सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सुनील विश्नोई।

श्री सुनील विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राज्य के सिंचाई मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस समय हमारे गंगानगर जिले के काफी काश्तकार आये हुए हैं। उनको लेकर मैं मन्त्रीजी से मिला, यह भी मैं मानता हूं कि मन्त्रीजी ने बहुत दिलचस्पी ली है और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी लिया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मौके

(श्री सुनील विश्नोई)

पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह आज की बात नहीं है। ऐसी घटना पहली बार नहीं घट रही है हर साल यही चीज होती है... यह मानते हैं कि पहले पानी मिला था किन्तु ....

(व्यवधान)

आज सबसे ज्यादा जरूरत है क्यों कि फसल के पकने के वक्त पानी नहीं दिया जाय तो क्या हालत होगी ? माननीय मंत्री जी गये थे, मुख्य मंत्री जी गये थे, कई सदस्य गये थे गंगानगर देखकर आये हैं। इनको पता है बहुत अच्छी फसले थीं, लहलहाती हुई थीं इस साल । हमें उम्मीद थी कि दो-तीन साल बाद इस बार अच्छी फसल हुई है इसलिए कुछ राहत मिलेगी किन्तु इस मौके पर जब खास जरूरत थी पानी एकदम बन्द हो गया हमारे पास ऐसा क्या साधन है कि जिससे पानी दे सकें। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहूंगा, फ्यूचर में इस बात का प्रबन्ध करें कि हमारे हिस्से का पानी हमें मिल सके। बी. बी. एम. बी. को अधिकार मिला है, उसको मैनेजमेंट करने का भी अधिकार दिया गया है। उस मैनेजमेंट बोर्ड को बनाने का क्या मतलब जब पानी नहीं मिलता। यह भाखरा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड बनने के बाद पंजाब जब पानी निकाल लेता है तो आखिर कोई हल निकालना पड़ेगा। यह पिछले 5-6 सालों से ऐसी हालत हो रही है। ऐसे कई गांव हैं जहां पीने का पानी नहीं है। इसी बात पर मन्त्री महोदय से एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि फसलें तो खराब हो चुकी हैं। ठीक है कि जो पानी अब आयेगा उससे पत्ते हरे हो जायेंगे लेकिन फसल उतनी नहीं दे पायेगा। मैं दरख्वास्त करूंगा कि वहां सिंचाई विभाग के अफसरान को आप हिदायत दें कि जो खराबे की दरख्वास्तें हैं, जिस इलाके में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां खराबे की दरख्वास्त न लें। दूसरी चीज मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान कैनाल की कुल कितनी रिक्वायरमेंट है और राजस्थान कैनाल का कितना इन्डेन्ट दिया गया है ? माननीय मन्त्री महोदय ने खुद ने कहा है कि राजस्थान नहर की सारी वितरिकायें चलाने के लिए 7 हजार क्यूसेक्स पानी की जरूरत है। मैं जानना चाहूंगा कि उसका इन्डेन्ट क्या था ? अपने मांगने में क्यों कंजूसी करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, पानी की हर साल कमी होती है फिर भी कम मात्रा में पानी क्यों मांगते हैं ? सैकिण्डली अनूपगढ़ शाखा हो, सूरतगढ़ ब्रान्च हो, हम क्लेम करते हैं कि हमने इन शाखाओं को पूरा कर दिया है, हमने फर्स्ट स्टेट कम्पलीट कर दी है लेकिन बीच में 5-5 किलोमीटर का टुकड़ा छोड़ दिया है। आपकी 21 सौ क्यूसेक्स की नहर है उसमें आप 1720 क्यूसेक्स पानी चलाते हैं और एक बार में 6 सौ क्यूसेक्स चलाते हैं। तो 17 सौ क्यूसेक्स पानी चलेगा तो वह मार्क करेगा या 21 सौ चलता है वह मार्क करता है। तो उसके मुकाबले में 6 सौ, 7 सौ क्यूसेक पानी चलाते हो वह मार्क नही करेगा। इसमें मन्त्री महोदय से मेरी खास दरख्वास्त है कि इस तरह प्रबन्ध करें, स्टैप लें, कारगर स्टैप उठायें, ठीक है कि राज्य सरकार जागरुक है पर हम

(श्री सुनील विश्नोई)

सेन्टर को इन्वाल्व करें। मैं मुख्य मंत्री से दरख्वास्त करना चाहूंगा वह जाकर अपना इनफ्लूएंस यूज करें और सेन्टर से ऐसा प्रबन्ध करायें कि हमें अपने हिस्से का पानी मिल सके। अगर यही हालत रही, पिछले साल भी यही हुआ था वहां कई लड़ाई झगड़े हुए, ठीक है मरता क्या नहीं करता, काश्तकारों ने गेट खोले लेकिन पानी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वह नहीं मिले तो ज्यादती होती है उनके अभी तक मुकदमे चल रहे हैं। इस साल भी हालत ऐसी ही है इसलिए ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि हमें हमारे हिस्से का पानी मिल जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम।

(व्यवधान)

I have called him.

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा और यह जानकारी चाहूंगा कि गंग कैनाल में जैसा आपने बताया 27 सौ क्यूसेक्स बंटवारे में हमें पानी मिलता है। मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करें कि 27 सौ क्यूसेक्स पानी कभी गंग कैनाल में चला और इस वक्त कितना चल रहा है। पिछले इसी सीजन में कितना पानी चला था ?

श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह : आंखों में पानी है, यही बात है।

श्री पीरूराम (टीबी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे इलाके में जो मेरा विधान सभा क्षेत्र टीबी है उसमें बहुत अच्छी फसल थी किन्तु पानी न मिलने की वजह से इतना भयंकर नुकसान हो गया कि काल नहीं महाकाल कहना चाहिए। चाहे यह अपनी सरकार की कमजोरी समझो, अधिकारियों की लापरवाही समझो, नवें महीने तक फसलों को पानी देना बहुत जरूरी था। यहां आते ही 6 तारीख को माननीय मन्त्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय को इत्तला दे दी थी, डेपुटेशन भी आया था हमारे टीबी क्षेत्र में 3-4 प्रकार की फसल होती हैं, एक तो चावल की फसल होती है तो मैंने मांग की थी कि हरियाणा के ओटू के घाट से पानी छुड़वाया जाय ताकि चावल की फसल बच जाय और तैयार हो जाय। दूसरी तरफ राजस्थान कैनाल की नोरंगदेसर डिस्ट्रीब्यूटरी है और भंडेली ब्रान्च है और भी एक दो अन्य ब्रान्चेज हैं उनमें इस महीने पानी पूरा दिया जाय ताकि सावनी की फसल तैयार होकर हाड़ी की बिजाई हो जाय। माननीय मन्त्री महोदय ने आश्वासन तो दिया था कि मैं कार्यवाही करूंगा। दो हजार क्यूसेक्स पानी और भी अग्या बताते हैं पर अभी तक मेरे पास कई काश्तकार आये हैं तो उन्होंने बताया कि नहर बन्द पड़ी है, पानी नहीं है। 2-4 रोज से तो गर्मी बहुत तेज पड़ रही है तो नर्मा और कपास की फसल मुरझा रही है। जैसा सूरतगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने सुझाव रखा कि सरकार गिरदावरी करवाये, खराबे का मुआवजा दे, तो मैं कहना चाहूंगा कि पिछले

(श्री पीरूराम)

दिनों मेरे ही क्षेत्र के गांव वेडहारा केराय में, भाखरा नहर जो हरियाणा से आती है, एम० बी० बी० नहर के टूटने से नुकसान हो गया था। जो गिरदावरी रिकार्ड की है वह माननीय मन्त्री महोदय को भी दी है लेकिन पता नहीं क्या कार्यवाही कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पिछली दफा शीत लहर से और ओलावृष्टि से चने की फसल नष्ट हो गयी थी उसमें भी सरकार ने हाथ सीधे कर दिये एक पैसा नहीं दिया तो आगे मैं उम्मीद नहीं रखता कि सरकार मुआवजे के तौर पर कुछ दे देगी। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जितना बन सके, हरियाणा और पंजाब में पानी की चोरी होती है उसे रोका जाय और अपने हिस्से का पानी पूरा लेकर जितनी हो सके काश्तकार की मदद की जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं कि यह पहला वर्ष है 1982 वर्ष इन महीनों में नहरों की बन्दी की जा रही है। आज से पूर्व अगस्त-सितम्बर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहरों में बन्दी की जाय क्योंकि यह समय ऐसा होता है की डैम फुल होते हैं और जितनी रिववायरमेंट होती है वह लेकर हम पूरी नहरें चलाते हैं चाहे सूरतगढ़ ब्रान्च है चाहे अनूपगढ़ शाखा है या गंग कैनाल है। उपाध्यक्ष महोदय, आज के किसान की हालत बहुत दयनीय है। एक तरफ तो सिंचाई विभाग उन्हें आश्वस्त करता है कि आपको खरीफ की फसल में पूरा पानी देंगे। काश्तकार बिजाई कर देता है। बिजाई वह उस बीज की करता है जिसको ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए। आज उसने कपास, नर्मा और चावल की फसल बीज रखी है। अगर इस समय 20 दिन की बन्दी कर दी जाय तो फसल चौपट हो जाती है और जो किसान खर्चा करता है वह किसान बरबाद हो जाता है। इसलिए रबी की फसल में तो प्राकृतिक कारणों से चने की फसल बिलकुल बर्बाद हो गई और इस वर्ष खरीफ की फसल के दौरान इसे पूरा पानी नहीं मिल रहा है। इसके लिए बार बार प्रतिनिधि मिले, वहां के किसान आन्दोलन कर चुके हैं, मांग रख चुके हैं परन्तु सिंचाई विभाग के अधिकारी तुरन्त ध्यान नहीं दे पा रहे। आज स्थिति यह है कि हम मांग करते हैं कि हमें राजस्थान का पूरा शेयर मिले परन्तु मेरे ख्याल से इस सरकार से तो कभी लिया नहीं जायेगा। आज भाखरा व्यास मैनेजमेन्ट बोर्ड में अगर किसी का कन्ट्रोल है कोई लॉबी हावी है तो पंजाब की है। अगर पंजाब चाहे तो आपको बख्शीश कर सकता है। आज राजस्थान सरकार की हिम्मत नहीं है कि सेन्टर पर दबाव डालकर अपने शेयर का पानी ले सके। पानी वह दे सकें, ऐसा सम्भव ही नहीं है। इस ओर बार बार प्रयास किया गया है। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे जो दिल्ली में एम. पी. हैं या दूसरे प्रभावशाली मंत्री हैं वह प्रयास करें कि भाखरा व्यास मैनेजमेन्ट बोर्ड में हमारा कन्ट्रोल हो और उसमें पंजाब की लॉबी हावी नहीं रहे। अगर वहां हमारा प्रभाव होगा तो

(श्री देवीसिंह भाटी)

हमें सुचारू रूप से पानी मिलेगा। आज चाहे लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल हो, चाहे अनूपगढ़ शाखा हो, उसके टेल एण्ड पर जाकर देखिये, फसलें तो गयी भाड़ में आज वह किसान प्यासा मर रहा है, न तो उसके निदान की ओर न आलटरनेटिव व्यवस्था सरकार कर रही है। न तो कोई अनुदान दिया गया है न पानी की कोई व्यवस्था की गई है। एक बार नहीं कई बार गंगानगर के जो विधायकगण बैठे हैं इन्होंने भी आवाज उठायी है, पर्सनली वह मिनिस्टर से मिले हैं, चीफ मिनिस्टर से मिले हैं। आखिर और कौन सा तरीका रह जाता है। एक तरफ तो भूमिहीन काश्तकार को वहां आबाद तो कर देते हैं कि यहां आकर बसो, हम तुम्हें जमीन देते हैं, तुम्हारी माली हालत सुधर जायेगी। माली हालत की तो ऐसी तैसी हो जाती है, वह सारा धन कहीं से कर्ज लाता है और फसल बीजता है तो फसल बीजने के बाद उसे समय पर पानी नहीं मिलता सिंचाई विभाग से।

उपाध्यक्ष महोदय, दयनीय हालत है उन भूमिहीन काश्तकारों की जो इस सिंचाई विभाग के भरोसे पर उन धोरों में बैठे हैं किन्तु उनको पानी नहीं मिल रहा है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आपकी केबिनेट अभी वहां पर जाकर आई है। वह इस बात की तसल्ली करें, पूछताछ करें कि जहां हमारी लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल है उसकी केपेसिटी 576 क्यूसेक्स की है परन्तु आज तक वहां ढाई सौ क्यूसेक्स से ज्यादा पानी ले नहीं पाये हैं। उसका कारण यह है कि उसका लेवल सही नहीं होने के कारण कभी भी काश्तकारों को पूरा पानी नहीं मिल पाया है। अनूपगढ़, रोजड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी की हालत भी आज यही है। उन्होंने स्वयं मौके पर देखा है कि कोई भी नहर, जितनी उसकी केपेसिटी है उतना पानी नहीं ले पा रही है। पूरा पानी नहीं लेने का कारण यही है। इसके कारण मारा कौन जा रहा है। किसान मारा जा रहा है। फिर उसकी समय पर री-सिल्टिंग नहीं होती है। री-सिल्टिंग के लिए मस्टर रोल भरे जाते हैं, कार्यक्रम बनाए जाते हैं परन्तु कभी भी सही काम नहीं होता। सही काम नहीं होने की वजह से मंत्री महोदय भुगतना पड़ता है किसान को, जिसकी हालत आप खुद आंखों से देखकर आये हैं। मैं आपकी तारीफ करूंगा, जैसे ही आप वहां पर गए, किसान की हालत देखी, उसके ऊपर आपने गम्भीरता से विचार किया और उस पर आपने एक्शन लिया। हालांकि उसका परिणाम क्या हुआ, सही हुआ या गलत हुआ, परन्तु यह सही है कि अधिकारियों के दिमाग में यह बात आई है कि अगर हम सही काम नहीं करेंगे तो हमें दण्ड भी मिलेगा। हम सस्पेंड भी होंगे, नौकरी से भी जायेंगे और जेल में भी जायेंगे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। परन्तु आज की परिस्थिति में जिस किसान की फसल आज फूलों के ऊपर आई हुई खड़ी है, चाहे वह नर्मा की फसल हो, चाहे कपास की फसल हो, चाहे चावल की फसल हो, आज उसको पानी चाहिए। अगर उसको 15 दिन पानी नहीं मिलेगा,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उसकी हजारों रुपयों की फसल बरबाद हो जायगी।

(श्री देवीसिंह भाटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दें, उसके साथ में आप पांच दिन बाद वहां से रिपोर्ट मंगा कर, सही तथ्य लेकर, किस नहर में कितना डिस्चार्ज है आज के दिन कितना गेज है, सही रिपोर्ट लेकर हाउस को या सदस्यों को सूचित करें तो सही स्थिति से हम उन किसानों को अवगत कराकर आश्वस्त करेंगे कि आपको पानी समय पर मिल जाएगा, आपकी फसलें बरबाद नहीं होंगी और आप प्यासे नहीं मरेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : मेरा भी नाम है। आप एक घण्टा और बैठायें हमको कोई एतराज नहीं है, मगर नाम कहीं भूल मत जाना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम लिख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : लिख लिया।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री पीरूराम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आप बोल चुके हैं पहले।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम भी बोलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके बोलने के बाद बोलेंगे या पहले बोलेंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केवल आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान राजस्थान कैनाल में जो पानी कम आ रहा है उसकी ओर आकर्षित करना था। एस्टीमेट कमेटी के साथ हमारी राजस्थान कैनाल जहां से निकलती है वहां पर हम गए थे। हमारी कमेटी और हम चंडीगढ़ के अन्दर भाखरा, व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अध्यक्षजी और उनके मैम्बरों से भी मिले थे। जहां भाखरा, व्यास नदी और भाखरा डैम, पोंग डैम आदि के राजस्थान कैनाल के स्रोत हैं, वहां पर हमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान को खुशहाल करने वाली एशिया की बहुत बड़ी नहर है, उसकी नहरों की आज दयनीय स्थिति है, वहां रहने वाले लोगों की दयनीय हालत है, उसके पीछे एक ही कारण है कि जब तक हमारी सरकार और भारत सरकार के प्रयत्नों से हैड वर्क्स पर भाखरा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का कण्ट्रोल नहीं होगा तब तक कोई उसका समाधान नहीं हो सकता, चाहे लाख प्रयत्न हमारे माननीय साथी करें। राजस्थान कैनाल में पानी नहीं है हमारे किसान मरते हैं, हमारी क्षमता नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है, यह सारी बातें इसीलिए हैं कि जब पंजाब को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, बरसात नहीं होती है या बरसात कम होती है तो उस समय जितना पानी छोड़ना चाहिए

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

उतना छोड़ते नहीं हैं। इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि हैड वर्क्स उनके कण्ट्रोल में है। अपने हिस्से का पानी जितना प्रतिदिन छोड़ना चाहिए यह जब तक भाखरा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के हाथ में नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ा जायेगा। राजस्थान को, पंजाब को, हरियाणा को कितना कितना पानी मिलना चाहिए यह और किसी के हाथ में है ही नहीं, यह सिर्फ पंजाब के हाथ में है। पंजाब से ही ये सारी नहरें निकलती हैं। पंजाब पर निर्भर रहना पड़ता है हमको। इसका केवल एक ही तरीका है कि हमारी राजस्थान की सरकार, हमारे मंत्री महोदय, यह प्रयत्न करें कि प्रधान मंत्री इसमें हस्तक्षेप करें। आज हिन्दुस्तान की या राजस्थान की सरकार की कोई शक्ति नहीं है, भाखरा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की कोई क्षमता नहीं है, भारत सरकार की कोई क्षमता नहीं है कि इसमें डिस्टर्ब कर सके। इसलिए मेरा निवेदन है, अगर आप किसान, बेचारे गरीब किसान, जिनको जमीन अलाट हुई है, को भुखमरी से बचाना चाहते हैं, उनको कुछ खुशहाल करना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ ढंग का जुगाड़ करना चाहते हैं तो उसके मैनेजमेंट को, व्यवस्था को भाखरा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को सक्षम बनाइये और उसको आप सर्व शक्तिमान बनाइये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुलाराम।

श्री दुलाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इतना रिकार्ड पेश कर दिया. मेरी समझ में बगैर कापी को देखे तो वे खुद इतना रिकार्ड पेश नहीं कर सकते। इस डिपार्टमेंट के चीफ इन्जीनियर्स इतने होशियार हैं, साहब, कि इतना लम्बा पुलिन्दा दे दिया। मैंने लिखने की कोशिश का लेकिन मैं खुद ही भूल गया कि मैंने लिखा क्या है और न ही उनके ध्यान में होगा कि वे क्या क्या हमें बता गए।

श्री उपाध्यक्ष : समय का ध्यान रखें।

श्री दुलाराम : मैं समय का बहुत ध्यान रखूंगा और इसलिए रखूंगा कि इस नहर से और गंग कैनाल, भाखरा कैनाल, राजस्थान कैनाल की नहरों से हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है। अगर आप समय थोड़ा भी देंगे तो हम छोटे हैं और सदन के सदस्य हैं, जिद करके भी दो मिनट ज्यादा लेकर भी बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बात शुरू कीजिए।

श्री दुलाराम : तो मेरा निवेदन है कि लगातार तीन साल हो गये, राजस्थान कैनाल में माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर में पानी बहुत कम मिलता है। हैड वर्क्स से कितना पानी आप लेते हैं; कितना पानी आपको पंजाब सरकार देती है, कितना पानी आपको भाखरा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड अलाट करता है इस बात को काश्तकार लोग जानते नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा आप सदन को अवगत करा सकते हैं।

(श्री दुलाराम)

सदन में आप जो जानकारी देंगे उससे हम आश्वस्त हो सकते हैं। अगर गंगानगर में बैठा हुआ, बीकानेर में बैठा हुआ, जैसलमेर में बैठा हुआ काश्तकार आश्वस्त नहीं हो सकता जब तक कि खाले में, उसको नहर में, उसकी मैन कैनाल में पानी नहीं जायेगा। लगातार चार साल हो गये, यह परम्परा चल रही है, विशेष करके गत वर्ष इसी सदन में, पानी को लेकर हल्ला हुआ था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आप चिन्ता मत कीजिए, मैं आपको पूरा पानी दिला करके आपकी फसलें बचा दूंगा, उसके बाद में भी वह पूरा पानी दिला नहीं सके। इसी सदन में आपके वही माननीय मंत्री जी हैं और वही चीफ इंजीनियर्स हैं जो गलत रिपोर्ट दे रहे हैं और काश्तकार हमारी इतनी बुरी हालत कर रहा है कि न तो हमारी चलने दे रहा है, न हमारी बात सुन रहा है। दो सौ आदमी गंगानगर से आए हुए हैं। दो सौ आदमियों के पीछे तीन सौ रुपया फी आदमी का खर्चा है। आप ही अन्दाजा लगा लीजिए कि कितना पैसा खर्च करके इतने आदमी यहां आये हैं। आखिर उनको दिक्कत नहीं होती तो किस बात के लिए आते। आपने दो हजार क्यूसेक बड़ी मेहनत करके, बड़ी मेहरबानी करके, बड़ी कृपा करके राजस्थान कैनाल में और छुड़वा दिया था। क्या आप यह मानते हैं कि दस हजार क्यूसेक से आप पूरी राजस्थान कैनाल को चला लेंगे? क्या आप यह महसूस करते हैं कि आगे भी आप मैन केनाल को दो हजार क्यूसेक पानी देकर के, पांच हजार क्यूसेक में सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज, जितनी आपने बताई हैं, सूरतगढ़ ब्रांच है, नोरंगदेसर है, रावलदेसर है, अनूपगढ़ है, लो लेवल ब्रांच है, ये सब नहरें आप चला लेंगे? मेरा आपसे निवेदन है कि जब समझौता आपने गत वर्ष किया था आपने बड़े स्टेटमेंट दिए थे कि राजस्थान कैनाल को, भाखरा कैनाल को, गंग कैनाल को एक्स्ट्रा पानी हमारे समझौते के अनुसार मिलेगा। उसी समझौते के अनुसार आपने अपने स्टेटमेंट में भी यह बताया है कि पिछले साल एक लाख पिचहत्तर हजार हैक्टेयर भूमि में काश्त हुई थी और अब की हुई है 1 लाख 90 हजार हैक्टेयर में। आप यह मान कर चलिए कि बीस हजार हैक्टेयर ज्यादा भूमि में काश्त हुई है। तो जो बीस हजार हैक्टेयर भूमि में अलग से काश्त हुई है उसके लिए पानी की कौन सी व्यवस्था कर दी, कौन सा आपने इतना क्यूसेक पानी ज्यादा ले लिया? ज्यादा क्यूसेक पानी आपने नहीं लिया तो यह पानी आप किस तरीके से पूरा कर देंगे, यह हमारी समझ में नहीं आया। आज हेड वर्क्स कितना पानी ले रहे हैं। खेत में पानी पहुंच जाए किसान उसके लिए चिंतित है। राजस्थान का सारा मंत्रिमण्डल, सारे अधिकारी पधारे, हमने सबका स्वागत किया, इस आशा से जोश खरोश के साथ

(श्री दुलाराम)

स्वागत किया था कि शायद गंग नहर का कोई तो मसला हल होगा। मगर गंगनहर का मसला हल नहीं हुआ। गंग नहर की तलवार आज भी सर पर लटक रही है। राजस्थान सरकार शायद उसमें कुछ कर सके, हमें तो पता नहीं है। गंगानगर में कोई घोषणा हुई नहीं, अभी तक मंत्रि-मण्डल में कोई घोषणा हुई नहीं, विधान सभा में कोई घोषणा अगर मन्त्री महोदय कर सकें, ऐसी तैयारी कर रखी है तो हम शुक्रगुजार होंगे। यह बता रहे हैं, 2700 क्यूसेक पानी आज गंग कैनाल लेने को तैयार नहीं है। आज गंग कैनाल लेने को तैयार नहीं है। आज गंग कैनाल ज्यादा से ज्यादा अगर पानी ले सकती है तो 2400 क्यूसेक ले सकती है। वह भी हैड पर पहुंचने के बाद इनके पास 2200 क्यूसेक पानी रहता है, 2200 क्यूसेक पानी भी आज पूरा नहीं चल रहा है। आज कम से कम 17–18 सौ क्यूसेक पानी चल रहा होगा। जो मुझे इनफार्मेशन है, गवर्नमेंट की इनफार्मेशन क्या है मुझे पता नहीं है, हैड पर 17–18 सौ क्यूसेक पानी चल रहा है। माह सितम्बर में आपकी यह हालत है तो माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी जब आयगा तो क्या हालत होगी और किस तरह से फसल पकेगी। यह तो गंगनहर की हालत है। भाखरा कैनाल को ले लीजिए। भाखड़ा कैनाल की रिपोर्ट में कल यह बताया गया था कि भाखरा कैनाल में बिल्कुल थोड़ा पानी आ रहा है। 800–700 क्यूसेक पानी चल रहा है। आप फर्मा रहे हैं, 600 क्यूसेक, पता नहीं कितना क्यूसेक चल रहा है। आपने स्टेटमेंट में बताया है। मेरा निवेदन है कि स्टेटमेंट चाहे कोई दे, चाहे आपके अधिकारी स्टेटमेंट बनाकर दे दें, मगर प्रेक्टिकली परिस्थिति को देखिए। क्या वहां पानी था, आपने खुद देखा है। चीफ इंजीनियर आपको धोखा दे रहे थे हमारी बात का मानने नहीं दे रहे थे। यह कह रहे थे, सब एम. एल. ए., काश्तकार गलत कह रहे हैं। आपने स्वयं मौके पर जाकर एक एस. ई. दो एक्स. ई एन. को सस्पेण्ड किया है। उसी प्रकार आप पहले इनक्वायरी कीजिए। यह आपको गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। आज नहर में पानी है नहीं। काश्तकार त्राहि त्राहि करते हुए फिर रहे हैं। अनूपगढ़, सूरतगढ़ और घडसाना की यह हालत है, मेरे क्षेत्र की तो मैं नहीं कह कहता हालत, मगर अनूपगढ़, घडसाना की हालत तो यह है कि फसल उनकी जल गई, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। काश्तकार भागे हुए फिर रहे हैं, एजिटेटेड हो रहे हैं। आप स्वयं जिम्मेदारी लें, अधिकारी पर जिम्मेदारी मत डालिए, वह कभी पूरी करने वाले नहीं हैं। आपके एस. ई. एक्स. ई एन. ऐसे बैठे हुए हैं, एक भी काश्तकार की बात मानते नहीं हैं, एक भी जिम्मेदार आदमी की यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरा आपसे निवेदन

(श्री दुलाराम)

है कि आप अनूपगढ़, घड़साना डिस्ट्रीब्यूट्री को पानी जल्दी दिलवायें क्योंकि अनूपगढ़ की जमीन नाली हैड की जमीन है। अगर दस दिन के बाद पानी नहीं पहुंचा तो फसल नष्ट हो जायगी, आपकी सब की सब कोशिश बेकार हो जायेंगी और हजारों आदमी बेचारे बगैर फसल के रह जायेंगे। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस बारे में आप स्वयं विचार करें। उसके अलावा सूरतगढ़ ब्रांच के बारे में कहा, मैंने 119 दिन उसे पानी दिला दिया है। माफ करना मैं उस शहर का काश्तकार हूं। उस शहर में मेरी जमीन है। आपको रेकार्ड गलत दिया गया है। खरीफ की फसल मई से काउन्ट होती है मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर, सितम्बर अभी आपका पूरा हुआ नहीं। 120 दिन टोटल हुए हैं। कितनी उसमें बंदी आई है, कितने दिन नहर बन्द रही? सूरतगढ़ ब्रांच की कौन-कौन सी ब्रांच को आपने पिलाया है।

श्री उपाध्यक्ष समय का ध्यान रखिये।

श्री दुलाराम : मेरा यह निवेदन है, आपने 122 दिन पूरे कर दिये। मैं यह चैलेंज कर रहा हूं, 122 दिन पूरे नहीं हुए। 119 दिन आपने बताये हैं। मेरा मानना ऐसा है, 80 दिन से ज्यादा चली नहीं कोई सी ब्रांच मेन कैनाल चलाने के बाद। समझ लें, आज भी सूरतगढ़ ब्रांच में जो 1600 क्यूसेक्स पानी चलता है, और एण्ड पर जाकर 2200 क्यूसेक्स पानी उसको चाहिये। आप किस तरह से इसको पूरा कर देंगे। आपको यह रेकार्ड गलत दिया गया है। मेरा आपसे निवेदन है आप 122 दिन पूना चलाने की कोशिश करें। आप पूरे फिगर्स लेकर के बी. के. डी. नहर, ए. पी. डी. नहर, बी. एल. डी. नहर एस. पी. पी. नहर, जितनी भी नहरें हैं उसकी शाखाएं हैं, उनको पूरा पानी देने की कोशिश करें। आप सिखाए पर बोलें, वह बात अखबारों में छप कर आ जायगी। लोग हमारा भी मजाक उड़ायेंगे। आपने स्वयं यह देखा है। एक मेन कैनाल चल जाने के बाद, एक डिस्ट्रीब्यूट्री टेल एण्ड पर बन्द रहती है और एक एक नम्बर पर चलती है। आप यह रेकार्ड के आधार पर बोल रहे हैं कि मैंने 119 दिन पूरी सूरतगढ़ ब्रांच को चला दिया। यह असत्य है, इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूं। यही हालत अनूपगढ़ ब्रांच की है। ब्रांच की है। माननीय मन्त्रीजी, आप भाखरा के पानी को देखिये। भाखरा का काश्तकार भागा भागा फिर रहा है। मेन कैनाल की हालत काफी खस्ता है। बरसात हुई नहीं। आप स्वयं भी स्टेटमेंट दे रहे हो, अखबार में भी आया है, आपके भाखरा डैम, पौंग डैम में पानी बहुत है। कृपा करके आप हमारे लिये पानी लाइये, हमारे लिये आप भागीरथ बनिये। हम आपको भागीरथ मान कर पूजेंगे। हम तो यह कहेंगे आप गंगा ले आये, इस गंगा को हम तक पहुंचाइये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगतारसिंह।

श्री जगतार सिंह (करणपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह 1982 से ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है, पिछले 1976-77, 1977-78 से यह प्रैक्टिस

(श्री जगतार सिंह)

चल रही है कि हमें मई, जून, जुलाई में पानी ठीक मिलता है। अगस्त के लास्ट में या सितम्बर के फर्स्ट वीक में इस तरह पानी कम देते हैं। हमारी फसल शुरू की स्टेज में बहुत अच्छी होती है लेकिन ज्यों ही फ़सल राइप होने के महीने में आती है तो वह फसल खराब हो जाती है। पिछले साल भी यही हुआ, इसके पिछले साल भी यही हुआ। हम यह चाहते हैं, जैसी माननीय सदस्यों की भावना है, हमारी पकी पकाई फसल खराब हो जाती है, वह किसी तरह कम्पेनसेट होती नहीं। माननीय मंत्रीजी ने भी कहा कि हमें हमारे शेयर के मुताबिक पानी मिलता है। हम यह चाहते हैं जो हमें पानी अक्टूबर महीने में मिले, लास्ट में जाकर जब हमारी फसल पक कर तैयार हो जाय और दूसरी फसल हम लेट बो सकें, उन दिनों का पानी हमें अभी दे दिया जावे ताकि यह जो फसल हमारे पास है यह पक कर पूरी तैयार हो जावे और जिस तरह से पिछले सालों से किसान की मौके पर आकर फसल मारी जाती है, वह न होकर फसल की जा सके और अगली फसल लेट बोयी जा सके। मेरा यह निवेदन है कि जो हमें अगले महीने पानी मिलेगा वह हमें इस फसल को बचाने के लिये इस महीने पंजाब से लेकर दिया जावे। पंजाब हर बार हमारे साथ ऐसा करता है, इस कारण परेशानी होती है, उससे बचने के लिए हमारी सरकार भाखरा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में अपने शेयर के लिये हरियाणा के साथ मिल कर कोशिश करें ताकि हमारे पानी पर हमारा कन्ट्रोल हो और हमारी आने वाली फसल जो खराब हो जाती है वह बचाई जा सके। माननीय मंत्रीजी गंगानगर में देखकर आये हैं और हमको जो जबानी आश्वासन दिया था, हम गंग कैनाल के प्रति जागरूक हैं, और हमें बड़ी इसकी फिक्र है। मैं चाहूंगा, मन्त्रीजी गंग कैनाल को पूरा करने के लिये कितना पैसा देंगे इसके बारे में घोषणा करें और गंग कैनाल को पूरा करने के लिये गंगानगर पर मेहरबानी करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अपोजिशन लीडर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया उस वक्तव्य में उन्होंने यह बात बताने की तो चेष्टा की कि गंगानगर को किस किस नहर में कितना कितना पानी रिलीज किया है लेकिन यह बात नहीं बताई कि हमने इण्डेंट किया था वह कितने पानी का किया था, और इण्डेंट के मुताबिक कितना पानी मिला। हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी, रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट इण्डेंट कितने पानी का किया, इण्डेंट के अगेंस्ट हमें पानी कितना मिला। इस बात को उन्होंने बड़ी तरकीब से छिपाने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, यह क्यों छिपा रहे हैं? यह छिपा इसलिये रहे हैं कि बी. बी. एम. बी. की जिस टैक्निकल कमेटी का इन्होंने उल्लेख किया है, उस टैक्निकल कमेटी के मिनट्स के आधार पर हरिके पर 18,000 क्यूसेक्स पानी की आवक होनी चाहिये थी। 18 हजार क्यूसेक्स पानी तो हरिके पर पहुंच गया लेकिन पहुंचने के बाद राजस्थान और पंजाब को कितना कितना पानी मिलना चाहिये था,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस बात को श्रीमान् जी ने बड़ी तरकीब से अंधेरे में रखने की कोशिश की। अंधेरे में रखने की कोशिश इसलिये की है, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिसम्बर के महीने में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय रावी-व्यास का जो समझौता करके आये थे उसके सम्बन्ध में एक अहम् प्रश्न मैंने उस समय उठाया था, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को पत्र लिखा था, जब तक हैड वर्क्स पर राजस्थान का कन्ट्रोल नहीं होता उस समय तक राजस्थान को अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उस एग्रीमेंट का वह एक छोटा सा पोर्शन सदन में पढ़ कर सुनाना चाहूंगा, और उसका जवाब जो माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने दिया था वह भी मैं सदन में रखना चाहूंगा ताकि पता लग जाय कि वास्तव में हम कितने पानी के हकदार थे और इन हैड वर्क्स पर हमारा फिजीकल कन्ट्रोल नहीं होने के कारण हमें कितना पानी कम मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, उस एग्रीमेंट के पार्ट थ्री में लिखा है :

"The Bhakhra & Beas Management Board shall be permitted to take all necessary measures for carrying out measurements and for ensuring delivery of supplies to all the concerned States in accordance with their entitlements such as rating the guage discharge, curves, installation of self-recording gauges, taking observations without any hindrance of the discharge measurements. The selection of the discharge measurements, the selection of the control points at which the Bhakhra and Beas Management Board would take appropriate measures as mentioned above shall include, but be not limited to all points at which Bhakhra and or Ravi Beas discharges are being shared by more than one State and all regulation points on the concerned rigers amd canals for determining the sharable supplies. The decision of the Bhakhra & Beas Management Board would be binding in so far as the selection of the control points is concerned for the purpose of taking discharge measurements to facilitate equitable distribution of the waters But if the State Government contests the decision, the Central Government shall decide the matter within three months and this decision shall be final and binding.

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मुख्य मन्त्रीजी और सिंचाई मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा कि जो कंट्रोल पाइन्ट्स का नियंत्रण करना था, 31-12-81 के एग्रीमेंट के अनुसार वे कंट्रोल पाइन्ट्स क्या हो सकते थे क्या भाखरा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने उनका निर्धारण कर लिया ? क्या उन्होंने इस तरह के मैजरमेंट करने की व्यवस्था

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पूरी कर ली है ? क्या यह बात सही नहीं है कि आज तक बी. बी. एम. बी ने कोशिश की लेकिन पंजाब स्टेट का फिजीकल कंट्रोल है इन हैड वर्क्स पर, उन्होंने पानी को नापने का किसी तरह का अधिकार बी. बी. एम. बी को नहीं दिया, इस कारण हम को जो पानी मिलना चाहिये था वह पानी कितना मिला, कितना मिलेगा इसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मुख्य मन्त्री महोदय, आपको ध्यान होगा, मैं दुबारा इस चीज को आपके सामने रखना चाहूंगा, आपने स्वयं ने पी. यू. सी. में पानी के संबंध में बहुत कुछ कहा, मैं आपके कहे हुए को नहीं आपके द्वारा इस सदन में प्रस्तुत रिपोर्ट के एक पैराग्राफ को प्रस्तुत करना चाहूंगा जिससे इन कंट्रोल पाइन्ट्स को अधिकार में लेने की हिमायत का नाम आप ले सकते है। आपने कहा है, "अब 66 के एक्ट से ये परियोजनायें नियंत्रित हो रही है। इस अधिनियम के आधार पर भाखरा व्यास प्रबन्ध मण्डल बना है। अधिनियम में पानी छोड़ने के निदेश प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के उपरान्त भी हमें पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि हैड वर्क्स पंजाब के नियंत्रण में है। "यह मुख्य मन्त्रीजी कह रहे हैं," इस पर जितना पानी मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा। इसलिये अनुबंधों की विशेष व्यवस्था होना ही काफी नहीं है, उसकी क्रियान्विति कैसे हो रही है यह भी देखना जरूरी है।" अध्यक्ष महोदय, अब पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट, 1966 की धारा 79 को मैं सदन में पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। इसमें लिखा है :

"The Centtral Government shall constitute a Board to be called the Bhakhra Management Board for the management, for the distibution, maintenance and operation of the following works namely—

a, b, c,

और (c) में लिखा है : "The irrigation headworks at Ropar, Harika and Firozpur."

इसका मतलब यह हुआ कि कानूनी परिस्थिति यह थी कि इसमें भाखरा, रावी, व्यास इन नदियों के जितने भी कंट्रोल हैड वर्क्स थे उनके ऊपर 1966 के कानून के अनुसार, उसकी धारा 79 के अनुसार कब्जा बी. एम. बी. का होना चाहिये। हमने इस संबंध में प्रयत्न किया, जनता पार्टी की सरकार ने प्रयत्न किया इसको मुख्य मान्त्रीजी ने स्वयं स्वीकार किया है, उसके बाद 31-12-81 को मुख्य मन्त्रीजी ने एग्रीमेंट किया उस एग्रीमेंट में इस धारा के तहत हमारा जो अधिकार था उसको छोड़ दिया और यह कह कर आ गये कि बी. एम. बी. को अब अधिकार होगा मेजरमेंट लेने का, कंट्रोल पाइन्ट्स तय करने का, अब अधिकार होगा गोज रीडिंग का। मैं पूछना चाहूंगा सिंचाई मन्त्रीजी से कि एग्रीमेंट के बाद।

(6.52 सायं)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बी. एम. बी. ने कितनी बार कंट्रोल पाइन्ट तय करने का विचार किया, कितनी बार गोज रीडिंग का प्रयत्न किया। पंजाब के चीफ-इंजीनियर ने बी. एम. बी. को वहां तक जाने ही नहीं दिया, इस बात का पता ही नहीं लगा कि कितना पानी राजस्थान को मिला है, और कितना मिलना चाहिये।

सभापति महोदय, सिंचाई मन्त्रीजी कह गये कि 18 हजार क्यूसेक्स पानी हरिके हैड वर्क्स पर पहुंच गया। मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि यदि वह 18 हजार क्यूसेक्स पानी पहुंच गया तो इसमें राजस्थान का कितना हिस्सा होना चाहिये। राजस्थान का 1.6 मिलियन एकड़ फीट, पंजाब का 4.22 मिलियन एकड़ फीट, इसका मतलब हमारा आधे से ज्यादा हिस्सा है मतलब एक हिस्सा पंजाब और दो हिस्सा हमारा। यदि पजाब को 1 मिलियन एकड़ फीट मिलता है तो राजस्थान को 2 मिलियन एकड़ फीट मिलेगा। इस आधार पर मैं पूछना चाहता हूं 18 हजार क्यूसेक्स के अगेंस्ट में क्या यह सही है कि इस महीने की 1 तारीख से लेकर आज की 10 तारीख तक जो पंजाब को मिला है वह राजस्थान को भी मिला है जब कि राजस्थान का पानी एक मिलियन एकड़ फीट के हिसाब से पंजाब से दुगुना होना चाहिये। आपने दुगुना पानी नहीं बल्कि बराबर से भी कम पानी लिया इसका रिजल्ट है कि गंग कैनाल क्षेत्र के किसान, भाखरा क्षेत्र के किसान त्राहि त्राहि कर रहे हैं, राजस्थान कैनाल के किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। यह आपकी कमजोरी है। मैं पूछना चाहूंगा, भारत सरकार ने एक बात कही थी, यदि बी. एम. बी. पंजाब के हैड वर्क्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, स्टेट्स को अपने हिस्से का पानी नहीं मिलता है तो भारत सरकार को लिखा जाय। मैं सिंचाई मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि इस संबंध में भारत सरकार को कब कब लिखा और भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की? पंजाब पानी खा रहा है। मैं इस संबंध में सदन को फिर आगाह कर देना चाहता हूं कि आपने इस बात को सीरियसली नहीं लिया कि 31-12 को मुख्य मन्त्रीजी ने रावी-व्यास का समझौता करके राजस्थान के हितों का बलिदान किया है। उस समय तो आप इस बात को समझ नहीं पा रहे थे लेकिन आज गंगानगर जिले के किसान इस बात को समझ पा रहे हैं। यह इस समझौते का परिणाम है कि उनके खेतों को पानी नहीं मिला है। यह इस बात का परिणाम है कि किसान कहते हैं, हमारा गन्ना सूख रहा है। कभी कोई कहता है हमारी वह फसल सूख रही है। अभी तो यह शुरुआत हुई है। इसका जब पूरी तरह से परिणाम आयेगा तो लोग खेतों को भूल जायेंगे और खेतों पर शिवचरण जी माथुर का चित्र लगा लेंगे, वहां गेहूं और कपास पैदा होने वाला नहीं है, यह मैं आपको कह सकता हूं। तीन बातें मैं आपसे जानना चाहूंगा, 18 हजार क्यूसेक्स पानी हरिके बैराज पर प्राप्त हुआ है, पंजाब और राजस्थान में पानी का बंटवारा कितना हुआ, उस टेबल को बताइये। उससे नतीजा मिलेगा कि हमें अपना पानी का हिस्सा मिला या नहीं। बी. एम. बी. ने कितनी बार गोज रीडिंग की कार्यवाही की? क्या यह सही है कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पंजाब के चीफ इंजीनियर ने उनको ग्रोस रीडिंग करने नहीं दी ? क्या यह बात भी सही है कि जो पानी राजस्थान के हिस्से का आता है, इसके रिलीजेज के संबंध में सब प्रकार की आपत्तियां खड़ी की जा रही हैं ? मैं इस आधार पर आपसे जानना चाहूंगा कि राजस्थान का हिस्सा किस प्रकार से सुरक्षित है, कृपया इसकी जानकारी दें।

श्री सभापति : मंत्रीजी उत्तर देंगे।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक
के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, समय नहीं बढ़ाया जाय। क्यों बढ़ाया जाय ?

अनेक माननीय सदस्य : सदन का मत लीजिये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया गया।

राजस्थान नहर व भाखरा की नहरों में पर्याप्त रूप से पानी न छोड़े जाने से फसलों को नुकसान

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : माननीय सभापतिजी, सबसे पहले तो सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जानकारी चाही है कि हमने राजस्थान नहर के लिये कितना इंडेंट प्लेस किया है। राजस्थान नहर के लिये हमने 6700 क्यूसेक्स का इंडेंट प्लेस किया था। 800 क्यूसेक्स सरहद फीडर की जो लिंक है राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर की लिंक के लिये, 2700 क्यूसेक्स गंग कैनाल के लिये, कुल 10,200 क्यूसेक्स का इन्डेन्ट दिया था। इसी के साथ पंजाब ने जो इंडेंट दिया था वह 20,000 क्यूसेक्स का रोपड़ के ऊपर दिया था और 8,000 क्यूसेक्स का उन्होंने हरिके पर दिया था। मैंने कहीं पर भी इस बात को नहीं छिपाया है, इस लिये मैं विपक्ष के नेता महोदय से यह निवेदन करूंगा कि 22 जुलाई, 1982 को जो बी. बी. एम. बी. की मीटिंग हुई उसमें यह निर्णय लिया गया कि इस भाखरा में पर्याप्त पानी है और पोंग डेम में भी है इसलिये जितनी भी स्टेट्स पार्टिसिपेंट है और जिनका हिस्सा है इस पानी में वह जितना चाहे अपना इंडेन्ट दे सकती है। राजस्थान ने 10,200 क्यूसेक्स का दिया, इन्होंने 8000 हरिके पर दिया और 22 हजार हरियाणा-पंजाब ने रोपड़ से प्रत्येक ने दिया। यह बात सही है, रोपड़ से डाउन स्ट्रीम में 6 हजार क्यूसेक्स पानी छोड़ने की बात टैक्निकल कमेटी ने 2 सितंबर को कही थी, बार बार कहता रहा हूं, उसमें पानी पंजाब ने नहीं छोड़ा।

(श्री परसराम मदेरणा)

(व्यवधान)

सुनिये, 6 हजार क्यूसेक्स नहीं था 4500 क्यूसेक्स छोड़ रहे थे। इसका मतलब करीब करीब 10 हजार क्यूसेक्स पंजाब, रोपड़ से यूटिलाइज कर रहा है। रोपड़ के ऊपर एक कैनाल है, भाखरा मेन कैनाल। उन्होंने जो ब्रेक अप दिया था उसमें है बीस हजार क्यूसेक लम सम हरियाणा पंजाब को जरूरत पड़ेगी। उन्होंने यूटिलाइज किया 23800 क्यूसेक। परिणाम यह हुआ कि 1800 से 2000 क्यूसेक के बीच में पानी कम मिला राजस्थान को। बी. बी. एम. बी. ने निर्णय लिया था कि इस साल सभी राज्यों को जितना पानी चाहिये उतना पानी सप्लाई किया जायेगा क्योंकि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। पंजाब ने उस पानी को यह कह कर यूटिलाइज कर लिया कि हमारी फसलें ज्यादा गर्मी से सूख रही हैं। चेयरमेन जब वापस पंजाब से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने इन्डीकेट किया, दो हजार क्यूसेक पानी रिलीज करने की बात की और इसका परिणाम यह हुआ कि ढाई बजे के आस पास पानी 7200 क्यूसेक राजस्थान कैनाल के अन्दर आ जायेगा। एकदम रिलीज नहीं किया गया, जैसी कि हम को जानकारी दी गयी है, हमारे अधिकारियों ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार आज रात 2 बज कर 25 मिनट पर, यह कहने की स्थिति में हैं, राजस्थान कैनाल को 7200 क्यूसेक पानी मिल जायेगा। मैं यह निवेदन इसलिये कर रहा था कि शेयर के हिसाब से पानी का बंटवारा नहीं हुआ है, न टैनिकल कमेटी ने किया है। मैंने कोई बात नहीं छिपायी है। स्पष्ट बात यहां पर निवेदन की है। यह बात सही है कि अनूपगढ़ शाखा और दूसरी ब्रान्च के अन्दर, जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, अनूपगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं, लाइनिंग पूरी नहीं होने की वजह से, वहां के काश्तकार आये थे, उसमें अनूपगढ़ के काश्तकार ज्यादा थे, इसलिये दो ग्रुप के अन्दर 1720 और 800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जब तक कि अनूपगढ़ शाखा की लाइनिंग पूरी नहीं हो जायेगी तब तक दो ग्रुप में पानी छोड़ने की बात है। मौजूदा स्थिति में जब तक लाइनिंग पूरी नहीं हो जाती है हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है।

गंग कैनाल के सम्बन्ध में पूछा कि कितना पानी चल रहा है। जैसा कि सदन के माननीय सदस्य जानते हैं गंग कैनाल टूट फूट की कन्डीशन में है। आज सूचना मिली है, उसमें 2520 क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा गया है। यह सूचना मेरे पास है। यह बात सही है।

(7.05 सायं)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सितम्बर के महीने में पिछले साल भी किल्लत रही थी और इस साल भी किल्लत रही है। टीबी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 21 तारीख को पानी चल रहा था और अब सभी नहरों में पानी ठीक तरह से मिल जायेगा। फसलों को कितना नुकसान होगा, मैं समझता हूं कोई नुकसान नहीं होगा।

(श्री परसराम मदेरणा)

मैं सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो ग्रुपिंग बने हुए हैं, इन ग्रुपिंग में पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। लोगों की फसलें खराब न हों, इसके लिये माननीय सदस्य भी मुझे सूचित करें। मैंने चीफ इन्जीनियर को बुलाया है और यह हिदायत दी है कि पर्टीकुलर ब्रान्च के अन्दर कितना क्यूसेक पानी चलता है, इसकी इन्फार्मेशन प्रति दिन राज्य सरकार को देनी चाहिये ताकि हम यह एन्स्योर कर सकें कि पानी बराबर फसलों को बचाने के लिये डिस्ट्रि-ब्यूटरीज को मिल रहा है।

यहां पर एक बात निवेदन मैं कर दूं, लम्बा स्टेटमेन्ट नहीं देता तो यह मालूम नहीं होता कि अलग अलग हैड पर कितना पानी मिलना चाहिये। मैंने यहां पर कोई बात नहीं छिपायी है। दस हजार क्यूसेक पानी राजस्थान को मिलना चाहिये और 8 हजार क्यूसेक पंजाब को मिलना चाहिये। कितना पानी मिला इसके बारे में जिक्र करूंगा....

(व्यवधान)

अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो बाद में पूछ लेना।

यह जो 18000 क्यूसेक पानी होता है उसमें से दो, तीन हजार क्यूसेक पानी हमें कम मिला है। राजस्थान को 7200 क्यूसेक पानी की जगह 5 हजार, साढ़े पांच हजार के आसपास पानी मिला है और अब 7 हजार क्यूसेक पानी मिलना शुरू हो जायेगा। पंजाब ने जो इन्डेन्ट दिया वह 8000 क्यूसेक का दिया। गंग कैनाल के ऊपर पंजाब का इन्डेन्ट 3300 क्यूसेक, सरहिन्द फीडर पर 4200 क्यूसेक का था। इसके अन्दर हमारा जो शेयर है, वह 1100 क्यूसेक के आसपास है, दूसरा 1610 क्यूसेक। 4000 क्यूसेक हरियाणा के अन्दर है। इस तरह कुल 7500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पंजाब के 7500 में से हमारा जो शेयर है वह 1610 क्यूसेक है, व 1091 तक शेयर बनता है, वह भी सम्मि-लित है, 7500 में i सारा जो शेयर बनता है राजस्थान कैनाल, गंग कैनाल, सरहिन्द फीडर, इन सबको मिला कर हमारा शेयर बनता है वह करीबन 11000 क्यूसेक है। पंजाब राजस्थान से ज्यादा पानी ले रहा है, यह सही नहीं है।

जहां बी. बी. एम. बी. को दुबारा हैड वर्क्स का कंट्रोल देने की बात कही है एग्रीमेंट में हमने इसका उल्लेख किया है। बी. बी. एम. बी. को मेजरमेंट तथा डिस्ट्री-ब्यूटरी के मेजरमेंट का अधिकार दिया है। समझौते के अनुसार हैड वर्क्स का कंट्रोल बी. बी. एम. बी. के पास रहना चाहिए। हमने इस बात का प्रोटेस्ट किया है और टेलीग्राम दिये है, भारत सरकार को भी कहा है कि यदि इनका कंट्रोल बी. बी. एम. बी. के पास नहीं आया तो हमको पूरा शेयर पानी का नहीं मिलेगा, मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी यह नहीं हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : अभी तक यह नहीं हुआ है। इसलिये हमने कुछ रिजर्वेशन

(श्री परसराम मदेरणा)

के साथ प्रोटेस्ट किया है गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया को कि हम इस समझौते का रेटिकेशन तभी करेंगे, दोनों स्टेट्स ने रेटिफिकेशन कर दिया है, लेकिन हम ने प्रोटेस्ट किया है, हम तभी इसको करेंगे जब कि हैड वर्क्स के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ है, हैड वर्क्स को ट्रान्सफर कर देंगे बी. बी. एम. बी. को । जहां तक बी.बी.एम.बी. का सवाल है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बी.बी.एम.बी. का प्रयास बराबर है कि जो पानी जिस केनाल के लिये, जिस ब्रांच के लिये और डाउन स्ट्रीम रिवर में डालने के लिये है या हैड वर्क्स के ऊपर है, वह पानी बराबर पहुंचे । इस सम्बन्ध में प्रयास कर रहे हैं । परसों ही मैंने स्वयं मूर्ती साहब मेजर जनलर, जो कि बी. बी. एम. बी. चेयरमेन है, से बात की है । उन्होंने कहा कि मैं स्वयं देखूंगा कि 6000 क्यूसेक पानी रोपड़ से ग्रापको इमीजियेटली मिलना शुरू हो जाय । मैंने पंजाब के चीफ इंजीनियर से भी बात की थी तो उन्होंने कहा कि हमारी फसलें सूख रही थीं इसलिये हमने ज्यादा पानी ले लिया है । लेकिन ग्रभी हमारे पास काफी पानी है हम 2000 क्यूसेक पानी ग्राज ही रिलीज कर देते हैं । उन्होंने 9 तारीख को रिलीज कर दिया । उसके बाद में हमने फिर उनसे कॉन्टेक्ट किया 10 तारीख को, वह पानी बढ़ते बढ़ते, हरिके, में पहुंचने में समय लगता है । ग्रब जो पौंग लेवल बना है वह पानी उतना है, जितने का हमने इन्डेंट दिया था । ग्रब हम इस प्रयास में है कि हैड वर्क्स जो हैं वह समझौते के ग्रनुसार बी.बी.एम.बी. के पास रहने चाहिए । जहां तक हैड वर्क्स की बात है, स्टेट एण्टरप्राइजिंग कमेटी के चेयरमेन की रिपोर्ट ग्रौर समझौते की जो बात पढ़ी ग्रापने, यह तो ग्राप स्वयं जानते हैं कि पंजाब री-ग्रार्गेनाइजेशन एक्ट के ग्रन्तर्गत यह हैड वर्क्स ट्रान्सफर होने चाहिए थे बी.बी एम.बी. को । यह 1966 से लेकर ग्राज 1981 तक, 14 सालों तक हैड वर्क्स ट्रान्सफर नहीं हुए है । प्रतिपक्ष के नेता महोदय स्वयं जानते हैं कि उन्होंने भी इस बात की कोशिश की थी ग्रौर 1977 में उस वक्त के प्रधान मन्त्री ने एक सप्ताह में इनको ट्रान्सफर कर देने की बात कह दी थी किन्तु एक सप्ताह तो क्या सप्ताह पर सप्ताह गुजर गये हैड वर्क्स ट्रान्सफर नहीं हुए इसलिये हमने दुबारा उल्लेख किया है । समझौते की जो बात कह रहे हैं सदन के ग्रन्दर उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ग्राज जो कुछ भी पानी का वितरण हो रहा है, जो बी.बी.एम.बी. का निर्णय लिया है 22 जुलाई को ग्रौर टैक्निकल कमेटी ने जो 2 सितम्बर को पानी का फार्मूलेशन किया है, उसमें शेयर के ग्राधार पर पानी नहीं दिया है, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है इसलिये समझौते के ग्रनुसार पानी नहीं मिल रहा है बल्कि जो स्टेट ने इन्डेंट दिया है इन्डेंट प्लेस किया है उसके हिसाब से पानी मिल रहा है । इन्डेंट को प्लेस करने के ग्रन्दर पंजाब ने पानी ज्यादा ले लिया उतना ही पानी 2000 क्यूसेक रोपड़ के नीचे छोड़ कर ग्राज जो रोपड़ से नीचे पानी चल रहा है, उसके हिसाब से 5900 क्यूसेक के ग्रासपास चल रहा था, मेजरमेंट लिया गया है ग्राज सुबह । पानी पूरा है ।

Page No 203

(श्री परसराम मदेरणा)

जहां तक हरिके का प्रश्न है, आज जो दो बजे की सूचना थी उसके अनुसार हरिके के अन्दर करीबन 17 हजार 900 क्यूसेक के आसपास अभी पानी आ गया है। इस सूचना के साथ मैं समझता हूं कि राजस्थान को इन्डेंट के अनुसार जो पानी पिछले दस दिन में नहीं मिल सका था अब पानी इन ब्रान्चेज और डिस्ट्रीब्यूटरी में जायगा।

मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि जहां जहां पर रोटेशनल सिस्टम है उसमें कहीं भी अवरोध आता है या समय पर पानी नहीं मिलता है तो उसका मोनिटरिंग यहां से भी किया जायेगा। मैंने यह पाबंदी भी इंजीनियर्स पर लगा दी है कि वे हर शाम को जिस ब्रांच में, जिस डिस्ट्रीब्यूटरी में जितना पानी चलना चाहिये उसकी टेलीग्राम से रिपोर्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट को दें ताकि यह देख सकें कि पानी की एडिक्वेट सप्लाई फसलों को बचाने के लिये हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुयी।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : एक प्रश्न उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री उपाध्यक्ष : सरदार महेन्द्रसिंह।

श्री महेन्द्र सिंह : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि भाखड़ा और पौंग-डेम से कितना पार्टी रिलीज हुआ है, एक्स्ट्रा पानी कितना रिलीज हुआ और इसमें से गंग और राजस्थान कैनाल को कितना कितना पानी मिलेगा? एक बात। दूसरे राजस्थान कैनाल की जो लिंक है, सरहिंद फीडर को कितना पानी दिया जायगा।

श्री परसराम मदेरणा : सरहिंद फीडर को कितना दिया जायेगा, लिंक के सम्बन्ध में स्टेटमेंट में कह चुका हूं। एवरेज जो आया है वह 400 क्यूसेक का आया है। भाखरा के सम्बन्ध में निवेदन कर दिया था। जो प्रश्न पूछा था वह मुख्यतः राजस्थान कैनाल के पानी के सम्बन्ध में था इसलिये ज्यादा उल्लेख आर. सी. पी. के बारे में किया है। एक यह बता दूं कि भाखरा का जो पानी मिल रहा है, एक सरहिंद फीडर से जो मिल रहा है, उसको लिंक से कम्पेन्सेट करने के लिये जैसे पिछले साल पानी छोड़ा गया था उसी प्रकार छोड़ कर कम्पेन्सेट करते है। आप स्वयं इस को जानते हैं जो ब्रांचेज के अन्दर इन्टेन्सिटी कम है, वह इन्टेन्सिटी किस तरह ठीक की जा सकती है लाइनिंग करा करके, वह भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संसदीय कार्य मन्त्री।

(व्यवधान)

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि....

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार तो अन्त ही नहीं होगा।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान)

आप जरा अदब से बात करें। यह कोई तरीका नहीं है। आप सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि कोई बाइंडिंग्स नहीं थी। शेअर के हिसाब से पानी नहीं दिया जा रहा था, इन्डेंट के हिसाब से दिया जा रहा था तो हमारे चीफ इंजीनियर ने कैसा इंडेंट दिया वह नहीं कह रहा हूं यह कह रहा हूं, कि यह बात थी तो इसमें देरी क्यों की गयी ? एक बात....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न करें।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : प्रश्न कर रहा हूं। हमारे यहां पर 30 दिन से नहर बंद है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहा हूं कि जब हमारी मर्जी के मुताबिक पानी मिल रहा था तो इन्डेंट के बाद भी पानी क्यों नहीं आया। पानी शेअर के हिसाब से नहीं मिल रहा है तो बी. बी. एम. बी. से मांग क्यों नहीं की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम।

श्री राधेश्याम : मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा, आज कैनाल के लिये आपने कहा कि गंग कैनाल में 2500 क्यूसेक पानी मिल रहा है, आज 2 बज कर कुछ मिनट पर यह चल रहा है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कैनाल में 2500 क्यूसेक पानी न तो कभी चला है और न ही अभी चल रहा है। अगर इसमें 1700 से ज्यादा पानी है तो यह हाउस मुझे जो सेवा दे वह मैं भुगतने को तैयार हूं। इसके साथ साथ एक....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न करें, माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम : इसके साथ साथ एक प्रश्न और किया था हमारे रायसिंह नगर से आने वाले माननीय सदस्य और करणपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कि गंग कैनाल की कैपेसिटी नहीं है ? गंग कैनाल में राजस्थान सरकार को लोस क्यों हो रहा है ? जब पूरा मन्त्रिमण्डल गंगानगर पधारा था तो गंगानगर की लाखों जनता ने इकट्ठे होकर किस तरह का स्वागत किया था, इसका जवाब मन्त्री महोदय ने नहीं दिया है। उस समय कहा गया था कि उसके बारे में मन्त्रिमण्डल में विचार किया गया है। जयपुर में जाते ही इस बात की घोषणा की जायेगी। मैं इस बात को आपको दो बार निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से। हमारे गंगानगर के 22 लाख किसान इस तरह की आशा लगाये बैठे हैं कि मन्त्रिमण्डल यहां आया था मीटिंग हुई थी, घोषणा होने वाली थी। पिछले बजट में 5 लाख रुपया एक बार रखा गया था, जब हमने यह बात की तो।

(श्री राधेश्याम)

करोड़ रुपया कर दिया गया लेकिन ग्राज तक कोई घोषणा नहीं हुई। मैं माननीय मन्त्री महोदय से ग्रापके माध्यम से जवाब चाहूंगा कि क्या गंग कैनाल के लिए इस वर्ष पैसा दे रहे हैं, ग्रथवा नहीं दे रहे हैं। मन्त्रिमण्डल की मीटिंग गंगानगर में हुई थी, क्या निर्णय हुए। लोगों ने इतना तक कह दिया कि भागीरथ गंगा लाये थे, महाराजा गंगा सिंह....

श्री उपाध्यक्ष : No bashan please.'

श्री राधेश्यान : मन्त्री महोदय, ग्राज दुबारा 2 करोड़ रुपये की घोषणा करके जायेंगे।

श्री देवी सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूं कि जितना सिंचाई विभाग का इन्डेंट ग्राया था कि हमें इतना पानी मिलना चाहिए, जैसा मन्त्री महोदय ने फर्माया, इतना पानी हमें मिलने लग गया था तो मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की ब्रान्चेज हैं, उनको टेल एण्ड पर कब तक पानी पहुंच जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय, जवाब दें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, 13·9 82 की सूचना है, हरिके के ऊपर पानी रिलीज हुग्रा। सीधे मेरे ग्राफिस से मालूम किया गया वाटर कन्ट्रोलर से, तो यह पता चला कि डेढ़ बजे के ग्रासपास 2520 क्यूसेक्स पानी हरिके से रिलीज किया गया है। मेरे को किसी ने गलत इन्फार्मेशन दी है, गवर्नमेण्ट को मिसलीड किया है तो उसको वही फेस मीट करना पड़ेगा जो इन्जीनियरों को करना पड़ा था।

दूसरी, सूरतगढ़ से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही कि जब बी.बी.एम. बी. ने यह बात कह दी कि जिस स्टेट की जितनी ग्रावश्यकता है, वह उतना ही इन्डेन्ट दे सकती है। इसके सम्बन्ध में भी मैंने ग्रार. सी. पी. ग्रौर सी. ए. डी. के चीफ इन्जीनियर, जो इन्डेंन्ट देते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : टाइम पर इन्डेंट क्यों नहीं दिया, यह पूछ रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझ गया हूं। ग्राप कुछ कन्फ्यूज कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री भैरोंसिंह शेखावत। ग्रापके ऊपर चार्ज है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : मैं चार्ज नहीं लगा रहा हूं।

उपाध्यक्ष ग्रौर मैं रेगिस्तान के बीचोबीच रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्राप इनको कह कर सदन की शोभा....

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो इन्डेंट प्लेस किया है ग्रार. सी. पी. के लिए 6 हजार 7 सौ क्यूसेक्स का, ग्राज भी उसी पर कायम हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

कह रहे हैं कि इस से ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। 7 हजार क्यूसेक्स के आस पास राजस्थान नहर को पानी मिलने के बाद चारों ग्रुप की नहरों को पर्याप्त पानी दे सकेंगे। वह क्या ग्रुप हैं — क, ख, ग और घ। ब्रान्चेज और डिस्ट्रीब्यूटरी आती हैं, मैंने उसका विवरण दिया था, इसलिए दिया था कि अनूपगढ़ ब्रान्च है, जो "ख" केटेगरी में है, उसमें आज 13 तारीख को पानी सुबह से रिलीज होना शुरू हो गया है....

एक माननीय सदस्य : कम होने का क्या कारण हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : कम हो ही नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : तीसरी बात, गंग कैनाल के रिपेयर्स के सम्बन्ध में कही गयी है। उस मामले में, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया था, गंगानगर के किसान आये थे, राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति तो दे दी है, लेकिन अभी तक अर्थाभाव के कारण आर्थिक स्वीकृति देने में राज्य सरकार असमर्थ है।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति के 16 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं पारण

श्री उपाध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री कार्य सलाहकार समिति के 16 वें प्रतिवेदन को पढ़ कर सुनायें....

श्री देवी सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : That chapter is over.

(व्यवधान)

जवाब आ गया। माननीय सदस्य, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

It is not question hour.

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराज जाइये।

माननीय सदस्य।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (संसदीय कार्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 16 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

प्रतिवेदन इस प्रकार है:—

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 13 सितम्बर, 1982 को मध्याह्नोत्तर 5.00 बजे हुई। समिति सिफारिश करती है कि समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन के आंशिक संशोधन में दिनांक 16 सितम्बर, 1982 से 21 सितम्बर, 1982 तक सदन में लिए जाने वाले कार्य के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये:—

गुरुवार, 16 सितम्बर, 1982	निम्नांकित विधेयकों पर नीचे दिये गये क्रम में विचार एवं उनका पारण :— 2. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 2. राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1982 3. मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 4. राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982 5. राजस्थान यात्री और माल कराधान (निरसन) विधेयक, 1982 6. राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां) निराकरण (संशोधन) विधेयक, 1982 7. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1982
शुक्रवार, 17 सितम्बर, 1982	1. संविधान (छियालीसवां संशोधन) विधेयक, 1982 के अनुसमर्थन संबंधी संकल्प पर विचार एवं पारण।
शनिवार, 18 सितम्बर, 1982	2. गैर सरकारी कार्य। जयपुर विकास प्राधिकरण, विधेयक 1982 पर अग्रेतर विचार एवं पारण। (प्रश्न काल नहीं होगा)

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

रविवार, 19 सितम्बर, 1982	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, 20 सितम्बर, 1982	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण 1982-83 तथा वार्षिक प्रतिवेदन 1980--81 पर विचार।
मंगलवार, 21 सितम्बर, 1982	आयुक्त अनुसूचित जन जाति के 26 वें प्रतिवेदन पर विचार।

उपरोक्त समय के बंटवारे के बारे में माननीय अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पॉइन्ट ऑफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में कहना नहीं चाहता....

श्री उपाध्यक्ष : आप खुद मैम्बर हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं गया ही नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह कहूं कि आप झूठ बोलते हैं तो पार्लियामेन्ट्री शब्द नहीं है। मैं यह कहूं कि आप असत्य बोल रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बोल रहा हूं कि आप सत्य से परे बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनको कहने दीजिए। इनको कहने की छूट है। इनके मुंह से असंसदीय भाषा अच्छी लगती है। मैं निवेदन कर रहा था कि जिस समय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होने वाली थी, उस समय मुख्य मन्त्रीजी का भरतपुर के मामले में स्टेटमेण्ट होने वाला था....

श्री शिवचरण माथुर : मीटिंग तो वक्तव्य समाप्त होने के बाद हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको यह ध्यान होगा कि 4 बजे के लिए निश्चित की गयी थी। 4 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। आपको उत्तर देना था। फ्रांस का पार्लियामेन्ट्री डेलीगेशन आया था उसके स्वागत में लग गये, आप गये और मैं भी गया। आपका जवाब नहीं हुआ तब तक मैं यहां बैठा, उसके बाद सिंचाई मंत्री जी को वक्तव्य देना था, उस के अन्दर मैं इन्ट्रेस्टेड था। मेरी अनुपस्थिति में मीटिंग की। मुझे बताया गया जयपुर विकास, प्राधिकरण के मामले में कि दो दिन नहीं तीन दिन डिस्कशन होगा। उस वक्त हमारा कहना था कि आज का दिन क्यों बरबाद किया गया। सुबह से लेकर शाम तक माननीय सदस्य बैठे हैं, अब थक गये हैं, माननीय सदस्य यह नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहेंगे कि यह जल्दी में पारित किया जाये। अब मैंने सुना क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्वेश्चन आवर को को भी सस्पेन्ड कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन आवर सस्पेन्ड किया है स्पीकर साहब ने, जिसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। यह उनको अख्तियार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह अख्तियार तो हम सबको बाहर निकालने तक का है, यह तो मामूली बात है। मैं उस अधिकार को या अख्तियार को चैलेन्ज नहीं करता। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उसका एक अख्तियार यह भी है कि हमको भी प्रोटेक्शन दे। मैं समझता हूं, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है लेकिन यह परम्परा में है। आप जैसा व्यक्ति अगर आसन पर विराजमान हो जाय, उपाध्यक्ष महोदय, आप अन्दाज लगा सकते हैं।

(व्यवधान)

जब मैं आपकी तारीफ करता हूं तो वह सीरिअसली नहीं लेते।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी सीरिअसली नहीं ले रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें एक दिन में जैसे सात विधेयक....

श्री उपाध्यक्ष : छोटे-छोटे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनको आप देखें। आपने सौभाग्य से उनको पढ़ा नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : एक है, डवलपमेन्ट बोर्ड का बड़ा है, वह पूरा कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डवलपमेन्ट बोर्ड का तो कोई है ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आथोरिटी, डवलपमेन्ट आथोरिटी, जे.डी.ए. Soory.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, जे. डी ए. का जो कानून मैंने पहले भी निवेदन किया था....

(7.30 सांय)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पठासीन)

एक तो मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय जिस समय किसी मसले के ऊपर निर्णय देते हों उस समय आप पधारने की कृपा नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : इसका सम्बन्ध मेरे से है इसलिए मैं हाजिर हुआ वरना मैं नहीं आता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप आये और वह गये। कांग्रेस के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। अच्छा नहीं है।

मैं निवेदन कर रहा था कि एक तो क्वेश्चन आवर के बारे में जानकारी दी गई जैसा निर्णय लिया....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि 18 तारीख को किसी मन्त्री का डे नहीं है, शनिवार के दिन आम तौर से बैठक नहीं होती। इसलिये दिन मुकर्रर करने, उसके लिए प्रश्नों को छपाने की व्यवस्था करने में कठिनाई थी। इस पर विचार करके उस दिन....

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह कठिनाई तो हल हो सकती थी। जिस दिन शेख अब्दुल्ला साहब की मृत्यु हुई उस दिन का जो बिजनेस था वह बिजनेस हम 19 को रख सकते थे। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, 18 तारीख को शनिवार का दिन है, वह दिन मन्त्रियों का मुकर्रर नहीं है। उस दिन क्वेश्चन अवर होवे तो छपाई की भी नई व्यवस्था करनी पड़ती है।

श्री भैरोंसिह शेखावत: कोई जरूरत ही नहीं है। 9 तारीख को जो बिजनेस था वह 19 तारीख को आ जाता।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह 16 को हुआ है ट्रान्सफर।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं निवेदन करना यह चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, एक दिन में आपने सात विधेयक रखे हैं....

श्री अध्यक्ष : वह भी मैं निवेदन कर दूं सात में दो तो ऐसे हैं, जिनमें से एक के बारे में तो आपने कुछ आपत्ति उठाई थी कि अध्यादेश को यह सदन अस्वीकार करता है, उसके सम्बन्ध में आपने एक मुद्दा उठाया था, मुद्दा एक ही है उसके बारे में आप भी चाहते हैं कि आप कुछ चर्चा भी करना चाहते हैं। तो उसको मैंने इस रूप में लेकर माना। दूसरा था उस पर चर्चा हो चुकी थी। छोटे छोटे हैं, अपन कोशिश कर लेंगे। अगर नहीं होते है तो इनको और दिन एडजस्ट कर लेंगे। आगे तीन चार दिन और बचे रहते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, मैं एक दूसरा निवेदन कर रहा था कि जे. डी. ए. के विधेयक के लिये आपने एक ही दिन का समय रखा है,....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि वैसे दिन तो तीन इसके लिए हो गये लेकिन मान लीजिये समय में पूरा नहीं होता है तो और उस पर विचार कर लेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ठीक है, अध्यक्ष महोदय, आपकी इस उदारता से हम अपना काम निकाल लेंगे। कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 16 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रगट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 16 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति व्यक्त करता है।

(स्वीकृति)

प्रतिवेदन पर सहमति व्यक्त की गई।

(श्री अध्यक्ष)

श्री चन्दनमल बैद ।

शासकीय वक्तव्य

जीरा, सरसों, रायडा आदि को राज्य से बाहर भेजने पर टैक्स

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, काश्तकारों द्वारा उत्पादित फसलें स्वयं द्वारा विक्री किये जाने पर किसी भी प्रकार का बिक्री कर पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। गत विधान सभा में राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (बी) में कुछ संशोधन किया गया था, उसके द्वारा काश्तकारों की आड़ में जो व्यापारी अपना माल राजस्थान के बाहर ले जाते थे उनकी जाँच करके उनसे कर वसूल किये जाने के लिए व्यवस्था की गई थी। धारा 2 (बी) के संशोधन के पश्चात् भी काश्तकारों पर कर लगाने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं था और न अब है। विभाग की कुछ चैक पोस्ट पर इस नवीन संशोधन को समझने की भूल के कारण कुछ काश्तकारों से रुपया वसूल हो गया था वह लौटा दिया जायगा।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे वैधानिक आपत्ति है। यह कहा गया अभी मन्त्री महोदय के द्वारा कि काश्तकारों को लौटा दिया जायगा। यह भी निश्चित बात है कि आस पास मण्डियां जो हैं उनमें काश्तकार भी अपनी फसल ले जाता है, कोई भी ले जाता है। सवाल यह है राज्य के बाहर जो चीज जायगी चाहे सरसों हो, चाहे और चीज हो जैसा इसमें लिख रखा है, वह इण्टर स्टेट कामर्स की तारीफ में आता है। इण्टर स्टेट कामर्स यूनियन लिस्ट के सेवन्थ शिड्यूल का जो पहला पार्ट है उसके आइटम 42 पर आता है क्लियरली और टैक्स लगाने की पावर 92 (ए) में आती है। मुझे वह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यह तो स्पष्ट बात है। इसके अलावा 269 (जी) आर्टिकल, जो कान्स्टीट्यूशन का है, में साफ-साफ लिखा है कि अगर इण्टर स्टेट ट्रेड या कामर्स के ऊपर कोई टैक्स लगा सकता है तो राज्य सरकार नहीं लगा सकती, पार्लियामेन्ट लगा सकती है। हमारा लेजिस्लेचर नहीं लगा सकता और कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता जब तक कि लॉ नहीं है उसके लिए। लॉ की डेफिनेशन देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। सारांश यह कि यह इण्टर स्टेट ट्रेड की तारीफ में आता है। राज्य के अन्दर तो राज्य सरकार लगा सकती है, राज्य के बाहर नहीं लगा सकती, राज्य के बाहर जो चीज जाती है उस पर नहीं लगा सकती। अगर उस पर लगाना चाहे तो पार्लियामेंट से कहे, यूनियन सरकार से कहे कि आप इस पर टैक्स लगावें।

एक बात और है, 46 वां अमेण्डमेंट और आ गया, 46 वें अमेण्डमेन्ट का मतलब यह है, अब तक तो टैक्स था सेल्स और पर्चेज के ऊपर था, अब तो कन्साइनमेंट पर और होगा और वह भी केन्द्रीय सरकार, यूनियन पार्लियामेन्ट लगायेगी। कन्साइनमेंट पर बहुत पहले कभी राज्य

(श्री राज बहादुर)

सरकार का था लेकिन 46 वां 46 वां संशोधन पूरा का पूरा पारित होता है और हम लोग प्रस्ताव पारित करते हैं तो निश्चित रूप से कन्साइनमेंट पर भी नहीं लगा सकते। वह कन्साइन्मेंट आ जायगा उसकी तारीफ में। किसी भी दृष्टि से, पीछे के रास्ते और टैक्स लगाना कोई उचित बात नहीं है। ऐसे टैक्स लगाने का आपको अधिकार नहीं है, कतई अधिकार नहीं है। राज्य सरकार को लगाना है तो कोई भी टैक्स लगा सकती है किन्तु इन्टर स्टेट नहीं, इसलिए मैं कहूंगा कि इसको निरस्त किया जाय और इसको अस्वीकार किया जाय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा कि जो कुछ टैक्स वसूल किया गया है वह टैक्स किसानों को वापस दे दिया जायगा। इस सदन को भ्रमित करने की चेष्टा की जा रही है।

श्री खेतसिह राठौड़ : क्यों ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप सुनिये।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा कि फाइनेन्स बिल में हमने इस प्रकार की व्यवस्था की थी, यह घोषणा की थी कि जो व्यापारी किसानों के अभाव में जीरा, रायडा, ईसबगोल ये चीजें राजस्थान के बाहर ले जाते हैं उनके ऊपर 8 प्रतिशत का टैक्स लगाया है।

श्री सूरपाल सिह : चार प्रतिशत,

श्री चन्दनमल बैद : जो भी टैक्स उसका होगा, किसी का चार भी हो सकता है, किसी का दो भी

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी सुनिये, मैं बताता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार आपने शायद पहले आठ प्रतिशत की घोषणा की थी और बाद में चार पर आये।

एक माननीय सदस्य : पहले आठ किया था, बाद में हाई कोर्ट ने 4 किया।

श्री चन्दनमल बैद : चार आठ का मुद्दा नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपकी पार्टी के सदस्य कह रहे हैं, आपने चार किया।

श्री खेतसिह राठौड़ : आपको जानकारी नहीं है तो ये बोल जायेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पोपाबाई का राज हो तो प्रवक्ता खेतसिहजी हैं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि चार पर्सेंट के हिसाब से इन चार चौकियों ने पैसा वसूल किया। एक चौकी है मोकमपुरा सांचौर, एक चौकी है रतनपुरा, एक चौकी है मण्डोर सिरोही और एक चौकी है आबू रोड सिरोही। इन चार चौकियों से इस माल की निकासी होती है। अध्यक्ष महोदय, यह सारा माल गुजरात की उंजा मण्डी में जाता है। राजस्थान का सारा माल चाहे वह जीरा हो, रायडा हो, ईसबगोल हो, उस मण्डी से ही इस बात की दरियाफ्त कर सकते हैं कि उस मण्डी में किस प्रकार का कितना माल आया। मेरी जानकारी के अनुसार करोड़ों रुपये का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

माल गया वह इन चौकियों की मार्फत गया। अब चौकियों पर कोई कांटा तो लगा हुआ नहीं था। एक बोरी के हिसाब से या क्विंटल के हिसाब से जो आपने टैक्स लगाया उस हिसाब से वह टैक्स वसूल किया जाये, इसकी व्यवस्था नहीं थी। आपने जो टैक्स वसूल किया उसको तो वापस करेंगे और किसानों को दे देंगे, लेकिन जो टैक्स वसूल करके सरकार ने जमा नहीं कराया और जो सरकार की आड़ में किसानों को लूटकर खा गये वह पैसा कहां गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मैं आपको प्रत्यक्ष जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि एक ट्रक के अन्दर यदि जीरे की बोरियां डाली जायें तो मेरे अन्दाज से दस हजार रुपये उसकी कीमत आती है। 10 हजार पर चार पर्सेंट के हिसाब से कितना टैक्स हुआ, 400 रुपये....

श्री अध्यक्ष : एक ट्रक में 250 बोरी जाती हैं। एक बोरी की कीमत 1200 रुपये बैठती है।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : ट्रक पर 16 हजार का टैक्स बैठता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जो कह रहे हैं वह सही हो सकता है, लेकिन मैं अन्दाज से कह रहा हूं। एक ट्रक पर 16 हजार का टैक्स बनता था, यह जो माननीय सदस्य बता रहे हैं, सही होंगे। मेरी जानकारी के हिसाब से, अध्यक्ष महोदय, 10 करोड़ रुपये माल ऊंजा मण्डी में पहुंच गया। एक ट्रक के ऊपर 16 हजार के हिसाब से जो टैक्स बनता था वह पैसा कहां गया? आप यह कहें कि सरकारी अधिकारियों की मिस-अण्डरस्टेंडिंग के कारण से टैक्स वसूल हुआ तो मिस-अण्डरस्टेंडिंग से यह पूरा वसूल क्यों नहीं हुआ? वह टैक्स कहां गया? मेरी जानकारी के अनुसार आपकी 32 हजार या 36 हजार की आय हुई है जो दो ट्रकों से हो सकती है। एक ट्रक से 16 हजार रुपये का टैक्स मिलता है, दो से 32 हजार रुपये का या 36 हजार का टैक्स मिलता है। करोड़ों रुपये का माल चला गया किन्तु आपको 32 हजार का टैक्स मिला। चन्दनमल जी, मैं कह सकता हूं कि इस तरह की लूट राजस्थान में और किसी सरहद पर, किसी चौकी पर नहीं हुई। यह लूट किसी वर्ग की नहीं हुई सिवाय किसानों की लूट हुई है। वह आपने करवाई है, जानबूझ कर करवाई है और यह इसलिये करवाई कि अब तक आप सोये हुये थे, आपको नींद आ रही थी, आपको इस बात की आशंका नहीं थी कि इन चार चौकियों के ऊपर कोई वैज्ञानिक कांटा लगा हुआ नहीं है। क्या इसकी आपको जानकारी नहीं थी कि किसान सिर पर बोरी रखकर ले जाते हैं? क्या ट्रक को तोलने की आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी? हजारों ट्रक निकल गये। अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, वहां पर सरकारी कर्मचारी कहते हैं कि इतने पैसे दो और ट्रक ले जाओ। वे दस हजार, पांच हजार, सात हजार करोड़ों रुपयों की लूट, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आपने किसनों की करवा दी। आप किसानों को लूटना चाहते हैं, मरवाना चाहते हैं, आपकी नीयत क्या है, यह आप सदन में बतायें। आपने पहला

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

काम किया सिंचाई शुल्क बढ़ा दिया, किसानों के ऊपर टैक्स लगाकर और वह पैसा सरकारी खजाने में जमा नहीं हुआ। किसानों को आपने लुटवाया, फिर आप तालियां बजवाते हैं कि मैंने वापस ले लिया। क्या मिला आपको वसूलने से ? 32 हजार रुपये ले लिये। 32 हजार लेकर आप बन रहे हैं दातार, लेकिन जो किसान की जेब से पैसे निकल गये उसको वापस दिलाने की क्या व्यवस्था है आपके पास ? क्या उंजा मण्डी में राजस्थान के किसानों का जो सामान दबा हुआ है उसको दिलवायेंगे ? राजस्थान सरकार के कर्मचारी रिश्वत खा गये, किसानों की जेब काट गये, उनके पैसे आप दिलवायें। और नहीं दिलाना चाहते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे निकम्मे मुख्य मन्त्री, जिसने किसानों को लुटवाया है, राजस्थान के किसानों को मरवाया है, के खिलाफ यहां के किसान बर्खास्तगी की मांग करेंगे। ऐसे आदमी आज यहां ताली बजवा रहे हैं कि 32 हजार रुपये मैंने किसानों को वापस दे दिये। आपने कानून क्यों बनाया ? अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं। यह बजट स्पीच है, इस बजट स्पीच में एक-एक टैक्स का उल्लेख है, बजट की सैंक्टिटी होती है। बजट के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन-सा टैक्स लगाना चाहते हैं। आपको सेल्स टैक्स नोटिफिकेशन के जरिये बढ़ाने का, घटाने का अधिकार है तो फिर बजट की सैंक्टिटी किस लिये है ? आप चाहे एक पैसे का टैक्स लगाये या चाहे दो पैसे का टैक्स लगायें आपको बजट स्पीच के अन्दर उसका रिफ्लेक्शन देना पड़ेगा। टैक्सेशन प्रपोजल्स के अन्दर उसका उल्लेख करना होगा। नोटिफिकेशन आपने इश्यू कर कर दिया यहां पर टैक्स का उल्लेख नहीं है। आप कहते हैं कि फाइनेंस बिल के समय हमने इस तरह की घोषणा की थी। मैं तो नहीं था, लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, चन्दन मल जी, आपकी मिस-अण्डरस्टैंडिंग की वजह से जो किसानों की जबर्दस्त लूट हुई है ऐसी लूट राजस्थान में नहीं हुई, जिसका श्रेय भगवान ने आपको दिया है। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजपाल सिंह।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्रीजी ने यह कहा कि किसानों पर हमने इस तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया और महज वाणिज्यिक कर विभाग की लापरवाही की की वजह से कुछ टैक्स है, वह वसूल कर लिया गया उसको हम लौटा देंगे। मगर जालौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, जोधपुर में जितना भी जीरा और रायड़ा आदि उत्पन्न होता है उस सारे जीरा और रायडा की मण्डी का एकमात्र स्थान उंजा मण्डी ही है। वित्त मन्त्रीजी, आप ने अपने अधिकारियों को नहीं भेजा, वह तो यहीं फिर रहे हैं। आपके डिप्टी कमिश्नर उंजा मण्डी में जाकर आये हैं और मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि यह अधिकारी आपको गलत रिपोर्ट देंगे। आप इस सदन की कमेटी को भेजकर जांच करवायें कि कितने करोड़ रुपयों का जीरा उंजा मण्डी में बिका है और चार पर्सेंट से कितना अधिक टैक्स वसूल हुआ जो आप दे रहे हैं। लेकिन

(श्री सूरजपाल सिंह)

जो फिफ्टी पर्सेंट टैक्स किसनों से अधिकारियों ने वसूल किया उसको कैसे लौटायेंगे ? पाली, जोधपुर, सिरोही के विधायकों ने बार-बार निरन्तर इस बात को आपको कहा, उसके बावजूद आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। क्या जो यह 50 लाख रुपये का स्केण्डल हुआ, यहां काश्तकारों की खुली लूट हुई है, क्या विधायकों के कहने पर आप उसकी पूर्ण जांच करवायेंगे और 34 हजार वापस दे देंगे। 10 ट्रक मेरे गांव से गये हैं। 10 ट्रकों का एक लाख 7 हजार रुपया मेरे गांव वालों ने पे किया है, उनकी क्या हालत होगी। आप 34 हजार लौटा कर बड़े दानी बन रहे हैं, मर्सी कर रहे हैं। जो 50 लाख रुपये का घोटाला हुआ है उसकी जांच करवाइये। उंजा मण्डी में जांच करवायें कि कितना माल मोखमपुरा और रतनपुरा से गया। उन चार चौकियों की जांच करवायें। मैं आपको आगाह करता हूं कि जो करोड़ों रुपयों का इवेजन हो रहा है उसकी तरफ आप ध्यान दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवदान सिंह।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मारवाड़ में एक गीत है जीरो जीव को बैरी रे। यह जीरा हमारे मारवाड़ के किसानों का बैरी हो गया है और वित्त महोदय भी हमारे बैरी हो गये हैं। मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, अगर राज्य सरकार के खजाने में पैसा आता है और वह पैसा राजस्थान के विकास में लगता है तो हम किसान हमारे खून-पसीने की कमाई से वह पैसा सरकार को देने के लिये तैयार हैं, लेकिन यदि वह पैसा कुछ भ्रष्ट लोग खा जायें तो राजस्थान के किसान उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह घोटाला केवल 50 लाख रुपये का नहीं है, उंजा मण्डी में हमने पता करवाया है, करीब 10 करोड़ का जीरा राजस्थान से बाहर गया है और उंजा मंडी में बिका है जिस पर 80 लाख रुपये का टैक्स बनता है। 80 लाख रुपये सरकार के खजाने में जमा हो जाता तो किसानों को कोई तकलीफ नहीं होती लेकिन पैसा जमा हुआ है 36 हजार रुपये और कहा गया है कि दे देंगे। वह भी किसानों की जेब तक नहीं पहुंचेगा और उन भ्रष्ट अधिकारियों व व्यापारियों तक पहुंच जायेगा। इसलिये वित्त मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि यह पैसा वापस ही नहीं लिया जाय, इसकी जांच करायें कि 10 करोड़ से ज्यादा जीरा उंजा मन्डी में राजस्थान से जाकर बिका या नहीं ? वहां की बहियों में इंद्राज है, रिकार्ड पर है. कौनसी चौकी के थ्रू गया, उन्हीं चौकियों, जिनके नाम बताए गए हैं, से सारा जीरा गया है और 10 करोड़ की बिक्री हुई है, रिकार्ड पर है, बहियों में है और हमने इसकी जांच करवाई है। अगर आप चाहेंगे तो कई व्यापारियो व आढ़तियों के नाम दे दूंगा। जो 80 लाख रुपये का टैक्स बनता था वह किसकी जेब में गया, मन्त्री महोदय पता लगायें और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, सदन में बतायें।

श्री अध्यक्ष : श्री कनकराज। मोखमपुरा आपके चुनाव क्षेत्र में स्थित हैं।

श्री कनकराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, जीरे के टैक्स के बारे में निवेदन है कि वास्तव में पहले एलान किया था उसके अनुसार 8 प्रतिशत टैक्स वसूल किया जाता था। बाद में मैंने एक अर्जी सैल्स टैक्स कमिश्नर को दी। उनका वापस आर्डर गया कि 8 प्रतिशत गलत हुआ है, वह 4 प्रतिशत रखा है। उसकी हमने गांव में घोषणा की थी कि भाई 8 प्रतिशत गलत वसूल हो रहा है 4 प्रतिशत वसूल किया जाय, उसके आर्डर होने के बावजूद चौकी पर 8 प्रतिशत वसूल किया जाता था। एक अर्जी कलेक्टर को दी उस पर इन्क्वायरी की गई और आदेश जारी किया कि राज्य सरकार के 4 प्रतिशत के आदेश होने के बाद आप 8 पर्सेंट कैसे वसूल कर रहे हैं। इस तरह का स्कैंडल हुआ है। मेरे खयाल से अधिकारियों द्वारा गलत कार्य हुआ है। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का जीरा उंजा में जाता है।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मपुरा से रोज कितने ट्रक निकलते हैं ?

श्री कनकराज मेहता : कम से कम 25-30 ट्रक निकलते हैं, रोज छोटी-छोटी गाड़ियां भी निकलती हैं। किसानों की गाड़ियां बिना पैसे ले जाते नहीं मिलती हैं, कई लोग चौकी से न जाकर यूं भी जाते हैं जिसका भी कोई चैक नहीं है। यूं जाते हैं उनसे पैनल्टी वसूल कर सरकारी अधिकारी अपनी जेबों में रखते हैं। इस तरह से भारी लूट हुई है। जीरे के नाम पर टैक्स नहीं वसूल हुआ था। जब सरकार के ध्यान में आया तो क्यों स्टेप्स नहीं लिये गये। किसानों की जेब कटती रही और गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। यह सारी जिम्मेदारी सरकार की है। मैं मानता हूं जब भारी घोटाला हो गया और सारे सदस्य कहते हैं कि बड़ा भारी स्कैंडल है तो इन्क्वायरी बिठा दें। उंजा मंडी सरकार द्वारा चलाई जाती है जहां पर सारे इंद्राज किये जाते हैं और सब रसीदें काटी जाती हैं। कितना जीरा उस मंडी से गया और कितना अपने रिकार्ड में बताया गया है, उसका सारा विवेचन इन्क्वायरी करने से मालूम होगा कि सरकार का कितना टैक्स इवेजन हुआ है। इस व्यवस्था से कोई सरकार का फायदा नहीं हुआ है, न काश्तकारों को कानून से सही फायदा हुआ है। काश्तकार को लूटा गया है। इसकी इन्क्वायरी बिठाई जाय और जो दोषी व्यक्ति हैं और जो उस समय चौकी पर तैनात थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : एक सवाल और है। यह जो किसानों से वसूल नहीं किया तो किसानों को वाकई दी छूट चौकी पर ?

श्री कनकराज मेहता : किसानों से तो वसूल किया जाता है, यही तो दुःख है, व्यापारियों पर इतना लगाया लेकिन जो काश्तकार ट्रक ले जाते थे उनको भी देना पड़ता था।

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह : धारा 2 (डी) में अमेडमेंट किया गया है, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है किसानों का माल जो राज्य से बाहर जाता है उस पर टैक्स लगता है। धारा 2 (डी) में अमेंडमेंट हुआ है उनको

(श्री सूरजपालसिंह)

अधिकार है टैक्स लगाने का। वे कहते हैं कि टैक्स नहीं लगाया। सेल्स टैक्स अधिकारियों से मेरी बात हुई, जो चैक पोस्ट्स पर हैं वे लोग कह रहे थे कि हम टैक्स किस तरह से वसूल करें, कानूनन हम नहीं कर सकते क्योंकि इन्टर-स्टेट के अन्दर सी फार्म देना पड़ता है और उस पर कार्यवाही करनी पड़ती है। कई लीगल काम्प्लीकेशन्स आ रहे थे। वे बेचारे वसूल नहीं करना चाहते थे। हमने सरकार से एप्रोच किया लेकिन अपनी बात को मानने के लिये तैयार नहीं थे ठीक है। व्यापारी चोरी करते हैं इसलिये अमेंडमेंट करके लागू किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम।

सदन की कार्यवाही

विधान-सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : आधे घंटे के लिये समय बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से आधे घंटे के लिये समय बढ़ाया गया।

जीरा, सरसों, रायड़ा आदि को राज्य से बाहर भेजने पर टैक्स

श्री महाराम चौधरी : जब किसान का कथन है, उनको मालूम नहीं पड़ता है कि कब सरकार और सरकारी अधिकारी सैक्रेटेरियट में बैठे बैठे अपनी छुरी चलाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जो मोखमपुरा मन्डोर चौकी से बहुत से काश्तकार 5–5, 10-10, 12-12 इकट्ठे होकर जैसा रिवाज है, एक साथ मिल कर ले जाते हैं लेकिन जहां पर जो अधिकारी लगे हुये थे, और मुझे यहां तक जानकारी है, कमिश्नर साहब ने उस जगह पर तीन आदमियों को इस पर्पज के लिये लगाया, जिनका नाम लेकर मैं बता सकता हूं, उनको सिर्फ इसलिये लगाया गया कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा पैसा इकठ्ठा किया जा सकता है। मैं तो मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहता हूं, अगर किसानों के प्रति आपकी हमदर्दी है तो आप सोते कैसे रहे। आपके अधिकारी इतना ही पता नहीं रखते हैं, इससे बढ़कर किसानों के साथ क्या अन्याय हो सकता है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि नान-आफिसियल कोई ऐसी कमेटी बनाकर जांच कराई जाय कि कितने करोड़ रुपये का घोटाला है। चौकी के अलावा दूसरे रास्ते अधिकारियों ने ट्रक वगैरह के निकाले हैं और उंजा, जो हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी जीरे की मंडी है, सब जगह माल बिका है। सरकारी अधिकारियों जांच करायेंगे तो चढ़ गये सूर और मिलेगा पाडा, इसमें भी कहीं ऐसा न हो जाय। चढ़ तो गये कमिश्नर वगैरह या कुछ अधिकारियों के चौकी पर बैठे आदमी थे उन सबने गड़बड़ी की है इसलिये नान-आफिसियल्स से इन्क्वायरी कराई जाय।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री।

श्री सूरजपालसिंह : कमिश्नर ने एक रिमार्क दे रखा था कि इन लोगों की नियुक्ति चैक पोस्ट्स पर नहीं की जाय। तीन चैक पोस्ट्स पर ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति

(श्री सूरजपालसिंह)

की गई जिनका सर्विस रिकार्ड में यह रिमार्क कमिश्नर सैल्स टैक्स ने दिया हुआ है कि इन लोगों की नियुक्ति चैक पोस्ट्स पर न की जाय। फिर भी····

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आपसे तो दूर पड़ता है।

श्री दुलाराम : मेरे यहां जीरा बहुत होता है।

(व्यवधान)

श्री माधसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, जो सरकार की तरफ से उत्तर आया है उसके सम्बन्ध में निवेदन है, किसानों की आड़ में व्यापारी जो ले जाते थे उसका सरकार के पास क्या तरीका या चौकी पर यह जानने का कि किसान ले जा रहा है या व्यापारी ले जा रहा है, स्पष्ट करें। दूसरी बात यह बतायें कि किसान अनपढ़ होता है. सरकार के डाइरेक्शन्स क्या होते हैं, क्या कानून पास किया, वह समझ नहीं पाते हैं लेकिन आपके विभाग के तो बड़े बड़े सीनियर अधिकारी लगे हुये थे। आज सरकार अगर कहें कि सरकार के डाइरेक्शन्स वह समझ नहीं पाये तो इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। सरकार मंजूर कर रही है कि हमारे अधिकारी हमारे डाइरेक्शन्स समझ नहीं पाये जिससे किसानों को लूट लिया। हम इस तरह का उत्तर कतई सुनने को तैयार नहीं हैं। तीसरे अभी तक सरकार ने यह नहीं बताया कि कितना रुपया सरकार ने वसूल किया जो सरकार वापस देना चाहती है? कम से कम ये तीन बातें स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) अध्यक्ष महोदय, जो काश्तकारों द्वारा जीरा लिया जाता है, किसान अपनी गिरदावरी पेश करते हैं, तहसीलदार से प्रमाण-पत्र लेते हैं उसके बाद जीरा ले जाते हैं। उसमें व्यापारियों पर यह शक करें कि व्यापारियों ने मारा, यह प्रश्न नहीं है। जितने ट्रक ले जाते हैं, आप नाम दर्ज करवाते हैं उसके बाद जीरा ले जाते हैं। मेरे यहां से 20 ट्रक गये, 250 बोरी। करीब 4 लाख रुपये की गवर्नमेंट को आमदनी होगी लेकिन 34 हजार कह रहे हैं इसकी जांच कराई जाय।

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री श्री चन्दनमल बैद।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) अध्यक्ष महोदय, यह कोई जीरे का ही सवाल नहीं है यह तो सारी एग्रीकल्चर प्राड्यूस की बात है। कोई भी किसान अपने खेत की प्राड्यूस या अपनी वेटीरिनरी प्रोड्यूस, या दूसरी किसी तरह की पैदा की गई प्राड्यूज अगर राजस्थान के बाहर कहीं ले जाता है या राजस्थान में बेचता है तो उस पर कोई टैक्स लागू नहीं है। यहां पर यह मान कर चलें कि केवल जीरे पर ही टैक्स लगाया है, यह बात नहीं है, यह सौंफ पर भी है,

(श्री चंदनमल वैद)

चने पर भी है, गेहूं पर भी है। किसान के खेत की प्राड्यूस पर बिक्री कर व्यापारी पर ही लागू है, यह किसान पर नहीं है। जो अमेंडमेन्ट किया है वह इस वास्ते किया है कि कुछ व्यापारी किसान के नाम पर टैक्स की चोरी जो करते थे उनको रोका जाय।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपके जो डिपार्टमेन्ट के आदेश निकाले गये हैं उसमें तो यह नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे थोड़ा सा समय बख्सावें, मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा। मैं आपको सारी स्थिति क्लीयर कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : पर आपके यहां के जो आदेश निकले हैं, जो अप्रेल में आपने आदेश निकाले हैं, उसका मतलब तो यह निकलता है कि अब जो कोई भी अपना माल बाहर ले जावेगा उस पर टैक्स लगेगा। ऐसा उससे प्रिज्यूम होता है, वह चाहे व्यापारी ले जावे चाहे किसान ले जावे, सब पर समान टैक्स लगेगा। इन्टरप्रिटेशन तो इससे यही निकलता था।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे पांच मिनट का समय बख्सावें। आप मेरी सारी बात सुन लिजिये। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं आप पांच मिनट सुन लें।

श्री रामसिंह विश्नोई : पांच मिनट क्या सुने हमें तो बीस साल हो गये सुनते सुनते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ माननीय सदस्यों को ही बोलने का हक है, मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आपको भी अधिकार है।

श्री चन्दनमल वैद : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी एग्रीकल्चर प्राड्यूस पर इस संशोधन करने से पहले कोई टैक्स नहीं है। इस संशोधन के बाद भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी का प्रोविजो है, उसमें केवल यह संशोधन किया गया है।

"Provided that the purchase or sale by a person made with in the State.

जो राज्य में सैल करेगा वह तो उसके टर्नओवर के बाद किया जावेगा और राज्य के बाहर जो सैल करेगा वह व्यापारी के टर्नओवर में से बाद नहीं किया जावेगा। टर्न ओवर तो किसान का नहीं होता है, अध्यक्ष महोदय, टर्न ओवर तो व्यापारी का होता है। इस वास्ते यह संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : पर पहले आप अपने कागजात देख लीजिये। ऐसा है कि आपके

(श्री ग्रध्यक्ष)

कमिश्नर ने चौकियों पर जो सक्यूंलर भेजा है उसमें यह है कि अगर कोई माल बाहर जाता है उसको यह प्रिज्यूम करना चाहिये कि वह माल व्यापारी का है। आपके यहां से सक्यूंलर गया है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बात आपको निवेदन कर दूंगा। मैं सारी बात पर आ रहा हूं जरा मुझे आप थोड़ा समय दें, तो मेरी सारी बात आपके समझ में आ जायेगी। अगर आप मुझे समय नहीं देंगे तो मैं इतिहास, सारी जो स्थिति है, पृष्ठभूमि में नहीं जा सकूंगा। तो यह संशोधन जो था कुछ लोगों का यह कहना था कि यह संशोधन करके टैक्स आपने किसानों पर लगा दिया है। यह बात सही नहीं है, यह टैक्स हम उस व्यापारी पर लगाना चाहते थे जो व्यापारी बेईमानी से किसानों के नाम से यहां से ले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, खुद माननीय सदस्यों ने कहा है कि चैक पोस्ट के अलावा दूसरे रास्ते भी है जिनसे माल ले जाते हैं। अगर उसमें पकड़ में आ जावे तो हम उस पर जुर्माना लगा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो किसानों का नाम लिखकर माल ले जाते हैं उसको भी हमें पकड़ना है। अध्यक्ष महोदय, तीन तरह से माल ला सकता है। एक तो व्यापारी हमारा टैक्स देकर माल बाहर ले जाय, एक किसान अपनी मर्जी से ले जाय, एक व्यापारी किसान के नाम से माल ले जाय, तीन तरह की बात है तो तीन तरह से डील करना पड़ेगा। जो व्यापारी टैक्स देकर माल ले जाता है हमें कोई एतराज नहीं है। जो किसान ले जाता है उसमें भी कोई एतराज नहीं है होना भी नहीं चाहिये। लेकिन जो व्यापारी किसान के नाम से माल ले जाते हैं उसको पकड़ने का अधिकार होना चाहिये। इस वास्ते यह संशोधन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह संशोधन किया गया तो उसमें हमारे अधिकारियों को थोड़ा भ्रम हो गया, sale within the State का मतलब यह हो गया कि किसान जो स्टेट के अन्दर सैल करे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा और स्टेट के बाहर सैल करेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। यह भ्रम हो गया था। तो इसके लिये 23-4-82 को सर्क्यूलर निकाला उसका मतलब यह था कि किसान स्टेट के अन्दर अगर सैल करेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, किसान स्टेट के बाहर माल ले जावेगा तो टैक्स लगेगा। यह गलती उनकी हो गयी। उसके बाद जब रिप्रेजेन्टेशन आया, लोगों ने मुझे कहा तो मैंने कमिश्नर को फोन किया। कमिश्नर ने उसके बाद में 2 जून, 82 को यह आदेश निकाला कि किसान पर यह टैक्स लागू नहीं है। यह उन पर लागू है जो यहां पर माल पर्चेज करके बाहर भेजते हैं। जिन मामलों में टैक्स नहीं दिया गया है और जिसमें सन्देह हो उसमें चार प्रतिशत की पैनल्टी लागू की जावे। मतलब यह हुआ कि किसान अगर माल बाहर ले जाता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा और अगर व्यापारी ले जाता है तो चार प्रतिशत टैक्स लगेगा। इसमें अगर सन्देह हो जावे कि यह माल व्यापारी का

(श्री चन्दनमल बैद)

नहीं है किसान का है तो उस पर चार प्रतिशत पेनल्टी लगेगी। वैसे तो हम बीस प्रतिशत पेनल्टी लगा सकते हैं कानून में ऐसा प्रावधान है लेकिन हमने सिर्फ चार प्रतिशत पेनल्टी ही लगायी है। अध्यक्ष महोदय, हम टैक्स लगा सकते हैं पर जहां यह संदेह हो कि माल व्यापारी का है या किसान का····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया बाधा न डालें। पहले उत्तर आने दो।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैंने खुदने इस बात को स्वीकार किया है कि कुछ किसानों पर गलती से टैक्स लग गया है उसको हम वापस करने को तैयार है।

श्री अध्यक्ष : वह टैक्स नहीं लगेगा।

श्री चन्दनमल बैद : मैं यही निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : किसानों को लूट लिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह लोग मुझे बोलने नहीं देते हैं तो मैं स्थिति कैसे स्पष्ट करूंगा। आप जो बात करते हैं उसके सम्बन्ध में पहल कह दूं और दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा उनको नहीं बताऊं, यह कैसे हो सकता है। कम से कम आप मुझे समय तो दें ताकि मैं सारी बात आपको बता दूं। जितनी बातें मेरी जानकारी में हैं और जितनी मेरी योग्यता है उससे मैं सारी बातों का निराकरण करने की कोशिश करूंगा। अगर निराकरण नहीं हो बात अलग है। अभी मैंने खतम तो नहीं कर दिया है। अगर आप धैर्य खो देंगे तो कैसे काम चलेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री चन्दनमल बैद : तो यह निवेदन हूं, अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी लोगों ने बताया कि इसमें बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ, चैक पोस्ट से जो माल बाहर जाता है उसके अलावा दूसरे रास्तों से माल बाहर जाता है, वहां पर कुछ लोगों ने टैक्स वसूल कर लिया है जो कि वसूल नहीं होना चाहिये। यह बात मुझे सदन के अन्दर और बाहर दोनों ही जगह बतायी गयी। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को शील्ड करने के पक्ष में नहीं हूं। मैंने जैसा कि सदन में निवेदन किया, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिये। इसकी जांच कराकर इसमें जो भी दोषी अधिकारी और कर्मचारी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा देने को तैयार हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने किसानों को लूट लिया है। आपके अधिकारियों ने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किसानों को लूट लिया, एक करोड़ रुपया लूट लिया और आप बैठे बैठे देखते रहे।

(व्यवधान).

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आवेश में नहीं आवें, माननीय सदस्य।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह केवल एक करोड़ या दस करोड़ या पन्द्रह करोड़ का सवाल नहीं है। हमारे राजस्थान की करोड़ रुपये की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सवाल है, सारी फसल का सवाल है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि और भी ऐसे कई मामले हो सकते हैं, यह तो एक मामला सामने आया है पर मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने गड़बड़ी की है उसकी जांच होने पर दोषी पाये जाने पर उसे कड़ी से कड़ी सजा देने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं साफ तौर से अर्ज कर देना चाहता हूं कि अगर कोई व्यापारी किसान के नाम पर टैक्स मार कर माल ले जाना चाहता है तो उसको माफ नहीं किया जा सकता है, यह बात मैं साफ तौर से कह सकता हूं क्योंकि यह स्टेट की रेवेन्यू का सवाल है, स्टेट के राजस्व का सवाल है इस वास्ते थोड़ा देखना पड़ेगा कि जहां कहीं भी अधिकारियों को थोड़ा बहुत सन्देह हो वह पेनल्टी लगावें। अबी मैं आपको चूरू जिले की बात निवेदन करना चाहूंगा कि एक व्यापारी ने चालीस लाख रुपये का माल किसान के नाम पर बाहर भेज दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह चूरू का व्यापारी होगा।

श्री चन्दनमल बैद : व्यापारी चूरू का ही क्यों जयपुर का भी हो सकता है, सीकर का भी हो सकता है और छबड़ा का भी हो सकता है। यह तो कोई बात नहीं हुई।

एक निवेदन है कि अगर राजस्थान की हानि होती है तो उसको रोका जावेगा। आज हमारे राजस्थान का राजस्व 60 प्रतिशत सैल्स टैक्स की रेवेन्यू का है। और सैल्स टैक्स ही एक ऐसी रेवेन्यू है जिसके अन्दर आज बढ़ोतरी हो सकती है और बढ़ोतरी हम कर रहे हैं। इस वास्ते यह बड़ा डेलीकेट मामला है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां कहीं अन्याय हुआ है वहां अधिकारियों की उच्च स्तरीय जांच कराके दोषी को सजा देने के लिए तैयार हूं। व्यापारी गड़बड़ी कर रहे हैं तो उनको भी पकड़ कर सजा देना चाहता हूं। यही निवेदन करना चाहता था, अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल करना चाहता हूं। केवल एक प्रश्न, अध्यक्ष महोदय।

मंत्री महोदय ने यह बताया, डेट तो वह कन्फर्म कर देंगे कि अप्रेल के महीने में उनको इस बात की जानकारी मिली कि जो सरकार की मन्शा नहीं थी उसके विपरीत भी काश्तकारों से टैक्स वसूल किया जा रहा था। यह अभी आपने भाषण में कहा कि अप्रेल के महीने में इसकी जानकारी मिली····

श्री चन्दनमल बैद : जी नहीं । मैंने अप्रेल का नाम नहीं लिया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो फिर कौन से महीने का नाम लिया ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने किसी महीने का नाम नहीं लिया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब जानकारी मिली आपको ?

श्री चन्दनमल बैद : आप बोलिये मैं जवाब दे दूंगा । आप एक एक बात पूछते जायें और मैं जवाब देता जाऊं ऐसा नहीं हो सकता । आप बोलिये मैं जवाब दे दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने सदन में यह कहा कि अप्रेल के महीने में इस बात की जानकारी मिली ।

श्री चन्दनमल बैद : यह नहीं कहा है मैंने ।

श्री अध्यक्ष : 22 अप्रेल को स्पष्टीकरण कमिश्नर सेल्स टैक्स ने जारी किया····

श्री चन्दनमल बैद : 23 अप्रेल ।

श्री अध्यक्ष : 23 अप्रेल सही । उसके अनुसार जो कोई भी माल बाहर जायेगा चाहे वह किसान का हो या व्यापारी का हो उसके ऊपर 4 पर्सेन्ट की दर से सेल्स टैक्स लगेगा । तो उस दिन के बाद में फिर लागू हो जायेगा । फिर शिकायतों का कारण बना होगा । उसके बाद आपके पास शिकायतें आई और 2 जून को आपने उस शिकायत को रफा करवाया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय बता दें कि 23 अप्रेल का जो सरक्यूलर है इस सरक्यूलर के कारण से जो किसानों से टैक्स वसूल किया गया, 2 जून या 10 जून जो भी हो उस सरक्यूलर को आपने वापस लिया क्या उस तारीख से पहले आपको इस बात की जानकारी नहीं मिली थी कि इस प्रकार का टैक्स वसूल किया जा रहा है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि 23 अप्रेल को यह सरक्यूलर इश्यू हुआ । ज्यों ही मुझे माननीय सदस्यों ने शिकायत की मैंने कमिश्नर को कहा । उन्होंने 2 जून को एक सरक्यूरलर निकाला कि पेनल्टी लगाई जाये जिसके ऊपर सन्देह हो उस पर और किसानों से टैक्स वसूल नहीं किया जाये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री चन्दनमल बैद : आप जिस भाषा में चाहते हैं उस भाषा में नहीं बोलूंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 23 अप्रेल के इस सरक्यूलर की जानकारी मंत्री महोदय को कब मिली ?

श्री अध्यक्ष : यह बड़ा मुश्किल है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मुश्किल कैसे है ? अधिकारियों के लिए तो कह दिया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा वह तो ठीक है लेकिन आपकी जांच कौन करेगा ? जिस मंत्री को यह मालूम हो गया अप्रैल के महीने में कि मेरे आदेशों की तामील गलत ढंग से हुई, सरक्यूलर गलत निकला है और काश्तकारों से जबरन टैक्स वसूल किया जा रहा है वह अप्रैल के महीने में बैठे रहे, मई में चुप बैठे रहे और जून में वापस लिया सरक्यूलर को । तो सरकारी अधिकारी, जिन्होंने गलत ढंग से सरक्यूलर निकाला, उनके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हैं लेकिन इसकी नैतिक जिम्मेदारी को कौन वहन करेगा ? मैं समझता हूं कि नैतिक जिम्मेदारी आपकी है। आपको रेजिग्नेशन देना चाहिए। किसानों की लूट इससे अधिक हो नहीं सकती ।....

श्री चन्दनमल बैद : आप इस्तीफे के बड़े आदी हो गए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चन्दनमल जी, इस मामले में आप चाहे माननीय शिवचरण जी का ठप्पा लगवा लें या किसी का ले लें आपने किसानों की 50 लाख की लूट करवाई है और राजस्थान का किसान इसको सहन नहीं करेगा ।

एक माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। आर्डर, आर्डर । सूरजपाल सिंह ।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । श्री सूरजपाल सिंह ।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय मन्त्री महोदय ने जो स्टेटमेन्ट दिया है बड़ा घुमा फिरा कर दिया है। इन्होंने कहा कि हमने काश्तकारों के ऊपर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया है। 3 (2) में अमेन्डमेन्ट करके जो 4 पर्सेन्ट का सरक्यूलर निकाला, हर चैक पोस्ट के ऊपर इस सरक्यूलर को भेजा गया और 4 पर्सेन्ट का टैक्स वसूल किया जाने लगा । अब मन्त्री महोदय कहते हैं कि काश्तकारों के ऊपर किसी तरह का टैक्स नहीं था। अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी काश्तकार मौकमपुरा, रतनपुरा या मण्डोर की चैक पोस्ट से अपना उत्पादन, रायड़ा जीरा लेकर ऊंझा मण्डी में बेचने के लिए जाता है उस काश्तकार को पहले तो पटवारी से अपनी गिरदावरी रिपोर्ट तस्दीक करवानी पड़ती है कि यह मेरे खुद का उत्पादन किया हुआ है। फिर तहसीलदार से प्रमाणित कराना हुआ फिरे और फिर चैक पोस्ट वालों को क्या तकलीफ थी। उसके पास पटवारी और तहसीलदार का सारा सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी आज तक इस टैक्स को वसूल किया जबकि इस अमेन्डमेन्ट को करने से पूर्व उसे मालूम था जीरा ऊंझा मण्डी में नहीं जा रहा है या रायड़ा नहीं जा रहा है। 10 साल से जा रहा है और दस साल की क्या प्रक्रिया रही । 20 साल से जा रहा है या दस साल से जा रहा है तो प्रक्रिया यही थी कि पटवारी से और तहसीलदार से प्रमाणित करवाये । फिर सर-

(श्री सूरजपाल सिंह)

पंच का रखा था। फिर काश्तकार को परेशान करने के लिए तहसील तक के चक्कर लगवाये जाते थे और तहसीलदार से प्रमाणित कराके चैक पोस्ट से लेकर जाते थे। ऐसी स्थिति में मन्त्री महोदय को कहां शंका हो गयी कि काश्तकार का माल नहीं जाकर व्यापारी का माल जा रहा है? इतने प्रमाणों के बावजूद अगर यह कहा जाये कि माल जो ऊंभा मण्डी में गया है, दूसरे या तीसरे रास्ते से गया तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसान कभी चोरी नहीं करता। किसान तो लुट गया, पिट गया। 50 लाख का स्कैण्डल हो गया और उसी मौकमपुरा, रतनपुरा और मण्डोर की चैक पोस्टों से सारा माल गया है और उनकी एन्ट्रीज हैं आप आगे उठाकर देख लें। एक एक ट्रक की एन्ट्री है। आज ऊंभा की मंडी में जाकर सारी चीजों को देख लें कि माल कहां से गया और कौन से ट्रक्स से गया। सारा माल इन्हीं चैक पोस्टों से गया है। तो मैं कहता हूं कि आप स्टेटमेन्ट दे रहे हैं वह स्टेटमेन्ट गुमराह करने वाला है।

यह नीति आपकी बिलकुल नहीं थी। कई बार जन प्रतिनिधियों के कहने बावजूद भी निरन्तर यही जवाब दिया जा रहा है कि टैक्स इवेजन हो रहा है और व्यापारी किसान के नाम से ले जाकर बेच देते हैं। आपने किसानों को लूटकर कितना पैसा वसूल कर लिया, सिर्फ 34 हजार रुपया ही तो वसूल कर लिया आपने। मरवा दिया उनको। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, शुरू से डिपार्टमेन्ट की नेगलीजेन्स रही है। हमारे इतने होशियार फाइनेन्स मिनिस्टर होते हुए इतनी जबरदस्त नेगलीजेन्स कराके किसान को पिटवा दिया। इसकी उच्च स्तरीय जांच विधायकों की एक कमेटी से करवाई जानी चाहिए। यह अधिकारी कुछ निकालकर देने वाले नहीं हैं। यह 60 लाख के करीब का स्कैन्डल हुआ है, जन प्रतिनिधि जालौर वाले भी मिले, बाड़मेर वाले भी मिले। निरन्तर हम कह रहे हैं। अब हमारे पास कौनसी एजेन्सी है जिससे हम फिगर्स कलेक्ट करके दें बार बार यही कहते हैं कि आप फिगर्स लाकर दो। फिगर्स हम कहां से ला कर दें। फिगर्स तो अब सामने आ रहे हैं। सैशन आये तो फिगर्स आये बाकी तो हमारे पास एजेन्सी नहीं है जिससे हम फिगर्स कलेक्ट कर लें। तो यह स्कैन्डल हुआ है इसमें बड़ी नेगलीजेन्स सैल्स टैक्स कमिश्नर की है, बड़ी जबरदस्त इग्नोरेन्स है। जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ इन्क्वायरी की जानी चाहिए। मेरी यह मांग है कि इस हाउस की एक कमेटी नियुक्त की जाये जो ऊंभा मण्डी में जाकर इस चीज का पता लगाये कि कितना माल बाहर गया है और कितना टैक्स इवेजन हुआ है। यह भ्रमित करने के लिए है। आज एम० एल० एज० ने लिखकर दिया तब इस बात को माना गया। बाकी तो अभी तक यह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हमने कोई भूल की है। जब हम कोई बात कहते हैं तो मान क्यों नहीं लेते हैं। आज स्टेटमेन्ट दें रहे हैं पटवारी की गिरदावरी और तहसीलदार का प्रमाणपत्र, यह सब होने के अलावा भी पहले भी माल नहीं जाता था, फिर कहां से शंका हो गयी कि व्यापारी का माल जा रहा है यह तो एक भ्रमित करने वाला स्टेटमेंट है। इसमें जो भूल हुई है, डिपार्टमेट की इग्नोरेन्स से हुई है इसकी जांच होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैंने तो जांच की अथोरिटी दे दी।

श्री अध्यक्ष : एम. एल. एज. की एक कमेटी....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैंने सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : इनका सुझाव यह था कि इस सदन की एक कमेटी बनाकर जांच कराई जाय।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आप बना सकते हैं, मैं थोड़े ही बना सकता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय को अधिकार दे दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : दे दीजिये, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इस पर विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : और कुछ भी कहलवाना हो तो चन्दनमल जी तैयार हैं। सरकार ने अधिकार दिये हैं समिति बनाने के लिये आप कल बनायें, परसों बनायें, लेकिन आपको अधिकार मिल गये हैं।

श्री अध्यक्ष : इसके औचित्य को भी देखेंगे, सदन की कमेटी हो या नहीं हो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सदन की भावनाओं के प्रति ठीक नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, दूसरा इतिहास बनेगा।

एक माननीय सदस्य : आपने कौन कौनसी कमेटी बनाई थी ....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को करने से पहले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान कर दी जाय।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, सभी मामलों का है।

श्री अध्यक्ष : कौनसे विधेयक को पुरःस्थापित करवाना चाहते है ?

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री प्रद्युम्न सिंह : राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिये अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, दो विधेयक पुरःस्थापित किये जायं।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(व्यवधान)

एक मिनट लगेगा, साहब।

एक माननीय सदस्य : आपका तो कहीं है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित तो सिविल सेवा वाला होगा।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : डिबेट नहीं होगी। परिनियत संकल्प है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11–00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8–24 बजे मंगलवार दिनांक 14 सितम्बर, 1982 के म. पू. 11–00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 168 की तालिका

नया बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम

जिला—उदयपुर **भौतिक लक्ष्य एवं प्रगति** माह : अगस्त, 1982

क्र. सं.	मद एवं कार्यक्रम	इकाई	जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य	प्रगति: संदर्भित माह के अन्त तक	प्रगति: संदर्भित माह के अन्त तक	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7
1	**अधिक सिंचाई अधिक उपज**					कुण्डली तालाब द्वारा
	(क) सिंचाई	है०				
	1. नहरों द्वारा		701	120	120	भू.वि. बैंक 32
	2. कुओं द्वारा		550	68	387	मू.ज. वि. 6

Page No 229

229

1	2	3	4	5	6	7
	(ख) अन्न उत्पादन	टन				
	(1) उपज					
	(अ) खरीफ		217.7	—	—	
	(ब) रबी		183	—	—	
	(2) क्षेत्रफल					
	(अ) खरीफ		223	66·390	213·150	
	(ब) रबी		125	—	—	
	(3) संकर बीज वितरण	क्विं.				
	(अ) खरीफ		3207.9	669	2855	
	(ब) रबी		7000	—	—	
	(4) उर्वरक	टन				
	(अ) खरीफ	2373	165.61	1252.91		
	(ब) रबी		3	—	—	
	(5) ऋण,	लाख रु. में				
	(क) अल्पकालीन		400.00	11.57	180.77	सी०सी०बी०
5	(ख) मध्यकालीन		63.00	0.21	4.69	
	(6) ड्राईफार्मिंग क्षेत्र में वृद्धि	हे०	—	—	18.760	कांकरोली क्षेत्र में

1	2	3	4	5	6	7
2. दलहन दुगनी—तिलहन तिगुनी						
	(क) दलहन	टन				
	(ख) खरीफ		16.25	—	—	
	(ग) रबी		34.8	—	—	
(II)	क्षेत्रफल	हे०				
	(अ) खरीफ		31.25	11.800	36.800	
	(ब) रबी		34.00	—	—	
(III)	बीज वितरण	क्वि.				
	(अ) खरीफ		172.4	111.50	235.50	
	(ब) रबी		400	—	—	
(IV)	राईजानियमकल्चर					
	(अ) खरीफ	सं.	3470	—	2635	
	(ब) रबी	सं.	400	—	—	
(V)	पौध संरक्षण	सं.				
	(अ) खरीफ		6800	6430	11368	
	(ब) रबी		10800	—	—	

Page No 231

231

1	2	3	4	5	6	7
(VI)	प्रदर्शन	सं.				
	(अ) खरीफ		830	193	436	
	(ब) रबी		400	—	—	
(ख)	तिलहन					
(1)	उपज	टन				
	(अ) खरीफ		6.6	—	—	
	(ब) रबी		1.0	—	—	
(II)	क्षेत्रफल	है.				
	(अ) खरीफ		17	8.500	18.600	
	(ब) रबी		3	—	—	
(III)	बीज वितरण					
	(अ) खरीफ		68	28	578	
	(ब) रबी		80	—	—	
(IV)	मूंगफली में फास्फेटिक आदि का प्रयोग					
	(अ) क्षेत्रफल	है.	1400	10	1700	
	(ब) मात्रा	टन	60	6.72	69.22	
(V)	पौध संरक्षण					
	(अ) खरीफ	है.	7.3	3.642	4.642	
	(ब) रबी		2.00	—	—	
(VI)	प्रदर्शन					
	(अ) खरीफ	सं.	3	20	45	
	(ब) रबी		—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7
	(6) पिछड़े को पहले (क) एकीकृत ग्राम विकास योजना लाभान्वित परिवार	संख्या				
	अनुसूचित जाति परिवार		1980	94	213	
	अनु. जन जाति परिवार		4268	111	379	
	कुल परिवार		10800	271	835	
	(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना					
	(i) कार्यों का चयन	संख्या				
	(2) रोजगार मुहैया किया मानक	मानव श्रम दिवस				
4.	भूमिहीन को भूमि					
	(अ) शेष सरप्लस भूमि का कब्जा लिया	एकड़	213	—	319.1	

1	2	3	4	5	6	7
	(ब) सरप्लस भूमि का बिना नाम आंवटन	एकड़				
	(स) अन्य उपयोग के प्रस्ताव					
5.	कृषि मजदूरी पूरी पूरी		जिले के लिये लक्ष्य नहीं			क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त द्वारा आदेशों की प्रति तहसीलदार/वि. अ. को भेज दी गई है।
6.	बन्धक मुक्ति					
	(अ) बन्धक श्रमिकों की शिनाख्तगी	संख्या	—	—	1	
	(ब) बन्धक से मुक्त किये गये	संख्या	—	—	1	ग्राम वि. द्वारा श्री जीवा गमती को मुक्त कराया गया एवं पुनर्वास हेतु अनुदान
	(स) मुक्त श्रमिकों का पुनर्वास					
	(1) संख्या		—	—	1	दिया गया श्री जीवा 500 च. श्रेणी में नियुक्त कराया गया।
	(2) धनराशि		—	—		

1	2	3	4	5	6	7
7.	हरिजन, गिरिजन विकास					
	(क) अनुसूचित जाति परिवार	संख्या	3618	276	972	एस. सी. 500 एस.टी. 6850 प्रा. पत्र तैयार कराये गये बजट अभी प्राप्त होने से छात्रवृत्ति नवम्बर तक स्वीकृत की जायेगी।
	(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति	संख्या	2500	—	—	
	(ग) अनुसूचित जनजाति परिवार	संख्या	8420	1370	4707	
	(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास बस्तियों की	संख्या				
	(1) विजली		65	10	10	
	(2) पीने का पानी		325	36	138	जि. ख. 33 न. स. 25 ह.प. 80
8.	पीने का पानी (ग्राम लाभान्वित)	संख्या	325	36	138	
9.	**गरीब को छप्पर**					
	(क) खण्ड वितरण	संख्या	14000	3694	3694	नींव तक मठोड तक
	(ख) मकान (1) पूर्ण	संख्या	1020	—	—	119 70

1	2	3	4	5	6	7	
	(2) निर्माणाधीन	संख्या		189	189	1000 मकानों के निर्माण हेतु 7.50 लाख की अनुदान राशि पं.स. को हस्ता. की गई।	
10. गन्दी बस्ती सुधार							
	(क) लाभान्वित व्यक्ति	संख्या	2000	277	1865	न.प. 1.588	
	(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास (मकान)	संख्या	—	302	302	यू.आई.टी. 277	
11. गांवों में उजाला							
	(क) गांवों में उजाला (ग्राम)	संख्या	92	6	6		
	(ख) कुओं पर बिजली	संख्या	600	4	28		
12. जंगल में मंगल						म. वन	10.13
						"	2.25
	(क) वृक्षारोपण	लाखों में	27.71	12.86	23.31	प्रतापगढ़	0.82
	(ख) गोबर गैस संयंत्र					अजमेर	1.00
	(अ) पूर्ण	संख्या	300	21	72	शैल्टर बैल्ट	5.54
	(ब) निर्माणाधीन	संख्या		53	104	"	2.42
						वि. कार्य	0.80

1	2	3	4	5	6	7
13.	छोटा परिवार					
	(क) स्टरलाइजेशन	संख्या	13900	1182	3582	चित्तौड़ 0.35
	(ख) आई.यू.डी.	संख्या	4200	—	450	योग 23.31
14.	सब स्वास्थ्य					
	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार					
	(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोनयन	संख्या	1	—	—	प्रा.स्वा.के. का निर्माण हो चुका है राज्य सरकार की स्वीकृति शेष।
					—	
	(II) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	—			
	(III) सहा. स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	1	—		एम.ओ. द्वारा प्रस्ताव मांगे गये हैं
	(IV) उपकेन्द्र	संख्या	22	—	11	
	(V) स्वास्थ्य प्रदर्शन	संख्या	750	—	140	
	(स) रोग चिकित्सा	संख्या	100	38	52	अन्धापन निवारण हेतु
	(II) क्षय रोग		2300	781	1008	अन्धापन निवारण हेतु

1	2	3	4	5	6	7
	(III) अन्धापन		1000	—	398	सितम्बर में मावली एवं अक्टूबर में भाडोल में कैम्प आयोजित होंगे
15.	मातृ शिशु कल्याण (क) पोषाहार कार्यक्रम					
	(अ) मध्यान्ह भोजन	संख्या	62800	41808	41808	(एस. सी) 9746
	(ब) पोषाहार	संख्या				(एस. टी) 17307 अन्य 14755
	(1) विशेष पोषाहार	संख्या	56850	32263	32263	एस. सी 6023
	(2) विश्व खाद्य कार्यक्रम			5000	5000	एस. टी 19686 अन्य 6554
	(3) पूरक पोषाहार		72800	44535	44535	एस. सी. एस. टी
	ख–समग्र ग्राम विकास लाभा.	संख्या	20000	3000	3000	7563 17823 अन्य 19152

327

1	2	3	4	5	6
16.	सब साक्षर क–नामांकन	000 में			
	(1) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग		214.7	194.8	194.8
	(अ) छात्र			144.058	
	(ब) छात्राएं			50.735	
	(2) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग		54.38	49.27	49.27
	(अ) छात्र			38.701	
	(ब) छात्राएं			10.565	
	ख—अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	000 में		0.252	0.252
	(अ) छात्र			4.7	4.7
	(ब) छात्राएं			2.2	2.2
	ग—प्रौढ़ शिक्षा				
	(1) केन्द्र	संख्या 000 में		7	264

1	2	3	4	5	6	7
	(2) लाभा.	000 में	9.00	860	6980	
17.	घर घर राशन उचित मूल्यों की दुकानें	संख्या				
	(1) ग्रामीण क्षेत्र		24	9	13	
	(2) नगरीय क्षेत्र		73	40	24	
18.	ग्रामीण उद्योग क–छोटे उद्योग		350	17	68	172 केसेज तैयार किये
	ख–ग्रामीण उद्योग	650		—	—	बजट के अभाव में कार्य रुक रहा है।
	ग–कारीगरों को रोजगार	641		138	242	
	घ–हाथकर्घा नये	25		—	26	युवकों को ट्राइसम में प्रशिक्षण दिया गया
19.	काले धन की रोकथाम					
20.	उत्पादकता					

परिशिष्ट 2 •

तारांकित प्रश्न संख्या 16• की सूचियां

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GR. I) DEPARTMENT

No. F. 21 (76) Rev.-I/79 Dated, Jaipur, the 14-5-79.

To,

The Commissioner,
Devesthan Department,
Rajasthan, Udaipur.

Sub :—**Meeting to review tbe working of the Department.**

Sir,

I am directed to refer to your letter No. F. 8(2) Gen/Dev/78 2067 dated the 9th Feb., 1979 on the above subject and to say that the view of the Collector Udaipur does not seem to be correct as far as question of taking action against trespassers in respect of land belonging of temples owned and managed by Devesthan Department is concerned. As per defination of land given in section 103 of the Rajasthan Land Revenue Act, land as defind in clause 24 of Section 5 of Rajasthan Tenancy Act is also included in the defination of land for the purpores of Chapter 6 of the Land Revenue Act. According to Section 91 of the Land Revenue Act any person who occupies or continue to occupy land without lawful authority shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted therefrom by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed. The land vesting in the temples owned by Devesthan Department is for all purposes land owned by the Government and there should not be any difficulty in taking action under section 91 in respect of such land.

As far as the question of the land belonging to the temples which are not owned by Devesthan Department is concerned, the action

(241)

under section 91 cannot be taken and for removal of trespass over such land recourse to provision of section 183 of the Rajasthan Tenancy Act shall have to be taken. For such type of land, you should advise the management of the temple concerned to take action accordingly.

Yours faithfully,
Sd-
Deputy Secretary to Government.

Copy forwarded to the Collector, Udaipur for information and necessary action.

Sd-
Section Officer.

कार्यालय जिलाधीश कोटा

क्रमांक एफ 2 ( ) राजस्व ।81।15260-88 दिनांक 9-12-81

प्रेषित—

समस्त तहसीलदारान (मय सी. ए. डी. तहसीलदार)
लाडपुरा, दीगोद, इटावा, अन्ता नायब तहसीलदार,
हन्ती, इन्द्रगढ़ ।

विषय—मंदिरों की जमीनों पर अनधिकृत व्यक्तियों का कब्जा पाये जाने पर धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के क्रम में ।

उपरोक्त सन्दर्भ में लेख है कि माफी मन्दिरान की भूमि पर अधिकृत पुजारी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का कब्जा (अतिक्रमण) हटाने के सम्बन्ध में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन कार्यवाही करने के लिये आयुक्त देवस्थान विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2 सामान्य-देव ।81।18778, दिनांक 20–11–81 से स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुकी है। इस सम्बन्ध मे देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिरों की कृषि भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की जा सकती है क्योंकि तहसीलदार लैण्ड होल्डर है। राजस्व मण्डल के निर्णय (राजस्थान सरकार बनाम लाडू 1979 आर. आर. डी. 283) के अनुसार मंदिरों की मूर्तियाँ शस्वत अव्यस्क हैं और पुजारी एवं प्रबन्धक मूर्ति के सेवक है। पुजारियों व प्रबन्धकों का यह दायित्व है कि मदिरों की सम्पदा को सुरक्षित रखें यदि कोई पुजारी अथवा प्रबन्धक द्वारा मंदिर की सम्पदा को बिना स्वीकृति क्रय अथवा अन्य प्रकार से अवैध हस्तांतरण कर दिया गया है तो ऐसा हस्तान्तरण अवैध होगा तथा ऐसा व्यक्ति (क्रेतादार) अतिक्रमी माना जावेगा।

राज० काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 6 (24) के अनुसार भूमि की परिभाषा में मंदिरों की कृषि भूमि भी आती है। इसलिये उक्त भूमि के सम्बन्ध में भी राज० भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अध्याय 6 के प्रावधान लागू हैं। इस अध्याय की धारा 91 के अनुसार यदि किसी भूमि पर कोई अवैध रूप से काबिज है तो वह भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 6 (44) के अधीन अतिक्रमण माना जायेगा। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णयो में भी मन्दिरों की कृषि भूमि को पुजारियों द्वारा अवैध हस्तान्तरण करने पर अवैध माना है और उस भूमि पर काबिज व्यक्ति को अतिक्रमी करार दिया गया है।

243

अतः उपरोक्त स्थिति काफी स्पष्ट की जा चुकी है। अब आप ऐसे अवैध हस्तांतरणों के सम्बन्ध में तुरन्त जांच करके इस पर काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर दें। इस सम्बन्ध में जांच से पाये गये मामलों की संख्या शीघ्र इस कार्यालय को भिजवायें।

इस आदेश की पालना कठोरता से की जाये। यदि कोई गफलत पाई गई तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

ह०/-
(परमेश चन्द)
जिलाधीश, कोटा।

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 170 की सूची

	जिले का नाम	अध्यापक का नाम	पदस्थापन स्थान जहां से स्थानान्तरण किया गया	जहां स्थानान्तरण	जिले में	राज्यादेश से स्थानान्तरण जिले के बाहर
	1	2	3	4	5	6
1.	कोटा	1. श्री नन्दकिशोर गुप्ता, व्याख्याता	भवानी मण्डी, कोटा	गुमानपुरा, कोटा	जिले में	
		2. श्रीमती भुवनेश्वरी देवी, स. अ.	बारां, कोटा	कोटा शहर	जिले में	
2.	जोधपुर	1. श्रीमती अरूणा शर्मा, व्याख्याता	जयपुर	जोधपुर (रिक्त पद पर)		जिले के बाहर
3.	उदयपुर	1. श्रीमती दुर्गा भनोत, स. अ.	कोटड़ा (उदयपुर)	उदयपुर शहर	जिले में	
		2. सज्जनसिंह मेहता, प्र. अ.	रा. मा. वि., छानी (उदयपुर)	कंवरपदा उ. मा. वि उदयपुर शहर	जिले में	

245

	1	2	3	4	5	6
4.	श्रीगंगानगर	1. श्री रोहितास कुमार, स. अ.	कछवाना, गंगानगर	डाबडी मीरानी (गंगानगर)	जिले में	
5.	अजमेर	1. श्रीमती शैल माथुर, प्र. अ.	ए. न. बी. डी., जयपुर	अजमेर शहर		जिले के बाहर
		2. श्री गणपतलाल पारासर, प्र. अ.	सादुलशहर (गंगानगर)	अमरसर (जयपुर)		जिले के बाहर
6.	चूरू	1. श्रीमती सत्या शर्मा	कोशीथल (उदयपुर)	बिग्गा (चूरू)		जिले के बाहर
7.	जयपुर	1. श्री सूर्यनारायण शर्मा	रा.उ.मा.वि. बावाई (झुंझुनू)	रा. उ. मा. वि, बिचून (जयपुर)		जिले के बाहर
		2. श्री रामेश्वरलाल सैनी, स. अ.	मा.वि. हरसाला (कोटपूतली)	जयपुर शहर	जिले में	
		3. श्रीमती रेखा श्रीमाल, स. अ.	मूण्डवा (पाली)	जयपुर शहर		जिले के बाहर
		4. श्री विजय गोयल	पलसाना (सीकर)	जयपुर जिले में (रिक्त)		जिले के बाहर
		5. श्रीमती उषा कपूर	बांसखो (जयपुर)	जयपुर शहर	जिले में	
		6. श्रीमती जगदीश भाटी, पी.टी.आई.	37, कैनाल पार्क (गंगानगर)	जयपुर शहर		जिले के बाहर
		7. श्री ओमप्रकाश शर्मा	गांधीनगर, जयपुर	पोद्दार स्कूल, जयपुर	जिले में	

Page No 246

246

1	2	3	4	5	6
		8. श्री द्वारकेश भारद्वाज समन्वय प्रसार सेवा	टी.टी. कालेज, अजमेर	जयपुर शहर	जिले के बाहर
		9. श्री भगवत स्वरूप माथुर, प्र. अ.	रा.मा.बि. भैंसावा (जयपुर)	नायला (जयपुर)	जिले में
		10. श्री सी. वी. श्रीवास्तव, प्र. अ.	रा.मा.वि., दौसा	सिरसी (जमपुर)	जिले में
		11. श्री गरणेशनारायण शर्मा, प्र. अ.	रा.उ.मा.वि. अमरसर (जयपुर)	रा.उ.मा.वि. पावटा (जयपुर)	जिले में
		12. श्री शिवनन्दनलाल माथुर, प्र. अ.	रा.उ.मा.वि., राडावास	रा.उ.मा.वि. सांगानेर (जयपुर)	जिले में
		13. श्री मदनलाल शर्मा, प्र. अ.	रा.उ.मा.वि., लालगढ़ जाटान (गंगानगर)	रा.उ.मा.वि. राडावास (जयपुर)	जिले के बाहर
		14. श्री प्रतीमसिंह प्र. अ.	रा.उ.मा., अजमेर	रा.उ.मा.वि., बस्सी, जयपुर	जिले के बाहर
8.	टौंक	1. श्री राजेश प्रसाद माथुर	रा.उ.मा.वि., टौंक	रा.उ.मा.वि., नगरफोर्ट टौंक	जिले में

(247)

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 173 की सूची

वन विभाग के अधीन जिला जैसलमेर व बाड़मेर में रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	रिक्त पदों का नाम	रिक्त पदों की संख्या	
		जिला जैसलमेर में	जिला बाड़मेर में
1.	सहायक वन संरक्षक	1	—
2.	नायब तहसीलदार	1	—
3.	क्षेत्रीय	—	2
4.	लेखाकार	1	1
5.	कनिष्ठ लेखाकार	2	—
6.	वरिष्ठ लिपिक	4	—
7.	वरिष्ठ लिपिक कम स्टेनो	—	1
8.	कनिष्ठ लिपिक कम स्टेनो	1	—
9.	कनिष्ठ लिपिक	2	—
10.	वनपाल	17	5
11.	सहायक वनपाल	1	—
12.	वायरलैस तकनीशियन	1	—
13.	वायरलैस आपरेटर्स	10	—
14.	अमीन	2	2
15.	ट्रेसर	—	1
16.	ट्रेक्टर गार्ड	—	1
	योग :	43	13

(248)

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सकें तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

ग्राम भोजपुरा (जयपुर) की भूमि में भू-खण्डों का आवंटन

175. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) व **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) :–क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:---

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भोजपुरा, तहसील जयपुर की भूमि खसरा नं. 202 से 210, 204/503, 210/504 अवाप्त की जाकर अप्रेल, 1971 में नगर विकास न्यास के अधिकार में ले ली गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस भूमि के मुआवजे की राशि का भुगतान भूमि के मालिक को कर दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि इस भूमि में अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति ने भू-खण्डों का अनधिकृत रूप से विक्रय किया है ? यदि हां, तो कब और किन-किन को ? कृपया तालिका सदन के पटल पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री ने इन भू-खण्डों के आवंटन तथा इन भू-खण्डों में हो रहे अवैध निर्माण कार्य को नियमित करने हेतु नगर विकास न्यास को आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो इस कार्यवाही का कानूनी आधार क्या है ?

उत्तर

(1) ग्राम भोजपुरा व सुदर्शनपुरा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 202 से 210 भूमि को अवाप्ति की जाकर कब्जा दिनांक 6/4/71 को प्राप्त किया जाकर नगर विकास न्यास को सौंपा जा चुका है एवं खसरा नम्बर 204/503, 210/504 की अवाप्ति की कार्यवाही जारी है ।

(2) जी नहीं, नगर विकास न्यास से खसरा नम्बर 202 से 210 की भूमि के मुआवजे की राशि का चैक भूमि अवाप्ति अधिकारी को प्राप्त हुआ था किन्तु समय पर सम्बन्धित खातेदार द्वारा मुआवजा प्राप्त नहीं करने पर भूमि अवाप्ति अधिकारी ने मुआवजा राशि का चैक नगर विकास न्यास जयपुर को उनके पास सुरक्षित रखने हेतु वापस लौटा दिया । शेष भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है ।

(3) जी हां । अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वर्ष 1981 में इस भूमि में से भूखण्ड काट कर 24 सदस्यों को आवंटन किया गया है । तालिका सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(4) जी नहीं ।

Page No 249

अपोला नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. द्वारा ग्राम भोजपुरा खसरा नं. 202 से 211, 204/503, 202/504 की भूमि में भूखण्डों के आवंटियों की सूची :—

क्र.सं.	नाम सदस्य	पिता/पति का नाम	भू. सं.	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
1.	दुर्गासिंह	पुत्र श्री राम सिंह	1	577–70
2.	जयनारानण	बन्सी लाल व्यास.	2	,,
3.	श्यामसिंह	ईश्वर सिंह राजपूत	3	,,
4.	भवानी सिंह	दानसिंह राजपूत	4	,,
5.	बाबूलाल	डाबर राम सीखा	5	,,
6.	करण सिंह	रामकुंवर सिंह	6	,,
7.	प्रताप सिंह	रूपसिंह गूजर	7	,,
8.	श्रीमती स्नेहलता	लालचन्द	8	
	श्री गोविन्द कुमार	बिहारी लाल		533–33
9.	प्रेमराम	हरलाल विश्नोई	9	353–33
10.	बाबू लाल	कशनराम विश्नोई	10	371–70
11.	कन्हैया लाल	पुखराज मेहता	11	293–30

1	2	3	4	5
12.	महादाराम	पुत्र श्री करणा राम	12	295–70
13.	भारत प्रकाश	जवीरी लाल	13	196–00
14.	गोविन्द सिंह	गोकुल सिंह	14	206–20
15.	मोहन लाल	जगन्नाथ	15	358–00
16.	ज्ञान चन्द	सूरजमल	16 से 18	636–33
17.	रामस्वरूप	मंगल चन्द्र कुमावत	19	325–00
18.	भंवर लाल	राम किशन	20	370–00
19.	रामकिशन	मंगल चन्द्र	21	525–66
20.	श्रीमती गोरा	पत्नी श्री राम किशन	22	380–00
21.	मंगल चन्द	पुत्र श्री टेका राम	23	300–00
22.	चन्दालाल	मंगल चन्द	24	390–00
23.	दीन दयाल	बद्री नारायण	25 से 27	593–54
24.	धर्म चन्द	श्री राम प्रसादजी	28, 29	282–33

Page No 251

251

जिला उदयपुर में सर्पेन्टाइन स्टोन के खनन हेतु आदिवासियों को पट्टे

176. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में सोप स्टोन मिनरल के मेजर क्षेत्र में आदिवासियों को सर्पेन्टाइन स्टोन के खनन पट्टे नहीं दिये जाते हैं जबकि दोनों मिनरल अलग-अलग हैं ?

(2) क्या माइन्स चलाने हेतु सड़क एवं औजार खरीदने हेतु आदिवासियों को ऋण दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन्हें ऋण देने का इरादा रखती है ?

(3) जिला उदयपुर व डूंगरपुर में गत 3 वर्ष में कितने आदिवासियों द्वारा खनन पट्टों के लिये आवेदन किया गया था और कितनों को पट्टे दिये गये ? जिनको पट्टे नहीं दिये गये कृपया उनकी सूची पट्टे नहीं देने के कारण सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सोप स्टोन के लिए स्वीकृत क्षेत्रों में सर्पेन्टाइन खनिज के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रथम पट्टाधारी को लिखा जाता है कि यदि वे सर्पेन्टाइन का पट्टा लेना चाहे तो निश्चित अवधि, जो पत्र में अंकित होती है, में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें। यदि पट्टाधारी से इस अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता तो सर्पेन्टाइन के लिये प्राप्त आवेदन को विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाता है।

(2) जी हां। खनिज विभाग "लघु खनन पट्टाधारियों को ऋण" स्कीम के अन्तर्गत बजट प्रावधानों के अनुसार खानों के विकास के लिये ऋण स्वीकृत करता है।

(3) वर्ष 79-80, 80-81, व 81-82 में आदिवासियों से उदयपुर व डूंगरपुर जिले में क्रमशः कुल 100 व 33 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से क्रमशः 29 व 5 स्वीकृत किये गये व 3 अभी विचाराधीन हैं। जिन आवेदकों को पट्टे स्वीकृत नहीं किये उनकी वर्षवार सूची संक्षिप्त में स्वीकृत न करने के कारणों सहित संलग्न परिशिष्ट क-1, क-2 व क-3 पर दी गई है।

परिषिष्ट क–1

वर्ष 1979–80

क. सं.	नाम आवेदक	जिला	विशेष विवरण
1.	श्री छोगालाल आदिवासी	उदयपुर	सीमांकन कराने में असमर्थ।
2.	श्री हेमराज कठारा	,,	,,
3.	श्री आशा गमेती	,,	,,
4.	श्री रूपा मीणा	,,	न्यूनतम क्षेत्र से कम होने के कारण।
5.	श्री आशा गमेती	,,	क्षेत्र लेने के इच्छुक नहीं।
6.	श्री सवा गमेती	,,	सीमांकन शुल्क जमा न कराने हेतु।
7.	श्री गागा पिता हुरमा गमेती	,,	क्षेत्र लेने के इच्छुक नहीं।
8.	श्री पन्नालाल मीणा	,,	न्यूनतम क्षेत्र से कम होने के कारण।
9.	श्री नाथू गमेती	,,	सीमांकन कराने में असमर्थ।
10.	श्री केसुलाल गमेती	,,	सीमांकन शुल्क जमा नहीं कराने से।
11.	श्री वेलचन्द्र मीणा	,,	,,
12.	श्री कचरालाल डांगी	,,	प्राथमिकता अन्य के पक्ष में निर्धारण होने से।
13.	एजन	एजन	एजन
14.	श्री केरिंग मीणा	एजन	एजन

क्र. सं.	नाम आवेदक	जिला	विशेष विवरण
15.	एजन	एजन	एजन
16.	श्री कालू भील	,,	,,
17.	श्री नन्दराम/पन्नालाल गमेतीउदयपुर(राजसमन्द)सीमांकन शुल्क जमा न कराने से।		
18.	श्रीमती साधना कुमारी मीणा सिघा मीणा टपाणा।	,, ,,	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29/10/79 के तहत स्वत: अस्वीकृत
19.	श्री नाना/चेना भील प्रेमपुरा	,, ,,	,,
20.	श्री लालू चेना/ भील सादुलखेड़ा	,, ,,	,,
21.	श्री तुलसी/नवला भील वलाई	,, ,,	,,
22.	श्री नाथू/केनाजी गमेती, रामा	,, ,,	,,
23.	श्री गोवर्धन/हरिया गमेती, नाथद्वारा	,, ,,	प्राथमिकता में नहीं आने से।
24.	श्री भोडीराम/परथाजी भील	,, ,,	,,
25.	श्री कालू/चतर भील	,, ,,	,,
26.	श्री लाल/रामजी भील	,, ,,	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29/10/79 के तहत स्वत: निरस्त

डूंगरपुर

इस वर्ष में किसी भी आदिवासी का खनन पट्टे के लिए आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

Page No 254

(254)

परिशिष्ट-2 क

वर्ष 1980—81

क्र.सं.	नाम आवेदक	जिला	विशेष विवरण
1	2	4	3
1.	श्री चुनीलाल मीणा	उदयपुर	सीमांकन नहीं होने से।
2.	श्री भेरा गमेती	,,	आवेदक लेने का इच्छुक नहीं है।
3.	श्री किशन लाल मीणा	,,	विभागीय नीति के अनुसार
4.	श्री कन्ना मीणा	,,	अस्वीकृत किया गया।
5.	श्री गभाना मीणा	,,	विभागीय नीति के अनुसार अस्वीकृत किया गया।
6.	श्री चमनीया मीणा	,,	,,
7.	श्री डुंगा मीणा	,,	,,
8.	श्री रघुवीरसिंह मीणा	,,	वन आरक्षित क्षेत्र में गिरने से।
9.	श्री भेरा पिता दौला भील	(राजसमन्द)	राज्यादेश दि० 29-10-79 के अनुसार डेलिनेटेड प्लान बनाकर ही पट्टे आवंटन किये जाने के कारण।
10.	श्री दल्ला पिता कजोड़ भील	,,	सीमांकन शुल्क जमा न होने के कारण।
11.	श्री वर्धा पिता चमना भील	,,	राज्यादेश दि० 29-10-79 के अनुसार डेलिनेटेड प्लान बनाकर ही पट्टे आवंटन किये जाने के कारण।
12.	श्री धुला पिता भीमा भील	,,	,,

1	2	3	4
13.	श्री भेरा पिता मोड़ा भील	उदयपुर (राजसमन्द)	प्राथमिकता में न होने के कारण।
14.	श्री लक्ष्मा पिता अम्बू भील	,,	,,
15.	श्री तंगा काना भील	,,	,,
16.	श्री गणेश कालूजी भील	,,	,,
17.	श्री गासी पिता काना भील	,,	,,
18.	श्री खेमराज पिता भेरा भील	,,	,,
19.	एजन	,,	एजन
20.	एजन	,,	,,
21.	श्री रामा पिता काना भील	,,	,,
22.	श्री नाथु केसा गमेती	,,	सीमांकन हेतु उपस्थित न होने से।
23.	श्री रोड़ा पिता अमरा भील	,,	राज्यादेश दि. 29-10-79 के अनुसार डेलिनेटेड प्लान बनाकर पट्टे आवंटन करने के कारण।
24.	श्री भंवरलाल पिता नानाजी भील	,,	आवेदित क्षेत्र में मार्बल होने के कारण।
25.	श्री चुन्नीलाल पुत्र बुजाजी मीणा	डूंगरपुर	प्रधान खनिज के धृत क्षेत्र में होने से।
26.	श्री हकरा पिता कुरियरजी मीणा	,,	वन विभाग के आरक्षित क्षेत्र में होने से।
27.	श्री हीरालाल पुत्र पुजाजी मीणा	,,	स्वयं के नहीं चाहने से।
28.	एजन	,,	वन विभाग के आरक्षित क्षेत्र में होने से।
29.	श्री वेजचन्द पुत्र मनजी भील	,,	एजन

(257)

1	2	3	4
30.	श्री लक्ष्मण कुमार पुत्र सवाजी	डूंगरपुर	एजन
31.	श्री धनेश्वर पुत्र पूजाजी	,,	वन विभाग के आरक्षित क्षेत्र में होने से।
32.	श्री चुन्नीलाल पिता हरनाथसिंह	,,	,,
33.	श्री महेश पुत्र माणकलालजी	,,	,,
34.	श्री माणकलाल पिता उदाजी	,,	,,
35.	श्री पूजाजी पिता नगीनराम	,,	,,
36.	श्री नाथुलाल पुत्र कचराजी	,,	स्वयं के नहीं चाहने से।
37.	एजन	,,	एजन

257

परिशिष्ट–क 3

वर्ष 1981–82

क्र.सं.	नाम आवेदक	जिला	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	श्री जीवा गमेती	उदयपुर	सीमांकन शुल्क जमा नहीं होने से।
2.	श्री पूजा मीणा	,,	क्षेत्र रिक्त न होने से।
3.	श्री वला मीणा	,,	आवेदक की मृत्यु होने से।
4.	श्री भेरा मीणा	,,	क्षेत्र लेने का इच्छुक न होने से।
5.	श्री हजारीमल मीणा	,,	क्षेत्र प्रधान खनिज क्षेत्र में होने से।
6.	श्री सोमा मीणा	,,	आवेदित क्षेत्र में खनिज ब्लाक बनाने हेतु उपलब्ध होने से।
7.	श्री मानिया मीणा	,,	सीमांकन कराने में असमर्थ।
8.	एजन	,,	क्षेत्र लेने का इच्छुक नहीं।
9.	श्री गौतमलाल मीणा	,,	,,
10.	श्री हुकमीचन्द मीणा	,,	न्यूनतम क्षेत्र होने के कारण।
11.	श्री दौला पिता गोमाजी भील	,, (राजसमन्द)	राज्यादेश दि. 29-10-79 के तहत् डेलिनेटेड प्लान बनाकर आवंटन करने।
12.	श्री लक्ष्मीराम पिता एक भील	,,	,,
13.	श्री लक्ष्मी पिता अम्बूजी भील	,,	,,
14.	श्रीमती उषा मीणा	,,	राज. उ. न्या. जोधपुर के स्थगन आदेश के कारण लम्बित।
15.	श्री डालचन्द पिता हरिराम भील	,,	,,
16.	श्री तुलसीराम पिता डेका भील	,,	,,
17.	श्री रोडा जैताजी भील	,,	राज्यादेश दि. 29-10-79 के अनुसार आवंटन करने के कारण।

1	2	3	4
18.	श्री गमना पिता किशना भील	उदयपुर (राजसमन्द)	राज. उ. न्या. के आदेश के कारण लम्बित।
19.	श्री लख पिता अम्बू भील	,,	,,
20.	श्री वरधा पिता श्री भोला भील	,,	,,
21.	श्री रामा दल्ला भील	,,	आवेदित क्षेत्र में मार्बल होने से।
22.	श्री विधायासागर	डूंगरपुर	स्वयं के नहीं चाहने से।
23.	श्री चुन्नीलाल	,,	,,
24.	श्री हुरमा पिता काना	,,	,,
25.	श्री चुन्नीलाल पिता पूजाजी मीणा	,,	प्र. खनिज के घृत क्षेत्र में।
26.	श्री हीरालाल पुत्र पूजाजी मीणा	,,	,,
27.	श्री ताराचन्द पुत्र लालूजी मीणा	,,	वन विभाग में होने से।
28.	श्रीमती पन्नादेवी पत्नी नाथुलाल	,,	,,
29.	श्री कंकुदेवी पत्नी हीरालाल	,,	क्षेत्र रिक्त नहीं है।
30.	श्री नाथुलाल पिता कचराजी	,,	वन विभाग में होने से।
31.	श्री उदयराम पिता सवाजी मीणा	,,	,,
32.	श्री चुन्नीलाल पिता पूजाजी	,,	,,
33.	श्री हरिश चन्द्र पुत्र विजयपाल	,,	,,

जिला भरतपुर में राहत कार्य

178. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सरकार द्वारा 1-4-1981 से 31-7-1982 तक अकाल राहत कार्यों पर कुल कितनी धन राशि व्यय की गई है ? कृपया व्यय की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) भरतपुर जिले में वर्ष 1981-82 में व 1982-83 में कितने टैस्ट वर्क्स प्रारम्भ किये गये ? यदि नहीं किये गये, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1-4-1981 से दिनांक 31-7-82 तक अकाल राहत कार्यों पर कुल 11497.92 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई है। व्यय की जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1981-82 में माह अक्टूबर में वर्तमान धौलपुर जिले के क्षेत्र सहित भरतपुर जिले में कुल 23 अकाल परीक्षण कार्य स्वीकृत किए गये थे जिनमें से वर्तमान भरतपुर जिले के क्षेत्र में 6 व वर्तमान धौलपुर जिले के क्षेत्र में 9 परीक्षण राहत कार्य प्रारम्भ किये गये। वर्ष 1982-83 में परीक्षण राहत कार्य प्रारम्भ किये जाने का अभी प्रश्न ही नहीं उठता।

———

1-4-81 से 31-7-82 तक अकाल राहत कार्यों पर अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार व्यय की गई राशि।

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	नाम जिला	व्यय की गई राशि
1.	अजमेर	681-59
2.	अलवर	21-24

क्र. सं.	नाम जिला	व्यय की गई राशि
3.	बांसवाड़ा	238–61
4.	बाड़मेर	1223–28
5.	भरतपुर	29–19
6.	भीलवाड़ा	2140–96
7.	बीकानेर	113–54
8.	बून्दी	171–30
9.	चित्तौड़गढ़	534–96
10.	चूरू	101–11
11.	धौलपुर	8–61
12.	डूंगरपुर	383–79
13.	गंगानगर	6–36
14.	जयपुर	143–76
15.	जैसलमेर	354–74
16.	जालौर	380–25
17.	झालावाड़	39–30
18.	झुन्झुनू	49–42
19.	जोधपुर	1228–58
20.	कोटा	32–24
21.	नागौर	292–70

Page No 261

क्र. सं	नाम जिला	व्यय की गई राशि
22.	पाली	1298–87
23.	सवाईमाधोपुर	15–26
24.	सीकर	119–38
25.	सिरोही	284–28
26.	टोंक	140–28
27.	उदयपुर	1464–59
	योग—	11497–92

———

भीलवाड़ा नगर में वाणिज्य महाविद्यालय की स्थापना

179. श्री वंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष भीलवाड़ा नगर में मुख्य मंत्री ने कॉमर्स कॉलेज स्थापित कराये जाने की घोषणा की थी ?

(2) क्या इसके भवन निर्माण की स्वीकृति जारी हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) यदि हां, तो भवन निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा में कामर्स कालेज हेतु भवन का दानदाता द्वारा निर्माण कराने पर वर्तमान कालेज शिफ्ट करने की घोषणा की गई ।

(श्री शिक्षा मंत्री)

(2) भीलवाड़ा में कामर्स कालेज के लिए एक दानदाता द्वारा भवन निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त होने पर भवन निर्माण कराने की स्वीकृति जारी की है। अतः कालेज भवन का निर्माण दानदाता द्वारा ही कराया जायेगा।

(3) भवन निर्माण के लिए आवश्यक भूमि आवंटन करदी गई है। भवन निर्माण का कार्य दानदाता द्वारा कराया जायेगा। अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

रामगंज मंडी के पास आवासन मण्डल द्वारा भवन निर्माण

180. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमंडी) : क्या आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में रामगंज मंडी कस्बे के पास आवासन मण्डल ने भूमि अवाप्त की है ? यदि हां, तो कुल कितनी बीघा ?

(2) इस भूमि पर आवासन मण्डल भवन निर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ कर देगा ?

उत्तर

(1) हां, राजस्थान आवासन मण्डल ने रामगंज मण्डी नगर के पास कुल 146·05 बीघा जमीन अवाप्त की है।

(2) रामगंज मण्डी नगर के पास अवाप्त की गई भूमि पर सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है तथा शीघ्र ही एक आवासीय योजना बनाकर स्वीकृति हेतु हुडको को भेजी जायेगी और उसी के अनुसार भवन निमाण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

वन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तुत ज्ञापन परकार्यवाही

181. श्री कैलाश मेघवाल (प्र. पू.) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वन मंत्री के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नसीराबाद के दौरे के समय उस क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर कर वन विभाग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज्ञापन प्रस्तुत किया है ?

(2) कृपया ज्ञापन की प्रति सदन के पटल पर रखें और उस पर सरकार द्वारा अभी तक की गई कार्यवाही का विवरण भी सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम दोनड़ी-करमावास (रायपुर) सड़क पर रपट निर्माण

182. श्री सुखलाल सैंणचा (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री सुखलाल सैंणचा)

(1) क्या यह सही है कि रायपुर तहसील के पीपलिया–कुशालपुरा आदि गांवों का सोजत रोड कृषि उपज मंडी में जाने का मुख्य मार्ग पीपलिया–दोनड़ी, करमावास-चण्डावल स्टेशन बगड़ी है ?

(2) क्या यह सही है कि सोजत रोड से बगड़ी तक डामर रोड बनी हुई है ? क्या राज्य सरकार उक्त रोड पर कंकरीट एवं डामर बिछाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम दोनड़ी व करमावीस के बीच में बनी हुई उक्त सड़क पर नदी की रपट के कट जाने से रास्ता बन्द हो गया है और गांव करमावास, जो पंचायत मुख्यालय भी है, को जाने का कोई अन्य रास्ता नहीं रहा है ? क्या सरकार इस टूटी हुई रपट की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां, सोजत रोड बगड़ी नगर तक डामर रोड बनी हुई है । शेष सड़क पर कंकरीट एवं डामर बिछाने की कोई योजना धनाभाव के कारण विचाराधीन नहीं है ।

(3) नदी पर बनी हुई रपट के दोनों तरफ की एप्रोच कट कर बह गई है । इसके कट जाने से दोनड़ी से पंचायत मुख्यालय करमावास तक तथा कृषि उपज मंडी सोजत रोड का रास्ता कटी हुई जगह से बन्द हो गया है । इस कटी हुई सड़क को अभी बनाये जाने की योजना विचाराधीन नहीं है ।

पाली शहर में अग्नि शमन सेवा वाहन

183. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली शहर में अग्नि शमन सेवा उपलब्ध है ? यदि हां, तो उनके पास कितने वाहन हैं ? वर्ष 1981 में किस किस वाहन द्वारा कहां कहां पर आग बुझाने की कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त वाहनों को पाली के अधिकारीगण अपने घरों में जल पहूंचाने हेतु काम में लाते हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । केवल एक अग्नि-शमन वाहन है । वर्ष 1981 में इस वाहन द्वारा जहां जहां आग बुझाने की कार्यवाही की गई है, वह संलग्न है ।

(2) जी नहीं ।

——

वर्ष 1981 में परिषद् के अग्नि शमन वाहन द्वारा आग बुझाने की की गई

कार्यवाही की सूची

क्रमांक	दिनांक	अग्नि दुर्घटना का स्थान	विवरण
1.	3-1-81	पाली शहर	इन्डस्ट्रीज एरिया प्रथम मैसर्स छाजेड़ टैक्सटाइल में।
2.	9-1-81	पाली शहर	मंडिया रोड इन्डस्ट्रीज एरिया मैसर्स बोहरा फैब्रिक्स।
3.	30-1-81	गांव सिवाना	वरदाराम पुत्र राईग चौधरी के बेरा ढिमड़ी। चौधरियान ढिमड़ी।
4.	1-2-81	पाली शहर	गणेश टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज एरिया में।
5.	4-2-82	पाली शहर	इन्डस्ट्रीज एरिया गणेश टैक्सटाइल में।
6.	13-2-81	सुमेरपुर	कपास की फैक्ट्री में आग लगी थी।
7.	14-2-81	पाली शहर	मैसर्स केसरीमल जी अरोड़ा, करियाना व्यापारी की दुकान में रेलवे स्टेशन के पास से
8.	10-3-81	सुमेरपुर शहर	सुमेरपुर में अग्नि दुर्घटना पर परिषद की वाहन सुमेरपुर से लाई जा रही थी लेकिन वाहन खराब होने के कारण ढोला गांव से गाड़ी वापस आ गई।
9.	15-3-81	पाली शहर	औद्योगिक क्षेत्र प्रथम, राजस्थान टैक्सटाइल में।

क्रमांक	दिनांक	अग्नि दुर्घटना का स्थान	विवरण
10.	20-3-81	पाली शहर	मस्तान बाबा रामलीला मैदान के पास झुग्गी झोंपड़ियों में।
11.	20-3-81	पाली शहर	सूरजपोल के पास स्कूटर में।
12.	10-4-81	पाली शहर	बजरंग बाग के पास कुएं पर।
13.	10-4-81	पाली शहर	जूना हवाला नाड़ी मोहल्ला स्कूल के रिकार्ड में।
14.	13-4-81	पाली शहर	हस्तीमल पुत्र बाबूलाल की फैक्ट्री में।
15.	14-4-81	पाली	सुमेरपुर चुंगी चौकी के सामने फार्म।
16.	14-4-81	गांव डरी में	गांव डरी में। करीबन दो दिन में अग्नि पर क़ाबू पाया गया व करीबन आधा गांव जल गया।
17.	17-4-81	गांव चावड़िया	मारवाड़ जंक्शन पर अग्नि बुझने की सूचना मिलने पर गाड़ी वापस आ गई।
18.	28-4-81	गांव ऊथवन में	श्री रघनाथ जी पुत्र दल्ला जी के मकान में।
19.	28-4-81	,,	पुनः आग लग गई थी।
20.	4-5-81	पाली शहर में	बालड़ कालेज के पास बेरा डिमडी में।
21.	8-5-81	सुमेरपुर में	कृषि उपज मन्डी मैसर्स केसरीमल की दुकान नं. 20 के गोदाम में कपासियों की बोरी में।
22.	18-5-81	गांव गोगरा में	खाखला, घास, कांटों की बाड़ में आग लगा थी, ढाई वर्ष की बच्ची की अग्नि दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

Page No 266

266

क्रमांक	दिनांक	अग्नि दुर्घटना का स्थान	विवरण
23.	14-5-81	गांव कुन्डावास में	कांटों की बाड़ में आग लगी थी।
25.	21-5-81	सरदार समन्द	दरबार श्री गज्जेसिंह के फार्म में घास डिपो व खाखला में।
26.	25-6-81	गाव सान्डेराव में	श्री ओटाराम पुत्र नेम्बराम, हरीसिंह पुत्र सबल सिंह के घरों की बाड़ों में।
27.	25-6-81	पाली शहर में	महावीर ट्रांसपोर्ट के पास बिजली के ट्रांसफार्म में।
28.	14-7-81	पाली शहर में	गान्धी मूर्ति के पास मै० आइस की फैक्ट्री में।
29.	29-7-81	पाली शहर में	बजरंग बाग के पास में।
30.	3-8-81	पाली शहर में	कुशाल प्रिंटिंग प्रेस में।
31.	19-8-81	पाली शहर	घाणेराव की गली, भंवरलाल जैन के मकान में।
32.	23-9-81	पाली शहर	महावीर उद्योग नगर एस. के. शाह कं० में।
33.	18-10-81	पाली शहर	सिरोही टैक्सटाइल में।
34.	21-10-81	पाली शहर	महावीर उद्योग नगर में श्री घेवरचन्द की फैक्ट्री में।
35.	28-10-81	पाली शहर में	सर्राफा बाजार में श्री चम्पालाल जी की दुकान में।
36.	28-10-81	पाली शहर में	सर्वोदय नगर हरिजन की बस्ती में।
37.	28-10-81	गांव राणावास	श्री लालाराम पुत्र धरा जी के मकान के पास में 8 मकानों में खाखला व घास के पूलों में आग लगी थी।

Page No 267

267

क्रमांक	दिनांक	अग्नि दुर्घटना का स्थान	विवरण
38.	6-11-81	पाली शहर	भैरूघाट, भलावतों का बास, श्री बस्तीराम पुत्र श्री कालू जी के मकान में।
39.	5-12-81	पाली शहर	बोरड डाईंग में। घोला चौतरा।
40.	16-12-81	पाली शहर	मैसर्स जिरावला प्रिन्टिग में।
41.	29-12-81	पाली शहर	मंडिया रोड गर्ल्स स्कूल के सामने घास में।
42.	30-4-81	पाली शहर	मंडिया रोड कालू जी की बगीची ट्रैक्टर ट्राली में।

(क्रमांक छूटने पर बाद में लिखा गया।)

झालावाड़ जिला उद्योग केन्द्र के उप निदेशक के विरुद्ध जांच

184. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उद्योग विभाग द्वारा नियुक्त आकस्मिक जांच के लिये तीन अधिकारियों की समिति अथवा संयुक्त निदेशक द्वारा झालावाड़ जिला उद्योग केन्द्र के उप निदेशक के विरुद्ध कच्चे माल के गलत आवंटन एवं आवंटियों से मिल कर उसके दुरुपयोग कराने के विषय में जांच की गई थी ? यदि हां, तो कृपया उस जांच रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) जिला उद्योग केन्द्र झालावाड़ के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर श्री डी० के० शर्मा, संयुक्त निदेशक मुख्यालय द्वारा जांच करवाई गई। जांच प्रतिवेदन गोपनीय है और इसे सदन में प्रस्तुत करना सार्वजनिक हित में नहीं है।

(2) इस जांच प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् विभाग में उस पर विचार किया जाकर अतिरिक्त निदेशक के द्वारा पुनः जांच करवाई गई है। अतिरिक्त निदेशक के द्वारा की गई जांच का प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया है तथा जांच प्रतिवेदन उद्योग विभाग में विचाराधीन है।

कृषि भूमि रूपान्तरण के तहत अनियमित वसूली

185. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिनके द्वारा कृषि भूमि रूपान्तरण की प्रक्रिया तथा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित तिथि से पूर्व रूपान्तरण शुल्क रिहायशी दर से तो जमा करा दिया गया है किन्तु उनके प्रार्थना-पत्र निर्धारित तिथि तक जमा नहीं हुए हैं उनसे बढ़ी हुई दर से रकम व पेनेल्टी वसूल की जा रही है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इसको उचित मानती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान भू राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का आवंटन, सम्परिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1981 के नियमों के तहत रूपान्तरण की रियायती दर का लाभ पाने के लिए वे ही लोग अधिकारी हैं जो नियम 9 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पत्र तैयार करके निर्धारित अवधि तक सक्षम अधिकारी के सक्षम प्रस्तुत कर दें। आवेदन पत्र के

(राजस्व मंत्री,

साथ देय शुल्क एवं पेनेल्टी का चालान की नकल भी लगानी होती है। इन नियमों में यह अवधि 31 मई, 1982 को समाप्त हो गई।

(2) जिन व्यक्तियों ने 31 मई, 1982 तक कृषि भूमि रूपान्तरण की राशि जमा करा दी है, परन्तु विधिवत् आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके, उनका मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय परिवहन परमिट्स

186 श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय व क्षेत्रीय परमिट प्रदेश परिवहन प्राधिकार द्वारा अभी तक जारी नहीं किए गए ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) राजस्थान प्रदेश को कितने क्षेत्रीय व राष्ट्रीय परमिट आवंटित किए गए थे ? उनमें से कितने परमिट जारी कर दिए गए हैं ? भिन्न भिन्न जिलों के कितने प्रार्थना–पत्र विचाराधीन हैं ?

(3) क्षेत्रीय व राष्ट्रीय परमिट जारी करने की क्या नीति है ? कृपया नीति की प्रति सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अब तक 789 राष्ट्रीय परमिट स्वीकृत किये जा चुके हैं। पुराने कोटे के 6 को छोड़कर सभी क्षेत्रीय परमिट जारी किये जा चुके हैं तथा नये कोटे के क्षेत्रीय परमिट स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) प्रदेश को अब तक 800 राष्ट्रीय, 450 उत्तरी क्षेत्र तथा 450 पश्चिमी क्षेत्र के परमिटों को कोटा आवंटित किया गया है। इनमें से 789 राष्ट्रीय, 294 उत्तरी क्षेत्र तथा 300 पश्चिमी क्षेत्र के परमिट स्वीकृत कर दिए गये हैं। इन परमिटों का कोटा जिलेवार निर्धारित न होकर क्षेत्रवार निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रीय परमिट के लिए कोई आवेदन विचाराधीन नहीं है। उत्तरी क्षेत्र के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर व कोटा क्षेत्र के आवेदकों के क्रमश: 437, 74, 30 124 और 35 तथा पश्चिमी क्षेत्र के लिए क्रमश: 2211, 287, 245, 220 तथा 211 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

(3) क्षेत्रीय परमिट मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किए जाते हैं तथा राष्ट्रीय परमिट मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश को ध्यान में रखकर स्वीकृत किए जाते हैं। भारत सरकार के निर्देशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

GUIDE LINES FOR THE GRANT OF NATIONAL PERMITS

1. The various considerations specified in section 55 of the Motor-Vehicles Act, 1939 as amplified by the Motor Vehicles (Amendment) Ordinance, 1975 will be taken into account in selecting applicants for the grant of National permits.

2. The main purpose underlying the National permits being the facilitation of movement of goods between the States of the Union in the interests of the public, such applicants as are likely to contribute to this purpose should be selected.

3. These applicants who have experience in the movement of goods on the basis of Regional, Stase and Inter State permits need be considered for the grant of National permits within the limits mentioned in the ordinance. In order to meet the special purpose enshrined in the ordinance, normally 50% of the National permits may be granted to those already holding Inter State permits, 25% to those holdings State and Regional permits and the remaining 25% to new entrepreneures including ex-Army personnel and unemployed drivers, such permits will be granted to ex-service men only, if they pass the driving test, specified in the Third Schedule to the Motor Vehicles Act and they hold valid driving licenses granted by the appropriate licensing authority.

4. There should be no objection to granting National permits to those holding Inter State permits provided they surrender the required number of the latter permits so as to come initially or remain later, within the limits laid down in the ordinance.

5. It will be noticed that there is no restriction of number of National permits in respect of those having Regional and State permits, However, the general need to avoid under concentration of opportunities in a few hands may be borne in mind.

6 If an adequate number of new entrepreneurs are not forth coming for availing National permits set apart for them, the

unutilised number may be distributed among other kinds of applicants.

7. Before granting National permits to new entrepreneurs such as unemployed drivers and ex. army personnel, care will be taken to see that the applicants are genuine and not benam A suitable declaration should be obtained for this purpose from them. It should be made clear that permits granted on the basis of such declaration will not be allowed to be transferred under any circumstancrs. If no longer required they can only be surrendered for cancellation.

8. New entrepraneurs may be recommended suitable assistance from the financial institutions in order to enable them to carry on the business of National pemits.

9. Ex-Serviceman who have released after serving a full term in the armed force should be given preference over these who had left the armed forces on compassionate on medical grounds.

10. The ex serviceman should be physically fit healthy and young. Their age should preferably be below 45 years.

11. If a group of ex-serviceman form a corporate body and all the members of such body fulil the minimum conditions eligibility such a corporated body should be given preference over individuals.

12. War disabled ex-serviceman who are in a position to drive vehicles themselves and are otherwise eligible should be given preference over others.

Page No 272

(272)

जिला कोटा के प्राथमिक विद्यालय

187. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) व श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले के प्राथमिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं ?

(2) कितने अध्यापक इन छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं ?

(3) अध्यापकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं ?

उत्तर

(1) कोटा जिले के प्राथमिक विद्यालयों में 1,07,327 छात्र एवं छात्राएं अध्ययनरत हैं।

(2) कोटा जिले के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं को दिनांक 30-9-81 को 2651 अध्यापक शिक्षा दे रहे हैं।

(3) जिले में पंचायत समितियों के अधीनस्थ प्राथमिक विद्यालयों में 57 अध्यापकों के पद रिक्त हैं।

साहूनगर-सवाईमाधोपुर

188. श्री चुन्नीलाल (खन्डार)–क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार नगरपालिका सवाई-माधोपुर का चुनाव करवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) 'साहूनगर' सवाई माधोपुर ग्राम पंचायत या नगरपालिका किस स्वायत्त संस्था से नियंत्रित होता है ?

(3) राज्य में साहूनगर जैसे स्थान, जो सरकार की किसी भी स्वायत्त संस्था के अधीन नहीं हैं, कितने हैं एवं कौन-कौन से हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। 1981 की जनगणना के आधापर फरवरी, 1983 के बाद चुनाव कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

(2) प्राप्त सूचना के अनुसार साहू-नगर ग्राम पंचायत या नगर पालिका द्वारा नियन्त्रित नहीं होता है।

(3) जिलाधीशों से प्राप्त सूचना संलग्न है। इसके अनुसार अन्य कोई नहीं है।

Page No 273

(273)

जिलाधीशों से प्राप्त उत्तर के आधार पर स्थिति निम्न प्रकार बनती है

क्र० सं०	नाम जिला	
1.	अजमेर	कोई दावे नहीं (कोई क्षेत्र नहीं)
2.	अलवर	,,
3.	बाड़मेर	,,
4.	बांसवाड़ा	,,
5.	बीकानेर	,,
6.	भीलवाड़ा	,,
7.	भरतपुर	,,
8.	बूंदी	,,
9.	चित्तौड़गढ़	,,
10.	चूरू	,,
11.	डूंगरपुर	,,
12.	गंगानगर	,,
13.	जयपुर	,,
14.	जैसलमेर	,,
15.	जालौर	,,
16.	झालावाड़	,,
17.	झुंझुनू	,,
18.	जोधपुर	,,
19.	कोटा	,,
20.	नागौर	,,
21.	पाली	,,
22.	सीकर	,,
23.	सिरोही	,,
24.	टौंक	,,
25.	उदयपुर	,,
26.	धौलपुर	,,
27.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री एरिया किसी नगरपालिका या पंचायत क्षेत्र में नहीं है।

———

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की विभिन्न गतिविधियां

189. श्री भेरूलाल मीणा (उदयपुर-ग्रामीण) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा स्कूल भवन हेतु वर्ष 1980-81 से जून, 1982 तक स्कूल भवनों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो कहां कहां ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि माही बांध पर भी उक्त विभाग द्वारा धन राशि खर्च की गई है ? यदि हां, तो कितनी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विभाग द्वारा छोटे तालाब एवं एनीकट बांधने की योजना है ? यदि हां, तो कहां कहां और कितने ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) इस विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं और इन कर्मचारियों के वेतन आदि पर वार्षिक व्यय कितना होता है ? उक्त विभाग में पिछड़े वर्ग के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(5) क्या उदयपुर सम्भाग, विशेषकर ग्रामीण में इस विभाग द्वारा सिंचाई आदि की कोई बड़ी योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां ?

उत्तर

(1) जी हां । जनजाति विकास विभाग द्वारा वर्ष 1980-81 से जून, 82 तक स्कूल भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति दी गयी है । सूची सदन के पटल पर रख दी गयी । परिशिष्ट (अ)

(2) जी नहीं । सिंचाई विभाग द्वारा माही परियोजना का निर्माण कराया जा रहा है ।

(3) जी हां । जनजाति विकास विभाग द्वारा छोटे तालाब एवं एनीकट बांधने की योजना है । स्वीकृत कार्यों की जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है । परिशिष्ट (ब)

(4) वर्तमान में 156 कर्मचारी कार्यरत हैं । जिन पर वर्ष 81-82 में 22, 24, 288 रुपया व्यय हुआ । इनमें अनुसूचित जाति के 24 एवं अनुसूचित जनजाति के 15 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

(5) उदयपुर सम्भाग विशेषकर ग्रामीण में कोई नई बड़ी सिंचाई आदि की योजना विचारधीन नहीं है ।

जनजाति विकास विभाग द्वारा स्वीकृत आश्रम स्कूलों की सूची

क्रम सं.	जिला	लघु खण्ड	स्थान
1.	अलवर	राजगढ़	1. रेनी
			2. राजगढ़
2.	भीलवाड़	जहाजपुर-माण्डलगढ़	1. लुहारीकलां
			2. जहाजपुर
3.	जयपुर	चाकसू-लालसोट	1. भावता-भवती
		बसवा-दौसा	2. काली पहाड़ी
			3. ठीकरीयामीना
			4. रालावास
		जमवारामगढ़-चाकसू-	1. दतालामीना
		बस्सी-दौसा-सांगानेर	2. दंड
			3. झर
		सिकिराय-बसवा	1. निहालपुरा
			2. घुमाना
4.	चित्तौड़गढ़	बड़ी सादड़ी-छोटी सादड़ी	1. घोलापानी
5.	झालावाड़	अकलेरा	1. पंचोला
6.	पाली	बाली	1. भीमाता
7.	सवाई माधोपुर	गंगापुर-नादौती	1. वजीरपुर
		हिण्डोन-टोडाभीम	1. कटकड़
		महुवा	1. उकरूंद
		मलारनांचोर	1. खिरनी
		करौली-सपोटरा	1. सपोटरा
		सवाई माधोपुर-खण्डार	1. चौथ का बरवाड़ा
		टोडाभीम-नादौती	1. नांगल शेरपुर
8.	सिरोही	पिण्डवाड़ा	1. मोरस
9.	उदयपुर	गोगुन्दा-कुम्भलगढ़	1. रावछ
		बल्लभनगर	2. भरडिया

क्र. सं.	जिले का नाम	स्थान का नाम
(1)	उदयपुर	1. धरियावद
		2. गोठड़ा
		3. लसाड़िया
		4. भवराना
		5. छाणी
(2)	चित्तौड़गढ़	1. देवगढ़
		2. सुहागपुरा
		3. रामपुरिया
(3)	बांसवाड़ा	1. छोटी सरवन
		2. कलिजरा
		3. पीपलखूंट
		4. खेड़ा
		5. जानकीपाड़ा
		6. गागंडतलाई
		7. रामगढ़
(4)	डूंगरपुर	1. रघुनाथपुरा
		2. माड़ा
		3. ठूंका
		4. तलैया
(5)	सिरोही	1. मीन तलेटी
		2. दोयतरा
		3. भ्रोर
		4. गीरवार (कन्या)

जनजाति विकास विभाग द्वारा स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय

क्र. सं.	जिला	लघु खण्ड का नाम जिसमें स्वीकृत हुआ है	संख्या
1	2	3	4
1.	अलवर	1. राजगढ़	1
		2. थानागाजी	1
2.	भरतपुर	1. बसेड़ी-बाड़ी	1
3.	भीलवाड़ा	1. जहाज़पुर-माण्डलगढ़	1
4.	बूंदी	1. बूंदी	1
		2. बूंदी-केशोरायपाटन	2
		3. हिण्डोली	1
		4. केशोरायपाटन	1
		5. नैनवा	2
5.	चित्तौड़गढ़	1. छोटी सादड़ी-बड़ी सादड़ी	1
		2. बैगून	1
6.	जयपुर	1. चाकसू-लालसोट-बसवा-दौसा	3
		2. जमवा रामगढ़-चाकसू-बस्सी-दौसा-सांगानेर	3
		3. सिकराय-बसवा	1
7.	झालावाड़	1. अकलेरा	1
8.	कोटा	1. छीपाबड़ौद	2
		2. छबड़ा	1
		3. पीपलदा-मांगरोल-दीगोद	1
9.	पाली	1. बाली	1
10.	सवाई माधोपुर	1. बामनवास-गंगापुर	1

Page No 278

(278)

1	2	3		4
		2.	बामनवास-नादौती	1
		3.	गंगापुर-नादौती	1
		4.	हिण्डौन-टोड़ाभीम	1
		5.	करौली	1
		6.	करौली-सपोटरा	1
		7.	महुवा	1
		8.	मलारनाचौर	1
		9.	सवाई माधोपुर-खण्डार	1
		10.	टोड़ाभीम-नादौती	1
11.	सिरोही	1.	पिण्डवाड़ा	1
12.	टौंक	1.	देवली	1
		2.	निवाई	1
		3.	उनियारा	1
13.	उदयपुर	1.	गिवा-नाथद्वारा-मावली	1
		2.	गोगुन्दा-कुम्भलगढ़	1
		3.	बल्लभनगर	1
			योग	43

जनजाति उपयोजना एवं माडा योजना अन्तंगत बनाये गये छोटे तालाब एवं एनीकट की जिलेवार सूची

क्र. सं.	जिला	तालाब	एनीकट
1	2	3	4
1.	उदयपुर	1. बोरी	1. गोपावेड़ा
		2. वसु	2. पाराई
		3. गोजिया	3. केवड़ा
		4. तराला	4. रानी डूंगला
		5. वासेला	5. सामरा
		6. मीठी	
		7. चकभामरी	
		8. सरवन	
		9. उगमना	
		10. सरोली	
		11. सेवड़	
		12. देवली	
		13. लूलावड़ी	
		14. मऊआचढ़ा	
		15. धरेरा	
		16. जतारण	
2.	डूंगरपुर	—	1. इजतपुरा
			2. पोपटली
			3. टेकरी

Page No 280

(280)

1	2	3	4
			4. डूंगरसाण
			5. चीबूड़ा
			6, ठाकरड़ा
			7. लेमडी
			8. ठेचर
			9. वर-सींगपुर
			10. खानन्द
			11. मथेला
			12. खलील
			13. कांवजा
			14. पीन्डावल
			15. गोलम्बा
			16. गेंहूवाड़ा
			17. हीरोता
			18. हडमीतिया
			19. छेला खेड़वाड़ा
			20. बलवाड़ा
			21. घलन्धर
			22. गामडीमादेव
			23. गन्धवा
			24, सिसोद
			25. सरथूना
3. चित्तौड़गढ़		1. गोलियाफला	1. सागवावाती

1	2	3	4
	2. गोमाफला	2. भूतियावड़	
	3. विहारी छाल	3. कलछिया	
	4. कुलंथानाखाल	4. रंजाला	
		5. भगवानपुरा	
		6. केसरपुरा	
		7. चन्देरा	
		8. अम्बीराम	
		9. बोलवी खाल	
4. बांसवाड़ा	1. डूंगलावानी		
	2. मोरवानीया		
	3. बोरासावर		
	4. छापरिया		
	5. चतराखुर्रा		
	6. वरेठा		
	7. भाटीया		
	8. लालाखेड़ा		
5. सिरोही	—	1. मोरसा	
		2. बसन्त	
6. भीलवाड़ा	—	1. काली घाटी	
7. अलवर	—	1. घोलान	
		2. ईसवाना	
8. पाली	—	1. मालनू	
		2. गोरिया	
		3. अम्बा वाबा	
		4. गोरिया	

घेर अचलपुरा (जयपुर) के कोली परिवारों का पुनर्वास

190. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद्, जयपुर के अन्तर्गत चौकड़ी रामचन्द्र जी रास्ता परशुराम मार्ग स्थित घेर अचलपुरा के कोलियों को व्यवस्थित रूप से बसाने के लिए बीस वर्ष पूर्व कोई योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो कितने कोली परिवारों को भू-खण्ड आवंटन के पत्र कब दिये गये थे ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या परिषद् की योजना के अनुसार कोली परिवारों को घेर अचलपुरा में व्यवस्थित रूप से बसा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस योजना की क्रियान्विति पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश है ? यदि हां, तो नगर परिषद् उस वाद में क्या कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों ने आयुक्त, नगर परिषद् को लिखित में आवेदन दिया है कि हमें भी नियमानुकूल भू-खण्ड आवंटित कर दिये जायं और वाद को समाप्त किया जाय ? यदि हां, तो फिर आयुक्त, नगर परिषद् जयपुर द्वारा क्या कार्यवाही की गई ।

उत्तर

(1) जी हां । तेरह कोली परिवारों को दिनांक 5-4-63 को भू-खण्ड आवंटन पत्र दिये गये थे । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । बस्ती के निवासियों ने नगर परिषद् के कर्मचारियों को सीमांकन नहीं करने दिया । इस योजना के कुछ भाग पर स्थगन आदेश है । वाद में नगर परिषद् द्वारा पैरवी की जा रही है ।

(3) जी हां । परन्तु आवेदन-कर्ताओं ने न्यायालय में मुकदमे कर रखे हैं, इसलिए नगर परिषद् आवंटन पर कोई विचार नहीं कर सकी है ।

283

घेर अचलपुरा में भू-खण्ड आवंटित किये गये व्यक्तियों की सूची
चोकड़ी रामचन्द्रजी, जयपुर ।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	प्लाट सं.
1.	श्री रूड़ा	श्री सुण्डा	1
2.	,, वेणाराम	,, रूड़ाराम	2
3.	,, दौलाराम	,, रूड़ाराम	3
4.	,, रामसुख	,, रूड़ाराम	4
5.	,, चौथूराम	,, रूड़ाराम	5
6.	,, रामसहाय	,, रूड़ाराम	6
7.	,, देवीलाल	,, सुण्डा	7
8.	,, कन्हैयालाल	,, देवीलाल	8
9.	,, विजेयलाल	,, प्रयाग	9
10.	,, भंवर	,, प्रयाग	10
11.	,, दौलतराम	,, देवीलाल	12
12.	,, ग्यारसीलाल	,, बालजी	12
13.	,, बालजी	,, मोतीलाल	13

(284)

आनन्दपुरा (अलवर) में बाध का पुनर्निर्माण

191. **श्री सुजानसिंह यादव** (बहरोड़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ग्राम आनन्दपुर तहसील बहरोड़ जिला अलवर में स्थित बांध के पुनर्निर्माण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) इस बांध का निर्माण कब हुआ था तथा इसके रख रखाव की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) जी नही ।

यह बांध सिचाई विभाग का नहीं है ।

(2) इस विभाग को जानकारी नहीं है ।

सिरोही सहकारी भूमि विकास बैंक, आबूरोड के कर्मचारी के विरुद्ध मारपीट की शिकायत

192. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पुलिस थाना आबूरोड में माह जून, 1982 में श्री रामा पिता श्री भैरा जरासिया निवासी मोरडू पंचायत आमथला ने अपने साथ सिरोही सहकारी भूमि विकास बैंक, आबूरोड के कर्मचारी द्वारा मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज करवायी थी ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी हां। मामला सी. आई. डी. मे अनुसन्धानाधीन है ।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर में कार्यरत अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति

193. **श्री रामसहाय सोनड़** (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री यह ब ाने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के कार्यालय में वर्तमान में अनुसूचित जाति और जनजाति के अलग अलग कुल कितने व्यक्ति सेवारत हैं ?

(2) बोर्ड में कार्यरत उक्त जातियों के व्यक्तियों की पदोन्नति का क्या आधार है तथा उसके मुताबिक अब तक कितने व्यक्तियों की पदोन्नति की जा चुकी है ?

उत्तर

(1) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के कार्यालय में वर्तमान में अनुसूचित जाति के 29 तथा अनुसूचित जनजाति के 4 व्यक्ति सेवारत हैं ।

(2) राज्य सरकार के निदेशानुसार बोर्ड ने दिनांक 26/6/1975 से रोस्टर प्रणाली के अनुसार अब तक 17 अनुसूचित जाति व 4 अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नियुक्त दी है तथा 3 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पदोन्नति दी है ।

कोटा नगर में दुर्घटनाओं से मृत्यु

194. श्री ताऊदयाल जोशी (दी गोद)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा नगर में गत एक वर्ष में दुर्घटनाओं के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई ? तत्सम्बन्धी रिपोर्ट किन किन थानों में दर्ज हुई ?

(2) क्या मृतकों को कोई मुआवजा दिया गया ? यदि हां, तो किन किनको, कितना कितना ?

(3) दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सरकार ने क्या क्या कदम उठाये ?

(4) दुर्घटनाओं के कारण किन किन अपराधियों को कब कब कितनी कितनी सजा मिली ?

उत्तर

(1) कोटा नगर में गत एक वर्ष में दुर्घटनाओं के कारण 27 लोगों की मृत्यु हुई। तत्संबंधी रिपोर्ट थाना कोतवाली कोटा, कुन्हाडी, नयापुरा, उद्योग नगर, भीमगंज-मण्डी, कैथूनीपोल, गुमानपुरा में दर्ज हुई।

(2) जी नहीं। मुआवजा नहीं दिया गया है।

(3) दुर्घटनाओं को रोकने हेतु अचानक ट्रैफिक चैकिंग, स्पीड ब्रेकर लगाने, व्यस्त ट्रैफिक वाली सड़कों पर एक तरफा यातायात चलाने आदि कदम उठाये गये हैं।

(4) पिछले एक वर्ष में चालान-शुदा सभी 21 मुकदमों में अभी निर्णय नहीं हुआ है। सभी विचाराधीन न्यायालय हैं।

पादरू जल स्रोत योजना से सिणदरी को जल प्रदाय

195. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पादरू जल स्रोत से सिणदरी पंचायत समिति मुख्यालय तक पाइप लाइन पहुंचाने की योजना तीन वर्ष पूर्व ही बन चुकी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस योजना के अन्तर्गत ही धनुवा गोलिया तक पानी पहुंचाया भी जा चुका है ?

(3) क्या राज्य सरकार का प्राथमिकता देकर उक्त योजना के क्रियान्वयन की दिशा में कार्यवाही करने का विचार है ? यदि हां तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी, हां। मगर योजना स्वीकृत नहीं हुई थी।

(2) जी नहीं। ग्राम धनुवा तथा गोलिया एक अन्य क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना आसाडा-पादरू के अन्तर्गत लाभान्वित है।

(3) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना मीठुडा सिणधरी वर्ष 1982-83 में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत वर्क चार्ज्ड कर्मचारी

196. श्रीमाधवसिंह दीवान (सोजत) व

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में कितने वर्क चार्ज्ड कर्मचारी लगे हुए हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। इन पर प्रतिमाह कितना खर्च होता है ?

(2) क्या यह सही है कि इनके कार्य करने के कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं तथा अधिकतर लोग अफसरों के घरों पर कार्य करते हैं ?

(3) इन लोगों से घरेलू कार्य न लिया जाय इसके लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगे हुये वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों की संख्या निश्चित नहीं है, यह संख्या कार्य अनुसार बदलती रहती है। चूंकि संख्या निश्चित नहीं है इसलिये प्रतिमाह खर्चा भी एक निश्चित राशि नहीं है।

(2) कार्य करने के मापदण्ड निर्धारित है। यह सही नहीं है कि वर्क चार्ज कर्मचारी अफसरों के घरों पर काम करते हैं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी विमान

198. श्रीमति उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार का एक विमान मन्त्रियों की यात्रा करने के लिये सांगानेर एरोड्रोम पर है ? यदि हां, तो प्रतिवर्ष इस पर कितना व्यय होता है ?

(2) वर्तमान सरकार के मन्त्रियों ने इस विमान द्वारा कहाँ कहां किस किस प्रयोजन के लिये यात्रा की है और उस पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

(3) क्या राज्य सरकार दूसरा विमान और खरीदने जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या उस विमान के खरीदने के लिये टेन्डर आमन्त्रित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, इसके रख रखाव पर लगभग 2·53 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च होता है।

(2) वर्तमान सरकार के मन्त्रियों ने इससे जोधपुर, देहली, सूरतगढ़, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, उत्तरलाई, जैसलमेर तथा बाड़मेर की यात्रायें राज्य कार्य से की है। इन यात्राओं पर कुल 2,06,800/-रुपया खर्च हुआ।

(3) जी नहीं ।

(4) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

ग्राम पंचायत इटावा (कोटा) की क्रमोन्नति

199. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत इटावा ग्राम भाड़ोल, खोड़ावदा, डोली तथा डड़वाड़ा को मिलाकर उसे नगरपालिका में परिवर्तित करने की मांग समय समय पर होती रही है ?

(2) क्या राज्य सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुये इटावा ग्राम पंचायत को नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

1. जी हां ।

2. अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

केकड़ी में बस डिपो खोलना

200. श्री तुलसीराम (केकड़ी) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि केकड़ी राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का केन्द्र है और यहां विभिन्न जगहों से बसें आती हैं ? यदि हां, तो क्या निगम की केकड़ी बस डिपो खोलने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां । निगम द्वारा केकड़ी बस डिपो खोलने की योजना नहीं है क्योंकि केकड़ी में केवल सात वाहनें ही रात्रि विश्राम करती हैं । अतः पृथक आगार स्थापित करना अनार्थिक है ।

जयपुर का मास्टर प्लान

201. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर का मास्टर प्लान दुबारा बनाया जायेगा ?

(2) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या होगी ?

(3) जयपुर के मास्टर प्लान बनाने में कितना समय लगाया और कितनी धनराशि खर्च हुई थी ?

(4) अब नया मास्टर प्लान बनाने में कितना और समय लगेगा और कितनी धनराशि खर्च होगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण को ही जयपुर रीजन का मास्टर डवलपमेन्ट प्लान

(श्री राम कंवार बैरवा)

बनाने हेतु अधिकृत कर दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा भावी मास्टर डवलपमेन्ट प्लान की रूप रेखा पर अभी विचार किया जाना है।

(3) जयपुर के मास्टर प्लान बनाने में पांचवर्ष का समय लगा था। इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई यह बताया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि नगर आयोजना विभाग के जिस स्टाफ ने ये कार्य सम्पन्न किया था, उन्होंने इस कार्य के साथ अपना अन्य कार्य भी किया।

(4) नया मास्टर प्लान बनाने की जिम्मेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है जो इस सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ कर रहा है। इस पर होने वाले समय व धनराशि का पूर्वानुमान अभी बताया जाना सम्भव नही है।

रतनगढ़ (चूरू) क्षेत्र में हैण्ड पम्प्स से पेयजल की व्यवस्था

202. **श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया** (रतनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रतनगढ़ क्षेत्र के कुल कितने गांवों में कितने हैण्ड पम्प्स लगाये गये? कृपया गांववार हैण्ड पम्प्स की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गांवों में लगाये गये हैण्ड पम्प्स में से कितने चालू हैं और कितने बन्द पड़े हैं?

(3) एक हैण्ड पंम्प पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त क्षेत्र के लिए हैण्ड पम्प्स के माध्यम से पेयजल समस्या का स्थायी समाधान संभव समझती है?

(5) ग्राम लाछड़सर में उच्च शिखर टंकी तथा सेहला व रतनसरा के मध्य बनी टंकी का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है?

उत्तर

(1) रतनगढ़ तहसील के 16 ग्रामों में 77 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं. ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) ग्रामों में लगाये गये 77 हैण्ड पम्पों में से 64 हैण्ड पम्प चालू है एवं 13 हैण्ड पम्प बन्द हैं जिन्हें ठीक करने का कार्य किया जा रहा है। यह स्थिति लगातार बदलती रहती है।

(3) प्रत्येक हैण्ड पम्प की लागत अलग अलग स्थानों पर कुल खुदाई एवं भूगर्भ में चट्टान होने व न होने पर निर्भर करती है। रतनगढ़ तहसील में औसतन लागत लगभग 14,00/-रु. है।

(4) वर्तमान परिस्थितियों में छोटी आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये, जहां संभव हो, हैण्ड पम्प एक उचित समाधान है।

(5) ग्राम लाछड़सर की टंकी से जल वितरण किया जा रहा है एवं सेहला के निकट बनी हुई टंकी से शीघ्र ही जल वितरण किया जायेगा।

289

रतनगढ़ तहसील में बनाये गये हैण्ड पम्पों की सूची

क्र.सं	ग्राम	तहसील	हैण्ड पम्पों की संख्या
1.	भरपालसर विदावलान	रतनगढ़	3
2.	भरपालसर लाडखनिया	"	4
3.	गोरीसर	"	7
4.	मालासर	"	6
5.	डूडेरा सिवान	"	2
6.	रतनादेसर	"	6
7.	भरपालसर चारनान	"	2
8.	गोपालपुरिया	"	3
9.	बजरांगसर	"	4
10.	सिमलिया विदावतान	"	6
11.	पाथली	"	4
12.	ग्राबड़सर	"	3
13.	लघासर	"	9
14.	कांगड़	"	9
15.	लूछें	"	7
16.	सिमलिया पुरोहितान	"	2
		योग:—	77

(290)

आदिवासी बहुल उदयपुर डिवीजन के आदिवासियों के आरक्षण कोटे में वृद्धि

203. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर डिवीजन में 80 प्रतिशत आदिवासी लोग रहते हैं और यही कारण है कि वहां जन जाति क्षेत्रीय विकास के आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया है ?

(2) क्या सरकार बहुसंख्यक बेरोजगार आदिवासियों को रोजगार देने के लिये उक्त डिवीजन में आदिवासियों की संख्या के संदर्भ में आरक्षण का कोटा 12 प्रतिशत से बढ़ाने की इच्छा रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । उदयपुर डिवीजन में 34% आदिवासी लोग रहते हैं । जनजाति उपयोजना क्षेत्र में चलाई जा रही विकास योजनाओं के परीविक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का कार्यालय उदयपुर में स्थापित किया गया है ।

(2) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

गुड़गांव नहर से सिचाई हेतु सर्वेक्षण

204. **श्री चांद खां** (कामां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गुड़गांव कैनाल में से सिचाई के लिये जो माइनर निकाली गई है या निकाली जा रही है उनका पूर्व में सर्वेक्षण किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग के स्थानीय अधिकारियों द्वारा रद्दोबदल किया गया है ?

(2) गुड़गांव नहर से निकाली गई सिंचाई की माइनर्स किन-किन चैनल्स से कहां तक पूरी करदी गई है तथा उसकी लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई क्या रखी गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) सूची संलग्न है ।

(परिशिष्ट "अ")

———

परिशिष्ट-अ

सूची गुड़ गांवा नहर की डिस्ट्रीब्यूटरी तथा माइनर्स के विवरण सहित

क्रम सं०	नाम माइनर	लम्बाई	हैड पर		टेल पर		विशेष विवरण
			चौड़ाई	गहराई	चौड़ाई	गहराई	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी	66500	20-25	3-00	5-00	1-30	सन् 72 के पूर्व की बनी हुई है।
2.	सतपुरा माइनर	26500	10-50	2-30	7-50	1-60	"
3.	अहलकारी माइनर	7800	3-00	1-00	1-60	1-60	"
4.	बामनवारी माइनर	6000	5-00	1-00	5-00	1-00	"
5.	सहसन माइनर	14500	4-00	1-20	2-50	0-80	"
6.	घोलगा माइनर	7300	4-50	1-50	1-50	0-90	"

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	कचननेर माइनर	20500	8–50	1–90	5–00	1–10	सन् 72 के पूर्व की बनी हुई है
8.	कठौल माइनर	10500	4–00	1–20	3–00	1–00	,,
9.	रावलका माइनर	12500	2–00	1–00	2–00	1–00	,,
10.	भौंरी माइनर	10500	3–50	1–20	3–00	1–00	,,
11.	धमरी माइनर	6800	2–00	1–20	2–00	1–20	,,
12.	पाई डिस्ट्रीब्यूटरी	33200	9–75	20–50	5–00	1–10	,,
13.	बामनी माइनर	7000	—	—	—	—	,,
14.	रसुलपुरा माइनर	18200	7–00	1–45	5–00	1–00	,,

Page No 293

293

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	बडकली माइनर (सीनियर)	21500	6–00	1–40	4–00	0–80	सन् 72 के पूर्व की बनी हुई है
16.	नौगांवा माइनर	8000	2–50	1–00	2–00	0–80	,,
17.	नोनेरा माइनर	11600	4–25	1–70	2–00	1–00	,,
18.	किरावटा माइनर	7600	3–50	1–30	2–00	0–80	,,
19.	पारली माइनर	13200	3–00	1–35	2–00	0–60	,,
20.	गगरी माइनर	9500	3–25	1–40	2–00	1–80	,,
21.	जगमल माइनर	6000	1–00	1–50	1–00	1–50	पूर्ण हो चुकी है
22.	श्रीपुर माइनर	10000	4–00	1–00	1–40	1–00	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	बहज माइनर	13000	7–20	1–50	3–70	0–90	पूर्ण हो चुकी है
24.	डीग सब माइनर	7500	1–30	1–40	1–30	1–40	,,
25.	हथीन माइनर	32500	12–00	1–50	3–00	0–60	कार्य प्रगति है
26.	पीसर माइनर	14000	—	—	—	—	,,
27.	कनवारी माइनर	10000	3–50	1–45	2–00	0–75	,,
28.	खिलावटी माइनर	36000	13–00	2–00	4–00	0–70	कार्य प्रगति पर है
29.	अकरतसर माइनर	21000	6–50	1–80	2–50	1–00	,,
30.	इन्द्रोली माइनर	21000	6–00	1–70	2–50	1–00	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	पारता माइनर	15200	6–50	2–20	4–00	1–30	कार्य प्रगति पर है
32.	डीग डिस्ट्रीब्यूटरी	73100	16–00	3–25	3–00	1–20	,,
33.	परमदरा माइनर	12000	3–50	1–20	—	—	,,
34.	खोह माइनर	8000	1–30	1–60	1–30	1–60	,,
35.	टेल डिस्ट्रीब्यूटरी	59000	15–00	3–20	6–00	1–30	,,

बस्सी (चित्तौड़गढ़) बांध की नहरों हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

205. **श्री अमरचन्द** (गंगरार) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बस्सी बांध जिला चित्तौड़गढ़ की नहरों हेतु अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा चुका दिया गया है? यदि हां, तो किस-किसको कितना-कितना मुआवजा दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बांध का कार्य कितना हो चुका है तथा शेष कब तक पूर्ण हो जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस बांध का लगभग 13.8 प्रतिशत कार्य हो चुका है। यदि विभाग द्वारा वांछित बजट प्रति वर्ष उपलब्ध किया जा सके तो कार्य 1985-86 तक पूर्ण किया जा सकता है।

सुमेरपुर में 132 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन की मंजूरी

206. **श्री गोकुलचन्द शर्मा** (सुमेरपुर),

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) व

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुमेरपुर क्षेत्र में बिजली की बढ़ती हुई मांग की तथा अभी जो वोल्टेज आ रहे हैं उनमें सुधार करने की दृष्टि से विद्युत मण्डल द्वारा 132 के.वी. का ग्रिड सब-स्टेशन सुमेरपुर में बनाने हेतु मंजूरी प्रदान कर दी थी ? यदि हां, तो यह मंजूरी कब दी गई तथा इस कार्य हेतु भूमि को कब अवाप्त कर लिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि सुमेरपुर ग्रिड सब-स्टेशन पर कार्य को शुरू हुये काफी लम्बा अर्सा हो गया है ? यदि हां, तो कार्य कब शुरू किया गया तथा सिविल वर्क्स का ठेका किस-किस पार्टी को किस-किस काम का कब-कब, कितनी-कितनी राशि का दिया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें। यह कार्य कब पूर्ण होना चाहिये था तथा आज के दिन कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है ?

(3) इस कार्य को समय पर पूरा न कराने तथा ग्रिड सब-स्टेशन को समय पर चालू न कराने में किस-किस विभागीय अधिकारियों ने शिथिलता बरती है तथा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) अब यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सुमेरपुर 132 के.वी. ग्रिड उप चौकी बनाने हेतु मंजूरी मार्च

297

(ऊर्जा मन्त्री)

1980 में दी गयी थी तथा इसके लिए भूमि माह् जनवरी, 1981 में अवाप्त कर ली गई थी ।

(2) सुमेरपुर ग्रिड उप चोकी पर चार दीवारी का कार्य माह अगस्त, 1981 में प्रारम्भ कर दिया गया था तथा ग्रिड उप-चोकी का कार्य विद्युत ले-आउट प्राप्त होने के पश्चात् माह फरवरी, 1982 में प्रारम्भ किया गया । सिविल वर्क्स के बारे में चाहा गया सम्पूर्ण विवरण तालिका "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) सुमेरपुर ग्रिड उप-चोकी के कार्य में किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं बरती गयी अतः किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

(4) इस कार्य के माह दिसम्बर, 1982 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

सिविल वर्क्स के विवरण की तालिका

क्र. सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम नाम	कार्य आदेश की रकम	कार्य आदेश क्रमांक व तिथि	कार्य को पूर्ण करने की तिथि	वर्तमान प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
1.	नियन्त्रण कक्ष	श्री रामनारायण जोधपुर	2,76,727/--	4081, दिनांक 15.12.81	14.7.82	35-प्रतिशत
2.	विश्राम गृह	उपरोक्त	2,41,738/—	4083, दिनांक 15.12.81	14.6.82	5 प्रतिशत
3.	स्टोर 3	लियाकत अली सोजत सिटी	1,13,505/-	2783, दिनांक 12.11.81	11.3.82	85 प्रतिशत
4.	मोटर गैरज	श्रोम प्रकाश, सिरोही	26,713/—	147, दिनांक 12.5.82	11.8.82	15 प्रतिशत

1	2	3	4	5	6	7
5.	(अ) ई एण्ड एफ टाइप क्वार्टर			अभी इस कार्य का ठेका नहीं दिया गया है		
	(ब) जी एण्ड एच टाइप क्वार्टर	ओम प्रकाश जी सिरोही एव	2,96,138/— 2,74,071/—	1828, दिनांक 2:9.82	1.3.82	ठेकेदार को ले आउट दे दी है
6.	ओवर हैड टैंक	हिम्मतसिंह जोधपुर	21,501/—	4007, दिनांक 8.12.81	31.8.82	90 प्रतिशत
7.	एन्टी क्लाइम्बिंग वायर फेंसिंग (कांटेदार तार)			इस कार्य का ठेका अभी नहीं दिया गया है।		
8.	चार दीवारी	गणपतमल कुम्भट	86,580/—	461, दिनांक 4.6.81	30.11.81	100 प्रतिशत
9.	सिविल फाउन्डेशन	श्री देवकिशन पंवार	27,210/—	469, दिनांक 4.6.81	3.10.81	80 प्रतिशत

Page No 300

(300)

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 153 की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	वर्ष	मुकदमा संख्या एवं दिनांक
1.	चित्तौड़गढ़	1980-81	—
		1982	—
2.	बांसवाड़ा	1980-81	—
		1982	1/82, 10-1-82
3.	डूंगरपुर	1980-81	—
		1982	68/82. 18-3-82
4.	उदयपुर	1980-81	—
		1982	—
5.	सिरोही	1980-81	—
		1982	99/82, 3-7-82

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 155 की सूची

क. सं.	थाना		जिला बाड़मेर पकड़े गये तस्करों की संख्या				विदेशी अधिनियम पासपोर्ट एक्ट के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों की संख्या	पशु चोरियों की संख्या व उनमें पकड़े गये मुलजिमान की संख्या				पशु चोरी में बरामद सम्पत्ति का मूल्य
			पाक शरणार्थी	भारतीय	अज्ञात	कुल		पाक शरणार्थी	भारतीय	अज्ञात	कुल	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	बीजाराड	81	1	3	—	4	2	—	—	1	1	ऊंट 1500 रु०
		82	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—
2.	रामसर	81	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—
		82	—	4	—	4	2	—	—	—	—	—

(301)

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. सांडवा	81	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—
	82	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—
4. चौहटन	81	—	3	—	3	—	—	—	1	1	घोड़ी 1500 रु०
	82	1	2	—	3	2	—	1	—	1	घोड़ी 1000 रु०
5. माखासर	81	—	2	—	2	3	—	—	—	—	—
	82	—	1	—	1	1	—	2	—	2	घोड़ी 1500 रु० घोड़ा 2000 रु०
6. बाड़मेर	81	—	5	1	6	2	—	—	—	—	—
	82	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—
7. गडरारोड	81	—	5	—	5	7	—	—	—	—	—
	82	—	7	—	7	4	—	—	1	1	ऊंटनी 1500 रु०
8. शिव	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	82	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—

क्र. सं.	थाना		जिला जैसलमेर पकड़े गये तस्करों की संख्या				विदेशी अधिनियम पासपोर्ट एक्ट के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों की संख्या	पशु चोरियों की संख्या व उनमें पकड़े गये मुलजिमान की संख्या				पशु चोरी में बरामद सम्पत्ति का मूल्य
			पाक शरणार्थी	भारतीय	अज्ञात	कुल		पाक शरणार्थी	भारतीय	अज्ञात	कुल	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	झिनीझनियाली	81	—	1	—	1	4	—	2	1	3	8000 रु०
		82	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
2.	जैसलमेर	81	—	4	1	5	19	—	—	—	—	—
		82	—	2	1	3	1	—	2	4	6	1500 रु०
3.	मोहनगढ़	81	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—
		82	—	—	—	—	—	7	—	—	2	—
4.	रामगढ़	81	3	5	1	9	—	—	—	1	1	38550 रु० 6 गाय 5 बैल
		82	—	—	1	1	6	—	—	1	1	

303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. फसूण्ड	81	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. सम	81	—	—	—	—	1	—	2	1	3	—
	82	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—
7. नाचना	81	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
	82	—	—	—	—	4	1	5	—	2	—
8. सांगड़	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	82	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 159 की सूची

जोधपुर जिले की बन्द इकाइयों की सूची

1.	मैसर्स जोधपुर आयल प्रोड्क्टस, दीर्घ औद्योगिक क्षेत्र,	जोधपुर
2.	,, जोधपुर फैल्ट इण्ड० टी-6 औ० सम्पदा,	,,
3.	,, राजस्थान बादला गोटा फैक्ट्री 13 लघु औ. क्षे.	,,
4.	,, ओसवाल ब्रादर्स औ. सम्पदा,	,,
5.	,, स्टेण्डर्ड री-रोलिंग मिल्स, दीर्घ औद्योगिक क्षेत्र	,,
6.	,, अपर इण्डिया स्टील कास्टिंग इण्ड. औ. क्षे.	,,
7.	,, राजस्थान कोरजिंग्स इण्ड. इन्जीनियरिंग वर्क्स औ. क्षे.	,,
8.	,, सनम कार्पोरेशन टी-8 औ. क्ष.	,,
9.	,, जिन्दल ऑटो. इन्जी. इण्ड. एस्टेट,	,,
10.	,, डी. जी. इन्जी. कार्पोरेशन बी-11 औ. क्षे.	,,
11.	,, वीनस वियरिंग हाउस 28, दीर्घ औ. क्षे.	,,
12.	,, दिनेश इण्ड. 28/5 दीर्घ औ. क्षे.	,,
13.	,, कविता इण्ड. 38 नये पावर हाउस के पीछे	,,
14.	,, शोभा इण्ड. कार्पोरेशन पी 5/6 औ. क्षे.	,,
15.	,, कुसुम लैम्प प्रा. लि. औ. सम्पदा,	,,
16.	,, विकास इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन,	,,
17.	,, बकर्म इन्जी. वर्क्स, 13 औ. क्षे.	,,
18.	,, शारदा इण्ड० कार्पोरेशन 21/5 दीर्घ औ. क्षे.	,,
19.	,, महादेव इजी० वर्क्स टी-6 औ. क्षे.	,,
20.	,, कुम्भट एण्ड कम्पनी 5/16 नये पावर हाउस के पीछे	,,
21-	,, जोधपुर आइरन एण्ड स्टील वर्क्स	,,
22.	,, सुशील एग्री प्रोडक्ट्स, एण्ड स्टील कार्पो दीर्घ औ. क्षे.	,,
23.	,, खत्री केमिकल दीर्घ औ. क्षे.	,,
24.	,, भण्डारी एक्सपोर्ट हाउस टी-2 औ. सम्पदा,	,,
25.	,, पारस उद्योग 33 लघु औ. क्षे.	,,

(3८)

26.	मैसर्स क्वालिटी बिस्कुट फैक्ट्री औ. सम्पदा जोधपुर	जोधपुर
27.	,, राजस्थान निवार फैक्ट्री, 9 दीर्घ औ० क्षे०	,,
28.	,, मारवाड़ केमिकल इण्ड० 28/4 दीर्घ ,,	,,
29.	,, दिनेश इण्ड० बी-40 औ. सम्पदा,	,,
30.	,, हरि दाल मिल दीर्घ औ. क्षे.	,,
31.	,, हीराचन्द खेमचन्द ,, ,, ,,	,,
32.	,, जी. एम. इण्ड० नये पावर हाउस के पीछे	,,
33.	,, भण्डारी इण्ड० लघु औ. क्षे.	,,
34.	,, जे. एस. इण्ड० औद्योगिक क्षेत्र	,,
35.	,, मोहम्मदी बेकरी सीवांची गेट के अन्दर	,,
36.	,, मोतीलाल एण्ड संस कटला बाजार,	,,
37.	,, द्वारका प्रसाद कारवा एण्ड कम्पनी, घास मण्डी	,,
38.	,, पुयावाला उद्योग घास मण्डी	,,
39.	,, हीरालाल चम्पालाल महामन्दिर,	,,
40.	" अब्बास अली एण्ड सन्स, जालोरी बारी	,,
41.	" इलाही बक्श अजगर अली चूड़ीघर बाजार ,,	,,
42.	,, इण्डो प्लास्टिक एण्ड सेल्यूलोड मैन्यू चूड़ीघर बाजार,	,,
43.	,, लखपति सेल्यूलोड इण्ड. प्रतापनगर,	,,
44.	,, रहमानीया सेल्यूलोड इण्ड० कबूतरों का चौक	जोधपुर
45.	,, विजय सेल्यूलोड इण्ड० त्रिपोलिया बाजार	,,
46.	,, शिव डाईंग केमिकल्स वर्क्स, चूड़ीघर बाजार	,,
47.	,, स्वरूप सिंह शर्मा दीवान हाउस	,,
48.	,, अब्दुल सत्तार अल्लनूर चन्डावला हाउस,	,,
49.	,, अब्दुल सकूर अब्दुल सलीम इन साइड, सोजती गेट,	,,
50.	,, अमीचन्द एण्ड सन्स त्रिपोलिया बाजार,	,,
51.	,, बदरूदीन मोहम्मद रमजान चण्डावल हाऊस	,,
52.	,, भारत आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, ,, ,,	,,
53.	,, आइरन एण्ड स्टील वर्क्स, पोकरण की हवेली	,,
54.	,, मोहम्मद डगर एण्ड संस, घासमन्डी,	,,

307

55.	मैसर्स ग्रोमै ग्रायरन वर्क्स, घासमण्डी,	जोधपुर
56.	,, राठी ग्रायरन वर्क्स भवेन चौकी,	,,
57.	,, साकत ग्रायरन एण्ड स्टील वर्क्स जवाहरखाना	,,
58.	,, यूनूस ग्रायरन वर्क्स घासमण्डी	,,
59.	,, इण्डियन ग्रायरन वर्क्स चण्डावेला हाउस,	,,
60.	,, ग्रजन्ता, ग्रायरन वर्क्स, घास मण्डी,	,,
61.	,, ग्रमीन ग्रायरन वर्क्स, चण्डावला हाउस,	,,
62.	,, चारभुजा ग्रायरन इण्ड. सोजती गेट,	,,
63.	,, नागौरी एग्रीकल्चरल ग्रायरन वर्क्स चण्डावल हाउस	,,
64.	,, न्यू सिटीजन ग्रायरन वर्क्स, ,, ,,	,,
65.	,, मल्लन इण्ड० सिवान्ची गेट,	,,
66.	,, बीकानेर ग्रायरन वर्क्स घास मण्डी,	,,
67.	,, चौधरी ग्रायरन वर्क्स ,, ,,	,,
68.	,, जोधपुर नोवल्टी मैटल वर्क्स ग्राडा बजार	,,
69.	,, किसन ग्रायरन वर्क्स घास मण्डी,	,,
70.	,, मोमन ग्रायरन वर्क्स चण्डावेला हाउस.	,,
71.	,, सलीम ग्रायरन वर्क्स, ,,	,,
72.	,, स्टेण्डर्ड ग्रायरन वर्क्स ,,	,,
73.	,, ग्रलवर स्टील इण्ड० ,,	,,
74.	,, भाटी ग्रायरन वर्क्स इन साइड सोजती गेट,	,,
75.	,, गुजरात ग्रायरन वर्क्स, घास मण्डी	,,
76.	,, ग्रहमदजी भूरजी पोकरण हाउस,	,,
77.	,, मुन्शी एण्ड सन्स पोकरण ,,	,,
78.	,, सैनी इण्ड. सिवान्ची गेट	,,
79.	,, भूतरा उद्योग घास मण्डी	,,
80.	,, हस्तीमल भंवरलाल जैन, महामंदिर जोधपुर,	,,
81.	,, रेशमा साड़ी एम्पोरियम घास मण्डी,	,,
82.	,, विजय टैक्सटाइल महामन्दिर	,,
83.	,, ग्ररुणा पैकिंग प्रोडक्ट्स, मोती चौक,	,,

Page No 308

(308)

84. मैसर्स चन्द्रा प्लास्टिक जाटावास, जोधपुर
85. ,, चूरी कम्पनी पी. इण्ड० चूड़ीघर बाजार ,,
86. ,, मूनलाइट एण्ड कम्पनी, खाण्डा फलसा, ,,
87. ,, सोहीन प्लास्टिक चूड़ीघर बाजार ,,
88. ,, साहिद अली प्लास्टिक फैक्ट्री, उदय मंदिर ,,
89. ,, सिंघल एण्ड संस, खाण्डा फलसा, ,,
90. ,, रतन इण्ड० खाण्डा फलसा ,,
91. ,, अशोक केमिकल्स इण्डस्ट्रीज, ,,
92. ,, पहरहार बार सोप फैक्ट्री, ,,
93. ,, रमेश सोप फैक्ट्री नारसंह घड़ा, ,,
94. ,, साबुन घर सिंघवी भवन, ,,
95. ,, श्रीराम सोप फैक्ट्री, हालून बाग ,,
96. ,, अब्दुल गफूर दीन मोहम्मद कपड़ा बाजार ,,
97. ,, जोधपुर टंक फैक्ट्री माणक चौक, ,,
98. ,, जमीन ग्लास सेन्टर भजन चौकी ,,
99. ,, नेशनल प्लास्टिक इण्ड० गुलाबसागर ,,
100. ,, कच्छवा इण्ड. वर्क्स, मण्डोर रोड ,,
101. ,, आशा सीमेन्ट उद्योग खाण्डा फलसा ,,
102. ,, अब्दुल रहमान अजीमूबनी टंक मेजेन्ट, घास मण्डी ,,
103. ,, महावीर इन्ड० खाण्डा फलसा, ,,
104. ,, निसार अहमद मोहम्मद उस्मईल आयरन इण्ड० घास मण्डी ,,
105. ,, स्टेण्डर्ड आयरन इण्ड. मैटल वर्क्स नया बाजार ,,
106. ,, माहेश्वरी उद्योग आड़ा बाजार ,,
107. ,, जे. के. एन्टरप्राइजेज भीमजी का हत्था, ,,
108. ,, बापू सीट एंड वर्क्स, प्रतापनगर ,,
109. ,, चन्द्रा प्लास्टिक इण्ड० गांधी चौक ,,
110. ,, डीलक्स ट्रेडिंग कम्पनी, खांडा फलसा, ,,
111. ,, निम्बेक स्टील वर्क्स, त्रिपोलिया बाजार ,,
112. ,, कृष्णा स्वीट प्रोडक्ट्स सिवान्ची गेट ,,

113	मैसर्स हरी ओम आयल प्रोडक्ट्स	जोधपुर
114.	,, देवी टैक्सटाइल प्रतापनगर,	,,
115.	,, रन्जीत टैक्सटाइल प्रतापनगर.	,,
116.	,, राती कन्हा देवनाथ, प्रतापनगर	,,
117.	,, देवीलाल गंगाराम मेघवाल, महामंदिर	,,
118.	,, अनीला टैक्सटाइल मोती चौक	,,
119.	,, भवानी रेडीमेड गारमेन्ट खांडा फलसा,	,,
120.	,, योगेश्वर एण्ड कम्पनी, घास मण्डी	,,
121.	,, श्रीमाल डाईंग फिटिंग इण्ड० सरदार मार्केट	,,
122.	,, पारस नाथ मोती चौक	,,
123.	,, कनवारिया इण्ड० माणक चौक	,,
124.	,, गोपाल प्रिंटिंग प्रेस मोतीचौक	,,
125.	,, पूरी ब्रादर्स पोकरन की हवेली,	,,
126.	,, ट्रेड इण्ड० जालौरी गेट के अन्दर	,,
127.	,, पारस प्लास्टिक कम्पनी मोती चौक	,,
128.	,, बाबूलाल एण्ड सन्स सोजती गेट के अन्दर	,,
129.	,, जैन पैन इण्ड० कटला बाजार,	,,
130.	,, केमिकल्स एण्ड प्लास्टिक मोती चौक	,,
131.	,, कृष्णा प्लास्टिक महामंदिर	,,
132.	,, ईगल प्लास्टिक उद्योग ,,	,,
133.	,, एस. डी. परफ्यूमरी जालाज मोहल्ला,	,,
134	,, मरूधर प्रोडक्ट्स कपड़ा बाजार,	,,
135.	,, चन्द्रा केमिकल्स नागौरी गेट के बाहर	,,
136.	,, कृष्णा इण्डस्ट्रीज सिवान्ची गेट के अन्दर	,,
137.	,, जय गजानन्द मारबल चिप्स वर्क्स, महामंदिर	,,
138.	,, शिव मारबल चिप्स कम्पनी ,,	,,
139.	,, लक्ष्मी चिप्स कार्पोरेशन ,,	,,
140.	,, एम. आई. इण्ड० महामंदिर.	,,

Page No 310

(310)

141.	मैसर्स अब्दुल रसीद रमजानअली बम्बा,	जोधपुर
142.	,, नेशनल आयरन वर्क्स चण्डावल हाउस	,,
143.	,, जनता ट्रंक फैक्ट्री, कृपाल भवन बम्बई,	,,
144.	,, राउण्ड किंग आयरन वर्क्स, बम्बा,	,,
145.	,, इण्डियन स्केल रिपेयर जवाहरखाना	,,
146.	,, मॉडर्न स्केल मैन्यू. एण्ड रिपेयर,	,,
147.	,, वर्मा इण्ड. खाटियों का वास,	,,
148.	,, भारतीय विरषन कम्पनी, खाण्डा फलसा,	,,
149.	,, हमीद इण्ड. बखारा बाजार,	,,
150.	,, दुर्गालाल कच्छवा सोजती गेट के अन्दर	,,
151.	,, न्यू राज इन्जी० वर्क्स पोकरण की हवेली	,,
152.	,, विजय भारत इण्ड० किलीखाना	,,
153.	,, डी. एम. कनफेक्टरी वर्क्स, सिवान्ची गेट,	,,
154.	,, पुष्कर उद्योग,	,,
155.	,, एम. एस. मैटल एलीयज,	,,
156.	,, बी. टी. बिस्कुट फैक्ट्री,	,,
157.	,, लाटीवाल इण्ड० महामंदिर,	,,
158.	,, गुलाब बीड़ी वर्क्स,	,,
159.	,, किरमी एक्सायम खाण्डा फलसा,	,,
160.	,, जेवत राम किशोरीमल कपड़ा बाजार	,,
161.	,, श्रीमती कमलेश कु. एण्ड कम्पनी पुरा मोहल्ला	,,
162.	,, सरस्वती प्रिन्टर्स, सोजती गेट के अन्दर	,,
163.	,, गिरनीया प्रिन्टर्स त्रिपोलिया बाजार	,,
164.	,, मोह. बक्स बिरजीदीन, खेदारियों का मोहल्ला	,,
165.	,, धारीवाल इण्ड० महामंदिर,	,,
166.	,, व्यास आयुर्वेदिक भवन, सोजती गेट के अन्दर	,,
167.	,, व्यास एन्टरप्राइजेज नाथवानी की बारी,	,,
168.	,, महावीर सोप एण्ड केमिकल इण्ड. महामंदिर	,,

169.	मैसर्स मनोहर कार्यालय, नागौरी गेट के बाहर	जोधपुर
170.	,, विजिन साइन्टिफिक, विजय चौक	,,
171.	,, भाईलाल गेयूलाल राम सूरसागर	,,
172.	,, असमत पुत्र आलारख ,,	,,
173.	,, भिखाराम बस्तीराम ,,	,,
174.	,, चावल राम बाबूराम ,,	,,
175.	,, चेतनराम चाबूलाल ,,	,,
176.	,, चिमनीलाल कालूराम ,,	,,
177.	,, चिमनीलाल माधुलाल ,,	,,
178.	,, घोकलराम अचलूराम	,,
179.	,, बलबीरसिंह देवसिंह	,,
180.	,, आईदान बेखामराम चौधरी	,,
181.	,, खेताराम हेनाजी	,,
182.	मूलाराम बुधाराम सूरसागर	,,
183.	पूनालाल कालूलाल ,,	,,
184.	पूनाजी रामचन्द्र ,,	,,
185.	पूसाराम नानूराम ,,	,,
186.	संतोषराम सूजाराम ,,	,,
187.	सायर कुंवर फलाजी सिंह ,,	,,
188.	शान्तिलाल चंदनन्द ,,	,,
189.	सोहनलाल भादूराम ,,	,,
190.	सोहनसिंह मुलतानसिंह ,,	,,
191.	स्टोन चीफ क्रेशर ,,	,,
192.	सुभेर्षसिंह बुधाराम ,,	,,
193.	उदयराम छोगाराम ,,	,,
194.	उम्मेदकिशन मेघदान ,,	,,
195.	बोरानी एग्रीकल्चर इम्पीमेन्ट्स वर्क्स	,,
196.	हेमन्त केमिकल वर्क्स, नई चांदपोल रोड	,,

Page No 312

(312)

197.	मैसर्स वेरमन शेयरजी बंशीलाल कबूतरों का चौक	जोधपुर
198.	हार्जा आयरन इण्डस्ट्रीज, गुलाबसागर	,,
199.	चितौगढ़ राम आयरन इण्डस्ट्रीज, गुलाबसागर	,,
200.	देवीराम मूलचन्द मेहता मार्केट	,,
201.	गणेश आयरन इण्डस्ट्रीज, गुलाबसागर	,,
202.	जेठाराम मालाराम	,,
203.	तालाराम आयरन इण्डस्ट्रीज, गुलाबसागर	,,
204.	मोहनलाल आयरन इण्डस्ट्रीज	,,
205.	मूलाराम आयरन इण्डस्ट्रीज, गुलाबसागर	,,
206.	रामचन्द्र आयरन इण्डस्ट्रीज, गुलाबसागर	,,
207.	रमेश आयरन इण्ड०, गुलाबसागर	,,
208.	ए. एच. आयरन एण्ड स्टील, नागौरी गेट	,,
209.	शकील रोलिंग मिल्स, मेहता मार्केट	,,
210.	दालचन्द रामेश्वर कटला बाजार	,,
211.	माली बायलोजिकल सप्लायर, रामदेवजी का चौक	,,
212.	सतर नेशनल आयुर्वेदिक इण्डस्ट्रीज, त्रिपोलिया बाजार	,,
213.	राजगुरू पुरोहित ट्रेडिंग कम्पनी, जालौरी गेट के बाहर,	,,
214.	लक्की प्रिन्टर्स इण्ड०, फस्ट ए रोड, सरदारपुरा,	,,
215.	मनु भाई प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, सरदारपुरा	,,
216.	गबरी मेडिकल इण्डस्ट्रीज, चौथी डी रोड, सरदारपुरा	,,
217.	एल० आर० इण्डस्ट्रीज, ,, ,,	,,
218.	तारा इण्डस्ट्रीज कार्पो०, हाईकोर्ट रोड	,,
219.	किसन टिन स्टील, तीसरी डी रोड, सरदारपुरा	,,
220.	दवे इन्जीनियरिंग वर्क्स, एयर फोर्स के पास,	,,
221.	ऋषि इन्जीनियरिंग वर्क्स, सरदारपुरा,	,,
222.	महालक्ष्मी आटोमोबाइल्स, पाल रोड,	,,
223.	पूरन आयरन वेल्डिंग वर्क्स, चोपासनी रोड,	,,
224.	बैट्री चार्जिंग सेन्टर, ,, ,,	,,

Page No 313

(313)

225. इन्टरनेशनल इण्डस्ट्रीज, चोपासनी रोड, जोधपुर ।
226. कमल ग्राटो मोबाइल्स रिपेयरिंग वर्क शॉप, चोपासनी रोड, जोधपुर ।
227. कृष्णा इन्जनियिरिंग वर्क्स, हाईकोर्ट रोड, जोधपुर ।
228. जवाहरलाल मोतीलाल मनीग्रार, स्टेशन रोड, फलोदी ।
229. बोहरा कनफेक्शन, चोपासनी रोड, जोधपुर ।
230. दीप कन्फेक्शन, पान गली, जोधपुर ।
231. सुनील फर्नीचर, सोजती गेट, जोधपुर ।
232. ग्रम्बीका एन्टरप्राइजेज, फोर्थ रोड, सरदारपुरा, जोधपुर ।
233. मन्जु परफ्यूमरी वर्क्स, रातानाडा, जोधपुर ।
234. विजय कुटीर उद्योग, जोधपुर ।
235. कुमार इण्डस्ट्रीज, सरदारपुरा, जोधपुर ।
236. मारवाड प्रोडक्ट, रातानाड़ा, जोधपुर ।
237. मुसकिरना परफार्मा इण्डस्ट्रीज, जोधपुर ।
238. प्रिया परफार्मा प्रोडक्ट्स, जोधपुर ।
239. बिरजी परफामा वर्क्स, सरदारपुरा, जोधपुर ।
240. मारवाड़ सीमेन्ट उद्योग, राई का बाग जोधपुर ।
241. शक्ति सीमेन्ट उद्योग, लूनी पंचायत समिति, जोधपुर ।
242. भारत सीमेन्ट उद्योग, चोपासनी रोड, जोधपुर ।
243. जोधपुर एसबेस्टों सीमेन्ट प्रोडक्ट्स, सरदारपुरा, जोधपुर ।
244. कृष्णा सीमेन्ट उद्योग, पाल रोड, जोधपुर ।
245. रसीद सीमेन्ट वर्क्स, रावतनाड़ा, जोधपुर ।
246. श्री रावतराम रामलाल, चोपासनी रोड, जोधपुर ।
247. एस.ए. सीमेन्ट वर्क्स, शास्त्री नगर, जोधपुर ।
148. बियुरिटी ग्रयारन स्टील वर्क्स, चोपासनी रोड, जोधपुर ।
249. बिन्नी उद्योग, राई का बाग, जोधपुर ।
250. डिमाण्ड ग्राईरन एण्ड स्टील वर्क्स, रोड नं. 3, सरदारपुरा, जोधपुर ।
251. शंकर वेल्डिग सेन्टर, रोड, नं. 11, जोधपुर ।
252. भारद्वाज स्टील इण्डस्ट्रीज, रेजीडेन्सी रोड नं. 11, जोधपुर ।
253. राजस्थान लघु उद्योग, सरदारपुरा, जोधपुर ।
254. ग्रचलुराम ट्राली वर्क्स, जोधपुर ।

Page No 314

(314)

255. दिनवा एन्टरप्राइज, सरदारपुरा, जोधपुर।

256. आई. डी. ओ. प्लास्टिक, गीता भवन के पास, जोधपुर

257. किशोर आटोमोबाइल्स, जालोरीगेट, जोधपुर।

258. रेट्रोग्राफी सेन्टर, रोड नं. 4—सी, जोधपुर।

259. जीन्दराम वेल्डिंग वर्क्स, रोड नं. 12 बी, जोधपुर।

260. प्रेम इन्जिनीयरिंग वर्क्स, रोड नं 12—बी, जोधपुर।

261. रमेश इन्जिनीयरिंग वर्क्स, गोल बिल्डिंग के पास, जोधपुर।

262. इन्टरनेशनल इन्जिनीयरिंग वर्क्स, रोड नं. 12, सरदारपुरा, जोधपुर।

263. पिवानिआ इन्जिनियरिंग वर्क्स, बचराज का बाग, जोधपुर।

264. अचलेश्वर इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन, चोपासनी रोड, जोधपुर।

265. श्री नाहरसिंह टेक्सटाइल्स, पाल रोड, जोधपुर।

266. कमला टेक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीज, रोड नं. 1 सरदारपुरा, जोधपुर।

267. शान्ती सेल्यूलाइड, मेरा आल इण्डिया रेडियो, पावटा सी रोड, जोधपुर।

268. बिल्डिंग मेटेरियल स्टोर, रेजिडेन्सी रोड, जोधपुर।

269. रामनारायण श्यामलाल परिहार, पाल रोड, जोधपुर।

270. आनन्द एन्टरप्राइजेज, रतन भवन, सरदारपुरा, जोधपुर।

271. चंचल वेल्डिंग एण्ड इन्जिनियरिंग, रोड नं. 1, जोधपुर।

272. राजू माल्डिंग सोप, हॉस्पिटल के पीछे, जोधपुर।

273. चारभुजा एग्रीकल्चर एण्ड आइरन वर्क्स, जालोरी गेट, जोधपुर।

274. संगम इन्जिनीयरिंग वर्क्स, रोड नं. 4 सरदारपुरा, जोधपुर।

275. बार मेटल इण्डस्ट्रीज, रोड नं. 3 सी, सरदारपुरा, जोधपुर।

Page No 315

315

276: स्वास्तिक शटर्स, चोपासनी रोड, जोधपुर ।

277. विश्वकर्मा इन्जिनीयरिंग वर्क्स, रातानाडा, जोधपुर ।

278. न्यू जांगिड इन्जिनीयरिंग वर्क्स, जालोरी गेट, जोधपुर ।

279. चन्द्रा इन्जिनीयरिंग वर्क्स, पाल रोड, जोधपुर ।

280. प्रभु इन्जिनीयरिंग वर्क्स, बचराजी का बाग, जोधपुर ।

281. गोविन्द इन्जिनियरिंग वर्क्स, बचराजी का बाग, जोधपुर ।

282. शाप मोटर साईकल वर्क्स, चोपासनी रोड, जोधपुर ।

283. महेन्द्र कुमार वीरेन्द्र कुमार, रातानाड, जोधपुर ।

284. मरूधर दाल मिल, चोपासनी, जोधपुर ।

285. भगवती केमिकल्स इण्डस्ट्रीज, चोपासनी रोड, जोधपुर ।

286. श्री गणेश इन्जिनीयरिंग वर्क्स, चोपासनी रोड, जोधपुर ।

287. सिंघवी एक्सपोर्ट, हाउस, बचराजी का बाग, जोधपुर ।

288. प्रेसम इन्जिनीयरिंग वर्क्स, रोड नं. 12-बी. सरदारपुरा, जोधपुर ,

289. लूनीवाल इण्ड०, महामन्दिर

290. व्यास एन्टरप्राइज, नाथावतों की बारी

291. मारवाड़ सोप फैक्ट्री, तम्बाकू बाजार

292. राजस्थान केमिकल कार्पो, चुरीघर बाजार

293. अचलाराम पुत्र बरदाराम, सूरसागर

294. भंवरलाल बेवरजी, ,,

295. चन्दनमल बिलासी कुमार, ,,

296. इशोरक पुत्र बिरदाराम ,,

297. जोधाराम लादूराम ,,

298. जीवन लाल एण्ड सन्स ,,

316

299.	कन्हैया लाल पुत्र संघराम	सूरसागर
300.	कानाराम मंगीराम	,,
301.	कंगाराम पुत्र सोमाराम	,,
302.	मांगीलाल राम एण्ड संस	,,
303.	हेमन्त केमिकल वर्क्स, न्यू चांद होल रोड	
304.	बाबूलाल आइरन इण्ड०	गुलाबसागर
305.	भंवरलाल ,, ,,	,,
306.	भोजराज ,, ,,	,,
307.	दौलत ,, ,,	,,
308.	हजारी ,, ,,	,,
309.	इन्डियन ,, ,,	,,
310.	लालाराम ,, ,,	,,
311.	रामचन्द्र ,, ,,	,,
312.	रमेश ,, ,,	,,
313.	सोनाराम ,, ,,	,,
314.	एस आजाद एग्रीकल्चर वर्क्स, चन्डावल हाउस	
315.	अब्दुल सत्तार समसुद्दीन, घास मण्डी	
316.	यू. पी, आइरन वर्क्स, चन्दावल हाउस	
317.	उस्मान आइरन वर्क्स, चन्दावल हाउस	
318.	इन्टर नेशनल एकेलिक इण्ड०, त्रिपोलिया बाजार	
319.	प्रभुजी अदीवाली सेल्यूलोडे इण्ड०, त्रिपोलिया बाजार	
320.	सज्जन बैंक्स एण्ड कम्पनी, त्रिपोलिया बाजार	

(317)

321.	सी. के. उद्योग, बासनी	राजस्थान वित्त निगम द्वारा सहायता प्राप्त इकाइयां
322.	केलिकूल इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन, जोधपुर	
323.	अम्बिका ग्राइस केण्डी, जोधपुर	
324.	परमार होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट	
325.	शारदा ग्रायल मिल्स	
326.	राठी केमिकल्स	
327.	हरगुन गेम्स इण्डस्ट्रीज	

———

319

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 160 की सूची

विद्युत कर्मचारियों की हाल ही की हड़ताल के दौरान कार्यालय सहायक अभियन्ता मंडावा (झुन्झुनू) में खरीदे गये सामान की सूची

क्र. सं.	सामान का नाम		मूल्य
1	2		3
1.	11 के.वी. फ्यूज एलीमेन्ट 2·1/2	एम्पीयर	990·00
2.	,, 5	,,	990·00
3.	,, 10	,,	990·00
4.	33 के.वी. फ्यूज एलीमेंट 25	,,	1000·00
5.	11 के.वी. फ्यूज एलीमेंट 15	,,	990·00
6.	ओपरेटिंग रोड		999·00
7.	33 के.वी. फ्यूज एलीमेंट 5	,,	1000·00
8.	स्क्रू ड्राईवर कीट सेट		990·00
9.	33 के.वी. फ्यूज एलीमेंट 10	,,	1000·00
10.	11 के.वी. फ्यूज एलीमेंट 20	,,	990·00
11.	33 के.वी. फ्यूज एलीमेंट 15	,,	1000·00
12.	पी.वी.सी. वायर ट्वीन कोर 2·5 एम.एम.		2400·00
13.	रबड़ हैण्ड ग्लोवस्		960·00
14.	पी.वी.सी. वायर सिंगल कोर 11 के.वी		2490·00
15.	33 के.वी. फ्यूज एलीमेंट 20 ए		1000·00

319

1	2	3
16.	11 के.वी. फ्यूज एलीमेंट 25 ए	990.00
17.	इन्सूलेटेड नीज प्लायर	990.00
18.	वुडन बोर्ड सिंगल साईज 6 × 5"	1000.00
19.	हैक्सा ब्लेड साईज 1" × 12"	1000.00
20.	फिक्स पाना साईज 4 × 5 सूत	1000.00
21.	ज्वाइन्टिंग क्लीप साईज 3"	1000.00
22.	किटकिट 200 एम्पीयर	990.00
23.	ज्वाइन्टिंग क्लीप साईज 2·1/2"	1000.00
24.	वुडन बोर्ड सिंगल साईज 7" × 4"	1000.00
25.	तारपोलीन साईज 6 × 3 गज	990.00
26.	11 के.वी. ओपरेटिंग रोड	1000.00
27.	स्क्रू ड्राईवर साईज 12"	990.00
28.	पी.वी.सी. कोयल साईज 95 एम. एम.	2200.00
29.	इन्सूलेटेड कटिंग प्लायर	990.00
30.	इन्सूलेटेड प्लायर साईज 8"	1000.00
31.	31 किटकिट 300 एम्पीयर	1000.00
32.	बल्ब होल्डर 500 वाट	1000.00
33.	रबर मैटिंग सीट 1"	990.00
34.	33 के.वी फ्यूज एलीमेंट 30 ए	1000.00
35.	आटोमेटिक केनलाक	1000.00
36.	ज्वाईटिंग क्लीप साईज 2"	990.00
37.	मरफी बल्ब 160 वाट	992.00

Page No 320

(320)

1	2	3
38.	वुडब वोर्ड स्क्रू 33"	990.00
39.	ज्वाईहिंग क्लीप साईज 1.1/2"	990.00
40.	अर्थिंग चैन	990.00
41.	ज्वाइंटिंग क्लीप साईज 1·1/4	990.00
42.	लाइन टेस्टर 4	994.00
43.	वुडन वोर्ड स्क्रू 2·1/2"	960.00
44.	वुडन स्क्रू 2"	990.00
45.	पी.वी.सी. केवल 6 एम. एम. टूवीन कोर	990.00
46.	रेनकोट	1000.00
57.	मीटर प्लेट थ्री फेस	2475.00
48.	मीटर प्लेट 1 फेस	2496 00
46.	मीटर टरमीनल 1/2 स्क्रू	2475.00
50.	मरमरी बल्ब 160 बल्ब	2480.00
51.	फिक्स स्पेनर सेट	2475.00
52.	जी.एस. पाइप डाइसेट 1.1/2"×2"	2490.00
53.	,, 1/2×1"	2400.00
54.	एल.टी. वुश रोड़	2500.00
55.	वेलडिंग रोड नं० 10	2475.00
56.	वेलडिंग रोड नं० 12	2475.00
57.	अर्थ हुकगनेनाईपड	2500.00
58.	तापोलिन साईज 6×3 गज	2475.00
59.	पी.वी.सी. पाइप 1"	2500.00

Page No 321

(321)

1	2	3
60.	किटकिट 15 एम्पीयर	2500.00
61.	किटकिट 30 एम्पीयर	2500.00
62.	किटकिट 60 एम्पीयर	2490.00
63.	किटकिट 100 एम्पीयर	2500.00
64.	वुडन स्लीपर साईज 8 × 8 × 5"	2500.00
65.	मरकरी चोक 250 वाट	2500.00
66.	मरकरी बल्ब 250 वाट	2500.00
67.	पी. वी. सी. वायर टू वीन कोर 1·5 एम. एम.	2475.00
68.	पी. वी. सी. वायर टूवीन कोर 2·5 एम. एम.	2400.00
69.	पी. वी. सी. वायर टूवीन कोर 4 एम. एम.	2500.00
70.	पी. वी. सी. वायर टूवीन कोर 6 एम. एम.	2475.00
71.	कन्डूयट पाइप डाई सेट 1.1/4 × 2',	2490.00
72.	एल्यूमूनियम स्लीपर डाईसेट	2500.00
73.	कन्डूयट पाइप डाई सेट 1 × 1/2"	2400.00
74.	वुडन बोर्ड साईज 10 × 12"	2475.00
75.	वुडन बोर्ड 8" × 10"	2496.00
76.	ट्रान्सफारमर वुशिंग क्लेप	2500.00
77.	लाइन टेस्टर	2485.00
78-	स्क्रू ड्राईवर 10,'	2500.00
79.	,, ', 8"	2475.00
80.	रिंग स्पेनर साईज 5/8" × 1/2"	2500 00

Page No 322

(322)

1	2	3
81.	टेस्टर किट सेट	2475.30
82.	रबर कार्कसीट	2475.00
83.	रबर हैण्ड ग्लोवस् 11 के. वी.	2490.00
84.	अर्थिंग चेन	2400.00
85.	हेक्सा ब्लेड 1"×12"	2500.00
86.	ट्रान्सफारमर वुश्निग वाशर	2500.00
	योग—	149090.00
		(1·9090.00)

———

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 161 की सूची

नियमित रूप से चयनित कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची जिन्हें वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 के दौरान कनिष्ठ अभियन्ता के 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटे में सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दी गई।

क्रम सं.	नाम	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर नियुक्ति का दिनांक	सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति के आदेश संख्या दिनांक	योग्यता	अनुभव
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सत्यनारायण भोमिया	23-6-65	40/स्था./4375-76, दिनांक 4-8-78	डिप्लोमा इन सिविल इंजी. ए.एम.आई.ई. 8-8-76	12 वर्ष
2.	" रमेशचन्द	2-11-65	" 1021 दि. 10-3-78	ए.एम.आई.ई. 1976	13 वर्ष

1	2	3	4	5	6
3.	श्री रतनलाल बत्रा	3-6-66	40/स्था./4375-76 दि. 4-8-78	ए.एम.आई.ई.	12 वर्ष
4.	,, सुन्शीलाल सचदेवा	1-6-66	,, दि. 4-8-78	बी.ई.	12 वर्ष
5.	,, विनोद कुमार शर्मा	21-8-67	,, 1021 दि. 10-3-78	ए.एम.आई.ई.	11 वर्ष
6.	,, जय भगवान	1-12-66	,, ,,	बी.ई.66	12 वर्ष
7.	,, सी बी. सिंह	24-11-66	,, ,,	,,	12 वर्ष
8.	,, बी. एल. खत्री	13-6-66	,, ,,	,,	12 वर्ष
9.	,, सेवाराम गुप्ता	12-7-66	,, ,,	,,	12 वर्ष
10.	,, जी. सी. कौशिक	20-12-66	,, ,,	,,	12-वर्ष
11.	,, डी. के. मिश्रा	8-5-68	,, ,,	,, 77	9 वर्ष
12.	,, दलजीत सिंह सैनी	19-9-68	,, ,,	,, 68	9 वर्ष
13.	,, अजीत कुमार जैन	27-10-66	,, ,,	ए एम.आई. 73	12 वर्ष
14.	,, एन. सी. सिडाना	23-11-66	,, ,,	बी.ई., 73	12 वर्ष
15.	,, आर. सी. मेहता	23-12-68	,, ,,	ए.एम.आई.75	9 वर्ष
16.	,, सुरजीतसिंह गिल	13-8-68	,, 4375-76 दि. 4-8-78	बी.ई. 74	9 वर्ष

1	2	3	4	5	6
17.	श्री अमृतलाल जैन	17-12-68	40/स्था./4375-76 दि. 4-8-78	ए.एम.आई. 74	9 वर्ष
18.	,, प्रमोद कुमार अग्रवाल	21-12-68	,, 1021 दि. 10-3-78	,, 74	9 वर्ष
19.	,, आर. एस. राव	23-12-68	,, 4375-76 दि. 4-8-78	बी.ई. 66	12 वर्ष
20.	,, नरेशचन्द जैन	2-1-67	,, ,,	बी.ई. 66	12 वर्ष
21.	,, आर. एस. शर्मा	18-7-68	1021 ,, दि. 1-3-78	बी.ई. 67	9 वर्ष
22.	,, प्रेम प्रकाश अग्रवाल	20-7-67	, 43-75-76 दि. 4-8-78	बी.ई. 67	10 वर्ष
23.	,, के. एम. अग्रवाल	5-9-68	,,	बी.ई. 68	9 वर्ष
24.	,, वाई. के भाटिया	16-12-68	,,	बी.ई. 68	9 वर्ष
25.	,, सुरेन्द्रकुमार गुप्ता	30-12-68	,,	बी.ई. 67	9 वर्ष
26.	,, लखपत राज मेहता	4-1-69	,,	बी.ई. 68	8 वर्ष
27.	,, सत्यनारायण माथुर	4-1-69	,,	बी.ई. 74	8 वर्ष

		2	3	4	5
28.	श्री श्यामलाल-2	2-7-69	40/स्था./4375-76	बी.ई. 79	8 वर्ष
29.	,, तेजप्रकाश गुप्ता	2-1-70	दि. 4-8-78	बी.ई. 67	8 वर्ष
30.	,, सी. पी. जोशी	3-1-70	,,	बी.ई. 69	7 वर्ष
31.	,, नरेन्द्र कुमार सुराणा	23-1-70	,,	बी.ई. 69	7 वर्ष
32.	,, केवलकृष्ण गर्ग	24-1-70	,,	बी.ई. 69	7 वर्ष
33.	,, सत्यनारायण	27-1-70	,,	बी.ई. 69	7 वर्ष
34.	,, एस. ग्रार. सिंघल	31-1-70	,,	ए.एम.ग्राई. ई. 75	7 वर्ष
35.	,, मंगतलाल सिडाना	22-1-70	,,	बी.ई. 70	7 वर्ष
36.	,, एस. पी. एस. कोठारी	6-2-70	,,	बी.ई. 70	7 वर्ष
37.	,, निर्मलचन्द राजगुरु	7-2-70	,,	बी.ई. 69	7 वर्ष
38.	,, सुग्राऊद्दीन खिलजी	9-2-70	,,	बी.ई. 69	7 वर्ष
39.	,, नन्दलाल गुलनानी	11-2-77	,,	बी.ई. 69	7 वर्ष
40.	,, जे. एल. कोचर	14-2-70	619–15 26-2-79	बी.ई. 68	7 वर्ष
41.	,, दिनेशचन्द्र गुप्ता	1-7-65	9293 5-2-79	बी.ई. 77	13 वर्ष

1	2	3	4	5	6
42.	श्री अमानत राय	29-7-66	स्था/40929.3 दि. 5-2-79	बी.ई. 77	12 वर्ष
43.	,, सत्यनारायण	29-7-66	,,	ए.एम.आई.ई. 77	
44.	,, अनिल कुमार बोहरा	9-1-70	,,	,, 77	7 वर्ष
45.	,, आर. एल. बंसल	14-9-69	,,	,, 77	10 वर्ष
46.	,, रमेशचन्द जैन	21-9-69	,,	,, 77	11 वर्ष
47.	,, आशाराम गोयल	21-8-67	,,	,, 77	11 वर्ष
48.	,, डी. डी. आहूजा	5-2-63	,,	,, 77	16 वर्ष
49.	,, गुरदेवसिंह	10-6-66	614-15 दि. 26-2-79	,, 78	13 वर्ष
50.	,, जगदीश चन्द बजाज	18-12-68	92-93 दि. 5-2-79	,, 78	10 वर्ष
51.	,, तरसेमलाल गुप्ता	5-12-59	614-15 26-2-79	,, 78	19 वर्ष
52.	,, मंगतीलाल गुप्ता	1-2-65	1467-67 दि. 23-11-79	,, 78	16 वर्ष
53.	,, गुरु सिद्ध सिंह	23-8-65	,,	,, 78	16 वर्ष

1	2	3	4	5	6
54.	श्री जुगलकिशोर सिंघल	18-12-68	40/स्था/614–15 दि. 26-2-79	,, 78	10 वर्ष
55.	,, शंकरलाल टाक	22-1-71	843–44 3-4-79	बी.ई. 78	9 वर्ष
56.	,, जे. एल. टेलर	21-12-70	614–15 दि. 26-2-79	ए.एम.आई.ई. 78	10 वर्ष
57.	,, बलदेव कुमार सिंघल	21-10-70	843–44 3-4-79	,, 78	10 वर्ष

तदर्थ कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची (जो अभी तक नियमित रूप से चयनित नहीं किये जा सके हैं) जिन्हें 25 प्रतिशत कनिष्ठ अभियन्ता के कोटे में सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दी गई

1	2	3	4	5	6
58.	श्री के. एल. अरोड़ा	16-8-66	40/स्था/203–204 दि. 23-11-78	बी.ई.	11 वर्ष
59.	,, एस. एल. बेनीवाल	31-1-69	,,	,,	9 वर्ष

1	2	3	4	5	6
60.	श्री. मदनमोहन गुप्ता	31-1-70	40/स्था/203-204 दि. 23-11-78	वी.ई.	8 वर्ष
61.	,, एस. के. गोयल	12-2-70	,,	,,	8 वर्ष
62.	,, भंवरलाल सी. जैन	16-2-70	,,	,,	8 वर्ष
63.	,, एस. के. भूटानी	19-2-7C	,,	,,	8 वर्ष
64.	,, गोपाराम चौधरी	21-2-70	,,	,,	8 वर्ष
65.	,, ए. एस. खोसा	23-2-70	,,	,,	8 वर्ष
66.	,, अनिल कुमार छिब्बर	24-2-70	,,	,,	8 वर्ष
67.	,, आर. आर. भण्डारी	28-2-70	,,	,,	8 वर्ष
68.	,, श्रवणकुमार बड़जात्या	9-3-70	,,	,,	8 वर्ष
69.	,, आर. के. कीमती	17-3-70	,,	,,	8 वर्ष
70.	,, विनोद कुमार शर्मा	26-3-70	,,	,,	8 वर्ष
71.	,, अजुल हक	7-4-70	,,	,,	8 वर्ष
72.	,, चन्द्रभान राठौड़	8-4-70	दि.. 92–93 5-2-78	,,	8 वर्ष
73.	,, नेमीचन्द सेठिया	10-4-70	203-20 दि. 23-11-78	,,	8 वर्ष

1	2	3	4	5	6
74.	श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल	14-7-70	40/स्था/203-24 दि. 2?-11-78	वी.ई.	8 वर्ष
75.	,, ढी. एल. पावा	16-4-70	,,	,,	8 वर्ष
76.	,, कुलवन्तसिंह पूनिया	16-4-70	,,	,,	8 वर्ष
77.	,, एस. के. मित्तल	17-4-70	,,	,,	8 वर्ष
78.	,, एस. सी. तातेड़	20-4-70	,,	,,	8 वर्ष
79.	,, रमेशदत्त पाण्डे	20-4-70	,,	,,	8 वर्ष
80.	,, नरेन्द्रदेव पूनिया	20-4-70	,,	,,	8 वर्ष
81.	,, प्यारासिंह	2?-4-70	,,	,,	8 वर्ष
82.	,, विजयगोपाल अग्रवाल	13-5-70	,,	,,	8 वर्ष
83.	,, रमेशचन्द्र श्रीवास्तव	29-5-70	,,	,,	8 वर्ष
84.	,, देवदत्त शर्मा	3-7-70	,,	,,	8 वर्ष
85.	,, वी. के. श्रीवास्तव	4-11-70	,,	,,	7 वर्ष
86.	,, सुन्दरदास हंस	1-6-71	,,	,,	7 वर्ष
87.	,, एल. के. सोगानी	14-6-71	,,	,,	7 वर्ष
88.	,, अजीत सिन्हा	16-6-71	,,	,,	7 वर्ष

(331)

1	2	3	4	5	6
89.	श्री बाबुराम अग्रवाल	17-6-71	40/स्था/203–204 दि. 23-11-78	बी.ई.	7 वर्ष
90.	,, बृजमोहन गोयल	17-6-71	,,	,,	7 वर्ष
91.	,, गोपाल व्यास	22-6-71	,,	,,	7 वर्ष
92.	,, एम. के. गोयल	22-6-71	,,	,,	7 वर्ष
93.	,, विदेन्द्र कुमार जोशी	22-6-71	,,	,,	7 वर्ष
94.	,, विमल कुमार जोशी	25-6-71	,,	,,	7 वर्ष
95.	,, हंसराज नरुला	1-7-71	,,	,,	7 वर्ष
96.	,, मोहनलाल जैन	1-7-71	,,	,,	7 वर्ष
97.	,, महेन्द्रसिंह शेखावत	1-7-71	,,	,,	7 वर्ष
98.	,, आर. बी. गुप्ता	1-7-71	,,	,,	7 वर्ष
99.	,, मंगललाल मूंदड़ा	2-7-71	,,	,,	7 वर्ष
100.	,, वागीश कुमार	3-7-71	,,	,,	7 वर्ष
101.	,, भंवरलाल मिश्रा	23-7-71	,,	,,	7 वर्ष
102.	,, नित्यानन्द शर्मा	18-8-71	,,	,,	7 वर्ष

1	2	3	4		
103.	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	18-9-71	40/स्था/843 दि 3-4-79	बी. ई.	7 वर्ष
104.	,, सीताराम टाक	1-12-71	,,	,,	7 वर्ष

333

परिशिष्ट/क

जनवरी, 1979 के बाद के पास ए० एम० आई० इ० अभ्यर्थी जिनको कनिष्ठ अभियंता का पद दिया गया है।

क्र०सं०	नाम कर्मचारी	ए० एम० आई० इ० पास होने पर क. अभि. लगाने का दिनांक
1	2	3
1.	श्री सोहन लाल अग्रवाल	10.2.79
2.	श्री हीरा लाल	10.2.79
3.	संग्राम सिंह	16.8.79
4.	श्री मानचन्द गोयल	16.8.56
5.	श्री मांगीलाल बेमीवाल	16.8.79
6.	श्री पुरषोत्तम दास अरोड़ा	16.8.79
7.	श्री अमरजीत सिंह	16.8.79
8.	श्री सी० आर० रामचन्दानी	16.8.79
9.	श्री शंकरलाल	6.11.79
10.	श्री हुकमचन्द कौशिक	3.3.80
11.	श्री दिनेशचन्द बसंल	3.3.80
12.	श्री जे०के० मित्तल	3.3.80
13.	श्री आर०एच० नाटानी	3.3.80
14.	श्री आर०एस० माथुर	1.7.80
15.	श्री के०सी पारासर	1.7.80
16.	श्री प्रकाश चन्द शर्मा	30.8.80
17.	श्री दर्शन सिंह	30.8.80
18.	श्री बलजिन्द्र सिंह	30.8.80
19.	श्री महेन्द्र प्रताप	30.8.80

1	2	3
20.	श्री अब्दुल रहीम खां	30.8.80
21.	श्री श्याम बाबू भार्गव	30.8.80
22.	श्री जसवन्त सिंह मारू	3.3.81
23.	श्री आशा राम	3.3.81
24.	श्री खेमा राम	3.3.81
25.	श्री किशन स्वरूप तायल	3.3.81
26.	श्री सुजान राम ठोलिया	24.8.80
27	श्री राम सिंह गोदारा	6.3.82
28	श्री राम बाबू प्रधान	28.8.81
29.	श्री महेश प्रकाश धवल	17.3.82

335

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 168 की सूची

वर्ष 1981–82 व 82–83 में निर्वाचन क्षेत्र टोंक में स्वीकृत किये गये सहायता कार्यों एवं उन कार्यों हेतु स्वीकृत राशि का अभिकरणवार विवरण

नाम अभिकरण	क्र.सं.	नाम कार्य	राशि (लाखो में)
1	2	3	4
1. सार्वजनिक निर्माण विभाग	1.	टोंक बम्बोर	2.65
	2.	पीपलू रानोली	0.80
	3.	मेकिंग रोड साइडड्रेन्स ब्रेम्स टोंक देवली रोड	1.00
	4.	मेकिंग रोड साइड ड्रेम्स एण्ड ब्रेम्स टोंक रोड सवाई माधोपुर	0.50
	5.	क्लिनिंग सवाई माधोपुर रोड	0.35
	6.	पांचबत्ती न्यू मंडी वाया गेन्दे की चौकी टोंक	2.50
	7.	टोंक सोनवा रोड	0.25
	8.	एस./आर. सीटी रोड	1.00
	9.	टोंक बम्बोर	2.85
	10.	टोंक सोनवा	3.00

1	2	3	4
	11.	पीपलू रानोली	3·00
		योग:–	17.90 लाख
2. सिंचाई विभाग	1.	दाखिया बांध	1.60
	2.	लाम्बा बांध	1.50
	3.	बम्बोर तालाब	–1.96
		योग:–	4.96
3. भू-संरक्षण विभाग	1.	जलपोषक क्षेत्र श्योपुरी	1.47
	2.	हाबी वाटर सेड़	2.88
	3.	लांक तालाब	0.37
		योग:--	4.72
4. वन विभाग	1.	जखीरा नर्सरी टोंक क्षेत्रफल --5 एकड़	0.50
		योग:--	0.50

इस प्रकार इन विभागों को 18 कार्य करने हेतु 28.08 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिनके निर्माण कार्य कराये गये है।

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 169 की सूची

क्र सं.	गाँव का नाम	कोड नं.	पंचायत का नाम	कुल बोर	सफल बोर	असफल बोर	हैंड पम्प की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	हाथमा	104	देरासर	5	3	2	2	इनमें पानी की मात्रा कम है
2.	मीठीसर	109	भादरेस गांधव	[illegible]	2	3	2	पानी मीठा है
3.	सिहानी	30	सिहानी	7	7	—	6	पानी की मात्रा कम है
4.	जसाई	106	जसाई	4	2	2	2	पानी मीठा है
5.	आंटी खुर्द	121	आंटीया	2	2	—	2	पानी मीठा है
6.	परा	105	जसाई	1	1	—	1	पानी मीठा है
7.	जुनापतरासर	120	बालेरा	4	2	2	2	पानी मीठा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	गेहूं	115	जालीपा	2	2	—	2	पानी मीठा है
9.	दुदाबेरी	02	नांद	2	2	—	2	पानी मीठा है
10.	सोखरू	04	सुरा चारणान	2	2	—	2	पानी मीठा है
11.	ग्राबराऊ	29	सिहानी	2	2	—	2	एक में खारा पानी है
12.	बसरा	31	इन्द्राही	1	1	—	1	पानी मीठा है
13.	नांद	05	नांद	4	3	1	3	पानी मीठा है
14.	केरवा	09	सुरा चारणान	2	1	1	—	पानी कम होने के कारण हैण्ड पम्प नही लगाया है।
15.	लगेरा	128	माऊडी	4	4	—	4	पानी मीठा है
16.	मीठड़ी खुर्द	119	जसाई	2	2	—	2	पानी मीठा है
17,	जायडु	32	इन्द्राही	1	1	—	1	पानी कुछ मात्रा में खारा तथा गांव वाले पानी उपयोग में लेते है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	माऊडी	116	माऊडी	3	3	—	2	गांव वालों नें पत्थर भर दिये है
19.	मलवा	03	नांद	1	1	—	1	पानी थोड़ा खारा है
20.	दऊड़ा	117	माऊडी	3	3	—	3	पानी मीठा है
21.	दाता	118	मारुडी	2	2	—	2	एक में खारा पानी है
22.	आसाडा की बेरी	107	जसाई	2	2	—	2	एक में खारा पानी है
23.	आंटा	26	माऊडी	1	1	—	1	पानी मीठा है
24.	सुरा चारण	06	सुरा चारणा	1	1	—	1	पानी मीठा हैं
25.	सुरा नरपता	08	सुरा चारणा	1	1	—	1	पानी मीठा है
26.	सुरा जांगिड़	07	सुरा चारणा	1	1	—	1	पानी मीठा है
27.	कनोडा	10.	सुरा चारणान	3	3	—	3	पानी मीठा है
28.	लूणे	113	जालीपा	3	1	2	1	पानी मीठा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	सवाऊ पदमसिंह	190	सवाऊ पदमसिंह	2	2	—	3	एक में पानी कम होने के कारण हैण्ड पम्प नहीं लगाया है।
30.	ऊंडखा	126	ऊंडखा	3	3	—	3	पानी मीठा है पर्याप्त है
31.	राणी गॉव	124	राणी गांव	4	4	—	4	,,
32.	रड़वा	12[illegible]	बालेरा	2	2	—	2	,,
33.	बाड़मेर शहर	—	बाड़मेर	1	1	—	1	,,
			कुल योग	83	70	13	65	

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 172 की सूची

क्र सं.	नाम अध्यापक	निवास स्थान	इस संस्था में कार्य करने की दिनांक
1		2	3
1.	श्री हजारी लाल सुथ्रावाल प्र.अ.	पलानाकला	1.8.81
2.	,, नरेशचन्द्र जैन व्या0	सनवाड़	11.9.80
3	,, जीवनसिंह गौरवाड़ा	उदयपुर	19.9.80
4.	,, नर्वदा शंकर गौड़	उदयपुर	26.11.80
5.	,, याहिया अली बोहरा	उदयपुर	15.9.80
6.	,, हरिनारायण डाबी	नाथद्वारा	6.9.80
7.	,, भगवती लाल राजोरा	कुरज	27.11.80
8.	,, धर्म चन्द जैन	थायला	16.8.76
9.	,, रामचन्द्र वोघीला	उदयपुर	9.9.78
10.	,, कैलाश बिहारी गर्ग	अलवर	25.8.80
11.	,, हिरालाल श्रीमाल	उदयपुर	14.2.81
12.	श्रीमती पूर्णा सनाढ्य	नाथद्वारा	2.3.82
13.	श्री तेज शंकर जोशी	कानोड़	5.8.82

(342)

1	2	3
द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक		
1. श्री शिव चन्द्र आमेटा	गादोली (बावली)	26.11.80
2. श्रीमती एलित जोसवीन	उदयपुर	9.9.80
3. श्री रूप कुमार वासीवाल.	नाथद्वारा	7.7.77
4. ,, नूरदीन बोहरा	उदयपुर	15.9.80
5. ,, रोशनलाल लोढा	नाथद्वारा	2.12.78
6. ,, निर्मल कुमार मेहता	छोटी सादड़ी	5.3.80
7. ,, श्रीनिवास सोनी	उदयपुर	30.12.80
8. ,, शंकरलाल शर्मा	मावली	28 9.80
9. ,, नरेन्द्र कुमार तिवारी	उदयपुर	10 8.76
10. ,, हरिशंकर शर्मा	उदयपुर	21.4.81
11. ,, भंवरलाल माहेश्वरी	भीण्डर	28.11.81
12. ,, शांति लाल कोठारी	वल्लभनगर	7.8.82
तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक		
1. ,, रविशंकर शर्मा	मावली	30.8.80
2. ,, ख्यालीलाल सामोता	मावली	29.7.73
3. ,, रमेशचन्द्र टेबर	उदयपुर	1.5.76
4. ,, पन्ना लाल शर्मा	मावली	28.7.77
5. ,, नाथूदास बैरागी	मावली	4.8.69
6. ,, शिवनाथ सिंह चौहान	भीण्डर	26.12.80
7. श्रीमती अहिल्या जोशी	उदयपुर	5.7 80
8. श्री पृथ्वीराज मेनारिया	मेनार	23.8.80
9. ,, कन्हैया लाल हरिजन	मावली	12.2.81
10. ,, शंकर लाल टेलर	कुरावड़	2.10.79

1	2		3
11.	श्री नाथू लाल भोजावत	भीण्डर	5.2.81
12.	,, नरेन्द्र कुमार आदित्य	उदयपुर	8.10.77
13.	,, मोहन लाल दिक्षित	सावरिया	9.2 82
14.	,, कृष्ण वल्लभरावत प्र.शा. स.	नाथद्वारा	21.12.71
15.	,, निसार अहमद काज़ी ,,	उदयपुर	18.12.67
16.	,, रविदत्त श्रीमाली ,,	मावली	18.8.81
17.	,, उदयलाल जोशी एन.डी.एस.आई.	मावली	4.7.68

349

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
(COOPERATIVE DEPARTMENT)

No. F. 11(7) Cocp/75 Jaipur the 25-3-75

To,

The Registrar,
Cooperative Societies,
Rajasthan, Jaipur.

Sub : Grant of Share Capital contribution to the Rajasthan State Cooperative Consumers Federation for maintaining the buffer Stocks of various medicines centrally for 12 Medical Shops.

Sir,

I am directed to convey sanction of the Governor to the grant of Rs. 15,00,000/- (Rupees fifteen lacs) only towards the additional share capital contribution to the Rajasthan State Cooperative Consumers Federation Ltd', for maintaining the buffer stocks of various medicines centrally for 12 medical shops opened at the following places under the scheme of Govt. Employees Medical Depts. during the current financial years.

S. N.	Location of the shop	No.
1.	S. M. S. Hospital	2
2.	Zanana Hospital	2
3.	Purani Basti Dispensary	1
4.	Top Khana Desh	1
5.	Ramganj	1
6.	Banipark Dispensary	1
7.	Adarsh Nagar Dispensary	1
8.	Tilaknagar Dispensary	1
9.	Gandhinagar Dispensary	1
10.	Residency Dispensary	1
		12

The expenditure on this account will be debited to the head '800-contingency Fund 498 Capital outlay on cooperation ( ) Consumers Cooperative (i) Investment in State Federation for cosumer Cooperative stores (plan Exp.). The funds have already been provided as an advance from the Rajasthan contingency fund by the Finance Department vide their order No. F. 29i) FD 1 B/71-I dated 18.1.75.

The account of grantee shall remain open for the test check by the officers of the Indian Audit and Accounts Deptt. as well as State Government at discretion.

This issues with the concurrence of Planning Department vide their I. D. No. 199 dated 22-2-75 Finance Department (Agr I) vide their I.D. No. 131/FDCCA & I) dated 22-3-75.

Yours faithfully,

Sd/- 25-3-75
Asstt. Secretary to Govt.

Cooperative Department Rajasthan
Jaipur

No. F. 11 (14) CDR/Cons/II/74 dated the 20th. 3-75,

Copy forwarded for information and necessary action to :—

1. The Deputy Registrar (Adm.) Coop. Societies, Raj. Jaipur alongwith original sanction & two spare copies for arranging payment.
2. The Accounts Officer, Coop. Deptt., Raj. Jaipur for arranging pay Authority from Accountant General's office.

3. The General Manager, Raj. Rajya Sah. Upbhokta Sangh Ltd., Jaipur.
4. The Dy. Registrar (Plan) Head Office, Jaipur.
5. The Deputy Registrar, Coop. Societies Ajmer Zone Hq. Jaipur.
6. Budget file.

Sd/-
(R. S. Verma)
Deputy Registrar (Cons)
Cooperative Societies
Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 178 की सूची

वर्ष 1980-81 में संविदा अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये लाइसेन्सों की जिलेवार सूची

	जिले का नाम	वर्ष 1980-81 में जारी किये गये लाइसेन्सों की संख्या
1.	पाली	5
2.	जालौर	—
3.	सिरोही	—
4.	जयपुर	11
5.	टोंक	1
6.	सीकर	1
7.	झुन्झुनू	2
8.	उदयपुर	45
9.	डूंगरपुर	8
10.	अजमेर	2
11.	कोटा	45
12.	बून्दी	1
13.	झालावाड़	1
14.	भरतपुर	5
15.	अलवर	12
16.	भीलवाड़ा	5
17.	चित्तौड़गढ़	24
18.	बांसवाड़ा	14
19.	श्री गंगानगर	8
20.	जोधपुर	10
21.	जैसलमेर	1
22.	बीकानेर	—
	योग :—	201

नोट : 8 मामले विचाराधीन हैं।

(340)

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 184 की सूची **परिशिष्ट "क"**

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा संचालित परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम व स्थान	खनिज
1.	राजस्थान फ्लोरस्पार परियोजना, माण्डो की पाल, डूंगरपुर	फ्लोरस्पार
2.	जालौर फ्लोरस्पार परियोजना, करारा, भीनमाल, जालौर	फ्लोरस्पार
3.	खरबडिया का गुडा परियोजना, जिला-उदयपुर	रॉकफास्फेट
4.	बडगांव परियोजना, जिला-उदयपुर	" "
5.	मिनरल डोलोमाइट, डाकनकोटरा, तह-गिरवा, जिला-उदयपुर	" "
6.	कानपुर माइन्स, जिला-उदयपुर	" "
7	टंगस्टन परियोजना, डेगाना	टंगस्टन
8.	लाइमस्टोन परियोजना, मोटन	लाइमस्टोन
9.	मोहनपुर जोधपुरा माइन्स, कोटपूतली, जिला-जयपुर	" "
10.	माही ग्रेफाइट परियोजना बांसवाड़ा	ग्रेफाइट
11.	जिप्सम परियोजना, नागौर	जिप्सम
12.	जिप्सम परियोजना, बज्जू, तह-कोलायत, जिला-बीकानेर, राज.	" "
13.	पल्लू परियोजना, तह-नोहर जिला-गंगानगर	" "
14.	जिप्सम प्रोजेक्ट, गामरिया, जिला-बाड़मेर	" "
15.	बेन्टोनाइट परियोजना, आकली जिला-बाडमेर	बेन्टोनाइट
16.	सिलीसिअस अर्थ परियोजना, सजित, जिला-बाडमेर	सिलीसियस अर्थ
17.	स्लेट परियोजना, मांडन, जिला-अलवर	स्लेट स्टोन
18.	ग्रेनाइट परियोजना, जालौर	ग्रेनाइट
19.	मल्टीमेटल्स परियोजना, डेरी, आबूरोड, जिला-सिरोही	बेस मेटल्स (शीशा, जस्ता, तांबा)

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा संयुक्त क्षेत्र में देने के लिए विचाराधीन

क्र. सं.	परियोजना का नाम व स्थान	खनिज
1.	लाइमस्टोन प्रोजेक्ट, मोटन	लाइमस्टोन
2.	ग्रेनाइट माइन्स, जालौर	ग्रेनाइट
3.	राजस्थान स्टेट ग्रेनाइट एवं मारबल्स लिमिटेड बासनी जोधपुर।	ग्रेनाइट एवं मारबल
4.	आकली बेन्टोनाइट प्रोजेक्ट, बाड़मेर	बेन्टोनाइट
5.	स्लेट प्रोजेक्ट, माण्डन, जिला–अलवर	स्लेट
6.	माही ग्रेफाइट परियोजना, बांसवाड़ा	ग्रेफाइट
7.	जगत बैराइट्स, तहसील–गिरवा, जिला- उदयपुर	बैराइट्स

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 187 की सूची

क्र०सं०	प्लाट नं०	प्लाट का स्थान	क्षेत्रफल	कीमत	दर	बदला गया स्थान	क्षेत्रफल	कीमत	मालिक का नाम	वर्तमान दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	44	आघाट नगर	2800 स. फी.	22540	8.05	हि. म. से. 4 (180)	2400	21832	एस. बी. बी. जे.	
2.	217	प्रताप नगर	108/9 स. फी.	886	11 आ.	हि. म. से. (510)	138/8/9	10561	लछीराम सालवी	
3.	160	हि. से. न. 3	2807 स. फी.	26385	(9·40)	हि. से. 11 (446)	2490 स. फी.	24118-20	एम. एस. आचार्य	

Page No 351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	39	आघाट नगर	2800 स. फी.	28700	(10·25)	हि. म. से.11 (382)	2855 स.फी	10-25	एम. सी. मेहता	
5.	47	आघाट नगर	2800 स.फी.	22250	(7·95)	हि. से. 11 (401 अ)	3811 स. फी.	12244	अनिल कोठारी	
6.	45	आघाट नगर	2800 स. फी.	21700	(7·75)	हि. से. 11 (401)	35-20	25860	सुरेन्द्र कोठारी	
7.	351	हि. स.-5	2074-3	21157-	35	हि. से. 4 (169)	2400 स.फी.	13867-25	जुगल किशोर	
8.	29	आघाट नगर	2400	4983		हि.से.-4 (170)	2400 स. फी.	4983	मूलचन्द केवलिया	

विशेष विवरण वर्तमान में हि. से. 11 की दर 21-50 प्रतिवर्ग फुट

" " " " 4 " " 9–57 प्रति वर्ग फुट

Page No 352

(352)

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न 189 की सूची

क्रमांक	नाम नगरपालिका	कितनी राशि	कब
1.	चित्तोड़गढ़	3?,396·00	22·5·81
		32,396 00	6.8.81
		49,830·00	25.10.81
2.	प्रतापगढ़	21,753 00	22.5.81
		21 753·00	6.8.81
		31,775 05	25.10.81
3	निम्बाहेड़ा	20,678·00	22.5.81
		20,678·00	6.8,81
		40,940·00	25.10.81
		20,000·00	7.1.82
4.	छोटी सादड़ी	12,025·00	22.5 81
		12,025·00	6 8.81
		23,809·00	25.10.81
		20,000·00	7.1.82
5.	बड़ी सादड़ी	11423·00	22.5.81
		11,423 00	6.8.81
		22,616·00	25.10.81
		20,000·00	7.1 82
6.	कपासन	13,634·00	22.5.81
		13,634·00	6.8 81
		21:994·00	25,10,81
		20,000·00	7,1,82

(353)

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 190 की सूची

क्र० सं०	नाम किरायेदार	गुमटी कब से है	किराया नगर-पालिका द्वारा कब से लिया जा रहा है।
1	2	3	4
1.	गंगाबाई गेन्दी लाल	8-5-54	8-5-54
2.	बद्री लाल चुन्नी लाल	8-5-54	8-5-54
3.	बापू सिंह तेज सिंह	8-5-54	8-5-45
4.	गोविन्द लाल घनश्याम	8-5-54	8-5-54
5.	मुलकराज सुन्दर सिंह	8-5-54	8-5-54
6.	अमोलक चन्द चांदमल	8-5-54	8-5-54
7.	नारायण लाल फूलचन्द	8-5-54	8-5-54
8.	गोपाल मगनीराम	22-9-58	22-9-58
9.	राम स्वरुप रामरखा	25-5-57	25-5-57
10.	प्रभुलाल रामचन्द	12-7-58	12-7-58
11.	पंचम गिरी महेश गिरी	16-11-60	16-11-60
12.	किशन लाल राजाराम	28-8-60	28-8-60
13.	भैरु लाल नन्दलाल	31-5-63	31-5-63
14.	पुरालाल नानालाल	23-11-65	23-11-65
15.	प्रतिपाल सिंह मुलकराज	8-5-54	8-5-54

(354)

1	2	3	4
16.	सिन्दर पाल सिंह मुलकराज	8-5-54	8-5-54
17	श्याम लाल नन्द लाल	19-2-68	19-2-68
18.	कृष्ण गोपाल चतुरभुज	12-2-68	12-2-68
19.	गोरधन सिंह भगवानसिंह	1-7-68	1-7-68
20.	धनराज भंवर लाल जैन	27-6-68	27-6-68
21.	देशराज भगवान दास	13-12-68	13-12-68
22.	सूरजीबाई पन्नालाल	12-12-68	12-12-68
23.	सुन्दर लाल पोखारदास	सन् 1954 से	सन् 1954 से
24.	गोविन्द लाल बनारसी लाल	16-2-69	16-2-69
25.	रामनारायण भेरुलाल	18-1-63	18-1-63
26.	पुरुषोतम मदन लाल	13.12.67	13.12,67
27.	रामप्रसाद बद्री लाल	13.12.67	13.12.67
28.	लक्ष्मणदास लूथरा	16.2.69	16.2.69
29.	देवीदास भगवानदास	16.2.69	16.2.69
30.	शकंर लाल राम सिंह	9.9,69	9.9.69
31.	बालाराम हरलाल	29.12.60	29.12 60
32.	मांगीलाल देवीलाल	1.6.72	1.6.72
33.	राधेश्याम भैरुलाल	18.10.73	18.10.73
44.	सुरेश कुमार नारायण लाल	10.12.73	10.12.73
35.	छगनलाल गोविन्दलाल	10.12.73	10.12.73
36.	रामसिंह पन्नालाल	21.2.74	21.2.74
37.	रामदत्त मल भगवानदास	13.9.74	13.9.74
38.	लक्ष्मीनारायण गोपीलाल	31.12.74	31.12 74

1	2	3	4
39.	रुघनाथ चतरभुज	4.7.75	4.7.75
40.	रमेश चन्द पोखर दास	24.5.76	24.5.76
41,	अमृत लाल तुलसीराम	1.6.75	1.6.75
42,	मोहन लाल वंशीधर	21.3.76	21.3.76
43,	मांगी लाल कुन्दन लाल	5.5.76	5.5.76
44,	मांगी लाल मोती लाल	5,5,76	5,5.76
45.	राम स्वरुप मांगी लाल	30.10.80	30.10.80
46.	जगन्नाथ भोलू जी माली	30.10.80	30.10.80
47.	रतन लाल नन्दा कुम्हार	7.12.65	7.12.65
48.	भंवर लाल वालाराम	23.11.65	23.11.65
49.	रामचन्द तुलसीराम	2.9.79	2.9.79

(परिशिष्ट 'क')

अतारांकित प्रश्न संख्या 192 की सूची

जिला बाड़मेर में शरणार्थी परिवारों को आवंटित कृषि/आबादी
भूमि की ग्रामवार सूची

क्रम सं.	नाम
	तहसील–बाड़मेर
1.	बान्दरा
2.	माछबार
3.	सजावल का पार
4.	कन्टालिया का पार
5.	चांडवा उर्फ झाडवा
6.	नीलसर
7.	डबा का पार
8.	भीलों का पार
9.	गागरीया
10.	बोथिया जागीर
11.	रोहीली
12.	नांद
13.	बसरा
14.	सोनडी
15.	झाडवा
16.	पाबसरीया
17.	विशीला
18.	बठिया
19.	मेनबास
20.	मोहम्मद का पार
21.	सालरीया कालरीया
22.	शेरे का तला
23.	सेलराउ
24.	चाडवा
25.	बकडी

Page No 357

(357)

क.सं.	नाम
26.	पडपडिया
27.	बंकड
28.	भीन्डे का पार
29.	केफरनवाला
30.	केलन का पार
31.	नगे का पार
32.	सजन का पार
33.	तासक का पार
34.	उमेर का पार
35.	गरडिया
36.	मन्दलय का तला
37.	रामसर
38.	सैलाऊ
39.	सैठाई
40.	अभे का पार
41.	गामनिया का पार
42.	देवानिया का पार
43.	चाडारदबार
44.	हिन्डीया
45.	जालीला
46.	सराली
47.	गंडामालनी
48.	भालीसर
49.	पीपराली
50.	मोलीनागर्व
51.	सोखल

तहसील-शिव

1.	भोगोराई
2.	जैसिन्धर ग्राम
3.	जैसिन्धर स्टे.
4.	शिव
5.	थाखी खुर्द
6.	सीबासर

क्र.सं.	नाम
7.	हरसाणी
8.	मुगेरीया
9.	बालेबा
10.	चेदडयार
11.	देतरोडी
12.	गिराब
13.	मेदसर
14.	रोहिडी
15.	सुन्दरा
16.	डोभा
17.	बासलौर
18.	बरियाडा
19.	हुडवा
20.	उनरोड
21.	पोखमा
22.	भगकली
23.	तेरबनिपार
24.	काना का गांव
25.	स्वामी का गांव
26.	नेगराडा
27.	पखड
28.	कण्डल
29.	रेंडागा
30.	खानयाणी
31.	कालीजाल
32.	भापलीकला
33.	कोटडा
34.	रावत का गांव
35.	बलाई
36.	डाबड
37.	बान्डासर

तहसील–चौहटन

क्र.सं.	नाम
1.	चौहटन
2.	भारदी की गफत
3.	हटादा
4.	कैनरा
5,	बावडी कला
6.	खुगारू
7.	ढोंक
8.	धानिया
9.	पराडिया
10.	भाकेडा
11.	देईसर
12.	साबंलासी
13.	फागलिया
14.	तालसर
15.	भले का तला
16.	सैयउ का तला
17.	गोहड का तला
18.	नेवात जेत
19.	उदसीपार
20.	राडोड का तला
21.	लडीवाला
22.	मयेले का तला
23.	सादल की गफीन
24.	भीलों का तला
25.	रासबानी
26.	केलनोट
27.	कुम्हारों का टीवा
28.	रमज़ान की गफन
29.	माधुरी का तला
30.	हेजर्म का भाडा
31.	तमाची का गफन
32.	पूंजासर

क.सं.	नाम
33.	गिठडाऊ
34.	सोनराड
35.	जानपालिया
36.	दीपला
37.	भोजारिया
38.	मिये का तला
39.	मेलराड
40.	बामनेर भंवरशाह
41.	आलमसर
42.	आमेर अमीरशाह
43.	रबासर
44.	
45.	लखेका तला
46.	बठाराठोडान
47.	धेनाऊ
48.	शोमाला
49	सरूप का तला
50.	गुमाने का तला
51.	
52.	बीसासर
53.	हरपालिया
54.	सिहानिया
55.	आलू का तला
56.	भवौर
57.	भडागल मोहम्मद
58.	हाथली
59.	खिजासर
60.	जैसार
61.	ब्यवाल
62.	मिरडी
63.	चन्दासनी
64.	बाबरवाला
65.	बाखासर
66.	बोली

क्र.सं.	नाम
67.	भिडा
68.	मलानी
69.	भेडवा
70.	मन्दावाव
71.	पनोरीया
72.	धुडावा
73.	सेनों का निवाय
74.	भोंडा
75.	पान्डरवाली
76.	मलहाव
77.	नवातला वाखासर
78.	ग्रदरीय का तला
79.	फकीरों का निबाव
80.	जालीला
81.	सारला

जिला—जालोर

तहसील-भीनमाल

1.	जैरण
2.	मुतेल
3.	घानसा
4.	जभाडीजोड
5.	हातमताईजोड

तहसील-सांचोर

1.	सरदारपुरा जोड

जिला—जैसलमेर

1.	मलाना
2.	देग्राडा
3.	कीता
4.	हावर

362

क्र.सं.	नाम
5.	जसेग्रा व मेधा
6.	सींतोडाई
7.	निम्बा
8.	फलेडी
9.	म्याजलार
10.	पोखीना
11.	जैंसलमेर
12.	ग्रचला देवीकोटा

राजस्थान नहर क्षेत्र में आवंटित कृषि/आबादी भूमि का विवरण

क्र.सं.	नाम तहसील	अनुसूचित जाति जनजाति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5
1.	पूंगल	317	1019	1336
2.	कोलायत–I	47	1329	1376
3.	कोलायत–II	—	280	280
	योग	364	2628	2992

नोट :—उक्त 2992 परिवारों में से 55 परिवार जिला जालौर व शेष 2937 जिला बाड़मेर में निवास कर रहे हैं।

परिशिष्ट 21

अतारांकित प्रश्न संख्या 193 की सूचना

परिशिष्ट (क)

जयपुर जिले में नट जाति की तहसील वार
जन संख्या (जनगणना 1971 के आधार पर)

क्र. सं.	तहसील का नाम	संख्या
1.	कोटपूतली	36
2.	बैराठ	107
3.	आमेर	12
4.	फुलेरा	215
5.	जयपुर	23
6.	जमवारामगढ़	50
7.	बसवा	21
8.	दूदू	215
9.	सांगानेर	133
10.	बस्सी	192
11.	दौसा	48
12.	सिकराय	99
13.	फागी	249
14.	चाकसू	321
15,	लालसोट	160
16,	अन्य	—
	योग	1881

365

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 194 का प्रपत्र
टोंक जिले में 1982-83 में स्वीकृत राशि तथा किए गए कार्य की प्रतिशत प्रोग्रेस

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि लाखों में	किया गया कार्य प्रतिशत में
1.	गुन्सी राहोली सड़क	3.00	25%
2.	झिलाई दतवास सड़क	3.00	13%
3.	टोंक बम्बोर सड़क	2,85,200	85%
4.	टोंक सोनवा रोड	3.00	33%
5.	पीपलू रानोली सड़क	3.00	10%
6.	एप्रोच रोड राजमहल	18.00	22%
7.	भरनी घुंवा	3.00	90%
8.	एप्रोच रोड तासिरदा	19.50	11%
9.	एप्रोच रोड शोप से श्रामली	5.90900	30%
10.	प्लाई नगर रोड	3.00	28%
11.	डिग्गी पचेवर सड़क	3.00	36%
12.	मोर टू सवारिया	3.00	50%
13.	टोडा मरवास	2,91,700	30%
14.	टोडा बिसलपुर	2,89,850	18%
15.	पचेवर नगर से श्रावडा सड़क	2.00	0 %
16.	मिसिंग लिंक वोली निवाई रोड	2.00	100%
17.	एप्रोच रोड दूनी से थाड सड़क	3.00	8 %
18.	कंकोड नगर सड़क	12.00	50%
19.	मालपुरा लाम्बा हरिसिंह सड़क	0.35	100%

———

366

परिशिष्ट 23

प्रपत्र क

अतारांकित प्रश्न संख्या 197 का प्रपत्र

झालावाड़ जिले में 1980 से अब तक स्वीकृत की गई सड़कों की सूची

क. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत राशि
1.	बघेरा हरीगढ़ सड़क निर्माण	5,00,000
2.	भवानीमंडी डग आगर रोड पर सी. डी. कार्य	6,00,000
3.	भवानीमंडी से डग सड़क का निर्माण	33,50,000
4.	खानपुर अकलेरा सड़क में सरोलिया कलां तक सड़क निर्माण ।	8,00,000
5.	सुकेत पिपलियां सड़क मेटल रोड ।	8,00,000
6.	उपगमन सड़क बरोडिया गांव तक	3,00,000
7.	अकलेरा मनोहरथाना सड़क का सुधार	12,50,000
8.	डामर सडक का निर्माण गंगधर से उन्हेल (1650) 15 कि. मी.	25,00,000
9.	खानपुर से सरोला कलां से तारज तक डामर का कार्य	10,00,000
10.	डामर सड़क का निर्माण कार्य सुनेल से करोडिया (1542 उन्हेल) सुनेल छोटी (1226) तक 25 कि. मी.	20,00,000
11.	आसलपुर से भालता (2252) 10 कि. मी. डामर सड़क का कार्य	12,29,000
12.	पंचपहाड़ से गुराडिया माना सड़क (कृषि उपज मंडी के अन्तर्गत स्वीकृत)	3,00,000
13.	डग अगर सड़क का निर्माण कार्य (केन्द्रीय सड़क निधी के अन्तर्गत स्वीकृति)	10,00,000
	योग:—	1,56,29,000

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न सं. 198 की सूची

माडा योजना में प्रस्तावित गांवों की सूची

जिला—कोटा

तहसील—लाड़पुरा

क्रम संख्या	गांव का नाम
1.	जसपुरा
2.	केशोपुरा
3.	खरली वावड़ी
4.	दामोदरपुरा
5.	मोहनपुरा
6.	मन्दीरगढ़
7.	मानपुरा
8.	बक्शपुरा
9.	जोधपुरा
10.	नीमखेड़ी
11.	लक्ष्मीपुरा
12.	झामरा
13.	डडवाड़ा
14.	कोथला
15.	पदमपुरा
16.	दोवाड़ा
17.	थोलपुरा
18.	कात्याखेड़ी
19.	सिंहपुरा
20.	गोपालपुरा
21.	रोझाला
22.	रैंल
23.	सारंगपुर

क्रम संख्या	गांव का नाम
	तहसील रामगंजमण्डी
24.	घाटी जागीर
25.	गडारी
26.	भापड़ा
27.	रकबा पहाड़
28.	झालरा
29.	मीनिया खेड़ी
30.	भगवानपुरा
31.	घासपुरा
32.	हमांउ
33.	गणेशपुरा कंला
34.	गुमानपुरा
35.	सहराबदा
36.	रामखेड़ा
37.	धाक्या
38.	राजूखेड़ा
39	बुधवान
40.	गणेशपुरा खुर्द
41.	चौंसला
42.	चारिया खेड़ी
43.	निमाना
44.	अन्तरालिया
45.	पीपाखेड़ी
46.	पामाखेड़ी
47.	मुकन्दपुरा
48.	गउपुरा
49.	भीरी
50.	बालकू
	तहसील सांगोद
51.	किशोरपुरा
52.	मान्डलिया हेड़ी
53.	चक जगदीशपुरा

369

परिशिष्ट-25

अतारांकित प्रश्न संख्या 200 की सूची

डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर द्वारा किये गये व्यय की सूची

वर्ष 1978--79 से 1982-83 तक

क्र.सं.	मद	1978-79	1979-80	1980-81	1982-83	1982-83 31.7.82 तक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
अ. कार्य:—							
1.	मरु क्षेत्र का संधारण	—	—	85055	140025	14513	239593
2.	मरु वनस्पति का पुनरूत्पादन	—	—	250830	1713142	44230	2008202

1	2	3	4	5	6	7	8
	3. जल स्थानों का विकास एवं जल व्यवस्था	262500	—	8065200	580390	4000	1653410
	4. पालतू पशुओं पर व्यय	—	—	24560	75375	29825	129760
	5. वाहन	166770	1202	20320	389190	8307	585789
ब. भवन							
	1. सुरक्षा चौकी	—	—	177088	322217	20668	—
	2. क्षेत्र निदेशक, कार्यालय	—	—	—	30000	—	819973
	7. अकाल फोसिल पार्क	2946	2741	49200	20016	538	75741
	8. वायर लेस सैट	—	—	59262	250737	—	309999
	9. कैंप का सामान	—	—	35000	—	—	35000

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	हथियार व बारूद	—	—	272160	—	—	272160
		432216	3943	1779995	3791092	122081	6129327
(स)	प्रस्थापना:—प्रस्थापना खर्च	—	—	253342	486244	201993	941579
	महायोग	432216	3943	2033337	4277336	324074	7010906

परिशिष्ट–26

अतारांकित प्रश्न संख्या 13 की सूची

आवंटित सूची दिनांक 11-2-76

1	2	3	4	5	6	7
1.	मोहनलाल पुत्र भूरा	जटिया	कापरड़ा	301	15-00	अनु. जा.
2.	बस्तीराम पुत्र लखाराम	जटिया	कापरड़ा	301/1	15-00	,,
3.	बस्तीराम पुत्र मंगाराम	नाई	कापरड़ा	301/2	15-00	अन्य
4.	तुलछाराम पुत्र मुगनाराम	मेगवाल	कापरड़ा	301/3	15-00	अनु जा.
5.	प्रेमाराम पुत्र तुलछाराम	भांबी	कापरड़ा	301/4	15-00	,,
6	जगदीश पुत्र छैला	हरिजन	कापरड़ा	301/5	10-00	,,

1	2	3	4	5	6	7
7.	छैला पुत्र मगना	हरिजन	कापरड़ा	301/6	10-00	अनु. जाति
8.	मदनलाल पुत्र चन्द्राराम	मेगवाल	कापरड़ा	301/7	10-00	,,
9.	अमनाराम पुत्र भूरामल	चौकीदार	कापरड़ा	301/8	12-06	अन्य
10.	पूनाराम पथुराम (कनोडिया)	जाट	कापरड़ा	10	13-00	,,
11.	पांचुराम पुत्र सुराराम	,,	,,	10/1	12-13	,,
12.	सांवलराम पुत्र नत्थाराम	जाट	,,	77 57	1-01 15-00	16-01
13.	धीराम पुत्र गोवर्धन	जाट	,,	57/1	15-00	अनु. जा.
14.	पूनाराम पुत्र मनाराम साद	साद	,,	20	13-00	,,

1	2	3	4	5	6	7
15.	पारस पुत्र जयराम	सारोल	कापरड़ा	20/1	12-13	अन्य जाति
16.	रामसुख पुत्र गिरधारी	कलाल	,,	320	15-00	,,
17.	बन्शीलाल पुत्र रामसुख	कलाल	,,	320/1 व 6	5-01 } 10-08 } 5-09	,,
18.	जहूर मोहम्मद पुत्र अजीमूद्दीन सि०	मुसलमान	,,	304	14-00	,,
19.	अलीखां पुत्र गफूरखां	,,	,,	304/1	14-00	,,
20.	मुबाल खां पुत्र रसाल खां	,,	,,	304/2	14-00	,,
21.	वदूखां पुत्र अकबर खां	,,	,,	304/3	14-00	,,
22.	खैर खां पुत्र अलादीन खां	,,	,,	304/4	15-18	,,

1	2	3	4	5	6	7
23.	अलादीन खां पुत्र कोजुखां	मुसलमान	कापरड़ा	338 370–	2-00 9-/0] 11-00	अन्य जाति
24.	उसमाम पुत्र कोजुखां	,,	,,	363	11-00	,,
25.	हकीम खां पुत्र कौजूखां	,,	,,	363/1	11-00	,,
26.	हासन खां पुत्र कोजुखां	,,	,,	363/2	11-00	,,
27.	रसालखां पुत्र कौजूखां	,,	,,	363/3	12-00	,,
28.	मनूरे खां पुत्र हमीर खां	,,	,,	314	15-00	,,
29.	नाथू पुत्र कमल खां	,,	,,	314/1	11-00	,,

1	2	3	4	5	6	7
30.	मिसरा पत्नि कमल खां		मुसलमान	कापरड़ा	314/2 11-00	अन्य जाति
31.	नेकू खां पुत्र समन्द खां		,,	,,	314/3 11-00	,,
32.	माई खां पुत्र खफक खां		सि. ,,	,,	314/4 11-00	अन्य जा.
33.	कालु खां पुत्र असु खां		,,	,,	314/5 11-00	,,
34.	जकाऊ खां पुत्र गनी खां		,,	,,	314/6 11-00	,,
35.	जहूर खां मांगे खां		,,	,,	314/7 11-00	,,
36.	सुलेमान खां पुत्र अमर खां		,,	,,	314/8 11-00	,,
37.	गफुर खां पुत्र अमीर खां		,,	,,	314/9 11-00	,,
38.	सफरु खां पुत्र अमीर खां		,,	,,	314/10 11-00	,,

1	2	3	4	5	6	7
39.	लादुराम पुत्र धोकलराम	सुथार	कापरड़ा	317	15-00	अन्य जाति
40.	श्रोमप्रकाश पुत्र ताराचन्द	कलाल	,,	317/1	15-00	,,
41.	नन्दलाल पुत्र किस्तूरचन्द	,,	,,	317/2	15-00	,,
42.	फकीर खां पुत्र मोहम्मद खां सि०	मुसलमान	,,	317/3	15-00	,,
43.	भंवरलाल वुदाराम	मेगवाल	,,	317/4	10-00	,,
44.	सुलाल पुत्र धकेल	,,	,,	317/5	10-00	,,
45.	बस्तीराम पुत्र मांगीलाल	सारोल	,,	317/6	10-00	,,
46.	रामू पुत्र मोहन	नट	,,	317/7	10-00	,,
					583-08	

नोट :—कुल 46 व्यक्तियों को सीलिंग भूमि का आंवटन किया गया।

सूची भूमि आवंटन ग्राम कापरड़ा तहसील बिलाड़ा दि० 17–4–76

क.सं.	नाम आवन्टि व वल्दियत	जाति	गांव का नाम	खसरा	रकबा	किस्म वर्ग
1	2	3	4	5	6	7
1.	सुखराम पुत्र गुलाजी	जटिया	कापरड़ा	30	18·00	अ.जा.
2.	धरीश पुत्र गुल्ला	जटिया	कापरड़ा	304/1	18·10	,,
3.	बुधाराम पुत्र केसाराम	सरगरा	कापरड़ा	57/1	11·00	,,
4.	रतनाराम पुत्र कुम्राराम	मेघवाल	कापरड़ा	57/2	11·00	,,
5.	जवरीलाल पुत्र सेसाराम	सरगरा	कापरड़ा	57/2	11·00	,,
6.	छगना देवी पत्नि करनारा	सरगरा	कापरड़ा	5	12·05	,,
7.	मांगली पत्नि सूंडा	मेघवाल	जोधपुर	348	9·05	,,
8.	पन्नालाल पुत्र भैरूलाल	नायक	,,	20	11·00	,,
9.	जगदीश पुत्र पूसाराम	रखल	,,	20/1	11·19	,,
10.	गंगाराम पुत्र विशनाराम	मेघवाल	जोधपुर	336/1	12·00	,,
11.	कुम्भाराम पुत्र विशनाराम	,,	,,	336/1	12·00	,,
12.	उदाराम पुत्र विशनाराम	,,	,,	336/2	12·00	,,
13.	कैलाश पुत्र उदाराम	रखल	,,	334/3	12·00	,,
14.	घेवाराम पुत्र लासाराम	मेघवाल	,,	336/4	10·00	,,
15.	बाबूलाल पुत्र पोकाराम	,,	,,	336/5	9·00	,,
16.	सायरी पत्नि जोगाराम	,,	,,	336/6	13·00	,,
17.	चेनाराम पुत्र पदमाराम	,,	,,	336/7	13·00	,,
18.	बाबूराम पुत्र पदमाराम	,,	,,	336/8	13·00	,,
19.	कल्लाराम पुत्र पदमाराम	,,	,,	336/9	13·00	,,
20.	नारायण पुत्र काछव	,,	,,	304/2	10·00	,,
21.	मुन्ना पुत्र काछव	,,	,,	304/3	10·00	,,
22.	हीरादेवी पत्नि नरपतराम	,,	,,	304/4	14·00	,,

1	2	3	4	5	6	7
23.	महेन्द्र प्रसाद पुत्र गेलाराम	मेघवाल	जोधपुर	304/5	13·00	अ.जा.
24.	जोगेन्द्र पुत्र उत्तमाराम	,,	,,	307	12·00	,,
25.	उत्तमाराम पुत्र कुम्भ:राम	,,	,,	307/!	12·00	,,
26.	किशनाराम पुत्र नैनाराम	,,	,,	307/2	12·00	,,
27.	सुन्दरलाल पुत्र कुम्भाराम	,,	,,	10	12·00	,,
28.	मोतीलाल पुत्र घेवरलाल	,,	,,	10/1	12·00	,,
29.	वेजाराम पुत्र सुन्दरलाल	,,	,,	10/2	12·00	,,
30.	नारायण पुत्र लादूराम	,,	,,	321	2·10	,,
31.	लक्ष्मणराम पुत्र लादूराम	,,	,,	320/1	12·00	,,
32.	हेमाराम पुत्र केवलराम	,,	,,	320/2	12·00	,,
33.	पूसाराम पुत्र केवलराम	,,	,,	320/3	12·00	,,
34.	श्यामलाल पुत्र मुकनाराम	,,	,,	320/4	12·15	,,
35.	मुकनाराम पुत्र जयराराम	,,	,,	6/1	12·00	,,
36.	रामचन्द्र पुत्र पूसाराम	,,	,,	6/2	12·05बीघा	,,
37.	देवाराम पुत्र हेमाराम	,,	,,	6/3	13·00	,,
38.	धर्माराम पुत्र अचलाराम	,,	,,	6/5	15·00	,,
39.	भंवरलाल पुत्र चेतनाराम	,,	,,	10/3	12·00	,,
0.	सोहनलाल पुत्र चेतनाराम	,,	,,	10/4	12·00	,,
1.	त्रिलोकचन्द पुत्र बीजाराम	,,	,,	10/5	12·00	,,
2.	बाबूलाल पुत्र पूनाराम	,,	,,	57/3	11·00	,,
3.	पूनाराम पुत्र मंगलाराम	,,	,,	57/4	11·00	,,
4.	नत्थूराम पुत्र चिमनीराम	,,	,,	57/5	11·00	,,
5.	मिनुलाल पुत्र नत्थूराम	,,	,,	20/5	11·00	,,
6.	नैनाराम पुत्र जगरूपराम	,,	,,	20/6	11·00	,,

1	2	3	4	5	6	7
47.	बंसीलाल पुत्र नेनाराम	मेघवाल	जोधपुर	20/7	11·00	अ.जा.
48.	नोरतनमल पुत्र मिश्रीलाल	,,	,,	20/8	11·00	,,
49.	टीकमाराम पुत्र किशनाराम	,,	,,	20/9	11·19	,,
50.	सीयाराम पुत्र गुमनाराम	,,	,,	301/9	14·00	,,
51.	रामचन्द्र पुत्र लालाराम	,,	,,	301/10	14 00	,,
52.	सूरजाराम पुत्र प्रेमाराम	,,	,,	301/11	14.00	,,
53.	जीयाराम पुत्र बीजाराम	,,	,,	301/12	14.00	,,
54.	नेनाराम पुत्र मंगाराम	,,	,,	301/13	14·00	,,
55.	जीयाराम पुत्र भागाराम	,,	,,	301/14	14 00	,,
56.	मनोहरलाल पुत्र सीयाराम	,,	,,	301/15	14·00	,,
57.	छैलाराम पुत्र भंवरलाल	,,	,,	301/16	14·00	,,
58.	श्यामलाल पुत्र बुद्धाराम	,,	,,	301/17	15·00	,,
59.	बुद्धराम पुत्र मुकानाराम	,,	,,	301/18	15 00	,,
60.	लालाराम पुत्र सरताराम	,,	,,	301/19	15·00	,,
61.	जीयाराम पुत्र सुखाराम	,,	,,	301/20	15·00	,,
62.	सोहनलाल पुत्र त्रिलोकचन्द	,,	,,	301/21	15·00	,,
63.	लाजनराम पुत्र धूडाराम	,,	,,	301/22	15·00	,,
64.	मोहनलाल पुत्र धन्नाराम	,,	,,	301/23	15·00	,,
65.	धन्नाराम पुत्र नवलाराम	,,	,,	301/24	15·00	,,
66.	बाबूलाल पुत्र अवलाराम	,,	,,	301/25	15·00	,,
67.	मुकनाराम पुत्र बीजाराम	,,	,,	301/26	15·00	,,
68.	भूराराम पुत्र रावतराम	,,	,,	301/27	15 00	,,
69.	घेवरराम पुत्र दयाराम	,,	,,	301/28	15 00	,,
70.	भंवरलाल पुत्र रामलाल	,,	,,	301/29	15·00	,,
71.	मोहनलाल पुत्र घेवरलाल	,,	,,	301/30	15·00	,,
72.	गोबिन्दराम पुत्र साजनराम	,,	,,	20/4	11·00	,,
73.	मिसराराम पुत्र नेमाराम	,,	,,	20/2	11·00	,,
74.	बाबूराम पुत्र नेमाराम	,,	,,	20/3	11·00	,,

1	2	3	4	5	6	7
75.	सोनाराम पुत्र भूराराम	मेघवाल	जोधपुर	301/31	15·00	अ.जा
76.	अल्लाउदीन पुत्र जमालखां सिन्धी	मुसलमान	कापरड़ा	301/32	15·00	,,
77.	मारुखां पुत्र मिसल खां सिन्धी	,,	,,	301/33	15·00	,,
78.	जवर खां पुत्र जमाल खां सिन्धी	,,	,,	301/35	15·00	,,
79.	सायरखां पुत्र आदम खां सिन्धी	,,	,,	301/36	15·00	,,
80.	हन्सा पत्नि मिठू खां सिन्धी	,,	,,	301/36	15·00	,,
81.	हासन खां पुत्र मिठू खां	,,	,,	301/37	15·00	,,
82.	मांगीलाल पुत्र भूराराम	सुथार	,,	301/38	15·00	,,

ब:5

उक्त व्यक्तियों के अलावा निम्नांकित व्यक्तियों को आवंटन निम्न कारण से किया गया।

1. मुकदमा संख्या 1/97/75 सरकार बनाम प्रवीण कुमार आदि कापरड़ा के सीलिंग मामलों, तीन पूंजीकृत दस्तावेजात जो निम्न व्यक्तियों की गयी हस्तान्तरित भूमि के लिये दिनांक अक्टूबर, 75 के फैसले में नहीं माने गये थे, जब्त किये दस्तावेज दिनांक 22-4-70 के थे।

2. निम्न व्यक्ति जो उक्त मामले हस्तान्तरित थे अतः वे भूमिहीन की नाइद में आते है अतः सीलिंग भूमि का आवंटन सर्व सम्मति से मजमें आम के किया गया।

1.	मांगीलाल पुत्र किसनाराम	विश्नोई	कापरड़ा	283	17·00	अन्य
2.	देवाराम पुत्र हासुक	विश्नोई	कापरड़ा	283/1	17·00	,,
3.	शिवाराम पुत्र हासुक	विश्नोई	कापरड़ा	283/2	17·00	,,
4.	भारत पुत्र निम्बाराम	विश्नोई	कापरड़ा	283/3	17·00	,,
5.	जेताराम पुत्र निम्बाराम	विश्नोई	कापरड़ा	283/4	17·00	,,

परिशिष्ट–27

अतारांकित प्रश्न संख्या 14 की सूची

जैसलमेर जिले में अकाल राहत के तहत खोले गये पशु पोषण केन्द्रों की सूचना

क्रम सं०	नाम पशु पोषण केन्द्र पंचायत पंचायत समिति जैसलमेर	प्रारम्भ करने की तिथि	स्वीकृति पशु सं०	लाभान्वित पशु संख्या एवं माह	
				माह	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	जैसलमेर I	8–1–82	500	1/82	484
				2/82	,,
				3/82	,,
				4/82	,,
				5/82	,,
				6/82	,,
				7/82	,,

1	2	3	4	5	6
2.	जैसलमेर II	25/1/82	500	जनवरी से जुलाई तक	454
3.	जैसलमेर III	25/1/82	500	,,	500
4.	नोख	15/1/82	500	,,	500
5.	देवा	13/3/82	500	3/82 से 7/82	491
6.	बडोडा गांव	8/3/82	500	,,	500
7.	चांधन	8/3/82	500	,,	500
8.	कापोद	8/3/82	350	,,	350
9.	हमीरा	8/3/82	350	,,	350
10.	भू	15/3/82	500	,,	450

1	2	3	4	5	6
11.	पिथला	22/3/82	500	3/82 से 7/82 तक	350
12.	रूपसी	8/3/82	500	,,	500
13.	मोहनगढ़	8/4/82	500	4/82 से 7/82 तक	496
14.	मदासर	15/4/82	500	,,	500
15.	काठोडो	15/4/82	500	,,	369
16.	पारेवर	24/4/82	500	,,	291
17.	ताडाना	15/4/82	500	,,	64
18.	नेडाई	1/5/82	500	5/82 से 7/82 तक	354
19.	सोढाकोर	1/5/82	500	,,	500

1	2	3	4	5	6
20.	सुल्ताना	1/5/82	500	5/82 से 7/82 तक	261
21.	तेजपाला	1/5/82	500	,,	321
पंचायत समिति सांकड़ा I					
22.	राजमथाई	22/2/82	500	2/82 से 7/82 तक	500
23.	लंवा	15/3/82	500	3/82 से 7/82 तक	500
24.	रामदेवरा	15/3/82	500	,,	500
25.	सांकडा	15/3/82	500	,,	500
26.	मांडवा	15/3/82	500	,,	500

386

1	2	3	4	5	6
27.	बांघेवा	15/3/82	500	3/82 से 7/82 तक	500
28.	भैंसडा	15/5/83	500	,,	500
29.	राजगढ़	15/3/82	500	,,	500
30.	भपियापा	15/3/82	500	,,	500
31.	फलसूण्ड	22/3/82	500	,,	500
32.	बलाड	15/4/82	500	4/82 से 7/82 तक	500
33.	बारट का गांव	15/4/82	500	,,	500
34.	भादरिया	22/5/82	200	5/82 से 7/82 तक	500
35.	लाठी	1/6/82	500	6/82 से 7/82 तक	500

1	2	3	4	5	6
36.	लूपा कल्ला	1/6/82	500	6/82 से, 7/82 तक	500
37.	खेतोलाई	1/6/82	500	,,	500
38.	लोहारको	1/6/82	500	,,	500
39.	झाबरा	1/6/82	500	,,	500
40.	रातडिया	1/6/82	500	,,	500
41.	छायप	1/6/82	400	,,	400
42.	अजासर	1/6/82	500	,,	500
43.	चौक	8/7/82	500	,,	400
44.	दांतल	8/7/82	500	,,	500

387

2	2	3	4	5	6
45.	केलावा	22/6/82	500	6/82 से 7/82 तक	500
पंचायत समिति सम I					
46.	सांगढ	8/1/82	500	1/82 से 7/82 तक	500
47.	रामगढ़	8/1/82	500	,,	497
48.	सम	8/3/82	500	3/82 से 7/82 तक	500
49.	कनोई	22/3/82	500	,,	370
50.	रिवड़ी	22/3/82	500	,,	348
51.	झिझंयाली	22/3/82	500	,,	409

1	2	3	4	5	6
52.	मोढ़ा	22/3/82	400	3/82 से 7/82 तक	400
53.	कूण्डा	8/3/82	500	,,	476
54.	चेलक	15/3/82	500	,,	174
55.	कोटड़ी	8/3/82	500	,,	500
56.	डांगरी	8/3/82	500	,,	500
57.	देवीकोट	8/3/82	500	,,	477
58.	रासला	15/3/82	500	,,	500
;9.	वईया	8/3/82	250	,,	250
0.	ग्रड़वाला	8/4/83	500	4/82 से 7/82 तक	340

1	2	3	4	5	6
61.	खूहड़ी	8/4/82	500	4/82 से 7/82 तक	301
62.	बोदा	22/4/82	500	,,	500
63.	रामा	22/4/82	500	,,	389
64.	कपूरिया	22/4/82	500	,,	484
65.	तेजमालता	15/4/82	500	,,	500
66.	नरसींगो की ढाणी	22/4/82	350	,,	350
67.	सोनू	15/4/82	500	,,	400

1	2	3	4	5	6
68.	तेजरावा	15/4/82	250	4/82 से 7/82 तक	181
69.	दबडी	1/5/82	500	5/82 से 7/82 तक	202
70.	म्याजलार	8/5/82	500	"	151
71.	लखा	8/5/82	400	"	277
72.	देवड़ा	8/5/82	500	"	213
73.	हाबूर	1/5/82	250	"	145
74.	खुईयाला	8/5/82	500	"	391

1	2	3	4	5	6
पंचायत समिति जैसलमेर					
75.	पांचे का तला	8/7/82	350	7/82 से 31/7/82 तक	350
76.	माचना	8/7/82	500	,,	500
पंचायत समिति सांकड़ा					
77.	पोकरण I	8/1/82	500	1/82 से 7/82 तक	500
78.	पोकरण II	25/1/82	500	,,	500

ह०

जिलाधीश, जैसलमेर